राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] **बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तेइसवां दिवस** **[संख्या : 16**

शुक्रवार,

23 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़ ।

पाली क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजना

232. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाली क्षेत्र को अत्यंत प्रदूषित क्षेत्र मानते हुए देश के 22 समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शामिल कर दिया है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2006 के अंत तक इस क्षेत्र में करोडों रुपये राज्य सरकार व उद्यमियों द्वारा व्यय करने के उपरांत भी प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों व अब सरकार प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) जी हां । राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पाली के जल प्रदूषण के निवारण हेतु गत 5 वर्षों में की गई मुख्य कार्यवाही का विवरण संलग्नक 'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) यह सही है कि पाली स्थित तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों की तकनीकी एवं संचालन संबंधी खामियों के कारण संपूर्ण औद्योगिक उच्छिष्ट को निर्धारित मानकों तक उपचारित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है । गैर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत 246 जलप्रदूषक उद्योगों से हो रहे प्रदूषण के प्रभावी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अंतर्गत बंद करने के निर्देश जारी किये थे, किन्तु उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन के विरुद्ध संबंधित उद्योगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं ।

औद्योगिक क्षेत्र (प्रथम एवं द्वितीय) में कार्यरत 63 जल प्रदूषक उद्योगों को, जो संयुक्त उपचार संयंत्रों से नहीं जुडे थे को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जल अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के अंतर्गत बंद करने के निर्देश जारी किये, किन्तु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के इन निर्देशों के क्रियान्वयन के विरुद्ध संबंधित उद्योगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं।

इस समस्या के निवारण हेतु रुपये 18.865 करोड़ की स्वीकृति योजना में किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) तीनों संयंत्रों का उन्नयन

(2) संयंत्र यूनिट नं. का नया निर्माण

(3) नाला निर्माण

(4) स्लज डिस्पोजल हेतु भूमि का विकास ।

पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउंडेशन पाली द्वारा करवाये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्नक 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जब पाली देश के 22 समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शुमार हो गया तो वह कौन-कौन अधिकारी हैं जिनके कार्यकाल में उनकी लापरवाही से इतनी बडी मात्रा में अब तक इस प्रकार का प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां स्थापित हो सकी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

दूसरा क्या यह सही है कि पाली में औद्योगिक क्षेत्र फेज तृतीय है, आपने अभी फेज प्रथम और द्वितीय का दिया है । फेज तृतीय में बहुत अधिक उद्योग स्थापित हैं । जहां भी जल प्रदूषण उद्योग स्थापित हैं यदि हां तो कितने हैं और उनके बारे में क्या विचार है ?

(श्री मदन राठौड़)

तीसरा आपके उत्तर में संलग्नक 'अ' के क्रम संख्या 1 के अनुसार उक्त अधिनियम 1974 कब लागू किया गया तथा नये उद्योग स्थापित करने हेतु सम्मति कब से नहीं दी जा रही है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, फेज तृतीय में कुल 325 उद्योग हैं । अध्यक्ष महोदय, तीनों संयंत्रों के अपग्रेडेशन हेतु दिनांक 12.12.2005 को एडवेंट एनवायरो केयर टैक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 8.283 करोड़ रुपये का एग्रीमेंट किया गया जिसमें फेज द्वितीय जो ट्रीटमेंट प्लांट है? उसका कार्य पूर्ण हो चुका है । फेज प्रथम में ट्रीटमेंट प्लांट और तृतीय ट्रीटमेंट प्लांट इनका कार्य 31 मार्च, 2007 तक पूरा हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अधिक प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिये जो नयी इकाइयां लग रही हैं उन इकाइयों को हमने अनुमति देने से इंकार कर दिया है । सीईटीपी के अपग्रेडेशन की कार्यवाही जो मैंने आपसे अर्ज की 31 मार्च, 2007 तक पूरी कर दी जायेगी और 12.12.2005 को केयर टैक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो ठेका दिया गया था उसका काम 31 मार्च तक पूरा हो जायेगा । वास्तव में यह बात मानने में कोई गुरेज नहीं है कुछ तो ऐसे गैर औद्योगिक क्षेत्र थे 246 जो बिलकुल ही सीईटीपी से जुडे हुए नहीं थे । हमने जल अधिनियम की धारा 33 ए के तहत उनको नोटिस दिया और उन गैर औद्योगिक क्षेत्रों को बंद करने का नोटिस धारा 33 ए में दिया जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा है, स्थगन आदेश उन्होंने प्राप्त कर लिया । इसी तरह 63 और ऐसे उद्योग हैं जिनको हमने 33 ए के तहत बंद करने की कार्यवाही की है परन्तु यह मामले राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में यह सूती वस्त्र उद्योग रंगाई छपाई के उद्योग, इन वस्त्रों की रंगाई छपाई के प्रोसेस में कास्टिक सोड़ा काम में लिया जाता था। (निरी) नागपुर नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त उपचार संयंत्र के अध्ययन में यह पाया गया कि सीईटीपी में आने वाले कास्टिक युक्त पानी को उपचारित करने के लिये इसे न्यूट्रलाइज करने के लिये एसिड के माध्यम से इसको न्यूट्रलाइज किया जाये परंतु इस प्रक्रिया के लिये प्रयुक्त होने वाले सलफ्यूरिक एसिड की कास्ट ज्यादा पड़ती थी इसलिए वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने के लिये एसिड बेस्ड वाटर जनित हो,

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

यह एसिड बेस्ड वाटर सूची वस्त्र उद्योगों के जनित कास्टिक बेस्ड की प्रकृति को न्यूट्रलाइज करने के लिये यह जितने भी उद्योग हैं इनमें न्यूट्रलाइज करने का हमने कहा । अध्यक्ष महोदय, इसमें जो रंगाई छपाई होती है इनमें रँगाई छपाई के द्वारा इसको सलफ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता था । जो काटन होती थी उसको एसिड करने से उसका काटन जल जाती थी और इससे अमलीय एसिड निकलता था इसको बंद करने के लिये राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित किये गये उसके द्वारा हमने इसको बंद करने का आदेश दिया । अध्यक्ष महोदय, सिंथेटिक कपड़ों का बढता चलन और मैकेनाइज प्रोसेस को काम में लेने के कारण पहले की तुलना में कई गुना अधिक सिंथेटिक कपड़ों की रंगाई छपाई होने लगी है । इसलिए अब जो सिंथेटिक कपड़ों को काम में लाया जा रहा है इसमें काटन नहीं है । ऐसे अनेक प्रकार के सिंथेटिक यार्न द्वारा कपड़ा बनाया जा रहा है इसलिए सलफ्यूरिक एसिड का कम से कम मात्रा में उपयोग किया जाता है । मात्र इसको न्यूट्रलाइज करने के लिये एसिड का उपयोग किया जाता है ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इन्होंने । मैंने पहला प्रश्न पूछा था इतनी लापरवाही जिन्होंने की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे, उसका इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा मैंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र तृतीय में जो उद्योग स्थापित हैं उनके लिये आपने कोई नोटिस दिया, क्या किया, उसके लिये भी इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । तीसरा मैंने पूछा कि अधिनियम, 1974 आपने कब लागू किया और सम्मति कब से जारी नहीं करने का निर्णय लिया है । अध्यक्ष महोदय, इन तीनों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दिया । पहले तीनों में से एक का तो उत्तर दें । मेरे पूरक प्रश्नों में से एक का भी उत्तर इन्होंने नहीं दिया।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं जब इनको पता है कि गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया उसके खिलाफ...

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए उसके बाद आपको मौका दूंगी ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तीनों में से एक का भी उत्तर नहीं आया अभी तो मेरे और पूरक प्रश्न हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने सम्मति की जो बात की है यह 2006 में पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन अनुसंधान फाउंडेशन यह जो तीनों ट्रीटमेंट प्लांट हैं इनको बंद करने का, सम्मति नहीं देने का आदेश दिया था उसके पश्चात् ....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कारखाना स्थापित करने की सम्मति दी जाती है आपके बोर्ड के द्वारा, आपके बोर्ड से यह सम्मति मिलती है तभी कोई कारखाना लगाया जा सकता है । परमिशन टू एस्टेबिलिशमेंट और फिर ओपरेट। एनओसी टू एस्टेबिलिशमेंट एण्ड एनओसी टू ओपरेशन ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जिस सम्मति की बात कर रहे हैं जो गैर औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री थी उनको जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के तहत हमने आदेश दिया था और उस आदेश के विपरीत उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं पूछ रहा हूं आपने यह लागू कब किया और कब से सम्मति नहीं दे रहे हैं । यह तो क्लियर करें कि लागू कब से किया और सम्मति कब से नहीं दे रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 23 मार्च, 1974 को लागू किया गया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 1974 को, तो उसके बाद सम्मति देना कब से बंद किया और इसके दरमियान यदि सम्मति दी तो क्यों दी ? बिना सम्मति के उद्योग लगे उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप ? मैंने पहला प्रश्न किया ....

श्री अध्यक्ष: 1974 में तो आपका अधिनियम लागू हुआ, वह यह पूछ रहे हैं कि 33-ए जो धारा है उसके मुताबिक आपने उनको नोटिस कब दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, यह पूछ रहा हूं कि कब यह लागू किया और कब से आपने सम्मति देना बंद किया। तीनों प्रश्नों के, उत्तर एक का भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: उनके पास सूचना थी वह दे दी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह भी सूचना नहीं है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जिनकी लापरवाही से ऐसे उद्योग स्थापित हो गए। यह तो आप दे दें।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही, आप मंत्रीजी को सुनिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं सुमेरपुर के सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं बिना कन्सेंट के गैर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो यूनिट थी..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं औद्योगिक क्षेत्र में। मैं गैर औद्योगिक की बात नहीं कर रहा। उसका तो आपने दे दिया और उसमें हाई कोर्ट का स्टे भी हो गया। मैं औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं जो बिना सम्मति के लगे और जिन्होंने लापरवाही की उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे यह तो बताइये। उन अधिकारियों के खिलाफ...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुन: निवेदन करना चाहता हूं...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप इसको टाल क्यों रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, यह टाल रहे हैं। जिनकी लापरवाही से या जिन्होंने सम्मति दी, आपने जब यह लागू कर दिया अधिनियम, उसके बाद में भी जिन्होंने सम्मति दी उन अधिकारियों के विरूद्ध, जिन्होंने लापरवाही से सम्मति दी उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे, क्या उसकी जांच करेंगे, यह आप स्पष्ट तो करें।

श्री अध्यक्ष: जांच करेंगे..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को पुन: जानकारी देना चाहता हूं फर्स्ट और सैकण्ड फेज में 63 ऐसे उद्योग हैं..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): फर्स्ट सैकण्ड तो आपने दे दिया और उसका हाईकोर्ट का स्टे भी आ गया।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही इन्हें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): थर्ड फेज में जिसमें 325 उद्योग स्थापित हैं, पहले तो यह बताएं, दूसरा जिन्होंने सम्मति दी या जिनकी लापरवाही से ऐसे एसिडिक एफ्यूलेंट फैलाने वाली फैक्ट्रियां लग गई जब कि आपका ट्रीटमेंट प्लांट इसके लिए सक्षम नहीं था। जिन्होंने यह सम्मति दी ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध जांच करके आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं वह तो स्पष्ट करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को हमने सम्मति नहीं दी..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं लोगों की बात फिर भी नहीं कर रहा हूं, मैं इण्डस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ में नहीं हूं, मैं फैक्ट्रियों के खिलाफ भी नहीं हूं। मैं यह कह रहा हूं जिन्होंने लगाने दी उन अधिकारियों के विरूद्ध, उनको क्यों बचाना चाहते हैं यह समझ में नहीं आई।

श्री अध्यक्ष: अब आप सुन लें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह घुमा फिराकर वो ही कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह घुमा फिराकर फिर वही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2004 से किसी उद्योग को हमने..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कोर्ट का स्टे उनके विरूद्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब आप सुनिये, वह कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसी क्वेश्चन का उत्तर आयेगा, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पार्टी मीटिंग के फैसले विधान सभा में क्यों कर रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा क्वेश्चन यह है कि जब आपका ट्रीटमेंट प्लांट फेल था अकार्डिंग टू योअर आफिसर रिपोर्ट, ट्रीटमेंट प्लांट फेल था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात हुई ?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ट्रीटमेंट प्लांट फेल होने के बाद फिर थर्ड फेज में उन इण्डस्ट्री को क्यों लगने दिया गया जब उनके पास बोर्ड की एनओसी नहीं थी, यह इनका क्वेश्चन है, जब ट्रीटमेंट प्लांट फेल की रिपोर्ट आ गई ट्रीटमेंट प्लांट फेल है तो फिर थर्ड फेज में उन लोगों को इण्डस्ट्री क्यों लगाने दी गई जिन इण्डस्ट्री पर एनओसी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: आप पाली वालों को पूछ लेने दीजिए। (व्यवधान) आप तो बिराजो, पाली वालों को पूछ लेने दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह उद्योग विभाग से संबंधित है, थोड़ा सा क्लियरिफाई करूंगा माननीय सदस्य को कि पहले काटन लेटेड यार्न बनता था उसकी प्रोसेसिंग होती थी उन्हीं इण्डस्ट्री

(श्री नरपतसिंह राजवी)

को उन्होंने सिंथेटिक यार्न में कन्वर्ट किया है उस प्रोसेस में कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट का, ट्रीटमेंट फेसेलिटी वही रही जबकि उन्होंने सिंथेटिक यार्न किया इसलिए एसेडिक यह चेंज हुआ है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनकी लापरवाही से....

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया इन्होंने।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इतने आदमी, एसिडिक फैलाने वाली फैक्ट्रियां लग गई उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करके आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, एक तो यह क्लियर करें। दसूरा, आपने फर्स्ट और सैकण्ड को तो बना दिया और उनको आपने नोटिस भी दे दिया और हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे भी प्राप्त कर लिया लेकिन थर्ड फेज के कहीं कोई नोटिस नहीं, कोई स्टे नहीं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 325 इण्डस्ट्रीज हैं उसका तो क्लियर कर दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुझे एक प्रश्न पूछना है..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, पहले मेरा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): मेरा नाम पुकार लिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा तो आप क्लियर होने दें। मैंने तीन पूरक प्रश्न किए, जवाब एक का भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: वह सब के जवाब एक साथ देंगे। आपने पूछ लिया, अब उनको भी पूछने दो (व्यवधान) जवाब देंगे वह ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि मेयड़ा बांध में पाली के कारखानों का प्रदूषित जल एकत्रित हो गया, उस बाँध में प्रदूषित जल एकत्रित हो गया, अगर हां तो क्यों, उसको रोकने का क्या उपाय है, जिन किसानों की भूमि बंजर हुई है उनको मुआवजा देने की क्या योजना है ? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसी बांध का पानी निकाला गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ना-ना, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, बाँध का निकाला गया..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। मत लिखना, अंकित नहीं हो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूं, जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट से स्टे कितने वर्ष पहले लिया गया और हाई कोर्ट का स्टे लेने के बाद में क्या राज्य सरकार उस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई तो..(व्यवधान) तो इसके पीछे क्या कारण है और इतने सालों से लोगों के जानमाल का नुकसान हो रहा है और पूरा पाली प्रदूषित हो रहा है, ऐसे हालात हैं कि वहाँ पर आदमी खड़ा नहीं रह सकता। रात को सो नहीं सकता। इस प्रकार का पोल्यूशन पूरे पाली में है। तो मेरा निवेदन है उस हाई कोर्ट का स्टे लिया हुआ है उसके खिलाफ कब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस स्टे को वेकेट कराने की कार्यवाही कर रही है, नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष: आप डी बी में गये क्या (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): स्टे के लिए 6-6 महीने बाद यह पत्र लिख रहे हैं। 5.1.2006 को लिखा फिर 8.1.2007 को लिखा, तो 6-6 महीने बाद में क्यों दे रहे हैं, तुरंत कार्यवाही क्यों नहीं होती है। प्रश्न का उत्तर दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इस संबंध में मेरा..

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर देवल।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले पाली के..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके तो सारे प्रदूषित हो गए, हमको

(श्री सी.डी. देवल)

बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रदूषण बोर्ड का पाली में कोई आफिस है, है तो 2003 से 7 तक कितने मामलों में उन्होंने चालान किया नम्बर एक ?

नम्बर दो, क्या यह सही है कि जो जल प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र कास्टिक युक्त पानी के लिए लगाये गए थे तो फिर उनमें एसिडिक पानी को छोडा गया और यह संयंत्र है इसका वहां पेरिनियल रिवर के लिए छोड़ा जाता है तो फिर यह बांडी नदी जो कभी-कभी साल में एक दो बार ही आती है उसमें क्यों छोड़ा जा रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये ना।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित है मेरा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, खुशवीर सिंहजी को भी पूछ लेने दीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सी ई पी टी के नोर्म्स बने हुए हैं वह नोर्म्स, जो मानक है वह पेरिनियल रिवर्स के हैं या सीजनल रिवर के हैं, एक तो मुझे यह जवाब दें। प्रश्न पहले में आपने जो जवाब दिया है विवरण अ उसमें यह लिखा संयंत्र का संचालन 24 घंटे चालू रखने हेतु जनरेटर सैट 600 केवीए के लगाए गए, क्या वह जनरेटर सैट चल रहे हैं, या वह सिर्फ स्थापित किए इसका जवाब दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी पूछी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं 2004 से एडजेस्टिंग यूनिट थी उनको हमने सम्मति जारी नहीं की। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मंडिया रोड स्थित इकाइयां चूंकि सीईपीटी से जुड़ी हुई है इसलिए उनको बंद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब आपका सीइपीटी फैल है तो... (व्यवधान) जब आपके सीईपीटी फेल है...

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैंने अभी कहा था यह सीईपीटी अपग्रेडेशन के कार्य जो एक तो सीईपीटी सैकण्ड जिसका काम पूरा हो चुका है एक फर्स्ट और थर्ड है वह 31 मार्च, 2007 तक पूरा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हाईकोर्ट की जो चर्चा की, हाइकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिये हैं और कौनसी तारीख को डायरेक्शन दिये पाली डी पी रिट पीटिशन 559/2002 महावीर नगर विकास समिति बनाम राज्य सरकार ने एक पी आई एल जो पेश की उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 9.3.2006 को निम्न आदेश दिए राज्य में प्रदूषण नियंत्रण नये सिरे से पाली एवं आस-पास के क्षेत्र के वस्त्र उद्योग का निरीक्षण करेगा दूसरा जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं उन्हें प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित व्यवस्था अपनानी चाहिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह इररिलेवेंट, मैं जो पूछ रहा हूं उसका तो जवाब नहीं दे रहे।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्बोनाइज्ड, जो इण्डस्ट्रीज इस याचिका में, उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.05.2004 को यह निर्देश भी पारित किये हैं कि जो कार्बोनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनको बंद की जाए तो उस पर हमने एक्शन लिया, 246 यूनिट्स को हमने 33-ए का नोटिस दिया, 63 यूनिट को हमने 33-ए का नोटिस दिया और 3 यूनिट को जो कार्बनडाइज्ड कर रही थीं उनको हमने 33-ए का नोटिस देकर तुरन्त कार्यवाही की। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, स्टे वेकेट कराने के लिये आपने क्या कार्यवाही की?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): एक यूनिट ने हाई कोर्ट को एश्योरेंस दिया है कि मैं कार्बोनाइज्ड नहीं करुंगा, सल्फरिक एसिड यूज नहीं करुंगा। इस कण्डीशन पर हाई कोर्ट ने उसको चलाने की अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में पाली के अन्दर प्रदूषण का मामला निश्चित रूप से गम्भीर है और हाई कोर्ट ने एक प्रकार का, एक्सपर्ट के द्वारा जांच कराने का आदेश दिया। हमने एक्सपर्ट को, एन.पी.सी. को नियुक्त किया और वह इस माह तक, उन्होंने कहा कि एक माह के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो वहां पर प्रदूषण फैल रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है, भूमि का जो परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में एक एक्सपर्ट जो दिल्ली के द्वारा है, वह अपनी एक माह के अन्दर एन.पी.सी. के द्वारा जो गठित की गयी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दे दी जाएगी और राजस्थान हाई कोर्ट में वह रिपोर्ट पेश की जाएगी। मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, राज्य सरकार ने। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): कब तक करेंगे?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): निश्चित रूप से, यह भी माननीय सदस्य, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): स्टे वेकेट कराने के लिये क्या कार्यवाही हुई अब तक और जिन अधिकारियों ने नहीं करवाई उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जो स्थगन आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है उस स्थगन आदेश के विरुद्ध हमने अर्जेण्ट हियरिंग की 2 बार एप्लीकेशन दी है और जब अर्जेण्ट हियरिंग के लिये निश्चित रूप से अपनी तरफ से हम प्रयासरत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है, जिसमें 3 सी.पी.टी. हैं, जिनकी क्षमता 22700 किलोलीटर है जब कि डिस्चार्ज उस यूनिट से 28800 किलोलीटर हो रहा है। उद्योगों के उत्पादन और प्रोसेस की जो व्यवस्था है इसके बदलने के कारण... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अब आप यह कह रहे हैं कि एक का जवाब नहीं दे रहे हैं। सब जवाब आपको दे चुका हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने जब कहा कि जिनकी लापरवाही से... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कौनसा ऐसा जवाब है जो नहीं, आपने हाई कोर्ट का पूछा, हाई कोर्ट का आपको बता दिया। अर्जेण्ट एप्लीकेशन लगी हुई है। हियरिंग की एप्लीकेशन दी है और हाई कोर्ट ने जो डाइरेक्शन दिये... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न, पहले 3 पूरक प्रश्नों में से एक का भी जवाब नहीं दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): हाई कोर्ट के डाइरेक्शन के आधार पर हमने एक्टिविटिज कीं, 33-ए की कार्यवाही की।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मुझे वह नहीं चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे वह चाहिए पहला जो मेरा पूरक प्रश्न था कि पाली में प्रदूषण की समस्या आ गयी तो किनकी लापरवाही से ऐसे उद्योग लगे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहते हैं। एक तो यह, इसका जवाब दें। दूसरा मैंने पूरक प्रश्न किया था। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को मुआवजे दिये जाने की भी बात करो। सैकड़ों बीघा जमीन खराब हो गयी। मेयड़ा बाँध, यह लूणी से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं, उसकी वजह से सैकड़ों बीघा जमीन खराब हो गयी है। क्या सरकार उन काश्तकारों को मुआवजा देने का विचार रखती है। क्या सरकार इन उद्योगों के लिये...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने अगला प्रश्न किया, हां, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दें। यह दे नहीं रहे हैं मंत्रीजी। मंत्रीजी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप बतायें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्री महोदय, क्या यह प्रदूषण की वीडियोग्राफी कराएंगे?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और यह अधिनियम आपने कब लागू किया और कब से सम्मति लेना बंद किया। लागू करने और सम्मति लेने के बीच जिनको दी गयी, उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 98 और रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है तो निश्चित रूप से मैंने पूर्व में भी अपने अधिकारियों को डाइरेक्शन दिये हैं, जिस हिसाब से यह प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तो मैंने उनको डाइरेक्शन दिये और आज भी सदन में डाइरेक्शन दे रहा हूं कि एक माह के अन्दर जितनी यूनिट हैं, जो एक्सपांशन हो रहा है, इसकी निश्चित रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी और जो आपने कहा है कि उनके मुआवजे के लिये क्या व्यवस्था है। यह तो हाई कोर्ट ने जो डाइरेक्शन दिये हैं, हाई कोर्ट के डाइरेक्शन से हमने एक्सपर्ट को एन.पी.सी. की, जिसने कि एक माह में रिपोर्ट पेश करने का हमें आश्वासन दिया है, उनके अन्दर मुआवजा भी है, उसके अन्दर वहां पर जल प्रदूषण के बारे में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर हाईकोर्ट के अन्दर सब्मिट करने के बाद में जो अनुदान राशि और उच्च न्यायालय के जो आदेश प्राप्त होंगे, कमेटी का फोर्मेशन हो चुका है, एक माह में कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है, रिपोर्ट के बाद में जो भी निर्णय होगा, निश्चित रूप से हम पालन करेंगे। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक क्वेश्चन मेरा, पहले एक क्वेश्चन है, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहले 3 में से एक का भी उत्तर नहीं है। पहले अधिकारियों के बारे में जांच करने की क्या कार्यवाही करेंगे, वह बोलें ना आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो सलफरिक एसिड की जो फैक्ट्रियां, मैंने आपको कहा है कि 'निरी' के आदेश के द्वारा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिये सलफरिक एसिड, कास्टिक सोडा और सलफरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिये 'निरी' ने आदेश दिये थे उसके आदेश के आधार पर सलफरिक एसिड, 20 प्रतिशत सलफरिक एसिड को काम में ले रहे हैं और उसके पश्चात, 20 प्रतिशत के अलावा जिन लोगों ने सलफरिक एसिड को काम में लिया, जिन यूनिट ने, तो निश्चित रूप से मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, गलत बात। बिलकुल ही गलत है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया आपने।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जिन अधिकारियों ने लगाने दी, आप देखिये, घुमाइये मत प्रश्न को। आप उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बिना कलक्टर के या बिना सक्षम अधिकारियों की कन्सेंट के एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल सूचना प्राप्त करने के लिये इन्फार्निशनसीक करने के लिये होता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एन.ओ.सी. जिन्होंने दी, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इसका जवाब दिला दें कि जिन्होंने, 20 प्रतिशत से अधिक एसिड आ रही है तो अधिक एसिड-युक्त पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को जिन्होंने एन.ओ.सी. दी, उनके खिलाफ जांच करके क्या कार्यवाही करेंगे, यह तो बतायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी के पास जो सूचना थी, वह उन्होंने दे दी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: आप समझते हैं कि पूरी सूचना नहीं दी या अधूरी दी या गलत दी तो आप दूसरे माध्यमों से आइये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, गलत नहीं कह रहा हूं। ये टाल रहे हैं। मंत्री महोदय, आप इसका जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, आसन भी कम्पेल नहीं कर सकता है। आपका तो सवाल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आसन भी मंत्री को कम्पेल नहीं कर सकता है जवाब देने के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे तीनों पूरक प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं है, वह कृपया दिलवायें। मैंने जो पहला सवाल किया। (व्यवधान) पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीनों सवाल किये ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल, आपकी इजाजत हो तो.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी मन की निकाल दीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह था कि सैक्शन 33 के तहत जो नोटिस इश्यू किये गये उनके खिलाफ स्टे आर्डर है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब सम्मति दी नहीं तो कार्यवाही क्या करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अच्छा सम्मति नहीं दी, या तो आप घोषणा कर दें कि नहीं दी, मंत्री महोदय, यह घोषणा कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप कृपया विराजें। उनका भी इस सम्बन्ध में प्रश्न है। एक सप्लीमेंट्री उनको भी पूछने दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसी सम्बन्ध में है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करुं कि मंत्रीजी यह घोषणा कर दें कि इस प्रकार की सम्मति नहीं दी। यह कह दें तो मैं मान जाऊंगा। और सम्मति दी तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्या करेंगे? दो छोटी-सी बातें हैं। आप अधिकारियों को क्यों बचाना चाहते हैं और फैक्ट्री वालों के खिलाफ में क्यों कार्यवाही करना चाहते हैं। (व्यवधान) मैं फैक्ट्री वालों के खिलाफ नहीं हूं। मैं फैक्ट्री वालों के खिलाफ नहीं हूं। मेरा यह कहना है कि जिन्होंने सम्मति दी, या तो आप कहें कि बिलकुल नहीं दी। एसिड पानी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सम्मति नहीं दी, या तो यह घोषणा कर दें या फिर जिन्होंने दी, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, यह सीधा-सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आप विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक बात जानना चाहूंगा। मंत्रीजी यह तो साफ है कि आपके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अतिरिक्त भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी आज से काफी वर्षों पहले जोधपुर और पाली को चिह्नित किया हुआ है। राज्य सरकार जो भी बातें कर रही है, हम उसमें नहीं जाते। उसके बाद में उद्योग लगे, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट फेल हुए जो भी स्थिति है, मैं तो यही साफ प्रश्न करना चाहता हूं कि यह सब कुछ होने के बाद भी आपके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एन.ओ.सी. दे रहे हैं, इण्डस्ट्रीज लग रही हैं। माननीय सदस्य यही जानना चाहते हैं कि गलती किसने की। पाली और जोधपुर प्रदूषित होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं, हमने कार्यवाही कर दी।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ लीजिये, भाषण नहीं दें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अब तक कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है और उसके लिये कौन दोषी हैं। यही हम जवाब चाह रहे हैं उसके ऊपर आप कब तक कार्यवाही कर देंगे। हमें तो इतनी-सी बात बता दो और वह आथंटिक कार्यवाही होगी किस तरीके से, यह बता दो हमें।

श्री अध्यक्ष: हां, बता देंगे।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मंत्री महोदय, प्रदूषण हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये ना आप उनका।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मंत्रीजी जवाब तो दे दें। मंत्रीजी जवाब दे दें। या तो यह कह दें कि सम्मति नहीं दी तो बात समझ में आ जाएगी। या दी, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप उनको कम्पैल नहीं कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि 2-3 प्लांट हैं, जिनकी कैपेसिटी 22 हजार कुछ है और डिस्चार्ज वहां 28 हजार का था। हमने अपग्रेडेशन के लिये प्रयास किये, 18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई, अपग्रेडेशन की कार्यवाही कम्पलीशन पर ही। एक प्लांट सैकिण्ड स्टेज का कम्पलीट हो चुका है। फर्स्ट और थर्ड ट्रीटमेंट प्लांट 31 मार्च तक कम्पलीट हो जाएंगे। जब यह कम्पलीट हो जाएंगे। हमने जहां पर कच्ची नालियों के द्वारा जहां पानी आता था उसके लिये हमने नाले का प्रबन्ध किया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, फिर घुमा रहे हैं सवाल को। मैं सीधा ही सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप 31 तारीख बता रहे हैं। आप 31.03.2007 बता रहे हैं। उसके बाद भी विधान सभा चलेगी। तो 31 को आप श्योर तो हो लीजिये कि 31 तक कम्पलीट हो जाएगा, यह तो कर लीजिये आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कम्पलीट हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह 31 मार्च तक, प्लांट नम्बर 2 कम्पलीट हो चुका है और नम्बर एक व तीन 31 मार्च तक कम्पलीट हो जाएंगे।

इनके साथ में हमने हाइकोर्ट के एक डाइरेकशन से एन.पी.सी. की कमेटी बनायी, एक्सपर्टस की बनायी, जो नुकसान हो रहा है। पोल्यूटेड हो रहा है उसको कैसे रोकें इस बारे में भी वह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने दिखवा लिया क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सीधा-सा सवाल है यह फिर छिपा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा-सा सवाल है कि या तो बतायें कि सहमति नहीं दी ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): और जितनी जिसकी केपेसिटी है, उसकी केपेसिटी बढ़ेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने इनको तो कह दिया कि 31 तारीख तक हो जाएगा। 31 तारीख तक हो जाएगा क्या ? 31 तारीख कहा है आपने। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और या दी है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, यह सीधा-सा सवाल है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जिन्होंने बिना कंसेंट, जिन्होंने बिना कंसेंट के ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह फिर घुमा करके, यह फिर घुमा रहे हैं सवाल को ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जिन्होंने बिना कंसेंट के ... (व्यवधान) औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगायी है उनको हमने सहमति नहीं दी है और ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, जिन्होंने सहमति दी है ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उनको केन्सिलेशन के लिए 33-ए के नोटिस दिये हैं। ऐसे 63 और यूनिट्स हैं जो बिना कंसेंट के हैं उनको 33-ए में नोटिस दिया है बंद करने का, लाइट-पानी काटने का। जो कार्बोनाइज ... (व्यवधान) इण्डस्ट्रीज थी उसको हमने बंद किया ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह बात नहीं है। वह बात नहीं पूछ रहा हूं। जिन्होंने एन.ओ.सी. दी उनके खिलाफ क्या करना चाहते हैं? जिन्होंने एन.ओ.सी. दी, जिन्होंने सहमति दी वह तो उनका बताओ या तो यह बता दो कि सहमति नहीं दी। सीधी-सी बात है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): सहमति तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.ओ.सी. उन औद्योगिक क्षेत्रों को और उन इण्डस्ट्रीज को दी जाती है जिनका ट्रीटमेंट प्लांट के अन्दर बराबर वहां पानी, एफ्लुएंट पानी आता है, ठीक करने के लिए। क्या बात करते हो आप? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपका ट्रीटमेंट प्लांट फेल है। फेल है ट्रीटमेंट प्लांट। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल है। मेरा सीधा-सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: 31 मिनट हो गये हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया, कृपा करके यह किसानों के हितों की बात है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न पर आधा घंटे से अधिक का समय हो गया है, नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): किसानों की भूमि बंजर हो गयी है। किसान बरबाद हो गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना सीधा सा सवाल है। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न पर 31 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किसानों का मुआवजा का कह दिया और अब क्या होगा? कह दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा अनुत्तरित रह गया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किसानों को मुआवजा दे रहे हैं और क्या होगा?

एक माननीय सदस्य: उनको मुआवजा मिल जाएगा, बात तो वही है न, क्यों रिपीट कर रहे हो?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल है। सीधा सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, पर्यावरण, प्रदूषण का यह एक प्रश्न है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्यों बचाना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है? (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जो राजस्थान के जन स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस पर मेरे ख्याल से आधा घंटा क्या, चाहे एक घंटा लग जाए, इस पर हर सवाल का जवाब आना चाहिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका तो आप उत्तर दिलवाइये, प्लीज।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आपस में बातचीत बंद करें, जवाब सुनने दें।

जालौर जिले के धार्मिक स्थलों में चोरी की घटनाओं पर रोक

233. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर के विभिन्न थानों में वर्ष 2003 से फरवरी, 2007 तक मंदिरों में हुई चोरियों के कितने मुकदमे दर्ज किये गये? थानेवार/वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में कितने मुलजिम गिरफ्तार किये गये तथा कितनों में माल बरामदगी की गई? कितनों में माल बरामदगी शेष है तथा कितनों में चालान पेश कर दिये गये? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

(3) क्या सरकार मंदिरों में बढ़ती हुई चोरियों की वारदातों को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जिला जालौर में विभिन्न थानों में वर्ष 2003 से फरवरी, 2007 तक कुल 83 मुकदमे मंदिरों में चोरियों से संबंधित दर्ज हुए। वर्षवार व थानेवार सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) उक्त मामलों में 94 मुलजिम गिरफ्तार किये गये तथा 44 अभियोगों में माल बरामद किया गया, 39 अभियोगों में बरामदगी शेष है तथा 45 अभियोगों में चालान पेश न्यायालय में किये गये। थानेवार सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(3) मंदिरों में चोरियों की घटनाओं की रोकथाम पर स्थानीय पुलिस के स्तर पर प्रयास किये गये हैं एवं बीट पेट्रोलिंग व चोरी की घटनाओं में तत्परता से अनुसंधान एवं निस्तारण कर चोरियों की रोकथाम हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब लगभग पूरा है लेकिन एक बात खाली, यह विषय है कि जिन चोरियों में माल बरामद नहीं हुआ उसके बावजूद भी वहां पर उस केस में एफ.आर. लगा दी गयी। मतलब उस केस को ही खतम कर दिया गया और उसमें यह मंदिरों वाला जो विषय है यह एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और बहुत ही सैंसेटिव विषय है। अभी जैसे पिछले दिनों फरवरी में भीनमाल के शंकरी माता मंदिर में चोरी हुई और चोरी के साथ-साथ चौकीदार की हत्या कर दी गयी और माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले 6 महीने पहले शंकरी माता मंदिर के प्रांगण में एक मेला हुआ जिसमें एक लाख से अधिक वहां पब्लिक इकट्ठी हुई। भक्तगण इकट्ठे हुए एक लाख से अधिक, अब यह जन भावना अगर कहीं इलाके में फैल गयी तो यह एक अशांति का वातावरण फैल सकता है और शंकरी माता मंदिर में चोरी हुई और चोरी के साथ-साथ चौकीदार की हत्या भी हुई। अभी तक उस केस की प्रोग्रेस नहीं हुई है और नहीं हुई है तो क्या कारण है और कितनी जल्दी कर पाएंगे और मुख्य विषय

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

यह है कि जो बरामदगी, बिना बरामदगी के एफ.आर. लगा दी जाती है, उस विषय में आपका क्या कहना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रश्न तो जालौर से संबंधित था, आपने भीनमाल के बारे में पूछा है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): जालौर जिला है न। जालौर जिला है, साहब।

श्री अध्यक्ष: जिला जालौर का पूछा है। जिला जालौर, हां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जालौर जिले से था। जालौर जिले से था। इसमें वर्षवार सूची मैंने आपको दी है। जिसमें कुल कितने मुकदमे बने, कितने लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें कोई मुलजिम नहीं मिलता है, एक लम्बे समय तक भी और बरामदगी के कोई अवसर नहीं होते हैं तो उसमें एफ.आर. लगाते हैं और यह प्रक्रिया हमेशा से यह एफ.आर. लगाने की है। जैसे मैं आपको 2003 से, सारे राजस्थान में भी अदम-वकुआ जिसमें कोई सबूत ही नहीं मिलता है उसमें एफ.आर. लगती है और कहीं पर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, कितने समय बाद लगती है, यह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्या?

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माल बरामद आपको नहीं हो तो कितने दिनों बाद लगा देते हो एफ.आर.? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कोशिश करते हैं, कई बार साल के अन्त तक तो फिर जाकर निर्णय करते ही हैं। जब जिस मुकदमे में साल भर तक तफतीश करने के बाद भी नहीं लगता है उसमें हम करते हैं, एफ.आर. देते हैं।

श्री अध्यक्ष: तो साल भर में लगा देते हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और फिर दुबारा जब कभी भी कोई घटना होती है तो उसके साथ उस केस को भी जोड़कर वैसे कोई एकदम समय की सीमा तो नहीं है लेकिन जितनी भी आपकी चोरियां हुई हैं उसमें से अधिकांश बरामद हुई हैं। माल भी बरामद हुआ है केवल दो में मूर्ति चोरी हुई वह मूर्ति भी बरामद हुई है तो फिर भी छोटे-मोटे केस हैं, यानि जो आपको मैंने सारे प्रकरण आपके जिले के जो दिये हैं उनमें मैंने पूरी सूची में आपको,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कितने का माल है, कितनी बरामदगी हुई। कितने उसमें से बाकी रहे हैं तो सारी की सारी सूची आपके साथ है। यह सारे प्रदेश में भी जिस प्रकार की जो मूर्ति चोरियां होती हैं उसमें भी बरामदगी की कोशिश तो करते हैं लेकिन कई बार जब सफलता नहीं मिलती है तो अन्त में जाकर उसमें अदम-तफ्तीश पूरी नहीं हुई उसमें हमने एफ.आर. जरूर लगायी है। फिर कभी नया केस खुलता है तो उसके लिए फिर उसको जोड़ते हुए मूर्ति चोरी के बारे में फिर से हम तफ्तीश प्रारम्भ करते हैं।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर में मूर्ति चोरी की घटनाएं बराबर हो रही हैं और अभी जो भीनमाल का आहोर से आने वाले माननीय विधायक ने मामला उठाया है, 6 महीने पहले चोरी होती है। फरवरी महीने में वहां पर चोरी के साथ में चौकीदार की हत्या कर दी जाती है और अब यह महीना भर हो गया, उसकी कोई, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं और जहां हत्या हुई है उससे पचास मीटर पर आपकी पुलिस की चौकी, वायरलैस की चौकी है। वहां पर सिपाही सो रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। चोरी की घटनाएं जालौर जिले में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आप इस पर गम्भीरता से सोचें, वहां के प्रशासन के बारे में नहीं तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक बार जवाब आप सुनिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक मिनट। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): भीनमाल का है। एक विषय थोड़ा सा भीनमाल का पहले मैं ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बांसी में और गुढादेवजी में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह राजस्थान का सवाल है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि आपने यह वैसे भी पर्ची लगा रखी है उस पर बैठकर बाद में बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ठीक है, उसके बारे में, बांसी के मामले में तो आपसे बात कर लेंगे लेकिन ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

यह चरण संख्या-3 है। यह चरण संख्या-3 में चोरियों के लिए आपने राजस्थान में क्या व्यवस्था की है, यह पूरे राजस्थान का है और जब आपका यह प्रश्न का चरण संख्या-3 है, यह पूछा है कि मंदिरों में चोरियों के संबंध में आपने क्या-क्या कदम उठाये? यह जालौर से संबंधित नहीं है, यह पूरे राजस्थान से संबंधित है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं बता रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और माननीय गृह मंत्रीजी, एक मिनट, मैं आपसे पूछ लूं। माननीय गृह मंत्रीजी, लगातार बूंदी जिले में इतनी चोरियां एक संगठित गिरोह के द्वारा मूर्तियों के लिए राजस्थान में कोई न कोई ऐसा संगठित गिरोह है जो करोड़ों रुपये की मूर्तियों को चुरा कर ले जाता है। आपको याद है बांसी में, अभी कुछ ही दिन पहले ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोल रहे हैं न बाद में ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसी में एक ऐसी कीमती मूर्ति चोरी हुई। लगातार धरना है, आज भी प्रतिनिधिमण्डल आपसे मिलने आया है। वहां पर एक आदमी को आत्मदाह करना पड़ा भावावेश में। भावावेश में उसने कह दिया कि मंदिर में मूर्ति की बरामदगी नहीं हुई तो मैं आत्मदाह करता हूं। केरोसीन छिड़क लिया और वह मर गया। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह चर्चा यहां पर हो चुकी है। यह चर्चा हो चुकी है यहां पर ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चर्चा तो हो चुकी लेकिन इससे रिलेटेड है न, साहब। मूर्ति तो बरामद ही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: क्यों बार-बार दोहरा रहे हैं आप? बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मूर्ति तो बरामद नहीं हुई। अभी भी धरना है। मूर्ति बरामद नहीं हुई है। मूर्ति तो बरामद करवा दो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक बार जितने भी सवाल आये हैं उनका जवाब दे दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मूर्ति तो बरामद करा दो आप। (व्यवधान) सारा ही काम चंगा हो जाएगा, आप मूर्ति बरामद करवा दो।

श्री अध्यक्ष: आप बार-बार यह क्यों कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यही नहीं वहां पर आपके गार्ड लगे हुए थे, पुलिस थी उसके बावजूद भी मस्जिद की दान पेटी में से ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भाषण देना बंद करिये अब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चोरी करके और आदमी चोरी का सामान, चोरी करके ले गये उसी गांव में ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सवाल है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार पहले सवाल का जवाब दे दूं फिर आप पूछ लेना, कोई हर्जा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब दे दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): भीनमाल के बारे में आपने सवाल पूछा। 2003 से लेकर 2007 तक भीनमाल में 14 चोरियां हुई हैं। 14 में से 11 चोरियां बरामद हुई हैं। यह जो अभी 2007 वाली 3 चोरियां हैं, इसमें से केवल एक चोरी में हमको सफलता मिली, दो अभी भी पेंडिंग है इसमें अभी हमको सफलता नहीं मिली। जहां तक बूंदी के सवाल के बारे में आपने कहा कि बहुत चोरियां हुईं, ऐसा नहीं है। कुल बूंदी में 13 चोरियां 2004 से लेकर अब तक 2007 तक हुई हैं उसमें से 5 चोरियां बरामद हुई हैं बाकी अभी भी बरामद नहीं हुई हैं। और जहां बांसी के बारे में कोई स्थगन या पर्ची कुछ लगाई हुई है, वैसे पहले मैंने जवाब दे दिया। यह विषय उठ चुका था। उसमें अभी तक हम बरामदगी नहीं कर सकते। आज हम निश्चित रूप से एक नई टीम गठित करके और लगायेंगे । वैसे भी हमने वहां जिले स्तर पर तो टीम गठित कर रखी है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। निश्चित रूप से वहां चारभुजा के मंदिर के साथ लोगों का बहुत जुड़ाव है, लोग उद्वेलित हैं, धरना चल रहा है। आज कोई नई टीम लगाकर यहां से उसकी जांच करवायेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक बात बता दूं उस गिर्राज को पांच लाख ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, उस मृतक को हमारे पुलिस एक्ट के हिसाब से मदद करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने कहा था जब और जगह पांच लाख रुपये दे रहे हैं, वह धार्मिक भावना से ओत-प्रोत होकर उसने इहलीला समाप्त की है, आत्महत्या नहीं की। आपके बिड़लाजी भी वहां गये हैं। आपसे भी बात हुई मेरी दो तीन दफा। कृपा करके उसको पांच लाख रुपये देने का जो हमारा निवेदन है, वह दें। दूसरा, आप टास्क फोर्स जयपुर से गठित करें इसलिए कृपा करके आप तो यह बता दीजिये कि जयपुर से टास्क फोर्स गठित करेंगे तो वहां वह रहकर काम करेगी, वह कहां से है, आन्ध्रा से है, उनकी बोली कहां की है, वह पकड़ा जाये। करौली के हैं, कहां के हैं? यह बहुत ही भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इतना धरना कभी नहीं हुआ मंत्रीजी, इसलिये आप दोनों बात बता दो । एक तो पांच लाख रुपये देने हैं, दूसरा यह जो फोर्स गठित करेंगे, इसका हैड किस स्तर का अधिकारी होगा और कब तक कार्यवाही करके आपको रिजल्ट दे देगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी जो प्रश्न है, वह जालौर से संबंधित है। आपका प्रश्न आये तब आप उठाना। उसके बारे में फिर आपको बताऊंगा पांच नहीं और ज्यादा कितना दे सकते हैं, आपने गलती से पांच ही क्यों मांगे, आप 10-20 मांग लेते तो और अच्छा होता। आपने गलती की है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम पुलिस के प्रावधानों के हिसाब से उसकी आर्थिक मदद जरूर करेंगे तो क्या मदद करने का आपका इरादा है, आपने ही कहा था इस सदन में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी जो प्रश्न है वह जालौर से संबंधित है।

डा. समरजीत सिंह : माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि मंदिर जो खेमगरी माता का मंदिर है, उससे 50-100 मीटर पर पुलिस की चौकी है और उसी की नाक के नीचे इस तरह की घटना हो जाये, चोरी हो जाये फिर मर्डर हो जाये और आपके जालौर जिले की पुलिस नारकोटिक्स के मामले बनाने में बिजी है। मैं खुला कहता हूं यह। यह मामले बनाने में लगी है, जो हकीकत काम है, उसको करने में कोई ध्यान नहीं है। आप इस तरफ ध्यान दें, मैं उम्मीद करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भीनमाल से जो माननीय सदस्य आये हैं, आपको आमंत्रित कर रहा हूं, अगर आपको मेरी पुलिस के किसी अधिकारी के बारे में कोई भी शिकायत है आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दीजिये। जो कुछ मेरे से हो सकता है अगर वह गलत है तो मैं निश्चित रूप से जांच कराकर, अगर वह दोषी पाया जायेगा तो दण्डित जरूर होगा। बिना कुछ दिये तो मुझे सारी चीजों की जानकारी नहीं रहती। अगर आप किसी के बारे में पर्टीकूलर देंगे, कोई केस देंगे, उसका सबूत देंगे तो निश्चित रूप से उसकी जांच करके उसको उचित दण्ड देंगे।

डा. समरजीत सिंह: व्यक्ति पर मैं आरोप नहीं लगाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तब पुलिस की नाक के नीचे चोरी-मर्डर हो रहे हैं तो अपन को ध्यान रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: अशोक कुमार नवलखा । नैक्स्ट क्वेश्चन।

चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों की मरम्मत

234. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष हुई व्यापक वर्षा, अतिवृष्टि व बाढ़ से जिला चित्तौड़गढ़ के अनेक गांवों में व्यापक नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी सड़कें, तालाब, एनीकट, पुलिया तलाइयां आदि क्षतिग्रस्त हुईं। पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस नुकसान का सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें व सर्वे नहीं कराया गया, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्र में हुए नुकसान का मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहायता मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) जी हां, यह सही है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें, तालाब, एनीकट, तलाइयां, पुलिया आदि के क्षतिग्रस्त होने का पंचायत समितिवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी हां, उक्त नुकसान का सर्वे करवाया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समितिवार नुकसान की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(3) जी नहीं, क्योंकि सी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार नुकसान का मुआवजा देय नहीं है। तात्कालिक मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। इस

(डा. किरोड़ीलाल मीणा)

हेतु जिले में क्षतिग्रस्त तालाबों की मरम्मत के लिये पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-स)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आपदा प्रबन्ध एवं सहायता मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर के खण्ड-1 में जो चित्तौड़ जिले में व्यापक वर्षा, अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान हुआ, उसकी जानकारी दी। उसकी सर्वे रिपोर्ट साथ में लगाई। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के नोर्म्स में परिवर्तन करने के लिये उसमें शिथिलता देने के लिये जो आज ओलावृष्टि की बात की जा रही है, क्या चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण बाढ़ आई थी, उससे सड़कें, पुलिया, तालाब, एनीकट जो क्षतिग्रस्त हुए थे, उनका मुआवजा देने के लिये भी भारत सरकार को लिखा है और लिखा है तो उसकी जानकारी देवें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नुकसान की जो रिपोर्ट आपने दी है, उसके अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में सड़कें, पुलियाएं जो नुकसानग्रस्त हुई हैं, उसका नुकसान हुआ है और 1317.75 लाख रुपये और एनीकट और नहरों का नुकसान हुआ है 1130.00 लाख रुपये, कुल 2447.75 लाख रुपये का नुकसान का सर्वे हुआ, आकलन हुआ और सरकार ने मदद दी 26.63 लाख रुपये, यानि एक प्रतिशत कुल मदद नहीं देते तो यह भी हम एम.एल.ए, एम.पी. कोटे से लगा देते। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के साथ इतना अन्याय कि इतनी सड़कें, पुलियाएं, सारी क्षतिग्रस्त हो गयीं और राज्य सरकार ने मुआवजा दिया है वह भी तात्कालिक सहायता के रुप में 26 लाख रुपये का। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से आप इसका मुआवजा दिलवायें तथा राज्य सरकार से भी इसका मुआवजा दिलाने के लिये आप क्या करना चाहते हैं, वह आप हमें जानकारी दीजिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा भी इससे जुड़ा हुआ सवाल है ओलावृष्टि का। मुझे मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: वह पूछ रहे हैं और आप बीच में ही खड़े हो गये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इनके बाद मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: बाद की बात और है। बैठे-बैठे नहीं बोला करें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं उससे पहले मुझे मौका दिया जाये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा पूछा सी.आर.एफ. नोर्म्स के लिये .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इतनी जोर से बोलते हैं कि यहां तक आवाज आती है मिस्टर सुरेश। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भारत सरकार को कई पत्र लिखे हैं रिवाइज करने के लिये, किन्तु चित्तौड़गढ़ में एक्टिविटीवाइज जो बजट अलाट हुआ है फ्लड में, वह मैं थोड़ा सदन को बताना चाहूंगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी, आपके पास से कितना देंगे, आप तो भारत सरकार की रट, राम-राम रट लेते तो वैतरणी पार हो जाते। आपके पास से कितना दे रहे हो, इसमें जोड़कर बता दो आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपके पास से कितना दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट कितना दे रही है ? सी आर एफ, सी आर एफ बार-बार मत करो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बता रहा हूं बैठो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सरकार दे रही है तो क्या निहाल नहीं कर रहे हो आप ? हमारा शेयर है, हम लेकर रहेंगे। आप निहाल नहीं कर रहे हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कटारिया साहब होते, शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी होते तो निश्चित रूप से देते। (व्यवधान) किसानों का भला हो जायेगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): हमारा शेयर है और हम लेकर रहेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप जान-बूझकर किसान का गला काट रहे हो। सही आदमी को चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे हो। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): तो सी आर एफ के नोर्म्स चेंज कर लो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 करोड़ रुपये, आप करेक्ट कर लेना, 28 करोड़ रुपये दिये हैं। चित्त्तौड़गढ़ को 28 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): यह लाख रुपये लिख रखे हैं न।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बता देता हूं पी.डब्ल्यू.डी. रोड के लिये 150 ...

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): मैंने पंचायत समिति के नुकसान का पूछा है, ग्राम पंचायत की।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब आप नोट कर लो पी डब्ल्यू डी को 150, रोड में कलक्टर को 158, म्युनिसिपैलिटी में 235, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को 571, डेम एण्ड टैंक के लिये 30.50 लाख, पंचायती राज संस्थाओं को 26.85 लाख, पी एच ई डी को चार लाख, इनपुट सब्सिडी को 900 और डेमेज हाउस के लिये 544, अदर सब्सिडी 83.90 एण्ड थ्रू कलक्टर अदर रिपेयर वर्क्स के लिये 20 लाख, ह्यूमन लोसेज के लिये 35 लाख, कैटल लोसेज के लिये 37 लाख, इस हिसाब से 2,805.83 लाख चित्तौड़गढ़ जिले को राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा था कि पंचायत समितियों में जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, पुलियाएं टूट गयीं, एनीकट टूट गये, नहरें टूट गयीं, तालाब टूट गये और उनका नुकसान का आंकलन आपने 2447.75 लाख का किया है और उसके अंदर आपने तो बताया है कि 26 लाख 63 हजार सहायता दी गयी। इसके अंदर एनीकट टूटे, नहरें भी टूटीं और टोटल 26 लाख की सहायता बता रहे हैं आप। अब इस सहायता से चित्तौड़ जिले के अंदर सारी भारी कैसे होगी ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखो एस्टीमेट तो टूट-फूट का बढ़-चढ़कर आ जाता है, लेकिन जितना बजट अपने पास होता है उस हिसाब से आबंटित कर देते हैं। उसी हिसाब से हमने आपको आबंटित किया है।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस नोर्म्स में कुछ परिवर्तन करो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, करवाने के लिये भारत सरकार को लिख दिया है।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): राजस्थान सरकार से भी कुछ मदद दिलाओ। इतनी जो सम्पत्तियां सरकार की नुकसान हुई, वह भी पूरी हो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दिया है, राजस्थान सरकार से भी दिया है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): भारत सरकार का आपने पट्टा ले रखा है क्या? आपने जब राज किया तो दो रुपये अपनी जेब से दिये क्या ? ऐसी बातें कर रहे हो। आपके टाइम में भारत सरकार बनने के बाद जो नोर्म्स थे, उनको बदल दिये। इसलिए यह माननीय सदस्य को समस्या आ रही है। मीणा जवाब दे रहे हैं तो इसमें तकलीफ हो रही है क्या ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसलिये इर्रिटेड हो रहे हो मंत्रीजी ? (व्यवधान) समझ क्या रखा है, हम तो ..(व्यवधान) आप किसान के बेटे हो। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने इसी सदन में यह बताया था कि अतिवृष्टि और अधिक बारिश से जो भी नुकसान हुआ, उन तालाबों को ठीक करने के लिये सी आर एफ के कोष में पैसा नहीं है तो आपने भीलवाड़ा जिले को एक पैसा नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: यह चित्तौड़ का प्रश्न है, भीलवाड़ा का नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं, चित्तौड़गढ़ का है लेकिन अतिवृष्टि का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि है ...(व्यवधान) अतिवृष्टि में इन्होंने यह जवाब दिया है कि सी.आर.एफ. के नोर्म्स में नहीं आता और ...

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन है चित्तौड़ का बातें कर रहे हैं भीलवाड़ा की।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): लेकिन आपने पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में 26 लाख रुपये दिये और भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में आपने एक पैसा नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): विरोधाभासी आपका बयान कैसे है?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बयान कंट्राडिक्टरी नहीं है, आप विराजो।

श्री अध्यक्ष: भीलवाड़ा का पूछ रहे हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): और आपने भीलवाड़ा में अतिवृष्टि से 2004-05, 2005-06 में पैसा दिया और उनकी स्वीकृति निकाली, वो मेरे पास है और 2006-07 में आपने एक पैसा नहीं दिया, यह ऐसा क्यों?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप विराज जाओ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बयान कंट्राडिक्टरी नहीं है। मैंने कहा था कि हम आपदा में बाढ़ को मानते हैं, अतिवृष्टि को नहीं मानते। एक बात।

दूसरी चीज एस.एल.सी., जो स्टेट लेवल कमेटी बनी हुई है चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में उसने जो जिलों को सलैक्ट किया फ्लड में उसमें भीलवाड़ा नहीं था, चित्तौड़गढ़ है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): भीलवाड़ा नहीं था, तालाब, एनीकट जो टूटे उनको कैसे नहीं दिया आपने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमराज मीणा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अगर अतिवृष्टि को नहीं मानते हैं तो आपने ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अतिवृष्टि ही तो बाढ़ है, अतिवृष्टि बाढ़ आने पर ही होती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय हेमराज मीणा।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि कब होगी, जब बाढ़ आयगी तब अतिवृष्टि होगी। आपकी कमेटी ने नहीं माना तो यह आपकी कमेटी ने किस आधार पर सर्वे किया है? कमेटी ने गलत सर्वे किया है ...(व्यवधान) आप उसको ठीक करने का विचार रखते हैं कि नहीं? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह बता दें नगर पालिकाओं को अगर आप समझते हैं, अतिवृष्टि बाढ़ में नहीं है तो आपने नगर पालिकाओं को कैसे पैसे दिये? यह बता दें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अतिवृष्टि अगर बाढ़ से नहीं होती है, बाढ़ आयेगी तभी अतिवृष्टि होगी और 100 तालाब टूटेंगे, अगर 100 तालाब टूटे, बाढ़ नहीं आयी तो अतिवृष्टि अपने आप कैसे होगी? मंत्रीजी, यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया है। श्री हेमराज मीणा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमने 3200 करोड़ रुपये का पैकेज भेजा है, उसको सैंक्शन करा दो, दे देंगे। कराओ। मात्र पाँच करोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष: जब मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया तो काहे को खड़े हुए आप ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने कम भेजा, आप तो दस हजार करोड़ का बनाकर के भेज दो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): और दे दो, 6400 करोड़ का भेज देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप तो बढ़ा-चढ़ा कर के भेजते हो।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमराज मीणा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप तो बढ़ा-चढ़ा कर के भेजते हो, कभी नहीं मिलेगा आपको इतना। आप इतना बढ़ा-चढ़ा कर भेज रहे हो।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा के प्रश्न का जवाब कौन देगा? खड़े होइये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इन्फ्रास्ट्रैक्चर के लिए तो हमने 800 करोड़ का भेजा है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया, आप अननैसेसरी खड़े हैं।

बारां जिले में जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमान्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों पर रोक

235. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले में जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डी.पी.आई.पी.) योजनान्तर्गत विगत एक वर्ष पूर्व ढांचागत निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गयी थीं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि की कहां-कहां के लिए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमराज मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि अभी ढांचागत निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों पर गवर्निंग काउन्सिल द्वारा पाबंदी लगी हुई है? यदि हां, तो क्यों? पाबंदी, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बारां जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डी.पी.आई.पी.) पर पाबंदी के कारण आबंटित राशि काम में नहीं ली जा सकी है? यदि हां, तो कितनी राशि?

(4) क्या सरकार उपरोक्त कार्यों हेतु पाबंदी हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत (श्री बाबूलाल नागर) : (1) जी हां, बारां जिले में डी.पी.आई.पी. योजना अन्तर्गत विगत एक वर्ष के पूर्व ढांचागत निर्माण कार्यों की 1005 स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। जारी की गयी स्वीकृतियों की ग्रामवार स्वीकृत राशि सहित सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। बारां जिले में सहरिया आवास हेतु 9.51 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि आबंटन के कारण बारां जिले में ढांचागत नये निर्माण कार्यों को स्वीकृत करने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर सप्तम गवर्निंग काउन्सिल ने सहमति व्यक्त की। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(सूचना/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बारां जिले में डी.पी.आई.पी. में कितने गांव कवर किये आपने और इन गांवों में ढांचा निर्माण के कार्य कितने हुए हैं और कितने गांव ऐसे हैं जो शेष रह गये, जिनमें ढांचा निर्माण के काम नहीं हुए? नम्बर एक सवाल।

दूसरा, क्या यह सही है कि सहरिया आवास के लिए डी.पी.आई.पी. द्वारा 9.5 करोड़ व्यय किया गया है? यदि हां तो ढांचा निर्माण में बारां जिले में कितना बजट आबंटन कब-कब किया गया व कितना बजट शेष व्यय हेतु रह गया?

(श्री हेमराज मीणा)

नम्बर तीन, तीसरा और सुन लो। क्या यह सही है कि ढांचा निर्माण में अप्रैल, 2006 गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में 9.5 करोड़ स्वीकृत किया गया था और, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बैठक में उस पैसे पर खर्च करने पर पाबंदी लगा दी गयी और 9.5 करोड़ रुपया अभी वहां पर पडा हुआ है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.पी.आई.पी. द्वारा ढांचा निर्माण करने की क्या नीति है, क्या पॉलिसी बना रखी है आपने और कितने गांव मेरे शेष रहे?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि बारां जिले में कुल कितने गांव हैं, कुल 1073 गांव हैं ...

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): नहीं, गांव नहीं हैं, जो चिन्हित गांव हैं। कुल गांव में से चिन्हित पूछ रहा हूं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): मेरी बात सुन लो।

इसमें ढांचागत निर्माण कार्य 6027 गांव में हुआ और एन.जी.ओ. और संस्थाओं द्वारा और पंचायतों द्वारा कुल 828 गांवों को इनमें लाभान्वित डी.पी.आई.पी. योजना द्वारा करा लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है वो यह है कि कुल पैसा कितना सेंक्शन हुआ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बारां जिले में डी.पी.आई.पी. के अन्तर्गत टोटल 75 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि तय हुई थी। उसमें से मैं कहना चाहता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत लगभग 18 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि खर्च की जानी थी लेकिन फिर भी बारां जिले में चूंकि एक ऐसी स्थिति है जहां कि सहरियाओं की भी विकट स्थिति है, गरीबी की बहुत ज्यादा खराब स्थिति थी तो उस पर राज्य सरकार ने और विशेषकर मुख्य मंत्रीजी ने भी सहरिया आवास नीति भी जो वहां इस डी.पी.आई.पी. योजना के अन्तर्गत इनक्लूड थी, उस पैसे को मिलाकर 18.47 लाख रुपया खर्च करना था, उसके बावजूद 21.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विशेषकर किशनगंज शाहबाद में, जहां से माननीय सदस्य आते हैं, इसमें लगभग 42.64 करोड़ रुपये की राशि सिर्फ बारां जिले में इसी दो

(श्री बाबूलाल नागर)

ब्लाक में खर्च की गयी है। चूंकि वहां की स्थिति के हिसाब से और सहरियाओं के हिसाब से मैं समझता हूं कि लगभग 56 प्रतिशत राशि बारां जिले का डी.पी.आई.पी. का हमने दोनों ब्लाक पर खर्च किया है और पूरा जितना सेंक्शन था उतना पैसा हम खर्च कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने ढांचा निर्माण में 21.5 करोड़ खर्च कर दिया तो 9.5 करोड़ रुपया दोबारा मन्जूर करने की ढांचा निर्माण में क्या आवश्यकता पड़ गयी? अब यह ढांचा निर्माण करने में 9.5 करोड़ यदि इन्होंने मन्जूर कर दिया तो इसी दिन की मीटिंग में, जिस गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में मन्जूर किया उसी गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में उस पर पाबंदी लगा दी गयी। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6.5 करोड़ रुपया एक साल से बारां जिला में पड़ा हुआ है। अब 200 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में ढांचा निर्माण का एक भी काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न में भी स्पष्ट है।

तो मैं तो यह चाहूंगा मंत्री महोदय यह कहें कि 6.5 करोड़ रुपये आप खर्च करने का प्रावधान या स्वीकृति कब जारी करेंगे या वो जारी करने की आप मन्जूरी दें।

श्री अध्यक्ष: 1005 स्वीकृति जारी की गयी है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इसी से जुड़ा हुआ डी.पी.आई.पी. का ही सवाल है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें उनको।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक मिनट, मैं डी.पी.आई.पी. का बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप रहने दो। मंत्रीजी, आप जवाब दें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): डी.पी.आई.पी. के अन्तर्गत चूरू जिला भी आता है और चूरू जिले के अन्दर जो आठ जिले डी.पी.आई.पी. के अन्तर्गत आते हैं उसके अन्दर ...

श्री अध्यक्ष: चूरू का कहां ताल्लुक है? सवाल बारां का है और आप चूरू पहुंच गये। मंत्रीजी, इर्रिलेवेंट क्वेश्चन। आप जवाब दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जो सहरिया आवास नीति भी जब यह डी.पी.आई.पी. का मूल आबंटन हुआ था सी.आर.एफ. में ...

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): गवर्निंग काउन्सिल का जवाब दें मेरे को।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): यह गवर्निंग काउन्सिल का ही फैसला है कि सहरिया आवास भी इस 75.14 में ही बनाये जायेंगे। यह जो 28.08.2003 का जो फैसला हुआ था गवर्निंग काउन्सिल का उसमें यह तय किया गया था कि जो सहरिया के लिए आवास बनेंगे वो भी इस पैसे में से बनेंगे लेकिन चूंकि वहां स्थिति ऐसी बनी, वहां जो भुखमरी हुई, जो स्थिति बनी उसको देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने तय किया इसके लिए अतिरिक्त राशि 9.51 करोड़ की बढ़ा कर और इसके लिए मेरे ख्याल से बजट भी हम लोगों ने काफी सेंक्शन किया है और मैं समझता हूं कि इसमें काफी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री केसर देव बाबर।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कि 9.5 करोड़ अतिरिक्त मन्जूर किया उसमें से 6.5 करोड़ बचत है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): जिस दिन मन्जूर किया उसी दिन पाबंदी लगा दी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मंत्रीजी कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो। जवाब दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मंत्रीजी कह रहे हैं कि भुखमरी की स्थिति हुई और दूसरी तरफ स्वीकृत पैसा आप रोक रहे हैं, यह क्या बात हुई ?

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, 6.5 करोड़ रुपया एक साल से वहां बैंक में जमा है, 6.5 करोड़।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लोग भूखे मर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप जवाब दीजिए। (व्यवधान)

अंकित नहीं हो। श्री केसर देव बाबर।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

फतेहपुर (सीकर) तहसील में आरक्षित वर्ग के छात्रों हेतु छात्रावास

236. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर की तहसील फतेहपुर शेखावाटी में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए कोई छात्रावास संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार तहसील फतेहपुर शेखावाटी में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) जी हां।

(2) तहसील फतेहपुर (शेखावाटी) जिला सीकर में छात्रावास स्वीकृत कर दिया गया है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावास खोलने की हां भरी है, मैं इसके लिए तो मंत्री महोदय का आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष: आप आभारी हैं तो बैठ जाओ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री देवीशंकर भूतड़ा। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 237

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप छात्रावास चाहते हैं, छात्रावास की स्वीकृति कर दी है ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): × × ×

श्री अध्यक्ष: श्री देवीशंकर भूतड़ा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): × × ×

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्रीजी को और आपको भी।

श्री अध्यक्ष: श्री देवीशंकर भूतड़ा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): × × ×

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करूंगा कि इसमें भवन की व्यवस्था भी ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): × × ×

प्रश्न संख्या 238

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 239

श्री अध्यक्ष: डा. चन्द्रशेखर बैद ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): × × ×

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): × × ×

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आसन का सम्मान देखिये आप, विधान सभा को धर्मशाला बना रखा है इन अधिकारियों ने। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको चीफ सेक्रेटरी को लिखना चाहिए, यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष: पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर Saheb, please go there and tell them.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Madam, you should direct the Chief Secretary. Why to these people? यह चीफ सेक्रेट्री की ड्यूटी है कि आफिसर गैलेरी में आफिसर बिहेव करें ढंग से। वहां जाकर क्यों बोलेंगे पार्लियामैंट्री मिनिस्टर You ask him that he should pass an order to the Chief Secretary.

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनको तो आप मदन दिलावर साहब से कहें दो दिन से यहां बहिष्कार कर रखा है आज समाज कल्याण पर प्रश्न है फिर भी सदन में नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष: पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ...(व्यवधान) हाउस को आर्डर में रखें। यह उनकी ड्यूटी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, यह सही बात है कि आसन का सम्मान करना जहां हम सभी माननीय सदस्यों का धर्म और फर्ज है, आफिसर गैलेरी में बैठे अधिकारी भी चूंकि इस सदन की परिभाषा में आते हैं इसलिए इनको भी इन नियमों की पालना करनी चाहिए। मैं आज ही अध्यक्ष महोदय, आपने जो यहां मुझे निर्देशित किया है मैं राज्य के मुख्य सचिव महोदय से भी कहूंगा कि जो अधिकारी आएं अधिकारी दीर्घा में वह जब तक आसन पांवों पर रहे तब तक किसी भी तरह की हलचल नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना से मुख्य सचिव महोदय को जरूर अवगत कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: आप लिखित में भेज दीजिएगा उन्हें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं लिखित में ही भेज दूंगा। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): समाज कल्याण मंत्री अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज समाज कल्याण का प्रश्न था फिर भी मदन दिलावर नहीं हैं। अगर वह इन्ट्रस्टेड नहीं हैं तो हटाओ मंत्रिमण्डल से।

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आसन जब पांवों पर होता है तो बैठ जाना चाहिए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हरिमोहन शर्मा एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से जिला टोंक की निवाई नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डो की निर्धारित सीमा से अधिक कैरोसिन का आबंटन कर अनुचित लाभ उठाने के सम्बन्ध में।

सदन में 28 मार्च को नागरिक आपूर्ति विभाग की अनुदान की मांगों पर विचार होगा, माननीय सदस्य को उस समय बोलने का अवसर उपलब्ध है। अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य की ओर से राज्य के टैन्ट व्यवसायियों द्वारा वैट व अन्य अप्रासंगिक करों के लागू किये जाने के कारण हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री महीपाल सिंह यादव एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से बहरोड़ के पास रुंध बडोद वन क्षेत्र को जे.सी.बी. मशीनों से उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री एमादुद्दीन अहमद खान एवं श्री महीपाल सिंह यादव को तीन-तीन मिनट बोलने की अनुमति होगी। तीन मिनट से अधिक नहीं।

(4) श्री जुबेर खान एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ में सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना में सरकारी धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। सत्र के दौरान।

(5) श्री संयम लोढ़ा एवं श्री सी.पी. जोशी, सदस्य की ओर से ऋषभदेव में जैन समाज, आदिवासी समाज व अन्य समाज को हुए नुकसान का राज्य सरकार द्वारा मुआवजा न देने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

ऋषभदेव पुलिस फायरिंग में मरे आदिवासियों के साथ सहायता में भेदभाव के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना कल इन्हीं माननीय सदस्य ने दी थी, जिस पर अनुमति नहीं दी गई। अत: कल दी गई व्यवस्था में परिवर्तन करना तो सम्भव नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य ने पुन: प्रस्ताव प्रस्तुत कर अन्य समाज जिनका नुकसान हुआ है की जांच करवाकर क्षतिपूर्ति करवाने की मांग की है। अत: प्रस्ताव राज्य सरकार को यथोचित कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार की सड़कों की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुखलाल मीणा, सदस्य विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की भराणा सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिला प्रशासन की उदासीनता व लापरवाही से दो भीलों की मौत के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित की गई सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नवनीत नीनामा, सदस्य की ओर से आदिवासियों की कब्जा काश्त जमीन वन बाउण्ड्रीवाल से बाहर निकालने के सम्बन्ध में।

(7) श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से केन्द्र सरकार से सी.एस.एस. में प्राप्त होने वाली राशि में राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत 32 अध्यापकों को आठ माह से वेतन का भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में।

(8) डा. भंवरलाल राजपुरोहित, सदस्य की ओर से डेगाना एवं इसके आसपास 30 किलोमीटर परिधि में कोई रसोई गैस एजेन्सी नहीं होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर शहर की सड़कें दुरुस्त करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर एवं अलवर जिले में वनों की हो रही कटाई के सम्बन्ध में।

(11) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य की ओर से जनता जल योजना के संचालनकर्ता का मेहनताना बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री सुरेश मीणा, सदस्य की ओर से करौली शहर में बड़ा बाजार स्थित मंदिर के स्वामित्व के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान ।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्षजी, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन । इस सदन के सभी सदस्यों की जान पर खतरा है और वह इसलिए कि सदन में मच्छरों ने प्रवेश कर लिया है और मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है जो कि जानलेवा है।

श्री अध्यक्ष: क्या फर्मा दिया आपने ?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): इस राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को, लोकतंत्र का एक स्तम्भ यहां है और एक स्तम्भ वहां है, इनकी जान को खतरा है यहां सदन में यह अभी मच्छर आया है, यहां सदन में मच्छरों ने प्रवेश कर लिया है और मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों बीमारियां हो सकती हैं जो कि जानलेवा हैं ...(व्यवधान) इनकी व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है यह बताया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एम एल ए तो मच्छर प्रुफ हैं, इतना कमजोर नहीं है, मच्छर खाने से कुछ नहीं होता है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): वह आप जैसे दो चार होंगे जो कई जगह घूम आये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो डाक्टर हो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, दिन में भी काटते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है और जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के निर्धारण के लिए सरकार ने अभी तक कोई सहमति तक नहीं बनाई है तो आप कम से कम कृपा .....

श्री अध्यक्ष: आपने सुना ही नहीं, मैंने क्या कहा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या बात होती है, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ ...(व्यवधान)

ऋषभदेव पुलिस फायरिंग में मरे व्यक्तियों को मुआवजा

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वाला इश्यु और आज का इश्यु आपने मिक्सअप कर दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मतलब इस सदन में कुछ कह ही नहीं सकते हम।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, कल वाला इश्यु था कि ट्राइबल जिसकी डेथ हुई है उसके कम्पनसेशन के सम्बन्ध में सरकार ने बेन कर रखा है। आपने कल कहा चर्चा हो गयी, यह इश्यु नहीं है। उस घटना में सभी समाज के लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान सरकार ने अभी तक उनके मुआवजे के सम्बन्ध में कोई कमेटी नहीं बनाई कि कितना नुकसान हुआ।

एक तरफ हम चाहते हैं कि साम्प्रदायिक सदभाव बने दूसरी तरफ जिन आदमियों का नुकसान हुआ है वह नुकसान के सम्बन्ध में सरकार कुछ बोले ही नहीं, मैं समझता हूं इससे दुर्भाग्य की कोई स्थिति नहीं हो सकती है। कम से कम गृह मंत्रीजी खड़े होकर बताएं, गृह मंत्रीजी वहां पर गये थे, गृह मंत्रीजी ने खुद ने मौका देखा है कि ऋषभदेव में कितने लोगों का नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप खड़े क्यों हैं Why are you standing? आपके पीछे खड़े हैं संयम लोढ़ा उनसे कह रही हूं, आप क्यों खड़े हैं, वह बोल रहे हैं तो आप क्यों खड़े हैं ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गृह मंत्रीजी स्वयं मौके पर वहां पर

गये हैं, सदन यह जानना चाहता है गृह मंत्रीजी से क्या राजस्थान सरकार इस बात के लिये भिज्ञ नहीं है कि ऋषभदेव में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। साधारण आदमी का नुकसान भी हुआ, बिजनेसमैन का भी नुकसान हुआ है और नुकसान होने के बाद सरकार आज दिन तक यह फैसला नहीं कर पायी है उन लोगों के नुकसान के लिये मुआवजा करे कि नहीं करे ? हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि साम्प्रदायिक सदभाव आदिवासी और अन्य समाज के बीच में तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार आगे आकर एक ऐसा वातावरण नहीं बनाए कि जिनका नुकसान हुआ है उनके सम्बन्ध में सरकार कोई कम्पंसेशन दे।

माननीय गृह मंत्रीजी, आप स्वयं वहां पर गये थे। क्या आप सदन को यह बताने की स्थिति में हैं कि राजस्थान सरकार ने कोई मानस बनाया है उन लोगों को कम्पंसेशन देगी ? आप बता दीजिये। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद यदि सरकार यह मैसेज देना चाहती है कि जिसका नुकसान हुआ उसका कुछ नहीं होगा। जिसका कम्पंसेशन है उस पर हम मनमर्जी करेंगे तो यह साम्प्रदायिक सदभाव वहां नहीं बना पायेंगे। तो गृह मंत्रीजी, हम आपसे आशा करते हैं आप खड़े होकर सदन को इस बारे में बताएं कि राजस्थान सरकार की मंशा है ? जिन लोगों का नुकसान हुआ है उस नुकसान को आप कम्पंसेट करेंगे या नहीं करेंगे ? जिन आदिवासियों को आपने जो कम्पंसेशन दिया है, दूसरे जितने आन्दोलन हुए उससे कम आपने कम्पंसेशन दिया है क्या उस कम्पंसेशन को एनहांस करने के लिये आप व्यवस्था रखते हैं? मैं समझता हूं कि आपको आगे आकर सदन को यह आश्वस्त करना चाहिये कि उसको जितना भी हम कम्पंसेट कर सकते हैं उतना कम्पंसेट करने के लिये आप आगे आयेंगे।

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सुनिये मैं आपसे बताऊं जो भाषा शायद आपने सुनी नहीं है। मैंने इसमें लिखा है फिर भी माननीय सदस्य ने पुन: प्रस्ताव प्रस्तुत करके अन्य समाज जिनका नुकसान हुआ है, की जांच करवा कर क्षति-पूर्ति करवाने की मांग की है। अत: प्रस्ताव राज्य सरकार को यथोचित कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार ने कुछ नहीं किया। कब घटना हो गयी है ? कब की घटना है ? यह घटना विधान सभा के पहले हो गयी है।

श्री अध्यक्ष: आसन इस तरह लिखेगा और उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं करेगी यह कैसे मान लिया आपने ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आसन ने तो बहुत व्यवस्थाएं दी हैं। आसन ने व्यवस्था दी है कि मुख्य मंत्रीजी भाषण देंगे 20 तारीख को, 23 तारीख को देंगे, स्टेटमेंट हो रहा है आज ? आसन ने व्यवस्था दी है, आसन की व्यवस्था के सम्बन्ध में आप कष्ट करके हमें याद नहीं दिलाएं। हम आपसे विश्वास चाहते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि सदन में जो आश्वासन दिया है उनकी पूर्ति सरकार से आप करवाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ऋषभदेव की घटना हुई और जिन लोगों का भी नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया। 109 लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है। उनको सूचीबद्ध किया है। लगभग 1 करोड़ 65 लाख समथिंग का नुकसान आंका गया है। विचाराधीन है। जो भी सरकार इसमें कर सकेगी वह निश्चित रूप से करेगी। अभी यह तय नहीं हुआ कि किसको कितना दे रहे हैं लेकिन असेसमेंट वह करके आ गया। विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है और निश्चित रूप से जो भी सरकार इनको मदद कर सकती है वह अपनी क्षमता अनुसार जरूर मदद करेगी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): आदिवासियों को मारा गया है..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसको भी किया है।

श्री सुरेश मीणा (करौली): कितना पैसा दिया है ? एक लाख। आदिवासी मरता है तो एक लाख, दूसरा मरता है तो दस और पांच लाख, इतना फर्क कैसे ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल यह विषय उठाया था लेकिन मैं आज ... (व्यवधान) एक सैकिण्ड मेरी बात सुनें। यहां आदिवासी और कोई भी मरे इसमें कोई अंतर नहीं है। गलतफहमी क्या इस सदन में हो गयी कि जो घड़साना और रावला में जिनकी पुलिस फायरिंग में मौत हुई उनको पांच लाख रुपया और नौकरी दी थी। उसके कारण से सब ने सोचा कि शायद गोली से मरने के कारण से ...

श्री अध्यक्ष: कोई क्यों, सोहेला में भी दी है। सोहेला में भी दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसका जो कारण रहा, कारण यह है कि हमारे यहां पर पहले इस प्रकार के नियम बने हुए हैं कि साम्प्रदायिक दंगे या इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं उसमें राज्य सरकार ने 1990 से ही कुछ नोर्म्स बना रखे हैं कि डैथ पर कितना देंगे, बाकी इंजर्ड पर कितना देंगे, वह सारा का सारा इसमें है और 1990 से लेकर इसमें लगातार कई बार संशोधन होते रहे। 1990 के बाद 1991 में फिर संशोधन हुआ, फिर 1992 में हुआ, 1993 में हुआ, 1997 में हुआ और 2002 में हुआ। उसमें केवल जो साम्प्रदायिक घटनाएं होती थी उसी के बारे में इस प्रकार सरकार अपने "Jaipur dated 23.11.2002. Scheme for grant of monitory relief to the victims of communal riots or incidence" इसके तहत आर्डर निकले हुए थे और उसके तहत वह मदद मिलती थी। इसमें जो है "The scheme should be, probably, on those persons who are victims of out break and communal riots or incidence and not to the victims of stray and isolated cases even though persons belonging to the different communities are involved." इस तरह के सरकूलर थे तो इसमें केवल साम्प्रदायिक उपद्रव में जिनकी इस प्रकार से मृत्यु होती थी वह हमारे इस आर्डर के तहत पहले से ही 1990 से ले करके एक लाख रुपये इसके तहत देते थे। हमने 2005 में इस सरकूलर को अमेंड किया और उसमें हमने साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों के दौरान, दोनों को जोड़ लिया। क्योंकि यह जो घटना इस प्रकार की होती है। साम्प्रदायिक दंगों में जो लोग अगर मरते थे पुलिस फायरिंग से तो उनको केवल मिलता था, बाकी के लोगों को नहीं मिलता था। 22 दिसम्बर, 2005 में इसमें अमेंड किया। इसमें साम्प्रदायिक दंगे, सामाजिक उपद्रवों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों और परिजनों को आर्थिक सहायता सम्बन्धी योजना संचालन नियम 2005 ... (व्यवधान) एक सैकिण्ड ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकूलर आपका 2005 का है तो 2005 और 2007 के बीच में राजस्थान सरकार ने इस सरकूलर के आधार पर कम्पंसेशन क्यों नहीं दिया? आपने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में क्यों दिया? अब आप जहां कोट कर रहे हैं आपने स्वयं साम्प्रदायिकता के अलावा इन चीजों को इनक्लूड किया। यह इनक्लूजन आपने कर दिया 2005 में। 2005 के बाद में इस आदिवासी घटना के बीच में जितनी गोलियां चली हैं उसमें आपने इस सरकूलर के आधार पर कम्पंसेशन क्यों नहीं दिया? आपने मुख्यमंत्री कोष के आधार पर पांच लाख रुपये दिया है। यह हमारा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको ... (व्यवधान) एक सैकिण्ड। मेरी बात आप पूरी सुन लें तो शायद आपके मन में कोई शक नहीं रहेगा। मेरी बात सुन लो उसके बाद ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात है। केशोरायपाटन में मुसलमानों की सम्पत्ति जलायी गयी, आपने वहां एक नया पैसा नहीं दिया। यह राजस्थान में भेदभाव हो रहा है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे हैं इन मामलों में जब तक आप नहीं लोगे साम्प्रदायिक सौहार्द्र नहीं बन सकता। इसके बारे में भी आप बताइये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके जो ध्यान में है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं उसके बाद कोई संदेह रह जाय तो आप जरूर पूछें मैं बताने को तैयार हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसमें भी बता देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जितनी घटनाएं हुई हैं वह 27.10.2004, यह सारी की सारी घड़साना और रावला से सम्बंधित है। फिर 27.10, 27.10, 27.10, 27.10 उसके बाद जो घटना घटी है जो अपने सोहेला में घटी है वह घटी है 13.6.2005, 13.6.2005, 13.6.2005, 13.6.2005, 13.6.2005, दस घटनाएं तो यह हैं। उसके बाद एक घटना है लादा पुत्र श्री लाला, निवासी कोटड़ा, इसकी जो डैथ हुई है 29.6.2004 को उस समय केवल साम्प्रदायिक घटना ही कवर होती थी। यह कवर नहीं था लेकिन इसमें भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से न होते हुए भी उस समय दिया है। यह जितने दस लोगों को दिया है यह भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया है। हमारे होम डिपार्टमेंट का जो है उसमें साम्प्रदायिक दंगे में जिनकी गोली लगने से डैथ हो जाती है उसमें यह कवर नहीं हुआ है। उसके बाद देवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री मंगल सिंह, जाति गुर्जर, निवासी थाना कंचनपुर, इसकी भी पुलिस गोली से हुई है 6.6.2005 को। 2005 का जो आदेश है इन घटनाओं के बाद हमने इसमें अमेंड किया कि केवल साम्प्रदायिक घटनाओं में ही लोगों को मिलता है पुलिस फायरिंग से, यह उचित नहीं है। कोई इस प्रकार की भी घटना हो जाए तो इसमें भी उनको मिले इसलिये इसमें थोड़ा सा हमने संशोधन साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों को करके इसमें जोड़ा है। इसमें हमने बिलकुल लिखा है कि सामाजिक उपद्रव की घटना से तात्पर्य कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें दो समुदाय या समुदायों के बीच संघर्ष के दौरान या ऐसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संघर्ष के नियंत्रण के दौरान या धरना, प्रदर्शन के समय कानून व्यवस्था स्थापित करने के दौरान जन धन की क्षति होती है। नितान्त व्यक्ति विवाद के दौरान जन धन की हानि का प्रकरण सम्मिलित नहीं है। ऐसा करके हमने 22 दिसम्बर को यह सरकूलर निकाला और सरकूलर के दौरान अब चूंकि यह ऋषभदेव का भी इसमें कवर हुआ और इसलिये इस फण्ड की सहायता से हमने एक लाख रुपया दिया। चार लाख रुपये में दो लाख वहां के स्थानीय लोगों ने, दो लाख मुख्य मंत्रीजी ने अपनी तरफ से करके उसकी पूर्ति की पांच लाख की। लेकिन कानून के तहत जो हमको अधिकार था वह यह एक लाख रुपया दस नये अमेंडमेंट के बाद हमको था। इसमें से दिया है तो हमने किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं किया है। जिनको दिया है वह मुख्य मंत्रीजी ने जो अपना स्व-विवेक का फण्ड है उसमें से उनको दिया है। कोटड़ा वाला था वह भी इसमें कवर नहीं हुआ। वह उन्होंने अपने स्व-विवेक के आधार पर 2004 की घटना में दिया है। तो किसी के साथ कोई भेदभाव करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो नियमों में अधिकार था उससे भी बाहर निकल करके अन्य लोगों से मदद करके हमने उसकी मदद भी करवायी और उसके साथ-साथ उसके परिवार के लोगों को भी उसी गांव में कोई आंगनबाड़ी के साथ जोड़ने के लिए मंत्रीजी ने अपनी तरफ से भेजा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय गृह मंत्रीजी, यह बात सही है कि प्रिंसिपली आपने सर्कूलर निकाला, अमेंडमेंट किया, मैं उसकी मेरिट में नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने एक वर्ग को जो इलिटरेट वर्ग है, कमजोर वर्ग है, जिस वर्ग को जानकारी नहीं है। उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा नहीं देकर के पार्टी से पैसा दिलवाया, मेरा जो बोन आफ कंटेशन है, आपने जो कम्पनसेशन दिया वह इश्यु नहीं है, रावला घड़साना या सोहेला में जो आर्गेनाइज कम्युनिटी है या जो आर्गेनाइज आंदोलन है उसमें तो सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच लाख रुपये दिये और यह गरीब आदिवासी को आपने पांच लाख रुपये दिये, लेकिन दो लाख पार्टी से दिलवाये, दो लाख आपने अलग दिलाये। यह जो डिसक्रिएशन है या तो आप सब जगह पार्टी से दिलवायें। उस आदिवासी को आपने पार्टी से दिलवाये और मुख्यमंत्री सहायता कोष से बाकी नहीं दिलवाये। यह हमारा इश्यु है कि आपने मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच लाख रुपये दिलवाये हैं तो मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप इस इलाके के रहने वाले हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, मैं उसकी मेरिट में

(डा. सी. पी. जोशी)

नहीं जा रहा हूं मंत्रीजी, पर मैं ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं, ना उस बच्चे को हम नौकरी दें, ना मुख्यमंत्री सहायता कोष से हम एक पैसा दें। हम पार्टी फण्ड से पैसा देकर के कम्पनसेशन करना चाहते हैं तो यह पॉलिटिकल मामले हैं लेकिन राज का जो धर्म बनता है उसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी उन आदिवासियों को आपको पांच लाख रुपये देना चाहिए था और फिर आप पार्टी से भी पांच लाख रुपये और देते। उसके लिए धन्यवाद आपको लेकिन आपने पार्टी के पैसे को मुख्यमंत्री सहायता कोष से क्युवेट किया है यह ठीक नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल नहीं है, थोड़ा सा आप इसको समझें। 22 दिसम्बर, 2005 के पहले इस प्रकार की घटनाएं इसमें कवर नहीं थी। इस आदेश के बाद जो हमने दिसम्बर, 2005 को निकाला, हमने घटना के बाद नहीं निकाला। पहले से ही निकला हुआ था। इसमें केवल साम्प्रदायिक दंगे ही पहले जो आदेश थे उसमें कवर हो रहे थे। यह जो सोहेला और रावला घड़साना दोनों घटनाएं हुई हैं यह आज भी इन आर्डर के तहत कवर नहीं हैं। इसलिए जिस आर्डर के तहत कवर नहीं है उसको किसी अतिरिक्त फण्ड से ही सहायता दी जा सकती है इसलिए उनको मुख्यमंत्री के स्वविवेक से दी थी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):Why 5 lakh rupees? हम आपकी बात से सहमत हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सैकण्ड, एक सैकण्ड।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि दिसम्बर, 2005 के बाद के अमेंडमेंट से यह सोहेला और रावला घड़साना की कवर नहीं होते हैं। यह समझ में आता है कि आपने डिस्क्रिएशन यूज किया मुख्यमंत्री कोष से पांच लाख रुपये देने का, धन्यवाद। आपके अमेंडमेंट के बाद ऋषभदेव की घटना हुई इसलिए आपने एक लाख रुपये दिये बिलकुल समझ में आता है। मुझे तो आपसे यह पूछना है कि आपके अमेंडमेंट के बाद आदिवासियों को एक लाख रुपये मिलते हैं तो यह दो लाख रुपये जो उस फण्ड से देने के बनिस्पत यदि मुख्यमंत्री कोष से आप पांच लाख रुपये देते तो उन गरीब आदमियों का सरकार के प्रति एक विश्वास बढ़ता बनिस्पत की पॉलिटिकली माइलेज लेना चाहिए। वह ठीक इसलिए नहीं है कि आपको

स्वयं मालूम है कि कांग्रेस के वहां के विधायकों ने इर्रैसपेक्टिव ऑफ दी पार्टी लाइन सरकार के सहयोग में आगे आकर यह वातावरण बनाने की कोशिश की और वहां हमने मुख्यमंत्री कोष से पैसा नहीं दिया और आपने एक लाख रुपया दिया। मैं उसकी मेरिट में नहीं जाता। नियम बनाया है वह भी ठीक है लेकिन आप उस आदिवासी इलाके में यह मैसेज क्यों देना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री कोष से आपको पैसा नहीं देंगे। पार्टी के फण्ड से पैसा देंगे। यह मैसेज आपके लिये ठीक नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह नहीं है, मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूं या तो ...(व्यवधान) एक सैकण्ड, आप या तो समझ नहीं पाये, यह इसके तहत नहीं है ...(व्यवधान) दो तरह के पैसे नहीं दिये हैं ...(व्यवधान) एक ही घटना में दो तरह का पैसा इसमें नहीं जा सकता है क्योंकि इस 2005 के आर्डर के बाद इस प्रकार के जो उपद्रव हैं वह भी कवर हो रहे हैं। पहले यह कवर नहीं था। इसको करने से मुख्यमंत्री सहायता कोष ही एकमात्र आधार था। अब इसके कारण से इस घटना के बाद इस आर्डर के तहत भी उसको एक लाख रुपये देने का इसमें अधिकार मिल गया है, वह हमारा होम डिपार्टमेंट का था वह उससे दिया। अब एक तो होम डिपार्टमेंट दे और चार मुख्यमंत्री सहायता कोष से दें, यह दोनों नहीं, जिसमें यह आलरेडी कवर है तो एक व्यक्ति को दो जगह से देने में दिक्कत आयेगी उसके कारण से हमने यह कम्पनसेशन दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, गृह मंत्रीजी एक मिनट।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बेनेफिट आफ डाउट किसको मिलना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब स्थिति है, सरकार के दो डिफरेंट चैनल्स, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय, सरकार तो एक, पैसा एक, यह रेसक्रिप्सन क्यों कर रहे हैं आप, आम आदमी नहीं समझता है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप जोर से ना बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): और गृह मंत्रालय की मदद का कोष आपको, पैसा तो गवर्नमेंट से ही आ रहा है। सरकारी पैसा है, आप कृपा करके ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मि. हरिमोहन, आप इतने जोर से बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो तरीके हैं, जनता नहीं समझती है। जनता समझती है कि सरकार ने पैसा दिया है। आपने अपने मद में एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए कह दिया कि गृह मंत्रालय ने बनाया है, आपका सर्कूलर है इसके बारे में, नियम बनाया है तो वह आप रिलेक्स कर सकते थे। लेकिन अब दो अलग-अलग चैनलों से डिफरेंट जब होता है तब कैसे दिया जाये। सरकार ने दिया है। लेकिन इस प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। कहीं आप पांच लाख देते हैं, कहीं एक लाख देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप भले ही स्वीकार ना करें इस बात को, जहां पर अगर आप चाहते तो आदिवासी का मामला था, वहां आपकी पार्टी ने कर दिया, कितना बड़ा मसला था, जिसको कि वहां के स्थानीय पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस वालों ने, आपकी पार्टी के सब लोगों ने मिलकर के मामले को निपटा लिया, नहीं तो आपके रावला, घड़साना से बड़ा उपद्रव मच जाता आदिवासी इलाके में। जो आपके सम्भाले नहीं सम्भलता अगर जन प्रतिनिधि इसमें शरीक नहीं हुए होते। इस प्रकार का भेदभाव आपने जो किया है यह उचित नहीं है। इसको आप सुधारें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले निवेदन किया, आप इसको भेदभाव समझ रहे हैं, भेदभाव नहीं है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भेदभाव नहीं, माननीय गृह मंत्रीजी भेदभाव नहीं है। आप कृपया उस एक लाख के आर्डर को विद्ड्रा करिये। मुख्यमंत्री कोष से पैसे दिलवायें, बात खतम हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप स्वयं बतायें कि एक ही व्यक्ति को दो हैड में से पैसे मिलने चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं मिलना चाहिये ...(व्यवधान) निवेदन है कि आपने जो एक लाख दिये हैं उसको विद्ड्रा कर लिया जाये, वी डोंट नो ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आज आप इसको विद्ड्रा कर लेंगे और कल जो हमने दिसम्बर का आर्डर निकला, जहां कहीं भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आंदोलन होंगे, फायरिंग होगी वहां सब लोगों को फिर वही पांच लाख आकर के खड़ा हो जायेगा। राज आप भी करोगे और हम भी करेंगे। आगे इस प्रकार की छोटी-मोटी भिडंतों में क्या फायरिंग होने के बाद इस प्रकार के पैकेज दे पायेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, यह इश्यु नहीं है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने पहले नहीं बनाया है, यह दिसम्बर, 2005 का है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गृह मंत्रीजी, एक मिनट ...(व्यवधान) हम आपको इस भावना से नहीं कह रहे हैं। यह जो आपने सर्कूलर इम्पलीमेंटेशन किया दिसम्बर, 2005 का, अच्छा होता कि, मैं यह नहीं कह रहा कि इस आदिवासी को नहीं देते, रूल्स पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारा बोन आफ कंटेंशन यह है कि आपने यह जो पार्टी के नाम से दिया है वह मैसेज ठीक नहीं जाता है ...(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): अध्यक्ष महोदय, पार्टी के नाम पर दो लाख रुपये दे सकते हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पार्टी के नाम पर पांच लाख दे देंगे ...(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): दो लाख रुपये पार्टी के नाम पर दे सकते हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम सब पार्टी की बात करें ...(व्यवधान) तकलीफ में तो कांग्रेस का विधायक जायेगा और बाकी में बी.जे.पी. का जायेगा ...(व्यवधान) यह कोई आर्ग्युमेंट है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपकी पार्टी तो करोड़पतियों की पार्टी है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी पार्टी तकलीफ में हो तब तो कांग्रेस का एम.एल.ए. जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए और मदद करने के बाद बी.जे.पी. वाली ...(व्यवधान) यह कैसे होगा ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपकी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है जोशीजी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमारी पार्टी तो करेगी ...(व्यवधान) हमारी पार्टी करेगी तो सर्टिफिकेट लेकर के नहीं करेगी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कालूलालजी, आप देखें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपकी तो अरबपतियों की पार्टी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोई विवाद की बात नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी ने पूरी बात कह दी। अब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि पार्टी के आधार पर जो सहायता दे दी ...(व्यवधान) उसका मैसेज ठीक नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, अब आसन से व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ साहब, आपको आधी बात मालूम है, आधी बात मालूम नहीं है, बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह दो लाख दे सकते हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वहां जब दिक्कत हो तो कांग्रेस का एम.एल.ए. जाये ...(व्यवधान) दो बात नहीं हो सकती हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन है कि एक पालिसी बन जाये कि मृतक को कितना पैसा दिया जायेगा ...(व्यवधान) एक पालिसी बन जाये पूरे राजस्थान में और अलग-अलग मापदण्ड बना दिये जाते हैं तो उस से भ्रांति फैलती है ...(व्यवधान) गृह मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): पांच लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से कंचनपुर में जो 14 साल का बच्चा मरा, उसको पाँच लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया। मंत्रीजी गये, अब तक भी उसके परिवार को जो नौकरी आपने दी है, आज तक भी उस कंचनपुर के गुर्जर परिवार के डिपेंडेंट को नौकरी नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष: यह कहां ले गये, इनकी तो आदत है। कहां बात चल रही थी, कहां ले गये ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपने दिया है, आपको बताया है कि कंचनपुर में जिसको पांच लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिये लेकिन बाकी को नौकरी दी है और उसके साथ यह भेदभाव क्यों ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन में बहुत गलत परम्परा पड़ रही है। जो आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है उसके ऊपर इस प्रकार से बहस हो और घंटा ही उसमें

(श्री अध्यक्ष)

हो जाये। यह नियमों के विपरीत है चूंकि आदिवासियों का मामला था इसलिए मैंने दो मिनट बोलने को समय दे दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर चर्चा होती रहे, जब गृह मंत्रीजी ने कहा है, इस बारे में वह सोच विचार करेंगे।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

टैण्ट वालों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से टैण्ट वालों की हड़ताल से एक विषम स्थिति पैदा हो गई है पूरे राजस्थान में। वैसे आपको मालूम है कि रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेण्डों पर, हास्पिटलों के सामने और भी कई जगहों पर रैन बसेरे लगाए जाते हैं और इन टैण्ट वालों ने अपनी जो कोई परेशानियां थी उनकी ओर एक साल से गवर्नमेंट का ध्यान दिलाते हुए यह देखकर कि वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अपने टैण्ट हटा लिए। जो गरीब लोग हैं और जो यात्री लोग हैं उनको इससे परेशानी उठानी पड़ रही है कि वह सड़क पर सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और आपको मालूम है कि पिछले दिनों से किस तरह का मौसम चल रहा है, कभी ओलावृष्टि होती है और कभी बारिश होती है, इस वजह से मैं कि इनकी जो हड़ताल है उसको सरकार सीरियसली लेते हुए इन्होंने जो डिमाण्ड रखी है उसकी ओर ध्यान दिलाते हुए आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसा लगता है कि सरकार टोटली कंफ्यूज्ड है। टैण्ट वालों को किस हैडिंग में माना गया है, यह लीजिंग सेवा संस्थान है, इस पर सर्विस टैक्स साढ़े बारह प्रतिशत लगाया गया है, इसके बाद वैट साढ़े बारह प्रतिशत लगाया गया है, मल्टीपल टैक्सेशन हो गया है। एक तरफ तो सर्विस माना है और एक तरफ सैल्स टैक्स की जगह वैट लगाया गया है, वह उन पर माना गया है। अब इस बजट भाषण में इन पर लक्जरी टैक्स का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा है तो यह तीन -तीन तरह के टैक्स वह कैसे दे पाएंगे, क्या यह लीगली सही है? इसको लेकर यह लोग 2006 से सरकार को अपना रिप्रजेंटेशन दे रहे हैं। सरकार ने एक जो कमेटी बनाई है वैट को लेकर उसके सामने यह कई दफा पेश हुए हैं मगर एक साल से इसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी यह देखने में आता है कि तम्बू उखाड़े, 20 हजार प्रतिष्ठान बंद रहे, फिर उसके बाद अखबारों में

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

आया कि सी एम हाउस से टैण्ट हटे, गणगौर मेले पर संकट, अभी आपने देखा होगा कि गणगौर मेले में जहां इतने पर्यटक आते हैं उन लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी कि वहां तम्बू, दरियों और कुर्सियों का इन्तजाम नहीं था, उसके साथ-साथ अब रामनवमी आने वाली है फिर उसके साथ और भी कई रिलीजियस फंक्शन होंगे, अभी शादियों का टाइम भी है। अगर इस पर जल्दी निपटारा और डिसीजन नहीं लिया गया इनकी मांगे जो मैं समझता हूं वाजिब है कि इनको मल्टीपल टैक्स से एक्जैम्प्ट नहीं किया गया तो...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपका इस बारे में कोई नहीं है। आपका नाम है क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टैण्ट है वह वैट उसमें आता ही नहीं है, टैण्ट का काम है वह वैट के अंदर आता ही नहीं है। टैण्ट एक बार लगता है और खुल कर चला जाता है वह बिक्री नहीं होता है इसलिए जो वैट लगाया गया है वह भी गलत है और विलासिता कर लगाने की जो बात की जा रही है, चूंकि एक चीज पर...

श्री अध्यक्ष: आपका नाम नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मेरा नाम नहीं है फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं सदन में अपनी बात कहूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो फिर क्या बात हुई? स्थगन प्रस्ताव है, आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिएगा यह सब बात।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्षजी, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि सदन में मेरा दायित्व है कि मैं उस बात में कुछ बताऊं। जब टैण्ट का व्यापार बेचने के लिए नहीं है तो इस पर वैट लगाना गलत है और विलासिता कर लगाना उससे भी गलत है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा ठीक है, गलत है, अब आप विराजो। आप समाप्त करो, आपने अपनी बात कह दी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): एक पाइण्ट और रह गया कि हमारे जो नेबरिंग स्टेट है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इनमें वैट लागू नहीं है तो इस वजह से मैं आपके माध्यम से उनकी रिक्वेस्ट रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यहां पर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हैं, और भी सीनियर मिनिस्टर बैठे हैं। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने पहले तो उनको जवाब देने नहीं दिया और अब कह रहे हैं कि आप दो न जवाब।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले वह जवाब दे रहे थे तो आपने जवाब नहीं देने दिया और अब जवाब नहीं दे रहे हैं तो जवाब मांग रहे हैं। यह कोई बात हुई?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कह दो कि गलती सुधार रहे हैं, दिक्कत नहीं है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को सीरियसली लिया जाए। एक साल से उनकी मांगें पेंडिंग है, इस पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया है। जिसकी वजह से यह सिचुएशन हो रही है और बहुत लोगों को परेशानी हो रही है और होने वाली है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, लेना सीरियस स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। (व्यवधान) उनको तो होगी कि नहीं होगी लेकिन चिंता तो हो जाएगी।

श्री महीपाल यादव।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय सदस्य ने जो टैण्ट व्यवसायियों...

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन फाइनेंस बिल आएगा तब सोचिए इस बारे में क्या है। ऐसे कोई जवाब दिया जाएगा?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): जब वह जवाब दे रहे हैं तो दिलवा दीजिए, वह खड़े हो गए हैं जवाब देने के लिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है कि वह जवाब देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उन्होंने कहा है तो आप कैसे इन्कार कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: एक गलत परम्परा डाल रहे हैं, माननीय सदस्य ने कह दिया और मंत्रीजी खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम आसन के आदेश से बोलने वाले लोग हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो आदेश की पालना करने वाले लोग हैं उनको भी हम जानते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आसन पैरों पर है फिर भी आप खड़े हैं और आपने उनको कहा है जवाब दिलवाएंगे, जवाब दिलवाओ। बहुत गम्भीर प्रोब्लम है, सारे टैण्ट बंद हो गए। मुख्य मंत्रीजी के यहां से टैण्ट हट गया। शादियां आने वाली हैं, लोग परेशान होंगे इसलिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो माननीय अध्यक्ष महोदय दिलवाओ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। (व्यवधान) यह नियमों के विपरीत काम हो रहा है।

श्री महीपालसिंह यादव।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नियम तो मैं आपसे ही सीख रहा हूं।

रुंध बड़ोद वन क्षेत्र (बहरोड़) को जे.सी.बी. मशीनों से उजाड़े जाने बाबत

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे नम्बर 11, जयपुर और दिल्ली के बीच मात्र एक ही वन क्षेत्र है जो बहरोड़ से ठीक दो किलोमीटर अलवर रोड पर स्थित है। लगभग 223 हैक्टेयर भूमि में सैंकड़ों वर्षों से यह वन क्षेत्र है।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी वहां दस-पन्द्रह जे सी बी लगा रखी हैं और पूरे वन क्षेत्र को उजाड़ा जा रहा है। वहां पर सैकड़ों वर्ष पुरानी गौ-शाला भी है। यह सरकार गौ के नाम पर बहुत प्रचार कर रही है कि गौ की रक्षा की जाए। वहां दो-तीन गौ-शालाएं मुण्डावर, बहरोड, बानसूर, तीन-चार विधान सभा क्षेत्रों में सिर्फ सांस लेने के लिए दो फेफड़े यहां बचे हुए थे।

श्री अध्यक्ष: असली गौ पालक तो यादव ही होते हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): गाये भी वहां चरती थी उस वन क्षेत्र में, करोड़ों जीव जन्तुओं का घरौंदा आज नष्ट किया जा रहा है और किसानों की फसलों को वह जानवर नष्ट कर रहे हैं। रात और दिन एक करके पूरे वन क्षेत्र को, कल मंत्रीजी कह रहे थे कि हम वन क्षेत्र का बड़ा ध्यान रख

(श्री महीपाल सिंह यादव)

रहे हैं, सरिस्का अभ्यारण्य का तो देख ही लिया हमने कि क्या दुर्दशा हुई, पूरा देश देख चुका है। अब एकमात्र दिल्ली और जयपुर के बीच का वन क्षेत्र वहां पर जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है, जनता ने वहां ज्ञापन भी दिए हैं कलक्टर को, मंत्रियों को भी सचूना दी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी फैक्स किया है और वहां पर हमारे बहरोड से माननीय विधायक चांदनाथजी के शिष्य शंकरनाथजी की अध्यक्षता में वहां के धार्मिक लोगों की भी एक मीटिंग हुई है।

यह बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार वनों को लगा रही है या वनों को उजाड़ रही है। वन मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, आप अगर इस कार्यवाही को नहीं रोकेंगे, कुछ जानकारी यह मिली है कि सरिस्का अभ्यारण्य से गांवों को उठाकर वहां बसाया जा रहा है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में हजारों एकड़ जमीन गोचर, पड़त, बंजर, सिवाय चक पड़ी हुई है, अगर गांवों को कहीं से उजाड़ कर, उठाकर उस जगह पर लाया जाता है तो वह जमीन अलाट कराए अगर जमीन ही अलाट करें तो वार विडोज, कितनी अलवर की शहादत हुई है, झुन्झुनूं के बाद अलवर का नम्बर आता है शहादत में, इस देश की जंगे आजादी के लिए और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कितने ही सैकड़ों लोगों ने वहां शहादत दी है, उनकी वार विडोज को आप अलॉट करें। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर कोई भी हादसा हो सकता है। अभी वहां पर कोई मीटिंग हुई है परसों और सरकार को विधिवत रूप से ज्ञापन फैक्स किया जा चुका है, वहां ला एण्ड आर की स्थिति खराब हो सकती है इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

आप उस वन क्षेत्र में जो दनादन जेसीबी चल रही हैं उनको या तो तुरंत रोकें वरना वहां पर एक बहुत बड़ी लॉ एंड आर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं आपके माध्यम से इस वन क्षेत्र को जो सरकार उजाड़ रही है ..(व्यवधान) यह सरकार बेनकाब हो चुकी है और वनों को लगाने की बजाय उजाड़ने का काम कर रही है। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: वन मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं भारत सरकार के डाइरेक्शन से इन गांवों को बहरोड़ के पास रुंझ क्षेत्र है वहां पर 222.67

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

हैक्टेयर जमीन चयनित की गई है और इसमें काकनबाड़ी और भगानी दो गांव हैं, इनको शिफ्ट करने के लिए वहां पर कार्यवाही चल रही है। यह तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया के आदेश हैं और एफसीआई एक्ट, 1980 के तहत इनका डाइवर्सन परिवर्तित करके यह कार्यवाही चल रही है और यह तो आदेश के अनुरूप हो रहा है ताकि सरिस्का का रिइंट्रोडक्शन कैसे किया जाए इस व्यवस्था में भारत सरकार ने जो डाइरेक्शन दिये हैं उसकी पालना हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री अर्जुनलाल जीनगर। (अनुपस्थित) श्री सुखलाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या

श्री सुखलाल मीणा (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पानी की समस्या के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। मेरा क्षेत्र डांग एरिया है और आधे से अधिक लोग पहाड़ों पर रहते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो समस्त पश्चिमी राजस्थान के मवेशीपालकों को अपने यहां शरण देते हैं। सदियों से लाखों की तादाद में भेड़-बकरियां, गाय, ऊंट इत्यादि यहां पर आकर हर वर्ष अपनी प्यास, भूख बुझाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी का संकट आने का अर्थ सम्पूर्ण राजस्थान के पशुपालकों पर पानी का संकट आना है।

श्री अध्यक्ष: क्या पढ़ रहे हैं आप? आपने लिखकर तो कुछ और ही दिया है। क्या पढ़ रहे हैं?

श्री सुखलाल मीणा (सपोटरा): मेरे क्षेत्र में वर्तमान में हैण्डपम्प सब ड्राई हो चुके हैं और मेरे क्षेत्र की अमरगढ़, कालागुडा, दौलतपुरा, निमेरा, राहिर, बहादुरपुर, कैलादेवी, भांकरी, गुरदेह, मौंगिपुरा, महाराजपुरा, नानपुर, चंदेलीपुरा ग्राम पंचायतों में पानी का भारी संकट है।

श्री अध्यक्ष: क्या पढ़ रहे हैं आप? इसमें कुछ और लिखा है, बोल कुछ और रहे हैं।

श्री सुखलाल मीणा (सपोटरा): यही लिखा है साहब।

श्री अध्यक्ष: लिख दिया।

श्री सुखलाल मीणा (सपोटरा): उपरोक्त ग्राम पंचायतों में एक-एक बोरिंग करवाना अति आवश्यक है जिससे पीने का पानी उपलब्ध हो सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल नदी से लिफ्ट से पानी जो करौली व सवाईमाधोपुर जिले के लिए पाइप लाइन से लाया जा रहा है। उससे मेरा विधान सभा क्षेत्र सपोटरा व करौली के हर गांव को जोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद। श्री जगसीराम कोली।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र की भराणा सड़क का निर्माण

श्री जगसीराम कोली (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जिला सिरोही के विधान सभा क्षेत्र रेवदर में आबूरोड से लगती हुई भराणा बोर्ड से मुनिजी की कुटिया जर्जर सड़क का निर्माण करवाने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

इस सड़क से लगभग 40 गांव लगते हुए हैं व इस सड़क पर आवागमन करने वाले वाहनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भराणा सड़क से गुजरात जाने वाले पत्थरों से भरे ट्रक चलते हैं। इस वर्ष भारी वर्षा होने से सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है व सड़क पर दो-दो फीट के गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि रेवदर की जनता को ध्यान में रखते हुए भराणा सड़क का जल्दी निर्माण करवाने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद श्री संयम लोढ़ा। अनुपस्थित। No, you lost your chance. श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने माफी की बात की और आपने माफ कर दिया और हंसकर किया।

सिरोही जिला प्रशासन की उदासीनता एवं लापरवाही से दो भीलों की मौत

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत सिरोही जिला प्रशासन की उदासीनता व लापरवाही से दो

(श्री संयम लोढ़ा)

भीलों की मौत के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। भूख व कुपोषण की वजह से सिरोही जिले के जावाल में देवाराम भील की गत माह व उसके चार वर्षीय बेटे की इस माह भूख से मौत हो गई। देवाराम का परिवार बीपीएल की सूची में था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष जारी की गई सूची में उसका नाम काट दिया गया। पूरा परिवार भूख व कुपोषण से पीड़ित है। मृतक की पत्नी दाखू व दो बच्चे सिरोही के अस्पताल में भर्ती हैं। दाखू का हेमोग्लोबिन 3.5 ही पाया गया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार को निर्देश प्रदान करें कि पीड़ित परिवार की चिकित्सा के लिए समुचित इंतजाम करें एवं परिवार के दो सदस्यों की भूख से मौत के लिए उन्हें सहायता प्रदान करें।

राज्य सरकार ने अभी जनवरी माह में ही ग्राम सम्पर्क व उससे पहले स्वास्थ्य चेतना अभियान चलाया था, इसके बावजूद उक्त परिवार की सुध नहीं ली गई। इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: अब नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कोई इश्यू नहीं बनाना चाहता, सिर्फ इतना सा निवेदन है कि वह होस्पिटल में है। सरकार कह दे, इसमें कलक्टर के माध्यम से यहां बुला ले। यहां उनके इलाज की व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष: ऐसे कैसे कह दे, 295 का पहले पता लगाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अवगत करा चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिया है, मालूम कर लेंगे। जो कुछ सहायता सम्भव हो, समुचित सहायता भी देंगे, पर यह भूख से मरने वाली बात ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जांच की जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर भी आपने कहा है तो दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद सरकार करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य, अपन मिल लेंगे, आपकी भावनाओं से मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराएंगे, पर भूख से मरने वाली हरेक चीज में नहीं होती।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, बार-बार भूख से मरने की बात करते हैं, दिल्ली सरकार को जाकर कहना चाहिए कि गरीबों को मिलने वाले गेहूं का कोटा घटा दिया।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): बार-बार भूख से मरने की बात होती है, गरीबों के प्रति इतनी हमदर्दी है तो दिल्ली जाकर भारत सरकार को कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब के इस कथन पर आपत्ति है उन्होंने अभी फर्माया कि अपन मिल लेंगे, पता कर लेंगे। अपन मिल लेंगे, पता कर लेंगे बाहर। सदन की प्रोपर्टी है, यह उठ गया, अध्यक्षजी की अनुमति से उठा है, यहीं बात करिए कौनसी बात करेंगे। खुलासा करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं करेंगे। अब तो माफी दे दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं मेरे शब्द वापस ले रहा हूं, नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे, अब हुक्म करो आप।

श्री अध्यक्ष: पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब, आप यहीं बात किया करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ये आदी हैं, लेकिन कम से कम गरीबों के प्रति आपको पारदर्शिता रखनी है, वरना गरीबों का सारा का सारा गेहूं भारत सरकार ने काट दिया बीपीएल के नाम पर। आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं इसलिए मेहरबानी करके ऐसे परिवार के साथ में आप न्याय करें।

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा (अनुपस्थित)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कोई पोलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहता, मैं यही तो कह रहा हूं उनकी मदद कर दें आप।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा ।

आदिवासियों की कब्जा काश्त जमीन वन बाउण्ड्रीवाल से बाहर निकालने विषयक

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा

(श्री नवनीत नीनामा)

2006 में बने नये कानून के अनुसार राजस्थान में आदिवासी किसानों द्वारा कब्जा काश्त की जमीन का सर्वे ग्राम सभाओं द्वारा किये जाने के संबंध में नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य में आदिवासी किसान अपनी पुरानी परम्परा अनुसार जंगलों में मकान बनाकर कई वर्षों से आसमान से होने वाली वर्षा के आधार पर खेती करते हैं व पशुपालन के साथ अपना जीवन जीते हैं। आदिवासी किसानों व जनजाति के नाम से करोड़ों रुपया स्वीकृत व खर्च हो रहा है, परन्तु इन वनों में रहने वाले आदिवासयों को आज तक सही न्याय नहीं मिल रहा है। अभी हाल 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा नया कानून बनाया जाकर जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो वनों में रहते हैं, वन के सहारे वर्षा के आधार पर खेती करते आ रहे हैं लेकिन वन विभाग द्वारा वन आबाद रखने को बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है। उस समय कई आदिवासी किसानों को कब्जा काश्त की भूमि वन विभाग द्वारा अपनी बाउण्ड्री में कर ली है, उसे नये कानून के अनुसार सन 2005 तक की जमीन कब्जा काश्त की ग्राम सभाओं द्वारा उप खण्ड स्तर पर बनी समितियों को नाजायज कब्जा विवरण की रिपोर्ट भिजवाने का प्रावधान है, के अनुसार राज्य सरकार जिला कलक्टरों को आदेश देवे कि आदिवासियों के कब्जा काश्त की जमीन वन बाउण्ड्रीवाल से बाहर निकालने की ग्राम सभाएं शुरू की जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री दाताराम गुर्जर – अनुपस्थित ।

डा॰ भंवरलाल राजपुरोहित – अनुपस्थित।

पढ़े हुए मान लिए जाएंगे इनको।

श्रीमती अनिता भदेल – अनुपस्थित, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): साहब, यह कह रहे हैं, पढ़े हुए मान लें।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू, वेरी मच। कन्हैया लाल पाटीदार।

जनता जल योजना के संचालनकर्ता का मेहनताना बढ़ाने विषयक

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जनता जल योजना विभिन्न गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संचालित की

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

जा रही है। उक्त योजना को संचालित करने एवं रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ग्राम पंचायत को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। बिजली का बिल और पाइप आदि का भार जलदाय विभाग वहन करता है और योजना का संचालन कर्ता जो जीएलआर भरने के बाद मोटर बंद करता है, जीएलआर की सफाई करता है, पाइप लाइन के टूटने पर उसकी रिपेयर करता है, आदि कार्य संचालन कर्ता को करने पड़े हैं और उस संचालन कर्ता को मात्र 500 रुपये बतौर मेहनताना प्रतिमाह दिया जाता है जो 17 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी कम पड़ता है, ऐसी अवस्था में ग्राम पंचायतों के सामने इस योजना को चालू रखने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी कम राशि मात्र 500 रुपये प्रतिमाह में कोई भी व्यक्ति कार्य करने को तैयार नहीं होता है, आए दिन ये योजनाएं बंद पड़ी रहती हैं। एक सामान्य मजदूर को भी 50-60 रुपये मजदूरी के मिल जाते हैं तो 17 रुपये में कोई व्यक्ति इस योजना को चलाने के लिए तैयार नहीं होता। ग्राम पंचायतों के पास अपनी निजी आय के भी पर्याप्त साधन नहीं हैं कि ग्राम पंचायत अपनी निजी आय से संचालन कर्ता को भुगतान कर सके। जब से यह योजना हमारे प्रदेश में कार्य रूप में आई है तब से संचालन कर्ता हेतु 500 रुपये ही सरकार देती आ रही है। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया और जलदाय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र की इस अत्यन्त ही उपयोगी योजना के संचालन कर्ता का मेहनताना 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का कष्ट करें ताकि जनता जल योजना को निर्बाध रूप से चलाये रखने में ग्राम पंचायत को कोई असुविधा नहीं हो।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बात तो वाजिब है, कुछ बोलो, बात तो सही है। प्रोब्लम तो है कि 500 रुपये में कौन ...(व्यवधान) सही बात है, सदन की भावना भी यही है ...(व्यवधान) आसन की भी भावना है, सदन की भी भावना है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर आज चर्चा है, मांग है तो उस समय बाद में जब भी होगा, बाद में कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, तो सदन का तो क्या पता, कोई चर्चा करे या न करे, आ गई न चर्चा, हजार से कम नहीं होना चाहिए, नहीं, हजार रुपये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैंने लिख लिया ।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश मीणा – अनुपस्थित, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

चलिए, बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा।

(नियम 295 के तहत पढ़े हुए माने गये प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-6 देखें)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चारभुजा मंदिर की मूर्ति चोरी विषयक

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। गृह मंत्रीजी, धार्मिक भावना से ओतप्रोत आप भी हैं, आमजन की तरह। आपके यहां जो मूर्तियां चोरी होती हैं, किसी मूरत की कीमत तो बताई जाती है 3 सौ, किसी की बताई जाती है पांच हजार। माननीय गृह मंत्रीजी, बांसी में जो चारभुजा मंदिर की मूर्ति चोरी हुई है, वह मूरत अनमोल मूरत है, इसी तरह से क्योंकि विधि विधान से प्रतिस्थापित कोई भी मूरत हमारे लिए ईश्वर का रूप होती है इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी, 18 फरवरी की रात्रि को जो मूरत चोरी हुई, 19 फरवरी, 2007 को मुकदमा नम्बर 52 पुलिस थाना, देई में दर्ज हुआ। माननीय गृह मंत्रीजी, तब से ही बांसी के लोग और आसपास के लोग वहां धरने पर बैठे हैं, मैं आपसे मिला हूं, आपने कहा, हमसे सदन में भी कहा कि इसके बारे में हम टीम गठित करेंगे और उस परिवार को माननीय गृह मंत्रीजी, जो व्यक्ति उसने मौत का वरण किया है, इस भावना से जैसे चारभुजा जी नहीं हैं तो मैं रह कर क्या करूंगा। यह धार्मिक भावना का सवाल है, उसको आत्म हत्या नहीं कहा जा सकता, वह इतना गरीब आदमी, उसके पास एक बिस्वा जमीन नहीं, उसका पिता नहीं है, मां है, वह आंखों से अंधी है, बुजुर्ग है, चल नहीं सकती और माननीय गृह मंत्रीजी उसके छोटे-छोटे दो बच्चे हैं, ऐसी हालत में आपने कहा था, हम सहयोग करेंगे इसलिए मैं तो आपसे अर्ज करता हूं कि इसको उसी श्रेणी में रखा जाए, वह रावला, घड़साना की बात मैं नहीं करता, आदिवासी के मामले की बात नहीं करता लेकिन उसी श्रेणी के लायक केस है जिस श्रेणी में आप पांच लाख रुपये देते हो तो माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो यह भावना है उस भावना से ओतप्रोत मामले में आज भी बांसी के दो सौ

(श्री रामनारायण मीणा)

आदमी आपके जयपुर में आए हुए हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे मिलेंगे, क्या कहेंगे लेकिन मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, बांसी का मामला बहुत अहम मामला है, ऐसा का ऐसा ही मामला पहले गुढादेवजी में हुआ, सैकड़ों मूर्तियां राजस्थान में चोरी जा रही हैं, कई संगठित गिरोह हैं, हमने आपसे कहा और आप सेंट्रल स्तर पर, जयपुर स्तर पर टास्क-फोर्स जब तक गठित नहीं करोगे, कोई भी मूरत बरामद हो, हमारे लिए अनमोल मूरत है, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस दुःखी परिवार को गिरिराज के परिवार को जो उसकी मां अंधी है, उसको पांच लाख रुपये दें और साथ ही आप जयपुर से ऐसी टीम गठित करें, माननीय गृह मंत्रीजी, उसी की मूरत देवरिया में चोरी हुई, छत्र वगैरह चुराये गये, जो सी. आई. गोपाल लाल था उसको धन्यवाद देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: आपका तो बांसी का है केवल।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): छत्र चोरी के बरामद हुए और इसमें जो आगे बढ़ रहा था, गृह मंत्रीजी, जब मैं विधायक बना, उसके पहले-पहले, राज हमारा होगा, दलाल बैठा करते थे, आज वहां दलाल थानेदारजी ने खतम किये, जो सी. आई. ने खतम की है उसको आपने अलग कर दिया इसलिए मैं नहीं कहता, उसको आप रखो नहीं रखो, कृपा करके आप... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या आप जन प्रतिनिधि हैं वहां के, आपने समझाया नहीं ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप टीम गठित करें और पांच लाख रुपये उसको देंगे।

श्री अध्यक्ष: आपने समझाया नहीं ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आपसे अनुरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष: उसने सुसाइड कमिट किया, आपने समझाया नहीं ? जन प्रतिनिधि हो आप वहां के, क्या कर रहे थे ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरी आप सुनिए तो सही एक मिनट, मेरा आपसे अनुरोध है, इस मामले को गहनता से लें, जनता यहां आई हुई है, आप कृपा करके इसमें पांच लाख रुपये देने की और टीम गठित करके उस मूर्ति को बरामद करने की क्योंकि चारभुजा, वह आज का नहीं है, हजारों वर्षों

(श्री रामनारायण मीणा)

पुराना है, बहुत अहम मूर्ति है, माननीय, इंटरनेशनल ब्यूरो है, आप कृपा करके हमें सहयोग करें, जन भावना का आदर करें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जैसी आपकी भावना है, टीम गठित करने के लिए वैसे पहले भी हमने वहां सी. ओ. नैनवा और सी. ओ. लाखेरी दोनों की टीम गठित की है, उन्होंने एक गैंग पकड़ी है, देवली की, उससे एकाध जगह की, दूसरी जगह की मूर्ति जरूर बरामद हुई है कुछ और उसमें कुछ रास्ते मिल रहे हैं। हो सकता है, यह चोरी उसने की, नहीं की लेकिन अभी उस गैंग पर बराबर हम काम कर रहे हैं फिर भी आपकी भावना के अनुसार मैं जयपुर से टीम गठित करके भेजूंगा और इसमें जितनी जल्दी से जल्दी बरामदगी हो सके उसके प्रयास में कोई कमी नहीं रखें, इतना मैं जरूर ....

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): रहा सवाल सहायता का, यह सरकार के सोचने का विषय है कि जैसा भी संभव होगा, वह करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कृपा करके बता दीजिए न इसको सीक्रेट क्यों रखते हो ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा तो नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो देवता के उपासक हो, माननीय, आप तो बता दो हमारे को, इसको सीक्रेट रखकर के क्या करोगे आप, जल्दी करिए, वहां लोग चाहते हैं, जन भावना है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: सुन लिया उन्होंने, धन्यवाद।

नगर पंचायत समिति के 132 के.वी. जीएसएस से हो रही परेशानी विषयक

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, जो इकाइयां बनाते हैं, वह इसीलिए बनाते हैं कि एक इकाई के जोग्राफिकली और दूसरे दृष्टि

(श्री जुबेर खान)

से लोगों को नजदीक से नजदीक चाहे वह पटवार सर्किल हो, उसके बाद आईएलआर सर्किल हो, तहसील हो, पंचायत समिति हो, जिला हो, मैं आपको ऐसा उदाहरण देता हूं, अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले की पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ का, 14 पंचायतें हैं जो उप तहसील गोविन्दगढ़ में आती हैं, वहां कुछ समय पूर्व विद्युत विभाग ने जो गोविन्दगढ़ जीएसएस से 18 गांवों की लाइन थी वहां उसको डिसकनेक्ट करके वह लाइन भरतपुर जिले के नगर क्षेत्र के जालूकी जीएसएस जो जोड़ दी। अब परिस्थिति यह आती है, अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर संचालन भरतपुर जिले का नगर पंचायत समिति का नगर 132 जीएसएस का तो हमारे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी आती है। टेल-एंड के गांव हैं और गोविन्दगढ़ से मुश्किल से एक किलोमीटर की दूरी पर गांव शुरू हो जाते हैं। हमारे यहां लक्ष्मणगढ़ जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर है वहां 132 जी एस एस मौजूद है। इतना होते हुए भी आपने जो नगर के जी एस एस से जोड़ रखा है उससे परेशानी हो रही है। आपके विभाग से हम अनेकों बार वहां मिले तो वो यह कहते हैं कि क्यौंकि गांव पांच हजार की आबादी में आ गया, उसके फीडर आ गये, रेलवे लाइन पड़ती है तो हम दूसरा फीडर रेलवे लाइन पर कैसे निकालें। हमने तो यहां तक भी कह दिया मंत्री महोदय, कि आप फीडर लगाने के लिए तैयार होइये जो भी खर्चा होगा विधायक कोटे से मैं देने के लिए तैयार हूं। वहां लोगों को परेशानी होती है, बिजली आती नहीं, रोज आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, आप गोविन्दगढ़ इलाके के जो 18 गांव हैं जिनको आपने भरतपुर जिले के जी एस एस से जोड़ रखा है उनको अलवर जिले के जी एस एस से जोड़िये और गोविन्दगढ़ 33 केवी जी एस एस को लक्ष्मणगढ़ 132 केवी जी एस एस से जोड़िये ताकि लोगों को सुविधा मिले, बिजली अच्छी आये। क्योंकि लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के लिए ही सिर्फ 132 का जी एस एस है। कठूमर में अलग है, एम आई ए में अलग हैं। जब आप पंचायत समिति की 40 पंचायतों में से 14 पंचायतों को अलग कर रहे हैं यह उचित नहीं है। इसलिए आप इस सम्बन्ध में जरूर आश्वस्त करिये कि इसको आप गोविन्दगढ़ का जो जी एस एस है इसको लक्ष्मणगढ़ से जोड़ देंगे और 18 गांवों को जो नगर वाले जी एस एस से जोड़ रखे हैं वो 33 केवी गोविन्दगढ़ से जोड़ देंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 13 वर्ष से 132 जो नगर का सब-स्टेशन है यह आपके गोविन्दगढ़ से लगभग 23 किलोमीटर पड़ता है और लक्ष्मणगढ़ है वह 45 किलोमीटर पड़ता है तो जिलेवार हमें इसका नहीं करना चाहिए, जो आपसे क्लोजेस्ट है, आपको तो पर्याप्त सप्लाई से मतलब है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविन्दगढ़ और लक्ष्मणगढ़ की दूरी अगर 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो तो आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ 15 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर जालूकी और 7 किलोमीटर और। 15-16 से ज्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं है गोविन्दगढ़ से लक्ष्मणगढ़ की दूरी। आप यह चैक करा लीजिये। लक्ष्मणगढ़ जी एस एस अभी 2-3 साल पहले ही बना है। यह बात सही है कि जब लक्ष्मणगढ़ में जी एस एस नहीं था, कठूमर में जी एस एस नहीं था खेड़ली में तब नगर से वहां बिजली आती थी लेकिन अब जब लक्ष्मणगढ़ में 132 केवी जी एस एस बन गया तो अब क्या औचित्य है कि उसको अभी भी नगर से रखने की बात की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: 132 से सीधे थोड़े ही होगा, पहले 33 में होगा उसके बाद होगा। आपको बिजली की वोल्टेज पूरी मिलनी चाहिए, कहीं से भी आए, सवाल तो यह है न।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं मिलती इसीलिए तो तकलीफ है। अध्यक्ष महोदय, कहां तो नगर से और कहां उसी पंचायत समिति से आयेगी।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बातों से यह जाहिर होता है कि आपने दो इश्यूज रेज किये हैं। एक तो इन गांवों को पहले सप्लाई मिल रही थी वहां से उनको अलग क्यों किया गया और दूसरा आपका जो मुद्दा है वह यह है कि लक्ष्मणगढ़ से जोड़ा जाए। आप फरमा रहे हैं कि जो लक्ष्मणगढ़ की दूरी है गोविन्दगढ़ से, उतनी ही दूरी नगर की है। ज्योग्राफिकली आप यही बताना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: करेक्ट करना चाहते हैं, करेक्ट कर लीजिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरा आपके माध्यम से यह अर्ज है कि पहली चीज तो यह है कि जो जालूकी 33 का सब-स्टेशन है उससे

(श्री गजेन्द्र सिंह)

ये गांव नजदीक पड़ते हैं ढाई किलोमीटर और यह जो कार्य हुआ है यह कार्य 31.7.2006 को हो गया था। यह जो आपका सेग्रिगेशन हुआ है यह 31.7.2006 को हो गया है यानि कि आलमोस्ट एट मंथ्स बैक। अब जो आपने अचानक यह मुद्दा उठाया है, आप मुझे पहले ही पत्र लिखकर के अवगत कराते तो मैं इमीजिएट एक्शन उसी वक्त में ले लेता।

दूसरी चीज यह है कि हमारी जो पालिसी है कि जब तक एफ आर पी पूरा नहीं हो जाए, we have to segregate villages. जो 5 हजार की पापुलेशन के कस्बे हैं उनसे हमें सेग्रिगेट करना है ताकि उनको सही बिजली मिले और आपके कस्बे को भी सही बिजली मिले। एफ आर पी, लगभग एक वर्ष के अन्दर इस क्षेत्र का आपका कम्पलीट हो जाएगा, सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तो आपको जो समस्या हो रही है यह एक टेम्परेरी चीज है। वहां पर बिजली जो मिल रही है मैंने आंकड़े लिये हैं कि बिजली की कोई शार्टेज नहीं है। यदि आपको सप्लाई में कोई समस्या है तो आप मुझे अवगत करायें और जो भी समस्या है उसका समाधान करने को तैयार हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मेरा तो इतना सा निवेदन है मंत्री महोदय कि जहां से फीडर वायफरकेट किया है वह मुश्किल से जी एस एस से पौन किलोमीटर है और वहां के बाद तो फीडर चल रहा है क्योंकि वह फीडर आपने अलग कर लिया 24 घंटे बिजली देने के लिए। जब मैं यह कह रहा हूं कि विधायक कोटे से वहां तक का खर्चा देने के लिए तैयार हूं तो आपको यहां से जोड़ने में क्या दिक्कत है? वहां परेशानी है, आप समझिये कि ट्रांसफार्मर के लिए नगर जाना पड़ता है और अलवर के आदमी को नगर के आदमी क्यों देंगे। वहां कोई असर नहीं है, कोई जन-प्रतिनिधि वहां का नहीं है तो पहली प्राथमिकता वो उनको देते हैं और हमारे लोग पिछड़ते हैं। मैं आपको व्यावहारिक दृष्टि से बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, अगर आपकी वहां पंचायत समिति अलग, जिला अलग तो वहां कौन सुनेगा। ट्रांसफार्मर नहीं मिलते।

श्री अध्यक्ष: आपके साथ बैठकर के समझा दीजियेगा। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं इसके अन्दर और डिटेल से चला जाऊंगा, आप विधायक कोष से भी पैसा देने को तैयार हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): विधायक कोष से पैसा दे रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? विधायक कोष से यह सारा खर्चा उठा रहे हैं तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपत्ति खाली पैसे की नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली सब कुछ देखना पड़ता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या देखोगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप जो बता रहे हैं उसके अन्दर बैठकर के देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नियमों के मुताबिक ही तो होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 24 घंटे गांव को बिजली दी गई उससे पहले तो यहीं थे न।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य सारा पैसा विधायक कोष से देते हैं तो आपके इंजीनियर्स को फायदा होगा, इनके गांवों में फायदा होगा, आपका नाम अच्छा होगा, आपका कुछ लगता नहीं।

श्री अध्यक्ष: पांच हजार से उनकी आबादी ज्यादा हो गई.....

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैंने मना थोड़े ही किया है। मैं बैठकर के बात कर लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि इनके क्षेत्र में तो बिजली दे रहे हैं मेरे क्षेत्र से, जालूकी मेरी कांस्टीट्यूएंसी में है और मेरी कांस्टीट्यूएंसी के जो खोरी, बूड़ली और दूसरे झंझाड़ गांव हैं उनमें बिजली दे रहे हैं इनके क्षेत्र से। तो इससे तो आपस में बड़ा कनफ्लिक्ट पैदा हो रहा है इसलिए आप इसको सुधार करने का काम कर दें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): बैठकर के डिस्कस कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाना इनके साथ। ठीक है। श्री रामप्रताप कासनियां। पर्ची आपकी है घग्घर डिप्रेशन पर गांव सरदारपुरा से ठेठार के बीच में.....

घग्घर डिप्रेशन पर सरदारपुरा से ठठेर के बीच में पुल का निर्माण

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, पहले सूचना दी कि पर्ची नहीं निकली है। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आज तो मेरी पर्ची निकल गई।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र में गांव सरदारपुरा और ठेठार के बीच में घग्घर डिप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 10-12 वर्ष से पक्की रोड बनी हुई है और यह रोड पल्लू तक जाती है। इसमें एक मिसिंग लिंक और है। इसी रोड में यह जो रास्ता अवरुद्ध है जिससे 30-35 गांव प्रभावित होते हैं। गुसाईंसर गांव से मोटेर तक यह 8 किलोमीटर इसमें मिसिंग लिंक है और एक यह पुल है।

श्री अध्यक्ष: 8 किलोमीटर की कोई मिसिंग लिंक होती है क्या कहीं?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): रास्ते की बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह पुल बनने से मेरा कहने का भावार्थ यह है कि 40-50 गांवों के आवागमन का रास्ता वर्षों से रुका हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब भी पंजाब के अन्दर, हरियाणा के अन्दर फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो भी है, सारा का सारा घग्घर डाइवर्शन चैनल से चलकर के मेरे इन डिप्रेशनों में आता है और इन डिप्रेशनों में पानी आने के कारण 35-40 गांवों का रास्ता बन्द हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि पूरी बड़ी पुल नहीं बना सके तो कम से कम काजवे टाइप पुल जिसमें कम पानी आता है वो तो पाइप के माध्यम से नीचे से निकल जाता है। साइफन कह दो, काजवे टाइप पुल कह दो, उसका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर सरकार यह पुल बनाने का विचार रखती है तो 10-5 लाख रुपये मैं भी मेरे विधायक कोष से दे दूंगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह भी उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस घग्घर डिप्रेशन से पुल की चर्चा माननीय सदस्य ने की है....

श्री अध्यक्ष: उस दिन तो की नहीं जिस दिन डिमांड थी और आज कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 90 लाख रुपये अगर उस पुल का निर्माण करते हैं तो सरकार के लगते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय मंत्री महोदय ने इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद में उनका ये काम नहीं करते हैं तो यह तो बेजा बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष: धर्म परिवर्तन करा दिया तो क्या आपकी जिम्मेदारी है? अब आपकी जिम्मेदारी है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने इनका धर्म परिवर्तन करके धर्म भ्रष्ट कर दिया। आपने इनका धर्म परिवर्तन करके धर्म भ्रष्ट कर दिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं, धर्म तो भ्रष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, वह तो मुझे पता है, आप तो धर्म रखोगे ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनका धर्म तो सदैव से इधर ही था। ये आज से नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): और दुर्भाग्य है कि जब मौका आता है तो वह फूल मुझे नहीं मिलता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये निर्दलीय के नाम से जीते हैं और अब ये पीले वस्त्र ओढ़ रहे हैं। अब इन पर दया करो। पीले वस्त्र ले रखे हैं आपको राज़ी करने के लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी दया से काम उलटा भी हो सकता है। आप तो नहीं रखो दया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी दया इनके काम नहीं आयेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, न तो धर्म परिवर्तन हुआ है, मन परिवर्तन इनका सदैव से ही था और इन्होंने जितनी भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मैं समझता हूं, सदन में बिरले ही सदस्यों ने लड़ी होगी।

अध्यक्ष महोदय, घग्घर डिप्रेशन में ठठेर से सरदारपुर के बीच में जिस पुल की बात इन्होंने की है, यह पुल पहले बनाया गया राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा और 370 मिसिंग लिंक भी है और अगर इसको काजवे अप्रोच के रूप में बनाते हैं तो 90 लाख रुपये इस पर व्यय होंगे तो हम निश्चित रूप से इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर करेंगे और माननीय सदस्य ने जो कहा है कि 10 लाख रुपये ये देंगे और बाकी हम कैसे भी, किसी तरह से भी हम व्यवस्था करके इस पुल का निर्माण करायेंगे। बरसों से इनकी यह मांग है, इस मांग को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): धन्यवाद आपको।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों के एक विशेष मामले की ओर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): धन्यवाद तो देओ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): धन्यवाद तो दे दिया अध्यक्षजी को, सरकार को और आपने पैरवी की, सब को धन्यवाद दे दिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, काम तो इन्होंने किया है आपका।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं नहीं, सरकार को दे दिया धन्यवाद, मंत्री महोदय, सरकार को कह दिया, आप पीछे रह गये क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): काम तो हमने किया और धन्यवाद इनको। (व्यवधान) उनके मार्फत नहीं। धन्यवाद सीधे दो। धन्यवाद सीधे दो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैंने कहा, सरकार को सीधा दे रहा हूं। सीधा सीधा सीधा सीधा। जो काम करेगा, उसको धन्यवाद। जो उन्होंने पैरवी की, उसके लिए धन्यवाद कह रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सदस्य, पहले आप जनता दल में थे। आपने कौनसा अहसान किया है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): धन्यवाद तो आपको, सरकार कर रही है, मंत्रीजी कर रहे हैं। मंत्रीजी को तो धन्यवाद देना ही पड़ेगा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): धन्यवाद अभी दो, सीधा दो, यह क्या बात हुई। इनकी जब इच्छा होगी, तब देंगे। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इन्होंने जो पैरवी की है, उसके लिए धन्यवाद। उसके प्रति पीड़ा तो थी। उन्होंने मेरी पैरवी तो की है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके साथ सहानुभूति है। इन्होंने बड़ा दगा किया है आपके साथ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप तो इनका काम बिगाड़ने के लिए खड़े हुए हो प्रतिपक्ष के नेता महोदय, पर मंत्रीजी ने फिर भी कर दिया।

श्री अध्यक्ष: आपकी ज्यादा सहानुभूति इनको नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी ज्यादा सहानुभूति उनका नुकसान भी करती है नेता प्रतिपक्ष। इसलिए अब आप तो शांत ही रहो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने तो अपना धर्म निभाया है हमारा।

श्री अध्यक्ष: उनसे मिले हुए हैं? आपसे मिले हुए हैं वह? हां, आप बोलिये बोलिये।

अंतानगर में सोयाबीन के अमानक बीज का अनियमित विक्रय

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों का एक बहुत बड़ा मामला है। अंतानगर में 30.6.2006 को एक दुकानदार के यहां से अमानक बीज सोयाबीन का पाया गया जिस पर राजस्थान सीड कारपारेशन की टैग लगी हुई है लेकिन वह कट्टे खुले हुए थे। जब वहां किसानों को पता लगा कि सीड कारपोरेशन के कट्टे पड़े हुए हैं और वह खुले हुए हैं तो कलक्टर को शिकायत की, कमिशनर को शिकायत की।

श्री अध्यक्ष: यह अमानक सोयाबीन का बीज किसका था? सीड कारपोरेशन का था?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): हां, सीड कारपोरेशन की कट्टों पर टैग लगी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, जब पता लगा काश्तकारों को, सीड कारपोरेशन के बीज हैं, सीड कारपोरेशन की टैग लगी हुई है, सीड कारपोरेशन के कट्टों में वह भरा हुआ बीज है और वह बीज को एक दुकानदार बेच रहा था। न उस दुकानदार के पास एग्रीकल्चर विभाग का लाइसेंस है। जब यह पता लगा तो कलक्टर को शिकायत की, मंत्रीजी को भी फोन द्वारा सूचना दी। डी.ई.ओ. को सूचना दी तो कोटा से एक टीम आई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह टीम आने के बाद में उस सीड कारपोरेशन के फर्जी कट्टे थे, उन कट्टों को उन्होंने जब्त करने के लिए कहा। काश्तकार इकट्ठे हो गये लेकिन उन कट्टों को जब्त करके जो सीड कारपोरेशन के अमानक बीज थे, उस बीज के लिए कलक्टर ने एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज कराओ तो डी.ई.ओ. ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई। वह जो बीज था उसको वह जो दुकानदार था, उसी के सुपुर्दगी में दे गये। उसी की सुपुर्दगी में देकर, ऊपर से एक सील लगा दी। अध्यक्ष महोदय, जब दुबारा टीम आई तो देखा कि गोदाम में एक भी कट्टा नहीं रहा। सारा माल काश्तकारों को उसने बेच दिया और यह भी प्रूव हो गया जांच में कि वह वास्तव में सीड कारपोरेशन के कट्टे

(श्री हेमराज मीणा)

थे। अब मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि उसमें एफ. ई.आर. दर्ज नहीं हुई। एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए थी, क्रिमिनल मामला बनना चाहिए था कि वह दुकानदार के पास अमानक बीज कहां से आया? उसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हआ। उस दुकानदार के खिलाफ जो धंधा कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं सीड कारपोरेशन में, ऐसे घोटाले भी पाये गये हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। केवल उन्होंने उसका ट्रांसफर किया है लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ है। मेरे पास फोटो है कि वास्तव में सीड कारपोरेशन की ही टैग लगी हुई है, मेरे पास उसकी फोटो है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि उस अधिकारी के खिलाफ, कौन उस समय था, किस-किस की मिलीभगत से यह हुआ। कोटा सीड कारपोरेशन के अधिकारी भी उससे मिले हुए हैं, बारां सीड कारपोरेशन के अधिकारी भी उससे मिले हुए हैं। वहां पर जो सीड कारपोरेशन का बीज अमानक के रूप से निकाला जाता है, उस बीज को सीड कारपोरेशन से मिलकर, कट्टों में भरकर काश्तकारों को बेचा जाता है, ऊंचे भाव में बेचा जाता है। यह मामला है अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो, क्रिमिनल केस दर्ज हो और उनके खिलाफ बड़ी जांच हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मंत्रीजी, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें और उसको सस्पैण्ड करें। लेकिन वह लोग राजनीति में प्रभावशाली हैं। एक बार तबादला हो गया, दुबारा तबादला कराकर वहां फिर रहा है। उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही हो, यह मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह कौनसी पार्टी का प्रभावशाली है? कांग्रेस ऐसे भ्रष्ट आदमी का साथ कभी नहीं देती। अब यह बीजेपी वालों से पूछ लीजिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अब आप बैठ जाओ। आपका मामला नहीं है। आप काश्तकार नहीं हो। बैठ जाओ नीचे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप साफ कहिये। बेइमान पार्टी में मत जाओ, ईमानदार में बने रहो। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि वह कट्टे जब्त नहीं हुए। सीड कारपोरेशन का गोदाम था उस दुकानदार के पास, उसी गोदाम को सील कर दिया और पीछे उन कट्टों को बेच दिया, पीछे से काश्तकार को बेच दिया। काश्तकारों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वह सोयाबीन उगेगी या नहीं उगेगी? ऐसे लगभग 110 कट्टे सोयाबीन के पाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, सीड कारपोरेशन में पहले ऐसा होता आया होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता आया है। वह तो एक मामला पकड़ा गया, इसलिए मामला प्रकाश में आ गया। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि 23.6.2006 को 110 कट्टे वहां पर जिला विस्तार अधिकारी आर.बी. सिंह और एक सीड ग्रोअर किसान, जिसके बीज अमानक होने के कारण से सीड कारपोरेशन के द्वारा उसको वापस लौटा दिया गया था और वह उस सीड ग्रोअर ने अपने मकान और टैंट हाउस की दुकान है, उसमें यह बरामद हुआ था। यह बिलकुल सही है लेकिन मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा, इसमें दो अधिकारियों को प्राथमिक जांच में हम लोगों ने दोषी पाया है। उसमें एक आर.बी. सिंह, वहां का जिला विस्तार अधिकारी, जो सी.ए.डी. में था, दूसरा वहां पर जो प्लांट मैनेजर था शांति वर्द्धन माथुर, उन दोनों के खिलाफ हम लोगों ने जांच भी कराई है, उनको नोटिस भी दिया है और अध्यक्ष महोदय, जो बीज उत्पादक मुतव्वली जिनके पास में बरामद हुआ है, उससे भी हम लोगों ने पूछा है कि यह आपके पास कट्टे कहां से आये? लेकिन इसमें दोषी प्राथमिक स्तर पर हमारा आर.बी. सिंह, जिला विस्तार अधिकारी है। वह इसलिए दोषी पाया गया अध्यक्ष महोदय, कि उनको ज्योंही कट्टे प्राप्त हुए थे, उनको एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिए थी और उन कट्टों पर सील लगी हुई थी। उसको हटाकर उनको अपने कब्जे में लेना चाहिए था। इसलिए मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि उस अधिकारी के खिलाफ शीघ्र ही 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही प्रस्तावित कर कार्मिक विभाग को हम लोगों ने भिजवा दी है और जो दूसरा प्लांट मैनेजर शांति वर्द्धन माथुर था, उसका यह दोष रहा कि उसने आर.एस.एस.सी. के कट्टे हैं, अमानक घोषित होने के बाद जब उस काश्तकार को उसने लौटाये, उसकी राशि के 726 रुपये का नुकसान हुआ, उससे वसूली करवाई है और एक इन्क्रीमेंट असंचयी वृद्धि का हम लोगों ने रोककर उसका

(श्री प्रभुलाल सैनी)

निर्णय किया जा चुका है और एक अभी विचाराधीन चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शीघ्र ही कठोर से कठोर कार्यवाही उसके खिलाफ की जायेगी। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: व्यापारी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही। (व्यवधान) व्यापारी के खिलाफ एफआईआर...

श्री हेमराज मीणा: मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जो अमानक बीज बाजार में बेच रहा है दुकानदार, उसके खिलाफ भी तो कार्यवाही होती। दूसरा मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यह सीड कार्पोरेशन के अधिकारियों को और काश्तकारों को जो सीड बाजार से लेकर के और ग्रेडिंग करके जो देता है सीड कार्पोरेशन, उनकी मिलीभगत का मामला है, खाली कट्टे दे दो और उनको अमानक बीज को बेचते रहो। यह बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर: अध्यक्ष महोदय, चूहा आ गया, चूहा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: यह तो किसानों के साथ सरासर अन्याय है कि किसान, उसको सुपुर्दगी उन अधिकारियों ने उसी व्यापारी को सुपुर्दगी दे दी जो नकली माल बेच रहा था...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: केवल उनको नोटिस देने का काम किया है। किसानों का मामला है।

श्री केसर देव बाबर: अध्यक्ष महोदय, चूहा आ गया।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: तो उस व्यापारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

श्री हेमराज मीणा: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है..(व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर: विधान सभा में चूहा है।

श्री रामनारायण मीणा: मंत्री महोदय, आप अधिकारियों को मत बचाओ। वह कौन नेता है, किस पार्टी से संबंधित है जो उस अधिकारी को बचा रहे हैं। यह साफ नहीं करें जब तक आपको जवाब नहीं देना चाहिए। क्या वह भारतीय जनता पार्टी के हैं या दूसरी पार्टी के हैं। यह भ्रष्टाचार कौन सी पार्टी के नेता कर रहे हैं, पहले यह बताओ आप।

श्री केसर देव बाबर: अध्यक्ष महोदय, हाउस में चूहा आ गया।

श्री अध्यक्ष: क्या ?

श्री केसर देव बाबर: चूहा।

श्री अध्यक्ष: तो क्या हो गया। भाग जायेगा। चला जायेगा।

श्री केसर देव बाबर: अध्यक्ष महोदय, निकलवाओ उसको, इतना बड़ा चूहा है।

श्री रामनारायण मीणा: आप यह बताओ बीजेपी के नेता कितने भ्रष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: भगवान आपको तरक्की देगा, काश्तकारों के काम में कंजूसी मत करो, जो दोषी है उसको बख्शो मत, एफआईआर दर्ज कराओ।

श्री अध्यक्ष: हां-हां, सही है। दुकानदार के खिलाफ भी एक्शन लो।

श्री प्रभुलाल सैनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अभी...

श्री हेमराज मीणा: मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आप एक बार बैठें। मुर्तबा अली जिसके यहां पकड़े गये, वह यही धंधा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई और अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुई।

श्री अध्यक्ष: हो गई न बात। बात हो गई न।

श्री हेमराज मीणा: अधिकारी ने नहीं पकड़ा इसका मतलब उनकी मिलीभगत थी। डीओ वहां स्पाट पर मौजूद है और उनको ही कट्टे सुपुर्द किये इसका मतलब उसकी भी मिलीभगत थी। केवल नोटिस देने से और उनको ट्रांसफर करने से थोड़ा न काम चलेगा अध्यक्ष महोदय, और कठोर कार्यवाही होनी चाहिए उसके खिलाफ।

श्री प्रभुलाल सैनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बार-बार यह कह रहे हैं, उस व्यापारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई...

डा. सुरेश चौधरी: माननीय मंत्रीजी, अकेले व्यापारी के खिलाफ.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री प्रभुलाल सैनी: मैं जानकारी देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, वह व्यापारी नहीं था, वह सीड ग्रोअर है जो वहां पर सीड कार्पोरेशन का बीज को उगाता है और उसकी अमानकता 110 जो कट्टे थे जिनमें 40 क्विंटल के लगभग जो बीज था...

डा. सुरेश चौधरी: सीड ग्रोअर नहीं, वह....

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: अमानक था, यह तो अमानत में खयानत हो गई...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: अध्यक्ष महोदय, वह सीड ग्रोअर नहीं है, वह एक बीघा भी सोयाबीन का बीज पैदा नहीं करता है, वह बाजार से सोयाबीन खरीदता है, ग्रेडिंग करता है और सीड कार्पोरेशन के अधिकारियों से मिलकर के और टैग पैक करके काश्तकारों को बेचता है, यह काश्तकारों के साथ चीटिंग करता है, चार सौ बीस का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए। एक भी बीघा जमीन उसके खाते में नहीं है। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी: माननीय मंत्रीजी, वह चाहे सीड ग्रोअर हो, चाहे व्यापारी हो, लेकिन काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है वह हुआ है उन अधिकारियों की मार्फत और कृषि विभाग में खास तौर से आपके इस विभाग में जो आपके अधिकारी हैं, वह इस तरह से आपस में मिला हुआ काकस है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी की अगर शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता लिखकर एफिडेविट तक देता है उनको ऊपर के अधिकारी जाकर के धमकाते हैं कि तू तेरा एफिडेविट ठीक कर।

श्री हेमराज मीणा: अध्यक्ष महोदय, सीड ग्रोअर के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई, उसने यह अमानक बीज तो बेचा है। कट्टे भी सीड कार्पोरेशन से जारी हुए हैं तो उसके खिलाफ भी...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी: तो उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर हो। उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: एक मिनट अध्यक्ष महोदय। सीधी-सीधी बात समझ नहीं पा रहे हैं, यानि जो अधिकारी उस कट्टे पर मोहर लगाकर उसको प्रमाणित करता है कि यह बीज है..

श्री अध्यक्ष: उनके खिलाफ तो हो न एक्शन।

श्री रामप्रताप कासनिया: वह और बेचने वाला दोनों, छोटी सी बात है, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करिये। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी: माननीय अध्यक्षजी, आप खुद काश्तकार परिवार से हैं, काश्तकारों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है और उन भ्रष्ट अधिकारियों ने किया है तो आप आसन से इस तरह की व्यवस्था दें कि उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाय।

श्री हेमराज मीणा: उसको सस्पैण्ड क्यों नहीं किया। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी: एक मिनट, बैठिये।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये आप पहले। जवाब तो सुन लीजिये।

श्री हेमराज मीणा: अध्यक्ष महोदय, सीड कार्पोरेशन के इतने पड़े पड़ाये छाप लगी हुई है...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री प्रभुलाल सैनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि वह सीड ग्रोअर नहीं था, जैसी मुझे प्राप्त सूचना हुई है मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा उसको तीन लाट, लाट नम्बर 115, लाट नम्बर 70 और लाट नम्बर 152, लाट नम्बर 115 में 110 बैग में 44 क्विंटल अमानक बीज पाया गया और बाकी 108 जो था वह भी मानक बीज पाया गया और मानक बीज का सारा भुगतान उसको, किसान को और सीड ग्रोअर को कर दिया गया है और जो अमानक था माननीय अध्यक्ष महोदय, 110 कट्टे, उनको हमने सीज करने की कार्यवाही की लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाना बिलकुल गलत है कि किसानों के वह नकली बीज चला गया और उसका नुकसान हुआ। चूंकि वह उस सीड ग्रोअर के खुद के कब्जे से ही बरामद हुआ था इसलिए एफआईआर होने का प्रश्न नहीं उठता अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठता है कि अधिकारी ने लापरवाही करके उसके टैग को नहीं खोला और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 सीसीए की कार्यवाही हम लोगों ने प्रस्तावित की है और निश्चित रूप से कठोर से कठोर कार्यवाही होगी, यह सदन को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा।

श्री हेमराज मीणा: नहीं अध्यक्ष महोदय, सीड कार्पोरेशन के टैग लगे हुए अमानक बीज, उसको बेचने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उसने तो काश्तकारों से महंगा पैसा वसूल कर लिया। सीड कार्पोरेशन का जो महंगा बीज आता है उसका महंगा पैसा उस सीड ग्रोअर ने वसूल कर लिया, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही हुई, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनिया: अध्यक्ष महोदय, यह प्रमाण है कि उसने बेचा नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई प्रमाण सरकार के पास है नहीं। बेचा होगा, पता नहीं कितने कट्टे पहले बेच दिये होंगे, तो अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री

महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब सौ कट्टे तो आपने छापा मारा तब मिले, उससे पहले पता नहीं उसने कितने कट्टे काश्तकारों को बेच दिये। जो व्यक्ति सौ कट्टे प्रमाणित बीज नहीं है, फर्जी मोहर लगाकर अधिकारियों से मिल करके बाजार में ही तो सप्लाई करने के लिए, काश्तकारों को बेचने के लिए ही तो वह रखे हुए था, सौ तो आपके पकड़ में आ गये, हजारों जो बेच दिये...

श्री अध्यक्ष: विराजें। आप विराजें अब।

श्री रामप्रताप कासनिया: हजारों कट्टे बेच दिये।

डा. सुरेश चौधरी: माननीय मंत्रीजी, आप 16 सीसीए, 17 सीसीए का नोटिस तो अधिकारियों को ही देंगे न। उन अधिकारियों को पहले तो उस जिले से बाहर किया जावे। अगर वह अधिकारी वहां रह गये तो वह उन काश्तकारों को दबा लेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर जिले के बाहर कर दिये गये हैं, नम्बर एक...

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय मंत्रीजी, मेरी बात सुनिये पहले आप। आप पहले मेरी बात सुनिये।

श्री हेमराज मीणा: नहीं, कार्यवाही करें आप।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि जब वह कट्टे सील कर दिये थे तो फिर वह कट्टे कहां गये, सवाल यह है और कट्टे जब गये दूसरी जगह, इसका मतलब दोषी हो गया न।

श्री हेमराज मीणा: दोषी हो गया न। सीड ग्रोअर भी दोषी हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसका गलत अर्थ लगा रहे हैं..

श्री अध्यक्ष: तो सील तो किया था न आपने, गये कहां फिर।

श्री प्रभुलाल सैनी: जिसके कब्जे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माना कि वह लाइसेंसी नहीं था लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके पजेशन के उसके स्वयं के द्वारा उत्पादित वह बीज था, माना वह अमानक हुआ और अमानक होने के कारण से अधिकारियों का इतना ही दोष रहा माननीय अध्यक्ष महोदय कि उन्होंने टैग और उसके कट्टे खाली नहीं किये।

श्री अध्यक्ष: यह कम दोष है ?

श्री प्रभुलाल सैनी: तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय.....

डा. सुरेश चौधरी: चोर, चोर होता है, चाहे एक रुपये की चोरी करे, चाहे एक लाख की चोरी करे। (व्यवधान) इसलिए यह नहीं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी: यह कहकर नहीं बचा जा सकता कि उसका इतना ही दोष है।

श्री हेमराज मीणा: सीड कार्पोरेशन का नहीं है बीज। (व्यवधान) सर्टिफाइड बीज तो बेच दिया उन्होंने...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: जिसने अमानक बीज बनाया उसी को सुपुर्दगी में दे दिया।

श्री हेमराज मीणा: अमानक बीज को उसने बाजार में बेचा है। (व्यवधान) महोदय, अमानक बीज को उसने, सीड ग्रोअर को बेचा है उसने, वही तो...

श्री संयम लोढ़ा: आपको जितना अधिकारियों ने कह कर भेजा है उतना ही बोलोगे क्या। अध्यक्ष महोदय ने कह दिया और आपको क्या दिक्कत हो रही है कार्यवाही करने में। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसमें मामला यह है कि जो अमानक बीज बना रहा था, अधिकारियों ने उस माल को सीज करके उसी के कब्जे में वापिस सुपुर्दगी दे दी जो अमानक बीज बना रहा था और फिर उसने वह कट्टे उठवा दिये। जब वह कट्टे उठवा दिये और अमानक बीज बनाने वाला जो जिम्मेदार था उसके खिलाफ अमानत में खयानत का मामला क्यों नहीं दर्ज होता। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति सदन के अंदर नहीं है, एक बात थी, इन्होंने प्रारम्भिक जांच कराई, प्रारंभिक जांच के अंदर...

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न तो होता नहीं न।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मेरा निवेदन सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: तो जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मेरा एक सिद्धांत रहा है, मैं आपसे...

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कभी भी व्यवस्था का प्रश्न करें, आप उनको अलाउ करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं कह रही हूं कि जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न कहां होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मेरी बात सुन लीजिये। जिस तरीके से, अब मैं कैसे अपनी बात कहूं। या तो आप मुझे कह दीजिये कि मैं अपनी बात कह दूं। मैं एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर प्रारंभिक जांच हुई, प्रारंभिक जांच के अंदर उन्होंने कहा कि बीज जो था वह प्रमाणक नहीं पाया गया, लौटा दिया गया। आपने एक प्रश्न किया कि अब सील कर दिया था तो कट्टे कहां गये। (व्यवधान) हां-हां, यही कहा, सही है। (व्यवधान) एक मिनट रूको न अब आप। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: बीज अमानक था, वापिस लौटा दिया लेकिन सीड कार्पोरेशन के कट्टों में पैक करके टैग करके बीज को लौटाया इसका मतलब बदनियती सीड कार्पोरेशन की भी थी और वह जो काश्तकार था उसकी भी बदनियती थी और अधिकारियों की बदनियती थी कि मिलीभगत थी अधिकारियों की। सीड कार्पोरेशन के कट्टे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ था राजस्थान सीड कार्पोरेशन।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैं एक बात आपसे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बोलिये।

श्री प्रभुलाल सैनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने जो कहा, मंत्रीजी बोल रहे हैं। आप अपडेट कर लें माननीय सदस्य, कभी भी मैं सदन में वह नहीं बोलता हूं जो किसी ने मुझे कहा है लेकिन जो वास्तविक तथ्य है, जो कानून, जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के आधार पर मैं मेरे तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जब हमने कट्टे उसको लौटा दिये, वह उसने किसी को बेचे, किसी का ऐसा सबूत मिलता तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी और इतनी भी आपसे, सदन को जानकारी देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जिस सीड ग्रोअर ने इस प्रकार का कृत्य किया है उसको हम निश्चित रूप से, आज ही मैं इस सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं कि उसको ब्लेक लिस्टेड करेंगे, उसके खिलाफ अलग से भी कार्यवाही करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 16 सीसीए में इतनी बड़ी ताकत हुआ करती है अध्यक्ष महोदय कि सेवा पृथक तक की कार्यवाही की जा सकती है अधिकारियों के विरूद्ध। तो वह अभी विचाराधीन चल रही है, जब भी उसके परिणाम आयेंगे...

श्री अध्यक्ष: वह तो मान ली आपने। वह सवाल..

श्री प्रभुलाल सैनी: निश्चित रूप से अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दुकानदार का सवाल है। जो दुकान पर बेच रहा है उसका भी तो सवाल है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: अध्यक्ष महोदय, इतनी सी बात है कि जो सीड गोदाम में या सील कर दिया इन्होंने, डीओ ने गोदाम सील कर दिया, सील करने के बाद में वह जो काश्तकार था या इनका जो भी व्यक्ति था उसने उस बीज को अमानत में खयानत कर दिया, बीज को बेच दिया।

सीड कार्पोरेशन को महंगाई के अभाव में बेच दिया, उसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए और अधिकारी को नोटिस देने के बाद में, जवाब देने के बाद 16 सीसीए और 17 सीसीए खतम हो जाती है, सबको बचा दिया जाएगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय यदि (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रमाणित नहीं हुई है किस काश्तकार ने वह नकली बीज लेकर के उससे कुछ पैदा किया हो या काश्तकार को नुकसान हुआ हो, अगर किसी काश्तकार को नुकसान हुआ है तो बताइए कि कितने काश्तकारों ने नकली ले लिए और उससे उनको कितना नुकसान हुआ है? जांच कर ली कह दिया, जांच कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो? 110 कट्टे सीड कार्पोरेशन के पास बिके हैं और जितने काश्तकारों ने वह खरीदे हैं, उतने काश्तकारों को नुकसान हुआ है (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ (व्यवधान) सदन का उपयोग इसलिए होता है यहां पर प्रश्न यह है (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): 110 कट्टे बिके हैं, यह रिकार्ड में लिखा हुआ है, यह मंत्रीजी के जवाब में आया है (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, क्या प्रमाण है? यह जिस तरह से माननीय सदस्य कहे थे जब काश्तकारों का नुकसान हुआ है (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपने एक सदस्य के ऊपर तो जोर लगा दिया (व्यवधान) मैंने...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बात सुनिये तो सही।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैंने कल आपको फर्जी मस्टरोल उनको तो फेंक दिया और एक फर्जी उस मामले को लेकर उठा दिया, मेरा मस्टरोल, कितना सरकार को घाटा हो रहा था, फर्जी मस्टरोल डाला गया, जांच करने पर पाया गया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और आपने मस्टरोल को दूर रख दिया (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह कैसे कह सकते हैं? यह तो गलत बात है अध्यक्ष महोदय, सारी चीज प्रमाणित है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): प्रामाणिक चीज है, रिकार्ड में भी आया है लेकिन सीड चोर के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, 110 कट्टे (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ये पैरवी करना अच्छी बात नहीं है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): 110 कट्टे उसने बाजार में बेच दिये काश्तकारों को, काश्तकार के साथ चीटिंग हुई है.. (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): और इससे अध्यक्ष महोदय, जो पेस्टी-साइड है न, उनके सैम्पल लिए जाते हैं और आगे वह जो व्यापारी बेचने वाले हैं वह फेल करवा देते हैं, वह पास करवा देते हैं, सैम्पल को, यही होता है काश्तकारों के साथ वहां जाकर के पिटाई होती है। इस तरह से बीज में होती है, हम कोई सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वर्षों से ये अधिकारी जो इस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है उस पर रोक लगे, अध्यक्ष महोदय, हमारा आपके माध्यम से सरकार से इतना सा निवेदन है कि हम कोई यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने कोई व्यवस्था लागू कर दी, वर्षों से चली आ रही परम्परा है यह और मैं उदाहरण दे दूं मैंने स्वयं मेरे गांव में देखा है कि बिना प्रमाणित (व्यवधान) आपको पीड़ा हो रही है तो हम बैठ जाते हैं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आपको पीड़ा हो रही है, काश्तकारों की हालत खराब कर दी है आपने (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): पर मामला बहुत गंभीर है, हजारों को फर्जी बीज मिलता है (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): कोई कार्यकर्ता हो तो उससे क्या मतलब चोरी करेगा तो चोर होगा, बेइमानी करेगा तो बेइमान होगा (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह कोई तरीका है क्या? आपको पीड़ा हो रही है फर्जी बीज की (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, सीड कार्पोरेशन का फोटो भी मैं टेबल करना चाहता हूं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसकी यहां चर्चा हो रही है (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हद हो गई, हम कोई, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बिलकुल पता करवा लो किसका कार्यकर्ता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह हाउस किसी से बदला लेने वाला नहीं है (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह व्यवस्था पिछले 40 वर्षों से बरकरार है, यह परम्परा डाली हुई है और इन अधिकारियों की आदत पड़ी हुई है, पिछले 40 वर्ष से है, यह कोई एक दिन का मामला नहीं है (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): राजस्थान सीड कार्पोरेशन एक्ट (व्यवधान) ऐसा मामला है (व्यवधान) किसानों के पास यह बीज पाया गया तो फिर वह बीज गया कहां?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो अपनी पार्टी की मीटिंग में भी निपटा लेंगे, आपने बीजेपी का अखाड़ा बना दिया, ये यही मंत्री और यही मांगने वाले और आपने 45 मिनट लगा दिये, यह पर्चियों के माध्यम से (व्यवधान) और भी लोग बैठे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, चलो विपक्ष की यह मांग है तो उनको बख्श दिया जाएगा इससे, यह पीड़ा है इनकी (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह अपनी पार्टी के साथ मीटिंग में निपटा लेंगे, यह पूरा सदन का समय इसलिए रह गया है?

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

एक माननीय सदस्य: जुबेरजी आपने कांग्रेस के मुद्दे पर चार दिन विधान सभा नहीं चलने दी, यह काश्तकारों का मुद्दा है, आधा घंटा लग गया तो (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आपने चार दिन विधान सभा चलने नहीं दी, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, कोई-न-कोई कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें, श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर आज सरकार को वक्तव्य देना था माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि 23 तारीख को किसानों के मुआवजे के ऊपर सरकार वक्तव्य देगी, आपके सराहनीय प्रयासों से डेड-लाक तोड़ा इसके बाद 20 तारीख तय की, सरकार ने 20 तारीख को कहा कि 23 तारीख को वक्तव्य देंगे, ओलावृष्टि के मुआवजे के लिए और कल सब कमेटी बना दी, आखिर सरकार वक्तव्य देना क्यो नहीं चाहती? अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी (व्यवधान) 20 तारीख जब हमने आपको कहा था कि पैकेज की घोषणा कब करेंगे तब आपने कहा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था 23 को करेंगे, आज 23 तारीख हो गई, आज अख़बार पढ़ते हैं कि सब कमेटी बना रही है, आखिर सरकार इन किसानों के मुआवजे के पैकेज की घोषणा क्यों नहीं करना चाहती? जब आसन से व्यवस्था हो गई कि 23 तारीख को सरकार पैकेज की घोषणा करेगी तो आज सरकार बैठी है क्या आपको...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): स्वयं इनको लताड़ना चाहिए, यह आपकी व्यवस्था थी 20 तारीख को हमने पूछा था, आपने 23 तारीख के लिए कहा था, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है अध्यक्ष महोदय, किसान का प्रश्न है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, लोग धरने पर बैठे हुए हैं अभी तक (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज चक्का-जाम हो रहा है भीनमाल के अंदर और किसान का सब्र टूट रहा है, सरकार के ऊपर से भरोसा उठ रहा है (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के साथ दगा किया है (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार इस सदन में व्यवस्था दिए जाने के बाद भी आज की सरकार किसानों के प्रति बिलकुल गंभीर नहीं है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 20-20 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो 15 तारीख से लगातार और आप तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक बार आप बात तो सुन लें, मंत्रीजी खड़े हैं, उनकी बात सुनो तो सही, यह क्या तरीका है आपका?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): एडजोर्नमेंट मोशन दिया था आपने कहा सरकार वक्तव्य देगी, सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, सरकार ने कोई घोषणा की नहीं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये, सरकार खड़ी है, आप बिराजें तो सही।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने आज के लिए 23 के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया स्थान ग्रहण कर ले।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह सरकार नहीं है, सरकार गायब है अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय मंत्रीजी आपके मुख्य मंत्रीजी के पैकेज के बारे में कार्य सूची में कुछ नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जोइन्ट रेस्पोंसबिलिटी होती है, सरकार की जोइन्ट रेस्पोंसबिलिटी होती है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्षजी बात 23 तारीख की हुई थी और 23 तारीख रात को 12 बजे तक है, अभी कोई हाउस एडजोर्न नहीं हुआ है (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी उसी रोज खड़े हुए थे, यह बात हुई थी (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी घोषणा करेगी, मुख्य मंत्रीजी हैं नहीं आज, 20 तारीख को कहा 23 को करेंगे, 23 मार्च कहा था कि 23 अप्रैल कहा था यह तो बताओ कम से कम आप, जब किसान मर जाएगा तब घोषणा करोगे आप (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीनता है, आसन व्यवस्था के साथ मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, अकाल राहत मंत्रीजी नहीं हैं (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसा है अध्यक्ष महोदय, आपके सामने लाल-पीले हो गये राहत मंत्री कि आज नहीं दूंगा, 23 को दूंगा, 23 को दूंगा, सदन के अंदर आपके चैम्बर में मीटिंग हुई थी इन्होंने घोषणा की थी 23 तारीख को देंगे मतलब क्या है ये चाहते हैं कि 29 तारीख को वक्तव्य हो और सरकार भाग जाए, यह इनका स्टेटस है यहां पर (व्यवधान) यह नहीं चलने वाला है (व्यवधान) आप वक्तव्य दिलाइए, आपके बीच में यह बात हुई थी (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सरकार भागने वाली है, यह सरकार अब चलने वाली नहीं है (व्यवधान) यह सरकार किसानों को कुछ देना नहीं चाहती है, कुछ नहीं देना चाहती (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को बुलाओ हाउस में, मुख्य मंत्रीजी को बुलाओ (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): (व्यवधान) इस रास्ते से यह जा सकती है (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिना ओलावृष्टि का मुआवजा घोषित किए सरकार भागने की कोशिश कर रही है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बिलकुल गलत है, यह बिलकुल गलत है (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर सदन में नारेबाजी करना)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिलकुल सही है, बिलकुल सही है (व्यवधान) भागना चाहती है (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सरकार के पास देने को कुछ नहीं है, +++

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर सदन में नारेबाजी करना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (व्यवधान) ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 1.39 बजे 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

पुनः समवेत होने पर

(14.30 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: हां आप क्या कहना चाह रहे थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहने खड़ा हुआ था कि ओलावृष्टि पर वक्तव्य पहले भी सदन में हम कह चुके हैं कि 23 तारीख को देंगे। प्रभारी मंत्री भी कह चुके हैं। अब समय निश्चित करना आसन का काम है आप जो समय निश्चित करेंगे सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में समय आप बातचीत करके निश्चित कर दें और इसमें वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार का मतलब मुख्यमंत्रीजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार की मुखिया।

श्री अमराराम (धोद): वो तो कार्यसूची में आना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से मुख्य मंत्रीजी आयें सदन की नेता वक्तव्य दें या प्रभारी मंत्री वक्तव्य दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राजस्थान के किसानों के लिए ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने उस रोज कहा था मुख्यमंत्री जी देंगी। पैकेज की घोषणा वो करेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि परसों कामां के अन्दर भी ओलावृष्टि हो गयी और मुख्य मंत्रीजी यह चाहती थीं कि उसका भी इसमें समावेश कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस चीज की गंभीरता को देखते हुए एक कैबिनेट सब कमेटी बनी। कैबिनेट सब कमेटी ने भी आज सुबह बैठ करके अपना काम पूरा कर लिया इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि वक्तव्य सरकार की तरफ से आ जाएगा, आप समय निश्चित कर दें और आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष: सच पूछिये तो अप्रत्याशित रूप से सदन में जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ । मंत्रीजी खड़े हुए, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर खड़े हुए वो यह कहने के लिए खड़े हुए थे कि मुख्य मंत्रीजी आ जाती हैं और उसके बाद में स्टेटमेंट हो जाएगा। मुख्य मंत्रीजी यहां यदि विराजमान हों और मंत्रीजी यहां पर वक्तव्य दें तो क्या दिक्कत है?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत दिक्क्त है।

श्री अध्यक्ष: बताइये क्या दिक्कत है?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत दिक्क्त यह है कि हमने अपनी बात, माननीय अकाल राहत मंत्री की बात हमने एक बार नहीं दो बार सुनी और जो हमारा प्रिंसिपल मुद्दा था वो यह मुद्दा था कि राजस्थान सरकार सीआरएफ नोर्म्स के अलावा अपने बजट से किसानों को क्या राहत देना चाहती है और यह अनप्रीसीडेंस चीज हुई है आज दिन तक हम सीआरएफ के नाम से लोगों को कम्पंसेशन देते रहे। हम यह राजस्थान सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार के पास वित्तीय संसाधन की सुविधा है खजाना भरा हुआ है इसलिए सीआरएफ नोर्म्स के अलावा जो केश क्रोप किसानों की नुकसान हुई है जीरा, धनिया, ईसबगोल, सब्जी और जो किसान के अकाल राहत के जो रेवेन्यु विलेज को आधार मानकर के जो नुकसान में आप काउंट करते हैं वो उसमें काउंट नहीं किया जाए। क्रोप मिक्स क्रोप होती है ये जो आधार था इसलिए इसका फैसला मुख्य मंत्रीजी को ही कर सदन को आश्वस्त करना था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बना दी ।

श्री अध्यक्ष: नहीं मंत्रीजी यदि आपका देंगे और मुख्य मंत्रीजी यहां बैठी हुई हों और फिर यदि आपकी कोई इस तरह की बात हो जो स्पष्टीकरण आप चाहें पूछ सकते हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं ...(व्यवधान) नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Don't……(Interruptions)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): प्लीज अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिये बात। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये। यह गलत परम्परा चल रही है वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे रहें ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सुनिये आप। अध्यक्ष महोदय, आप बात सुनिये। अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) नहीं चलेगा हाउस यह क्या तरीका है अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी हाउस में नहीं आये ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस को सेक्रोसेंट है। आप हाऊस में नहीं आते हैं इसके अन्दर ये वित्त राज्य मंत्री जो बिल पायलेट करें और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टिर जवाब दें यह गलत परम्परा हम प्रारम्भ

कर रहे हैं। यदि राजस्थान के नोर्म्स को लेकर कोई फैसला करना है तो मुख्य मंत्रीजी को घोषणा करनी पड़ेगी। अकाल राहत मंत्री तो नोर्म्स की बात करते हैं या यह सरकार घोषणा कर दे इसी सरकार में गृह मंत्रीजी कहते हैं कि कलक्टर ने गुनाह किया, मुख्य मंत्रीजी फैसला करेंगी। नयी-नयी परम्परा हम प्रारम्भ कर रहे हैं तो हमसे पूछ रहे हैं आप। यदि सरकार का मतलब मंत्री है मुख्यमंत्री नहीं है तो आप प्रूव कर करिये अपने आपको।

श्री अध्यक्ष: अब आप दूसरों को तो बोलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जोशीजी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): दूसरे बोलें या नहीं बोलें मेरा अधिकार है पार्लियामेंट प्रैक्टिसेज का साउट हो रहा है तो मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) लिखा भी है वो ये भी बोल सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, ...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में कल मीटिंग हुई थी आपके चैम्बर की मीटिंग के बाद हमने कहा कि मुख्य मंत्रीजी बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी। आपके मंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं । आप अध्यक्ष महोदय, अपने चैम्बर में मीटिंग बुलायें और लीडर आफ दी हाउस आये नहीं और आप हमको गुमराह करके बात करना चाहें, दो-दो बातें नहीं होती हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) यह कहां तक उचित है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक सेकिण्ड।

श्री अध्यक्ष: नहीं मैंने पूरा भी नहीं किया। नहीं मैंने पूरी बात नहीं की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट विराज जाते।

श्री अध्यक्ष: नहीं एक मिनट नहीं। मैं आपको दूंगी मौका। इतने इम्पेशेंट होकर आप खड़े हो गये। मुझे पूरी बात नहीं कहने दी। मैंने कहा यदि माननीय मंत्रीजी देते हैं आपको वक्तव्य उसके बाद किसी प्रकार की कोई बात

(श्री अध्यक्ष)

पूछनी है, कोई क्लेरीफिकेशन लेना है उनसे कुछ कहलवाना है तो वो यहां रहें और उस बारे में जवाब दे दें। क्या दिक्कत थी इस बात में...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बिलकुल दिक्कत है फिर कह रहे हैं हम Don't give wrong practice.

आप खुद इस लोकतंत्र की परम्परा को कमजोर करना चाहते हैं सदन के अन्दर हाउस में आज आवे नहीं मंत्री, मुख्य मंत्रीजी कहां हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री भी यहीं हैं इनमें से किसी मंत्री के पास वित्त के अधिकार नहीं है। वित्त के अधिकार मुख्य मंत्रीजी में निहित हैं। दो परम्पराएं करना चाहते हैं एक भी पैसे की घोषणा वित्त मंत्री की स्वीकृति के बिना ये पार्लियामेंट्री मिनिस्टर नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा ...(व्यवधान) एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी को सुन लें।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में कहा है कि यह बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं सोनिया गांधी नहीं हूं कि सदन में बैठी रहूं। यह इस सदन का दुर्भाग्य है ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये नहीं कहा है ...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रदेश का किसान बरबाद हो चुका है आपको समय तय करने में क्या दिक्कत आ रही है? बतायें समय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि की पहली घटना नहीं है सरकार की संवेदनशीलता देखें अध्यक्ष महोदय, 36 करोड़ का पैकेज पहले दे दिया और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो पैकेज की घोषणा होगी वो भूतो न भविष्यति होगी ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हम इस बात को नहीं मानते। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये भाषण दें यह कोई तरीका नहीं है यहां पर आप हाउस को चलाना चाहते हैं? मत चलाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान का खजाना खुला है अध्यक्ष महोदय, भूतो न भविष्यति इस तरह के पैकेज की घोषणा होगी अध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इस सदन के अन्दर मुख्यमंत्री आकर भाषण देंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... एक मिनट सुनें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, नो-नो। बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: ...(व्यवधान) मैं भी सुना दूं दो बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप विराजें तो सही।

श्री अध्यक्ष: आप इनके कहने से बोलेंगे कि आसन के कहने से बोलेंगे? इनके कहने से बोलेंगे? क्या मतलब है जब मैंने पुकार लिया शिक्षा मंत्री को तो आप क्यों खड़े हो गये बीच में?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसका एक फर्क है वो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। जब यह कहा था कि 23 तारीख को सरकार वक्तव्य देगी, उसके बाद कल मुख्य मंत्रीजी ने पाँच मंत्रियों की एक कमेटी गठित करके सारी रिपोर्ट का जायजा लिया और उसके लिए राज्य के संसाधनों से और किसी संसाधन से उनको व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था की और सरकार ने सारी कार्यवाही करके इसको तैयार कर लिया। मुख्य मंत्रीजी यहां उपस्थित रहेंगी। सरकार का मंत्री वक्तव्य देगा सारा सामूहिक रूप से जो भी तय करना है किसान के हित में बहुत बड़ा पैकेज तय किया है इसके लिए किसान का नुकसान क्यों कर रहे हैं कि मंत्री बोलें कि मुख्यमंत्री बोलें ...(व्यवधान) बोल रही है सरकार बोल रही है। सरकार बोल रही है अध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) मत करिये। मत करिये। आपने हमको विश्वास में लिया है। आपने हमको विश्वास में लिया है कहा कि मुख्यमंत्री बोलेंगी। आपने विश्वास में लिया है हमको कि मुख्यमंत्री बोलेंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): और जो मुख्य मंत्रीजी रहेंगी तो जवाब भी देंगी इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि राजस्थान के किसान के हित में उनका स्टेटमेंट कराया जाए ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) हमको मुख्यमंत्री का विश्वास देकर बात की ...(व्यवधान) आप मत करिये। मत करिये कोई तकलीफ नहीं है। आपने खुद ने आश्वस्त किया है ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हम तो श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, श्रीमुख से फरमा देंगे तो क्या नुकसान हो जायेगा, क्या अहित हो जायेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उनका जो मुख है वही मेरे मुख से बोल रहा है, वही किरोडी लालजी के मुख से बोलेगा, वही बोलेगा जो सरकार की भावना है । अध्यक्ष महोदय, उसको सुनना चाहिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अगर श्रीमुख खुल जायेगा तो उससे ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपने जो कहा है कि ...

श्री अध्यक्ष: माननीय शिवचरणजी माथुर कुछ कहना चाह रहे हैं ।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के सम्बन्ध में जो स्थितियां राजस्थान में बनी मैं समझता हूं कि वह सब की चिंता का विषय है, कोई इससे इंकार नहीं कर सकता । लेकिन जिस तरह से सरकार ने उसको टालने वाली बात की... (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए आप, 12 तारीख से लगा कर 15 तारीख तक स्टेलमेट रहा, आपके बीच में बातचीत चलती रही । अंत में जहां तक मेरी जानकारी है आपको भी मालूम होगा कि यह तय हुआ था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां आकर एक घोषणा करेंगी । उन्होंने कहा था कि मैं खुद किसानों के हित में घोषणा करूंगी । उन्होंने घोषणा की और उसके बाद हमारे नेता ने भी उसका समर्थन किया । वह जो स्टेलमेट टूट था वह उनकी घोषणा के बाद हुआ था । इसलिए मैं समझता हूं कि वाजिब बात है कि यहां आकर वक्तव्य भी वही दें । अकाल राहत मंत्रीजी कहीं भी आपके सामने की बातचीत में मौजूद नहीं थे और जैसा

कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि मान लीजिए एन मौके पर मुख्य मंत्रीजी को कोई घोषणा करनी हो वह उनका अधिकार है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप जो प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब देंगी ।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): मैं आपको फलाना तारीख को, फलाने दिन, क्या हमने कहा, क्या भैरोंसिंहजी ने कहा, क्या सुखाड़ियाजी ने कहा यहां तो नहीं कह सकता, ऐसे मौके पर हम लोग आया करते थे और जो सदन की चिंता होती थी उसको मिटा कर घोषणा किया करते थे । इसमें ऐसी क्या बात है सदन को सर्वोपरि मानकर मुख्य मंत्रीजी को घोषणा करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी तीन बजे स्वयं स्टेटमेंट दे देंगी ।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): ठीक है, खतम हो गई बात ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन की आज्ञा सर्वोपरि है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे ताड़ना मिल रही थी कि आप अभी जोर-जोर से कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी घोषणा करेंगी । मैं बच गया ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ... (व्यवधान) माननीय सदस्य गांव को इकाई मानकर सहायता किसानों को नहीं दी जायेगी, सहायता इंडिज्युअल फार्मर को....

श्री अध्यक्ष: श्रीमान घनश्याम तिवाडी ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अंतर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ ।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ‘क’ 2006-07 का प्रतिवेदन क्र.सं. 15 से 18

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति ‘क’ 2006-07 के निम्नांकित चार प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1 सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय वर्ड सेन्चुरी एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना से संबंधित समिति का 15वां प्रतिवेदन ।

II प्राक्कलन समिति 'क', 2005-2006 के 11वें प्रतिवेदन में समाविष्ट नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 16वां प्रतिवेदन ।

III प्राक्कलन समिति 'क', 2005-2006 के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 17वां प्रतिवेदन ।

IV प्राक्कलन समिति 'क', 2005-2006 के 13वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 18वां प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास ।

महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2006-07 का प्रतिवेदन क्र. सं. 9 व 10

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2006-07 समिति के नवें एवं दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री हरलाल सिंह खर्रा ।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2006-07 का प्रतिवेदन क्र. सं. 4 व 5

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2006-07 के चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शकर सिंह राजपुरोहित याचिका का उपस्थापन करेंगे (अनुपस्थित) श्री रामनारायण मीणा ।

याचिकाओं का उपस्थापन

नैनवां तहसील के गांवों को बीसलपुर योजना से पानी विषयक

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित बीसलपुर-उनियारा पेयजल परियोजना से नैनवां तहसील के 50 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने बाबत् याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना एवं मांग संख्या 46 सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष: श्री सांवरलाल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी अनुदान की मांग संख्या 27 और 46 प्रस्तुत करेंगे ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,10,75,55,000/-(अक्षरे इकत्तीस अरब दस करोड़ पिचत्तर लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46 सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,9,95,74,000/- (अक्षरे उन्नीस अरब नो करोड़ पिचानवें लाख चौहत्तर हजार) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह राठौड ।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

मांग संख्या 27 एवं 46 पर विचार

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 पेयजल योजना व मांग संख्या 46 सिंचाई पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । कल 22 मार्च को विश्व जल दिवस था और विश्व जल दिवस के ऊपर मैं रहीमनजी का एक दोहा कहना चाहूंगा ।

'रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून
पानी गये ना ऊबरे मोती मानस चून ।'

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में सन 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे यहां भी कल विश्व जल दिवस मनाया गया । हालात क्या है और हालात की स्थिति क्या है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आज धरती के ¾ क्षेत्रफल में पानी है लेकिन उस पानी में से केवल मात्र ढाई परसेंट पानी ही मीठा है और जनता के पीने के लिये भी 8 परसेंट पानी ही मीठा है और पीने के लिये वह मिलता है । खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि धरती पर जो पानी है उसमें 97.5 परसेंट पानी महानगरों में है और महानगरों का पानी खारा है । पेयजल की गुणवत्ता में भी भारत का स्थान 120वां है व जल उपलब्धता में भारत का स्थान 133वां है । भारत में जल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। इसमें 60 के दशक के बाद तक 15 से 60 मीटर तक गिरावट दर्ज की गई है । प्रतिवर्ष 8760 घंटों में से 100 घंटे ही यहां बरसात होती है । भारत में प्रतिवर्ष जल उपलब्धता जल संसाधनों से 1951 में 52 लाख लीटर थी और आगे की अगर हम गणना करें तो 2050 तक 11 लाख 40 हजार लीटर हो जायेगी । मतलब सन 1951 में 52 लाख लीटर थी और 2050 तक अगर गणना करेंगे तो 11 लाख 40 हजार लीटर हो जायेगी । यह स्थिति पानी की बन रही है इसलिए मैं कह सकता हूं कि

'आसमान निगल गया या समुद्र पी गया,

दरिया तलाश करता है पानी किधर गया ।'

पानी के यह हालात हो गये । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के जो हालात हैं पूरे भारतवर्ष में अगर हम औसतन देखें तो पानी के लिये महिलाएं जो अपना समय खराब कर रही हैं वह सवा दो घंटे से लगाकर ढाई घंटे तक प्रतिदिन दूरस्थ स्थान से पानी लाने के लिये उसका समय खराब हो रहा है । भारत की 14 प्रमुख नदियों में 80 प्रतिशत पानी दूषित है और पीने योग्य नहीं है । भारत की 9 प्रमुख नदियों के घाट के आसपास रहने वाली करीब 20 करोड़ की जनसंख्या गंभीर जल संकट से आज भी जूझ रही है । भारत नदियों के जल को दूषित करने वाले खतरनाक जैविक रसायन सबसे अधिक बहाने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है । तेल 20वीं सदी का सबसे अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय रहा लेकिन जो 21वीं सदी आ रही है हम कह सकते हैं कि जो हालात और जो आंकडे आ रहे हैं उससे 21वीं सदी में जो हमारा पानी होगा वह तेल से भी महंगा होगा और पानी सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला, सबसे ज्यादा व्यवसाय करने वाला होगा । आज मैं कह सकता हूं

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कि अपने भारतवर्ष में पांच साल में बोतल बंद पानी की खपत तीन गुना व चीन में दो गुना बढ़ी है । भारत में 4 करोड बोतलें केवल मात्र मिनरल वाटर की बिक रही है । जिससे करोडों रुपये का मुनाफा हो रहा है और 21वीं सदी में जायेंगे तो तेल से भी ज्यादा मुनाफा पानी से होने लगेगा । यह पानी के हालात हैं और वास्तव में मैं कह सकता हूं कि पानी की जिस प्रकार की समस्या आज हमारे पूरे देश में है उसी को देखते हुए कर्नल टाड ने यह कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान, हमारे भारतवर्ष में 73 प्रतिशत आबादी को साफ पानी नहीं मिलता है और हर साल पाँच वर्ष से कम आयु के पचास हजार से डेढ़ लाख तक बच्चों की मौत का कारण दूषित पानी है।

राजस्थान के अगर हालात हम देखें तो राजस्थान के अंदर भौगोलिक क्षेत्र 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर जो देश के कुल क्षेत्रफल का दसवां प्रतिशत है। राजस्थान की जनसंख्या देश की 5.40 प्रतिशत है, पशुधन 18.70 प्रतिशत है, सिंचित क्षेत्र 13.88 प्रतिशत, खाद्यान्न उत्पादन 6.55 प्रतिशत है इसके बावजूद सतही जल संसाधन केवल 1.16 प्रतिशत है, यही कारण है कि प्रदेश की लगभग 94 प्रतिशत पेयजल योजनाएं भूजल पर आधारित हैं। आज की स्थिति, आज के हालात यह हैं, ऐसी हालत है पेयजल के लिए हो रहा है, भूजल दोहन के मात्र 8-10 प्रतिशत ही भूजल का उपयोग पेयजल के लिए हो रहा है, शेष खेती व अन्य उपयोग के लिए आ रहा है।

देश के कुल 227 मरू क्षेत्र के विरूद्ध राजस्थान में 85 ब्लाक देश के 23495 लवणीय है वह हैबीटेशन के विरूद्ध राजस्थान में 5488 लवणीय हैबीटेशन है। देश के 31306 फ्लोराइड ग्रस्त हैबीटेशन के विरूद्ध राजस्थान में 8900 फ्लोराइड ग्रस्त हैबीटेशन है जिन्हें विभाग द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न वृहद एवं घरेलू डिफ्लोराडेशन सेंटर लगाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रदेश के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक है, देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य, प्रदेश, हमारा राजस्थान है। बढ़ती आबादी, घटता भूजल, गिरती गुणवत्ता यह सारे कारण हैं, इससे हम कह सकते हैं कि फ्लोराइड वाले क्षेत्रों में फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। हालत यह है कि जहां फ्लोराइड की स्थिति है वहां स्थानों पर पानी पीने से लोगों के दांत पीले

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

पड़ जाते हैं चाहे वह वृद्ध हो चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो चाहे वह गरीब हो, हर वर्ग फ्लोराइड से अछूता नहीं रहता और उन्हें फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है जिससे कम उम्र के अंदर उनको मरना पड़ता है, यह हालत है।

वास्तव में जो फ्लोराइड की समस्या हमारे राजस्थान में बनी हुई है यह गम्भीर और चिंतनीय समस्या है। मैं इसलिए खास तौर से कहना चाहूंगा इस पानी के ऊपर दो-तीन लाइनें हमने जोड़ी हैं कि 'ईश्वर ने संसार बनाया उसमें पहले भी पानी था, जीवन की रचना थी जिसमें वह भी तो केवल पानी था, नदियां, झीलों, तालाबों में भी पानी था, तीर्थों, धामों, झरनों में, आंखों में भी पानी था, कहां गया वह पानी सारा क्या धरती निगल गई है या मानव की करतूतों से सारी हालत बिगड़ गई है, सूखी नदियां शुष्क सरोवर झरने क्यों मौन हुए हैं, पानी-पानी की पुकार से पत्थर छाती पिघल गई' ।

आजादी आई तो सोचा गांव-गांव गंगा आएगी, सूखे रेतीले खेतों में हरियाली फिर से छाएगी, यह आजादी आई और उसके बाद भी हरियाली नहीं आई। इतने समय तक राज करने वालों के लिए कह रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं, मां-बहनों को पानी हेतु अब दूर नहीं जाना होगा पर किसने सोचा था पानी की धारा संकट लाएगी, पानी की धारा का संकट आ रहा है लेकिन वसुन्धराजी के राज में अब यह समस्या नहीं रहेगी। पानी की समस्या का समाधान होगा, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो आज हालात, इस जल विश्व दिवस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वह हालात बने हैं उस हालात के और दूरगामी परिणाम हो रहे हैं या होने वाले हैं। दूरदृष्टि परिणाम होने वाले हैं। उन दूरदृष्टि परिणाम को देखते हुए राजस्थान की यशस्वी सरकार ने और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में बहुत बड़े अभियान चलाये गये, कई नीतिगत निर्णय इसमें लिए गए। मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जल चेतना यात्रा और किसान महोत्सव..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनिट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए। आज किसी को भी दस मिनिट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): किसान महोत्सव चलाया गया और उस महोत्सव के माध्यम से कई लोगों को प्रभावित किया गया। खास तौर से मैं राजस्थान पत्रिका का भी आभारी हूं कि उन्होंने भी अमृत जलम् अभियान चलाकर इसमें नई चेतना...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री भी वक्तव्य पढ़ रहे हैं और इनके अधिकांश एम एल ए भी पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके जैसे तो सब अनुभवी नहीं हैं, एक्सपीरियंस (व्यवधान) आप तो वरिष्ठ हो बिना पढ़े ही बोल देते हो। पहली बार आने वाले को छूट होती है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब ही यह परम्परा पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: पहली बार आने वाले को छूट होती है, आप क्यों एतराज करते हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हैल्दी ट्रेडिशंस रही है इस सदन की वह यह है कि मंत्री पाइंटस लेता है और फिर जवाब देता था, अब मंत्री क्या करते हैं कि सारा विभाग लिखकर दे देता है वो का वो ही पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अपने से तुलना मत करिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसका कोई अंत नहीं है। हमारे बहुत विद्वान है शिक्षा मंत्रीजी, कहां चले गए, हमारे राठौड़ साहब बहुत विद्वान है लेकिन सब वो के वो ही पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बस दो ही विद्वान हैं और कोई नहीं हैं क्या, दो ही विद्वान हैं यहां ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभी विद्वान है, एम एल ए साहब भी बहुत विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष: अकाल मंत्री नहीं हैं विद्वान ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभी विद्वान हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने अखबारों की कटिंग में से भी लिया है, कोई मंत्री लिखकर देते हैं वो नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एम एल ए साहब भी बहुत विद्वान है लेकिन विभाग से आपने लिया वह पढ़ रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ रही है वह स्वयं विद्वान है कि नहीं, आप बताइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ रही है कि वह भी विद्वान है कि नहीं, आप बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो हैं ही विद्वान।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता तो बोलना चाहते नहीं हैं, और जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष: एक मिनिट में बात समाप्त कर लें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं खास तौर से जल चेतना के बारे में चर्चा कर रहा था, अगर जल चेतना यात्रा का महत्व देखा जाए तो (व्यवधान) राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से मारवाड़ के अंदर जहां जल को किस प्रकार से भगवान मानकर पूजा जाता है और इसकी किस प्रकार से रक्षा की जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमने यह हालात देखे हैं और जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हालात देखे हैं कि मारवाड़ के अंदर विशेष तौर से चाहे जोधुपर हो चाहे बाड़मेर हो चाहे जैसलमेर हो यहां पर घरों में किस प्रकार से पानी को रखा जाता था और किस प्रकार से पानी को संजोकर रखा जाता था1 दो टांके रखते थे, एक में खारा पानी होता था और एक में मीठा पानी होता था। वह कभी यह नहीं भूलते थे कि हाथ धोना है तो खारा पानी लाना होगा और पीना है तो मीठा पानी लाना होगा, इस प्रकार से कार्य होता था।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल चेतना यात्रा के माध्यम से जो जन चेतना लाई गई है उसके अंदर 16 मई, 16 जून 2000 तक जल चेतना, किसान महोत्सव का आयोजन हुआ 357 मोबाइल वैन, 1800 गांव व 60 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया और 12 हजार, 1 लाख 26 हजार से अधिक, 31 जल संरक्षण कार्य लोगों की भागीदारी से कराये गए जो एक रिकार्ड है इसके लिए मैं मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 11951 रैलियां, 1958 फिल्म प्रदर्शन..

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह इतने सारे काम हुए इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जल चेतना के माध्यम से इतना शानदार काम कराया। मैं कहना चाहूंगा कि आज नीतिगत निर्णय हो रहा है, उन नीतिगत निर्णयों के अंदर भूजल के साथ-साथ आपने स्थिति देखी कि भूजल कम हो रहा है लेकिन आपने जो नीतिगत निर्णय किए उसके अंदर आपने सतही योजनाएं बनाकर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनाई है। उसके अंदर मैं कहना चाहूंगा दिसम्बर, 2003 से अक्टूबर, 2006 तक की अवधि में 9308 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत कुल 1184 पेयजल योजना स्वीकृत की गई जिनमें 5336 करोड़ रुपये

की लागत की 26 नई वृहद योजनाएं होंगी इसके लिए हम आभारी हैं आपके। विशेष तौर से जोधपुर के लिए मैं कहना चाहूंगा जोधपुर के अंदर लिफ्ट परियोजना का कार्य पूर्ण करने से कुल 12.50 एम सी एफ टी जल प्रतिदिन प्राप्त किया गया जिसके कारण शहर में पर्याप्त जल वितरण सम्भव हो सका है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा वास्तव में हालात यह थे कि जोधपुर शहर सारा पलायन करने को था लेकिन नहर का पानी आने से जोधपुर के दिन सुधरे हैं। जो नहर का पानी आया है उसी नहर के पानी में हमारे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी बड़ी-बड़ी जलपर्द्धो योजना बनने लगी है। मेरे यहां भी बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनी। शेरगढ़ तहसील में भी दो बड़ी योजना बनी, पानी पहुंचाया जा रहा है।

मैं कहना चाहूंगा खास तौर से हमारे प्रतिपक्ष को कि इन्होंने वहां पर शिलान्यास किए लेकिन वह योजना मंजूर नहीं थी अब वह योजना मंजूर हुई है तो उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। खास तौर से..

श्री अध्यक्ष: अब बहुत हो गया।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): खास तौर से दो-चार सुझाव मैं देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पहले तो आप कविताओं में फंसे रहे और अब आप कह रहे हो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं कटमोशन के माध्यम से उठाना चाहूंगा। पानी की जो समस्या थी उस समस्या के लिए यह कहना चाहूंगा समुद्र में लहरें उठे और आवे है ज्वार धोरा त्राहि-त्राहि करें पानी तेरी महिमा अपरम्पार। वास्तव में समुद्र में तो बहुत पानी है वहां लहरे उठती हैं, ज्वार आता है लेकिन धोरा त्राहि-त्राहि करती है उसकी तरफ अगर किसी ने ध्यान दिया तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी ने, सांवरलालजी ने कि इतनी महत्वपूर्ण योजना बनाकर हमारे यहां इतने काम आपने किए हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पेयजल के सुधार के लिए कुछ सुझाव

देना चाहूंगा। 4-5 मेरे सुझाव हैं वह आप ले लें। अभी बोलना बहुत था लेकिन अध्यक्ष महोदय, नये-नये लोग जब खड़े होते हैं तो इसी प्रकार से आपकी घंटियां बजती हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड हमारे काम हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय पर पहली बार जो अधिकार दिये हैं वह अधिकार चीफ इंजीनियर को 8 लाख तक इस बार दिए, पहले यह पावर नहीं थी कि आठ लाख तक की स्वीकृतियां निकाल सके। दो लाख के एडीशनल चीफ को दिए हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन अधिकारों को बढ़ाते हुए आप एक्स.ईएन. को भी पावर दें और एस.ई. को भी पावर दें। मुख्य अभियंता को जो 8 लाख की पावर आपने जिला मुख्यालय पर दी हैं उसको 25 लाख करें और अतिरिक्त मुख्य अभियंता को 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करें। अधीक्षण अभियंता, एस.ई. की 5 लाख करें और अधिशासी अभियंता-एक्स.ईएन. के 2 लाख करने की जरुरत आज है। मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय सदस्य, बस कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बस, 2-4 सुझाव दे दूं, बस।

श्री अध्यक्ष: सुझाव, बोल लिये ना आप, काफी बोल लिये। हर बात पर बोलते हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, सुझाव, इसलिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने तकनीकी स्वीकृति को बढ़ाते हुए, एक्स.ईएन. को 7 लाख के 30 लाख किये, एस.ई. के 25 लाख से एक करोड़ 20 लाख किये, एडिशनल चीफ के 50 लाख से ढाई करोड़ किये, चीफ के एक से 5 करोड़ किये। यह तकनीकी स्वीकृतियां हो रही हैं लेकिन ए. एण्ड एफ. निकालने के लिये कुछ पावर्स और कुछ अधिकार और बढ़ाने की जरुरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत हो गया, बस, माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती 15 वर्षों से नहीं हुई है। उसको आपको करना चाहिए और कनिष्ठ अभियंता 1988 से और डिप्लोमा की 1982 से भर्ती नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 10 मिनट ही पढ़ने की अनुमित होगी, उसके बाद पढ़ने की अनुमति नहीं होगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बस, दो मिनट। पेयजल योजनाओं के लिये आपने कई हैण्ड-पम्प, ट्यूबवैल, मैं कह सकता हूं कि पिछले 50 साल में शेरगढ़ तहसील में जितने नहीं हुए, उतना पेयजल का काम हुआ है और राजस्थान के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल में नहीं हुआ, उतना 3 साल में आपने काम करके दिखाया है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जनता जल योजना जो चल रही है, जनता जल योजना का जो मानदेय होता है, वह शुरू से ही 500 रुपये महीना मिल रहा है और 400 रुपये उसको ठीक कराने के लिये आप दे रहे हैं। सब जगह, चाहे वह पैरा टीचर्स हों, चाहे संविदा पर लगे हुए हों।

श्री अध्यक्ष: अब टीचर्स पर कहां चले गये आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सब का मानदेय बढ़ा है। लेकिन जनता जल योजना में काम करने वालों का मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाया गया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन पेयजल योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये आप 500 से 1500 रुपये जनता जल योजना में उस आदमी को दें और 400 से बढ़ाकर उसको आप हजार रुपये करें। यही मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा, और पानी के लिये खास तौर से आखिरी में निवेदन होगा, जो मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, कि जो आपने काम किया है उस काम के बारे में थोड़ा आखिरी में कह दूं, आंख के आंसू से दिल घबरा गया, खैर-ओ किश्ती में पानी आ गया। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे क्षेत्र में पानी के लिये बहुत अच्छा काम किया।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत। मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह सदन आज मांग सख्या-27 पेयजल और मांग संख्या-46 सिंचाई, इन्दिरा गांधी नहर सहित, मांगों पर विचार कर रहा है। मैं इन मांगों पर अपने विचार रखने से पहले इस सदन को एक शेर सुनाना चाहूंगा। एक शायर ने सही कहा है।

श्री अध्यक्ष: आजकल सब पद्य में बात क्यों करने लगे। सब लोग पद्य में बातें करने लगे आजकल, गद्य छोड़कर। कोई तो शेर सुनाता है, कोई कविता सुनाता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्रीजी भी करती हैं और आप भी कई बार करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शायर ने सही कहा है, शिक्षा मंत्रीजी जरा, तशनगी के भी मकामात हैं क्या-क्या, तशनगी मतलब प्यास।

तशनगी के भी मकामात हैं क्या-क्या यानी

कहीं दरिया नहीं काफी, और कहीं कतरा है बहुत।

एक तरफ राजस्थान में अपार पेयजल है, सिंचाई के लिये भी खूब पानी है तो दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां न पीने के लिये पानी मयस्सर है, न धरती माता की प्यास बुझ पा रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत है और जो भू-जल उपलब्ध है वह राजस्थान में केवल 1 प्रतिशत है। यानी क्षेत्र 10 प्रतिशत और जो पानी हमें अवेलेबल है वह केवल एक प्रतिशत। प्रदेश भर में 222 नगर और 4 हजार के करीब गांव। जो पानी उपलब्ध है, उस पानी में भी कहीं क्लोराइड, कहीं फ्लोराइड और कहीं नाइट्रेट, यही स्थिति पेयजल की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने दी है, यह हकीकत है कि राजस्थान के लोगों को जो पेयजल मुहेय्या कराया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा स्रोत और हिस्सा है तो वह हैण्ड-पम्पों के जरिये हम पीने का पानी लोगों को सुलभ करा रहे हैं। यह बात सही है कि मंत्रीजी हैण्ड-पम्प और बोरिंग देने के मामले में उदार हैं। जब कोई उनके समक्ष जाकर मांग रखता है तो उसको मान लेते हैं और दे देते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि हैण्ड-पम्प जितनी गहराई में होना चाहिए चाहे वह ठेकेदारों की कमी हो, चाहे अधिकारियों की। उसमें पहले ही जहां पानी का चुआ आ जाता है, वहां पर हैण्ड-पम्प छोड़ देते हैं। वह थोड़े दिन तो पानी आता है उसके बाद में पानी आना बंद हो जाता है। आज जो हैण्ड-पम्प है उनकी स्थिति यह है कि उसमें से कितने ड्राई हो गये, कितने अबन्डन हो गये। जब हम गांवों में जाते हैं तो इन पर काला रंग पोत रखा है, क्रास लगा रखा है। हमने पूछा जे.ईएन. और ए.ईएन. से कि इसका मतलब क्या है। कहने लगे कि साहब अब ये वापस नहीं चालू हो सकते हैं। यहां तो पानी बिलकुल नीचे चला गया और अब हमारे क्राइटेरिया और हमारे बजट में नहीं है कि हम इसको गहरा कर सकें। यह स्थिति हैण्ड-पम्पों की है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जहां तक पेयजल योजनाओं का सवाल है, मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपकी जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 2006-07 की जो पुस्तिका आपने जारी की, इस पुस्तिका का आप खुद अध्ययन कर लें, इस पुस्तिका से यह साफ जाहिर हो जाएगा कि जो पेयजल योजनाएं बनीं उन पेयजल योजनाओं का उदाहरण देखें कि जो विगत शासनकाल में 1998-99 की पेयजल योजनाएं हैं, चाहे वह फ्लोराइड नियंत्रण योजना, भिनाय-मसूदा की हो, जो आपके क्षेत्र की है, चाहे वह चूरू और बिसाऊ की परियोजना हो, चाहे वह चम्बल, धौलपुर, भरतपुर की परियोजना हो, चाहे मानसी वाकल परियोजना हो, जो 2001 में बनी, चाहे चम्बल, सवाई माधोपुर की योजना हो, चाहे जो भी योजना हो उन योजनाओं की स्थिति क्या होगी कि जो आपने 2004-05 और 2006 की योजनाएं बनाई उनका कार्य तो तेजी के साथ चल रहा है। हम तो आज तक यह सुनते थे कि हाकम बदल जाता है लेकिन हुक्म नहीं बदलता है। लेकिन क्या कारण रहा, मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा बनाई हुई योजनाएं हैं वह तो घोड़े की तेज चाल से दौड़ रही हैं और जो कांग्रेस शासन की योजनाएं बनी थीं, उन योजनाओं की स्थिति मैं कुछ बानगी आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

यह फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, नसीराबाद का द्वितीय चरण और फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, भिनाय-मसूदा क्षेत्र प्रथम चरण स्वीकृत हुए, अक्टूबर, 1999 में, अनुमानित लागत 43.99 करोड़ और मार्च, 2000 में इसको रिवाइज करके आपने 9.87 करोड़ और जोड़ दिये। तो यह 53.86 करोड़ होनी चाहिए थी। इसका जो कवरेज एरिया था वह 232 फ्लोराइड प्रभावित गांवों को 95 तहसील भिनाय के और 137 आपके विधान सभा क्षेत्र मसूदा के थे। 2 कस्बे विजय नगर और गुलाबपुरा भी इसमें थे। लेकिन आज दिसम्बर, 2006 तक 55 करोड़ रुपये, यानि 53 के अगेंस्ट में 55 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी केवल 53 गांव जुड़े हैं। वह ही इससे लाभान्वित हो सके हैं, क्या वजह रही।

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा उस जिले का चूरू और बिसाऊ, माननीय अध्यक्षजी भी उस जिले से आती हैं। हमारे नेता, प्रतिपक्ष भी उस जिले से आते हैं। मई, 1998 की हमारी यह योजना बनी और अनुमानित लागत 119 करोड़ थी और प्रभावित कवरेज एरिया 169 गांव जिसमें 89 गांव

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चूरू जिले के और 85 गांव झुंझुनूं जिले के थे। 3 कस्बे इसमें थे। एक चूरू, एक रतननगर, जिसको थेलासर कहते हैं और एक बिसाऊ। स्थिति यह है कि दिसम्बर, 2006 तक इसमें से केवल 77 गांव और 2 कस्बे ही लाभान्वित हो सके हैं। पैसा भी खर्च, 108 करोड़ हुआ है। क्या वजह रही कि 1998 से अब तक यह नहीं हुआ।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चम्बल, धौलपुर और भरतपुर जल प्रदाय योजना थी। जिसका उस वक्त के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी और तत्कालीन जल संसाधन मंत्री स्वर्गीय रामसिंहजी विश्नोई की उपस्थिति में पहाड़ियाजी थे, हम लोग थे, सब थे, उसका उद्‌घाटन हुआ। उसकी स्थिति और भी खराब है। मतलब जितनी बदतर से बदतर स्थिति हो सकती है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती। जुलाई, 1999 में यह योजना प्रारम्भ हुई, 166.5 करोड़ इसकी अनुमानित लागत रखी गयी और 212 गांव, जिसमें 143 गांव भरतपुर के, 69 धौलपुर के और एक कस्बा भरतपुर को भी इससे पानी मिलना था। आज क्या स्थिति है, यह स्वास्थ्य मंत्रीजी आपके पास आकर बैठ गये हैं। मित्रता तो निभाते हैं लेकिन एक बार भी इन्होंने आपको कहा कि भरतपुर को आज भी पानी नहीं मिल रहा है।

इस योजना का क्या हुआ? हमने पिछली बार भी आपसे बात की और जब आपने विधायकों की सम्भागवार मीटिंग बुलायी थी उस मीटिंग में भी यह बात आपके सामने रखी। आपने कहा कि पहले का यह जो ठेकेदार था वह फेल हो गया। अब हमने इसके दूसरे टेंडर कर दिये हैं और अब काम प्रगति के आधार पर हो जाएगा लेकिन आज तक स्थिति यह है कि इसमें ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं हुआ और कोई काम शुरू नहीं हुआ।

अगर तीसरा उदाहरण दूं, बीसलपुर-दूदू-फुलेरा योजना का। जून, 2002 में यह शुरू हुई। 216 करोड़ रुपये का इसमें बजट रखा गया लेकिन आज तक स्थिति यह है कि इसका कार्य जो है अभी तक चल ही रहा है, प्रगति पर ही है। यह स्थिति है और चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती परियोजना, वह मंत्रीजी भी आपके पड़ौस में बैठते हैं। अगल-बगल वालों का ध्यान भी आपको नहीं है। इसमें स्वीकृति जून, 2002 में हुई। अनुमानित लागत 240 करोड़ रुपये थी और स्थिति यह है कि इस परियोजना से सवाईमाधोपुर-करौली के 636 गांवों को और सवाईमाधोपुर शहर को लाभ मिलना था लेकिन अभी तक दिसम्बर, 2006 तक 240 में से केवल 44 करोड़ रुपये आपने खर्च किये

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हैं और अभी तक स्थिति यह है कि इसके अन्दर जो आपका काम होना था, जो लाभ मिलना चाहिए था वह लोगों को नहीं मिल पाया। यह मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं, इसी तरीके से आपकी जयपुर-बीसलपुर योजना है। जयपुर-बीसलपुर योजना, जिससे जयपुर शहर को पानी मिलना था। अक्टूबर, 1999 में यह लागू, इसकी अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपये रखी गयी और इससे जयपुर शहर को भी पानी मिलना था लेकिन आज तक स्थिति यह है कि 85 करोड़ रुपये मात्र दिसम्बर तक खर्च हुए हैं और इसके 8 पैकेज कर लिये, 6 पैकेज कर लिये लेकिन न जयपुर शहर को लाभ मिला, न और दूसरी योजनाओं का लाभ मिला।

इसी तरीके से आपकी और योजनाओं का हाल है। मैं कुल मिलाकर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह फर्क क्यों किया जा रहा है? आज स्थिति यह है कि आपकी बिसाऊ और चूरू की योजना थी। केवल बिसाऊ से जो झुन्झुनूं जिले के चार-पाँच गांव निरादनु गांग्यासर, आस-पास के जो गांव हैं, आपके उन पाँच गांवों को भी केवल उसका लाभ नहीं मिल पाया। बिसाऊ कस्बा तो आज तक जो है लाभान्वित हुआ नहीं। (व्यवधान) क्या हो गया ? तो मैं यह आपसे निवेदन कर रहा था ... (व्यवधान) बात कर रहे हैं, मंत्रीजी, जरा नोट तो करें।

ऐसी ही स्थिति जो है आपकी दूसरी योजनाओं की है तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि कुल मिलाकर आप इस स्थिति के ऊपर ध्यान देंगे और देकर इसके आधार पर इसको तुरन्त प्रभावी ढंग से लागू करने का काम करेंगे।

जहां तक पाइप लाइनों का और हैण्डपम्पों का सवाल है, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, चाहे स्वास्थ्य मंत्रीजी के गांव की बरखेड़ा फौजदार की योजना है, मेरे यहां की एक आपके नीम की सोमकी की योजना है। आपके बनेनी की योजना है, कोई आपकी टेक्निकल कमेटी में है, कोई एफ.सी. कमेटी में है। कई बार कहने के बाद भी आज तक उन योजनाओं का लाभ नहीं हुआ। न आज चम्बल से भरतपुर को पानी मिल रहा है। न जो है पूरे तरीके से नगर कस्बे को पानी मिल रहा है उससे और हमारी चार-पाँच तहसीलें डीग, नगर, पहाड़ी और कामां, इसके अन्दर तो इतना दूषित पानी है कि इसमें ज्यादातर गांवों के अन्दर बहुत ज्यादा फ्लोराइड है और हैण्डपम्प के अलावा आपके पास कोई साधन नहीं है। आज भी वहां पर टेंकरों से पानी सप्लाई किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हैण्डपम्प देते हैं। आप बोरिंग देते हैं लेकिन स्थिति यह है कि फरवरी और मार्च तक वह कम्पलीट हो जाने चाहिए ताकि अप्रैल, मई और जून के अन्दर गर्मी में उसका लोगों को लाभ मिल जाए लेकिन आप उठाकर देख लें। जुलाई और अगस्त के अन्दर काम शुरू होता है। लोगों की जो पानी की पीड़ा है वह पूरी तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं उसके बाद कहीं सम्पर्क करते हैं तो कहते हैं कि पाइप नहीं है। कहीं कहते हैं कि रिग नहीं है। कहीं मशीन नहीं है। आपकी स्थिति यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि मेरे यहां खोरी और बुढली जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ड्रीलिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। जब भी बात करोगे तो आज मशीन भीलवाड़ा गयी है। वह मशीन वहां से आएगी तब जाकर उसका काम होगा तो वह ... (व्यवधान) अभी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। 12 मिनट हो गये हैं माननीय सदस्य, आपको बोलते। आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो क्या हो गया? अभी तो सिंचाई पर तो मैं आया ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो पेयजल ही चल रहा है तो यह तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं आएंगे आप तो। आप नहीं आएंगे लेकिन आपके सचेतक ने मुझे लिख कर दिया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, यह नियम आज ही लागू हुआ है या रोज रहेगा? एक-एक घंटे तक बोलते रहते हैं लोग तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके सचेतक महोदय ने लिख कर दिया है कि किसी को भी दस और पन्द्रह मिनट से ज्यादा बोलने का मौका नहीं दें इसलिए मैंने आपको 12 मिनट के बाद टोका है। दो मिनट में आप समाप्त करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी तो समय बाकी है। पूरा होने के बाद बताते न आप। तो मैं माननीय मंत्रीजी, आपको एक शेर के माध्यम से ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी सम-दृष्टि रखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कई

माननीय सदस्यों को तो 30-30 मिनट दे देते हो और फिर बाकी पीछे वालों को पांच-पांच मिनट देते हो आप।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं कहां दे रही हूं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, मेरे पर आपत्ति है क्या आपको ? नहीं, क्या है फिर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं कहां दे रही हूं? लेकिन आपने देखा नहीं था? आपने अभी पहले पूर्व में माननीय सदस्य को देखा नहीं था? कितनी बार घंटी बजायी? क्या असर पड़ा उसका? उसी तरीके से 12 मिनट हो गये। अब मैं कह रही हूं कि भाई, दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। अब यह कह रहे हैं कि मैंने तो शुरू ही किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष: आपके दोस्त जो हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का आज ही है या कल है?

श्री अध्यक्ष: आज। आज।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कितने बजे?

श्री अध्यक्ष: अभी इनका भाषण समाप्त हो जाए उसके बाद।

एक माननीय सदस्य: तीन बजे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, इस तरीके का भेदभाव ठीक नहीं है। एक शायर ने सही कहा है कि-

दुश्मनी जमकर करो, मगर यह गुंजाइश रहे,
जब कभी फिर हम एक हों तो शर्मिंदा न होना पड़े।

इसलिए आप जो यह भेदभाव मत कीजिए। पहले भी एक थे, आगे भी एक हो सकते हैं इसलिए यह जो हमारी योजनाएं 1998-99 में शुरू हुई हैं उनको जरा गम्भीरता से लेओ और उनको शीघ्र शुरू कराने का काम करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आ सकते हैं न हमारे साथी, क्या दिक्कत आ गयी? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पहले भी आप हमारे साथ थे, अब फिर आ सकते हो। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हां, जनता दल के वह दिन याद आ रहे हैं आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह समय काट दें, आठ-दस मिनट जो डिस्टर्ब हुआ जो तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब समय कम है तो मैं सिंचाई के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक तरफ इंदिरा गांधी नहर है। एक तरफ भाखड़ा, एक तरफ माही, एक तरफ चम्बल, एक तरफ गंग केनाल और इन नदी और नहरों के मुकाबले में आप जरा पूर्वी राजस्थान को देखें। पूर्वी राजस्थान, जिसमें सात जिले आते हैं। भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और दौसा। मुझे जरा आप बता दें अपने जवाब में कि वहां पर एक भी कोई योजना सिंचाई की या पेयजल की आपने आपके सत्ता में आने के बाद बनायी है क्या? वह आप मुझे बता दीजिए। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इनके मुकाबले इन सात जिलों की स्थिति देखें। धौलपुर में पार्वती डेम, हिण्डौन में जगर का बांध, जयपुर में जमवारामगढ़, अलवर में जयसमंद और भरतपुर में बंध-बारेठ, यह स्थिति है जो सब रियासत काल के बने हुए हैं। इनका पानी भी आप पेयजल के रूप में दूसरी जगह ले रहे हैं। जब सन् 1956 में और सम्वत् 1962 में अकाल पड़ा तब भी यहां के सिस्टम को यूनिक माना जाता था और यहां किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। आज स्थिति क्या हो गयी कि गम्भीर और बाणगंगा और रूपारेल, तीन नदियों से, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप मदद करने के बजाए इनको बातों में और लगा रहे हो। मैं तो आप ही की वकालत कर रहा हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गम्भीर, बाणगंगा और रूपारेल से पानी मिलता था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष उधर भी देख रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): भरतपुर को इन तीन नदियों से पानी मिलता था जो संसार का यूनिक सिस्टम था। अब गम्भीर पर आपने

पांचना का बांध बना लिया। उससे पानी मिलना बंद हो गया। आपने एक एनीकट बनाकर बाणगंगा का, रोक दिया और रूपारेल का पानी जो है, आ ही नहीं रहा है जब से तरुण सेवक समाज ने वह बनाया था। कुल मिलाकर यह है कि हमारा जो सीकरी सिस्टम था, वह बिलकुल गड़बड़ा गया और जो पानी ककड़ा बाँध तक या सीकरी सिस्टम में यह अचेवर वाली नहर से मिलता था, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़गांव केनाल का जो पानी आप हरियाणा से लेते हैं उस पानी को आगे बढ़ाकर सीकरी सिस्टम में डालने की योजना बनायें ताकि नगर, डीग और भरतपुर के दूसरे जो क्षेत्र हैं उनको इसका पानी मिल सके और वहां का काश्तकार बरबाद नहीं हो, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर स्थिति यह है सिंचाई की कि हिस्सा जो राजस्थान का दूसरे स्टेटों से मिलता था, रावी और व्यास से, सतलज-भाखड़ा से, चम्बल से, माही से, नर्बदा से और यमुना से, दूसरे प्रदेशों से जो राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी मिलता था आज स्थिति यह है, मैं नहीं जाना चाहता कि पोंग बांध की और हरिके बेराज की स्थिति, कल तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात यहां पर रख दी लेकिन आज आशंका यह है कि चूंकि पंजाब में जब चुनाव हुए अकाली दल ने और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से मिलकर चुनाव लड़ा और उस चुनाव में दोनों ने संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया और उस घोषणा-पत्र पर माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पंजाब में जाकर और वोट मांगकर आयीं उसमें अकाली दल और बी.जे.पी. ने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। आज यह आशंका जताई गयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त घोषणा-पत्र में नहीं है। संयुक्त घोषणा-पत्र में यह नहीं है। गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): संयुक्त घोषणा-पत्र में नहीं है। संयुक्त घोषणा-पत्र देखें आप। (व्यवधान) घोषणा-पत्र टेबल कर दें आप, संयुक्त घोषणा-पत्र में है या नहीं है पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हां, अकाली दल के घोषणा-पत्र में यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्यगण, कृपया, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण।

श्री रामप्रताप कासनिया : गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अब आप कृपा करके एक मिनट में कंक्लूड करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं दो ही मिनट में, सिर्फ दो मिनट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को पेयजल का पानी मिलता है । अगर हमको पंजाब से यह पानी नहीं मिला तो पश्चिमी राजस्थान के पांच जिले बरबाद हो जायेंगे और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि पंजाब में अकाली दल और बी जे पी की सरकार ने यह घोषणा की है कि हम राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देंगे और उस स्थिति में जब हमारी मुख्य मंत्रीजी वहां जाकर वोट मांगकर आईं कि उनके चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री और मुख्य मंत्रीजी इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त करें ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत कथन कह रहे हैं न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी घोषणा पत्र में है, न ही संयुक्त रूप से जो अभी आया है उसमें है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं वह भी बता दूंगा आपको। मुख्य मंत्रीजी कहें, यह बात कि इन्होंने वोट मांगे या नहीं मांगे। वहां संयुक्त रूप से मिलकर चुनाव लड़े हैं। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी पंजाब जाकर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके प्रधानमंत्री भी गये हैं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य, आपको बताऊं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप अपने जवाब में कह दीजिये यह बात। (व्यवधान) आप अपना जवाब दें तब कह दीजिये। आपको मौका मिलेगा । अभी मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान) मेरा समय क्यों ले रहे हैं ? (व्यवधान) हाउस मेरे पजेशन में है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी हर शंका का समाधान किया जायेगा। (व्यवधान) राजस्थान की जनता का कोई अहित नहीं होने देंगे हम।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी खुद यह बातें कहें कि भले ही हमने पंजाब में संयुक्त रूप से सरकार में वोट मांगा हो, लेकिन अगर अकाली दल पानी रोकेगा तो हम उससे लड़ाई लड़ेंगे और राजस्थान की जनता को उसका हक दिलायेंगे। मैं यह तो निवेदन करना चाह रहा हूं। आप यहां पर संयुक्त प्रस्ताव लाने की बात करते हो, फिर इसमें कहां दिक्कत आ गयी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आपको सारी बात बता देंगे न। आपके मुख्यमंत्री तो कभी खड़े होकर बोले ही नहीं, पांच साल हमने देखा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जब मैं बनूंगा तब खूब बोलूंगा, सुन लेना आप। मैं बनूंगा तब आपसे ज्यादा बोलूंगा, सुन लेना आप।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप भी ऐसे ही देखते थे। कोई नहीं सोच सकता था आपको। हां, आप भी ऐसे ही देखते तो आपको कोई उम्मीद थोड़े ही थी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप वापस हमारे साथ आ जाओ। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजनीति में कुछ नहीं होता है। राजनीति में सब समय पर मिल जाता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके युनूस खान की हालत देख लो, इनका क्या करोगे ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सत्ता का अंहकार नहीं करना चाहिये। सद्दाम हुसैन 1700 एकड़ के बंगले में रहता था, 10 फीट की कोठी में भी उसको रहना पड़ा। इसलिए राजेन्द्रजी सत्ता के अंहकार में मत रहिये। 'जो होवे घमण्डी तो वह बेगो होवे खण्डित'

श्री रामप्रताप कासनिया : यह बात सही है आपकी, समय का पता नहीं लगता है। हमारे लिये भी कभी हैलीकाप्टर तैयार थे ।

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपा कर समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह निवेदन करना चाह रहा था सिर्फ एक मिनट लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हाउस को कंट्रोल करना तो आपका जिम्मा हे, मेरा तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप कहिये न अपनी बात।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तरराज्यीय यमुना जल बंटवारे के तहत यमुना जल में से राजस्थान का हिस्सा 119 बी सी एम तय किया गया है जिसमें से राजस्थान को वर्षाकाल में 3198 क्यूसेक पानी मिलेगा। इसके उपयोग हेतु 500 क्यूसेक क्षमता की गुडगांवा नहर का निर्माण किया जा चुका है। गुड़गांवा नहर के शेष कार्यों को यमुना जल परियोजना भरतपुर में सम्मिलित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: अब आप तो पढ़ने लग गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भरतपुर को यमुना का पानी गुड़गांवा कैनाल से उसकी क्षमता सुधार कर देना चाहते हैं तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। अन्त में मैं आपकी एक योजना पर ..

श्री अध्यक्ष: अब नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सिर्फ आधा मिनट । आपकी जो जवाहर रोजगार योजना है पेज 68, जरा इसका अवलोकन माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी करतीं तो अच्छा होता। इसमें कुल स्वीकृत कार्य अजमेर जिले में 151 थे, आपके जिले से ही शुरू कर रहा हूं, जहां से आप आते हैं। उसमें से 2006 तक केवल आपने 64 कार्य पूर्ण किये हैं, 87 बाकी हैं। आधे से ज्यादा, यह तो आपके जिले का हाल है। अब बाड़मेर में 21 में से 20 बाकी हैं, धौलपुर में 78 में से 45 बाकी हैं, श्रीगंगानगर में बड़े जोर से बोल रहे थे अभी कृषि राज्य मंत्री बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे 15 के 15 अधूरे पड़े हैं। एक भी पूरा नहीं हुआ। आपको शर्म आनी चाहिये मुझे कहने से पहले, अपने देखो आप उठाकर। करौली में 3 के 3 बाकी पड़े हैं। आपके नागौर में 68 में से 41 पेंडिंग हैं। क्या स्थिति है, यह कब पूरे होंगे ? आखिर 98 से लगाकर 2006 तक यह पेंडेंसी आपकी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अंत में

श्री अध्यक्ष: अब कोई निवेदन नहीं। अब आप समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इस पेयजल और सिंचाई पर जो ठेकेदार समय पर अपना काम पूरा नहीं करते हैं, उनके साथ नरमी का व्यवहार नहीं करिये, सख्ती का व्यवहार कीजिये। उनको ब्लैक लिस्टेड कीजिये। बढ़िया सामग्री लगवाइये और राजस्थान के आने वाले गर्मी के मौसम में लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवायें। जब ही जाकर यह माना जायेगा कि वाकई में आपने अच्छा काम किया । आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था कि ओलावृष्टि पर वक्तव्य।

श्री अध्यक्ष: हां-हां, दिया है मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन की नेता दें, मेरी प्रार्थना है कि प्रभारी मंत्री महोदय भी बैठे हैं । अगर आप इजाजत दें तो पहले यह कहें वरना आपकी आज्ञा है तो यह दे रहे हैं। आप नाम पुकार लें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज्ञा क्या मांग रहे हो, अध्यक्षजी ने कह दिया था मुख्य मंत्रीजी तीन बजे देंगी।

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जैसे मैंने कहा है बैठिये।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि आज सदन को इसलिये स्थगित करना पड़ा है कि जो स्टेटमेंट हमने तय कर लिया था कि 23 तारीख को हम देने वाले हैं । आपको भी इन्फोर्मेशन हमने दी थी, उसको हम देने वाले ही थे, परन्तु इस चीज के ऊपर यह हाउस स्थगित कर दिया गया, सिर्फ इसी वजह से कि मैं दूंगी वक्तव्य कि डाक्टर साहब देंगे वक्तव्य। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब यह तय हो गया था कि हम लोग आज वक्तव्य देंगे, नेचुरली जो प्रभारी मंत्री हैं, वह वक्तव्य देंगे । फिर भी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी बार यहां मंत्रिमण्डल की कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बात हमारे सामने रखी है। मैं मानती हूं कि यह है भी, कि मंत्रिमण्डल की कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

होती है। इसलिए हमने यह तय करा दिया था कि मंत्रीजी अच्छी तरह से अपना पूरा वक्तव्य बनाकर सदन के सामने अपनी बात रखेंगे, परन्तु इसी के ऊपर आज सदन का समय खराब हुआ है । प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर इसके ऊपर सदन का समय आप लोगों ने खराब किया, यह कहां तक उचित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यहां कहना चाहूंगी कि सदन के सामने और आसन के सामने हम सब छोटे पड़ जाते हैं और आपने जो भी व्यवस्था दी, हम वक्तव्य देने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं और मैं यह कहना चाहूंगी कि ओलावृष्टि की घटना इसी शासन में नहीं हुई है, परन्तु मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी ओलावृष्टि हुई। किसान की पीड़ा हम लोगों ने समझने की कोशिश की। इनके दर्द को मालूम नहीं, आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा, परन्तु हम लोगों ने समझा, क्योंकि हम तो खुद भी गये। सुबह 6 बजे तक ओलावृष्टि हुई थी, हम लोग 11-11.30 बजे निकल गये थे। मैं भी खुद गयी थी। उस दिन प्रभारी मंत्री भी वहां पहुंचे थे और उसके तुरन्त बाद आप लोगों को बताकर हमारे राज्य मंत्री, फिर हमारे मंत्री, हमारे सेक्रेट्रीज, पूरे अगले 6 दिन के अंदर जगह-जगह घूमकर वहां से खबर लाकर वापस आये और तत्काल हम लोगों ने 14 तारीख को इन्टरिम रिलीफ के नाते अनाउंसमेंट कर दिया। घोषणा करके हमने पीड़ित किसानों को कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश भी की और यह मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे संसाधन हैं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह किसानों की सरकार है, यह संसाधन भी किसानों के ही हैं । हमारे पास जो पैसा है, वह हमारे अकेले का पैसा नहीं है, हमारी जनता का पैसा है, हमारे किसानों का पैसा है। इसलिए उन तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। सी.आर.एफ. के निर्धारित नोर्म्स के अंदर हम संशोधन कब से कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी। प्रधान मंत्री के स्तर पर चिट्ठी लिखी। जाकर मैं उनसे मिलकर आयी। 2005 के अंदर हम लोगों को यह आश्वस्त किया गया था कि नोर्म्स को फिर से हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। 2005 से लेकर अब एक साल निकल गया परन्तु हम तक यह खबर नहीं आयी है कि सी.आर.एफ. के नोर्म्स कुछ बदले हैं कि नहीं बदले हैं।

मैं तो यह मानती हूं कि माननीय सदस्य अपनी पार्टी के लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करके यह कोशिश करें कि इतनी सारी मुसीबतें राजस्थान के किसान उसमें से गुजर रहे हैं तो उनको कुछ तो मदद सेण्ट्रल गवर्नमेंट

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करे। मैं समझती हूं कि सरकार के अन्दर और हम लोग सब उनके बहुत ही आभारी होते कि आज तक अगर इन्होंने एक भी चिट्ठी लिख दी होती या उन तक जाकर यह बात भी पहुंचा दी होती। हमारी बात अभी तक गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने मानी नहीं है और क्या होता है 800 रुपया, क्या होता है 10,000 रुपया। मैं समझती हूं कि किसान की अपन यहां बात उठाते हैं परन्तु एक्चुअली फील्ड के अन्दर क्या करते हैं वो सब के सामने है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है इसलिए अपन कितनी भी भाषणबाजी यहां कर लें, कितनी भी नाटकबाजी करने की अपन कोशिश करें, कितनी भी बात हम एक-दूसरे के सामने रखने की कोशिश करें परन्तु जो सत्यता है वो किसान को अच्छी तरह से मालूम है।

और मैं आज यहां कहना चाहती हूं कि सी.आर.एफ के मापदण्ड के अन्दर जो सहायता आती है वो तो राज्य सरकार देगी ही देगी परन्तु उन संसाधनों से आगे बढ़ कर के जो घोषणा मैं करने जा रही हूं वो मैं यह कहना चाहती हूं कि आज तक ओलावृष्टि से जो प्रभावित किसान हैं उनको नहीं दी गयी है और उदाहरण के तौर पर मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि माननीय सदस्यों की सरकार के समय जब कि तीन ओलावृष्टि हुई थी, डेढ़ करोड़ रुपया उन लोगों ने उन तीन ओलावृष्टि के अन्दर दी थी, आज तीन साल के अन्दर हमारी सरकार ने तीन ओलावृष्टि के अन्दर 33 करोड़ रुपये अभी तक दिये हैं। जो कह रहे हैं न हम को, अगर इतना .....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): प्रद्युम्न सिंहजी, सोओ मत। सोना नहीं है सुनना है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): बहुत ही गौर से सुन रहे हैं। नहीं, बहुत ही गौर से सुन रहे हैं। हमारी बात वो गौर से सुनते हैं।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यहां आपने बहुत भाषणबाजी की, बहुत सारी बातें हमको सुझायीं और हम उस सीख से मैं समझती हूं कि थोड़ा सा ज्ञान भी पायेंगे परन्तु अगर यह ज्ञान अपने समय में थोड़ा सा किसान के ऊपर इस्तेमाल ही कर देते, उनको लाभान्वित कर देते तो आज वो स्थिति हम लोगों को देखने को नहीं मिलती जो हमको गरीबी की स्थिति जगह-जगह देखने को मिल रही है।

यह एक्सपेक्टेशन हमसे की जा रही है कि हमारे हाथ में वो जादू का डण्डा है कि 50 साल के नुकसान करने के बाद हम वो जादू का डण्डा ऐसे ही

फेर दें और तीन साल के अन्दर वो सब मुसीबतें एक साथ हटा दें। यह तो होने वाला नहीं है परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि हमने जो पैकेज की अभी घोषणा की है, सी.आर.एफ की तरफ इन्पुट सब्सिडी जो आपके अनइर्रिगेटेड लैंड्स है उसको 1000 रुपये दिया जाता है, हम लोग अब 3000 रुपये अनाउंस कर रहे हैं। जो इर्रिगेटेड लैंड है और जिसको बिजली मिल रही है उस इर्रिगेटेड लैंड के अन्दर या जो कैनाल की जमीन है, जिसको सी.आर.एफ के अन्दर 2500 रुपये मिलते थे उनको हम लोग अब 4000 रुपये देने वाले हैं। जो इर्रिगेटेड लैंड है और जिसके ऊपर डीजल इस्तेमाल किया जाता है उसको 2500 रुपये मिलते होंगे, अब हम उसको 6000 रुपये देने जा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्रीजी, यह पर हैक्टेयर है या पर एकड़, यह तो बताएं।

श्री अध्यक्ष: सुनिये। आप सुनिये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप सुन लीजिए। सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिये।

इसी तरीके से क्योंकि सी.आर.एफ. के अन्दर आता है, जीरा है, ईसबगोल है, वीट है, मस्टर्ड है, सब्जी है, फल है यह सब सी.आर.एफ. के अन्दर कवर होते हैं, जो भी कुछ एडीशनल है वो सब हम स्टेट फंडिंग के द्वारा उसको कवर करेंगे। हमने यह भी तय कर दिया है कि जो सी.आर.एफ. के अन्दर गेहूं किसी को मिला नहीं करता था वह 50 किलो पर परिवार पर महीने दो महीने के लिए हम देने वाले हैं। इसी तरीके से जहां तक बिजली की बात है, कोई सी.आर.एफ. के अन्दर रिलीफ नहीं मिलती थी, हमने फर्स्ट मार्च को यह आलरेडी इन्टरिम रिलीफ के अन्दर अनाउंस कर दिया था कि दो महीने की बिजली को हम माफ करते हैं परन्तु अब हम दो और महीने की बिजली माफ करने जा रहे हैं तो टोटल हुआ पूरे चार महीने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चार महीने हो गये, साहब, मुबारक हो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): चार महीने हो गये पूरे। इसी तरीके से किन्हीं-किन्हीं लोगों ने ठेका प्रथा की बात हमारे सामने रखी, जो वास्तविक काश्तकार है और जिसके पास प्रमाण है, प्रमाण के आधार पर स्थानीय समिति में वो चला जाए, स्थानीय समिति हम वहां बनाने वाले हैं

और उनकी रिकमण्डेशन पर उनको मुआवजा दिया जायेगा, उनको मदद कर दी जायेगी। स्टेट का मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि करीबन 100 करोड़ से ज्यादा पैसा हम लोग एडीशनली दे रहे हैं सी.आर.एफ. का ...(व्यवधान) सी.आर.एफ. के 70 करोड़ और एडीशनल 100 करोड़ से ज्यादा पैसे हम उसमें लगाने जा रहे हैं। यह पहली बार ऐसा हुआ है। क्योंकि टोटल अफेक्टेड एरिया जो है और जो टोटल अफेक्टेड किसान हैं वो तीन लाख हैं, जो टोटल अफेक्टेड एरिया है वो करीबन 2.86 लाख हैक्टेयर है।

मैं यह भी बताना चाहूंगी आपको कि 27 और 28 फरवरी को, 24 और 25 फरवरी को, 11 से 14 मार्च को और फिर अब 21 मार्च को कामां के अन्दर यह ओलावृष्टि हुई है। हमने पहला आर्डर तो 24, 25 तक दे ही दिया था जिसके अन्दर दो महीने के बिजली के बिल हमने माफ कर दिये थे, अब हमारा यह सैकण्ड आर्डर निकलने जा रहा है जिसको आप समझिये 13 तारीख, 13 तारीख से लेकर आज 23 है, 10 दिन के अन्दर हम लोगों ने नया पैकेज हमारा घोषित किया है। मैं समझती हूं कि इट इज एक्स्ट्रा ओर्डिनरी।

और इसमें मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह जो सी.आर.एफ. नोर्म्स है पर हैक्टेयर के हिसाब से होता है तो जो भी हम अनाउंसमेंट अभी कर रहे हैं वो भी पर हैक्टेयर के हिसाब से हम लोग करने जा रहे हैं।

मैं समझती हूं कि यह जो पैकेज, जिसकी घोषणा मैंने आपके सामने रखी है, कोई क्लरिफिकेशंस हैं तो माननीय रिलीफ मंत्री यहां उपस्थित हैं, वो आप लोगों को पूरी ही डिटेल्स दे सकते हैं।

मैं समझती हूं कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जायेगी और इस पैकेज से आपके ध्यान में यह बात आ रही होगी कि किसानों के लिए कोई कमी नहीं बरतेगी। यह सरकार का पैसा नहीं है यह जनता का पैसा है ओर आप लोग जो पहले किया करते थे, कहा करते थे कि हमारा खजाना खाली है, खजाना खाली है और आप लोगों ने यह बार-बार कहा परन्तु हमारे हिसाब से हमने कभी नहीं कहा है और जब भी पैसे की जरूरत है, चाहे दिल्ली की सरकार ने हमको दिया है या नहीं दिया है, हमने फिर भी चला कर के हमारे किसानों को दिया है, हमारी गरीब जनता को दिया है और देते रहेंगे। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो आपकी तरफ से धन्यवाद होना चाहिए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से धन्यवाद देना चाहिए और मैं समझता हूं प्रतिपक्ष के नेता, आप भी खड़े होकर के कहो, ऐसा पैकेज जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अब तो धन्यवाद दे दो, अब तो आभार व्यक्त कर दो। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब क्या रह गया बाकी?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): क्या हो गया? (व्यवधान) मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है तो आप मुआवजा देंगे तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में ईसबगोल और जीरा में फसल को नुकसान ...(व्यवधान) से भी हो जाता है, बिना ओलावृष्टि के भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठो। क्या है, स्टेटमेंट दे दिया, क्या चाहते हो अब?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निर्दलियों की तरफ से सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि यह सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और तरक्की करती जाए। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं यही तो पूछना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कमाल नहीं किया। हरियाणा में तो 5000 रुपये हैक्टेयर दिया है, आपने 4000 रुपये देकर क्या कमाल कर दिया? हरियाणा में 5000 रुपये एकड़ दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की नेता खड़ी हैं ...(व्यवधान) सदन की नेता खड़ी हैं, आपको यह भी ध्यान नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक और क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम था कि सबसे पहले, चूंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है, सबसे पहले यह कहने वाले हैं कि हरियाणा के अन्दर क्या होने जा रहा है। हरियाणा के अन्दर कभी अकाल नहीं होता है, बहुत कम ओलावृष्टि होती है और हरियाणा इतना छोटासा स्टेट है, राजस्थान एक लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, पांच

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करोड़ जनता है और हमेशा अकाल के अन्दर जूझता रहता है। कोई हमारे जो नोर्म्स हैं उन नोर्म्स के अन्दर हम लोग रहने की कोशिश करते हैं और हमारे जितने सीमित संसाधन हैं उसको हम पूरी तरह से अपनी जनता के बीच में बांटते हैं।

मैं समझती हूं कि इसके ऊपर और कुछ बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य ने और इनकी सरकार ने कभी भी ऐसा पैकेज आज तक दिया नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने कभी दिया है क्या। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय। हेमारामजी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ...(व्यवधान) आप बोलो।

श्री अध्यक्ष: देखिये, मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दे दिया, अब आप क्या चाहते हो? अब क्या बोलोगे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने पूछना अलाऊ किया है।

एक माननीय सदस्य: प्रतिपक्ष के नेता को सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दे दिया, राज्य की ओर से क्या चाहते थे यह बता दिया। पांच साल में केवल डेढ़ करोड़ रुपया दिया और 170 करोड़ का आज एक साथ दे दिया, इसके बाद क्या जानकारी बच गयी?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और आप खड़े हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपका तो पूरा जीवन जो कुछ मिल गया है उससे संतोष करने का रहा है पूरा जीवन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं पूरा बिलकुल पूरा संतोष करें आप ...(व्यवधान) मैंने सोचा आप धन्यवाद देने खड़े हुए हो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब काहे का धन्यवाद इसमें?

श्री अध्यक्ष: मैंने तो यही सोचा कि आप धन्यवाद देने खड़े हुए हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किसी को मार-मार कर उसकी जय जयकार करवाना चाहते हो तो वह बात दूसरी है लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने जिस वातावरण में हमारे से यह बात की थी उस वक्त भी आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय, हमने आपके ऊपर दबाव बनाया है ...(व्यवधान) और आपका ध्यान आकृष्ट किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह राजस्थान के किसान का दबाव है मुख्य मंत्रीजी पर, राजस्थान की जनता का दबाव है, आपका कोई दबाव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, मुख्य मंत्रीजी तो उस पीड़ित किसान के दबाव में आयी हैं बाकी किसी के दबाव में नहीं आयी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किसान के घर से आयी हैं किसान हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बैठ जाएं, विराजो आप। अध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया फिर क्या मतलब है। आप हमारी भावना व्यक्त करोगे ? हमारी भावना भी आप व्यक्त करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष: बोलो, बोलो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, तो यह अजीब है हमारा कोई लीडर बोले तो भी आप भावना व्यक्त करेंगे। +++ हमारा लीडर ही बोलेगा हमारी भावना को।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): आपके लीडर बोल रहे हैं, अब तो आपके लीडर ही बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके दबाव में आयीं.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमारे दो माननीय सदस्य यहां आपके सामने आमरण अनशन पर बैठे थे, मैंने तो उनको राय दी कि मत करो फिर भी वह आमरण अनशन पर बैठ गये और मैं कहता हूं कि अगर आप पैकेज नहीं मानते ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही, आप सुनिये इनको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने जो पैकेज आपको सुझाया था वह नहीं मानतीं आप तो निश्चित रूप से उनमें से एक तो निपट जाता ।

श्री अध्यक्ष: मर जाता ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यही नहीं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैठना चाहते थे। मैंने कहा तू मर जाएगा पण्डित तो उसने कहा रामनारायणजी, मुझे मरने का दुःख नहीं है ...(व्यवधान) तो मैंने उनसे कहा कि सब कुछ आपने जिन्दगी का प्राप्त कर लिया क्या तो वह बोले कि नहीं, और क्या करेंगे, जनता के लिए मरेंगे ही । मरने की जरुरत नहीं पड़ेगी आप मत बैठना, इतना दृढ़ संकल्प मत करो, अभी अपना प्रेशर चल रहा है, दबाव चल रहा है, उस दबाव का असर होगा और होता है।

श्री अध्यक्ष: होता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक बार माननीय हरिदेव जोशी चीफ मिनिस्टर थे और उनके मंत्रिमण्डल में मैं भी था तो शराबबंदी के ऊपर हमारे गोकुल भाई भट्ट ने आमरण अनशन की चेतावनी राज्य सरकार को दे दी थी और वह पत्र उन्होंने पढ़ा जोशीजी ने तो मैंने कहा कि यह डोकरा मर जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप ऐसी भाषा ही बोलते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या ?

श्री अध्यक्ष: आप यही भाषा बोले ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जोशीजी को मैंने कहा कि डोकरा मर जाएगा तो रास्ता निकाला कि कैसे मर जाएगा। मैंने कहा कि उनसे मिलो आप विनोबा भावे से तो हमने उनको विनोबा भावे के पास भेजा, विनोबा भावे ने सारी बात सुनकर उनको बताया कि यह हमारी स्कीम है। हम ऐसे-ऐसे करना चाहते हैं, बोले यह तो ठीक है, काफी है तो फिर गोकुल भाई को बुला रखा था तो बोल भाई गोकुल भाई, बोले साहब जिन्दगी थोड़ी सी बची है और इस जिन्दगी में मेरी इच्छा है कि राजस्थान की जनता के लिए उसको अर्पित कर दूं तो बोले तुम्हारे पास ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसी फालतू बात नहीं करते।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो हमारे पास इस जीवन में ही सब कुछ करना है, अगले जीवन के लिए कुछ रखोगे कि नहीं, सब कुछ इसी जीवन के लिए करोगे तो आगे के लिए क्या करोगे। तो आप मान्यवर, हमें यह उम्मीद थी कि जिस दरियादिली के साथ आप राजा के घर में पैदा हुईं, राजा के घर में ही आप गयीं, जो राजा का दिल होता है वैसा आपका दिल।

श्री अध्यक्ष: लोकतंत्र में तो मुख्यमंत्री रहने दो। राजा वाजा की बात मत करो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कठोर दिल है आपका। आप हमें मार मार कर तो कैसे निकलेगा, मार मार कर थोड़े ही निकलेगा। मान्यवर, हमने आपको छह घंटे का बिजली का ....

श्री अध्यक्ष: छह घण्टे का चार महीने का कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): छह महीने का आपको दिया था कि आपको छह महीने का बिल जो है माफ करना चाहिए और भी हमने दिया था। चलो आपने हमसे नहीं पूछा कुछ भी, आप पूछते तो हम आपको और कन्विंस करते लेकिन आपने पहले दिन ही कह दिया था कि हम किसी के कहने से नहीं करेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम किसी के कहने से नहीं करते हैं तो मैं तो चुप रहा क्योंकि आपने फर्मा दिया था कि कहने से नहीं करते हैं। चलो सुओमोटो दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो पैकेज दिया है, जो घोषणा की है, मान्यवर यह राजस्थान की जनता की आशा और अपेक्षा के अनुकूल नहीं है और बहुत कम है और आपने जो दिया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राजस्थान की जनता बहुत तादाद के अन्दर आहत हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसकी पूर्ति आपकी इससे कुछ भी नहीं होगी। मैंने मेरे दल से मशविरा किया था।

श्री अध्यक्ष: इस पर तो दया करो आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उस मशविरे के हिसाब से हम आपके इस पैकेज को किसान के हित में पूरा नहीं मान रहे हैं। इसको संशोधित करने के लिए आप हमें आश्वासन दो अन्यथा हम आपकी बातों के विरोध में वाक आउट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: करो तो वाक आउट।

(कांग्रेस दल द्वारा सदन में नारे)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार को 3200 करोड़ का ज्ञापन दिया है और यहां पर सौ करोड़ रुपए की घोषणा की है, 3200 करोड़ के ज्ञापन के बदले केवल सौ करोड़ रुपये दिये हैं।

(कांग्रेस दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, साढे बारह हजार रुपये प्रति हेक्टेअर के हैं और चार हजार रुपये दिये हैं इसके लिए मैं भी इस अधूरी घोषणा के खिलाफ वाक आउट करता हूं।

(सी पी एम दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राजस्थान के इतिहास में आपके कहने से राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 170 करोड़ रुपया राजस्थान के किसानों को दिया है। पाँच साल तक लगातार राज करने के बाद इन्होंने किसानों का शोषण किया, एक महीने का बिजली का बिल कभी माफ नहीं किया। पहली बार राजस्थान के इतिहास में चार महीने का बिल बिजली का माफ हुआ है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में अध्यक्ष महोदय, तीन साल के शासनकाल में एक पैसा किसान की बिजली का नहीं बढ़ाया और सारा का सारा पैसा राज्य सरकार चुका रही है। आज तक राजस्थान के इतिहास में किसान के हित में इतना बड़ा न किसी मुख्यमंत्री ने, न किसी सरकार ने किया है। इसके बाद अपनी झेंप मिटाने के लिए, अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए और सदन की कार्यवाही में जो बाधा डाली है उससे जनता को धोखा देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किसान का अहित तो किया ही है प्रजातंत्र की पीठ में भी छुरा घोंपा है और किसान के साथ अत्याचार किया है।

अध्यक्ष महोदय, आप साक्षी हैं इस बात के कि राजस्थान की जनता, बारह सौ गांवों में कितना नुकसान हुआ है तुरन्त सहायता दी है, हमारे राहत मंत्री बोले तुरन्त पहुंचा दी, आज तक सब को सहायता चली गयी और पहली बार सी आर एफ के अलावा सौ करोड़ रुपए का एक साथ प्रावधान किसान के लिए किया है। यह सारा काम कांग्रेस पार्टी का यह वाक आउट अपनी उस असफलता को छिपाने के लिए और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, राजस्थान का किसान और राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री की इस घोषणा के पीछे हैं और हम आपको भी अध्यक्ष महोदय, कहना चाहेंगे, आसन ने भी, नौ बार आप आयीं, आपने भी सब राज देखे हैं, ओलावृष्टि भी देखी है, किसी भी राज ने आज तक ऐसा काम नहीं किया था जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं, क्लीयर कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, चार या पांच स्कोर राजस्थान में ओलावृष्टि का है। जैसे ही

ओलावृष्टि हुई राजस्थान की मुख्यमंत्री इस दुःख की घड़ी में जनता को सम्भालने निकलने गयीं और कुछ तो हम विधान सभा में व्यस्त थे। राजस्थान के सारे स्टेट के मिनिस्टर को किसान के पास भेज दिया। आपने तीन दिन की छुट्टी की थी। तीन दिन की छुट्टी में केबिनेट का प्रत्येक मिनिस्टर और हमारे माननीय सदस्य किसानों के खेतों तक जाकर आए हैं। उनके हालचाल पूछकर आए हैं। जैसा रिकार्ड, जितना नुकसान माननीय मुख्यमंत्री ने बताया है और जो पैकेज की घोषणा की है। मैंने अध्यक्ष महोदय, यह कहा था सदन में कि ऐसा पैकेज विधान सभा में आयेगा जो प्रतिपक्ष है वह निरुत्तर हो जायेगा। यह निरुत्तर होकर वाक आउट कर गया है। इन्होंने राजस्थान के किसानों के साथ सदा कुठाराघात किया है। राजस्थान राज्य में मात्र 1 करोड़ 56 लाख ओलावृष्टि का पैसा दिया है, हम अब तक 33 करोड़ दे चुके हैं और अब 100 करोड़ से ज्यादा का यह पैकेज आज मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है वह है। मैं पूरे सदन की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। यह पहली बार है मुख्य मंत्रीजी ने सदाशयता बरतते हुए कि डीजल से जो किसान खेती करते हैं उनको भी प्राथमिकता दी है उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सारा जो पैसा है 100 करोड़ से ज्यादा का, ब.स.पा. के यहां बैठे हैं, इ.ने.लो. के बैठे हैं, खांट साहब भी यहां पर है। यह भी बीच में इनके साथ आए थे, यह सारा का सारा पैसा 100 करोड़ से ज्यादा का भार पड़ेगा वह राज्य सरकार वहन करेगी सी.आर.एफ. के अलावा। सी.आर.एफ. का कई बार पत्र लिखने के बाद भी भारत सरकार ने परवाह नहीं की। एक दर्जन से ज्यादा पत्र लिख दिये। मुख्य मंत्रीजी भी मिल आई। मैं भी मुख्य मंत्रीजी के साथ जा आया लेकिन भारत सरकार ने राजस्थान के किसानों की चिन्ता नहीं की। उन्होंने राजनीतिक आधार पर किसानों की चिन्ता की। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र को 70,000 करोड़ दे दिये और हमारे पास इतनी जबरदस्त आपदा बाड़मेर और 12 जिलों में आयी, इन्होंने 8 करोड़ के अलावा एक पाई यहां पर नहीं दी ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह शायद भूल गये जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने जो ज्ञापन दिया था इस ज्ञापन के अन्दर जो कुछ इन्होंने अंकित किया था वह बात भी यह भूल गये। क्योंकि आदत पड़ गयी है कांग्रेस पार्टी को घड़ियाली आंसू बहाने की। आप कहो कि इनकी पहली यह मांग थी कि जिन किसानों के बिजली के कनेक्शन नहीं है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उन्हें डीजल के खर्चे का उचित मुआवजा दिया जाए। भूतो न भविष्यति अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस चीज की पीड़ा को समझकर मुख्यमंत्री ने मुआवजा दिया है। इनकी दूसरी मांग थी गेहूँ, चना, मेथी, सरसों, धनिया, प्याज, सभी सब्जियां, जीरा, ईसबगोल आदि का नुकसान जहां हुआ वहां मुआवजा दें। इनके कहने से नहीं दिया, यह राजस्थान के किसानों की पीड़ा समझ वह बात भी मुख्य मंत्रीजी ने पूरी की। अध्यक्ष महोदय, कच्चे-पक्के मकानों की बात कही, ओलावृष्टि में राहत काम चालू करने की बात कही। इन्होंने जो मांग पत्र दिया था, हालांकि यह मांग पत्र चूंकि यह किसान के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। यह उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं करते पर मुख्य मंत्रीजी ने जो खुद किसान की पीड़ा को देखकर आयी हैं ओलावृष्टि होते ही तुरन्त ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में गयी थीं। उनकी पीड़ा का दूर करने का जो काम किया है अच्छा रहता इनमें से कई ऐसे माननीय सदस्य हैं। यह गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य किसान के समर्थन में बैठे हैं। किसान के दर्द को जानते हैं ... (व्यवधान) उनकी यह पीड़ा नहीं जानते। घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया है ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप दो मिनट बोलने का मौका तो दो ना। आप मौका ही नहीं देते हो। अध्यक्ष महोदय, यह किसानों की ... (व्यवधान) आप दो मिनट मेरे को मौका दे दो, मैं कोई गालियां तो निकाल नहीं रहा। मैं कोई सुझाव दे दूं उससे क्या पहाड़ तो नहीं आ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिये निवेदन करता हूं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन देओ 3200 करोड़ का और यहां चर्चा करो 100 करोड़ की। उसमें वाहवाही लूटना चाहते हो। आपने केन्द्र सरकार को 3200 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया है और 100 करोड़ रुपये दे रहे हो आप यहां पर और उसमें वाहवाही लूटना चाहते हो ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ईसबगोल, जीरे को जो नुकसान हुआ है बरसात से। ओलों से नहीं, बरसात से जो ईसबगोल और जीरा पूरी तरह से समाप्त हो गया है उनको आप मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे ? मैं एक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बिना ओलों के खाली बारिश से जीरा और

(श्री हेमाराम चौधरी)

ईसबगोल पूरी तरह हंडरेड परसेंट खराब हो चुका है उनको आप मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे। यह बात आप बता सके हो और मैं नहीं पूछ रहा ... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप आसन पर बैठ जाओ ... (व्यवधान) मुरारी लालजी आपके यहां ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): गले उतरे तो आप देओ, नहीं गले उतरे तो कोई बात नहीं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या यह सही है कि आपने 3200 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया है। केन्द्र सरकार को 3200 करोड़ के नुकसान का ज्ञापन दिया है और यहां 100 करोड़ रुपये की घोषणा करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। केन्द्र सरकार को 3200 ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ओलावृष्टि का बहाना बता करके उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा यह मेरा सरकार पर आरोप है। सरकार इस बारे में स्पष्ट करे कि बरसात से जीरा और ईसबगोल की जो फसल नष्ट हुई है उसको आप मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र का दौरा हुआ। माननीय मंत्रीजी ने क्षेत्र का दौरा किया ... (व्यवधान) वहां की जो हालत थी वह दयनीय थी और सब किसान यह सोच रहे थे कि सरकार क्या मुआवजा देगी। पहले उन्हें मिलते थे डेढ़ सौ से दो सौ रुपये, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इस बार घोषणा की है माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिये तो वह धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही एक मांग और करूंगा कि मेरे बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के पूरे ब्लाक में 212 गांवों में ओलावृष्टि हुई, वहां अकाल राहत के कार्य कृपा करके खोले जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

(समय : 15.55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके इलाके में ही नहीं राजस्थान भर में पचास परसेंट से ऊपर जहां भी ओलावृष्टि से खराबा हुआ है सभी जगह अकाल राहत काम खोल दिये जायेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ईसबगोल, जीरे के लिये ओलावृष्टि की जरूरत नहीं है बिना ओलों के भी ईसबगोल और जीरा मामूली बारिश से बिलकुल खराब, सौ प्रतिशत खराब है। हंडरेड परसेंट खराबा हो चुका है ईसबगोल और जीरे का। ओलों से नहीं खाली बारिश से आप उसको मुआवजा देंगे ? आप बार-बार ओलावृष्टि ओलों का नाम ले रहे हैं और हमारे वहां पर ओलों की जरूरत नहीं है। बिना ओलों के मामूली बूंदाबांदी से ही ईसबगोल और जीरे की फसल सौ परसेंट से ज्यादा खराबा हो गया है उसको आप मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका देंगे। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इनके बाद मेरे को ... (व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बहस का सब्जेक्ट नहीं है ... (व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा): ओन्ली एक मिनट मेरी बात कहूंगा ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुद मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि आपको कोई सवाल पूछने हों तो आपदा प्रबंधन मंत्रीजी से पूछ लें तो मैं आपके माध्यम से यह पूछ रहा हूं कि आपने केन्द्र सरकार को कितने करोड़ रुपये के नुकसान का ज्ञापन दिया है ? केन्द्र सरकार को आपने 3200 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया है और यहां 100 करोड़ रुपये के नुकसान की घोषणा कर रहे हो आप। आपने केन्द्र सरकार को कितने करोड़ रुपये के नुकसान का ज्ञापन दिया है जानना चाहता हूं आपसे ... (व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा पैकेज दिया था ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह जवाब दे रहे हैं ना। मंत्रीजी कुछ कहेंगे तो सुन लो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मेरी पहले बात सुनिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आपसे मेरा निवेदन है आप स्थान ग्रहण करिये। मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी कुछ जवाब दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात और निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने बहुत घोषणाएं की, बहुत अच्छी बात है। बहुत-बहुत आभार। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि कुम्हार जो बासन बर्तन बनाते हैं, ओलावृष्टि से इतना नुकसान हो गया है उनके पूरे जीवन की कमाई खतम हो गयी है इसलिये मेरा निवेदन है कि उन लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कुम्हारों के बासन, बर्तन, कपड़े जो भी खतम हो गये हैं उनके लिये भी पैसे देंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, जो अपने पारम्परिक तरीके से ईंट बनाते हैं, जो पारम्परिक तरीके से ईंट बना रहे हैं उनको नुकसान हुआ उसके बारे में कोई घोषणा भी आप करें ईंटों के बारे में ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह ईट सही नहीं है। बहुत भाव बढ़ा दिये ईंटों के। जरूरत नहीं है इस बात की।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपके यहां पर भट्टे से ईंट बनाते हैं, हमारे यहां किसान पारम्परिक तरीके से ईंट बनाता है इसके बारे में कह रहा हूं पश्चिमी राजस्थान के बारे में ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भट्ठा वालों ने कीमत बढ़ा दी तीन-तीन सौ रुपये। कोई जरूरत ही नहीं है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): वहां बात भट्टे की नहीं है। मंत्री महोदय, जो पारम्परिक तरीके से किसान ईंट बनाते हैं अपने खेत में उनके बारे में मैं चाहता हूं आप कुछ भी घोषणा करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं एक मिनट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आपने बहुत पूछ लिया ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): कहां पूछ लिया ? एक ही बात है। एक ही सवाल चल रहा है। ओलावृष्टि से जिनका नुकसान हुआ उनको आप देंगे और बरसात से जिनका ईसबगोल और जीरे की फसल पचास परसेंट से ज्यादा खराबा हो गया है उनको आप मुआवजा देंगे, आप कहेंगे ओलों से नुकसान हुआ है तो देंगे बरसात से हुआ तो नहीं देंगे। एक व्यक्ति चाहे वह बंदूक की गोली से खतम हुआ, चाहे वह धार से खतम हुआ, चाहे वह लाठी से खतम हुआ हो, आदमी मर चुका है तो मुकदमा 302 का लागू होता है इसलिए ओलों से जो वह फसल बरबाद हुई है 50 प्रतिशत से ज्यादा और जो बरसात हुई क्योंकि ईसबगोल और जीरा की फसलों के लिए ओलों की जरूरत नहीं है, यह आपके मंत्रीजी, अमरारामजी और आपके सत्ता पक्ष के बहुत सदस्य बैठे हैं और उपाध्यक्ष महोदय भी इसके जानकार हैं। हमारे पश्चिमी राजस्थान में ईसबगोल और जीरा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): बरसात से उनका नुकसान हुआ है। हमारे प्रभारी मंत्री पाली जिले में दौरा करके आये हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): प्रभारी मंत्री ने स्वयं ने इसको देखा है ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उनको देंगे कि नहीं देंगे यह क्लियर करें ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मेरे साथ ही मिल गया ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): एक मिनट सुन लें ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): एक मिनट सुन लें, मेरे भाई ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में एक सवाल का जवाब और दें आप ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था में हम जितनी आपकी पालना करते हैं और भी माननीय सदस्य हैं, लेकिन हम आपकी परम्पराएं और नियम और सदन की जो व्यवस्था बनी हुई उस पर चलते हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): धन्यवाद दे देना, आप एक सवाल का जवाब तो आ जाने दें पहले ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पांच बार यह अनुशासन के हिसाब से हमेशा बैठते रहे हैं। हमेशा बैठते रहे हैं, इनको दबाना थोड़े ही चाहिए ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): एक मिनट सुन लें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह है ना मेरा ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इसके बाद में मेरा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनकी बात सुनें आप ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मैं एक सवाल पूछ लूंगा ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सवाल बाद में पूछ लेना ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह तो तारीफ करेंगे और क्या करेंगे ...(व्यवधान) जीतू भाई, जीतू भाई ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं ...(व्यवधान) वह बोल रहे हैं आप बैठें ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उसमें क्या तकलीफ है ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): किसान, मजदूर को ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हम यह पूछना चाह रहे थे कि चार महीने की बिजली माफ कौनसी की है, कौन से चार महीने थे वह ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह कह देंगे ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यह तो क्लियरिफिकेशन होने दें ...(व्यवधान) वह चार महीने कौन से थे ...(व्यवधान) आगे आने वाले होंगे, पीछे वाले होंगे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनकी भावना से आपको कोई ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप काश्तकार नहीं हो ...(व्यवधान) चार महीने के बिजली के बिल माफ किये हैं वह चार महीने कौन से थे ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने पीड़ित किसानों की जो तकलीफ को सुना है, दर्द को सुना है और पीड़ित किसान ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आगे आने वाले चार महीने में, पीछे वाले चार महीने में ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं ...(व्यवधान) लेकिन साथ में मैं यह कहना चाहूंगा कि 45 साल तक घड़ियाली आंसू दिखाकर के गरीबों के साथ में ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): समस्या तो है नहीं धन्यवाद देना ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो स्पेसिफिक सवाल यह पूछा है कि एक तरफ तो सरकार यह मान रही है कि 3200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार को मेमोरेंडम दे रही है वह 3200 करोड़ का दे रही है और दूसरी तरफ 100 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं बोलें माननीय सदस्य, माननीय सदस्य एक सदस्य बोल रहे हैं बीच में मत बोलें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसमें कितने करोड़ रुपये आपने मांगे हैं, कितने का नुकसान आपने माना है वह तो आप बतायें सदन को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय माहिर साहब, आप बिराजें ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): 43 साल तो ...(व्यवधान) मैं एक ही बात कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): राजस्थान में ओलावृष्टि में 3200 करोड़ का नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: सुनना नहीं चाहते हैं कोई ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): 3200 करोड़ का नुकसान बताया है राजस्थान सरकार ने और 100 करोड़ रुपये देकर के बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) 3200 करोड़ की रिपोर्ट भेजी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। नहीं, आप बीच में नहीं बोलें। आप स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): केन्द्र सरकार ने 3200 करोड़ रुपये की रिपोर्ट भेजी है और अब 100 करोड़ की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने जब परमिशन दी है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): xxx

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपको अगर इतना दर्द है तो दिल्ली की सरकार जो बी.पी.एल. के अंदर ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मामा बालेश्वर दयाल ने कभी ...(व्यवधान) कोई समझौता नहीं किया, मामा बालेश्वर दयाल ने कभी कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री उपाध्यक्ष: अंकित मत कीजिये ...(व्यवधान) माननीय माहिर साहब बिराजें ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी ना बात आपकी। आप स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें, माननीय सदस्य हेमारामजी आप स्थान ग्रहण करिये ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): xxx

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): xxx

(अध्यक्ष पीठ द्वारा अंकित न करने के निर्देश : जारी....)

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले स्थान ग्रहण कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी की तरफ से जो पैकेज घोषित किया गया है उसके लिए आइन्दा कोई मौका, 3 तारीख को अकाल राहत पर फिर बहस होगी, किसी सदस्य को कोई बात कहनी होगी तो कह देना, अभी इसके ऊपर मैं चर्चा अलाऊ नहीं करूंगा और अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हो गई है। नरेन्द्र नागर। (व्यवधान) कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई प्रश्न नहीं होगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था कि

बिजली के कौन-कौन से बिल माफ किए, मई, जून के नहीं कर रहे हैं, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के किए हैं, बजाओ ताली।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देसूरी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा कि बिजली गिरने से अगर कोई मर जाए तो कितना देंगे, मृतक के परिवार को पचास हजार रुपए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह पहले से है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति गम्भीर घायल हो जाए, पशु मर जाए... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: व्यक्तिगत मामले बाद में होंगे। अभी आज आपका आने वाला नहीं है। हर कोई व्यक्ति का इण्डिजुअल केस का तय होगा क्या? किसी आदमी का एकदम से तय नहीं होगा, हालात को देखते हुए किया जाएगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आज ही कर देंगे क्या फैसला? इसका पहले असेसमेंट होगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले मंत्रीजी कह रहे हैं उनका जवाब सुनो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, पहले मंत्रीजी की बात सुनो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इस ओलावृष्टि में पशुधन भी मरा है, दो या दो से ज्यादा पशु मरने पर दस हजार एस सी, एस टी के लिए है और अन्य वर्गों के लिए साढ़े सात हजार, ... (व्यवधान) एक के लिए पाँच हजार। यदि कोई मृतक है तो उसके परिवार को पचास हजार रुपए, उसका मकान ध्वस्त हो जाए तो दस हजार और पूरी तरह से कच्चा मकान ध्वस्त हो जाए तो छह हजार।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माहिर आजादजी ने पूछा है कि आपने कितने का ज्ञापन दिया? हमने बाढ़ में ज्ञापन दिया था 32 सौ करोड़ रुपए का। उस मौके पर देखने के लिए सब आए, सोनियाजी भी आई, प्रणव मुखर्जी भी आए, उनके ज्यादा नाम गिनाने की जरूरत नहीं है और आकर सब ने आश्वासन दे दिया, आश्वासन के बाद सौ करोड़ रुपए अभी मिले हैं, वह भी इस कण्डीशन के साथ कि अगली बार बाढ़ आवे तो काम में लेना है। (व्यवधान) यह पैसा भारत सरकार ने दिया है, भारत सरकार ने यह कण्डीशन लगा दी कि अगली बार काम में लेना है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप उनसे पूछ लेना।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): xxx

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हो रही है। श्री नरेन्द्र नागर। (व्यवधान) श्री प्रभुलाल वर्मा।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): मैं बोल रहा हूं साहब, मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी कोई अंकित नहीं होगा, न कोई जवाब होगा। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या 27 पेयजल, मांग संख्या 46 सिंचाई पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में अपने आप को सम्मिलित करते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने गत वर्ष जल चेतना यात्रा चला कर पूरे राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा फायदा दिया है जिससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। इसका एक

(श्री नरेन्द्र नागर)

उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। झालावाड़ जिले में जल चेतना यात्रा में सम विकास की राशि से किसानों को कुओं के जल पुनर्भरण के लिए 2700 रुपए प्रति कुएं के हिसाब से छूट राशि दी गई उससे पूरे झालावाड़ जिले के किसानों को फायदा मिला और कुओं में जल पुनर्भरण हुआ जिससे वाटर लेवल में वृद्धि हुई है। साथ ही मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में यह पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों के लिए ध्यान दिया है। झालावाड़ राजस्थान में चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है और बरसात का पानी हमेशा झालावाड़ जिले से बहकर निकल जाता है। पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने परवन प्रोजेक्ट के लिए बिफोर लास्ट ईयर बजट में प्रोविजन किया, 650 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई और उसी वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपए सर्वे के लिए दिया गया, सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस वित्तीयय वर्ष में, इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कीर्तिमानी घोषणा की है कि परवन बांध सिंचाई परियोजना को केन्द्र सरकार के पास पहुंचा दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना को मंजूर होने के बाद पूरे हाड़ौती का नक्शा बदल जाएगा। किसानों में वास्तव में दिनो दिन जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, जिस प्रकार से पानी का दोहन हो रहा है और जिस गति से पानी का स्तर नीचे जा रहा है इससे लगता है कि आने वाले कुछ समय बाद इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी कि किसानों को पीने के पानी की भी दिक्कत आ जाएगी। वास्तव में मैं मानता हूं कि वृहद सिंचाई योजना में परवन डेम यदि बनता है तो खानपुर के 70 गांवों को इसका लाभ मिलेगा, साथ ही पूरे हाड़ौती को एक वरदान के रूप में यह योजना साबित होगी।

इसके साथ ही मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी के सामने अपनी मांग सिंचाई के लिए रखना चाहता हूं और साथ ही कुछ एनिकट आपने बनाये उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने पूंगाहेड़ी और गोलाणा में एनिकट बनाये इसके लिए माननीय सिंचाई मंत्रीजी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। साथ ही मैं अपने एक मांग रखना चाहता हूं। आलनपुर उजा नदी में भगवानपुरा पंचायत में आता है, इसमें आप एक एनिकट का निर्माण कराएं इससे क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ होगा।

साथ ही मांग संख्या 27 में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ किया,

(श्री नरेन्द्र नागर)

वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाह रहा हूं कि 1999 में खानपुर में दूषित पानी पीने से पीलिया रोग हुआ और उस पीलिया रोग से लगभग 4-5 आदमियों की मृत्यु हुई। पिछली सरकार ने, कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किस प्रकार से क्षेत्र की जनता की सुध ली और किस प्रकार ध्यान दिया कि वहां पर प्रशासन पहुंचकर अतिक्रमण को तोड़ना शुरू किया। पानी से मृत्यु हुई है, पानी के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था, सरकार ने अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया। उसके अलावा एक रुपया उस कस्बे को नहीं दिया और उस क्षेत्र की जनता को, उन गरीब आदमियों के मकान तुड़वा दिये जिससे क्षेत्र की जनता को और नुकसान हुआ और क्षेत्र की जनता में बहुत रोष उत्पन्न हुआ।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजीका आभार व्यक्त करता हूं, माननीय पेयजल मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने खानपुर कस्बे के लिए एक पुनर्गठित पेयजल योजना बनायी, भीमसागर 12 करोड़ की योजना बनाकर आपने खानपुर को पेयजल उपलब्ध करने के लिए मई, 2005 में उसका शिलान्यास किया। साथ ही आपने बीच में जो 10 गांव उसमें आते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया। माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस पेयजल योजना को आप तुरन्त पूरा कराएं क्योंकि इसकी गति में बहुत व्यवधान है, इसकी गति बहुत कमजोर है। नवम्बर में यह पूरी होने वाली थी उसके बाद इसका कार्यकाल फरवरी तक बढ़ गया, पर अभी तो लगता है 15 मई तक पूरी हो जाएगी, पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि 15 मई तक भी यह योजना पूरी नहीं होगी। इसको आप तुरन्त पूरा कराएं ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं इस योजना को चालू करने में लगभग दो साल लगे इसके लिए माननीय मंत्री जी ने तुरन्त व्यवस्था करके खानपुर के पास बेसार गांव पड़ता है उससे 25 लाख की योजना बनाकर तुरन्त खानपुर को पानी मुहैया कराया जा रहा है, खानपुर की जनता को तुरन्त रिलीफ मिल सके। जो स्थिति 1999 और 2000 में थी उससे अभी बहुत ज्यादा रिलीफ है।

माननीय मत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकलेरा में पी एच ई डी का एक उपखण्ड

कार्यालय है और उसमें मनोहरथाना और खानपुर दोनों विधान सभा क्षेत्र एक ही उपखण्ड में आते हैं। वहां पर जो ए ईएन बैठते हैं वे इतनी सारी योजनाएं जो पूरे जिले में चल रही हैं, इस उपखण्ड में चल रही हैं उनकी देखरेख नहीं कर पाते हैं। इसी से ये योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक उपखण्ड कार्यालय खानपुर में गठित करें जिससे उस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके।

माननीय मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने अपने विधायकों से, यहां सभी माननीय विधायक पक्ष और विपक्ष के बैठे हैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है, पहले माननीय मंत्री हैं एक भी विधायक ने अपने विधायक कोष से हैण्ड पम्पों में पैसा नहीं दिया।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): दिया है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): आपने फिर हैण्डपम्प ज्यादा लगाये होंगे। आवश्यकता के अनुसार जितनी भी क्षेत्र की जनता को आवश्यकता थी उनके अनुरूप माननीय मंत्रीजी ने हैण्डपम्पों के लिए पैसा दिया है। पहली बार विधायक कोष से हमे हैण्डपम्पों के लिए राशि नहीं देनी पड़ी, फिर भी माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं बहुत से गांवों में इस प्रकार की स्थिति है कि वहां का वाटर लेवल लगभग 250 फीट तक पहुंच गया है। अब वहां हैण्डपम्प भी चलना सम्भव नहीं है। वहां हर साल एक गांव में 5-5 हैण्डपम्प आप लगाते हो और एक हैण्डपम्प लगभग 50 हजार रुपये के आसपास पड़ता है और 2.5 लाख रुपया उस गांव में खर्च कर रहे हो। 2.5 लाख की एवज में आप या तो वहां सिंगल फेस मोटर लगाएं ताकि वह कंटीन्यू वहां चलती रहे और जिन लोगों को पानी निकालने में परेशानी आये उससे गांव की जनता को उन गरीब महिलाओं को लाभ मिल सके और पानी अच्छी तरह से मुहैया हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे गांवों में, मैं मानता हूं कि 1500 की आबादी वाले सारे गांवों को आपको पेयजल की योजना से जोड़ना चाहिए, पनघट की योजना से जोड़ना चाहिए ताकि उसका लाभ मिल सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे यहां बड़गाल्या गांव है, उस गांव की योजना लम्बित है। उसकी संख्या कम है, बड़गाल्या गांव में पिछले तीन साल से हम

(श्री नरेन्द्र नागर)

प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास करने के बावजूद कितने ही बोरिंग वहां करवा लिये, पर वहां पानी उपलब्ध नहीं हुआ। स्वजलधारा के रूप में वहां पर स्वीकृति हुई, पर उसका भी उपयोग नहीं हुआ, उसमें ट्यूबवैल में पानी नहीं निकला। वह योजना भी फेल हो गई। हमने योजना बनाकर आपके कार्यालय में भेजी है। मैं मानता हूं कम संख्या के चक्कर में वह कहीं अधूरी न रह जाए। माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस योजना को आप स्वीकृति देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल एक ही ऐसा गांव है बड़गाल्या जिसमें पानी की दिक्कत है वरना तो पीने के पानी की दिक्कत नहीं है और पूरे क्षेत्र में एक भी टैंकर नहीं चलता है। साथ ही एक खुशी की बात है कि पूरे क्षेत्र में एक भी टैंकर आपको नहीं चलाना पड़ता है तो एक टैंकर चलाकर इस प्रकार का नाम न हो जाए।

मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि अकलेरा नगर में भी आपकी योजना चल रही है वह भी इसी साल पूरी हो जाएगी उससे भी अकलेरा की जनता को लाभ मिलेगा। आपने पिछले सालों की तुलना में तीन साल में जो काम किये हैं वास्तव में मैं पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं आज बीच में आपने एक बार भी घण्टी नहीं बजायी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल वर्मा।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पहली बार चुनकर आया हूं, कृपया मुझे डिस्टर्ब न करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 व 46 पर आज चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष मिलकर वाद-विवाद कर रहे हैं। किसी भी देश या राज्य को सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ाने के लिए पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा की अहम भूमिका होती है। इसमें पानी भी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, हमें सोचना चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए कि पानी दिनों दिन घटता जा रहा है, पानी का वाटर लेवल नीचे डाउन होता जा रहा है। यह एक आदमी का विषय नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान का विषय है, सब की चिंता का विषय है लेकिन हमारी सरकार तो चिंता कर रही है, पूर्ववर्ती सरकार जो पिछले 40-45 साल से राज करती आ रही है इस पर कभी विचार

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

नहीं किया गया। बड़े शर्म की बात है, मैं आंकड़ों के माध्यम से भी बता सकता हूं कि इतना महत्वपूर्ण जल जिसके जरिए आज हम जिंदा हैं, आज ये बता रहे थे, यह किया, वह किया, यह नहीं किया, मैं आंकड़ों के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले वर्षों में क्या किया, पेयजल योजना पर राज्य मद में कुल व्यय इन्होंने 5 साल में 1343 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री की दया से माननीय मुख्य मंत्री के उच्च सोच से, माननीय सिंचाई मंत्रीजी के आशीर्वाद से 1129

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): दया नहीं है।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): वे दयावान हैं, गरीबों पर दया करती हैं, गरीबी की रेखा से नीचे बैठे आदमी की परवाह करती हैं, ऊपर वाले को कम देखती हैं। शहरी क्षेत्र की योजनाओं पर औसतन प्रतिवर्ष व्यय इन्होंने 3 साल में खर्च किया 126 करोड़ रुपये, हमारी सरकार ने तीन साल में 161 करोड़ रुपये, ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं पर औसतन प्रतिवर्ष पांच साल में इन्होंने खर्च किये 142 करोड़ रुपये, हमारी सरकार ने 228 करोड़ रुपये। मैं आगे भी और बता रहा हूं, सुनने की क्षमता रखिए। समग्र मद पेयजल पर सभी मदों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय किया इन्होंने पांच साल में 2497 करोड़ रुपये, तीन साल में सरकार ने अभी तक तीन साल पूरे हुए हैं, 2160.2005 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, पेयजल पर औसतन प्रतिवर्ष तीन साल में 449 करोड़, पांच साल में इन्होंने खर्च किये, हमारी सरकार ने तीन साल में 745 करोड़ रुपये खर्च किये। इसी तरह से हैण्डपम्प के मामले में भी हमने दूरदृष्टि रखी है। जहां हैण्डपम्प नहीं थे, तुरन्त हैण्डपम्प लगाये गये। माननीय मंत्री महोदय मैं चाहता हूं कि जितने भी हैण्डपम्प मांगे तुरन्त उसी टाइम दिये, ट्यूबवैल में भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई और जगह-जगह हमने हैण्डपम्प पेयजल योजनाएं, सारी योजनाएं स्वीकृत करके चालू भी की हैं।

आज मैं नवीन योजनाओं के बारे में भी आपको बताना चाह रहा हूं। फ्लोराइडयुक्त गांवों में 5 साल में इन्होंने एक भी योजना स्वीकृत नहीं की है। हमारी सरकार ने आते ही 1443 जगह पर फ्लोराइडयुक्त ट्यूबवैल लगाये हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उच्च सोच के साथ ईमानदारी से गरीब को गणेश मान कर सारी जनता का ध्यान रखते हुए काम किया है, किसी भी राज्य को विकास को आगे बढ़ाने के लिए

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

चिंता करनी चाहिए कि पानी की रोकथाम कैसे हो, पानी का वाटर लेवल ऊपर कैसे आए। इसके लिए हमारी सरकार ने पूरा-पूरा ध्यान दिया है। इसके लिए एनीकट का निर्माण करवाना अत्यन्त जरूरी है। एनीकट के निर्माण होने से वाटर लेवल ऊपर आएगा, पानी की सतह ऊपर आएगी तो हमारे जो हैण्डपम्प बंद पड़े हैं, कुए जो सूख चुके हैं, उनमें भी पानी आएगा। मेरा सुझाव है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन नदियां बहती हैं, काली सिंध, परवल और चम्बल, तीनों नदियों का पानी बह कर के चला जाता है। अगर इन तीनों नदियों पर जगह-जगह पर एनीकट बना दिये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि पानी की सतह तो ऊपर आएगी ही आएगी, उन किसानों को भी फायदा होगा, सिंचाई भी कर सकेंगे, पेयजल में भी काम आएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान को भी मिलेगा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, सिंचाई मंत्रीजी को जिन्होंने कांग्रेस के समय में 160 परियोजनाएं जो लम्बित पड़ी हुई हैं, उनकी सुध ली और चालू कराने की सोची, 5 परियोजनाएं 2003-04 हमने चालू करायी, 52 परियोजनाएं 2004.05 में चालू करवाई, 46 परियोजनाओं को 2005-06 में पूर्ण किया तथा शेष 28 परियोजनाएं जो बाकी हैं वह चल रही हैं। इसके अलावा, 29 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण करने हेतु बजट में प्रावधान कर दिया गया है। इनकी 160 परियोजनाओं जो वर्षों से लम्बित पड़ी हुई थी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ध्यान देकर माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने ध्यान देकर उनको पूरा करने की योजना बनाई है।

पेयजल में भी हमने काफी सफलता प्राप्त की है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में पेयजल पर इन्होंने 1931 करोड़ 84 लाख रुपये खर्च किये। इसकी तुलना में 163 परसेंट हमारे प्रयास आगे हैं। जल चेतना रैली 16 मई से जल चेतना रैली बना करके हमने 9188 ग्राम पंचायतों के 186 से अधिक गांवों में रैली निकाली और रैली का असर क्या हुआ ? रैली का असर यह हुआ कि जगह-जगह पर रैली निकालने से गांव में उस गरीब जनता ने, गरीब किसान ने पानी को रोकने की चिंता की। जगह-जगह अपने मेड़बंदी करना शुरू कर दिया, अपने खेत के अलावा 5 बीघा में अगर आधे बीघा का भी गड्ढा कर लेते तो वह उसमें भर लेता है, आज वह सिंचाई के काम आता है और दूसरे जल संग्रहण मंत्री भी हमने बहुत कुछ काम किया है। 1 लाख 26 हजार जल संग्रहण हमने बनाये, 11951 रैली बना कर जगह-जगह प्रचार प्रसार किया,

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

1958 हमने फिल्म प्रदर्शन किये, 8626 संगोष्ठियां की, 4387 नुक्कड़ नाटक करवाए, 3638 कला नृत्यों के माध्यम से जल चेतना को जगह-जगह तक पहुंचाया और उसकी जानकारी दी। इसके लिए मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्षो से मांग थी। मांगरोल बहुत बड़ा कस्बा है, पानी की कमी रहती है, हैण्डपम्पों में पानी गंदा आता है, ट्यूबवैल से भी जो पानी था वह ज्यादा ठीक नहीं था। मांगरोल कस्बे के लिए 560 लाख की पेयजल योजनाएं स्वीकृत करा कर वह चालू करा दी हैं इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। दो परियोजनाएं, हमारे गांव पीपल्दा के पास में ऐसे गांव हैं जो नदियों के किनारे होते हुए भी प्यासे रहते हैं, वहां फ्लोराइडयुक्त पानी है, गर्मी के दिनों में उस पानी को पीते ही दस्त लग जाते थे, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने दो योजनाएं स्वीकृत करके डूंगरली और मोर खूंजड़ा, बागली और गूडोज दोनों को स्वीकृत करके चालू कर दिया है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जब भी जितने भी हैण्डपम्प मैंने मंत्री महोदय से मांगे, तुरन्त दिये इसके लिए भी मैं बार-बार आपका आभारी हूं।

सिंचाई पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी एरिया कमांड क्षेत्र में आता है और वहां पर कोटा-बैराज नाम से एक बैराज है चम्बल की दया से। वहां पर जो दायीं और बायीं नहरें निकलती हैं उन नहरों से तीन जिलों कोटा, बूंदी, बारां में सिंचाई होती है और आगे जाकर के मध्य प्रदेश में भी वह सिंचाई करती है। केनाल सिस्टम के बारे में बता रहा हूं कि पिछली सरकार ने रखरखाव के लिए कोई ध्यान नहीं दिया और उन नहरों की ऐसी दशा हो गई है, मरण-शय्या पर चल रही हैं यों कहिये। वहां पर एक एस ई आये थे जब मैं वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर हुआ करता था। उन्होंने तो पूर्व सरकार के टाइम पर राज्य सरकार को यह तक लिख दिया था कि यह नहर जो दायीं मुख्य नहर कहलाती है, भगवान भरोसे चल रही है, कब किसान का गला घोंट दे यह कोई पता नहीं है। फिर भी पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आखिर वह नहर टूटी और टूटने के बाद लाखों बीघा जमीन पड़त रहेगी, किसान तीन साल तक भी नहीं उभर पायेगा। मैं आपके काले कारनामों को बता रहा हूं। हमारी सरकार के आते ही माननीय मुख्य मंत्रीजी से हमने रिक्वैस्ट की, हमने वहां की पीड़ा बताई। पीड़ा बताने के

बाद आपने 42 करोड़ रुपये 2005-06 में स्वीकृत किये और रखरखाव के दिये। आगे भी इंदिरा गांधी नहर और चम्बल की नहरों के जीर्णोद्धार के लिए इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये देने का प्रावधान रखा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरी बात पर गौर करते हुए चम्बल की नहरें बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो चुकी, 50 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान रखा है तो कम से कम इस वर्ष 25 करोड़ रुपये दायीं मुख्य नहर, बायीं मुख्य नहर चम्बल को मिलना चाहिए तभी तो उसका जीर्णोद्धार हो सकेगा नहीं तो वही हालत रहेगी। 40 साल के दरमियान जो कांग्रेस सरकार ने उस नहर की दशा कर रखी है उस नहर को सुधारने का एक जामा आपने पहना है इसके लिए मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): अब मैं अपने क्षेत्र की मांग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, मेरा क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है। कहीं कमांड क्षेत्र है तो कहीं अन-कमांड क्षेत्र है, कहीं ऊबड़-खाबड़ है। कई तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां पर। अठारहवां क्षेत्र वहां पर कहलाता है। न तो वहां पर नहर है, न कोई ट्यूबवैल के साधन हैं। अगर ट्यूबवैल के साधन भी कर लिये तो वहां बिजली नहीं है। पम्प-सैट लगाकर के लोग सिंचाई करते हैं जो बहुत महंगा पड़ता है और पानी इतना गहरा चला गया है कि पम्प-सैट भी फट जाता है। इसलिए वहां पर एक देलोद लिफ्ट योजना के लिए सर्वे हुआ था और उसकी योजना भी बनाई गई है और वह योजना पूर्व सरकार के टाइम बनी हुई थी लेकिन 20 लाख रुपये का फण्ड नहीं देने के कारण वह योजना अटकी हुई है और आज वह डी आर डी ए, कोटा में पड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसको पुनः निकलवाकर उस पर अमल करने की कृपा करें ताकि वहां के नयागांव, देलोद, आसीदा, बगावदा, खेतुदा के लोग जीवन-यापन कर पायेंगे, उनके बच्चे आपको दुआ देंगे।

दूसरा, मेरा कट-मोशन था। सूखनी नदी में एक ड्रेन है, सूखनी नदी के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक ड्रेनेज डिवीजन हुआ करता था सी ए डी कोटा में, वह मई, 1983 में ड्रेनेज डिवीजन टूट गया है। यह ड्रेन लगभग 1981 में खुदाई किया था और आज की तारीख में वह ड्रेन बिलकुल फिल-अप

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

हो गया है। किसानों की करीब-करीब एक हजार बीघा जमीन आज पानी में डूब रही है, वो किसान आंसू बहा रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं कि कब यह ड्रेन खुदे और कब हमारे खेतों में फसल उगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस ड्रेन को भी खुदाने की कृपा करें, बजट में प्रावधान रखें।

तीसरा, एक छोटा सा है। यह भी मेरा कटमोशन था। गुडला गांव में फ्लोराइड-युक्त पानी है। वहां पर आपने सिंचाई का साधन तो कर दिया है, टंकी बना दी है लेकिन वहां तक दूरी होने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। रास्ते में ही लोग पानी को रोक लेते हैं। तो एक ट्यूबवैल और लगाकर के अगर उस टंकी को भर दिया जाए तो वहां के दो गांव उससे पानी पी सकते हैं। सिर्फ ट्यूबवैल की जरूरत है, टंकी और लाइन वहां पर बिछी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका जवाब देंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बार-बार धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मांग संख्या 46 और 27 पर जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान दिलवाना चाहूंगा। देश जब आजाद हुआ था उस समय राजस्थान में 4 लाख हैक्टेयर सिंचाई होती थी। आज प्रदेश में 65 से 70 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। मगर चिंता की बात यह है कि जो सिंचाई हो रही है उसमें सतही जल से सिंचाई हो रही है वह लगभग 30 लाख हैक्टेयर के आस-पास है। 70 प्रतिशत जो हमारी सिंचाई है वह भू-जल से हो रही है, लगभग 70 प्रतिशत इस प्रदेश की कृषि असिंचित है और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस सिर्फ 30 लाख हैक्टेयर जो सिंचाई सिंचाई विभाग से होती है उन प्रीविलेज्ड काश्तकारों के बारे में ही हम चिंतन कर रहे हैं। जो 70 प्रतिशत किसान असिंचित जमीन पर खेती कर रहे हैं उनसे सिंचाई विभाग का कोई लेना-देना नहीं है और जो 70 प्रतिशत भू-जल से किसान अपने खर्चे पर कर रहा है उसके लिए भी यह महकमा नहीं है, उसके लिए भी यह खर्चा नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं जिस बात पर ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि जल संसाधन विभाग तो इस विभाग का नाम कर दिया मगर हमारे सोच में परिवर्तन नहीं हुआ। जल चेतना यात्रा तो हमने निकाल दी, बूंद-बूंद सिंचाई की बात तो हमने की है मगर हम दो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जहां फ्लो

(श्री भरत सिंह)

इर्रिगेशन है वहां बूंद-बूंद सिंचाई योजना सम्भव नहीं है और जहां बूंद-बूंद सिंचाई योजना की सम्भावना है वहां पर स्थिति बहुत विकराल रूप ले चुकी है क्योंकि हमारा जो पानी का दोहन है, जिस मात्रा में हम पानी का दोहन कर रहे हैं उस मात्रा में पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है। हम भू-जल रिचार्ज करने की बात तो कर रहे हैं मगर सिंचाई विभाग बना ही इसीलिए है कि वह जल संरक्षण इसीलिए करता है कि जब गर्मी का मौसम आये तो सारी व्यवस्था, पानी जो रोका वह सारी व्यवस्था खाली हो जाए। सोच ही अलग है, सोच को पलटना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इस निर्णय को करने के लिए यह जो जल नीति की आपने बात की है, मैंने उस जल नीति के ऊपर भी आपको सुझाव दिये थे, मैंने प्रश्न के माध्यम से भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है मगर जो कुर्सी पर बैठा है, शासन में बैठा है उसको सेंसेटिव होना पड़ेगा उन इश्यूज के लिए जिससे कि यह प्रदेश जूझ रहा है। वह किसान जो अपने साधन से खर्चा करके पानी ले रहा है उसकी क्या लागत है, कितना खर्चा आ रहा है? बहुत लोग-बाग़ तो डीजल के माध्यम से कर रहे हैं। अभी जो ओलावृष्टि की चर्चा चली थी, जो किसान अपने साधन से खेती कर रहा है, बिजली से खेती कर रहा है उसको तो बिजली उपलब्ध नहीं है, जो डीजल से कर रहा है उसको किस भाव में मिल रहा है? एक बीघा अपने साधन से सिंचाई करने की क्या लागत है और सरकार का साधन जो आप उपलब्ध करा रहे हो उसकी क्या लागत है और उसके ऊपर कितनी आप वसूली कर रहे हैं इसमें आपस में तालमेल करने की आवश्यकता है क्योंकि एक भाई तो बिलकुल दरिद्रता की ओर जा रहा है और दूसरों के लिए पूरी योजना है और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि सरकारें आईं, सरकार पलटी और फिर पलटेगी, मगर सोच नहीं पलटा है। सोच यह है, इस बात में आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। आज आप लोन ले रहे हैं। पिछली सरकार ने भी लिया और यह सरकार भी ले रही है। अगर आप लोन भी ले रहे हैं तो आपकी बनी बनाई सिंचाई योजना है, उसकी मरम्मत के लिए भी लोन ले रहे हैं। उन लोगों का क्या होगा जिनके यहां पानी नहीं पहुंच रहा है। आपको सोच में तब्दीली करनी पड़ेगी और मैं तो आपसे यहां तक कहूंगा कि जो आपकी माइनर इर्रिगेशन हैं, जो आप सिंचाई योजना बना रहे हैं, उसमें "सिंचाई" शब्द हटा लीजिये। आप पानी की व्यवस्था करिये और पानी अपनी व्यवस्था करेगा और वह भूजल को चार्ज करेगा। आपका पानी रोकने का जो दृष्टिकोण है, उसको पलटना पड़ेगा।

(श्री भरत सिंह)

आप एक माइनर इर्रिगेशन करते हैं, एक-दो-तीन करोड़ रुपये आप खर्च करते हैं और उसको उस पानी को आप गर्मी के मौसम में, जब उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, आप ड्रेन आउट कर देते हैं। पैसा पूरे राज का है। उस पानी को आप संरक्षित करेंगे तो आपका पानी चार्ज होगा और जितना आपके कमाण्ड एरिया में बनता है, उतना कमाण्ड अण्डरग्राउण्ड वाटर अपने आप चार्ज हो जायेगा। आपका जो हैण्डपम्प है, आप एक हैण्डपम्प पर 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, वह 50,000 रुपया खर्च होने पर भी हैण्डपम्प हवा फेंक रहा है, वह पानी जायेगा। आपको सोच में तब्दीली करनी पड़ेगी। इसमें आपको साहस की जरूरत पड़ेगी, नीतिगत निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। जब तक आप इस प्रकार के निर्णय नहीं लेंगे तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। यह बहुत स्पष्ट है, बहुत आपकी योजना है फोरेस्ट विभाग की और फोरेस्ट विभाग में आने की वजह से उसकी कोस्ट में लागत बढ़ती जाती है। मैं कहता हूं कि वह फोरेस्ट विभाग को आप बनाने दीजिये पानी की योजना। उसका यह नहीं है कि पानी जंगलात का है या सिंचाई विभाग का है। आप योजना को क्रियान्वित करिये और सिंचाई का अंश हटा लीजिये।

हमारे यहां तीन सिंचाई योजना हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है। वे इसलिए लागू नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उसका जो कोस्ट बेनेफिट रेशो नहीं आ पा रहा है। अगर फोरेस्ट विभाग भी उस पानी को रोक देता है, कोई भी विभाग रोकेगा तो वह पानी अपने आप उन गांवों के जो कुए हैं, वह रिचार्ज हो जायेंगे। आपको अतिरिक्त पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मेरा आपसे निवेदन है और इस दिशा में आप सोचें। मैं बहुत बार हमारे इलाके में जाता हूं। अनेक जंगल के इलाके में जाता हूं। कोई गांव आसपास नहीं है मगर 100-200 साल, 300 साल पहले वहां पर तालाब पर पाल बने हुए हैं और तालाब की व्यवस्था है। वह तालाब टूट गये। उस जमाने में लोगों ने जल संरक्षण की व्यवस्था की थी। आजादी के समय, जब देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे तालाब इन्टेक्ट थे। आज आपकी सिंचाई बढ़ी है, तालाबों की सिंचाई घटी है।

आपने जल अभियान चलाया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, मैंने भी उत्साह के साथ इस जल अभियान में शामलाती की और हमारे प्रभारी मंत्रीजी को लिखा था कि जितने भी आपके तालाब हैं, उन तालाबों से अतिक्रमण हटाइये। नाच-गाने हुए, वह अच्छा लगा हमें भी, मगर

(श्री भरत सिंह)

तालाब उसके ऊपर नक्शा कैसे कौन मिटायेगा और उन तालाबों को आपने पंचायतों को सुपुर्द कर दिया। पंचायत इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उसमें साहस नहीं है कि वह अतिक्रमण हटा सके। मैं आपसे कहूंगा कि आप तालाब को वापस लीजिये और उनकी सीमा में जितने अतिक्रमण हैं, उनको हटाइये और उनका अस्तित्व कायम करिये। पुराने जमाने में तालाब बना देते थे, अभी बनाये हैं, जंगलात की जमीन पर बनाये हैं, सिवाय चक की जमीन पर बनाये हैं और जल अभियान के बाद माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आप यह नोट कर लें, इनको तो आप नोट कर लें अपनी बुद्धि में इन बातों को। अभी जल अभियान कोटा के अन्दर, जल अभियान के बाद मेघा हाइवे झालावाड़ से खानपुर तक बन रहा है, पीडब्ल्यूडी बना रही है और नेशनल हाइवे 76 कोटा से बारां जिले में बन रहा है, लाखों टन मिट्‌टी चाहिए, पीली मिट्‌टी चाहिए। काली मिट्‌टी के नीचे पीली मिट्‌टी है। मैंने प्रभारी मंत्रीजी को लिखा, हमारे यहां के मंत्रीजी को कि ये मिट्‌टी खोद रहे हैं, हमारे तालाबों पर जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं, उनका स्वरूप अपने आप इससे निकल जायेगा, आप इनको खोदो। इस राज में कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सेंसिटिव नहीं है। चरागाह जमीन पर, मैं लिटरली बता रहा हूं कि इस हाल के बराबर खड्ढे कर दिये। उसमें कोई गाय गिर जायेगी। पैसा दूसरा लगा रहा है। उस पैसे को नियंत्रित रूप से आप दिशा दे सकते हैं, तालाब से अतिक्रमण हटा सकते हैं, नया तालाब बन सकता है। जल अभियान आप चला रहे हैं। काम आप करना चाहते हैं मगर उसके बाद कलक्टर को कह रखा है, प्रभारी मंत्रीजी को कह रखा है। मैं विधान सभा में आपसे कह रहा हूं, इन बातों पर ध्यान दीजिये। अभी एक-दो साल और चलेगी तब पूरे कोटा जिले के अन्दर तो सारे तालाब हो सकते हैं। मिट्‌टी उठाने की इजाजत तब दीजिये जब तालाब का स्वरूप बना लें। इस दिशा में आप चिंता करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, अभी हमारे खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। उन्होंने खानपुर का उल्लेख किया। खानपुर तहसील या खानपुर विधान सभा क्षेत्र में, मैं भी वहां से विधायक रहा हूं। सांगोद के ऊपर दीगोद विधान सभा क्षेत्र है, इसके ऊपर है, जो झालावाड़ जिले में जिसका आप उल्लेख कर रहे थे। यह राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसका जब बजट पेश होता है तो हर बार जिसमें हम लिखते हैं कि अकाल हमें विरासत में मिला है, 10 प्रतिशत हमारे यहां पूरे देश का भू-भाग है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी नहीं बजायें। आप एक घंटी बजायेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं नहीं, मैं तो आपसे यही कह रहा था कि आप बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं और वास्तव में यह तालाब वगैरह हैं, गांवों की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें गांवों के लोग ही, वहां के निवासी ही भागीदार हों और पुरानी परम्परा थी, उसको वह खुद मिटा रहे हैं और पंचायत को हमने यह सोचकर अधिकार दिये हैं कि वह ग्राम पंचायत है, वे आपस में बैठकर मुखिया जैसे पहले कार्य कर लिया करते थे, उस तरीके के फैसले नहीं होने की बजाय पंचायतों में जो भावना आपस में आ गई है राजनैतिक तौर पर आपस में चुनाव लड़ने के बाद, वही वास्तव में ही पंचायतें इस तरह से सक्षम नहीं हो पा रही हैं कि गोचर पर, ओरण पर, तालाबों की भूमि के ऊपर, आगोर पर से वह कब्जे हटा सके। इसके लिए बहुत ही गम्भीरता से सोचने की बात है कि यह जो स्थिति बनी है, उसमें चाहे तो सिंचाई विभाग अपने हाथ में ले, चाहे जलदाय विभाग अपने हाथ में लें, इनके अतिक्रमण हटाना बहुत आवश्यक है वरना सारी स्कीमों के लिए आप जिस तरह से चिंता कर रहे हैं, उसमें जितनी चाहिए सफलता, वह सफलता नहीं मिल पायेगी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखकर समाप्त करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान विधान सभा में पहले एक बार मैं विधायक था और इस टर्म में विधायक हूं। जब भी बजट पेश होता है, पहले उसमें जो एड्रेस होता है कि राजस्थान को विरासत में अकाल मिला, हमारे पास 10 प्रतिशत भू-भाग है, एक प्रतिशत हमारे पास सरफेस वाटर है पूरे देश का और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक प्रतिशत हमारे पास में सरफेस वाटर है और एक प्रतिशत से अधिक हमारा सरफेस वाटर जो दूसरे प्रांतों से मिलता है, वह आ रहा है। हम दो प्रतिशत मान लें, उस जो बाहर के प्रदेशों से आ रहा है, उसके लिए तो हम बड़े जागरूक हैं और उसका पूरा उपयोग हो, उसके लिए मैं सारी सरकारों को बधाई दूंगा। आपको भी दूंगा, पहले वाली सरकार को भी दूंगा कि अभी जैसलमेर में पानी आ गया, नर्बदा से पानी आयेगा। उस एक प्रतिशत पानी का उपयोग किया है और हम उसके बारे में इतने सेंसिटिव कि उसमें से थोड़ा-बहुत...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए, सात बजे तक बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिए, सात बजे तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री भरत सिंह (दीगोद): मैं यह जिक्र कर रहा था कि उस पानी पर जो हमारा हक है, उसके लिए हम संकल्प भी पारित कर रहे हैं, वह हमारे हिस्से का पानी मिल जाये। जो बाहर से आ रहा है पानी, उसके लिए हम जागरूक हैं मगर हमारा जो घर का पानी है, यह भी हकीकत है कि हम 60 साल बाद में भी उस एक प्रतिशत पानी का उपयोग नहीं कर पाये हैं। एक प्रतिशत पानी का हम उपयोग नहीं कर पाये हैं। इसमें जितनी भी सरकार है, जितने भी शासन में बैठे हुए हैं, उनके लिए शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि 60 साल बाद में उस एक प्रतिशत पानी का 60 प्रतिशत से कम हम उपयोग कर सके और 40 प्रतिशत पानी जो है, वह कहां है। वह मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में है और वह पानी को रोकने की योजना बनी है, जिसके लिए आप टेबल थपथपा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि पहले के साल में आप टेबल थपथपाते तो यह योजना पहले साल में होती। मगर मैं आपको एक बात और उल्लेख करना चाहता हूं कि कोई भी योजना बनायं, आप कोई वृहद योजना बनाते हैं, उसमें निश्चित रूप से फायदा भी होता है और कुछ लोगों को पीड़ा भी होती है, जिन लोगों के गांव डूब में आ जाते हैं। जिनको पीड़ा होती है, उनको पहले से ही विश्वास में लें। उनको जिस जगह से आप हटाते हैं, उससे बेहतर जमीन आप उनको उपलब्ध करायें चाहे आपको अपनी सरकारी जमीन देनी पड़े। मगर ऐसा नहीं हो कि वहां के किसान बर्बाद होकर इस योजना के सामने आड़ा बन जाये कि यह योजना स्वीकृत सिर्फ कागजों में रह जाये और नहीं हो।

(श्री भरत सिंह)

दूसरी चीज सबसे बड़ी चिंता इसमें आजादी के बाद हुई है, वह हुई है कि इर्रिगेशन का डवलपमेंट हुआ है, उसकी इक्वेलिटी पूरे स्टेट के अन्दर नहीं है। जो क्षेत्र आजादी से पूर्व साउथ-ईस्ट राजस्थान, साउथ राजस्थान, भरतपुर का इलाका, सवाई माधोपुर का इलाका और ये दूसरे इलाके उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी उस जमाने में था, आज पानी को तरस रहा है। जो डवलपमेंट हुआ है, उसका पानी को रोकने का, इन्हीं कारणों से आज 40 प्रतिशत डवलपमेंट नहीं हुआ है चम्बल बेसिन का, उसमें सारी योजना कागजों में रूकी है और व्यापक असंतुलन हुआ है पानी के डवलपमेंट में और दूसरी चीज, साथ ही साथ जो चीज हुई है, वह है हाइड्रोलोजिकल ड्राउट। हाइड्रोलोजिकल ड्राउट वह होता है जब आप भूजल का दोहन करते हैं, जिस क्षेत्र में नदियां होती हैं, भूजल का दोहन करने से भूजल नीचे बैठता जाता है और नदियां सूखती जाती हैं और इस स्थिति में और गम्भीर स्थिति तब होती है जब उस नदी के ऊपर बांध बन जाता है। अभी नगर से आने वाले सदस्य पांचना बांध की बात कर रहे थे, हम पंजाब से पानी लेने की बात करते हैं, हम हमारे हक की बात करते हैं, हम दूसरे प्रांत से पानी लाने की बात करते हैं मगर जो हमारे प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं उसके ऊपर बांध बना है क्या उस बांध का पानी नीचे के लोगों के लिए नहीं है, क्या वह हाइड्रोलोजिकल ड्राउट के लिए सफर करके उनकी जमीन सूखती जायेगी, बगीचे सूखते जायेंगे, नदी सूखी रहेगी? मैंने आपको पिछले साल कटौती प्रस्ताव के माध्यम से इस बात पर ध्यान दिलाया था कि आप बांध बनायें तो उसका पानी, कम से कम तीस प्रतिशत पानी नीचे के लोगों तक भी हो। अगर बीसलपुर का पानी, बांध बना है तो नीचे भी पानी उसका छोड़ा जाय और जगह-जगह एनीकट्स बनायें ताकि आपका भूजल चार्ज होगा। आप मानकर यह रखिये, अगर आपकी नदी जीवित है, नदियों में पानी है तो आपका भूजल चार्ज होगा। अगर आपकी नदियां सूखी हैं तो भूजल, जिसको हाइड्रोलोजिकल ड्राउट कहते हैं, ऐसी स्थिति पड़ेगी और वह इलाके वीरान हो जायेंगे, तो आपको नीतिगत तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। आपको डाउन स्ट्रीम बांध जो भी बांध हैं, पुराने भी बने हुए हैं, आपको कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे और उनको पानी की व्यवस्था नीचे के लोगों को करनी पड़ेगी ताकि ऐसा नहीं हो कि एक क्षेत्र में तो आदमी गया और वहां के फिर आदमी इकट्ठे होकर, एक चीज मैं और कहूंगा कि जो नहर बनाते हैं, जो इर्रिगेशन सिस्टम है उससे आप किसानों को संगठित भी कर देते हैं। जो पीड़ित हैं वह किसान

(श्री भरत सिंह)

अपने अकेला रोता है, उसकी मोटर जल जाये तो वह अकेला रोयेगा, उसकी बिजली नहीं आये तो अकेला रोयेगा मगर आपने एक नहर व्यवस्था के अंदर अगर कोई पानी जरा सा कम करा, पूरी नहर व्यवस्था हो जायेगी, आंदोलन सदृश्य। कभी छोटा किसान जो पिट रहा है उसने आंदोलन नहीं किया। जिसको आप दे रहे हैं वह आंदोलन करता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन करने का अधिकार नहीं है मगर जिस किसान के खेत में पानी नहीं जा रहा उसके लिए भी तो विभाग का हक है, उसके लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा। और सरकार नहीं सोचेगी और यह कहेगी कि तुमने सोचा था क्या, यह तो वही किस्सा हो गया कि एक मेमने को खाना था कि तूने पानी झूठा करा या नहीं, तेरे बाप ने करा होगा, वह तो गटका जाये। यह कब तक चलेगी इस विधान सभा की परम्परा कि यह तुमने नहीं करा है, हमारे राज में यह है, तुम्हारे राज में क्या है। यह मौका आज का है आपका, यह मौका आपको है। आपको दृढ़ता के साथ, अगर आप नीति की बात करते हैं तो आपमें सशक्तपूर्ण और सचिंतन करके अगर हमारी बात में दम है, एक बार एक मंत्रीजी ने ऐसे ही कह दिया था बाहर निकले तो कि भरत सिंहजी, आपकी बात में दम है। मैंने कहा कि मेरी बात में दम नहीं, दम आप में चाहिए, उसको लागू करने का है। तो मैं तो आपको मानता हूं कि आप काफी मजबूत मंत्री हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने कही है, हम लिखते भी रहते हैं मगर दुर्भाग्य से जो उत्तर आते हैं उससे पीड़ा होती है।

मैंने इसी प्रकार से एक प्रश्न किया था कि हमारी नदियां सूख गई थीं, क्या ऊपर से आप बांध बना रहे हो, नीचे पानी छोड़ोगे आप। तो बोले कि हमारी नीति में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो जो राज में बैठा है, मैं उम्मीद करता हूं वह सैंसेटिव होगा इस इश्यू पर। जब आप जल की बात करते हैं और मैं तो आपसे यह कहूंगा कि अगर आप बूंद-बूंद करते हैं तो फ्लो इर्रिगेशन की बात नहीं करें। आप पानी ले जायं, उसकी व्यवस्था वह करेगा। आप फ्लो इर्रिगेशन, आज मैं चम्बल को देख रहा हूं, मेरे क्षेत्र में आधा सिंचित होता है, आधा क्षेत्र असिंचित है। उस असिंचित किसान के क्षेत्र से मैं आता हूं, उसकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूं और जो सिंचित क्षेत्र है, 13 करोड़ रुपये बकाया हैं। यह बात मैंने एक बार, पिछली बार जब मैं विधायक था तो उस टाइम भी आप ही की पार्टी का राज था, माननीय उप राष्ट्रपतिजी उस टाइम मुख्य मंत्री थे। सिंचाई की बात चली उनके चैम्बर में

(श्री भरत सिंह)

तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप सिंचाई को जितना कम शुल्क रखेंगे उतना ही दुरूपयोग होगा पानी का, उतनी कदर कम होगी। उन्होंने मेरे से पूछा कि यह आप कह रहे हो, मैं सदन में बोलूं? मैंने कहा जरूर बोलिये। वह तो बात गई, मैं खुद सदन में बोल रहा हूं, मैंने कटौती प्रस्ताव लगाकर कहा है कि आप वसूल करिये। इसका परिणाम हो सकता है कि मुझे चुनाव में भुगतना पड़े मगर उस परिणाम से चिंतित नहीं हैं, इस राजस्थान के हित से हम चिंतित हैं कि उन दोनों स्थितियों के, उसमें संतुलन आपको लाना पड़ेगा और यह जिम्मेदारी है सिंचाई और जल संसाधन मंत्री के रूप में आप पर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान देंगे और मैंने जो आपसे अनुरोध किया है कि हमारे सांगोद में जो एनीकट्स हैं, मैं मेरे व्यक्तिगत कटौती प्रस्तावों के बारे में उल्लेख इसलिए नहीं करूंगा कि उसका उत्तर आप देंगे मगर उत्तर दें सेंसेटिव होकर, ऐसे ही नहीं कि उत्तर देना है और विभाग में आ गया और फाइल में लगा लेते हैं। मैंने वह सारे कागज आपके लगा रखे हैं, ऐसा नहीं हो कि यह भी एक फाइल का कागज बन जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जगसीराम कोली।

श्री मुरारी लाल मीणा: बीच वालों को भी बुला दें, लास्ट में बुलाते हो।

डा. सुरेश चौधरी: आप कमाल करते हो, बीच वाले मुख्य मंत्री बनेंगे, आप कह रहे हो, अगली बार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में होना जरूरी है नहीं तो फिर गड़बड़ हो जायेगी।

डा. सुरेश चौधरी: बीच वाले अगली बार मुख्य मंत्री बनेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अब नये सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठें अमरारामजी। अमरारामजी, बैठो, आप रोज बोलते हो ना।

श्री अमराराम (धोद): लास्ट में यह होता है कि रहने दो अब टाइम बहुत हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 46 सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर पर आज चर्चा की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार, विगत तीन साल के कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी की सरकार आने के बाद में आज अपन पेयजल और सिंचाई के बारे में सभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे

(श्री जगसीराम कोली)

हैं, आज पूरे प्रदेश भर के सभी माननीय सदस्यों ने आंकड़े जो बताये हैं, मैं सभी आंकड़ों पर नहीं जाते हुए सिरोही जिले और रेवदर विधान सभा क्षेत्र की और विशेष तौर से रेदवर विधान सभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं इस कार्यकाल में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी सांवर लालजी जाट साहब को कि जो यह विधान सभा के मेरे चुनाव जीतने के बाद में तुरंत इन्होंने एक तोहफे के रूप में सबसे पहला कार्य सुखली-सलवाड़ा बांध साढ़े बयालीस करोड़ रुपये की लागत से जिसकी शुरूआत हुई, उसमें तुरंत वहां की जनता को पता चल गया कि जो एक साधारण परिवार से हमने जिस व्यक्ति को जिता कर भेजा, विश्वास में सभी जनता हो गई कि किसान परिवार का व्यक्ति जो है, किसान की मांग को और आवाज को वहां की सरकार तक पहुंचायेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वसुंधराजी राजे सिंधियाजी को और आदरणीय सांवर लालजी जाट, मंत्रीजी को कि जो इस बांध का शिलान्यास करने के लिए पधारे और उस समय जयपुर से रवाना होते समय में मुझे जानकारी दी कि आप वहां पर पहुंचो, हम लोग टीम के साथ में आ रहे हैं। पूरे रेवदर क्षेत्र की जनता वहां पर आई और इस बांध की वाहवाही लूटी।

मैं इसके उपरांत कहना चाहता हूं कि पूरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अंदर आज भी रोजगार गारंटी के तहत छोटे-मोटे एनीकट, लगभग दो सौ के आसपास कार्य प्रगति पर हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ रेवदर विधान सभा क्षेत्र से लगता हुआ आबू रोड जो कि अम्बाजी आबू रोड रेवदर विधान सभा से लगता हुआ है वहां पर भैंसासिंह परियोजना बांध जो योजना बनी हुई है, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को जल्दी गति देते हुए कार्य प्रगति पर चलायें ताकि वहां के किसानों को और जनता को वहां का पानी बहकर गुजरात जो जा रहा है उसको रोका जाय ताकि वहां के किसानों को लाभ मिले।

इसी तरह मेरे क्षेत्र की छोटी-मोटी बातें हैं जो मैं सदन में रखना चाहूंगा, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह नर्मदा नहर का पानी सिरोही जिले में लाया जाय और रेवदर विधान सभा क्षेत्र से लगता हुआ है तो मेरा आग्रह है कि इसको जोड़ा जाय। सूलेवा डेम जो पहले बना हुआ था, अधूरा था, बारिश होने की वजह से टूट गया था, मेरा आग्रह है कि इसको भी पुनर्निर्माण किया जाय। सिरोही जिले का अधिकतर जो पानी है, गुजरात सीमा

(श्री जगसीराम कोली)

से लगता हुआ है और जो सारा पानी आबू की शाखाओं से निकलता हुआ जा रहा है तो इसको रोका जाय ताकि रेवदर की जनता और सिरोही जिले की जनता को लाभ मिले।

एक रेवदर के पास बासण बांध जो है मिट्टी से भरा हुआ है, उसका अभी जून-जुलाई में पानी कम होगा तो उसकी भी वापिस मिट्टी निकाली जाए। पंचदेवल बांध में 2003 में जो उसका कार्य निर्माण हुआ था, उस निर्माण में कुछ त्रुटियां हैं, पानी के रिसाव से जो पानी निकल रहा है अंदर से, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इस वर्ष सिरोही ज़िले में काफी बारिश हुई है, उस समय मैंने आपसे फोन से भी निवेदन किया था कि मंत्री महोदय बांध जो फुल भर गया है और इसका वहां जो अधिकारी है वह ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं खुद जाकर उस समय वहां था, उस समय नहर का रिसाव था वह उसमें 150 मीटर था, वहां पर मात्र 50 मीटर ही है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध का निर्माण जो हुआ है उसमें जो कुछ भी अनियमितता हुई है, अधिकारियों की लापरवाही से बांध फूटने की स्थिति बनी थी, उसकी आप जांच करायें और न्याय दिलावें, अन्यथा इस तरह अपनी सरकार में बारिश तो होना ही होना है, इस वर्ष भी भाजपा की सरकार है, बारिश खूब होगी तो यह बांध फूटने की स्थिति में न हो, इसको आप दिखवाएंगे।

पेयजल के अंदर जल चेतना यात्रा द्वारा 16 मई को सिरोही जिला मुख्यालय पर जल चेतना यात्रा के द्वारा वहां पर प्रभारी मंत्री द्वारा आयोजन हुआ उसके उपरांत पूरे क्षेत्र में, जिले में, गांव, ढाणी और शहर में जल चेतना यात्रा के माध्यम से प्रचार-प्रसार हुआ उसके बाद में पूरे क्षेत्र में पूरी जनता में अच्छा संदेश गया कि इस सरकार में जो कार्य हो रहे हैं पानी के लिए काफी अच्छे हो रहे हैं। मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब भी हमने बताया पानी के बारे में, हैण्डपम्पों के बारे में जो भी जानकारी दी, तुरन्त प्रभाव से उन्होंने हमारी सुनी, उन अधिकारियों को जानकारी दी और उसका तुरन्त समाधान और निराकरण हुआ। सिरोही जिले को भी फ्लोराइड के लिए लिया, इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रेवदर क्षेत्र में आज कोई वंचित न रह जाए, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा इसको भी सम्मिलित किया जाए।

(श्री जगसीराम कोली)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल हेतु क्षेत्र की जो मांग है उसका प्रपोजल बनाकर उस पर विभाग की कार्यवाही हो चुकी है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े-बड़े रेवदर क्षेत्र में गांव जुड़े हुए हैं जैसे मलावा, सुलेवा और रोठवा, इन गांवों में पानी की टंकी बनाई जाए और रेवदर मुख्यालय पर गांव की आबादी को देखते हुए वहां पर एक बड़ी पानी की टंकी बनाई जाए ताकि वहां की जनता को राहत मिले और एक मलवा-खेतलाजी नदी पर पानी का बहुत आवागमन है, उसको रोक लिया जाए तो वहां के किसानों के लिए काफी राहत मिलेगी। इस सरकार में आने के बाद में और वसुंधराजी की सरकार में माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मुझे जितना कोपरेट किया है आपने पूरे इस कार्यकाल में पी एच डी और सिंचाई के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी होगी, तुरन्त प्रभाव से उसकी कार्यवाही की होगी। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर इर्रिगेशन और पी एच डी के अंदर सारे जो जेईएन हैं, अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि 200 छोटे-मोटे एनिकट के कार्य शुरू हैं, चालू हैं, संचालित हैं उसमें जेईएन की जो पोस्टें खाली हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी भरें ताकि कार्य प्रगति पर रहे।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का मनोहर दक्षिणी राजस्थान के जिला बांसवाड़ा की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा में माही-बजाज सागर परियोजना गुजरात व राजस्थान के सहयोग से निर्माणाधीन है, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई व जल परियोजना है, यह परियोजना माही का जो डेम सन् 1966 में गुजरात और राजस्थान के मध्य इस डेम का निर्माण हुआ है। इस डेम का निर्माण 1971 में प्रारंभ होकर के बांसवाड़ा जिला में इन तहसीलों के अंदर पानी की जो सप्लाई हो रही है व वहां का ट्राइबल इलाका जो है वह इस पानी से काफी फायदा ले रहा है लेकिन इसके अलावा माही डेम के पानी की नहर बनने के बावजूद अभी-अभी नई सर्वे हुई है तो 2.50 लाख हैक्टेयर जमीन अभी भी बांसवाड़ा जिले की पानी से वंचित है जिसकी सर्वे मान्यवर, मुख्य मंत्रीजी द्वारा गत माह अप्रैल में 25 से 28 के दरमियान बांसवाड़ा जिले

(श्री नवनीत नीनामा)

का दौरा हुआ और इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यह जो जमीन पानी से वंचित है उसकी सर्वे कराई जाए, उसके अनुसार अभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा सर्वे की गई है। भूंगड़ा नाम की कैनाल है, उस कैनाल से एक शाखा नहर निकालकर के 0.1980 से नहर निकालकर इसके आगे सर्वे शुरू की गई है और इस नहर में 48 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना बनाई जाकर के राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई है। इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी स्वीकृति देकर के इस नहर को शुरू किया जाए। इस नहर का काम शुरू होने से गांव खेरवा, गोलियावाड़ा, झरकनिया, भालकडा, नाथजीकडा, कुंडा, उदादी का घडा, भगोडो का खेरा, खडियो का पाडा, खमेरा, पादल, लालपुरा, महापुराकडा, महापुरा राठोर, रामली, पालीखेडा, रूपजी का खेडा, हरनेकजी का खेडा, नाडा वरदिया, रोनियो, कालिया, सूण्डई, हमीरगढ, झांझोल, सांकडा पाडा, देलवाडा, रावणा, भूखियापाडा, जगपुरा, रोपिया, रघुनाथसिंह का गडा, कुडली, गरजिया मगरा, बामनपाडा, दुकवाडा, बसीपाडा, कनकपुरा, मोटापाडा, बडाना, सिरोला, मोहर, बूंदी वाली रेड, सेखला, शिलतीया, मंगेलापाडा, पडोलीराठोर, केशरपुरा इस तरह से मूटा गांव की सीमा तक 21 ग्राम पंचायतों के 80 गांवों की 1 लाख 85 हजार 751 बीघा जमीन अर्थात 23,118 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी...

इस नहर की लम्बाई पन्द्रह से बीस किलोमीटर होगी और इसकी लागत 69.75 करोड़ रुपये अंकन की गई है ऐसी स्थिति में मान्यवर, सिंचाई मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि उसकी जो योजना बना करके भेजी है उसकी स्वीकृति दिलवा करके इस 48 करोड़ की योजना का काम शुरू कराया जाए। ऐसा मेरा निवेदन है।

मान्यवर, इसी तरह से दूसरी योजना पीपलखूंट पंचायत समिति के एरिये में टेकिंग फ्रोम राइट बैक ऑफ माही डेम के अन्तर्गत नहर निर्माण में निम्न ग्राम पंचायतों के ग्राम आते हैं ग्राम टामटिया, चौकी, नाल, रोजड़ी, खरवोटी, केलामेला, नलदा, खेसला, भैं, बोरी, धारणा, दाता, मुहुड़ीखेड़ा, पीपलखूंट, मोरबनिया, जेथलिया, सोवनिया इस तरह से पाँच ग्राम पंचायतों के कुल सत्रह गांवों के 6048 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी । जिस नहर की अनुमानित लागत 112.58 करोड़ रुपये आंकी गयी है। इन दोनों नहरों का कार्य प्रारम्भ करके कार्य शुरू किया जाए तो वहां की जनता, वहां के किसान अपनी योजनाओं के अनुसार खेतों में काम कर सकें, ऐसा मेरा निवेदन है।

(श्री नवनीत नीनामा)

मान्यवर, आगे पीपलखूंट पंचायत क्षेत्र में ऐसी पाँच पंचायतें हैं जो माही डेम के बैक वाटर से लगी हुई हैं जिसका पानी उन गांवों में पहुंचने वाला नहीं है न ऊपर कोई नहर आने जैसी योजना है, न तालाब बन सकता है। मैंने खुद ने विभागीय अधिकारियों को भी जानकारी दी है। मैंने खुद ने सर्वे किया है कोई ऊपर ऐसा नाला भी भरा नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां के किसान वाटर पम्पों के द्वारा अपने खेतों में पानी आज भी माही डेम के बैक वाटर का पानी लेते हैं। ये गांव हैं रोहणिया, खाकरा, राणपुर, भमेड़ी, मांडली, परतीपुरा, खरियावानी, खरवाड़ा, बर्दीखेड़ा, पीपल्दा नाइन, बावड़ी, गोठड़ा, मांडवी, सालिया, बड़ावदा, मालिया, दिरिया भरा, पौपड़ा, आखापुर, हरोठ, साकबारी इस तरह से पाँच ग्राम पंचायतों के दो तीन गांव हैं जो वाटर पम्पों से आज मौके पर खेती कर रहे हैं । अत: मेरा आग्रह है कि वहां सर्वे कराया जाकर लिफ्ट योजना बनायी जाए और वहां के किसानों को पानी खेतों में सप्लाई कराया जाए, इस प्रकार से मेरा निवेदन है ।

मान्यवर, अब मैं पेयजल के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं विधान सभा क्षेत्र घाटोल के अन्दर पाइप लाइन से पीने के पानी की योजना के गांवों की स्वीकृति हुई है वो है घंटाली, केशरपुरा, घाटोल, बासलीखेड़ा और डूंगरिया इन पाँच गांवों की ढाई करोड़ की योजना तैयार हो करके राज्य सरकार को भेज दी गयी है और इनका पैसा स्वीकृत भी हो चुका है। अत: मेरा आग्रह है कि इनका काम तुरंत प्रारम्भ कराया जाय और वहां की जनता को पीने के पानी की सुविधा दिलायी जाए। इसी तरह से विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सबनिया, छोटीपड़ात, भुवासा, बामनपारा, चौकड़ी ये पाँच ग्रामों की योजना आपके पास आ चुकी है लेकिन लम्बित है, विचार किया जा रहा है इस पर इसलिए आप तत्काल स्वीकृत करके इनका काम शुरू कराया जाए और पानी पिलाने की व्यवस्था करायी जाए तो अति आवश्यकता जो हमारी है वो पूरी हो जाए।

मान्यवर, अभी हाल ही में रोजगार गारंटी योजना के अन्दर जो काम चलाये जा रहे हैं गत वर्ष पीपलखूंट क्षेत्र में ही करीब चार करोड़ के काम हुए थे एनिकट कच्चे और जिसमें बारिश के कारण वो एनिकट कई जगह टूट गये, पानी बह गया तो मेरा ऐसा आग्रह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद वो कच्चे मिट्टी के जो एनिकट बनाये जा रहे हैं जिसको चैक डेम भी कहा जाता है लेकिन पानी बरसात आती है उस वक्त रात को बारिश होती है तो उसकी

(श्री नवनीत नीनामा)

कोई निगरानी करने वाला होता नहीं है अत: मेरा आग्रह है कि इस वाटर पम्प को ऊपर लाने के लिए जो सरकार की योजना है उस योजना को सफल बनाने के लिए वहां अगर चैक डेम बनाया जाए और सर्वे करके ओवरसियर इंजीनियरों की जानकारी में लाकर के पानी की निकासी रखी जाए ताकि वो बच सके क्योंकि वो टूट जाता है जिससे नाजायज करोड़ों रुपयों का खर्चा आता है और उसी जगह पर अभी काम फिर रोजगार गारंटी योजना में चल रहा है तो इस तरह की स्थिति विचारणीय बिन्दु है इसलिए ओवरसियर इंजीनियरों की जानकारी में रख करके ये चैक डेम बनाया जाए तो उसकी सुविधा रहे। ऐसा मेरा आग्रह है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। बोलने वाले सदस्य बहुत हैं और दस मिनट का समय हो चुका है।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): मान्यवर मेरा ऐसा आग्रह है कि अभी जो मैंने सुझाव दिये हैं, मांग ही की है, मैंने कोई प्रवचन नहीं दिया है, इन सुझावों पर माननीय मंत्री महोदय अगर मेरे को आश्वासन दें तो मैं इंतजार कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल देंगे आश्वासन देंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

माननीय सदस्य, श्री कालूलाल जी गुर्जर राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 12(3)(F) के अन्तर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): तय यह हुआ था उपाध्यक्ष महोदय, दो इधर से और एक उधर से और एक बीच में से। थोड़ा हो सकता है एकाध बार तो काट दिया जा सकता है संख्या के हिसाब से पर हर बार तो नहीं ।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): इनके बाद अगर नहीं बुलाया तो फिर हम हल्ला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: हम कर देंगे। बोलने वाले सदस्य वास्तव में आज ध्यान रख रहे हैं दस मिनट से ज्यादा नहीं बोले हैं। सबको समय मिल जाएगा।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर चल रही चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल के क्षेत्र में अनेक जिले जो बहुत ज्यादा पीड़ित थे उन जिलों में कुछ कार्य हुए और कुछ कार्य चल रहे हैं। पेयजल की समस्या का समाधान करने का प्रयास विभागीय स्तर पर किया जा रहा है लेकिन विभागीय स्तर पर ही कार्य की गति नहीं होने के कारण उसमें विलम्ब होने से जहां एक ओर आम जन को सुविधा जो समय पर मिलनी चाहिए उसमें उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है वहीं इन प्रोजेक्ट्स के डिले होने के कारण महंगाई की मार पड़ने के कारण प्रदेश के प्रोजेक्ट्स की कीमत भी बढ़ रही है। इसका भार भी सीधा आम जन पर ही आया है। इसी क्रम में मैं बीसलपुर परियोजना का हवाला देना चाहता हूं लम्बे समय से इस परियोजना पर कार्य चल रहा है । जयपुर तक उसके पेयजल को पहुंच जाना चाहिए लेकिन कार्य के विलम्ब होने के कारण जयपुर का आम जन हर समय पानी की किल्लत को महसूस कर रहा है । ठीक इसी तरीके से नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से सांचोर, जालौर और बाड़मेर तक पेयजल पहुंचाया जाना चाहिए था वो कार्य भी अभी अपनी पूर्ण गति में नहीं चल पा रहा है। दूसरी ओर वहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से। नागौर और जोधपुर तक भी पानी को पहुंचाये जाने की प्रगति विभागीय स्तर पर की जा रही है । मैं आशा करता हूं कि संसाधनों की कमी न होने के बावजूद, धन की कमी न होने के बावजूद कार्य जो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

विलम्ब से किये जा रहे हैं उनके कारणों को तलाशते हुए इसकी गति को बढाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिस वक्त शुरू की गई और कंवर सेन लिफ्ट नहर का निर्माण जिस सोच के साथ किया गया वह यह था कि उस मरू स्थलीय इलाके की पेयजल की आवश्यकता को पूरा किया जाये । आज अनेकों वर्ष बीतने के बावजूद जिला बीकानेर के अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जो बारह महीनों पेयजल की किल्लत से जूझते हैं और आज तक उनकी कोई माकूल व्यवस्था नहीं हो पायी है । जब कि इसी परियोजना को आगे बढाते हुए हम अन्य और जिलों को भी पानी देने के लिये अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं । इसी क्रम में मैंने मेरी ओर से कुछ समस्याओं को कट मोशन के माध्यम से भी इंगित किया है और साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां के अनेकों ऐसे बड़े-बड़े कस्बे हैं जहां पर फ्लोराइड युक्त पानी वहां के आम जन को पीना पड़ रहा है । आशा करता हूं विभाग अपनी ओर से इस बारे में कुछ ऐसे प्रयास करेगा जो हमारे उसंगसर हैड, गैरसर, बमलू, उदसर और नापासर तक हम इस पेयजल को पहुंचा पायेंगे जिससे बहुत बड़ा इलाका लाभान्वित हो और वहां के व्यक्ति, वहां का आम जन हर समय जो पेयजल की किल्लत को महसूस कर रहा है उसका समाधान वहां हो पाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभागीय स्तर पर कुछ योजनओं को स्वीकृत किया गया । योजनाएं निश्चित रूप से लम्बे समय से लम्बित थीं और उनकी स्वीकृति हुए लगभग 8-10 महीने का समय बीत गया आज भी उनके ऊपर काम शुरू नहीं हो पाया है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा फिर वही निवेदन है कि काम की गति अगर रहेगी तो जो एक प्रोजेक्ट की कोस्ट है उस कोस्ट में वह काम हो पायेगा । जैसे-जैसे हमारा काम लम्बित होता जायेगा प्रोजेक्ट की कोस्ट बढ़ती जायेगी। ठीक वही दशा आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा लूणकरणसर, कस्बा कालू और आस पास के अनेकों गांवों के लिये जो पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिये वहां स्कीम को रिवाइज किया गया था आज की आबादी को देखते हुए उसके ऊपर काम नहीं हो पाया है । वहीं दूसरी ओर जैतपुर, मेठडिया, फुलेजी यह आस पास के गांव हैं यह भी आज पेयजल की समस्या से लम्बे समय से पीड़ित हैं। यहां का भी प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया लेकिन विभागीय स्तर पर आज तक

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

भूमि भी चिन्हित नहीं की जा सकी जो अपने आप में आश्चर्य का विषय है। लूणकरणसर की स्कीम को तो अब रिवाइज करने की बात सामने आने लगी है । जब आपने लम्बे समय तक किसी स्कीम के ऊपर हर एंगल से उसको देख लिया और उसके बाद स्वीकृति के उपरांत ऐसी क्या नयी बातें विभाग के सामने आई मेरी समझ से परे है। वहीं आसपास के गांव जो सलाइन वाटर से पीड़ित थे हमारे गुश्टी, खाजरी, सेजरासर यहां के इस प्रोजेक्ट को आपने शुरू तो किया है लेकिन गति वह नहीं है जो इस कार्य को पूर्ण करने के नाम पर होनी चाहिये । वहीं आसपास के गांव शुभलाई, अजीतमाना, लखावर यह ऐसे गांव है जहां हर समय पानी की किल्लत रहती है । एक सबसे बड़ा संकट यह है कि विभाग के स्तर पर सूचनाओं को दर्ज तो कराया जाता है लेकिन वह सूचना कब दर्ज की गई है उसका कोई प्रमाण आम व्यक्ति के पास नहीं होने के कारण आधिकारिक स्तर पर यही कहा जाता है कि नहीं यह तो असत्य बोल रहे हैं, या यह कम्प्लेन हमारी तरफ से की ही नहीं गई है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि वह इस तरीके का प्रकोष्ठ एसई या एडिशनल सीई के स्तर पर बनाये जहां पर कम्प्लेन लॉज की जाये और उसका बाकायदा नम्बर दिया जाये जिससे उस स्तर पर भी मानेटरिंग हो कि निचले स्तर पर उनका कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरत रहा है तो कम से कम वह कम्प्लेन कब दर्ज हुई इसको देखा जाये और बार-बार किसी स्थान विशेष पर कम्प्लेन दर्ज की जाती है तो उसकी जांच की जाये कि क्या ऐसे कारण है जिससे बार-बार कम्प्लेन दर्ज की जा रही है । अनेकों जगहों पर छोटी-छोटी आवश्यकताओं की अगर समय रहते पूर्ति कर दी जाये, छोटे-छोटे कामों को अगर समय रहते पूरा कर दिया जाये तो विभाग के ऊपर बार-बार जो मार पड़ती है, स्थान विशेष पर अगर विद्युत की कमी के कारण, लाइनों के फाल्ट के कारण, लाइनों की चोरी हो जाने के कारण अगर विद्युत सप्लाई बाधित होती है, आपके पम्पिंग स्टेशन काम नहीं कर पाते हैं तो उस इलाके की पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिये आप वैकल्पिक व्यवस्था करके वहां पर टैंकरों से पानी पहुंचा रहे हैं । तो जब हम एक ओर पावर कट की समस्या से पीड़ित हैं हम कहते हैं कि क्या करें साहब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बिजली की कटौती कर दी इसलिए पानी पम्पिंग नहीं हो सकता । हमारी वहां पर स्टाक की लिमिट भी एक दिन की होती है, 24 घंटे का स्टाक हम वहां पर रखते हैं तो ऐसे समय में ऐसे स्थानों को क्यों नहीं चिन्हित करके डाइरेक्ट

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

फीडर से जोड़ दिया जाता है । उसके ऊपर पहले दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके धन का अपव्यय क्यों किया जाता है । मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर विभागीय स्तर पर नजर डाली जायेगी और इसके कोई प्रभावी कदम उठाते हुए विशेष तौर से लखावर और सादोलाई का जो हमारा पम्पिंग स्टेशन है इसको डाइरेक्ट फीडर से जोड़ने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही और अनेकों ऐसे बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए जिनकी राशि इतनी बड़ी थी कि यह आशा नहीं की जा रही थी कि इतने बड़े-बड़े कार्य स्वीकृत होंगे। तो इससे यह तो जाहिर होता है कि धन की कमी नहीं है लेकिन स्थानीय स्तर पर जब तक अधिकारी समस्याओं को चिन्हित करके और उनकी पूर्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आम जन पीड़ा भोगता रहेगा और चाहे आप सैकड़ों, हजारों करोड़ की स्कीम बनाते रहे, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लाते रहे जब तक आम जन को लाभान्वित करने के लिये ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है ।

इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं अनेकों हमारे ऐसे गांव हैं जहां पर पुराने ओपन वैल हैं। उनका पानी मीठा है लेकिन विभागीय स्तर पर कभी भी यह सोच नहीं रखी गई कि उन ओपन वैल को ही हम अगर मोटर लगा कर और पास ही के गांव में जो विद्युत व्यवस्था है एक छोटा सा ट्रांसफारमर रख कर जोड़ दें तो एक पानी का एडिशनल सोर्स वहां पर डवलप हो जाये और पाइप लाइनों पर जो हर समय आम लोग मुहैया रहते हैं उस व्यवस्था से निजात मिल पाये । इसी क्रम में मैंने मेरी ओर से निवेदन किया कि हमारी तहसील लूणकरणसर के ऐसे बहुत से गांव हैं जैसे मेठडिया, अदनीसर, बालादेसर, रामबाग यह वह गांव हैं जहां पर पुराने ओपन वैल हैं। अभी पिछले समय में जो एक अभियान चलाकर सम्पत्तियों को चिन्हित किया है, परिसम्पत्तियों की जानकारी ली है उसके माध्यम से भी जानकारी मिल सकती है । बार-बार विभाग ने अभियान चलाये हैं । उन अभियानों के मार्फत भी हमें जानकारी मिली होगी । हम उनकी अगर पूर्ति करें तो निश्चित रूप से आम जन को सीधा लाभ मिल पायेगा । इसी के साथ मेरा यह भी निवेदन है कि गांव की अनेकों लाइनें ऐसी हैं जो पुरानी हो गई हैं, आज आबादी बहुत बढ गई है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लाइनों की मरम्मत करने के लिये समय पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा ।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, एक तकलीफ है हमारी तहसील लूणकरणसर और हमारा बीकानेर जिला पशुपालन के लिये जाना जाता है। आज पानी की जब कभी बात आती है तो जनसंख्या को आधार बनाकर पानी की सप्लाई दे दिये जाने की बात को विभागीय स्तर पर कहा जाता है। जब कि पशुओं की संख्या, हो सकता है कि जब कभी सर्वे किया गया हो तब पशु लेकर कोई पास के जिले में गये हुए हों या कहीं और गये हुए हों तो हो सकता है कि वह उस गणना से वंचित रह गये हो तो व्यवस्था को नहीं किया जाता । इसी क्रम में अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर आज इसी कारण ट्यूबवैल स्वीकृत नहीं हो पाये हैं क्योंकि वहां पर पाइप लाइन से जो पानी पहुंचाया जा रहा है उसको काफी माना जा रहा है और पाइप लाइन का साइज भी जो पूर्व में चला आ रहा था वह का वह चला आ रहा है । जब कि हमारे यहां पर ऐसे गांव हैं जहां हजारों की संख्या में पशु हैं । अब पशुपालक कहां जाये, पेयजल की व्यवस्था कहां से करे । इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर ग्राम पंचायत शेरपुरा का एक छोटा सा गांव है नाम है ढाणी छिल्ला वहां पर पशुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां पर प्राथमिकता से ट्यूबवैल स्वीकृत होना चाहिये था लेकिन विभागीय स्तर पर नहीं किया जा रहा है । इस तरीके के अनेकों और भी है मैं मंत्री महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने मेरी ओर से भी इसको इंगित किया है, आशा करता हूं आप इन कार्यों की प्राथमिकता को देखेंगे और यह जानेंगे कि वास्तव में हमें इन कामों को बहुत पहले पूरा कर देना चाहिये था।

वहीं दूसरी ओर जो हमारे जीएलआर वगैरह बने हुए हैं, नार्म्स के अनुसार वह जीएलआर बहुत पहले क्षतिग्रस्त हो गये थे, रिपेयर होकर के या नये बन जाने चाहिये थे उसकी तरफ विभागीय स्तर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा । आज पेयजल भंडारण की बात हम कर रहे हैं। आने वाले समय में केनाल क्लोजर भी होगा । हम पूर्णत: डिपेंडेंड हैं हमारी इस नहर परियोजना के ऊपर तो कैसे पानी की व्यवस्था बन पायेगी यह भी एक सोचने की बात है। गर्मी का समय और केनाल क्लोजर इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाये। आने वाले समय में आप इसके लिये प्रभावी कदम उठायें यह मैं निवेदन करना चाहता हूं । वहीं यह भी कहना चाहता हूं अनेकों ऐसे गांव हैं जहां पर ट्यूब वैल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पुराने ट्यूबवैल हैं वह अब उपयोगी नहीं रहे हैं तो हम नये ट्यूबवैल भी वहां स्वीकृत करें। इसी क्रम में मैंने मेरी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

ओर से कुछ स्थान चिन्हित करके आपको निवेदन किया है, आशा करता हूं आप इस पर ध्यान देंगे ।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं आज पैसा इतना ज्यादा विभाग को दिया जा रहा है लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते मंत्री महोदय, आज ऐसे अनेकों विद्यालय हैं जहां विभागीय स्तर पर पैसा आने के बावजूद वहां पाइप लाइन नहीं पहुंचा पाये हैं और वहां का आम छात्र पानी की पीडा को आज तक झेल रहा है और इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि सीनियर सैकण्डरी स्कूल एक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय है उसमें आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है। पेयजल की वहां लाइन नहीं जुड़ पाई है। इसी सियाऊ की ढाणी शेरपुरा में प्राथमिक विद्यालय है वहां पर लाइन का कहीं दूर-दूर तक पता नहीं है।

राजीव गांधी पाठशाला 1538 हैं, वहां पर भी आज तक कुछ पता नहीं है, मेरा निवेदन है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा इलाका सिंचाई से जुड़ा हुआ है यहां पर लम्बे समय से आम जन सिंचाई की सुविधाओं को ले रहे हैं लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्टस है जो डिले भी चल रहे हैं। इस क्रम में मेरा निवेदन है कि सूई सब ब्रांच के नाम पर कार्य शुरू किया गया था। हमारा साहबा पम्पिंग स्टेशन नम्बर तीन के डाउन स्ट्रीम से इसको आगे चलते हुए जेतपुर के दक्षिण तक जाना था। जेतपुर माइनर बनना था, खोडाला माइनर बनना था और शैक्सर माइनर बनना था, यह काम न जाने क्यों रूक गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि यह लम्बे समय से लम्बित योजना है इस योजना की पूर्ति कराये जाने के प्रयास किये और इससे बहुत बड़ा इलाका लाभान्वित होगा, आशा करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे।

इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में बार-बार एक समस्या आती है, कभी भी नहर के अंदर पानी कम हो जाता है, कभी भी कोई नहर बंद हो जाती है, यह बात आज तक समझ नहीं आई कि यह कारण क्या है। अगर कोई जागरूक व्यक्ति पीछा करता है तो कह दिया जाता है कि और फलक्चुएशन आने के कारण पानी कम हो गया। जिस व्यक्ति का एक बार पानी कम हो गया, आप तो स्वयं काश्तकार हैं, इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जिसकी बारी गई उसकी बारी कभी लौटकर नहीं आती, विभाग किसी भी स्तर पर उसका कम्पनसेट नहीं कर पाता है। मेरा

निवेदन है यह समस्या क्यों खड़ी होती है, इसकी जांच की जानी चाहिये। स्थानीय स्तर पर कहां कमियां रहती हैं इस बात की जानकारी की जानी चाहिये।

इसी के साथ-साथ विभाग ने समय-समय पर अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक प्रयास किया, एक यूज़र एसोसिएशन बनाने का प्रयास किया। आज जहां एक-एक पैसे के लिए आमजन मोहताज है आप एक एसोसिएशन बनाकर अपनी जिम्मेदारी उनके माथे पर ड़ालना चाहते हैं। पानी की पर्ची की व्यवस्था भी वो ही करें, रिपेयरिंग और मेंटीनेंस की तरफ भी वही सोचें, ऐसी व्यवस्था आज हमारे इलाके में कारगार साबित नहीं हो सकती, मेरा निवेदन है कि ऐसा प्रयास न किया जाए।

इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय निवेदन है कि अनेक हमारे यहां पर इस तरीके के माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरिज बनी हुई हैं जिनका निर्माण के समय में किसी भी कारण से, कोई टैक्नीकल कमियां रहने के कारण उनका बैड लेवल ठीक नहीं हुआ जिसके कारण आज टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और अनेकों तो ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत छोटी-छोटी लागत की आवश्यकता है। तहसील खाजूवाला का बीडी नहर है महज 6 या 7 लाख रुपये की आवश्यकता है उसका बैड लेवल ठीक करने की। अगर समय पर ठीक हो गया होता तो आज मेरे ख्याल से दो-चार करोड़ रुपये की फसल वहां से आमजन को मिल गई होती।

ठीक इसी तरीके से हमारा केजीडी नहर है उसका बेडलेवल ठीक नहीं है इसके बारे में अभी डिसिल्टिंग कराकर प्रयास किए गए किसी तरीके से टेल तक पानी पहुंचाने के लिए लेकिन यह कोई व्यवस्था नहीं है जब तक पूगल ब्रांच से केजीडी नहर को जोड़ने के लिए हम लिंक चैनल नहीं बनाएंगे तब तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा।

ठीक इसी तरह बीजीएम नहर है उसकी भी यही स्थिति है, बैड लेवल ठीक नहीं है, वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसी के साथ साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में साइफोंस को हटाने की कार्यवाही की गई। पहले साइफोंस की सिंचाई की सुविधा दी गई बाद में उनको हटाया गया। हटाने से पहले तय किया कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी लेकिन तहसील छपरगढ़ के 9 डीओएल के काश्तकार आज तक उस समस्या से जूझ

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

रहे हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई, वह आज तक सिंचाई से महरूम हो रहे हैं, कारण तलाशे जाने की बहुत कोशिश की लेकिन समाधान नहीं मिल पाया। पर्टिकूलर उस राइट आउटलेट के अंदर देखा जाए पानी का गेज, तो ऐसी व्यवस्था अगर सारी जगह बन जाए तो मेरे, ख्याल से हिन्दुस्तान में स्वर्ग धरती पर यहीं आ जाए, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, दुनिया में स्वर्ग होगा तो हिन्दुस्तान में ही होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उस गहराई में जाया जाए, उन काश्तकारों की पीड़ा को समझा जाए, उनको वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसका समाधान किया जाए।

इसके साथ-साथ अंत में मंत्री महोदय, मैं आपको दो बातें निवेदन करना चाहता हूं हमारा इलाका, जो यहां पर पानी को लिफ्ट किया जाता है लिफ्ट करने के अंदर हम मुख्य रूप से बिजली पर आश्रित हैं। बिजली के फलक्चुएशन के कारण हमारी व्यवस्था गड़बड़ाती है। पानी के कम होने के कारण हमारे यहां किसान आंदोलन हुए है। आज पानी की व्यवस्था को किसी प्रकार से लाइन पर लाने का प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन वह समस्या क्यों खड़ी है उस गहराई में अगर हम जाएं तो हम जानेंगे कि विभागीय स्तर पर कुछ काश्तकारों को ज्यादा पानी मिल रहा था तो कुछ को कम मिल रहा था। कम वालो की पीड़ा उजागर होकर हमारे सामने आई, यह व्यवस्था इसी प्रकार से हम इसको सुधारने का प्रयास रखेंगे तो आने वाले समय में वहां पर अमन चैन बना रहेगा।

जो हमारे यहां पर पम्पिंग स्टेशन हैं उनको विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अगर हम केवल ऊर्जा विभाग के ऊपर आश्रित रहेंगे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। आज हम इसके लिए इतना भारी बिल भर रहे हैं क्यों नहीं हम एक बार स्थाई निवेश करके अपने आपको स्वाबलम्बी बना पाते हैं और क्यों नहीं इस काम को कर पाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आशा करता हूं मंत्री महोदय इस पर कार्यवाही करेंगे।

इसके साथ-साथ क्योंकि अभी कैनाल क्लोजर आने वाला है। नहर में कब पानी कम हो गया, कितना पानी कम हो गया, इसको आमजन नहीं जान पाता है। हम स्थान-स्थान पर यदि गेज, अपना स्केल पेंट कर दें हर पाँच किलोमीटर की निश्चित दूरी पर तो आम आदमी को पता लग पाएगा कि

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

आज पानी की स्थिति क्या है। साथ ही यह भी पता लग पाएगा कि 1 साल, 2 साल 3 साल में कितनी सिल्ट वहां पर डिपोजिट हुई, जिससे पानी कितना ऊपर या नीचे चल रहा था इस स्थिति का भी पता लग पाएगा। आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान्न देंगे। सिंचाई, पानी के अंदर भी जो बार-बार फलक्चुएशन की बात आती है एक इस तरह का शिकायत प्रकोष्ठ चाहे वह चीफ इंजीनियर स्तर पर बनाया जाए, जहां आम आदमी अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उस स्तर पर उसकी मोनिटरिंग हो सके कि कहां पर पानी कम हो रहा है।

आज अगर हम अपने आपको किसी भी तरीके से आश्रित मानते हैं तो बेलदार के भरोसे मानते हैं। बेलदार पानी दे देगा तो आम आदमी को मिल जाता है, बेलदार ने कभी किसी व्यक्ति को कभी पानी खोलकर ज्यादा दे दिया तो उसके मजे हो गए, किसी की बारी कट गई तो वह बरबाद हो गया, इन बातों पर ध्यान दिया जाए। आशा करता हूं मंत्री महोदय मुख्य समस्याओं को आप अच्छी तरह समझते हैं।

जो हमारे कच्ची खाले बनने से रह रहे हैं उनको आप पूरा करवाएंगे। बहुत से ऐसे तेजारा माइनर, रामबाग माइनर इस तरीके के माइनर हैं जिनका बैड लेवल डाउन कर दिया गया और रकबा सिंचित होने के बावजूद भी आज सिंचित नहीं हो पाया। किन अधिकारियों के रहते यह काम हुआ, कौन ठेकेदार थे जिन्होंने यह गलती की, सैकड़ों काश्तकारों को जो सिंचाई का लाभ ले सकते थे उनको महरूम किया, इसकी भी जांच करवाएंगे आपसे आशा करता हूं उनको लाभान्वित करेंगे। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं किसानों के हित में फैसले लेकर आप इलाके को लाभान्वित करेंगे। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री के. डी. बाबर।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बीच वालों पर भी थोड़ा (व्यवधान) कुछ तो रहम करो।

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे, देंगे समय । सब को देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय गलत बात है। दोनों साइड से 3-3 बार बोल लिए, 6 आदमी इधर से बोल लिये, 3 इधर से बोल लिए।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): वक्त आयेगा उससे पहले तो कोई तुक नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यानि लास्ट में कोई मिनिट दो मिनिट, फिर घंटी हमारे पर ही बजेगी। (व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): वसुन्धरा राजेजी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और सांवरलालजी जाट साहब जलदाय विभाग के मंत्री बने तब से पूरे प्रदेश में जहां-जहां भी पेयजल की कमी थी चाहे कोई गांव हो चाहे कोई ढाणी हो वहां पेयजल की व्यवस्था की गई। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय भी हम लोग देखते थे कि टयूबवैल और हैण्डपम्प भी एमएलए कोटे से और एमपी कोटे से बनते थे परन्तु जब से हमारी सरकार आई और सांवरलाल जाट साहब ने कमाल किया..(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): हमारा नम्बर नहीं आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष: आयेगा आपका नम्बर, कोई नहीं रोकेगा, आयेगा नम्बर।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): एक भी एमएलए, एक भी एमपी ने अपने विधायक कोष से हैण्डपम्प नहीं बनाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नम्बर आएगा, आपको समय दिया जाता है।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): कभी भी हमारे जाट साहब ने यह नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है हम टयूबवैल नहीं बनाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय एक कहावत है न खाता न बही, जाट साहब ने कही वह सही। पहले यही इंजीनियर लोग हुआ करते थे। (व्यवधान) न खाता न बही जाट साहब ने कही वह सही। प्रदेश में जिस भी माननीय सदस्य ने कभी टयूबवैल मांगे, कभी हैण्डपम्प मांगे, मांगते ही मिले।

पानी की आवश्यकता सभी को है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़ें हैं जो यह दर्शाते हैं कि इन्होंने 5 साल में क्या किया और हमने 3 सालों में क्या किया। पेयजल योजनाओं पर राज्य मद में कुल....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा अभी, न खाता न बही, और लाट साहब कहें वह सही। (व्यवधान) क्या, सुनाई नहीं पड़ रहा, दुबारा कहें आप, क्या कहा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जाट साहब, जाट साहब।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अब जो आपने सुना, आपकी तबीयत थोड़ी नरम है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): रामलाल जाट तो हमारे भी हैं, रामलाल जाट तो हमारे भी हैं। कौन से जाट की बात कर रहे हैं आप।

एक माननीय सदस्य: जो पानी की व्यवस्था करे इस समय।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): जो जाट कहे, वही सही, कोई जाट हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो यह हेमारामजी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वे अभी साहब नहीं हैं।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में एक कहावत भी है, सांवरलालजी जाट जो हैं, वह भगवान के नाम पर हैं, सांवरिया जो कहे, वह सही। वह भगवान रूप भी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कोई ट्रांसफर कराना है क्या आज?

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, अभी कराना हो तो बोलो, हो गया आर्डर, अभी की अभी।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): मैं बताऊं, आपने भी कहा था आपके भाषण में कि जाट साहब भेदभाव नहीं करते हैं और जहां आपने मांग की टयूबवैल की, हैण्डपम्प की, वहां बनाया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, यह तो मैंने भी कहा था।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने 1343 करोड़ का काम किया और हमारे जाट साहब के कार्यकाल, 3 साल में 1129 करोड़। शहरी क्षेत्र पेयजल योजना, औसतन प्रतिवर्ष इनके थे 126 करोड़ और हमारे हैं 161 करोड़। ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना औसतन प्रतिवर्ष व्यय में इनके हैं 142 करोड़ और हमारे 228 करोड़। उपाध्यक्ष महोदय, समग्र मद में पेयजल में सभी मदों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र व्यय 2497 करोड़ और हमारे 3 साल के कार्यकाल में 2160 करोड़। पेयजल औसतन प्रतिवर्ष करोड़ों में, 499 इनके 5 साल में और हमारे 3 साल में 745 करोड़। उपाध्यक्ष महोदय, 3 साल में दुगुना। यह आश्चर्यजनक बात है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत व्यय राशि, इसमें

भी हम पीछे नहीं हैं। और जितने भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में हम इनसे बहुत आगे हैं। मैं आपसे निवेदन करुं कि जो योजनाएं इनके कार्यकाल में जिनके पत्थर लगाकर छोड़ गये थे, उनको भी हमारे मंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने पूरा किया। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि फिर आप घण्टी बजा देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और बताओ, कागज खतम हो गये क्या?

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): जो सब आंकड़े हैं, हम सब में आगे हैं। हम ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाएंगे। आंकड़ों की तो हमारे पास कमी है ही नहीं, हमने काम किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): थोड़ा सा और बताओ।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करुंगा, एक योजना सन 2000 में शुरू हुई थी, सेक्टर रिफार्म जो सन 2002-03 में, उसका नाम स्वजलधारा हो गया। यह योजना शायद अभी भी चल रही है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस योजना की तरफ दिलाऊंगा कि इस योजना में कई जगह तो धन का अभाव है, कई जगह योजना शुरू नहीं हुई है। इस योजना में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पैसा आया। किसी जगह तो इसका पैसा पी.डी. खाते में जमा हो गया, किसी जगह चालू खाते में जमा हो गया। तो इसकी एक कमेटी बनाकर मंत्री महोदय, इसकी जांच कराएं कि इसके ब्याज का पैसा किस-किस जिले में, कितना-कितना पैसा मिला अपने को और वैसे यह योजना जो है इसमें 10 प्रतिशत राशि ग्रामवासियों की, 90 प्रतिशत राशि सरकार की और फिर उसका बिजली का बिल, उसका रखरखाव पूरा गांव का, जहां भी योजना चल रही है, यह योजना सही नहीं चल रही है। तो इन योजनाओं का भी रखरखाव सरकार करे। कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए। क्योंकि गांव वाले इन योजनाओं को नहीं चला सकते। एक जो मुख्य बात, पूर्व में माननीय सदस्यों ने बतायी कि जो जी.एल.आर.पी. 25 वर्ष पूर्व बनीं वह जी.एल.आर.पी. टूट चुकीं, वह जीर्ण-शीर्ण हो गयीं और उन जी.एल.आर. में पानी रिसता है तो जल ही जीवन है, पानी नहीं रिसे, इसके लिये यह जी.एल.आर. टूट गयी इनकी जगह नयी जी.एल.आर. बन जाए ताकि पानी की बचत हो। दूसरा, गांवों में जो वर्तमान में जी.एल.आर. बनी हुई है उनकी जो

टूटियां लगी हुई हैं वह अधिकतर गांवों में लीकेज होती रहती हैं। उनसे गांव में एक तो कीचड़ होती है, गन्दगी फैलती है और पानी का मिसयूज होता है और उससे सरकार को हानि भी होती है। जब मोटर चलाकर पानी बाहर निकालते हैं, ज्यादा पानी निकालना पड़ता है। इसलिये एक ऐसी व्यवस्था हो कि पी.एच.ई.डी. के जो अधिकारी हैं, वह प्रत्येक गांव-गांव में जाकर जहां पर जो खराब हैं, वह चेंज करें।

दूसरा, सीकर जिले में गांव छोड़कर ढाणियों में चले गये तो ऐसी व्यवस्था हो जाए कि छोटे-छोटे जी.एल.आर. बन जाएं और यदि कोई काश्तकार उस जी.एल.आर. को भरना चाहे तो उसको छूट दे दी जाए कि यह जी.एल.आर. अमुक जगह बन जाएगी और इसको भरने में इस काश्तकार को छूट है। इससे भी फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो टेण्डर प्रक्रिया है और ठेकेदारों के द्वारा मोटर अच्छी लगाई जाती है। बढ़िया मोटर भी लगाई जाती है। कम एम.पी.आर. में पानी अधिक मिलता है ओर जो पुराने पम्प सैट हैं, जो पुराने पम्प सैट, नलकूपों में चल रहे हैं, वह अधिक वोल्टेज खा रही हैं, अधिक एम.पी.आर. ले रही हैं। उससे बिजली की खपत ज्यादा बढ़ती है। और एक महीने में ही उस बिजली का खर्चा ज्यादा आ जाता है। इसलिये बिजली का खर्चों पर नियंत्रण हो और बिजली के कम वोल्टेज, कम एम.पी.आर. में मोटर चले, ऐसी व्यवस्था हो क्योंकि बिजली के जो बढ़े हुए बिल आते हैं उनका ध्यान यह इंजीनियर लोग नहीं देते हैं। चाहे बिल कितने के ही आयें। जैसे आज कोई ट्यूबवैल बनेगा तो उसके 3 साल की गारंटी है, मोटर जले, मोटर खराब हो, शटर खराब हो, चाहे कुछ भी खराब हो। यहां तक कि ट्यूबवैल सूख जाएं तो भी ठेकेदार दूसरा ट्यूबवैल बनाएगा। इसलिये अब जो स्कीम गांव में चल रही है, शहर में चल रही है उनकी भी ठेका प्रथा ऐसी हो जाए चाहे 2 साल या 3 साल, एक फिक्स हो जाए, एक ट्यूबवैल के इतने घण्टे देंगे। उससे कम धनराशि में अच्छा काम हो जाएगा और बिजली की खपत कम आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो इंजीनियर्स की कड़ी है, इसमें मुख्य कड़ी कनिष्ठ अभियंता की है और जलदाय विभाग में करीब 300 कनिष्ठ अभियंताओं के पद रिक्त हैं, कनिष्ठ अभियंता, चाहे जी.एल.आर. में, चाहे एस.एल.आर. बने, चाहे ट्यूबवैल बने, वह कनिष्ठ अभियंता अपनी आंखों के

(श्री केसर देव बाबर)

सामने काम कराये, ऐसी व्यवस्था है। अब कनिष्ठ अभियंता ही नहीं तो काम कौन कराएगा। इसलिये मंत्री महोदय से मैं निवेदन करुंगा कि यदि कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती हो जाए तो काम में गुणवत्ता बढ़ेगी, काम अच्छा होगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात उठी थी कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता को वित्तीय पावर कम है। मैं यह भी निवेदन करुंगा कि जो अधीक्षण अभियंता हैं, एस.ई., इनको कभी वित्तीय पावर हुआ करता था, 50 हजार रुपये का वित्तीय पावर उनको कभी हुआ करता था। सरकार ने वापस ले लिया। अधीक्षण अभियंता को वित्तीय पावर हो और अतिरिक्त मुख्य अभियंता की जो पावर है दो लाख रुपये, उसको भी बढ़ाई जाए। क्योंकि मंहगाई बढ़ गयी। अपन सब मान रहे हैं। केन्द्र सरकार मान रही है कि महंगाई आसमान चली गयी तो दो लाख रुपये में बहुत कम काम होता है। दो लाख रुपये से एक रुपया भी ऊपर जाते ही वह फिर स्कीम चीफ इंजीनियर को चली जाती है। इससे थोड़ा कार्य सफर होता है तो यह वित्तीय पावर अगर थोड़ी बढ़ जाएगी तो काम अच्छा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजायी है। मैं मेरे जिले और विधान सभा क्षेत्र की तरफ थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा। वैसे तो इस शासन में पेयजल के लिए जो भी हमने मांगा वह मिला। एक अम्ब्रेला योजना, जिसके तहत हमको नहर का पानी मिलेगा। लक्ष्मणगढ़ तहसील, फतेहपुर तहसील में पानी में फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, खारापन है। वह पानी पीने से जल्दी ही लोग कुबड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है इसलिए उस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें मीठा पानी मिले और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब गनेडी प्रवास के दौरान उन्होंने हां भी भरी थी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत हमारी तहसीलों को पानी दिलाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ शहरी जल योजना है। उस शहरी जल योजना का पुनर्गठन हो और जो ग्रामीण जल योजनाएं हैं जैसे ग्राम मंगलूना, नेछवा, पलाड़ा, पालड़ी, गाडोदा, इन योजनाओं में भी दुबारा पुनर्गठित योजनाएं हों और यह मंजूर होकर काम हो जाए तो अच्छा रहेगा।

एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत एक निवेदन करूंगा कि पी.एच.ई.डी. आज भी कंजूमर से नाम मात्र का पैसा ले रही है। राजस्व विभाग पी.एच.ई.डी. में एक अलग से उपखण्ड होते हैं, अलग से खण्ड होते हैं लेकिन जितना खर्चा राजस्व इस अभियंता पर हो जाता है उतनी आय नहीं होती है इसलिए मंत्री महोदय एक कमेटी बनायें और कमेटी बनाकर राजस्व पर जितना जे.ईएन., ए.ईएन., और एक्स. ईएन. का खर्चा हो रहा है और आय कितनी हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनाकर यह भी तय करें कि शहरों में कितने नलकूप बने हुए हैं और उन नलकूपों को बिजली के हिसाब से जोड़कर एक वह भी निकालें कि कितने लीटर पानी हम प्रतिदिन दे रहे हैं और वह पानी कहां जा रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हैल्पर है, तकनीकी कर्मचारी है, वह भी बहुत कम हो गये। इससे भी कार्य सफर हो रहा है। सन् 1988 के बाद में एक भी हैल्पर, फिटर या तकनीकी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई इसलिए जब तक छोटा कर्मचारी नहीं होगा तब तक काम पूर्णरूप से अच्छा नहीं होगा। आज एक्स.ईएन. की पोस्ट बढ़ी है। एस.ई. की पोस्ट बढ़ी है। चीफ इंजीनियर की पोस्ट बढ़ी है लेकिन जे.ईएन. की और हैल्पर की पोस्ट नहीं बढ़ी। यह पम्पसैट कम्प्यूटर नहीं चला सकता है। कुएं के अन्दर, कुएं से मोटर बाहर कम्प्यूटर नहीं निकाल सकता इसलिए जलदाय विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, इसमें यह जो हैल्पर और जो फिटर्स हैं उनकी भी नियुक्ति हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बाकी मंत्रीजी को बता देना। मिलते ही हो, लिख कर दे देना। श्री तगारामजी चौधरी। अब आप समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं और करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय दिया बोलने के लिए इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बुजुर्ग आदमी हैं सुनो, भाई। हां, श्री तगारामजी चौधरी। बोलिये साहब, बोलिये। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया ... (व्यवधान) ऊंचा हो जाएगा अपने आप ही।

(श्री तगाराम चौधरी)

मांग संख्या-27-पेयजल योजना, मांग संख्या-46-सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर सहित। क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं। देखिये, बुजुर्ग आदमी हैं। कभी-कभी बोलते हैं, बीच में मत टोको इनको। परेशान मत करो।

एक माननीय सदस्य: वह डिस्टर्ब कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि आप डिस्टर्ब करना उनको। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मांग संख्या-27 और 46 पर मेरे को बोलने का आपने अवसर दिया, बहुत आभार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत ही अनुभव की बात कहेंगे आपको। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आज जिन मांगों पर विचार हो रहा है, यह मांगें मेरे मन की बात कहूं कि इतनी आवश्यक हैं। 'जल ही जीवन है', जल के बगैर कोई जीवित रह नहीं सकता, मनुष्य तो क्या, प्राणी मात्र भी। इससे ज्यादा आवश्यक क्या हो सकता है? और सिंचाई है वह भी उतना ही जरूरी है। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने और जल संसाधन मंत्री महोदय ने और राजस्थान सरकार ने जल चेतना अभियान चलाया था उसका परिणाम हुआ, मैं कहूं कि- 'राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी भावना, वैसा ही फल देत', तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मैंने पिछले एक, दो, तीन, चार बजटों में देखा। उनके मन की जो इच्छा है, मैंने एक बार इसी सदन में बोला था। मैंने कहा कि हमारी नेता की कलाएं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नहीं जानते हैं तो इन्होंने कहा कि वह क्या? तो मैंने कहा वह है राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली और उसी गति से पहला बजट, दूसरा बजट, तीसरा बजट और चौथा बजट, एक से एक बढ़कर आया है, इसमें तो सर्वविदित है। प्रतिपक्ष भी जानता है। इस बजट में, वर्तमान बजट में प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं रहा। इतने में ओले पड़ने शुरू हो गये। ओला मिल गया और ओलों को यही यहां घुमा रहे थे। बाहर नहीं गये। देखने को नहीं गये। देखने को तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया खुद पधारीं। मंत्रीगण गये। अधिकारी गये। विधायक गये और मैं भी गया।

(समय : 18.09 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

मैं भी विधायक हूं जब ही गया, इसमें क्या नई बात है? मेरे को तो

(श्री तगाराम चौधरी)

आप गांव का काश्तकार समझकर टोकने से तो चूकते ही नहीं हैं और मेरे को आप टोकेंगे तो मैं सीधा आपके ऊपर प्रहार करूंगा। यह भी बात सर्वविदित है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से यह पालिटिक्स में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलिये-बोलिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आज तगारामजी मूड में हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये-बोलिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और जल संसाधन मंत्री महोदय को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बाड़मेर नगर जिसके पेयजल के सम्बन्ध में और मैं बाड़मेर का भी कहूं, बाड़मेर में भी नहर का पानी लाने के लिए हम सपना देख रहे थे। मोहनगढ़-बाड़मेर योजना 652 करोड़ रुपये की स्वीकृत करके और जो कृपा की है मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को और सिंचाई मंत्री महोदय को कि उन्होंने बहुत ही बाड़मेर की जनता की पीड़ा को समझा और पानी लाने के लिए इतनी बड़ी योजना स्वीकृत की है।

मैं निवेदन करूंगा जल संसाधन मंत्रीजी से कि इस हेतु एक वृत्त, दो खण्ड और फिर आवश्यकतानुसार सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता और स्टाफ देकर आप मेहरबानी करके इनको शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करावें, यह मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है।

दूसरा अभी-अभी बाढ़ आई थी वह जल चेतना और किसान महोत्सव दोनों को देखते हुए भगवान ने सुना और हमने उस लू में जल चेतना अभियान को बहुत तहेदिल से मनाया था। एक बात का आश्चर्य हुआ था मुझे कि जल क्या जरूरत है नहीं, जरूरत है, जल की कमी नहीं है, है, परन्तु माननीय प्रतिपक्ष ने उस बात को कतई ध्यान नहीं दिया। बात किसानों की करते हैं, बात जनता की करते हैं, भलाई की करते हैं, लेकिन वह काम जो था वह कितना आवश्यक था, आवश्यकता आपको महसूस होती ही नहीं क्या ? क्या पानी की आवश्यकता कम है, क्या किसानों की खेती करने की बात करें तो गलत है ? इसी तरह से आज के दिन इन मांगों के समय में सवेरे ज्यों ही

हम आये तो हल्ला ही हल्ला हो रहा था। क्या यही समय मिलता है आपको किसानों की बात करते हैं तो हम सुनें नहीं और फिर इतना शानदार, जानदार, उन बातों को दरकिनार करते हुए कि सी आर एफ के लिये तो आपने सुना ही नहीं, वह किसी की बात को सुनते नहीं, कितने ही पत्र लिख दिये और फिर इस प्रकार की घोषणा हुई, पैकेज दिया, फिर भी बहिर्गमन कर दिया तो आप क्या चाहते हैं, किसानों को दिलाना नहीं चाहते क्या? इससे यह सिद्ध होता है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य यह सबसे आगे थे। सबसे आगे थे।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं सभी से ही तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्हीं से पूछो न आप।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं तो सभी के बखान कर रहा हूं। एक सगे का सवाल नहीं है, सवाल है आप सब का । मैं पुन: कहूंगा गेहूं के बारे में। 'घर में नहीं अखत को बीज, बन्दो खेल आखातीज'

श्री रामप्रताप कासनिया: 'घर में कोनी अखत को बीज, छोरो खेल आखातीज'

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपकी बोली और हमारी बोली में अन्तर है। आप बीच में टोकें नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके दस मिनट हो गये हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरे कितने मिनट हैं, वह बता दो आप पहले।

श्री सभापति: दो मिनट में आपको बात समाप्त करनी है, सिर्फ दो मिनट में।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): दस मिनट हो गये। अब मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जे.ईएन. की बहुत कमी है और राजस्थान में भी बहुत कमी है। ज्यादा से ज्यादा जे.ईएन. की आप भर्ती करावें और नये जे.ईएन. लेने से काम पूरा होगा, नहीं तो मेरे वहां तो बहुत कठिनाई है। भर्ती करने से ही वह दूर होगी। आप मेरी बात मानें। मैं एक बात और कहूंगा, दस मिनट हो गये, लेकिन एक तो कह ही सकता हूं। जल चेतना के बारे में, भगवान ने हमारी सुनी, लेकिन ज्यादा सुन ली। इसलिए ही ये

बार-बार बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। यह सब कुछ हो रहा है। बंद ही नहीं हो रहा है। कई मित्रों ने तो यह कहा कि अब तो बंद कराओ। बंद तो भगवान करेगा। भगवान ने सुनी है और भगवान ने प्रार्थना सुनी है और हमने भगवान से प्रार्थना की बरसात कर, भगवान बरसात कर। कितने ही जप कर लिये भरी गर्मी में। उसका असर यह हुआ कि पहले तो पानी का पता ही नहीं था और अब पानी ही पानी पडा है मेरे वहां तो। मैं कहूं कि कवास एक ऐसी जगह है जो स्वत: ही बांध है। कितने ही बड़े-बड़े पाइप मुख्य मंत्रीजी की आज्ञा से माननीय जाट साहब ने वहां भेजे हैं। बड़े-बड़े पाइप वहां पानी फेंक रहे हैं, देखने लायक है। परन्तु वहां कितना पानी है, वह देखने की बात है। माननीय महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय और माननीय जसवन्त सिंहजी साहब पधारे थे, उन्होंने देखा नाव से, हम सब साथ में थे। मेरे सगाजी भी साथ थे उन्होंने देखा और देखकर आश्चर्य किया कि इतना पानी ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मुझे नाव में नहीं चढ़ाया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तगारामजी, आप पर आरोप लगा दिया।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नाव में तो कोई दिल का कमजोर हो और नहीं बैठे तो हम क्या करें ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सही बात तो कहो, आपने नाव में कहां बिठाया।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मना किसने किया ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): बैठने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मना किसने किया ? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप वाइंड-अप करें प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आप मेरे को आरोपित करते हो। मना किसने किया ? मैंने आपका हाथ पकड़ा था

श्री सभापति: श्री मुरारीलाल मीणा, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश चौधरी : तगारामजी तैरकर गये थे वहां, नाव में नहीं गये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नाव में आपके साथ आपने बिठाया ही नहीं तो मैं कैसे बैठता ? जबरदस्ती थोड़ी बैठता। अनुशासित आदमी हूं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नाव में नहीं गये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह डर गये थे। आप नाव में डर गये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): डर क्या गये, बिठाया ही नहीं ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): कवास का पानी वहां इतना पानी रूका, परन्तु कवास तो सात घण्टे में पूरा भर गया और नदियां चली थीं दो दिन दो रात। बहुत सा पानी आगे दस गांवों में पहुंचा और वह भूमि ऐसी थी 15 दिन में वहां का अधिकतर पानी कई जगह सूख गया। नया भुरटिया में तो अभी भी नहीं सूखा। मैं भी बाढ़ पीड़ित हूं, जोरदार बाढ़ पीड़ित हूं। अब आप बहुत कड़ी नजर से देख रहे हैं मुझे।

श्री सभापति: कड़ी नजर से नहीं, समय की सीमा है। आप बिराजें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं मेरे कथन पर अभी विराम देता हूं। मेरा निवेदन यह है कि कवास स्वत: ही बांध है। अगर कवास का बांध बंध जाये तो बार-बार जनहानि, धनहानि होना रूक जायेगा और वहां हवाई अड्डा है, वह भी डूब जाता है। वह भी कवास पंचायत, भादरा पंचायत इन्हीं का ही क्षेत्र है। बाड़मेर विधान सभा का क्षेत्र है। उस पानी को बांध लाने से पीने के पानी का प्रबन्ध भी हो सकेगा और सिंचाई हो सकेगी, तब जाकर वहां की समस्या का निदान होगा और वहां के किसानों को पहली बार नहर के पानी से, बरसात के पानी से खेती करने का अवसर मिलेगा। इस बार भी मिला। मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, पूरे मंत्रिमण्डल और पूरे सदन को कि पहली बार हजारों बीघा में खेती की है और ओले भी पड़ गये। ओले का भी मैं निवेदन करूं । मैं बहुत बधाई देता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने दिल खोलकर किसानों के लिये पैकेज दिया है और बिजली के बिल माफ किये। यह पहली बार हुआ है मेरे अंदाज से बिजली के बिल पहले किसी ने माफ नहीं किये होंगे। इस तरह से वह कर दिया। मुख्य मंत्री महोदय ने इन तीन वर्षों में कोई ऐसा वर्ग जिसको राहत बगैर छोड़ा हो, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बुजुर्ग सदस्य हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): कहते हैं प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो प्रशंसा करने योग्य होगा, उसकी तो प्रशंसा होगी । जहां कहीं जाओगे

(श्री तगाराम चौधरी)

तो प्रशंसा ही सुनने को मिलेगी। मैं कहूं ऊपर से प्रशंसा हो रही है। आप यहां मना करो, बहिर्गमन करो, इससे क्या होगा। ऊपर जो आपके नेता हैं, उन्होंने सबने की है। यह कोई नई बात नहीं है।

श्री सभापति: बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको मैंने निवेदन कर दिया। दस मिनट का टाइम है और बीस मिनट हो गये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): और एक बात याद दिलाकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: पांच मिनट में ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): शेर नहीं सुनाऊंगा।

एक बात और है कि आधी जनसंख्या, आप तो चिंता करते हो कि आप उधर हो हम उधर हैं और हम इधर रह जायेंगे, इधर आ जायेंगे लेकिन नीचे जमीन खिसक गयी है, मित्रों। पता नहीं है आपको, आधी जनसंख्या ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, वो तो डूंगरपुर के चुनाव में पता लग गया कि जमीन खिसक गयी है। सही कह रहे हो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): हां, डूंगरपुर से लग गया आपको।

श्री सभापति: अब आप विराजें। माननीय श्री मुरारीलाल मीणा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब आप विराज जाएं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): कितने ही चुनाव हो गये, मैं कहूं कि किसानों के हितैषी पर कृषि उपज मण्डी के चुनाव कितने साल से हुए हैं? इसका आप लेखा दीजिए।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन डूंगरपुर में तो बुरी तरह से हार हो गयी अपनी करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी तो जमीन आपकी खिसकी कि हमारी खिसकी?

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): हां हो गयी। हो गयी न।

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ...(व्यवधान) वो तो बोलो, अभी शुरू किया है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): किस पर ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उस डिमाण्ड पर तो शुरू करो अभी।

श्री सभापति: अब आप विराजें, आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजें। अब आप विराजें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: अब आप विराजें, प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: मेरा आप से निवेदन है, कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य के नीचे से जमीन खिसक गयी, अब बैठें काहे पर वो? जमीन तो खिसक गयी, अब बैठें काहे पर?

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मुरारीलाल मीणा, आपका समय शुरू हो गया है। इनका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप विराज जाएं। आपसे मैंने पांच बार निवेदन कर दिया। आप विराज जाएं, तीस मिनट हो गये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 46 और 27 में सम्मिलित होते हुए माननीय मंत्री महोदय से कुछ बिंदुओं पर निवेदन करना चाहूंगा।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: नहीं, आपने सब संसदीय भाषाएं बोली हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: मैंने कहा आपका कि अब अंकित नहीं हो रहा है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्यों को जो-जो टाइम दिया गया है उतना ही टाइम दिया, आपको उससे भी पांच-सात मिनट ज्यादा दे दिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): तगारामजी, हेमारामजी ने इशारा कर दिया उधर।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: मैं आपका बहुत ज्यादा आदर करता हूं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): तगारामजी, अब आसन का कहना मानो।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, माननीय उप-मुख्य सचेतक महोदय, आप जाकर के बैठाइये इनको, ऐसे नहीं चलता है सदन।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: एक मिनट। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे माइक पकड़ कर जोर-जोर से आवाज लगाते हैं, इनके कानों में आवाज गूंजती है इसलिए आप कम से कम बैठे-बैठे नहीं बोलें आयन्दा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मेरा माइक ही ओन नहीं हो रहा है, साहब।

श्री सभापति: नो, ऐसा नहीं है। आप बैठे-बैठे माइक पकड़ कर के इस तरह से नहीं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मेरा माइक ही अब ओन हुआ है।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के मामले में जो आज डिमाण्ड जल संसाधन की चल रही है, मैं कहना चाहूंगा कि 57 साल के अन्दर चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बी.जे.पी. की रही हो, प्रत्येक साइड में प्रोग्रेस करी है लेकिन उस प्रोग्रेस के साथ में कुछ कारण ऐसे रहे हैं, जैसे पानी का मामला है, राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से यहां की

(श्री मुरारी लाल मीणा)

प्राकृतिक स्थितियां अलग-अलग हैं। यहां पूर्वोत्तर क्षेत्र जो आजादी के टाइम में था, जिसमें आठ जिले आते हैं- सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। उस टाइम इस क्षेत्र के अन्दर काफी अच्दी वर्षा होती थी और कई बंधे ऐसे बने हुए थे जिनसे सिंचाई भी होती थी। जयपुर में जमवारामगढ़ था, इससे दौसा तक सिंचाई होती थी। अलवर में जो सिलीसेड, राजसमंद था उससे भरतपुर में सिंचाई होती थी और जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें पानी की बड़ी कमी थी। सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं हजारों करोड़ की बनायी गयीं जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर जिसमें करीब 3000 करोड़ अब तक खर्च हो चुका, माही बजाज सागर जिसमें करीब 850 करोड़, बीसलपुर में करीब 650 करोड़, ईसरदा परियोजना जो अभी चल रही है 400 करोड़, नर्मदा सरदार सरोवर जिससे पानी लाना है 1550 करोड़ और गुड़गांव से यमुदा नदी पर जो बन रही है उसमें करीब 1000 करोड़ और घग्घर परियोजना। इसके अलावा चार-पांच छोटी-छोटी परियोजनाएं हैं। वृहद परियोजनाएं हैं जो कोटा साइड में गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर।

यह हजारों करोड़ की परियोजनाएं बनी और उससे निश्चित हम को खुशी है कि राजस्थान में पानी की व्यवस्थाएं बढ़ीं लेकिन उससे कुछ अनबैलेंस हो गया राजस्थान और जो क्षेत्र आजादी के टाइम पर एक डवलप क्षेत्र था, जिसमें सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी थी और पानी की सुविधा अच्छी थी वो क्षेत्र एकदम बैक हो गया। मेरा इस मांग के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि करीब दस हजार करोड़ की यह योजनाएं राजस्थान में करीब 22-23 जिलों में क्रियान्वित कर दीं और जो रेगिस्तान का क्षेत्र था वो हरा भरा क्षेत्र हो गया और जो क्षेत्र पहले हरा भरा था, जिसमें मैंने आपको यह आठ जिले गिनाये जिनकी स्थिति उस टाइम बहुत अच्छी थी उन जिलों की स्थिति आज बड़ी बदतर हो गयी है। कोई भी वृहद योजना, कोई भी बड़ी योजना इन आठ जिलों में सरकार के द्वारा आज तक लागू नहीं की गयी।

मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जब आपने दस हजार करोड़ की योजनाएं, यह 12-15 योजनाएं दस हजार करोड़ की योजनाएं पिछले 57 साल के अन्दर राजस्थान में बना करके और उस क्षेत्र को हरा भरा कर दिया तो जो आठ जिले हैं, जिनका वाटर लेवल बिलकुल नीचे चला गया। जो स्टेट समय में अच्छे थे, स्टेट समय पर

(श्री मुरारी लाल मीणा)

यहां पर बंधों के द्वारा काफी जमीन की सिंचाई होती थी और जब पूरे राजस्थान में मात्र चार लाख हैक्टेयर ऐसा क्षेत्र था जिसकी सिंचाई नहरों से होती थी और आज 34 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिसकी सिंचाई नहरों से होती है लेकिन हमारे आठ जिले बिलकुल पीछे हो गये। एक ही कोई वृहद योजना नहीं। मेरा इस मामले में आपको सुझाव भी है कि उसकी कीमत अधिक से अधिक 1000 करोड़ होगी, आप हमको कम से कम नहरों से सिंचाई नहीं दे सको तो 1000 करोड़ की योजना चम्बल नदी से बना कर के इन आठ जिलों के जो डेम हैं, जो बंध हैं पानी से भर दिये जाएं, उन आठ जिलों को जिसमें दौसा है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर और जयपुर है इनके चम्बल नदी से करौली साइड से, सवाईमाधोपुर साइड से पानी उठा करके इन आठ जिलों के डेम में डाल दिया जाए तो हमारा वाटर लेवल निश्चित ही ऊपर आयेगा।

मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड़ खर्च होगा। आपने जब दस हजार करोड़ उन बीस जिलों में खर्च कर दिये और हमारे आठ जिले जो 57 साल से हम आजादी में जी रहे हैं उनकी उल्टी स्थिति हो गयी। तो कृपा करके इन आठ जिलों के अन्दर 1000 करोड़ की योजना है, हमको नहर नहीं चाहिए, हम ट्यूबवैलों से पानी निकाल लेंगे, हम इन्जनों से पानी निकाल लेंगे, इन जिलों के अन्दर आप एक ऐसी योजना बनाओ कि पानी को उठा कर पाइपों के द्वारा डेम में डाल दो और डेम से वापस उस पानी को नदियों में छोड़ दो और नदियों में छोटे-छोटे एनीकट बना दो। इससे उस क्षेत्र का वाटर लेवल पूरा का पूरा ऊपर आ जायेगा।

मंत्री महोदय, इस बात पर गौर करें नहीं तो यही स्थिति रही तो थोड़े दिन में ऐसी स्थितियां पैदा हो जायेंगी तो मैं तो समझता हूं प्रकृति के ऊपर भी इसका फर्क पडा है। इसका फर्क यह पडा कि हमारे यहां पर एवरेज 600-700 एम.एम. वर्षा होती थी, इस बार 400 के आसपास आकर टिक गयी और जिस रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती थी वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा, फ्लड आ गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा है वहां माही प्रोजेक्ट है, हम गये थे वहां पर वहां हैण्डपम्पस का पानी वैसे ही आ रहा था और आपका टोटल इन्वेस्टमैंट इतना होता है, मंत्री महोदय ने खूब हैण्डपम्प दिये हैं, हमारे क्षेत्र में खूब हैण्डपम्प दिये हैं लेकिन एक साल आप करोड़ों के हैण्डपम्प लगाते हो और

(श्री मुरारी लाल मीणा)

दूसरे साल सूख जाते हैं। इसलिए एक हजार करोड़ की योजना को आप बनाकर के चाहे भारत निर्माण योजना के तहत, चाहे किसी भी योजना के तहत चम्बल से उठाकर के इन आठ जिलों के डेमों में डाल दो। मेरा आपसे निवेदन है और फिर नीचे उसके एनीकट बना दो तो पूरे क्षेत्र का वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा और उससे आपके हैण्डपम्पस की, जितने आपके हैण्डपम्प जहां तक मैं समझता हूं सौ-दो सौ करोड़ रुपए के आपने हैण्डपम्प्स लगा दिये और वह वैसे ही सूख गये। तो न तो आपके हैण्डपम्प सूखेंगे न वाटर लेवल नीचे जाएगा और पूरा जो क्षेत्र है वह हरा भरा हो जाएगा।

दूसरा मेरा इसमें एक सुझाव और है, वैसे तो अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे क्योंकि राजस्थान में पानी को लेकर के आंदोलन चल रहा है और यह सही बात है कि जहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था है वहीं पानी का आंदोलन है और हमारे तो कोई नहर का नाम ही नहीं है, कोई आंदोलन है ही नहीं। यदि इस पानी को जहां हम सौ डेढ़ सौ फीट नीचे से पानी निकाल सकते हैं तो जो नहरी क्षेत्र है, अभी मैं एक बार कोटा गया था तो मैंने देखा कि टोंक और बूंदी में सड़क के दोनों साइड इतना पानी बह रहा था उससे हमारी एक तहसील पूरी की पूरी सिंचित हो सकती है। यह वेस्टेज पानी क्यों हो रहा है, यह वेस्टेज पानी इसलिए हो रहा है कि जितनी भी नहर हैं उनके खाले वह सब फूट जाते हैं और पानी सड़क के दोनों साइड खेतों में भरा रहता है। मेरा आपको सुझाव है आप नहरों के खाले से सिंचाई और डाइरेक्ट सिंचाई यदि बंद कर दें और सब को यह आदेश जारी कर दें राजस्थान में कि जो भी नहरों में सिंचाई होगी वह पम्पस के द्वारा होगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारे पानी पर आटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा ।

गांव में एक दिन में बारह घण्टे में बीस लीटर डीजल जला सकते हैं और कुए से पानी निकालते हैं। आधे राजस्थान वाले तो जब आप उससे इंजन से पानी निकालोगे तो मैं समझता हूं पांच लीटर डीजल में सात दिन इंजन चल जाएगा और कम से कम नहीं तो आपको पचास प्रतिशत पानी की बचत होगी और जो अन्तिम टेल पर पानी पहुंचता है। आज बड़ी समस्या होने वाली है, समस्या इसीलिए होने वाली है कि पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय जाते रहते हैं, मैं तो अभी कोटा गया था इतना पानी फैल रहा था, सड़क के दोनों साइड पानी पानी हो रहा था तो उस पानी को रोकने का सबसे बड़ा यही है कि खालों को बंद कर दो, मोगों को बंद कर दो

(श्री मुरारी लाल मीणा)

और यह बिलकुल आर्डर निकाल दें। चाहे इसके लिए सब्सिड़ी दे दो सारे के सारे किसान, नहर निकाल दीजिए और उनके ऊपर इंजन रख दो और जो भी सिंचाई करेगा अपने इंजन से करेगा तो आटोमैटिक वह कण्ट्रोल करेगा क्योंकि उसका डीजल जलेगा, उसके ऊपर खर्चा आएगा और निश्चित ही दुगुने क्षेत्र को अपन यदि ऐसी योजना लगाएं तो सिंचित कर सकते हैं।

एक मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, मैंने आपको सुझाव दिया कि हमारे इन आठ जिलों के लिए आप एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें डेमों में पानी डालने का, दूसरा आपने वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के तहत एनीकट्स दिये हैं, मेरे क्षेत्र में एनीकट्स बने हैं लेकिन मैंने इसमें पढ़ा था कि दो हजार करोड़ रुपये के आसपास ही पूरे राजस्थान के एनीकट्स की एक योजना है और आपने अभी पिछले टाइम करीब तीन सौ करोड़ रुपये के एनीकट सभी क्षेत्रों में बनाये हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप जैसा मैंने बताया कि उन डेमों में पानी डालोगे, नीचे जाएगा। इसी प्रकार हमारे वर्षा भी होती है उसका पानी भी नदियों में होकर बह कर नीचे जाता है तो उसमें जगह-जगह एनीकट हैं। पूरे राजस्थान में एक साथ में उस योजना को लागू कर दें, एक मास्टर प्लान बनाकर के पूरे के पूरे एनीकट्स को एक साथ में बना दें तो वाटर लेवल ऊपर आ सकता है। वाटर लेवल भी ऊपर आ जाएगा तो मैं समझता हूं आपका सबसे बड़ा खर्चा तो जो पीने के पानी की बात है वह खतम हो जाएगी और दूसरा जो हैण्डपम्पस का मामला है, जितने हैण्डपम्पस सूख रहे हैं उनकी समस्या दूर हो जाएगी।

मेरा आपसे एक निवेदन और है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अन्दर पिछले टाइम में जब कांग्रेस की गवर्नमैंट थी, एक पानी की योजना सैंक्शन थी बसवा बांदीकुई के नाम से करीब पांच साढ़े पांच करोड़ रुपये की लेकिन किसानों ने वहां आंदोलन किया, बाण नदी में और साहवा नदी में बोरिंग नहीं करने दी और दोनों शहरों को पानी नहीं मिला। बाद में जैसे ही हम विधायक बनकर के आये और हमने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया तो इन्होंने हमको दो एनीकट एक साहवा नदी पर बांदीकुई के पास में और एक बाण नदी पर स्वीकृत किये और दोनों एनीकट बने और दोनों एनीकट होने के बाद हमारे वहां ट्यूबवैल भी है और ट्यूबवैल होने के बाद हमारे वहां दोनों कस्बों को पानी पहुंचा, इसलिए उस मामले में मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए थी।

(श्री मुरारी लाल मीणा)

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यहां दो बड़े कस्बे हैं एक गुढा कटला, वहां पर भी क्योंकि हमारे यहां 150 फीट नीचे जमीन के अन्दर फ्ले स्टार्ट हो जाती है उसके नीचे पानी नहीं है इसलिए जब तक नदियों पर एनीकट नहीं बनायेंगे तब तक वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा, हम उनको पानी की सप्लाई दे नहीं सकते। इसलिए कस्बा गुढाकटला और कस्बा बडियाल, उनके पास में होकर भी साहवा नदी गुजरती है। यदि हमने दोनों नदियों पर शीघ्र एनीकट नहीं बनाया, उनकी कीमत भी करीब एक-एक करोड़ रुपये है तो दोनों कस्बों की पानी की सप्लाई भी अतिशीघ्र बंद हो जाएगी और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हो सकता है उसके लिए आंदोलन भी खड़ा हो हमको सब को पानी नहीं मिलेगा तो।

मेरा आपसे निवेदन है, सबसे ज्यादा मेरी तो यह रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कहीं से भी कटौती करें, एक तो हमारे इन आठ जिलों के लिए पूरे आठ जिले आपका अहसान मानेंगे। इन सत्तावन साल के पीरियड में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इन सभी जिलों के विधायक यहां बैठे हैं कोई भी वृहद परियोजना इन आठ जिलों के लिए नहीं बनाई गई और इन आठ जिलों में देश आजाद होने से पहले नहरों से सिंचाई ज्यादा होती थी और आज एक बीघा सिंचाई भी इन आठ जिलों में नहरों से नहीं होती है। जब दस हजार करोड़ रुपये आपने बीस जिलों के लिए खर्च कर दिये तो हमारे आठ जिलों के लिए मात्र एक हजार करोड़ की योजना बनाएं और निश्चित ही आठ जिले आपका अहसान मानेंगे और हमको डायरेक्ट नहरों से नहीं, हमको तो डेमों में पानी डाल दो ताकि हमारा जो वाटर लेवल है वह ऊपर आ जाए।

एक मेरा और आपसे निवेदन है कि हम हमेशा कहते रहते हैं आप सभी से कि हमारा एस सी, एस टी का मामला है, हमारे पिछली विधान सभा में भी यह मुद्दा उठा था। माननीय मंत्री महोदय, आपके डिपार्टमैंट में और इलैक्ट्रिक डिपार्टमैंट में हमने पन्द्रह बीस विधायकों ने सभी पार्टियों के ने यहां मुद्दा उठाया था और बाद में हमारे कुछ कर्मचारी धरने पर बैठ गये थे, वहां अध्यक्ष महोदय उनको उठाने गयी थीं। उस टाइम पर उन्होंने आश्वासन दिया था इलैक्ट्रिक डिपार्टमैंट और पी एच ई डी डिपार्टमैंट इसमें हमारे तीस इक्कतीस ए. ईएन आपके हैं, कुछ इलैक्ट्रिक डिपार्टमैंट के हैं। मुझे उम्मीद है कि आप किसान परिवार से हैं तो उनका प्रमोशन जो हमारे एस सी, एस टी के भाई रहे हैं निश्चित करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय रामनारायण मीणा।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): एक और मेरी जो मेरे क्षेत्र की डिमांड है, मेरी तीन जनरल स्कीम आपके यहां पर आई हुई हैं। मुझे उम्मीद है उनको आप स्वीकृत करेंगे और जो दो बड़े कस्बे जिनके ऊपर एनीकट्स के प्रस्ताव जैसा आपने हमारे पहले बांदीकुई और बसवा के लिए दो एनीकट बनाकर पानी सप्लाई दी है इसी तरह दो एनीकट वहां बना दें ताकि आने वाले टाइम में वहां पर पानी की शार्टेज नहीं आए। वैसे यह बिल्कुल सही बात है कि पक्षपात करते हैं लेकिन आपने कम किया। आपने हैण्डपम्पस के मामले में हमारा एम एल ए कोटा खराब नहीं किया और हमको बुला-बुलाकर हैण्डपम्प दिये हैं और एनीकट्स भी आपने दिये हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में तो मात्र पच्चीस एनीकट आपकी इस योजना में हैं जिनकी कीमत मात्र चार पाँच करोड़ रुपये है। यदि यह सारे एनीकट्स आप सैंक्शन कर देते हैं तो विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई और उसके आसपास का पूरा का पूरा वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, काफी गम्भीर चर्चा हुई और यह हमारा सौभाग्य है कि आज पेयजल और सिंचाई विभाग में लोग बैठे हुए हैं अधिकारी स्तर पर और मंत्री स्तर पर, जो किसान के बेटे हैं। माननीय मंत्रीजी, आपसे किसान को बहुत आशाएं हैं और इसलिए भी हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं मंत्रीजी कि किसान को खेत में पानी चाहिए, आप जानते हैं हम वही बात बता रहे हैं जो आप जानते हैं लेकिन कभी-कभी राजकाज है, राजकाज में भूलना, हड़बड़ी में रहकर काम करना, अधिकारियों से बात करना, इसलिए मंत्रीजी आपकी याददाश्त तो मजबूत है लेकिन कमजोर हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सामने आयी कि पानी चाहिए और एनीकट से पानी आएगा और हमारे राजस्थान में कुछ योजनाएं बनीं लेकिन मंत्रीजी बहुत से एनीकट ऐसे बने हैं जिनको आप क्वालिटेटिवली गलत बता सकते हैं इसलिए मंत्रीजी पहली बात तो यह है कि आप कृपा करके मोदी जी हमारे परिवार से वहां चले गये, आप थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, बाकी सब ठीक है। आप मेरी बात सुन लें माननीय मंत्रीजी, एनीकट आपने बनाये, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब अभी माननीय विधायक कह रहे थे

(श्री रामनारायण मीणा)

बांदीकुई से आने वाले एक-एक, दो-दो करोड़ के एनीकट बनाते हो आप और आपने मेरे लिए नहीं बनाये, कौन से जन्म का आपने... इसलिए कृपा करके ऐसी योजनाओं को सब डिवीजन वाइज आप विधायकों को बैठाकर बात करो और इस समय ईश्वर ने आपको मौका दिया है।

मंत्रीजी मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आज के दिन मैं कोई अन्तरराज्यीय जल विवादों के बारे में बात करने की बात करूं इस सदन में हम आज से पन्द्रह बीस साल से यह सुनते आ रहे हैं 8.60 और 8.60 के बारे में जो बात हुई है मंत्रीजी .60 पानी हम तब लेंगे जब हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। आज की तारीख में क्षमता बढ़ी। इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि सदन में बार-बार यह कहकर हमने समझौता कर दिया, आपने समझौता कर दिया। आपकी हमारी बात भारत सरकार मानती है, नहीं मानती है, पंजाब गवर्नमैंट, हरियाणा गवर्नमैंट मानती है या नहीं मानती है, इस मसले को आप निश्चित तौर पर जाट बनकर के यूं तो काम नहीं चलेगा किसान बनोगे तब तो, इसको ठीक कराओ। पंजाब अपनी स्थिति में आए, अपनी औकात में आए और मैं यहां आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन राजस्थान के नेता पंजाब में जाएं और अकाली दल की सरकार के गुणगान करके वह हमारा पानी नहीं दें यह हमारे लिये शर्मनाक बात है इसलिये माननीय मंत्रीजी ... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मैं इनको बिलकुल इंट्रप्ट नहीं करना चाहता हूं लेकिन ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप मेरा समय ले रहे हो। आप मेरा समय ले रहे हो...

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): मैं इंट्रप्ट नहीं करना चाहता। आपका समय भी नहीं ले रहा। आपका समय भी नहीं ले रहा। समय बढ़ा देना ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बढ़ा देना, आप आर्डर दे रहे हो क्या ? यह क्या बात हुई..

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): अभी पंजाब में कांग्रेस का शासन था, दिल्ली में कांग्रेस का शासन था लेकिन आप यहां खाली यह कहकर कि मंत्रीजी

(श्री विष्णु मोदी)

आप यह करिये, यह आप करिये, यह राजस्थान किसी एक की बपौती नहीं है। तो कांग्रेस क्या कर रही थी ? कांग्रेस ने क्या अपना दायित्व नहीं समझा कि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिले। क्या आप प्रधानमंत्रीजी से जाकर मिले ? क्या आपने अमरिंदर सिंह के लिये दवाब बनाया कि पंजाब पानी दे राजस्थान को। आप खाली घड़ियाली आंसू बहाने के लिये और यहां राजनीति करने के लिये भाषणबाजी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, टू कीप द रिकार्ड स्ट्रेट वसुन्धरा राजे की सरकार ने अन्तरराज्यीय जितने मसले थे उनमें अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है, सबसे ज्यादा प्रगति हुई है तो इस शासनकाल में हुई है।

श्री सभापति: ठीक है। धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अब आप बिराजिये। इस हाउस में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराज जाएं।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): अटल बिहारीजी वाजपेयी ने नदियों से जोड़ने का प्लान बनाया था उसको कांग्रेस सरकार ने डम्प कर दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा जो अटलजी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनायी थी, विधान सभा एक संकल्प पारित करे इसके अन्दर।

श्री सभापति: आप बिराज जाएं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं न इनसे शर्त ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य, मुद्दे की बात कर दें। दस मिनट अभी पूरे हो जायेंगे। 20 माननीय सदस्य और बोलने हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो मंत्रीजी को सजेस्ट कर रहा था कि यह ऐसे मसले हैं, मैं इनको गिनाऊं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गिनाओ न। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वह चौधरी कुम्भाराम आर्य फीडर हो या दूसरी योजनाएं हो, आप कृपा करके इन सारे मसलों को ठीक कर दें। सबसे बड़ी समस्या है कि आपको पानी कम मिल रहा है और यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में पानी बहुत है। आज आप नदियों को जोड़ेंगे तो

(श्री रामनारायण मीणा)

निश्चित रूप से आपको पानी मिलेगा लेकिन पानी का उपयोग कैसे हो, मंत्रीजी आपको चम्बल का उदाहरण देता हूं। चम्बल में हमारे पास पानी है। बाँध की भराव क्षमता 6.25 एम.ए.एफ है। हम उस पानी को कितना उपयोग कर रहे हैं, आज आपके चम्बल में बाराबंदी नहीं है, टेल का किसान परेशान है। आप तो जानते हो कि जब एक पानी खेत में लग जाए और चार पानी के बिना गेहूं की फसल पैदा नहीं हो तो फिर उसमें फसल पैदा नहीं हो और आप पिलाई लो इससे बड़ी दर्दनाक स्थिति उस किसान की नहीं हो सकती। इसलिए कृपा करके बाराबंदी के जरिए, सिस्टम ठीक करने के जरिए, आपके वहां पर मशीनरी डिवीजन खतम कर दिया। एक मशीन नहीं है। एक समय था जब आपके हर नहर में मिस्त्री हुआ करते थे। मेड चला करते थे आपके। आज आपके पास स्टाफ नहीं है। आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है। पैसा आप दे नहीं पा रहे हैं। घोषणाएं जरूर हो रही हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चम्बल की नहरों को कैसे दुरुस्त करोगे? यदि आप दुरुस्त नहीं करो तो एक काम कर सकें मजबूती से तो यह कर दीजिए कि टेल के किसान को जिसको पूरा पानी नहीं मिलता है फसल पैदा नहीं होती है उस खेत की सिंचाई आप नहीं लिखें। इस बात का आदेश आप कर दीजिए। सिंचाई तो आप कर लोगे। जब उसको पूरा पानी मिल पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी योजनाएं बहुत हैं। मंत्रीजी, आपने पायबालापुरा को ऊंचा उठाया। पायबालापुरा जब ऊँचा उठेगा तो उसका पानी बाकिया बांध में जाएगा। इसी तरह यदि दुगारी बाँध जो स्टेट के टाइम पर 1936 में बना था, आप बार-बार हमसे कहते हैं। आपके अधिकारी हमको पत्र लिखते हैं। यहां पर पचास स्क्वायर किलोमीटर का केचमैंट एरिया बाकी है। इस तरह की योजनाएं आप लें जिसमें पानी की आवक कम है। बांध ऊंचा उठाया जा सकता है तो निश्चित तौर से टेल के किसान को फायदा मिलेगा।

माननीय मंत्रीजी, बूंदी में एक रामगढ अभयारण्य है, उसके ऊपर सादेड़ा का डेम है। सादेड़ा के डेम में आज भी पानी की आवक काफी ज्यादा है मैंने आपको अनुरोध किया था कि इसका सर्वे कराकर इस बांध का पानी उपयोग में लिया जाए लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि अभी तक आपके यहां से कोई योजना बनी नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे मामले आप करें।

(श्री रामनारायण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, चूंकि आप कुर्सी पर विराजमान हो गये और हम आपको नाराज नहीं करना चाहते लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन मंत्रीजी को करना चाहूंगा कि आज भूमिगत जल स्तर में जिस कदर गिरावट हो रही है, आज नैनवां में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 20 सिंगल फेस मोटर दी, टंकी दी, लेकिन आज की तारीख तक साल भर हो गया, आपकी योजना किस विधान सभा क्षेत्र में सक्सेस हुई मैं नहीं जानता लेकिन मेरे यहां एक भी मोटर चल नहीं पायी है। उसका मुख्य कारण मैं आपसे अर्ज करता हूं कि नैनवां में भूमिगत जल स्तर काफी नीचे गिर चुका है। ट्यूबवैल हम जहां पर खुदवाते हैं किसी भी योजना में आपको पानी नहीं मिलता। मैं किसी का विरोध नहीं करता। मुझे बहुत खुशी है कि बीसलपुर से उनियारा आप पेयजल योजना प्रारम्भ कर रहे हैं लेकिन उनियारा में तो आपके बीसलपुर का पानी चला गया तो भूमिगत जल स्तर अपने आप ऊपर आ गया। आपके ट्यूबवैल काम कर रहे हैं। हैण्डपम्प काम कर रहे हैं। कृपया, उनियारा के साथ-साथ नैनवां के जो गांव हैं उन गांवों को आप जोड़ें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बहुत मुख्य बात मैं आपसे अर्ज करता हूं बीसलपुर डेम से संबंधित है। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इस बारे में आपसे, मुख्य मंत्रीजी से कितनी दफा बात हुई है लेकिन आप तो पता नहीं कहां कब काम आ जाता है और गायब हो जाते हैं। आप बैठकर क्यों नहीं बात करना चाहते? क्या कारण है? कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी भी हो तो इस डेढ़ साल में कुछ करिये। हमारे कुछ साथियों ने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बीसलपुर योजना कहां-कहां थी? मंत्रीजी, मैं आपको याद दिलाऊं, बीसलपुर योजना 658 गांवों के लिए वर्ष 1943 से 45 के बीच में सर्वे हुआ। इसमें 658 गांव थे। कितने गांव किसके थे, मेरे पास आपके अधिकारियों के और मंत्री के पत्र हैं। 1945 के सर्वे में देवली के 24 गांव थे, टोंक के 115 थे, उनियारा के 204 थे, सवाईमाधोपुर के 205 थे, नैनवां के 110 गांव थे। इस तरह वह तो 658 गांव हैं। आपने 450 गांव काटे हैं और 450 गांव में जहां पर फ्लो से पानी जाता है, मेरा तो आपसे एक ही अनुरोध है कि यदि नैनवां में आता है तो वहां पर पानी पहुंचाइये और दूसरा गांव में आता है तो पानी पहुंचाइये। यह मैं मानता हूं कि आपके पास पानी नहीं है। मंत्रीजी, 20 साल तक तो आपको पानी की

कमी है और जब 20 साल पानी की कमी है और आपने एक साल भी नहर खोद कर किसी गांव में दे दिया तो निश्चित तौर पर ... (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: बाइंड-अप करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उसकी फसल उतनी ज्यादा पैदा होगी कि हम कोई अन्दाज नहीं लगा सकते।

माननीय सभापति महोदय, बातें तो बहुत हैं जिनको कहना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आपका पानी चम्बल का राऊ घाट पर 13 एम.ए.एफ बेकार बहता है। तो जब वहां पर बिजली बनेगी, आप बना रहे हो बहुत बढ़िया, उसके लिए तो धन्यवाद लेकिन जिस जमाने में आप कांग्रेस में हुआ करते थे, शिवचरणजी के साथ उठते-बैठते थे। आप मैम्बर आफ पार्लियामैंट थे कांग्रेस की तरफ से तब राऊ घाट पर गये थे कि नहीं गये? आप नहीं गये होंगे। शिवचरणजी गये थे। इसलिए मेरा तो अर्ज करना है कि यहां पर डेम बने। यहां का पानी मिले। एक बात मैं आपको बताता हूं। अभी बात आयी थी कि सांवरलालजी मजबूत आदमी हैं। काम करते हैं लेकिन यह सवाईमाधोपुर का पानी क्यों आप ईसरदा में डालना चाहते हो? तो मजबूत हो जाओगे और ईसरदा में डालकर जयपुर में पूरा पानी ईसरदा के थ्रू दे दें। बीसलपुर का पानी जितना ज्यादा किसान को दे सकते हो उतना देने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि आप बात पर ध्यान रखेंगे। डेढ़ साल में जितना काम करने की आपकी क्षमता है उसे बढ़ाएंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि किसान का बेटा कुछ करने की कोशिश करेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, करेगा तो फसल खराब हो जाएगी। फसल खराब हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी से कि जब आपका जवाब आये ... (व्यवधान) बीसलपुर का फ्लो का पानी किसी भी गांव में दो, मैं नहीं कहता कि मेरे यहां पर दो। जहां से पानी आये, जिस जगह से फ्लो से पानी

जाए, आप राजनीति के दबाव में नहीं आयें। ईमानदारी से किसान केकड़ी का आपका है, सरवाड़ का आपका है, नैनवां का आपका है, सवाईमाधोपुर का आपका है। किसान को पानी दो। दस साल पानी दो। बीसलपुर में पानी भरा रहता है। गर्मी के दिनों में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और तो नहीं जानते लेकिन आप तो थोड़ा-थोड़ा जानते हो कि पानी कि कितनी कीमत है। यह सब कर पाओगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे नहीं तो हम तो आपके गुणगान तगारामजी की तरह, मोदीजी की तरह करने वाले नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मोदीजी, कृपया करके आप सुनिये। आप हमारे भाई-बंद रहे हो, आजकल पराये चले गये, पता नहीं किसकी पाल बाँध ली, चुपचाप बैठिये, हमारी बात को काटिये मत और मंत्रीजी से काम लीजिये। आप उनके पड़ोसी हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): सभापति महोदय, एक मिनट, बहुत जरूरी है बोलना, यह मेरे जिले का मसला है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी सक्षम हैं ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): बीसलपुर का बांध पेयजल के लिए स्वीकृत हुआ है ...(व्यवधान) उस वक्त बांध पर रोक थी...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप किसान विरोधी हो, आप सेठ के बेटे हो, किसान की बात करो ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): मैं उस समय लोक सभा का सदस्य था, बीसलपुर का पानी सिर्फ पेयजल के लिए सैंक्शन हुआ है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, यह इस हाउस में आ गये इसलिए राजस्थान में रेट बढ़ते जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): बीसलपुर के पानी को आप किस तरह से देने की बात करेंगे It has only been sanctioned as drinking water. You must use as only drinking water.

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप किसान की बात करिये ...(व्यवधान) बात पता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): उस वक्त प्लानिंग कमीशन के अंदर जब बीसलपुर की सैंक्शन हुई तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की बाकायदा प्रोसीडिंग है कि बीसलपुर का पानी पेयजल के लिए काम में लिया जायेगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, आप तो यह कर दें कि किसान ...(व्यवधान) मंत्रीजी, आप किसानों की सुना करो, इन सेठों की मत सुना करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): आप इस पर राजनीति नहीं करें और जिस उद्देश्य से बीसलपुर का बाँध बनाया गया है। बीसलपुर का बाँध सिर्फ पेयजल के लिए काम में लिया जाना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इन सेठों की सुनना बंद कर देंगे तो काम हो जायेगा, नहीं तो नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद, बिराजें, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो एक ही बात कहता हूं ...(व्यवधान) पानी भरा है बांध में, बांध में पानी भरा है और किसान का बेटा सामने बैठा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपके मंत्रीजी जवाब दे देंगे अभी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम इसको अच्छा कैसे बतायेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छा है, बुरा है वह बता देंगे ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको बाद में बता दूंगा, बार-बार बीच में ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, एक लाख हैक्टेयर में टौंक जिले में सिंचाई हो रही है। आपको पता होना चाहिए, यह तीन साल ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो कपूत मत बनना। सेठजी को जवाब दे देना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराजें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस ईसरदा वाले से ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): इतनी सिंचाई तो अमेरिका में नहीं हो रही है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पेयजल का काम लेने के बाद ईसरदा बाँध से पेयजल के काम ले लेना ...(व्यवधान) अभी वहां सरप्लस करके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें माननीय सदस्य। रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई और मांग संख्या 27 पेयजल पर चर्चा हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री सभापति: आप मुददे की बात बता दें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): थोड़ी बहुत तो भूमिका बनानी पड़ेगी। इस युग में रहना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा।

श्री सभापति: आपको भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। बिना भूमिका के सब समझ लेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिंचाई में और पेयजल में पिछले तीन वर्षों में तुलनात्मक दृष्टि से अगर पिछले पांच वर्षों का लेखा जोखा किया जाये तो हर मामले में उपलब्धि हासिल की है। आंकड़े तो वैसे सारे बता सकता हूं मैं भी पर ज्यादा आंकड़ेबाजी में कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं तो मोटे रूप में मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी नीयत में, काम करने की लगन में, पब्लिक डीलिंग में किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं है और हर वक्त कभी भी आपके मुंह से, आपके घर से, दफ्तर से किसी भी व्यक्ति को निराश होते हुए लौटते हुए नहीं देखा।

सभापति महोदय, सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने मेरी पिछले तीस वर्ष से लगातार जो चली आ रही थी सेम की समस्या, उसका समाधान करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रोविजन किया। तीन वर्ष हो गये, मुझे पता है सरकार करवानी चाहती है तो ...(व्यवधान) नहीं, नहीं आपकी क्या हिम्मत है कि नहीं होने दें, इतना कमजोर थोडे ही हूं मैं।

सभापति महोदय, यह जो तकनीकी कारण का बहाना लगाकर किसी योजना को डिले करने की तरफ मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, हमारे एक बागड़ी में कहावत है कि भानजा रे भानजा मन में ही जानजा। मैं ज्यादा आलोचना नहीं करूंगा और पुन: एक बार आपको आग्रह करना चाहता हूं कि जो बजट आपने दे दिया, जो घोषणा आपने कर दी, उसका श्रेय मैं चाहता हूं कि आपको ही मिले, सरकार को ही मिले।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

सभापति महोदय, मोटे रूप में सेम के बारे में पुन: मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी तक भी कार्य अधूरा पड़ा है। आपके पास में पत्रावली गयी है। उनमें से पुल वगैरह का जो निर्माण होना है वह शेष है। यह धीमी गति से कार्य चल रहा हे। इसको प्रगति प्रदान करें। मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कुछ स्टाफ की भी कमी है, जे.ईएन. की कमी है। उसके ऊपर भी आप ध्यान दें।

सभापति महोदय, इसके अलावा सरकार ने काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे नहरों में सिल्ट निकालने की बात हो, चाहे टेल पर पानी पहुंचाने की बात हो। हर मामले में काश्तकार संतुष्ट है, पानी भी खूब मिला है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय, पी.एच.ई.डी. के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अंदर आपके ग्रामीण क्षेत्र में जी.एल.आर. बना रखे हैं। वह नाम मात्र की पनघट योजना रह गये हैं। सभी लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तो सरकार को पैसा आयेगा और लोग कनेक्शन मांग रहे हैं फिर इस स्कीम को आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जब गांवों में कनेक्शन 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और कहीं 60 प्रतिशत लोगों ने अवैद्य कनेक्शन कर रखे हैं तो उन गांवों में कनेक्शन क्यों नहीं कर देते ताकि सब को पानी मिल जाये। जो गरीब हैं कनेक्शन नहीं ले सकते हैं उसके लिए आप अलग से प्रोविजन करें। कोई पाइप एवं टूंटी लगा दें। जो भी व्यवस्था आपको करनी हो, जी.एल.आर. से कर दें, पर जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको तो आप कम से कम कनेक्शन दें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वर्षों से जो बिगड़ा हुआ ढर्रा है। कोई मैं आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। सिंचाई विभाग और विशेषकर के सी.ए.डी. में जो पक्के खाले और नहरें बनी हैं, काम ही पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही टूट गयी। यह बहुत ही बड़ी विडम्बना की बात है। बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि अरबों रूपया खर्च हो गया और मौके पर पानी उपलब्ध ही नहीं। खाले पहले ही टूट गये। बहाना क्या बनाया जाता है कि अंधेरी चली, खालों में मिट्टी भर गयी, वर्षा हुई, कटाव में खाले टूट गये। यही बात सही नहीं है तो क्वालिटी के मामले में पहले से सुधार हुआ है। मैं यह भी मानता हूं। अब हमारे प्रथम चरण में जो

खाले बन रहे हैं। यह तो बहुत पहले की बात है। अब जो खाले बन रहे हैं, उनमें वाकई में क्वालिटी सही है। यह कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है।

सभापति महोदय, इस राजस्थान में क्या, इस पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना व मांग संख्या 46 सिंचाई, आई जी एन पी सहित माननीय मंत्रीगणों के रिप्लाई और पारण तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 व मांग संख्या 46 पर माननीय मंत्रीजी का जवाब हो और पारित हो तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि सेम वाले मसले में एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जो काश्तकार पानी अपने खेतों में भरकर के सीधे सेम नाले के अंदर छोड़ते हैं उन काश्तकारों के ऊपर बारी काटने का प्रोविजन किया जाये। आप यहां लिखित में आदेश नहीं करेंगे, नीचे मैंने काफी प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिली, इससे बड़ा नुकसान होता है। अब तो आप ड्रेन खुदा रहे हो, कल उसमें काश्तकार मिट्टी भर देंगे, पानी तोड़-तोड़ कर के तो आये दिन सरकार पैसा नहीं देगी तो आप इस पर यह प्रोविजन करायें कि जो काश्तकार ड्रेन के अंदर पानी डालेंगे उनके पानी की बारी काटी जायेगी।

यह संदेश चला जाएगा तो कोई एक लीटर पानी भी ड्रेन में नहीं जाने देगा, नहीं तो छह महीने में ड्रेन बरबाद हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी करोड़ों और अरबों रुपयों की प्रोपर्टी नष्ट हो रही है, लोग

(श्री रामप्रताप कासनिया)

चोरी कर रहे हैं, आपके जितने गोदाम हैं, कॉलोनियां हैं, सब बेकार पड़ी हैं तो आप उनकी तरफ भी ध्यान दें कि अरबों रुपयों की सम्पत्ति है, आपके पुराने स्टॉक रजिस्टर में जो जमा खर्च है वह आप मंगवा कर देखें तो आपको पता लगेगा कि सरकार को कितना चूना लग रहा है और जो बेकार की कॉलोनियां पड़ी हैं, जो काम में आने वाली नहीं हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेण्ट जिसको जरूरत है तो उसको सौंपो, नहीं तो उस सम्पत्ति को नीलाम करके खजाना भरो। जिस तरह से आज काश्तकारों को रुपए दिए हैं उस तरह से दें, राजस्थान का धन है, राजस्थान के काम आएगा, हम कोई अपने घर नहीं ले जा रहे हैं और वह सम्पत्ति खुर्द बुर्द हो रही है, यह बहुत बड़ी सम्पत्ति है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजस्थान और पूरे देश की बात कर रहा हूं, यह जो हमारी ठेका प्रथा है, टेण्डर प्रथा है, मैं कोई एक सिंचाई या पी एच ई डी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूं, सभी महकमों में यह बीमारी है कमीशन वाली, यह वर्षों से चल रही है, मैं किसी एक व्यक्ति पर या एक इन्जीनियर पर या किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं परन्तु जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक क्वालिटी में पूरा सुधार नहीं हो पाएगा। आपने क्वालिटी कण्ट्रोल का सिस्टम और सब कुछ बना रखा है लेकिन उनकी व्यवस्था के बारे में मैं आपसे अलग से भी बात कर लूंगा, ज्यादा उच्चारित नहीं करूंगा। यह मैं कोई आपके अकेले विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, यह पूरे हिन्दुस्तान में है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में पानी पर चर्चा हो रही है। चाहे पीने का पानी हो या सिंचाई के लिए पानी हो, राजस्थान दोनों ही दृष्टियों से बहुत पीछे है। कई गांव, कई ढाणी और यहां तक कि कई कस्बे ऐसे हैं जहां पानी का संकट है। हर खेत को पानी का सपना जो हमारे देश की आजादी के समय हमारे नेताओं ने संजोया था वह सपना दूर-दूर तक पूरा होने का दूर-दूर तक आसार नहीं है लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने और हमारे बहुत ही कर्मठ जल संसाधन मंत्री ने इसे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चुनौती के रूप में लेकर जिस तेज गति से प्रयास किए हैं तीन सालों में कमाल! वाकई में कमाल के परिणाम आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और खेत-खेत में नजर आने लगे हैं। कितना बजट का प्रावधान, पिछली सरकार की तुलना में 80 प्रतिशत और बढ़ोत्तरी ताकि हमारी जनता को पीने का पूरा पानी मिल जाए। दिसम्बर, 2003 से अक्टूबर, 2006 तक 9308 करोड़ रुपए की 1184 छोटी और बड़ी पेयजल योजनाओं की मंजूरी अपने आप में आश्चर्य लगती है कि इतने काम भी हो सकते हैं लेकिन हमारे मंत्रीजी ने वह करके दिखा दिया। अब हमारे प्रतिपक्ष के साथी कहते हैं कि योजनाएं स्वीकृत हो गई, मंजूर हो गई, काम पूरा नहीं हुआ, अब इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं तीन सौ करोड़ की, कोई चार सौ करोड़ की, कोई पांच सौ करोड़ की, इनको पूरा होने में वक्त लगता है और जिस समय यह पूरी होंगी राजस्थान पानी के मामले में कितना आत्मनिर्भर हो जाएगा और हमारी हर जनता को पेयजल मिल जाएगा। यह बिलकुल हम देख सकते हैं। अभी स्पष्ट नजर आता है कि आने वाला कल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सुनहरा है और यही नहीं सब जगह पानी पहुंच जाए और उसके साथ-साथ जनता को भी जागरूक करें कि पानी बहुत कीमती है, उपयोगी है, इस दिशा में प्रयास भी हमारी सरकार ने किए हैं जल चेतना यात्रा के माध्यम से पानी की कीमत समझाई, पानी का महत्व समझाया, पानी का उपयोग कैसे करें और पानी की बचत कैसे करें और हमारे जो गंवई तालाब हैं वहां पानी की आवक कैसे बढ़े इसका संदेश भी जनता को दिया ताकि जनता भी सरकार के साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर पानी का जो संकट है उससे निपटने में अपनी भूमिका निभाए। मात्र यही नहीं सरदार सरोवर बाँध में हमारे पानी का जो हिस्सा है उसके लिए पिछली सरकार ने कोई परवाह नहीं की, न बजट में प्रावधान किया और न राशि दी, अगर पिछली सरकार समय रहते राहत दे देती तो शायद आज नर्मदा का पानी बाड़मेर-जालौर तक पहुंच जाता।

हमारी सरकार ने आते ही 993.23 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए राशि स्वीकृत ही नहीं की बल्कि दे भी दी, आने वाले कल में वह पानी बाड़मेर-जालौर के गांवों तक पहुंच जाएगा और उस क्षेत्र की जनता को पीने का पानी मिलेगा और लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई भी होगी।

माननीय सभापति महोदय, योजनाएं पहले भी बनती थीं, मुझे याद है, मेरे जवाई बांध की योजना माननीय शेखावत साहब के काल में बनी और बाद

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

में कांग्रेस का शासन आया तो योजना ठण्डे बस्ते में चली गई। कई योजनाएं ऐसी हैं जो पहले बनी और बाद में यह कहकर कि हमारे पास बजट नहीं है उन योजनाओं को बिलकुल ठण्डे बस्ते में डाल दिया। कुछ योजनाएं स्वीकृत भी कीं और स्वीकृत करने के बाद रोक का आदेश भी दिया कि पैसा नहीं है इसलिए स्वीकृत योजना पर भी रोक लगा दी। आज योजना बनने में भले देर हो जाए, हमारे इंजीनियर योजना बनाने में कुछ समय निकाल दें लेकिन योजना बनकर अगर सरकार के पास आ गई तो सरकार में आने के बाद हमारी मंत्रीजी के यहां कोई देर नहीं, कितनी भी बड़ी योजना हो अगर जनता को राहत मिल सकती है, लाभ मिल सकता है तो एक बार कहने पर ही उस योजना को मंजूर कर दिया, यह नहीं कि पैसा नहीं है, जनता को पीने का पानी मिल जाए जितना चाहे पैसा लग जाए, योजना मंजूर करते हैं।

मान्यवर, आज 21वीं सदी में भी हम पानी के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं, प्रकृति बरसात करेगी तो हमारी प्यास बुझेगी, कई बार प्रकृति रूठ जाए तो प्रकृति को मनाने के लिए यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, पूजा पाठ और नाना प्रकार के जो भी प्रयत्न हमको करने हैं करते हैं, बिलकुल करने चाहिए, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं, वह करने भी चाहिए। परन्तु इस बात की माकूल व्यवस्था हो जाए कि कभी प्रकृति हमसे रूठ जाए तो हमारे पास खुद के इतने संसाधन हो पानी के कि जनता को पानी के संकट का सामना करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। हमारे खुद के संसाधनों को भी हमको विकसित करना चाहिए इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। आप यह देखना बिलकुल कि कुछ समय बाद कभी प्रकृति रूठ भी गई तो भी पीने के पानी का संकट झेलने की आवश्यकता राजस्थान की जनता को नहीं महसूस होगी। क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं, कहीं एक जगह पानी नहीं आया तो दूसरी जगह से पहुंचा देंगे और वहां से भी नहीं आया तो तीसरी जगह से पहुंचा देंगे पीने का पानी मिल जाएगा उसके लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक के बाद एक इस प्रकार की योजनाएं बनाई कि जनता को पानी मिले, इस बात के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ में हमारा जो पानी व्यर्थ जा रहा है उसके लिए भी जितने हमारी सरकार ने प्रयास किए उतने प्रयास पहले किसी सरकार ने नहीं किए। मुझे पता है कि पहले जवाई बाँध का पानी उदयपुर साइड से काफी मात्रा में बहकर गुजरात चला जाता था। एक बार सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह जानकारी माननीय मंत्रीजी के

ध्यान में लाए कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी बहकर गुजरात जा रहा है, हाथों हाथ योजना बनाई और जितनी राशि की आवश्यकता थी उतनी राशि स्वीकृत की और आज काम चालू हो गया है। अब कभी भी हमारा पानी व्यर्थ बहकर गुजरात नहीं जाएगा।

हमारी जवाई बांध की योजना है, सब को पता है कि जवाई बांध से अगर 5 एमसीएफटी पानी छोड़ें तो बीच में इतनी चोरी, छीजत है कि पाली तक एक-सवा एमसीएफटी पानी पहुंचता था। जब इस बारे में सरकार को जानकारी दी, हमारे मुख्य मंत्रीजी को जानकारी दी, हमारे जल संसाधन मंत्रीजी को जानकारी दी तो गम्भीरता से लिया कि इतना कीमती पानी व्यर्थ चला जाए, चोरी चला जाए, छीजत में चला जाए। 395 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की और जिसका बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है। कितनी बड़ी बचत होगी। अगर जवाई बांध में कम पानी भी आया तो भी पाली जिले की जनता को कभी पीने के पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उसमें जैतारण है या नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उसमें जैतारण भी है। चाहे बांधों की क्षमता बढ़ानी हो, जहां आवश्यकता महसूस हुई क्षमता बढ़ायी। कालीबर बाँध का टनर है उसकी चौड़ाई कम है। कई बार तेज वर्षा हुई पानी बह जाता है। ज्यों ही जानकारी में लाये उसकी चौड़ाई बढ़ाने की स्वीकृति दी ताकि पानी बेकार न जाए। हमारे जल संसाधन मंत्री पानी के मामले में जागरुक हैं। जो सपना हमारे अटल बिहारी वाजपेयीजी ने देखा था कि जो व्यर्थ पानी जा रहा है अगर उसका उपयोग कर लें, जो पानी तबाही ला रहा है वह खुशहाली भी ला सकता है। नदियों से नदियां जोड़ने की योजना बनायी थी और उस योजना का लाभ कितना मिलता उसकी चर्चा करना गांव-गांव में चालू हो गया। गांव वाले हमको पूछते थे कि हमारे गांव में कौनसी नदी का पानी आएगा, इस बात की चर्चा गांव-गांव में है। लोगों की आंखों में चमक आ गई थी कि आने वाले कल में हमको भी, हमारे खेत को भी पानी मिलेगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुई, वहां पर कांग्रेस का शासन आया, इतनी महती योजना जो देश के लिए बहुत जरूरी थी, बहुत आवश्यक थी उस महती योजना को भी ठण्डे बस्ते में पटक दिया। अब आप जनता को कहते हो पानी बचाओ, अब कहां जनता पानी बचाएगी, जनता को पीने का पानी नहीं मिलता। उस समय नारा दिया था कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पानी बचाओ। पीने का पानी नहीं मिलता और जनता प्रयास भी कर लेगी पानी बचाने का, दो-चार लोटे पानी बचा दे और ज्यादा प्रयास करेगी तो दो-चार बाल्टी पानी बचा दे, लेकिन जो इतनी बड़ी मात्रा में पानी बहकर नदियों में जा रहा है, तबाही ला रहा है उसको बचाने के लिए कभी वर्तमान प्रधानमंत्रीजी को नहीं कहा कि पानी बचाओ। अगर यह बात आप अपने वर्तमान प्रधानमंत्रीजी तक पहुंचा दो कि पानी बचाओ और शायद उस दिशा में कुछ कदम वे उठाते वास्तविक पानी उससे बचेगा। वास्तविक पानी जनता के पानी में कटौती करने से बचने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह रहेगा ...

श्री सभापति: अब आप कंक्लूड करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नदियों को जोड़ने की जो योजना है उसके लिए प्रधानमंत्रीजी के ऊपर दबाव बनायें और यह योजना जो ठण्डे बस्ते में डाल दी उसको बाहर निकालकर तेज गति से इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है इसका उनको अहसास कराएं। साथ ही पानी बचाने के लिए हमको भी, जनता को भी और सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। यह कई बार बात चली है घर का पानी घर में रह जाए। पहले बाड़मेर, जैसलमेर में पानी का संकट था, छत का पानी नीचे टांके में आ जाए और वहां दो महीने काम आये, चार महीने काम आये, छह महीने काम आये। सरकार को इस दिशा में वापस प्रयास करने चाहिए कि घर का पानी घर में रहे। भवन निर्माण की स्वीकृति हो तो पहले ही उसको पाबंद कर दें कि आपके यहां टांका जरूरी है।

श्री सभापति: अब कंक्लूड करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 5 मिनट।

श्री सभापति: 5 मिनट नहीं। धन्यवाद।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): दो मिनट और।

श्री सभापति: ओनली एक मिनट।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): दो मिनट और। अगर हम प्रयास कर लें कि भवन निर्माण की स्वीकृति उसी समय देंगे जब टांके का निर्माण साथ में हो तो भी पानी बड़ी मात्रा में बचा सकते हैं और कम से कम यह प्रयास तो आसानी से किया जा सकता है जो हमारे सरकारी भवन हैं, चाहे हमारे

विद्यालय हैं, चाहे अस्पताल हैं, चाहे आंगनबाड़ी भवन हैं, जो भी सरकारी भवन हैं वहां तो इस योजना को तत्काल लागू कर दें। हमारे पाली की बांगड़ स्कूल में योजना लागू हुई, दो लाख की योजना बनी और वहां का प्रिंसिपल दावा करता है एक साल भर पानी नहीं मिले इस पानी से काम चला लेंगे। हम बहुत बड़ी उपलब्धि पानी के मामले में हासिल कर सकते हैं।

हम पाली वाले पानी की पीड़ा जानते हैं, हमने कितनी पीड़ा भोगी है आपको जानकारी है, आप पाली जिले के हैं। सन् 2000 का जो पानी का संकट है वह भी आपकी जानकारी में है और उस समय जब कांग्रेस शासन था हमारे अधिकारियों ने सरकार को आगाह किया कि अगर जोधपुर से लेकर पाली तक पाइप लाइन नहीं बिछायी गयी तो पाली की जनता प्यासी रह जाएगी, बहुत बड़ा संकट पाली की जनता के सामने खड़ा हो जाएगा। आगाह करने के बाद उस समय उस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। जनता ने नहीं, सरकार के अधिकारियों ने आगाह किया था और बाद में जब जनता को पता पडा, बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हुए। एक बार 25 हजार लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन करके उस समय की सरकार के मुख्य मंत्री से मांग की थी कि हमें पीने का पानी दो उसके लिए यह मंजूर करो। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना। बाद में एक बार आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, मंत्री की कार पर पत्थर पड़े तो फिर जोधपुर से लेकर रोहिट तक पाइप लाइन पड़ी। हमारे काल में कोई भी योजना लेकर आओ, किसी पक्ष के हैं अगर पीने का पानी मिल सकता है, जनता की प्यास बुझ सकती है तो हमारे माननीय जल संसाधन मंत्रीजी ने कभी पीने के पानी के लिए किसी योजना की नामंजूरी नहीं दी, कभी गर्दन नहीं हिलायी।

श्री सभापति: माननीय श्री जीवराम चौधरी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अंत में मैं माननीय जल संसाधन मंत्री को पाली की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो भी योजनाएं इनको हमने बतायी, जो भी काम बताये सारे काम आपने स्वीकृत किये और आने वाले कल में पाली की जनता को उन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, पाली की जनता को भी पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह काम भी आपने कर दिखाया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री जीवाराम चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 46 और 27 पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूं। सभापति महोदय, जब हमारी यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और लोकप्रिय मुख्य मंत्री चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा में पूरे प्रदेश में, गांवों में, ढाणियों में, कच्चे रास्तों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमीं, लोगों की व्यथा सुनी तो इनके दिल में बड़ा दुःख था और माननीय वसुंधराजी ने लोगों को कहा कि आगे चुनाव है, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे, हमारी सरकार बनाएंगे तो हम आपके इन सारे दुखों का निवारण करने का प्रयास करेंगे।

मुझे आज बड़ी खुशी है कि जैसे ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पदभार संभाला सर्वप्रथम उन्होंने पानी के बारे में पूरे प्रदेश में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, इस पर माननीय पेयजल मंत्रीजी और हमारे केबिनेट के बाकी सदस्यों ने मिलकर ऐसी बढ़िया-बढ़िया योजनाएं इस प्रदेश में बनायीं कि आज तीन साल पूर्ण होने के बाद इन तीन सालों में हमारे हजारों गांव और लाखों लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलायी।

जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस विभाग का कार्य शुरू हुआ ठीक उसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा नहर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने उसकी जानकारी ली। उनको पता लगा कि यह पानी अपन जल्दी से जल्दी ला सकें तो हमारे पूर्वी राजस्थान में, विशेषकर जालौर और बाड़मेर दो जिलों में पीने के पानी और खेती दोनों की व्यवस्था बन सके। तब उनको पता लगा कि हमारे पास वर्तमान में जो कार्य राजस्थान में नर्बदा का बाकी है वह दो-ढाई साल में पूरा कर लेंगे, लेकिन गुजरात सरकार को 750 करोड़ रुपया देना बाकी है। जब तक वह पेमेंट गुजरात को नहीं देंगे तो गुजरात वाले उस नहर का निर्माण नहीं करेंगे और हमारे यहां यह प्रोजेक्ट पूरा भी हो जाएगा तो पानी कैसे आएगा। मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं इनके पाँच साल के कार्यकाल में गुजरात सरकार को इन्होंने सिर्फ 110 करोड़ रुपये दिये उसकी वजह से हमारी नर्बदा का यह प्रोजेक्ट डिले हुआ।

हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने तुरन्त आज दिन तक 646.95 करोड़ रुपये गुजरात सरकार को दे दिये हैं और गुजरात में नर्मदा का प्रोजेक्ट युद्ध स्तर पर चल रहा है। उनका कहना है कि हम लोग अप्रैल या मई में पानी दे देंगे। हो सकता है महीने दो महीने प्लस माइनस हो जाए लेकिन

(श्री जीवाराम चौधरी)

दिसम्बर, 2007 से पहले हमारे राजस्थान को नर्मदा का पानी मिल जाएगा। ये ऐसे बकाया कार्य हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं, नर्मदा का प्रोजेक्ट 1541.36 करोड़ का है। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि एक हजार करोड़ रुपये दिसम्बर, 2006 तक हमारी सरकार ने खर्च कर दिये हैं और सांचौर में भी उसका काम युद्ध स्तर पर चालू है। अगर पिछले साल यही पेमेंट समय से कर देते तो हमारे पास नर्मदा का पानी दो साल पहले आ चुका होता। ये कार्य इनकी सरकार ने किये हैं और उनसे लोगों को विशेष अपेक्षा हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। नर्मदा प्रोजेक्ट में वर्तमान में जिस प्रकार की पिछले अपनी नहरों में डिग्गी से या पाइप लाइन से किसानों को अपनी पाइप लाइन से पानी ले जाना पड़ता था खेतों में, सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि एशिया का यह पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी सरकार किसानों को खेतों में पाइप लाइन डालकर दे रही है जिससे इस स्प्रिंकलर सिस्टम में हमारे किसान खुद की खेती करें और उनके पाइपों के पैसे नहीं लगें। वह दिन दूर नहीं जब नर्मदा का पानी सांचौर में आएगा, बाड़मेर में आएगा, जालौर में आएगा, आहोर में आएगा, पीने का पानी भीनमाल में आएगा। पीने के लिए 1335 गांवों में भी हमारे लोगों को लाभ मिलेगा और वह दिन भी दूर नहीं, हमारा किसान बहुत मेहनती है, हर माध्यम में वह सक्षम है और पानी उसको अगर मिल जाएगा तो आने वाले दो-तीन साल में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे किसानों के बेटे, हमारे किसान का परिवार मारुति और सेंट्रो कार से खेतों में जाएंगे, भाट्टा लेकर जाएंगे। यह स्थिति हमारी सरकार ने कायाकल्प करने की की है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं किसी आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हमारी सरकार ने कितने करोड़ के खर्चे किये, कितनी व्यवस्था की, कितना जल संसाधन करना है, पूर्व सरकारों द्वारा पांच वर्षों में क्या किया। पांच वर्षों में इन्होंने 2465 करोड़ रुपये व्यय किये, जब कि वर्तमान सरकार ने तीन वर्षों में साढ़े 26 सौ करोड़ रुपये खर्च करके इस राशि का इनको इसका लाभ दिया है। इसके लिए मैं इस सरकार को, हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे सिंचाई मंत्रीजी को हृदय से धन्यवाद सांचौर की जनता की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लूणी, जवाई और सूकड़ी का पानी आता है और वह पानी हमारा एक नहरी क्षेत्र है उसमें से होकर के और कच्छ रण में

(श्री जीवाराम चौधरी)

चला जाता है। पिछले 23 साल से उस लूणी पर जो क्रॉस बांध बने हुए थे वह टूटे हुए पड़े थे। पिछले 23 साल से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सिंचाई मंत्रीजी को कि उन्होंने अपनी सरकार बनते ही फटाफट प्रपोजल बनवा कर भिजवाए, सैंक्शन करवाए और गई साल में वह सारे 19 क्रॉस बांध लूणी नदी पर बन कर तैयार हो गये। इस बार ईश्वर की कृपा रही हालांकि लूणी का पानी उतना नहीं आया, जवाब का ओवर फ्लो और लोकल पानी जो इकट्ठा हुआ वह हमारे 19 के 19 बांध लबालब हो गये। सभापति महोदय, उस पर्टिकूलर क्षेत्र में अगर लूणी का पानी जाता है तो खेतों में पानी फैलता है और वहां सेवज खेती होती है, किसानों को डीजल की जरूरत नहीं, किसान को बिजली की जरूरत नहीं, जैसे ही पानी खेत में सूखा और वह अनाज को यों ही फैंक देते हैं, आज उस नहरी क्षेत्र में हालांकि बारिश से और ओलों से छोटा-मोटा नुकसान जरूर हुआ लेकिन फिर भी 23 साल से उन किसानों को इस साल करोड़ों रुपये की फसल मिलेगी। यह कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए यह बधाई की पात्र है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में हमारे सिंचाई मंत्रीजी ने खूब काम करवाया है, मेरे बाद में भी माननीय सदस्य काफी बोलने वाले हैं इसलिए मुझे पाबंद किया गया है लेकिन मैं उन सब कार्यों के लिए तीन साल में जहां सांचौर तहसील में भूमि जल उपलब्ध था, ऐसी जगह पर कई सालों से आजादी के बाद तक किसान को तो बेचारे को पता नहीं कि यहां जल है या नहीं है और पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी वहां प्रयास नहीं किये। 32 बोर मेरे क्षेत्र में इन तीन सालों में किये हैं और कई जगह पर ऐसे एक्सपेरीमेंट बोर किये जहां किसान 4-5 लाख रुपये का खर्चा सहन नहीं कर सकता था, ऐसी जगह पर हमने एक्सपेरीमेंट बोर करवाया और उनमें पानी मीठा निकला। आज हमारे कम से कम 50 ऐसे गांव हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे थे और उनको आज 24 घंटे पानी मिल रहा है। यह कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं पुन: इनको धन्यवाद देता हूं और भूरि-भूरि नहीं करूंगा, मैं हरी-हरी प्रशंसा करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय श्री डा. सुरेश चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): एक मिनट, साहब, एक शेर के माध्यम से मैं खतम करना चाहूंगा। आज प्रतिपक्ष के माननीय कई सदस्यों ने हमें शेर सुनाए, मैं भी उनको जवाब यह दे दूं ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपके वहां बरसात से नुकसान नहीं हुआ क्या ?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): बरसात से नुकसान हुआ है, वह कह दिया न।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपने कहा मामूली सा। मामूली सा ही हुआ है क्या?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): हां, मेरे क्षेत्र में मामूली सा ही हुआ है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था।

श्री अमराराम (धोद): हमारा भी नाम था।

श्री सभापति: नाम था, बुला देंगे आपको, पहले देखा था आपको, आप बाहर गये हुए थे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): माननीय अमरारामजी, एक मिनट। मैं अभी मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों से और हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि जिस गति से आप तेजी से कार्य कर रहे हैं उसी गति से चलते रहें, अगले पांच साल और अभी वर्तमान के दो साल, सात साल आपके ही खाते में हैं, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर):

अभी तो बात की असली,
अभी तो आपका इम्तिहान बाकी है,
अभी तक तो आपने जमीन देखी है,
अभी तो पूरा आसमान बाकी है।

एक और सुना दूं ?

मुसीबत का स्वरूप हो तुम,
टेंशन का केप्सूल हो तुम,
आफत का इंजेक्शन हो तुम,
पर क्या करें, साहब, झेलना पड़ता है,
सदन की आक्सीजन हो तुम।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-27 और मांग संख्या-46 सिंचाई, ये दो मांग इस तरह की हैं और उसमें एक मांग तो उस तरह की है जो पेयजल वाली है, मांग संख्या-27

श्री सभापति: अब आप बिराजें, आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): किसी गांव में ले लो, किसी कस्बे में ले लो, किसी जिले में ले लो, किसी प्रांत में ले लो, किसी देश में ले लो, कम से कम 45 परसेंट जनसंख्या का यह सुबह आंख खुलते ही और रात को सोते वक्त तक सबसे ज्यादा जो टॉप प्रायोरिटी पर रहता है वह रहता है उनका पेयजल की व्यवस्था करना और यह उस 45 परसेंट पापुलेशन का है जिसको हम मातृ शक्ति कहते हैं, उसकी सबसे पहली आवश्यकता आज हमको सुबह उठते ही किसी और की और प्राथमिकता हो सकती है लेकिन कोई महिला उठते ही सबसे पहले यह कि शाम तक उसके पानी की, पीने के पानी की, नहाने के पानी की, घर के पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी और वह मटका लेकर जब कई-कई किलोमीटर तक जाती थी और आने के बाद वह मटका पानी का रख कर और यह स्थिति होती थी उस पानी को शाम तक घर वाले घी की तरह इस्तेमाल करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस धरती पुत्र इस भागीरथ को, राजस्थान के पेयजल और सिंचाई मंत्रीजी को कि जो स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में थी, मेरे ख्याल में मेरी विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले का वह क्षेत्र है जहां सिंचाई का पानी काफी मात्रा में था, उस पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं की स्थिति क्या होती होगी जहां पानी बादलों से देखते थे और उन बादलों में सात साल, आठ साल से पानी नहीं आया था और वहां जो पेयजल की स्थिति की कि जहां साढ़े तीन, सवा तीन साल पहले हम टेंकरों से पानी पहुंचाते थे और रेलवे के वेगन से पानी पहुंचाते थे। आज हमारी स्थिति यह है कि हम वहां टूंटियों से पानी पहुंचा रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं राजस्थान के ये धरती पुत्र सिंचाई मंत्रीजी और एक तरह से कहें कि किसान केसरी सांवर लालजी जाट साहब को धन्यवाद कर रही है पूरी की पूरी जनता। और इनके ये जो प्रयास रहे, कई बार तो चर्चा होती थी कि वहां सचिवालय में जाते थे, आपस में मिलते थे और एक-दूसरे को पूछते थे विधायकगण, बात करते थे कि कहां जा रहे हैं तो कहते थे कि जाट साहब के पास जा रहे हैं और जाट साहब जाते ही सीधा पूछते थे कि घर में, गांव में पानी की कोई समस्या तो नहीं है। हम डरते हुए जाते थे कि कहीं जाते ही हैण्डपम्प न पकड़ा दें। यही स्थिति होती थी। मतलब मांगा नहीं, मांगने से पहले ही पानी की व्यवस्था की स्थिति। मैं खासतौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र की स्थिति बता रहा हूं कि जहां टैंकरों से पानी पहुंचाने वाली स्थिति

(डा. सुरेश चौधरी)

थी वहां आज 55 गांवों में इन तीन सालों के अन्दर करीब 15-16 करोड़ की जो पेयजल योजनाएं मंजूर की हैं, जाते ही सीधा हमारी दरख्वास्त पर ही दस्तखत कर देते थे कि यह मंजूर की जाए। आज उन 55 गांवों में स्थिति यह है और मैं कहना भी चाहूंगा माननीय सिंचाई मंत्रीजी, पेयजल मंत्रीजी कि जिस स्कीम को मॉडल मानकर के वहां पर काम किया है और जो इतनी कामयाब स्कीम रही है, निश्चित रूप से आपके चाहे इर्रिगेशन के सैक्रेटरी हो, चाहे सी ए डी के सैक्रेटरी हों, खास तौर से जो पी एच ई डी के सैक्रेटरी हैं उनकी इतनी लगन रही, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले और वहां की स्थिति में इतना सुधार हुआ है कि वहां जाते ही यह कहते हैं कि कहां साढ़े तीन साल पहले की गवर्नमैंट और कहां आज की गवर्नमैंट। साढ़े तीन साल पहले भी मंत्रिमण्डल बनता था, साढ़े तीन साल पहले भी यही अधिकारी होते थे पर बात होती है काम लेने की, बात होती है काम करवाने की। उसमें निश्चित रूप से यह कहा जाएगा कि आप अप-टू-मार्क रहे हैं। इतने करोड़ों रुपये की स्कीम एक-एक डिवीजन में, एक-एक विधान सभा क्षेत्र में और आने वाले टाइम के लिए माननीय पेयजल मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप मेरी बात की तरफ ध्यान दें। सबसे बड़ी आज कमी आ रही है पाइपों की। सबसे बड़ी कमी आज आ रही है पाइपों के जोइंट्स की। उसमें हम आज ए. ईएन. हैडक्वार्टर पर पूछते हैं, एक्स. ईएन. हैडक्र्वाटर पर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास पाइप नहीं हैं, हमारे पास पाइपों के जोइंट्स नहीं है। खास तौर से जो तबका आज तक सबसे ज्यादा वंचित रहा दलित तबका, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बस्तियां हैं, आज आबादी का विस्तार हो गया, 20 साल पहले जिस गांव में हम पानी ले गये, 10 साल पहले जिस गांव में हम पानी ले गये आज वहां आबादी का घनत्व भी बढ़ गया, आबादी का विस्तार भी हुआ है और 10-20 साल में उस पाइप लाइन में डेमेज भी हुआ है, लीकेज भी हुआ है तो कंटींजेंसी स्कीम में इन पाइपों को लिया जा सकता है। दूसरे जो आपके वाटर सोर्सेज हैं चाहे वह डिग्गी हो और कुछ भी हो उसमें आप जो नई स्कीम दे रहे हैं उसमें तो चारदीवारी का प्रावधान है लेकिन जो पुराने आपके वाटर सोर्सेज हैं जो ग्राउंड लेवल पर हैं उनके चारदीवारी की व्यवस्था नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि वहां साफ पानी पिलाने के लिए उनके चारदीवारी की व्यवस्था की जाए। लेकिन हम मॉडल स्कीम के रूप में अगर जर्मन स्कीम को पेयजल योजना के रूप में

(डा. सुरेश चौधरी)

लेकर के चलते हैं पूरे राजस्थान में तो मेरे ख्याल से यह सबसे कामयाब स्कीम होगी और सबसे ज्यादा हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर भी इस स्कीम से मिलेगा।

इसके बाद मैं मांग संख्या 46 पर आता हूं। जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले में तीन साल में इतना पानी गया है, इतना पानी गया है, कामरेड साहब हो सकता है कि कुछ अजीब मानें इस चीज को क्योंकि पानी में आग लगाने के लिए ये भी वहां पहुंचे थे। जितनी फसल इस तीन साल के अन्दर हुई है उतनी फसल पिछले 10 सालों के अन्दर वहां नहीं हुई। अभी जो आंदोलन हुआ, कुछ जन-हानि भी हुई, कुछ लोगों को जेलों में भी डाला गया लेकिन उसके पीछे कारण उनकी व्यक्तिगत राजनीति थी न कि आम आदमी की तकलीफें। अभी जब ज्यादा बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई तो मैं खुद वहां हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में था और वहां कुछ लोग जो एकदम झकाझक कलफ लगाये हुए कपड़े पहने हुए थे वो बड़ी-बड़ी सरसों लेकर आये और आकर कहा कि यह देखो हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, हम तो लुट गये। तब मैंने उनको कहा कि यह सरसों कहां से हुई आप तो कह रहे थे कि पानी ही नहीं आ रहा हमारे जिलों में तो यह सरसों का नुकसान कहां से हुआ? सरसों कहां पैदा की आपने? गेहूं कहां पैदा किया आपने? ये चावल कहां पैदा किये आपने? बिना पानी के ये पैदावार कहां से हो सकती थी? तो यह सिर्फ राजनीतिक आधार पर आंदोलन चलाया गया था और खास तौर से अनूपगढ़, घड़साना, रावला की बात मैं कर रहा हूं। जो लोग संगरिया से ठुकरा दिये गये वो जाकर अनूपगढ़ और घड़साना में अपनी आगे आने वाली परिसीमन की जमीन तलाशने लग गये।

इसी हिसाब से सिंचाई के सम्बन्ध में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में आ जाता हूं, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा, मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा। मेरे और मेरी एडजोइनिंग कांस्टीट्यूएंसी नोहर है, मेरी कांस्टीट्यूएंसी भादरा है, वहां पर सबसे बड़ी जो सिंचाई की स्कीम है जो सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना है। सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा वित्त पोषित थी जिसका निर्माण कार्य 2001 तक करवाया जाना था। इस परियोजना में सिद्धमुख फीडर, रतलाना वितरिका व उसकी सभी माइनरों का निर्माण कार्य करवाया गया। नहर के निर्माण के पश्चात् माइक्रो-कैनेलाइजेशन, सवे, आउट-लेट, नहरों के हैड रेगुलेटर, पुलों के प्रोटेक्शन वॉल्व आदि बनवाये गये

लेकिन इसमें अभी भी इतना कार्य है कि करीब सवा तीन करोड़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि 4-5-10 साल उन नहरों के निर्माण को हो गये और आज तक उनमें रखरखाव के लिए, मेंटीनेंस के लिए बजट भी दिया गया तो वह नाम-मात्र का दिया गया।

दूसरी हमारी स्कीम नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित थी उसमें प्री-मेंटीनेंस के लिए हमें करीब 70 लाख की आवश्यकता है। उसमें हमारी रतनपुरा वितरिका और बोर्डर माइनर, पालड़ी माइनर, उसके हैड रेगुलेटर, क्रोस रेगुलेटर, मैंने कल भी आपको व्यक्तिगत निवेदन किया था कि उसमें जो सिद्धमुख फीडर से निकलने वाली रतनपुरा वितरिका है और सिद्धमुख फीडर से निकलने वाली बोर्डर माइनर है वहां के क्रोस रेगुलेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां का नाबार्ड को दिया गया, उसका री-डिजाइन भी हो गया, ड्राईंग भी हो गई। लेकिन जो रतलाना वितरिका से निकलने वाली पालड़ी और तनाल माइनर है जो उन बारानी एरिया को सिंचित करेगी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है क्रोस रेगुलेटर की। आप अपने अभियंताओं और अधिकारियों को कह कर उसके ऊपर ध्यान दिलायें।

मेरे दो-तीन सुझाव हैं कि कई जगह कमांड होने योग्य जो भूमि है और जो अन-कमांड पड़ी है और राज्य सरकार की उसके ऊपर रोक है कि अन-कमांड को कमांड नहीं किया जाए। सभापति महोदय, मेरी आपके और इस सदन के मार्फत मांग है कि उस अन-कमांड को कमांड करने पर जो रोक लगी हुई है उसको हटाया जाए। हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में कई जगह कुओं से सिंचाई करते हैं लेकिन हमारी आब-पाशी होती है सिंचाई के पानी की, नहरों के पानी की और हमारा आबियाना वसूला जाता है नहरी पानी लगाने का जब कि काश्तकार पानी लगाता है कुए का और अपना डीजल जलाकर और बिजली जलाकर। भांखड़ा सिस्टम की अमरसिंह ब्रांच की झांसल माइनर जो करीब....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय श्री अमराराम धोद।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एक मिनट साहब। जो समाप्त की जा सकती है और उसकी जो झांसल माइनर जो पुराना भांखड़ा के अमरसिंह सिस्टम का था उसको सिद्धमुख नहर में लिया जा सकता है और उससे पानी दिया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी मांग जो नोहर-भादरा क्षेत्र में है और इस

(डा. सुरेश चौधरी)

सरकार का सैकण्ड हाफ चालू हो गया, वहां कांग्रेस, कामरेड और दूसरे जो विरोधी दल हैं वहां मिलकर षड्यंत्र करके लोगों को बरगलाकर आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं वो है चकबंदी, मुरब्बाबंदी, किलेबंदी और री-फिटिंग। जो सबसे बड़ा काम है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उस री-फिटिंग को त्वरित गति से अगर कर दिया जाए और लोगों को बाराबंदी तक ला दिया जाए तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। तीसरा, सिद्धमुख-नोहर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट और चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल, इन दोनों के बीच का एक एरिया है जिसमें राजगढ़ के भी कुछ गांव पड़ते हैं, तारानगर के कुछ गांव पड़ते हैं, भादरा के भी कुछ गांव पड़ते हैं, ये कुल मिलाकर के करीब सवा-डेढ दर्जन गांव हैं जो टोटली अन-कमांड रह गये, मेरा आपसे निवेदन है कि...

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। अब आप विराजें। विराजें आप।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एक मिनट साहब। यह बहुत बड़ा हजारों काश्तकारों का मुद्दा है साहब, एक मिनट में क्या चला जाएगा जब दो-दो घंटे यहां हल्ले में निकल जाते हैं।

श्री सभापति: अब आप लिखकर दे दीजिये मंत्रीजी को।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): जो 14 गांव हैं उनको सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि राजस्थान का एनर्जी विभाग, राजस्थान का ऊर्जा विभाग और राजस्थान का सिंचाई विभाग अगर आपस में कोर्डिनेशन करके चले और पर्याप्त मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाए, पावर प्राप्त हो जाए, विद्युत मिलने लग जाए तो उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि फ्लो इर्रिगेशन नहीं करके हम कम्पलसरी कर दें, हम काश्तकारों से बॉण्ड भरवा लें, हम काश्तकारों से एफिडेविट ले लें, जो मुड्ढ के काश्तकार हैं, जो फर्स्ट के काश्तकार हैं उनसे कि वो फ्लो से सिंचाई नहीं करके स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करेंगे। तो स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने से और जो फ्लो सिस्टम से सिंचाई करते हैं उसमें 40 प्रतिशत पानी की बचत होती है और 40 प्रतिशत पानी की बचत होने से मैंने जो आपको 14 गांव बतायें हैं उन 14 गांवों में सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय श्री अमराराम धोद। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं करें उनका। विराजिये आप।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): xxx

श्री सभापति: अब नहीं, अब विराजो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): xxx

श्री अमराराम (धोद): आप जमीन तलाशो, उनकी तो चिंता छोड़ो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): xxx

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद): उसका ध्यान रखो आप, वो तलाश लेना।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): xxx

श्री अमराराम (धोद): अभी पता लगेगा 18 महीने बाद में, फिर जय रामजी की करेंगे।

श्री सभापति: पांच-सात मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, पेयजल एवं सिंचाई की मांग संख्या 27 और 46 के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं, राजस्थान की सबसे ज्यादा जो आवश्यकता थी पानी की, चाहे पेयजल के लिए हो और चाहे सिंचाई के लिए हो, सबसे बड़ी आवश्यकता थी। जल की कम उपलब्धता के कारण सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर उसमें पेयजल की हो चाहे सिंचाई की हो, अगर सरकारों की प्राथमिकता रहती है तो मैं समझता हूं, सबसे बड़ा सदुपयोग होना चाहिए था। जहां तक पेयजल का सवाल है सभापति महोदय, राजस्थान में चाहे सरकार कोई भी रही हो आज तक, लेकिन आपकी 20 से 25 प्रतिशत आबादी जो शहरों में रहती है और 75 से 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। जितना भी पेयजल विभाग का, पीएचईडी का बजट रहा है, हमेशा उसका उल्टा हुआ है। 20 प्रतिशत की आबादी पर 60 से 70 प्रतिशत बजट खर्च हुआ है और 80 प्रतिशत आबादी है, उस पर मात्र 25-30 प्रतिशत खर्च हुआ है और 58-59 साल की आजादी के बाद आज अगर हम देखेंगे कि गांवों में पनघट योजना होगी, 500 मीटर से सिर पर पानी लायेंगे और शहरों में हर घर तक टूंटी से पानी जायेगा तो गांव की जो कोई भी योजना होगी चाहे वह टीएसएस योजना हो या दूसरी योजना हो, वह गांव वाले चलायेंगे और शहर की योजना को विभाग चलायेगा। यह जो भेदभाव है, मैं नहीं समझता कि राजस्थान की इस विधान सभा में भेजने वाले 180 के करीब लोग चुनकर

(श्री अमराराम)

आते हैं, जो ग्रामीण जनता के वोट लेकर आते हैं लेकिन इसे पीएचईडी का दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, आज भी हजारों गांव ऐसे हैं, आजादी के पांच दशक पूरे होने के बाद भी, आज भी वह फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। इसके लिए दोष किसको दें? यह जो सरकार की कार्यनीति है, निश्चित रूप से उन ग्रामीण जनता का हक है इस खजाने पर। उनको भी घर-घर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब मैं समझता हूं कि यह कब पहुंचेगा? आज कोई भी गांव वाला अगर ओवरहैड टैंक बनाने की बात करेगा तो विभाग पहले ही लिखाकर लेगा कि इसको चलाने की और संचालन की ड्यूटी गांव वाले संभालेंगे तो बनेगी तो मैं समझता हूं, यह दुभांत ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ पेयजल में होता है और इसकी भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं, राजस्थान की सरकार को इस पानी के लिए आज भी भादरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, दूसरे सदस्य भी कह रहे थे कि परिवर्तन यात्रा की गई। बहुत लोगों को सपने आपने अपने राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति करने के लिए दिखाये। जहां-जहां भी वर्तमान में मुख्य मंत्री परिवर्तन यात्रा लेकर गई और उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दो, हम आपको पानी देंगे। पानी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है चाहे वह पेयजल के लिए हो चाहे सिंचाई के लिए हो। जब लोगों ने वोट दे दिया और आपने पानी नहीं दिया। इस पानी को जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, चाहे वह दूसरे राज्यों से हो, चाहे हमारे राज्य का सरफेस वाटर हो, इसकी आज तक अव्यवस्था का कारण है कि 52 या 54 प्रतिशत पानी का हम उपयोग कर पाये हैं और इसके सदुपयोग के लिए जल चेतना यात्रा भी निकाल रहे हैं। (व्यवधान) जो जनता ने पिला दिया। थोड़े दिन के बाद में ऐसे ही पिलाओगे तो आपको भी पिला देगी। मैं ऐसे काम करूंगा तो मुझे भी पिला देगी, वह तो जनता है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर होती तो मैं समझता हूं, यह 52 से 54 प्रतिशत की बजाय हम 90-95 प्रतिशत पानी का उपयोग करते क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर सिंचाई के लिए हो, पानी कहीं भी उपलब्ध हो, टेप करके हम अगर जमीन में सिंचाई करते हैं तो मैं समझता हूं, जितनी हम लागत लगाते हैं, सिंचाई का पानी पहुंचने के बाद में अगले दो-तीन साल के अन्दर पूरी लागत वापस खेती से उपलब्ध हो जाती है। तीन-साढे तीन हजार किलोमीटर राजस्थान कैनाल, जो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी जिस तरह से दुर्दशा राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए

(श्री अमराराम)

की है और मंत्रीजी कल जवाब भी दे रहे थे कि हमने तो समझौता किया। वहां की जनता ने संघर्ष करने के बाद में, बलिदान करने के बाद आपकी सरकार ने यह समझौता किया था। आप कह रहे हैं, अभी भी खड़े होकर जवाब देंगे, तब कहेंगे, हमने समझौता लागू कर दिया। 14,100 क्यूसेक्स में नहर का वितरण यथा प्रथम चरण के 8,200 क्यूसेक्स और....

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसमें "नहर" नहीं लिखा हुआ है। यह नहरों के माध्यम से लिखा होगा कुछ। या तो ओरिजिनल नहीं है आपके पास। पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो ना।

श्री अमराराम (धोद): ओरिजिनल है, आपको चाहिए तो मैं कापी दे दूं। पौंग डेम में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र से प्रतिवर्ष मिलने वाला कुल पानी 14,100 क्यूसेक्स की क्षमता वाली नहरों हेतु तथा वितरण यथा प्रथम चरण में 8,200 क्यूसेक्स तथा द्वितीय चरण में 5,900 क्यूसेक्स की क्षमता वाली नहरों के माध्यम से...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हां, यह है।

श्री अमराराम (धोद): प्रथम चरण् में 5.23 क्यूसेक्स प्रति 1,000 एकड़ तथा द्वितीय चरण में तीन क्यूसेक्स प्रति 1,000 एकड़, दोनों चरणों में वितरण जन प्रतिनिधियों की अलग-अलग कमेटी करेगी जिसकी अध्यक्षता प्रथम चरण के लिए मुख्य अभियन्ता (उत्तर) हनुमानगढ़ तथा द्वितीय चरण के लिए मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर करेंगे। (व्यवधान) नहीं, आप यह कहते हैं। इसमें पढ़ने में कहां दिक्कत है। यह अलग-अलग वितरण भी आज तक नहीं किया है।

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कर दिया है।

श्री अमराराम (धोद): और 8 सितम्बर, 2005 की सरकार की पाँच मंत्रियों की कमेटी में आप भी उसमें शामिल थे। फिर सरकार उस समझौते से मुकरने के बाद फिर वादा किया कि इस समझौते को हम लागू करेंगे लेकिन फिर मुकर गई। अभी यह कह रहे हैं कि हमने बहुत पानी दिया है, बहुत फसल हो रही है। यह आपके कृषि उपज मण्डल घड़साना की स्थिति है। जो 2000-2001 में गेहूं था 4.41 लाख क्विंटल, नरमा था 4.33 लाख क्विंटल, जो 2003-2004 में गेहूं हो गया 21,000 क्विंटल, कपास हो गया 66,000 क्विंटल, नरमा हो गया 66,000 क्विंटल। अगर पानी देते तो वहां के किसान

(श्री अमराराम)

पानी पी नहीं गये? जहां पांच लाख क्विंटल एक मंडी में गेहूं और पांच लाख क्विंटल के करीब कपास आती थी, वह मात्र 25,000 क्विंटल पर आ गई तो यह आपका पानी भी, अब जो पानी मिला है संघर्ष के बाद में, निश्चित रूप से यह आपकी मेहरबानी से नहीं, लोगों के संघर्ष के कारण से मिला है। (व्यवधान) आप अगर सच्चे दिल से....

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): 2003-2004 में कांग्रेस का राज था, तब पानी लिया था 2003 में पानी।

श्री सभापति: आप तो बिराज जाओ। इनको जो बोलना है, ये बोलेंगे। जवाब आपको दे देंगे, आप तो तथ्य रखते जाओ।

श्री अमराराम (धोद): दिसम्बर, 2003 में आ गये थे आप। आपकी सरकार आ गई थी। मैं 2004-2005 की बता दूं? 2004-2005 में गेहूं की मात्रा आई है मंडी में 28,000 क्विंटल, नरमा आया है 24,000 क्विंटल। यह तो आपका राज था। सरसों थी 2001 में 1.47 लाख क्विंटल...

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें।

श्री अमराराम (धोद): और 2003-2004 में 1.68 लाख क्विंटल। आप कह रहे हैं कि बहुत सरसों पैदा हो गई। 1.46 लाख क्विंटल से 1.78 लाख क्विंटल हुई इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो स्थिति है, बहुत पानी दे दिया। आपका कुल उत्पादन कृषि में था। 1997-98 में 23 मिलियन टन और 2005-2006 में 12.11 मिलियन टन। अगर आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना विस्तार सिंचाई का कर दिया तो फिर कृषि में उत्पादन कहां गया? यह आपके ही आंकड़े हैं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री सांवर लाल: पता नहीं है क्या, सपोर्टिंग प्राइस से सरसों खरीदी तो उसमें बीच में व्यापारी नहीं आता है।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, यह मैं मंडी का आंकड़ा नहीं दे रहा हूं। यह आंकड़ा है आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की है इसमें 23 मिलियन टन।

श्री सभापति: अब आप, माननीय सदस्य, अब समाप्त करें, बारह मिनट हो गये आपको।

श्री अमराराम (धोद): मैं तो पांच ही मिनट बोला हूं। सभापति महोदय, दो मिनट में।

श्री सभापति: नहीं, आप एक मिनट में कनक्लूड करें।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, जो सरकार ने चाहे रावला-घड़साना का हो, चाहे वह टोंक-सोयला का हो, पिछले दो साल से लगातार वहां के लोग मंत्रीजी से भी मिले, मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया, दीपावली के बाद पानी मिल जायेगा टोंक के लोगों को, अभी एक माननीय सदस्य विजयनगर से आने वाले कह रहे थे कि वह तो केवल पेयजल के लिए है, जब आपको वोट लेने थे उस समय तो किसानों को, टोंक के किसानों को पानी देने का आपने वादा किया और वह पानी मांगते हैं तो आप गोली देने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह जो स्थिति है, मैं समझता हूं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजस्थान की सरकार ने चाहे वह रावला-घड़साना के किसान हों, चाहे वह टोंक के किसान हों और चाहे अन्य राजस्थान के किसान हों, यह सरकार वह सरकार है जिसने पानी मांगने वालों को गोली देने का काम किया है और इसका नतीजा, मैं समझता हूं, पन्द्रह महीने के बाद जनता के बीच में जायेंगे, निश्चित रूप से वह जनता आपको इसका सबक सिखायेगी कि पानी मांगने वालों को दिया है।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि ...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा: सभापति महोदय, दो लोग उधर से बोल लिये, हमारे क्योंकि हमारे एक उधर से बोले, दो इधर से बोले, तो उधर से आठ लोग बोल लिये हैं, इधर से भी आठ लोग बोले हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं...

श्री सभापति: बुलायेंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आपको पता ही नहीं है किधर से बोले। यह इधर से तो पहले ही बोले। वह इधर तो यह बीच वाले बोले। यह बीच वालों में हैं।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री अमराराम (धोद): इसलिए सभापति महोदय, यह राज्य की पहली प्राथमिकता हो कि पानी जितना है उससे कृषि की पैदावार बढ़े, जनता को पेयजल के लिए मिले और आपने समय दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद पेश करता हूं और मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय सभापतिजी, आज पेयजल और सिंचाई के जल के लिए महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है..

श्री सभापति: आपस में बातें न करें।

श्री रामचन्द्र सराधना: मैं बिना किसी प्रस्तावना के बात करना चाहूंगा।

श्री सभापति: बस आप बिना प्रस्तावना के पाँच-सात मिनट में बात पूरी करें।

श्री रामचन्द्र सराधना: सभापति महोदय, मैं जयपुर जिले से जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और यह जयपुर जिला राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान के लोग ही नहीं, राजस्थान के बाहर के लोगों का भी यहां पर यह जयपुर उनके भार को भी ढोता है और हर तरह के प्रदूषण को भी वहन करता है और इस जयपुर को पानी सैकड़ों वर्ष तक जमवारामगढ़ के बाँध ने दिया है। जमवारामगढ़ के बाँध की स्थिति यह है कि पानी सूख गया। तीन दिन भी पानी रहा है तो तीन दिन तक का वह पानी वहां से ले लेकर के जयपुर को पिलाया गया है और यहीं संतोष नहीं कर लिया पीएचईडी ने मंत्री महोदय, वहां पर 24 ट्यूब वैल खोद करके अन्डरग्राउंड जो वाटर था उससे भी जयपुर को पानी पिला रहे हैं उससे लाकर आज की तारीख में भी। इसके आगे भी बढ़ गये, जो सीपेज का पानी निकल कर गायें पीती थीं, जानवर पीते थे, आने-जाने वाले लोग अपनी प्यास मिटाते थे, वह सीपेज के पानी को भी एक कुए में डाल करके जयपुर को पानी पिला रहे हैं। वहां की जनता बड़ी एजीटेशन पर थी, कई बार इस बात पर आमादा हो गई कि हम यहां पर आंदोलन करेंगे, हमने उनको समझा-बुझा कर रखा लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि जमवारामगढ में हैण्डपम्प सूख गये, पानी पीने का संकट हो गया। मैं और कोई प्रस्तावना नहीं बनाना चाहता, सीधी बात करना चाहता हूं, पचास स्कूल ऐसे हैं जहां पर हैण्डपम्प नहीं हैं, बिना पानी के चल रहे हैं। आजाद साहब, पचास स्कूलों में हैण्डपम्प नहीं हैं, हैण्डपम्प नाकारा हो चुके हैं, पानी उनका सूख गया, वाटर लेवल नीचे चला गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था जो कह रहा वही कह रहा था, आप मंत्री महोदय बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, एक माननीय सदस्य कह रहे थे, मुझे डर लग रहा था, जाते ही अपना हैण्डपम्प नहीं पकड़ा दें मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि आप जाने वालों को सब को हैण्डपम्प देते हैं मुझे दुःख की बात है,

इसलिए कह रहा हूं, ऑन रिकार्ड बात कर रहा हूं, 55 लाख रुपये मैंने एमएलए लैड का पैसा दिया हैण्डपम्प लगाने के लिए, वह इसलिए दिया कि आपने कह करके मुझे वादाखिलाफी कर दी। मेरे एमएलए लैड के पैसे से टंकियां मैंने बनाई जिनको आज तक चालू नहीं कर सका पीएचईडी। एमएलए लैड का दिया हुआ हैण्डपम्प, आज तक सेंक्शंड हैण्डपम्प लगा नहीं है। वह हैण्डपम्प नहीं लग पाये और यह कह करके फिर कह देते हैं कि यहां पर बोल्डर की एक ही मशीन है जो सारे राजस्थान में घूमती है, वह जमवारामगढ़ में कब आयेगी, पता नहीं। यह आपकी एफिसिएंशी की बात कर रहा हूं। मुझे इन बातों को देख करके ऐसा महसूस होता है कि आपकी नीयत में तो खोट मुझे लगता नहीं, आपकी नीयत पर तो मुझे शंका है नहीं, क्योंकि मैं अभी तीन-चार दिन पहले मिला तो आपने कहा कि आपके दो स्कीम हैं, डिपार्टमैंट में दो वर्ष से चक्कर काट रही है, हम उसको मंजूर कर देंगे। माननीय मंत्री महोदय, आपके कहने के बाद में विभाग में इसकी क्रियान्विति क्यों नहीं होती है, यह सबसे बड़ा संकट है। सबसे बड़ी परेशानी का सवाल यह है और मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इस समस्या का समाधान आपने मुझे अभी विश्वास दिलाया, मैंने आपके भरोसे जनता को भी कह दिया है, जमवारामगढ के लोगों को कह दिया कि मंत्री महोदय ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि आपके अब हैण्डपम्प भी मंजूर हो जायेंगे, स्कूलों में हैण्डपम्प भी लग जायेंगे और वह बोल्डर काटने वाली मशीन भी आ जायेगी और यह पहले वाले वर्ष का जो बतायेंगे अभी हैण्ड पम्प, हमारे रामगढ़ में कितने हैण्डपम्प लगे, यह एक वर्ष से, दो वर्ष से पहले का बतायेंगे आपको कि आपके लगा दिये हमने। ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता मंत्री महोदय, तो मैं निश्चित रूप से आपको कहता। एक संकट और आता है इसमें, हैण्डपम्प सुधारने के लिए (व्यवधान) हां, बतायेंगे। बतायेंगे आपको कि यह लगा दिये।

श्री सभापति: आप बिराजो।

श्री रामचन्द्र सराधना: हैण्डपम्प सुधारने के लिए मेरी समस्या नहीं है, सारे राजस्थान की समस्या है। आप एक अभियान चलाते हैं दो महीने तक। गर्मियों के दिनों में एक अभियान चलाते हैं और अभियान में सारे मिस्त्री इकट्ठे हो जाते हैं और उनको एक गाड़ी देते हैं और वह घूमते-फिरते रहते हैं, किसी का निकाल कर डाल आते हैं, किसी का निकाल कर ठीक कर आते हैं। यह अभियान चलाने की क्या जरूरत पड़ रही है। इन मिस्त्रियों को अपना काम

(श्री रामचन्द्र सराधना)

अपने जिम्मे देकर के हमेशा क्यों नहीं कर देते। यही सबसे बड़ा एक उपाय और सूझ गया डिपार्टमेंट को। जो भी हैण्डपम्प सुधारने की बात आवे, जो भी पानी की, टयूब वैल और टंकी की स्कीम आवे उसको एक बात कह देते हैं, चाहे आप सैक्रेटरी से मिलो, चाहे आप इनके चीफ इंजीनियर से मिलो, चाहे आप मंत्री महोदय से मिलो, कि यह स्कीम तो पंचायत चलायेगी। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि पंचायत को आपने फण्ड्स क्या दिये हैं, पंचायत को आपने पकड़ा दिया, आपको अधिकार दे दिया कि पानी का काम आप करेंगे, आपको अधिकार दे दिया प्राइमरी स्कूल आप चलायेंगे, आपको अधिकार दे दिया औषधालय आपके पास आ गया है, सारी स्कीम्स आपको दे दी, पंचायत अधिकार मांग रही थी, पंचायत को पकड़ा दिया लालीपाप, उसको चूसो और खाओ। उसको फण्ड्स क्या दिये आपने? जब फण्ड नहीं देंगे तो वह पंचायत उसको कैसे चलायेगी। आज भी डिपार्टमेंट के पास घूमते फिरते हैं पंचायत के सरपंच अपना थैला लगाकर कि हमारे मोटर चल गई है, हमारे यह स्टार्टर जल गया है। मैं यह निवेदन कर रहा था मंत्री महोदय, आपकी भी मंशा ठीक है और जनता भी इस बात को चाहती है कि जब आपने यह कह दिया कि यह स्कीम तो पंचायत चलायेगी, क्या आपने स्टाफ कम कर दिया, क्या आपके जेईएन, एईएन दूसरी जगह चले गये, क्या आपने कर्मचारी कम कर दिये। वह के वह कर्मचारी, वह के वह एईएन, जेईएन, वह के वह इंजीनियर्स और सारी स्कीमों को, जैसे अभी पहले वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, सारी स्कीमों को गांव वालों को कह दिया कि यह तो पंचायतें चलायेंगी। पंचायत के पास, आपने अभी देखा होगा कि सीसी रोड बनाने के लिए पंचायत को मना कर दिया, इसलिए कि आपके पास कोई टैक्नीकल आदमी नहीं होता है। पंचायत के पास कौन सा इंजीनियर है जो इसको ठीक करेगा, कौन है जो चलायेगा। फंड्स इनके पास नहीं, टैक्नीकल आदमी इनके पास नहीं और गांव वालों को और पंचायत को लड़ाने के लिए यह सीधा सा बहाना मिल गया है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, यह बहुत गलत निर्णय किया है जिसके कारण आज जनता परेशान है। आप उस काम को छोड़ देते हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी उनको हटा देते हैं कि वह कह कर दूर हो जाते हैं, यह तो पंचायत संभालेगी। पंचायत कहां से संभालेगी?

एक और निवेदन करना चाह रहा था, आप उधर बात करने चले गये, दो महीने का गर्मी के दिनों में आप अभियान चलाते हैं और कह देते हैं कि

अब सब ठीक हो जायेगा। मैं आपको निवेदन करता हूं कि एक पंचायत समिति में एक या दो गाड़ी लगाते हैं और वह सारे अभियान वाले जाते हैं, तीन-चार-पाँच मिस्त्री मिल कर उसको निकाल कर बाहर डाल आते हैं, कहते हैं यह तो काम का नहीं है, नाकारा हो गया है, काला मुंह करके वापिस आ जाते हैं, हैण्डपम्प का काला मुंह करके वापिस आ जाते हैं। और कहते हैं यह काम का नहीं चलेगा। यह मैं इसलिए कह रहा था कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। यह दो महीने क्यों चलाते हैं आप यह अभियान। यह तो है नहीं कि बरसात बहुत तगड़ी हो गई और अब पानी ही पानी हो गया है, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो यह अभियान नहीं चला करके आप व्यवस्थित रूप से भले ही दो-दो, चार-चार आपको मिस्त्री और भर्ती करना पड़े तो भर्ती करें और उसकी जिम्मेवारी फिक्स करें कि यह खराब होगा तो तेरी ड्यूटी है। उनको आज पंचायत के पास जब खराब हो जाते हैं, पाइप लेने के लिए चक्कर काटते हैं पंचायत समिति में, पंचायत समिति वाले कहते हैं जेईएन के पास जाओ, जेईएन कहता है हमारे पास स्टाक नहीं है। ऊपर वाले अधिकारियों से बात करते हैं, हमारे पास माल खूब पडा है, नीचे जाकर देखते हैं, माल साफ है, कुछ है ही नहीं। यह सबसे बड़ा संकट है। इस दुर्गति को भी आप ठीक करेंगे और जो आपके मेरे बात हुई थी, आपने मुझे बताया था कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में, जिसमें चार पंचायत समितियां आती हैं, विराट नगर, शाहपुरा, आमेर और जमवारामगढ़, इनमें कमी नहीं रहेगी।

मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा उस बात की पूर्ति हो जाएगी तो, तीन वर्ष से यह स्थिति चल रही है...

श्री सभापति: अब आप प्लीज..

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): एक आपने जल चेतना यात्रा, माननीय सभापतिजी आसन पर आप होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा मामला ठीक-ठाक चलेगा। मैं आपका आदर करता हूं आप एक-एक मिनट का हिसाब रखते हैं। जल चेतना यात्रा निकली माननीय मंत्री महोदय मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वह जल चेतना यात्रा में कितनी चेतना आई और कितना जल आया यह तो मालूम नहीं, वो सरपंच अब तक रोते फिरते हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ जो दाल-बाटी-चूरमा खाकर के आपके अधिकारी आ गये और उनके टेंटों का और उनका हिसाब नहीं हुआ, वह जल चेतना यात्रा को अभी निकालते फिरते हैं रोजाना। एक सिंगल फेस की स्कीम

(श्री रामचन्द्र सराधना)

लेकर के आये थे आप, बहुत बड़ी स्कीम थी, कहीं पर 20 दे दिया, कहीं पर 15 दे दिया, मेरे चार ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉकों में कहीं नहीं दिया, मुश्किल से एक दो जगह दी, बाकी हमारे यहां नहीं लगाई, बड़ी मेहरबानी है या अधिकारियों की मेहरबानी है, मैं तो आपकी तो समझता नहीं, आप तो ठीक है उसमें भी गड़बड़ी क्या हुई है आप जाने, माननीय सभापतिजी की बड़ी कृपा हो रही है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे यहां कोई सिंचाई का बड़ा साधन नहीं रहा गया है। जमवारामगढ़ बांध में पानी सूख गया है, खरड बांध में बहुत कम पानी आता है। इसलिए सिंचाई वाली बात तो नहीं रही, पर एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप एनीकट की जब बात करते हैं तो मेरे भी मन में आती है विधान सभा क्षेत्र जमवारामढ़ ने ऐसा क्या अन्याय कर दिया कि दो वर्ष से वहां पर एनीकट नहीं हो रहे हैं। कालीदेह, धामोलाई, अस्थल, हरिरामपुरा, भोजेरा, भामोद, भैरूपुर, सिरोही, रिक्शा और रामपुराबास थली ये हैण्डपम्प आपके विभाग में विचाराधीन है। दो वर्ष से विचाराधीन है। माननीय मंत्री महोदय एक बार तो मैंने आपका भी ध्यान आकर्षित किया था, चिट्ठी लिखकर के रिमाइण्डर भी दिया था, उसके बाद भी नहीं हो पाया। जब अधिकारी से बात करते हैं तो कहते हैं वह तो पेंडिंग है, आपका एक भी मंजूर नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता केवल मात्र जमवारामगढ़ के प्रति आपकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। हो सकता है पहाड़-पूड़ है उधर नहीं पड़ रही है लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप किसान आदमी हैं, जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जो बाँध 100 वर्ष तक जयपुर को पानी पिला सकता है और आज उसमें एक बूंद पानी की नहीं है, उसमें जाने वाले को बड़ा धक्का लगता है। वहां के लोगों को आप कम से कम इतनी तो तसल्ली दे दें कि आप यहां एनीकट बनाएंगे, एनीकट बनाने से....

श्री सभापति: अब आप प्लीज वाइंड-अप करें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं तो समझ रहा हूं कि आप इसलिए बजा रहे हैं कि आप और बोले, मैं इसलिए कह रहा था कि...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय तो आपके सबसे बड़े प्रशंसक है, प्रशंसक को तो थोड़ा टाइम दें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रशंसा करना मेरी आदत है, मैं किसी की शिकायत करना नहीं चाहता...

श्री सभापति: मैं भी सबसे बड़ा प्रशंसक हूं इनका।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मुझे तो यह भी मालूम नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि....

श्री सभापति: आसन के लिए सभी माननीय सदस्य बराबर हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मंत्री महोदय की इतनी निगाह होने के बाद भी ये काम क्यों नहीं हुए? मैं समझता हूं कि आज सदन में दुबारा बात करते हैं और जिस तरह से आपने मुझे स्वीकृति दी थी तीन-चार दिन पहले, उसको आप ही देखो नहीं तो फिर वह अंधेरे में चली जाएगी, वह गर्त में चली जाएगी और विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के लोगों को परेशानी होगी। आपने मुझे टाइम दिया सभापतिजी इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री धर्मेन्द्र मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय सभापतिजी, आपने मुझे मांग संख्या 46 व 27 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सिंचाई मंत्री माननीय सांवरलालजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1979-80 के बाद काश्तकारों की तरफ ध्यान दिया या तो काश्तकार की तरफ ध्यान दिया था महामहिम उप-राष्ट्रपति भैरोसिंहजी शेखावत ने, उसके बाद ध्यान दिया है 20 सालों के बाद माननीय वसुंधराजी ने, काश्तकार के खेत में 1980 के बाद एक भी ईंट नहीं लगी और काश्तकारों के आये दिन झगड़े होते रहते थे, पानी खेत में सही ढंग से पहुंच नहीं रहा था और कच्चे खालों के चलने के कारण पानी टूट भी जाता है, काश्तकार की फसल भी बरबाद हो जाती थी, पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने सर्वप्रथम प्रथम चरण में सेंट पर्सेंट खाले पक्के करवाये हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। वहां का काश्तकार आपका गुणगान कर रहे हैं क्योंकि आपने खाली खालों की ही बात नहीं की है जब काश्तकारों की तरफ ध्यान दिया तो आपने चार आबयाना भी माफ किए और इसके साथ-साथ माननीय अमरारामजी अब चले गये हैं जिस दिन वहां का काश्तकार रो रहा था कि साढ़े तीन रोजा पानी से कुछ बन नहीं रहा था परंतु आप और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान दिया वहां के काश्तकार को प्रथम

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

चरण में साढ़े तीन रोजा पानी से सात रोजा पानी मिला और वहां के काश्तकार की आज फसलें खूब लहरा रही हैं। सबके पक्के खाले बन गये वहां के काश्तकार आपको याद कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ अपने भांखडा-गंग कैनाल के खाले पक्के किए जाएं, आपने पांच करोड़ की राशि का प्रावधान किया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं परंतु माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भांखडा-गंग कैनाल के अंदर दो जिले हैं हनुमानगढ और गंगानगर सिंचित क्षेत्र काफी है, पूरा का पूरा क्षेत्र सिंचित है और मेरा आपसे निवेदन है कि इस पाँच करोड़ राशि को बढ़ाया जाए ताकि वहां पक्के खाले बन सकें और हम लोग आपको याद कर सकें।

इसके साथ-साथ मैं सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सुदृढ़ीकरण के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि 1965 में नहर का निर्माण हुआ था। नहर की जो पानी की क्षमता थी 18,500 क्यूसिक परंतु आज 14,500 क्यूसैक आपने मार्क की है परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 11,500 क्यूसैक से अधिक पानी वह नहर ले नहीं रही है क्योंकि नहर के सुदृढ़ीकरण पर राशि खर्च कम की गई है जिसके कारण उसके बाद नहर के ऊपर से दरखत भी काट लिए गए हैं, बरसात आने पर नहर के पटड़ों में दर्रा पड़ जाता है और नहर जीर्ण-शीर्ण स्थिति के अंदर है। मेरा आपसे निवेदन है कि नहर के सुदृढ़ीकरण पर कुछ ध्यान दिया जाए और इसके साथ-साथ नहर के अंदर पानी का रिसाव इतना हो गया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर लूणावली ढाणी, 6 वी.पी.एस.एम., डबली एरिया गन्थेली रावतसर एरिया में काफी बहाव क्षेत्र में दल-दल बन गया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि नहर के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दें।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेम समस्या जो 18 किलोमीटर केन्द्र सरकार के सहयोग से एक सेम नाला बनाया गया था जिसमें 4 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, यह योजना 2000 में स्वीकृत हुई थी परंतु इस योजना में 3 करोड़ 4 लाख 48 हजार रुपए ही खर्च हो सके हैं, राज्य सरकार का अंशदान अभी तक नहीं मिला है और इसमें यदि राज्य सरकार का अंशदान मिल जाए और 27 लाख 59 हजार रुपए की डी आर डी हनुमानगढ़ में पड़ी है वह भी खर्च हो जाए तो सेम नाले की सेट भी निकाल

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

सकते हैं और इसका रख-रखाव भी हो सकता है। उस पर पुलिया का निर्माण भी हो सकता है। मेरा आपसे यह निवेदन है ।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में जी डी सी पर दो पुल बने हुए थे, दोनों ही 2004 और 2005 में क्षतिग्रस्त हो गये जो 75 आर डी और 20 आर डी के बने हुए थे परंतु आज तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और 2005 में पुलों पर नाबार्ड ने 7 करोड़ 67 लाख 92 हजार रुपए की स्वीकृति कर दी थी, पर बार-बार मांग करने पर भी इन पुलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि दो महत्वपूर्ण रास्ते संगरिया और टिब्बी और शेरगढ़ से दिल्ली और ऐलनाबाद जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बन्द पड़े हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस परियोजना में यदि आप पैसे दे देते हैं तो मेरी बहुत बड़ी जन-समस्या हल हो सकती है और लोगों को इसमें राहत मिल सकती है।

इसके साथ-साथ मैं मांग संख्या-27 पर माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का बजट दिया है जिसमें 89 गांव जो 5 पी पी से अधिक फ्लोराइडयुक्त थे उनमें राहत मिलेगी परंतु उनमें 45 ही गांव लाभान्वित हो सकेंगे और शेष गांव रह गये हैं। उनमें से शायद आज मुझे सूचना मिली कि दो योजना स्वीकृत हो चुकी हैं परंतु दो और तीन जी जी आर में एक योजना बनी हुई है, एक आर के और तीन आर के में एक योजना बनी हुई है, एक टी एल और पांच टी एल डब्ल्यू की एक योजना बनी हुई है। जिनको आप स्वीकृति दें तो पाँच पी पी से अधिक जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव फ्लोराइडयुक्त है उनसे मुक्ति मिल जाएगी। सभापति महोदय आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल योजना और मांग संख्या 46 सिंचाई योजना पर चर्चा की जा रही हैं, मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय सभापति महोदय मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जल ही जीवन है और जल तो कल है, जल मानव के लिए ऑक्सीजन के बाद में पहली नितान्त आवश्यकता है। माननीय सभापति

(श्री शिवजीराम मीणा)

महोदय, राजस्थान देश का सूखा प्रांत है, सबसे अधिक सूखा प्रांत है। जहां जनसंख्या सर्वाधिक है और जहां का क्षेत्रफल भी इस देश में सर्वाधिक है जो राष्ट्रीय क्षेत्रफल 10.4 है, जनसंख्या 5.49% है और यहां के पशुधन की संख्या 17.1% है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में सतही जल 1.16 है और भू-जल 1.7 है।

माननीय सभापति महोदय, अत्यधिक दोहन से सतही पानी की उपलब्धता में निरन्तर गिरावट आ रही है उससे हमारे प्रदेश में जल की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। इस जल की महत्ता को यदि सबसे पहली बार किसी ने समझा है तो वो हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और जल संसाधन मंत्रीजी ने समझा और देश में पहली बार जल अभियान प्रारंभ किया। जल चेतना प्रारंभ की और जल चेतना यात्रा के माध्यम से नौ हजार पंचायतों में अठारह हजार गांवों में छूकर वहां की करीब साठ लाख जनता को छूकर जल की महत्ता को समझाया और जल का जो महत्व है उसको जनता में चेतना लाने के लिए एक जागृति के लिए यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने करोड़ों रुपयों की कई स्कीम्स इस प्रदेश में स्वीकृत की और कई कार्य चलाये। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को जिन्होंने पहली बार जब वे हमारे अजमेर सम्भाग में पधारे तो विधायकों की, एमपीज की और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई उसमें पहली बार माननीय मंत्रीजी ने कहा कि पेयजल के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। पेयजल स्कीम के लिए कोई राशि की कमी नहीं है और एमएलए लैड और एमपी लैड से पैसा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और जितनी भी जो पुरानी स्कीम्स चाहे एमएलए लैड से कोई टंकी बनायी है, कोई ट्यूबवैल बनाया है उनको कमीशंड करने का कार्य विभाग के पैसों से किया जाएगा। मुझे ताज्जुब हो रहा था जब माननीय जमवारामगढ़ से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि मैंने एमएलए लैड से इतना पैसा पचपन लाख रुपया खर्चा किया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी को जिन्होंने हमारे क्षेत्र में स्पष्ट मना किया कि एमएलए लैड की कोई आवश्यकता नहीं है पेयजल में जितनी राशि की आवश्यकता होगी सरकार से खर्च किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में भी आपने कई स्कीम्स सैंक्शन की हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उन पेयजल स्कीम्स में एक महत्वपूर्ण स्कीम जो फ्लोराइडयुक्त गांवों की है और आपके पास पेंडिंग है जहाजपुर पंडेर शाहपुरा के

(श्री शिवजीराम मीणा)

नाम से जिसकी अनुमानित लागत करीब 43 करोड़ है और माननीय मंत्री महोदय, उसके स्वीकृत होने से और बन जाने से न केवल जहाजपुर बल्कि शाहपुरा के और करीब 86 गांवों को लाभ मिलेगा । माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी आप दोनों की सोच है कि गांवों में लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, महिलाओं को कोई समस्या नहीं आये इसलिए मेरा आपसे माननीय सभापति जी के माध्यम से विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इस महती योजना को स्वीकृत कराने का कष्ट करें। इसके बनने के बाद में हमारे यहां के 46 गांव, नगरपालिका जहाजपुर और नगरपालिका शाहपुरा के लोगों को शुद्ध पेयजल पीने को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में रीजनल स्कीम है बिशनिया अशोक, उसका गांवों में दस साल बाद भी पानी नहीं पहुंचा है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, कि दांतड़ा और विसनिया ग्राम में जहां मंत्री महोदय आप स्वयं जाकर आये हैं उन गांवों में उच्च जलाशय बना करके उन लोगों को टूंटी के माध्यम से पानी पिलायें चूंकि आज गांव का हर आदमी चाहता है कि जिस प्रकार से शहरों में सुविधा है वो ही सुविधा गांव के आदमी को मिले। गांव के आदमी ने कोई गलती नहीं की है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये जो आपकी जीएलआर स्कीम है उसको बंद कर देना चाहिए। जीएलआर स्कीम से कोई लाभ नहीं होता है और मेरा आपको सुझाव भी है और मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी स्कीम बनें वो पाइप्ड स्कीम बनें और उस गांव के आदमी को टूंटी के माध्यम से पानी मिले। यही मेरा आपसे निवेदन है।

(समय : 18.14 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय मंत्री महोदय, मांग संख्या-46 के ऊपर भी मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका। आपने कई जो पुरानी स्कीम्स पड़ी थी उनको स्वीकृत की हैं। कई पेंडिंग थी उनको आपने पूरी की हैं करीब 126 सिंचाई परियोजनाओं को आपने पूरा किया है। मेरे यहां पर भी आपने चार लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति की है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, ये चारों सिंचाई योजनाएं कई वर्षों से लम्बित थीं और इनकी स्वीकृति बता-बता कर लोगों से वोट लिये हैं लेकिन मैं आपको धन्यवाद

(श्री शिवजीराम मीणा)

देना चाहता हूं कि इन चारों सिंचाई परियोजनाओं बजरंगसागर बूती, पार्वतिसागर लुहारी, भैरूंसागर मोडिया और देवनारायण सागर समेलिया जिनकी आपने स्वीकृति प्रदान की इससे कई लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहां के काश्तकारों को कभी जिन्होंने खेत में पानी नहीं देखा उनके खेत में पानी मिलेगा तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने जो काम किये हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, एक महती योजना कई बार आपसे निवेदन किया, आप जहाजपुर पधारे तब भी किया। जहाजपुर में एक पवित्र नदी है जिसको नागदी नदी कहते हैं उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। पानी नहीं होने से उसमें काफी गंदगी हो गयी है इसका स्वरूप बिलकुल बदल गया है इसलिए मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आपके पास एस्टीमेशन आया हुआ है उस पर विचार करके उसको स्वीकृत कराने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय, मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में कुछ तालाब स्टेट टाइम के बने हुए हैं। हमारे मेवाड़ स्टेट के टाइम में कुछ तालाब बने थे उनमें सिल्टिंग हो गयी है उनके नहरों का रखरखाव ठीक नहीं है। नहरें कच्ची हैं और जिससे सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कुछ तालाब हैं खेरूणा तालाब है, ठिठोड़ा बाँध है, सरलासागर रोड़ है, शिवसागर पारोली है, जमुनासागर नवसागर अशोक, झालरा बाँध इन बांधों को यदि आप ऊँचा कर देंगे तो इनकी सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। इनकी सिल्ट निकालने से इनकी सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और यदि इनकी नहरों को पक्का कर देंगे तो मैं समझता हूं लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार माननीय मंत्री महोदय, शंक्करगढ़ बाँध एवं नोरतन सागर बाँध जो माननीय भैरोंसिंहजी के समय में बना था लेकिन उनकी नहरों का काम पूरा नहीं हुआ। नहरों का ठीक से काम नहीं होने से लोगों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इन नहरों का सर्वे कराकर इनको सुदृढ़ कराने का कष्ट करें जिससे सही तरीके से खेत में पानी पहुंच सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक कुराडिया गांव है उसमें सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है उसमें एक एनिकट बन जाए और उसमें फीडर बन जाए तो जो स्टेट टाइम का तालाब है उसमें पानी आने से लोगों को लाभ

मिल सकता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पंचायतों में कई तालाब हैं और अभी अस्सी हैक्टेयर से लेकर तीन सौ हैक्टेयर तक के आपने पंचायत राज को तालाब ट्रांसफर किये हैं लेकिन उनके रखरखाव और उनकी मरम्मत के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है और मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा जिला ऐसा है जहां पंचायत राज के अधीन सर्वाधिक तालाब हैं जिनके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं जो तालाब पंचायतों के अधीन हैं उनके रखरखाव के लिए, उनके मेंटीनेंस के लिए उन नहरों की रिपेयरिंग के लिए धन की व्यवस्था करावें। चूंकि गांव में वो ही तालाब है जो सारे के सारे ट्रांसफर हो गये पंचायत राज में तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि पंचायत राज के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है आप उनमें भी धन की व्यवस्था करावें। माननीय मंत्री महोदय, आप वहां पधारे थे ...(व्यवधान) उस समय बावड़ी तसवालरियामीलड़ी और ठिठोड़ा के तालाबों की आपने इंटरलिंकिंग की घोषणा की थी। ठिठोड़ा माफी तालाब की तो आपने सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी । मेरी आपसे विनम्र शब्दों में प्रार्थना है, मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इन चारों तालाबों का जो वेस्ट पानी बेकार जाता है इनको जोड़ने का कष्ट करें, इनको इंटरलिंकिंग करने का कष्ट करें और ठिठोड़ा माफी जहां सिंचाई की कभी कोई व्यवस्था नहीं रही है वहां के सारे के सारे आदमी बरसात के पानी पर निर्भर करते हैं, आपने घोषणा भी की थी माननीय मंत्री महोदय, इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है विनम्र शब्दों में प्रार्थना है कि आप ठिठोड़ा माफी के तालाब को सुदृढ़ीकरण कराने के लिए फंडिंग की व्यवस्था करायें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सांगसिंह जी भाटी ।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 एवं मांग संख्या 27 पर अभी माननीय विधायकों ने काफी सुझाव दिये, मुझे पहली बार विधान सभा में आने का सौभाग्य मिला है लेकिन बड़ा अफसोस है कि जिस पार्टी का बहुत लम्बा शासन रहा हो, बहुत बड़ा शासन रहा हो केन्द्र में और राजस्थान में भी लेकिन जो समस्याएं हैं, आज पेयजल की समस्या पर कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, गांव और ढाणी में पानी की कोई व्यवस्था नहीं

(श्री सांगसिंह भाटी)

हुई हो और गांव और ढाणी को छोडकर हमारे स्कूलों में पढने वाले विद्यार्थी भी अपने घर से जब स्कूल जाते हैं तब वह भी पानी का घड़ोला साथ में लेकर जाते हैं और वह समस्याएं 30-40 साल तक जिस पार्टी का राज रहा हो वह समस्याएं सेम जगह पर रहीं । सम्पूर्ण भारत की जनता ने सोचा और यह नारा लगाया कि

अटल, आडवाणी कमल निशान

मांग रहा है हिन्दुस्तान ।

यह नारा लगने के बाद सम्पूर्ण भारत में कमल का फूल खिला और कमल का फूल खिलने के बाद अगर जनता के लिये कोई योजनाएं बनाई तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने बनाई । ग्राम सड़क योजना, आज हमारे गांव-गांव में सड़क योजना है। पेयजल योजना गांव में बैठने वाले व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले यह योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने बनाई। नदी समझौता जल योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने बनाई। मैं पूछना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेताओं से कि आपने 30-40 साल तक शासन किया, आज गांव का आदमी प्यासा मर रहा है और आप भी मांग कर रहे हो कि हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारे गांव में पानी का संकट है, तो आपने 30-40 साल तक क्या किया । सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की कि मेरे क्षेत्र में भी पानी की समस्या है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सरदारशहर के मंत्री महत्वपूर्ण पदों पर रहें, सिंचाई विभाग आपके पास रहा लेकिन आप जनता को पानी नहीं पिला सके, जनता प्यासी की प्यासी रही । आज की तारीख में पेयजल योजना, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की बात करता हूं तो हकीकत में तीन सालों में 82 गांव पेयजल योजना से जुडे और 834 ढाणियां पेयजल योजना से जुड़ीं और कम से कम 570 नये हैण्डपम्प दिये गये । मैं मंत्री महोदय की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और मंत्रीजी की प्रशंसा के साथ-साथ हमारे सामने विराजे हुए अधिकारीगण की भी प्रशंसा करता हूं कि इनकी अहम भूमिका रहती है समस्याओं के समाधान करने के लिये और वह कड़ी से कड़ी हमारी जुडी हुई है। चाहे वह नहरी बैल्ट हो, चाहे पेयजल की समस्या हो । जिस हिसाब से रात-दिन हमारे जनप्रतिनिधि लगे रहते हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं । इसके लिये वह भी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं । मैं आज हमारे सिंचाई मंत्री महोदय को बहुत-बहुत

(श्री सांगसिंह भाटी)

धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज से तीन साल पहले नहरी क्षेत्र का किसान, राजस्थान कैनाल पर बसा हुआ किसान तीन साल पहले हकीकत में काश्तकार अपनी जमीनें छोड़ कर, काश्तकार अपने मुरब्बे छोड़ कर पीछे गांव में चले गये और सारा का सारा नहरी इलाका वीरान हो गया । लेकिन आज तीन सालों से लगातार, गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य मेरे सामने विराजे हुए हैं, आपके भी मुरब्बे मेरे क्षेत्र में हैं, जमीनें छोड कर बाडमेर चले गये और तीन साल बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद वापस लोग नहरों में बसे और आज की तारीख में पिछले वर्ष भी रिकार्ड तोड़ फसल हुई है । सभापति महोदय, मैं दावे के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि रिकार्ड तोड़ अगर फसल हुई तो नहरी क्षेत्र में हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी इतनी फसलें नहरी क्षेत्र में होंगी । इसके साथ-साथ मैं हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पहली बार, यह काश्तकारों की वकालत करते हैं, काश्तकारों के हितैषी बनते हैं कि काश्तकार की पीड़ा यह है, काश्तकार की पीडा यह है। टेल पर बैठे हुए किसान की किसी ने सुध ली है तो वह ली है राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जिन्होंने बजट में घोषणा की कि खाले कवरिंग के लिये बजट में पैसे और टेल पर जो बैठा हुआ किसान है, कच्ची शाखा लिये हुए बैठा हुआ किसान है उनकी भी बजट में घोषणा की है । आपकी सरकार ने कच्ची शाखाएं छोड़ी, गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य आज की तारीख में आपकी भी अगर कच्ची शाखा है तो बजट में घोषणा है कोई विवाद नहीं है आपकी भी पक्की शाखा बनेगी । इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं सिंचाई मंत्री महोदय को ।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में काश्तकार को पूर्व सरकार ने दो भागों में बांटा और किसान को आपस में लड़ाने की चेष्टा की । मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब नहरें पूरी हो चुकी, नहरों का काम पूरा हो चुका, यह द्वितीय चरण और प्रथम चरण कब बना हमारी टेल की नहर बन नहीं सकी उस समय बना प्रथम चरण और द्वितीय चरण । नहरों का काम पूरा हो चुका, हमारे माइनर बन चुके, हमारे खाले बन चुके तो अब किसान को प्रथम और द्वितीय चरण में नहीं बांटे। हमारी नहर एक है, लक्ष्य हमारा एक है तो जो हमारा किसान टेल पर बैठा है वह भी हमारा भाई है ।

(समय : 20.27 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

हमारे गंगानगर के पास जो बैठा हुआ है वह भी हमारा भाई है । काश्तकार के बीच में कोई खाई पैदा ना करें । राजस्थान कैनाल एक है तो काश्तकार भी भाई-भाई है, काश्तकार एक हैं। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि टेल के ऊपर काश्त जमीन ऐसी है उस जमीन में ग्वार पैदा होता है, उस जमीन में बाजरा पैदा होता है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जैसलमेर जिले में ग्वार भी पैदा होती है, नरमा भी पैदा होता है और गन्ना भी पैदा होता है । इसलिए उस जमीन को आप नकार नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा जितनी जमीनें हैं, द्वितीय चरण में जमीन जिस हिसाब से है और प्रथम चरण और द्वितीय चरण की जो जमीनें हैं, जमीन के आधार पर पानी मिलना चाहिये । जितनी जमीन है उसके आधार पर पानी आना चाहिये यह फैसला आपको करना चाहिये, हमारी सरकार को करना चाहिये। हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी पर मुझे भरोसा है कि यह निर्णय आप लेंगी और हम यह उम्मीद किये हुए बैठे हैं । जैसलमेर में हर जिले का किसान बैठा हुआ है। राजस्थान के कोने-कोने का किसान नहर पर बसा हुआ है । उस किसान को किसी भी तरीके से पानी की कमी नहीं रहनी चाहिये यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा । इसके साथ-साथ मंत्री महोदय, खालों की बात आई ।

श्री अध्यक्ष: अब आप अपनी बात कनक्लूड करें आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गये हैं।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे ही बार्डर पर बैठा हुआ हूं और बहुत कम बोलता हूं । सीमा पर बैठा हुआ हूं इसलिए मेरे पर तो आप कृपा रखें । मैं वैसे ही ज्यादा नहीं बोलने वाला, मैं फालतू बोलने वालों में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: और माननीय सदस्य क्या फालतू बात करते हैं ?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): कई कर लेते हैं फालतू। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मय से निवेदन करना चाहूंगा अभी खालों पर चर्चा हुई। जमीनों में वाटर कोर्स बने हुए हैं उसकी चर्चा हुई कि किसान खेत में पहुंचता है उसके पहले खाले खत्म हो जाते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि चक प्लान के आधार पर किसान को जमीन अलाटमेंट हो ।

(श्री सांगसिंह भाटी)

अलाटमेंट के बाद खाले बनें, चक समिति बने, काश्ताकारों की निगरानी में खाले बने ताकि वह क्वालिटी रहेगी नहीं तो हकीकत में खालों की समस्या जैसी है वैसी की वैसी ही, पहले की प्रथा है वह चालू रहेगी। चक समिति के आधार पर किसानों को अलाटमेंट होने के बाद खाले बननी चाहिये ताकि खालों की गुणवत्ता अच्छी रहेगी।

इसके साथ-साथ मैं मंत्रीजी आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा पोकरण फलसोन पेयजल योजना, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, तत्कालीन सरकार ने पोकरण फलसोन पेयजल योजना पर पत्थर लगाये, नामकरण किया लेकिन उस योजना का नामोनिशान नहीं रहा, बाड़मेर तक यह पानी जाएगा तुरंत प्रभाव से चालू करवाइये ताकि बांसवाड़ा, जैसलमेर और जोधपुर तीन जिले इससे जुडे हैं, इसको प्रायोरिटी पर लेते हुए आप निपटाएं।

अब अंत में मंत्रीजी मेरी मांग है आपसे कि टीबरा नहर, टीबरा नहर पर आपको मैं लेकर गया हूं। आज से 15 वर्ष, किसान को जमीन अलाटमेंट हो गई, टिबरा नहर की समस्या यूं की यूं पड़ी है। मेरा आपसे निवेदन है कि सैकड़ों काश्तकार, गरीब जिनको उपनिवेशन विभाग में अलाटमेंट हुई जमीन, एक तरफ हमें सरकार को किश्तें भरनी पड़ती हैं और दूसरी तरफ एक बूंद भी किसान के खेत में पानी नहीं जा रहा, इसको तुरंत प्रभाव से ठीक करवाकर हमें राहत दिलाए, यह मुझे आपसे उम्मीद है, यह आप पर भरोसा है। आपके कार्यकाल में जो भरपूर काम नहरों में हुआ, किसानों को फायदा हुआ, काश्तकार आज हर खेत में बैठा हुआ मंत्रीजी आपके गुणगान कर रहे हैं, मंत्री जी मुझे ज्यादा आपके सामने कहने की जरूरत नहीं है। तीन साल में नहरों में जो भरपूर पानी आया है वह किसी से छिपा नहीं है। काश्तकार के खेत में हजारों लाखों क्विंटल सरसों पैदा हो गई।

इसके साथ-साथ मेरी आपसे मांग है कि जब आंधियां चलें, नहरों में सिल्ट आए और वह सिल्ट आप ठेकेदार से निकलवाएं, हमारी फसल की बुवाई चली जाती है, ठेकेदार समय पर काम नहीं करते इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन रहेगा और मेरे सामने बिराजे अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि आप ठेकेदार को ठेका नहीं देवें। काश्तकार जो अपनी जमीन पर बैठा है, काश्तकार उन नहरों पर बैठा है, मिट्टी निकालने के लिए हमेशा कानून और कायदे बनाए जाएं, जो काश्तकार वहां नहर पर बैठा है उसी काश्तकार को मिट्टी निकालने का काम दिया जाए ताकि

(श्री सांगसिंह भाटी)

वह किसान को पीड़ा है, कि समय पर सिल्ट निकाले, समय पर हमें पानी आए ताकि समय पर बिजाई हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल पाटीदार। (व्यवधान) पार्टी नाम भेजेगी तो मेरे पास आएंगे।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक ही नाम है, आपकी तरफ से अब एक ही नाम है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष को छोड़कर..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ज्यादा समय हो गया, 5-5, 7-7 मिनिट में अपनी बात कह दें तो अधिक उचित रहेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हो गया, अब तो प्रशंसा की बात है। पास करा दो।

श्री अध्यक्ष: इनको एक को तो और कर लेने दो प्रशंसा।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष को छोड़कर विगत 15-20 वर्षों से बरसात की लगातार कमी आ रही है और यह कमी केवल राजस्थान प्रदेश में ही नहीं सम्पूर्ण देश में, बल्कि सम्पूर्ण दुनिया में व्याप्त है और दुनिया के बुद्धिजीवी लोग पानी की निरंतर कमी की वजह से चिंतित है। भू-जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। दुनिया के चिंतक तो यहां तक कहते हैं कि यदि अगला विश्व युद्ध हुआ तो पानी के लिए होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, पानी की इस भयावह स्थिति का पूर्वानुमान करते हुए हमारी मुख्यमंत्री महोदया और हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय ने हमारे प्रदेश में जल चेतना यात्रा प्रारम्भ की जिसके माध्यम से ग्रामीणों को, किसानों को जल के प्रति सावचेत किया गया । जल का किस तरह से संरक्षण हो, जल को किस तरह से मितव्ययता से खर्च किया जाए इसके बारे में एक विशेष ट्रेनिंग ग्रामीण जीवन को दी गई।

जल चेतना यात्रा में किसानों को ड्रिप सिंचाई योजना, फव्वारा सिंचाई योजना के बारे में बताया गया और इन दोनों योजनाओं के लिए, जो किसान इन दोनों योजनाओं को अपनाएगा उसके लिए पाइप लाइन आधी सब्सिडी के

तौर पर किसानों को देने की भी हमारी सरकार ने घोषणा की। कई किसानों ने उन योजनाओं को अपनाया और मैं सोचता हूं कि पानी के खर्च में इस तरह से काफी कमी करने की शुरूआत हमारे प्रदेश में की गई। पानी का पुर्नभरण करने का तरीका भी किसानों को समझाया गया। कुएं की रिचार्जिंग समझाई गई, उसके लिए अनुदान दिया गया। छतों के पानी को घर के पास में गड्ढा बनाकर उसमें डालकर पृथ्वी का पुर्नभरण हो, हमारा भू-जल स्तर ऊपर उठे इसके बारे में किसानों को समझाया गया। मैं कहता हूं कि उन शिविरों में किसानों की इतनी अधिक भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग भी उन शिविरों में जाया करते थे, किसान बड़ी तल्लीनता से उन सारी बातों को, उन सारे निर्देशों को सुना करते थे। पहले संकल्प दोहराता था कि निश्चित रूप से हम इस दिशा में काम करेंगे क्योंकि भविष्य की चिंता सभी को होती है। यदि जल संरक्षण को नहीं अपनाया तो बहुत भयावह स्थिति हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरी दुनिया में आ सकती है, इसके बारे में हम सब को सजग होना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जलदाय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में 14 करोड़ रुपये की एक महती योजना मेरे क्षेत्र के दो बड़े कस्बे पिड़ावा और रायपुर को 28 गांवों सहित पेयजल योजना चहुली बाँध से स्वीकृत की और अगले महीने अप्रैल महीने से उन गांवों को पानी मिलना प्रारम्भ हो जाएगा, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदया, 20-20 लाख रुपये की चार गांव की योजनाएं भी आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत की जिनके टैण्डर हो चुके हैं और शीघ्र ही वहां भी कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण जीवन पानी के बिना नहीं तरसे, महिलाओं को दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर तक पानी नहीं लाना पड़े इस दिशा में हमारी सरकार ने, चाहे उसको टैंकर चलाने पड़े, चाहे हैण्डपम्प खुदवाने पड़े, चाहे अन्य कोई स्रोत पैदा करके ग्रामवासियों को पानी पिलाने का काम किया इसके लिए मैं सरकार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं, मैं उन गांवों का नाम माननीय मंत्रीजी को नोट कराना चाहूंगा,

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

मगीसपुर, चसलाव, गुंदी, भिलवाड़ी, रूणजी, नेहरावत, अरोलिया, पुरागैलाना, लालगांव और सुनेल तथा खेड़ी यह ऐसे गांव हैं जो पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं। पेयजल विभाग, जलदाय विभाग के अधिकारियों को मैंने कितनी ही बार इन गांवों के बारे में आगाह किया और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासित किया है कि निश्चित रूप से इन गांवों की कोई स्कीम बनाकर इन गांवों को पेयजल मुहैया कराया जाएगा, ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, सिंचाई के बारे में मैं दो मिनिट लेना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में माननीय शेखावत साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने चवली बाँध परियोजना स्वीकृत की थी। जिसका कार्य भी उन्होंने प्रारम्भ करवाया, लगभग दो साल तक उस डेम का निर्माण का काम चलता रहा उसके बाद दुर्भाग्य से हमारी सरकार प्रदेश में नहीं आई।

कांग्रेस का शासन आया और 5 साल के कांग्रेस के शासन में उस बाँध का काम बिलकुल डम्प कर दिया गया बल्कि काम नहीं किया गया। किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। उसके बाद अभी 2004 में हमारी सरकार पुन: आयी, मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में। हमारा एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमंत्री महोदया और सिंचाई मंत्री महोदय से मिला। आपने तुरन्त 8 करोड़ रुपये का मुआवजा हाथों-हाथ स्वीकृत किया और डेम का काम तुरन्त प्रारम्भ करवा दिया। साल भर में शेष रहा डेम का काम पूरा करवाकर उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने किया। आज नहरों के माध्यम से उस क्षेत्र के किसानों को पानी मिल रहा है। वहां के खेत लह-लहा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय, आहू नदी, रीछड़ नदी आदि बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं और उन नदियों के ऊपर बरसों से डेम बनाने की मांग वहां की जनता करती आ रही है।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): एक मिनट में, मैं मेरी बात करुंगा, साहब, एक या दो मिनट में।

वर्तमान सरकार की मुख्यमंत्री महोदया और सिंचाई मंत्री महोदय ने उस क्षेत्र के किसानों की गुहार को सुना और मैं अत्यन्त आभार के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की आहू नदी के ऊपर मध्यम सिंचाई योजना

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

गागरिन बाँध मुख्यमंत्री महोदया और सिंचाई मंत्री महोदय ने स्वीकृत की। पीपलाद बाँध जो लघु सिंचाई परियोजना है, वह स्वीकृत की। और रेवा नदी बाँध जो भी लघु सिंचाई परियोजना है, यह तीन डेम इन्होंने इस वर्ष स्वीकृत किये। इनका काम भी प्रारम्भ होने जा रहा है। मैं और मेरे क्षेत्र के सभी किसान माननीय मुख्यमंत्री महोदया और सिंचाई मंत्री महोदय के बहुत-बहुत आभारी हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गयी बात, अब समाप्त हुआ।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): अध्यक्ष महोदया, मात्र दो लघु परियोजनाओं का नाम मैं लेना चाहूंगा। रोशनबाड़ी और श्वेतखेड़ी, जिनका सर्वे कर लिया गया है, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय इन दोनों परियोजनाओं को भी स्वीकृत करवाएंगे। ऐसा मैं भरोसा करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पीने का पानी खाली बरसात पर निर्भर करता है। जब कभी अच्छी बरसात हो जाती है वहां पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। बरसात नहीं होती है तो टैंकरों से या अन्य कोई व्यवस्था से पानी की व्यवस्था होती है। मेरा क्षेत्र भी फ्लोराइड क्षेत्र है। उसकी पीड़ा, जब कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी से हमारे हजारों लोगों ने आकर पीड़ा व्यक्त की। उसी समय हमारी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए रेल से पीने के पानी की व्यवस्था हुई।

श्री अध्यक्ष: समय सीमित है। इतना धीरे बोल रहे हैं, स्पीड बढ़ायें थोड़ी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): बीसलपुर से रेल का पानी नरेना में आया। उन्होंने जो भी फ्लोराइड क्षेत्र थे, चाहे मेरा क्षेत्र हो, मेरे क्षेत्र से लगते हुए टोंक जिले की, नागौर जिले की 11 तहसीलों की जांच करवाई। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी कम से कम 20-22 जगह उन्होंने पानी के नमूने मंगवाये, विभाग को निर्देश दिये। 4 पी.पी.एम. से 25 पी.पी.एम. तक फ्लोराइड की मात्रा आई। 3 हजार से 15 हजार तक टी.डी.एस. की मात्रा आयी। इन 11 तहसीलों की पीड़ा को समझते हुए 4 जून, 2002 को बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना के नाम

(श्री बाबूलाल नागर)

से मंजूर हुई। उसी समय जयपुर में उन्होंने बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना के नाम से डिवीजन खोला और योजना की क्रियान्विति हो, इस बात के लिये निविदाएं जारी की। निविदाएं जारी होने के बाद 1488 गांव की टी.एस. जारी हुई। 17 सितम्बर, 2003 को दूदू में शिलान्यास हुआ। अध्यक्ष महोदय, 8 दिसम्बर, 2003 को राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे बनी। उस समय मंत्रिमण्डल का गठन हुआ, पानी का विभाग वसुन्धराजी ने अपने पास रखा और 27 दिसम्बर, 2003 को जो 1488 गांवों में जो फर्स्ट फेज में जो गांव थे उनके लिये जो निविदाएं उन्होंने जारी कीं, 27 दिसम्बर, 2003 को निविदाएं निरस्त कर दी गयीं। एक साल तक दुबारा निविदाएं जारी नहीं हुई। मुख्य मंत्रीजी से मैं खुद मिला। मैंने प्रार्थना की इस तरह से 3 जिलों की 11 तहसीलों का मामला है, फ्लोराइड क्षेत्र है, वह बहुत विकट समस्या है। उन्होंने विभाग में भी मेरे पत्र को चलाया। विभाग से पत्र की कापी मुझे मिली। उस पत्र में यह चर्चा की गई कि योजना को शुरू नहीं किया। लोहे के भाव बढ़ गये, मैटेरियल के भाव बढ़ गये, सीमेण्ट के भाव बढ़ गये और लागत 216 करोड़ रुपये जो मंजूर किये थे उसमें लागत बढ़ गयी। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन महामहिम मदनलालजी खुराना, उन्होंने जनता से मिलने का कार्यक्रम बनाया, उस जनता दरबार में 18.09.2004 को अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के लगभग 3 दर्जन सरपंच, पंचायत समिति मैम्बर, जिला परिषद मैम्बर, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, वकील, इन सब को लेकर मैं महामहिम मदनलाल खुरानाजी के यहां उपस्थित हुआ। उनसे प्रार्थना की। अध्यक्ष महोदय, उस समय भी पानी का विभाग स्वयं मुख्य मंत्रीजी के पास था। महामहिमजी ने मेरे सामने ही, मुझे कहा कि एक घण्टे बाद दुबारा आना। एक प्रतिनिधि मण्डल हम दुबारा लेकर गये। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी से बात की। मेरे पत्र को मुख्य मंत्रीजी को भिजवाया और अध्यक्ष महोदय, 2.11.2004 को जो 216 करोड़ रुपये का हमारा उस योजना का बजट था, उसका रिवाइज उन्होंने 283.77 करोड़ रुपये विभाग ने जारी किये। अध्यक्ष महोदय, मेरी पीड़ा यह है कि इसके बाद भी रिवाइज बजट जारी हो गया। पी.पी.सी. में मुहर लग गयी। बजट का अनुमोदन हो गया और दुबारा इस योजना का टेण्डर कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, 25.05.2005 को जयपुर-किशनगढ़ 6 लेन एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंहजी ने, जयपुर पधारे, मुख्य मंत्रीजी खुद भी उसमें पधारीं।

श्री अध्यक्ष: क्या नरेट कर रहे हैं, कौन कब गया।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, यह 11 तहसीलों का, 3 जिलों का मामला है। उसमें प्रधान मंत्रीजी पधारे, स्वयं मुख्य मंत्रीजी भी गयीं। दूदू की 10 हजार से भी ज्यादा जनता, वहां उस कार्यक्रम में गयी और लोगों ने प्रदर्शन किया, मुख्य मंत्री महोदय की मौजूदगी में प्रदर्शन किया। अध्यक्ष महोदय, उसकी इतनी जरुर मेहरबानी हुई कि 4 दिन बाद उसके टेण्डर लगे। टेण्डर लग गये, अध्यक्ष महोदय, टेण्डर लगने के बाद में दुबारा काम शुरू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2005 में डिकोलेशन बिड खोली, तत्पश्चात 12.09.2005 को प्राइस बिड लगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना की क्रियान्विति नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में इन 11 तहसीलों के लोगों का, 11 तहसील के लोगों ने मंत्री महोदय, मैं कोई आप पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि 11 तहसीलों के लोग 27 जनवरी, 2006 को अमरूदों के बाग़ में इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपस्थिति हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन कोई पन्द्रह, बीस हजार लोग जयपुर में आये, सब ने हमने संकल्प लिया, हाथ खड़े करके यह कहा कि चार महीने में इस सरकार को हमारा बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना का काम शुरू कर देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन महीने निकल गये। पौने चार महीने निकल गये। दूदू-बीसलपुर योजना का काम शुरू नहीं हुआ। आखिर में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह पूर्व लोगों की व्यथा को सुनकर, तकलीफ को सुनकर मुझे राजस्थान के तमाम मीडिया को बुलाकर यह कहना पड़ा कि 27 मई तक अगर काम चालू नहीं हुआ तो पचास हजार लोग इकट्ठा होकर नेशनल हाई-वे पर धरना देंगे और मैं सब की मौजूदगी में यह घोषणा करता हूं कि मैं वहीं आत्मदाह कर लूंगा। आखिर में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी को, माननीय सिंचाई मंत्रीजी को और माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप यह कह ही क्यों रहे हैं कि ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): 22 मई को ही दूदू आना पड़ा। शुभारम्भ की बात करनी पड़ी। मेरा आपसे आज निवेदन यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 मई को ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): बाबूलालजी, माननीय सदस्य, आप आत्मदाह की घोषणा मत करो। नहीं तो केस बनाकर पुलिस को आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप फिर जिम्मेदार होकर, जन-प्रतिनिधि होकर आप सुसाइड करने की बात करते हैं? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 22 मई, 2006 को... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी पिलावा दो आप तो ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मेरी आदत नहीं है कि किसी को मैं डिस्टर्ब करूं और यह कोई मेरी पॉलिटिकल बात भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों की बात है जो फ्लोराइड से, आप तो जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो मेरे क्षेत्र के बारे में खूब अच्छी तरह से परिचित हैं। टोंक के बारे में भी परिचित हैं। नागौर के बारे में भी परिचित हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है 27 मई, 2006 को... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब ऐसा है कि 10 मिनट तो हो गये आपको बोलते हुए। अब आप प्लीज कंक्लूड करें। डोंट डिस्टर्ब। नहीं, बीच में नहीं बोलिये, प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, शुभारम्भ का नाटक किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दूदू में जो शुभारम्भ का कार्यक्रम था उसमें यह कहा कि 15 मार्च, 2008 तक टोंक जिले के, जयपुर जिले के जितने भी गांव फर्स्ट फेज में हैं, इन सब को मार्च, 2008 तक हम पीने का पानी उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: तो 2008 तो बाकी है न अभी?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि फर्स्ट फेज के गांवों के लिए जो मार्च, 2008 तक की बात मुख्य मंत्रीजी ने कही, मैं यही निवेदन माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मार्च, 2008 तक, फर्स्ट फेज के 694 गांवों के लिए दस रीजनल स्कीम बनायी है। दस रीजनल स्कीम में अभी तक माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री बाबूलाल नागर)

दो-तीन स्कीमों का टी.एस. केस निकाला था वह भी टी.एस. दुबारा निकालने के आदेश हो गये। उनके काम शुरू नहीं हुए। 22 मई से आज तक जब गांवों में 694 गांवों का काम शुरू ही नहीं हुआ तो मार्च, 2008 तक कैसे वहां मीठा पानी उन गांवों में पहुंच सकता है? मैं आपके माध्यम से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं अपनी बात को कनक्लूड करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 11 तहसीलों के लोगों में भयंकर आक्रोश हो गया है। 8 फरवरी, 2007 को लगभग 25 हजार आदमी इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जयपुर आये। उन्होंने संकल्प लिया है कि छह महीने में 8 अगस्त, 2007 तक अगर इन रीजनल स्कीम्स का काम नहीं चला, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने संकल्प लिया वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। अगर 8 अगस्त, 2007 तक रीजनल स्कीम्स का गांवों में काम नहीं चला तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पचास हजार आदमी जयपुर-अजमेर रोड पर धरना देंगे। अपने जानवरों सहित देंगे। मैं इस सदन को साक्षी बनाते हुए यह कहता हूं कि पचास हजार आदमी अपने मवेशी के साथ जयपुर-अजमेर रोड पर धरना देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ जाएगा। कोई व्यवस्था बिगड़ेगी और मैं निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जनता ने हाथ खड़ा करके जो संकल्प लिया है वह जनता अपनी बात की इतनी धनी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बदलने वाली नहीं है इसलिए मैं इस सरकार को आगाह कर रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस सरकार के भले के लिए आगाह कर रहा हूं कि आप छह महीने में इन रीजनल स्कीम्स का काम शुरू करें। अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में मैं छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। सिंचाई के संबंध में छोटा-सा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो-नो, बिलकुल नहीं। अंकित नहीं हो।

नहीं आपने अपनी बात कह दी। आपने 13 मिनट ले लिये हैं, प्लीज, आप पूरा कह चुके हैं। नो-नो, अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। श्री राजकुमार रिणवा। प्लीज, आप बाइंड-अप करिये। कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री हीरालाल (निवाई): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप स्थान ग्रहण कर लें। मैंने नेक्स्ट नाम पुकार लिया। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। बिलकुल नहीं, आपने 13 मिनट ले लिये और 13 मिनट में आप अपनी बात नहीं कह पाये। नो, आपने 13 मिनट ले लिये। आप विराजिये। आप विराजिये। नहीं, कोई ध्यान नहीं, अब बिलकुल ध्यान नहीं दीजिएगा। बिलकुल ध्यान नहीं। अंकित नहीं। अंकित नहीं। अंकित नहीं । ध्यान भी नहीं देना, अंकित भी नहीं करना। मैंने कहा मुझे आप कृपया, मजबूर नहीं करें। मिस्टर नागर, मजबूर नहीं करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): xxx

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके बिना कहे ही मैं पूरा ध्यान रख लूंगा। चिन्ता क्यों कर रहे हो दूदू की? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): xxx

श्री अध्यक्ष: आपने 13 मिनट ले लिये। 13 मिनट में सब बात कह चुके हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आप अब जाना मत, अन्तिम वक्त तक यहीं रहना आप।

श्री अध्यक्ष: थेंक्यू। राजकुमार रिणवा। अब आप क्यों खड़े हो जाते हैं बीच-बीच में? राजकुमार रिणवा का नाम पुकारा है मैंने।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 और 46 पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

पानी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पानी में ही विलय होती है, प्रलय होती है। यह बात अपन सब जानते हैं। शरीर के अन्दर जैसे पाँच तत्व होते हैं उसमें से चार तत्व के मूल में पानी ही होता है अग्नि को छोड़कर। पानी का इतना महत्व है, इस बात को ज्ञान और विज्ञान दोनों मानते हैं। आज कहीं भी

(श्री राजकुमार रिणवा)

अगर किसी चीज की खोज हो रही है ग्रह की तो वैज्ञानिक यह बात कहते हैं कि वहां ग्रह के ऊपर, ग्रह में जीव है या नहीं, वह इस बात पर ही आधारित मानते हैं कि वहां पानी है या नहीं, इस चीज की खोज करो।

तो पानी का जीवन में बहुत महत्व है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितनी ज्यादा पानी की व्यवस्था करने की चेष्टा की है उसके लिए जितना साधुवाद दिया जाए मुख्य मंत्रीजी को और सांवरलालजी को, उतना ही कम है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): पानी की व्यवस्था के साथ-साथ पानी को बचाने के बारे में भी आपने तो देखा ही है। हम भी उसी रेगिस्तानी क्षेत्र से आये हुए हैं। कितनी भयंकर तकलीफ है। छोटे थे तब दादी के साथ जाते थे तो एक लोटड़ी पानी को लेकर जाते थे। उसमें ही चाय बनाना, एक बूंद गिर जाए मजाक थोड़े ही है। इतनी विचित्र स्थिति थी। पैदल जाते थे, सड़कें भी नहीं थीं। आधे से ज्यादा समय लुगायों को जोहड़ों पर गायों को पानी पिलाने में लगता था। अभी चुनाव जीतने के बाद भी, पचास वर्ष बाद में भी कोई स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया।

एक गांव में गये तो इतना सम्मान करा, जीतने के बाद में उस गांव वालों ने ढोल बजा बजाकर, उस गांव की लुगाया हाथ दिखा रही थी कि भाईजी, देखो, आइटम देखो। मीठा पानी तो है ही नहीं। खारा पानी के कुएं में गवर्नमैंट जो है, हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बिना पैसे बरबाद नहीं करती। खारा पानी में मोटर लगाती नहीं है। उस चक्कर में पानी हाथों से निकालना पड़ता है। पानी नहीं होने के कारण मेरे गांव में लोग लड़कियां नहीं देते हैं। हमारे लड़के कुँवारे रह गये। इतना ज्यादा उनका प्रेम देखा तो मैं तो भावुक आदमी हूं, कोई पोलिटीशियन तो हूं नहीं। सामाजिक क्षेत्र से आया हुआ हूं। मैंने भाषण में कहा कि अगर 12 महीने में आपके यहां पानी की व्यवस्था नहीं कर दी तो मैं शरीर नहीं रखूंगा और लोग खड़े हो गये। कहा कि बावला हो गया के भाईजी? यह बातें तो राजनीति में ही चल सकती हैं।

श्री अध्यक्ष: सारे शहीद होने को तैयार हो गये। कैसे चलेगा सदन? (व्यवधान)

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): अब हमको तो पता नहीं, कह दिया। हमको पता नहीं पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तो लाज रखते हैं प्रभु।

(श्री राजकुमार रिणवा)

ऐसी कृपा हुई कि 12 महीने हुए, उसी दिन एस.ई. का सुबह टेलीफोन आया कि आपकी खारी छाबड़ी की योजना पास हो गयी है तो एकदम से इतनी प्रसन्नता हुई कि प्रभु अपने साथ है। अपन तो सीधे आदमी हैं, कह दिया और प्रभु ने अपनी लाज रख दी। इतने बढ़िया भागीरथ आ गये मंत्री और अधिकारी तो बहुत बढ़िया बात रही। नहीं, अब एक गांव के अन्दर जहां पर जी.एल.आर. बन गया, ट्यूबवैल बन गयी वहां पर उद्घाटन करने गये।

तो अध्यक्ष महोदय, देख रहे थे हमें ढोल-बाजे से ले गये। 500 मीटर गया, जी.एल.आर. टूंटी से कोई छह बार बच्चे पानी पीने गये जैसे उनके लिये बहुत आश्चर्य का कार्य हो रहा हो। कितनी बड़ी बात है पानी की। इतना अच्छा काम हो रहा है, बाकी अब ज्यादा टाइम तो लूंगा नहीं, आपके अनुशासन में ज्यादा चलेगा नहीं। कभी-कभी बोलते हैं। तीन-चार दिन से पर्ची दे रहे थे, नम्बर तो आता नहीं है इसलिए आज दी नहीं। आज संसदीय कार्य मंत्रीजी की इच्छा हो गयी कि हम बोलें तो आपकी कृपा से दो मिनट बोल लें।

तो अब मैं कहूंगा कि जिस योजना को आपने पास किया, जो पूरी हो गयी वह तो ठीक है लेकिन बाकी जो रह गयी हैं उसके लिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जे.ईएन. की व्यवस्था करें, जो सामान रह गया है वह सामान भेजा जावे, कुछ ठेकेदारों पर कड़ाई की जाये, तो कम से कम जो मेरा कार्यकाल है उसमें वह योजनाएं पूरी हो जाएं तो उसका आनन्द आवे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके लिये मेरा विशेष निवेदन है कि जो योजना पास की है उसको पूरा भी कराया जाये।

दूसरी बात बरसात के बारे में कहूंगा। बाड़मेर से आने वाले माननीय तगारामजी कह रहे थे बहुत नुकसान हुआ। हम भी मानते हैं पर अध्यक्ष महोदय, पुरानी कहावत है कि बरसात बहुत जोर की चीज है, आज बरसात कम होने के कारण ही राजस्थान में इतनी समस्या आई हुई है। एक चौधरी के ब्याह था। उसमें इतनी बरसात हुई कि बहुत नुकसान हो गया। आदमी, ऊँट एवं औरतें बह गयीं। उसके बाद में फिर एक जने ने पूछा कि चौधरी कितना नुकसान हुआ ? वह बोला 100 करवा, ऊँट को करवा कहते हैं, 100 करवा, 100 मानवी, पूत-सपूता जाय, पर मेवां तो बरसा भला, हानि होय भूतनवी सूपत सो होय। आज बाड़मेर में खूब नुकसान हुआ पर उसके बावजूद हजारों टन अनाज हो रहा है। पानी का लेवल कितना ऊँचा होता जा रहा है। अभी ओलावृष्टि से जरूर नुकसान हुआ है, बाकी जो पानी बरसा उससे अकाल शब्द

ही नहीं रहा। इतना हरा चारा गायों के लिये, बकरियों के लिये, भेड़ों के लिये हो गया। कुण्डों में पानी आ गया, जोहड़ों में पानी आ गया, इससे लेवल में फर्क पड़ा है। बरसात तो होना बहुत बढ़िया होता है।

मेरा एक निवेदन और है मुख्य मंत्रीजी को, सिंचाई मंत्रीजी, जल संसाधन मंत्रीजी को, जो आपणी योजना है, भगवान की कृपा हो जाये, खूब बरसात हो जाये, बढ़िया बात है, बाकी अगर बरसात की कमी रही तो जब तक सरदारशहर को पानी आगे सैकण्ड फेज में रतनगढ़, सुजानगढ़, सालासर नहीं आयेगा तो बड़ी दिक्कत हो जायेगी। आने वाले वर्षों में पिछली बार विधान सभा में तारांकित प्रश्न के अंदर जवाब आया कि 452 करोड़ की योजना भेज दी जर्मन दूतावास में पास होने के वास्ते। अब वाले प्रश्न में वापस जवाब आया है कि 2031 तक इस योजना को टाल दिया है। एकदम से इतनी बड़ी दिक्कत हो जावेगी कि पूछो मत। इसलिए करबद्ध निवेदन है कि इस योजना के ऊपर सीरियसली सोचकर इस योजना को पूरी कराओगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बत्तीलाल मीणा, पाँच मिनट।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको मांग संख्या 27 और 46 में सम्मिलित करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कांग्रेस बंधु कह रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष: आप तो अपनी बात कहो।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): पांच मिनट में कह दूंगा। 15 महीने बाद क्या होगा ? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यह जिन सड़कों पर होकर जायेंगे वह सड़क हमारी, जिस स्कूल में जायेंगे वह स्कूल हमारी, वह कमरे हमारे और वहां जो हैण्डपम्प लगे, वह हमारे। अब यह किस मुंह को लेकर जायेंगे। गांवों में तो हमने नक्शा ही बदल दिया सारा का सारा। जो हमने नक्शा बदला है वह तो हम किताबों में पढ़ते थे, वह अब नहीं मिलेगा भील का बच्चा, अब वह साइकिल पर घूमता हुआ सात दिन मिड-डे-मील खाता हुआ मिलेगा और वह यह भी नहीं पढ़ेगा महाराजा सूरजमल चोर थे, शिवाजी कौन थे, और महाराणा प्रताप जंगल में रहे । अब वह पढ़ेंगे कि हमारे महान् देशभक्त थे, ऐसी उनको शिक्षा दी जा रही है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनको शर्म तो है नहीं और यदि इनके शर्म होगी तो जनता ही कह देगी। अब यह थोड़ी कि हम उसको भुनाना ही नहीं जानते। अब

(श्री बत्तीलाल मीणा)

यह गांवों में जायेंगे तो इनका विरोध करने के लिये तो स्कूटी में बैठी हुई वह भीलों की बच्ची, एस.टी. की बच्ची, वह ही आ जायेगी। मैं आपसे अब निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा यह नमूना ले लीजिये।

मान्यवर मेरे पाँच मिनट तो होने वाले हैं पर एक विकास का नमूना लीजिये। यह घूघरी खिलाते थे, लेकिन इन्होंने बच्चों के लिये पानी पीने का कोई इन्तजाम नहीं किया। हमने 15000 स्कूलों में पानी की व्यवस्था की। अब इनको यह पूछे भगवान के लिये बच्चों को इन्होंने प्यासे मार दिये और भूखे तो मारे ही। जानवर को भी घूघरी खिलाकर पानी पिलाना पड़ता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसे लोगों ने वास्तव में हमारे बच्चों के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है कि सात दिन में इनका पौष्टिक भोजन नहीं होगा तो इनका स्वस्थ शरीर कैसे होगा ? जब यह वोट मांगने जायेंगे तो वह वंसुधराजी का लाड़ला, वह गरीब का लड़का झोंपड़ी से निकलकर अपनी स्कूटी पर बैठकर और राठौड़ साहब के साथ चलेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि इंग्लैण्ड का प्रिंस आ रहा है। हमारा जो चाणक्य है, कौन ? घनश्यामजी तिवाड़ी, जैसे चन्द्रगुप्त को उन्होंने ढूंढा था झोंपड़ियों में और सीमा प्रान्तों पर, ऐसे वहां ढूंढ-ढूंढकर प्रजातंत्र के हिसाब से ला रहे हैं हमारे घनश्यामजी। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। मेरी मांग है मान्यवर .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह माइक को तो छोड़ दो।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): घण्टी बजने वाली है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा एक मिनट और।

श्री अध्यक्ष: यह माइक छोड़ दो।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): मान्यवर, मोहनपुरा बांध को चार फीट ऊँचा करवा दें। (व्यवधान)... चार फीट मोहनपुरा बांध ऊंचा हो जाये। मान्यवर, 345 करोड़ को, जो आपने 495 करोड़ कर दिये, की योजना ला रहे हैं चम्बल से, उसको आप पूरा करवा देना। मेरा आपसे निवेदन है कि इन्होंने हमको जो सुनियोजित ढंग से एस.टी. को पछाड़ा है, हमारे तीन विधान सभा क्षेत्र एस.टी. के हैं बामनवास, टोडाभीम और सिकराय, यह बिलकुल ज्वाइंट है। इन्होंने एक बाँध कभी हमारे वहां नहीं बनाया। राजाओं के जो तीन बांध थे, वही बाँध हैं। इन्होंने एक बाँध भी नहीं बनाया। इन्होंने हमारी आज वह हालत कर दी, हमारे हाथ में भीख का कटोरा दे दिया, क्योंकि सिंचाई रही नहीं। हमको पहले पता नहीं था और इन्होंने एक बाँध नहीं बनाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो बाँध बी.जे.पी. के राज में, इस सदन में, जब मैं 1977 में बोला था, वह माननीय शेखावत साहब ने बनाया पांचना बांध, उस पांचना बाँध को भरने के लिये आपसे निवेदन करूंगा कि वर्षा नहीं होती है। आप 26 कि.मी. चम्बल से पानी लेकर पांचना बाँध में पानी डाल दें।

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त, अब बैठें।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): और उसमें 256 करोड़ की लागत है। उससे हमारी गंभीरी नदी हमेशा बहती रहेगी और वाटर लेवल ऊपर आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अब आपका समय समाप्त हुआ। अब स्थान ग्रहण कर लें। एक तो इस माइक से दुश्मनी मत निकाला करो। इससे दुश्मनी मत निकालो आप। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): रामस्वरूपजी मीणा जितनी तारीफ करते थे सरकार की, उतनी आप नहीं कर पाये। उनका मुकाबला आप नहीं कर पाये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): मान्यवर, वह तो मुझे टाइम मिल जाये। हकीकत बात है जनता कह रही है, आंकड़े कह रहे हैं जो आपने पाँच साल में काम किये, वह हमने तीन साल में कर दिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): तारीफ तो काम नहीं आती। रामस्वरूप मीणाजी की तारीफ काम आई क्या ?

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): जिसको आप तारीफ समझ रहे हैं, यह हकीकत है। जनता बता रही है इस बात को।

श्री अध्यक्ष: अब आपका समय समाप्त हो गया, बैठें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, एक छोटा-सा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक छोटा-सा सुझाव है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं गजनई बांध और रायपुर बांध जो सीजनल रिवर्स पर हैं और उन बांधों की हाईट इतनी ज्यादा और कैपेसिटी हो गयी, नीचे नदियां सूख गयीं, गांव वीरान हो गये। आप स्वयं वहां पधारे थे और उसके बारे में भी आप अपना वक्तव्य दें। बाकी तो हमने सब दे दिया लिखकर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं खांट साहब, आप रोज बोलते हैं।

श्री बद्रीलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मैं तहेदिल से आपको बधाई देते हुए जल संसाधन के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने जीवन का सबसे संक्षिप्त उद्‌बोधन देने का प्रयास करूंगा। 'जब तक सूरज चाँद रहेगा, अटल तेरा नाम अमर रहेगा।' उन्होंने एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का जो सपना संजोया था ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह जिंदा आदमी के लिये तो हमने कभी सुना नहीं, जो स्वर्ग सिधार जाते हैं, उसके लिये कहते हैं कि जब तक सूरज चाँद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। आप अभी से क्यों कह रहे हो ? उनकी उम्र बहुत है, आप दीर्घायु की कामना करो, यह अभी से अमर रहे।

श्री अध्यक्ष: आप रूको।

श्री बद्रीलाल जाट : आप तो रूको दो मिनट। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को तहेदिल से बधाई देना चाहूंगा उन्होंने जो आदरणीय किसान के एक सपूत बेटे को जल संसाधन मंत्री बनाकर इस राजस्थान का गौरव बढ़ाने में जो अहम भूमिका बनाई। उसके लिये दो-तीन उदाहरण देकर मैं प्रयास करूंगा कि जैसे पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें माथुर साहब को बार-बार याद किया जाता है। निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ रहस्य है और उस सम्बन्ध से यमुना नदी को जोड़ा जाये तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे राजस्थान का जो पानी था 1981 में जो समझौता कराया था, वह 8.6 एम एम एफ था और माथुर साहब ने जो पाइंट 6 एम एम एफ छोड़ा था उसमें यमुना नदी का पानी 6.2, पाइण्ट जो लगा कर कहते हैं, 2000 करोड़ की योजना बनायी। निश्चित रूप से उन्होंने जो कुठाराघात किया उसी की जो समस्याएं हैं वो धीरे-धीरे आज बढ़ती जा रही हैं और 'रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये न तो ऊबरे मोती मानस चून', कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में, इस सृष्टि में यदि पानी नहीं हो तो यह मानव जीवन बेकार है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहने का प्रयास करूंगा कि 'आंखें बंद होंगी तो ख्याल जनता का होगा, नींद भी आयेगी तो ख्वाब जनता का होगा, इन्द्र भी उतावले हैं गागर में सागर भरने को, धन्वन्तरि बन कर आयीं मुख्यमंत्री अमृत वर्षा करने को।' उन्होंने अरबों रुपये की धन की व्यवस्था करके चाहे कहीं चैक डेम बनाने की बात हो, चाहे वृहद योजना बनाने

(श्री बद्रीलाल जाट)

की बात हो, मेवाड़ सम्भाग में 'देवास योजना' की बात हो, यहीं तक की नहीं, चाहे बीकानेर लिफ्ट योजना, नागौर लिफ्ट योजना या हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने अपने अथक प्रयास से 'जल चेतना यात्रा' निकाल करके किया। आजादी के 58 साल से पूर्व जल चेतना यात्रा निकल जाती और उस जल का महत्व यदि हमारे ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समझ जाता तो आज जो पानी की बोटलें भर कर बाजार में बिक रही हैं, वह दूध से भी अधिक महंगी बिक रही हैं इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा, मैक टाड ने कहा था। उनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीसवीं सदी पैट्रोल एवं खान की थी तो इक्कीसवीं सदी हमारे पानी की होगी।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि 'धवल वस्त्र धारण किये ऊपर खदरी डाल के, जन सेवा करने चला ये धरती का लाल, नहरों से टेल तक पहुंचाया पानी, कृषक हुए मालामाल, सिंचाई में पेयजल की तो समस्या ही हल कर दी, वाह रे सांवर लाल।'

सभापति महोदय, इस शुभ अवसर पर यह कहते हुए नहीं चूक सकता कि आजादी के 59 साल का जो किसानों के मन में सपना था वह चूर-चूर हो चुका था और जब राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधियाजी ने कार्यभार सँभाला तो एक आशा की किरण जगी थी, उनके मन में एक सपना जगा था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी यहां से पलायन करके पानी की वजह से जाया करते थे, कहीं अहमदाबाद में कप और प्लेट धोते, कहीं दिल्ली में जाकर नौकरी या ध्यान की करते पर हमारा यह सांवर लाल के आने के बाद जब वाकली डेम बन जायेगा तो यहां का रहने वाला बाशिंदा, यहां पर रहने वाला किसान का बेटा अपनी धरती माता का सीना चीर कर अन्नदाता कहलायेगा और वह अन्नदाता आज यह साबित करता है कि राजस्थान को भारत में यदि सर्वश्रेष्ठ राज्य पर लाना है तो निश्चित रूप से क्योंकि खेत और खलिहान से निकलने वाला रास्ता इस भारत को अखण्ड भारत और विश्व गुरु बनायेगा, ऐसी परिकल्पना हमारी सब की है।

एक कपासन विधान सभा क्षेत्र की बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत कीं, चाहे जलदाय विभाग की हो, चाहे पेयजल विभाग की हो, चाहे हमारे सिंचाई विभाग की हो, चाहे अन्य प्रकार की हो परन्तु इनमें मैं कुछ

(श्री बद्रीलाल जाट)

मांगें आपसे करना चाहूंगा एक किसान का बेटा होने के नाते। जो सिंचाई विभाग में पहले 20 एम.सी.एफ.टी. से कम पानी के तालाब थे उनको पंचायत राज में दिये थे, फंड और फंक्शनरीज की व्यवस्था संतुलित रूप से नहीं हो पायी है, टूटफूट बाढ़ की वजह से उनको अभी रिपेयर नहीं किया जा सका, मैं पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और सांवर लालजी इस पद पर सुशोभित हैं तो निश्चित रूप से पंचायत राज में जो डेम दिये वह पुन: इस विभाग में ले जाएं और उनका संवर्धन और संरक्षण हो सके।

आदरणीय मंत्री महोदय को निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयास से जो जनता जल योजना चलायी है यह प्रत्येक हैडक्वार्टर पर हो, क्योंकि घनश्यामजी मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक हैडक्वार्टर पर दसवीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी प्रत्येक गांव को, जो ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है वहां जनता जल योजना से जोड़ दिया जायेगा क्योंकि राठौड़ साहब भी प्रत्येक ग्राम पंचायत को डामरीकरण से जोड़ चुके हैं, तो इसमें निश्चित रूप से पीछे नहीं रहेंगे।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इससे हमारे धन की बचत होती है, जल की बचत होती है और दस पैसा राजस्थान सरकार इनमें किसानों का बिजली का बिल भी माफ करती है ...

श्री अध्यक्ष: आपका समय खतम हो गया, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): तो निश्चित रूप से ऐसी अनूठी योजना सांवर लालजी लाये हैं, तहे दिल से बधाई दूंगा।

अंतिम शब्दों में कहूंगा कि कपासन विधान सभा का आपके श्रीमुख से सिंहपुर जो डेम आपने स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से आज ही अपने श्रीमुख से आशीर्वाद देंगे। मुझे जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: खांट साहब, आप रोज बोलते हैं। रोजाना तो बोलते हो आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर चर्चा हो रही है। मैं ज्यादा इसके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 2004-05 में जो बजट सत्र में मुख्य मंत्रीजी ने जंवाई बांध की योजना की घोषणा की थी 395 करोड़ की अभी तक पाली तक ही टेण्डर हुए हैं और आगे जैतारण तक के नहीं हुए हैं। मेरा निवेदन है आपको पता है कि जैतारण क्षेत्र ने बीस-तीस साल तक लगातार पानी ब्यावर शहर को दिया था। आज ब्यावर के पास के जितने भी गांव हैं मेरे जैतारण क्षेत्र के, चाहे निमाज हो, चाहे आसरलाई हो, मोरई हो उनमें एक बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे हालात हैं। आज तीस हजार जनसंख्या का गांव है निमाज और वहां टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि कहीं त्राहि-त्राहि मच जाए इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता से, जल्दी से जल्दी टेण्डरकर के पाई मंगवा करके उस स्कीम को चालू करवा कर 2008 तक पूरी करवाएं तो हमारे हित में रहेगा।

आपने हैण्डपम्प तो खूब दिये, जिस प्रकार से गणेशजी के प्रसाद देते हैं वैसे के वैसे आपने हैण्डपम्प दिये सभी माननीय सदस्यों को। इसके लिए तो आपको धन्यवाद।

एक बात और निवेदन कर रहा हूं कि जैसे यह 'स्वजल धारा योजना' है तो इसका भी जो पैसा सेण्टर से आता है उसको भी जल्दी से जल्दी मंगवा करके जो-जो गांव वालों ने पैसे जमा करवा दिये हैं, अब वो पैसा जमा कराये दो-दो साल, तीन-तीन साल हो जाएं और उनकी स्कीम मन्जूर नहीं हो तो गांव वालों के साथ कैसी होती है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे वहां मोरई की और एक तालकिया की जो स्कीम है उसको आप जल्दी से जल्दी कराएं।

एक मेरा निवेदन है कि जो हैंडपम्प ठीक करने के लिए आप 6 महीने तो पंचायत राज विभाग को देते हो और 6 महीने आपके विभाग के पास होता है तो आप ऐसा काम करो कि 12 महीने ही या तो पंचायत राज विभाग के पास हो या फिर आप पी.एच.ई.डी. के पास रखो तो कम से कम उसके ऊपर मानीटरिंग तो सही हो। आज हैण्डपम्प तो आपने खूब दिये परन्तु वो मानीटरिंग की व्यवस्था नहीं है और वो खराब हो जाएं तो ठीक करने वाला नहीं है और पंचायत राज विभाग वाले जाते हैं तो उनके पास साधन नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान करें, पूरा का पूरा यह हैण्डपम्प का मामला है, आप विभाग के पास रखें जिससे उसकी मानीटरिंग हो सके।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

एक मेरा निवेदन है कि गांव के अन्दर जो जनता जल योजना है, गांवों के अन्दर अब पंचायतों को अपन ने सुपुर्द कर दिया पर पंचायतों को सुपुर्द तो कर दिया और उनके पास फंड तो है नहीं, न निजी कोई आय है। 500 रुपये माहवार आदमी को देते हैं रखने वाले को और 4000 रुपये साल के उसको रिपेयर के देते हैं और एक बार भी अगर मोटर जल जाए तो कम से कम दस हजार रुपये बगैर वो मोटर ठीक नहीं होती तो यह गांव वालों के सामने बहुत बड़ी प्राब्लम है। तो इसमें भी थोड़ा सा आप फंड की व्यवस्था करें, 500 रुपये की जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा था, 1000 रुपये कर दें और 4000 की जगह कम से कम 10,000 कर दें जिससे गांव में जो जनता जल योजना का काम है वो कम से कम आसानी से चल सके।

इसके अलावा सिंचाई विभाग के लिए मैं निवेदन करूंगा कि, मंत्री महोदय, मेरे रायपुर बांध है तो 1972 में राज्य सरकार से यह फैसला हुआ था कि जो यह बांध बना हुआ है इसको तीन फुट ऊंचा कर दिया जाए। उसके बाद में जो कैचमेण्ट के एरिया में काश्तकार थे वो हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट से उनका स्टे वेकेट हो गया और गवर्नमैंट को उन्होंने इन्स्ट्रैक्शन दिया कि आप अपने विवेक से और काश्तकारों को हियरिंग कर-कर के व्यवस्था करें जिससे लोगों को लाभ मिल सके।

आज आपको पता है, यह सोजत से आने वाले मंत्रीजी भी विराजमान हैं, बिलाड़ा वाले मंत्रीजी भी विराजमान हैं, कम से कम एक लाख आदमी उस बांध से प्रभावित हैं और आज ऐसे हालात हैं रायपुर बांध के कि उसके कारण ही आज लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है क्योंकि 1972 के बाद में जब से यह तीन फुट ऊंचा लिया है, इसके बाद में नदी में पानी का फ्लो नहीं आया, नदी आयी। इसके कारण से लोगों को भारी परेशानी हो रही है और कुओं का जल स्तर टूट गया है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी व्यवस्था करें जिससे कम से कम वो तीन फुट नीचे हो जाए और आर्डर हुए वे हैं, आपको तो सिर्फ अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर के उनको नीचे करने के लिए आदेश पारित करना है।

आज ज्यादा समय नहीं लेता, मैंने तो दो मिनट के लिए आपसे टाइम लिया, आपने मुझे जो टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, आप बोलना चाहेंगे?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से तीन-तीन, चार-चार बोल लिये, हमारे भी तो एक मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, मैं बता देती हूं आपको। आपके अब तक 6 माननीय सदस्य बोले हैं और 15 बोले हैं बी.जे.पी. की तरफ से।

इसके अलावा अन्य सदस्य बोले हैं इसलिए रेश्यो के हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं। माननीय सुभाष चन्द्र शर्मा आप केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): बिलकुल आपके आदेश की पालना होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई और पेयजल मंत्री सांवरलालजी का धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात के लिए कि तीन साल के इस पीरियड में ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से पेयजल की जो गम्भीर समस्याएं बनीं हुईं थीं उनको हल करने में इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। प्रत्येक गांव में हैण्डपम्प और पेयजल की जो योजना लागू की उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं क्योंकि जिन गांवों में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी उन गांवों के लिए विशेष तौर से स्कीम लागू करके उनको पेयजल उपलब्ध करवाया, यह बधाई के पात्र हैं ।

एक दो सुझाव हैं मेरे जिनके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि एक तो अभी आदरणीय बद्रीलालजी माननीय सदस्य ने जो बताया था, बत्तीलालजी ने भी बताया कि ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को कुछ बांध जो हैं वह हस्तान्तरित कर दिये गये, उन बांधों का सही मायने में रखरखाव नहीं हो रहा और उनका रखरखाव नहीं होने के कारण से उन बांधों की स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि पंचायत समितियों के पास कोई फण्ड आबंटित नहीं हुआ है क्योंकि देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन बांधों को वापस सिंचाई विभाग के अन्डर में लेकर के उनका रखरखाव किया जाए, मैं समझता हूं प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकेगा।

मेरे यहां पर पाचूडाला बांध है, दांतिल बांध है, बनाड़ी बांध है। इन बांधों की स्थिति ऐसी है कि रखरखाव के अभाव में आज बरसात के अन्दर उनकी हालत यह रहती है कि आज टूटा, आज टूटा का खतरा बना रहता है। सारा प्रशासन वहीं पर तैनात रहता है और बड़ी मुश्किल से उन बांधों को बचा

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

पाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, आप निश्चित रूप से इन बांधों को वापस अपने विभाग में लेने का प्रयास करेंगे। एक मेरे यहां बुचारा बांध नहर परियोजना है। इस बुचारा बांध नहर परियोजना से काफी लम्बा एरिया सिंचित होता था लेकिन बरसात की कमी के कारण वह एरिया सूखा रह गया। पिछले साल जो बरसात हुई और इस साल जो बरसात हुई इससे पानी रुकता लेकिन उस बांध में मिट्टी भराई हो जाने के कारण उसका जो भराव क्षेत्र था वह कम हो गया और पानी बहकर के आकर सारा निकलकर बाहर चला जाता है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस योजना को पुन: दिखवाकर के उसमें ढाई करोड़ रुपया तो विश्व बैंक का भी पिछले समय लगा है। उस योजना को दिखवाकर के उस बांध की थोड़ी सी ऊंचाई अगर और बढ़ जाए तो मैं समझता हूं उस क्षेत्र को बहुत पानी मिल सकता है और पानी पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी बहुत काम आ सकता है।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात के लिए कि जनता जल योजनाएं जो गांवों के अन्दर पंचायतों को लागू की गई हैं, इन जनता जल योजनाओं के माध्यम से गांवों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। इसके लिए समस्या यह है कि ग्राम पंचायतों के पास फण्ड की कमी है, सोर्सेज नहीं हैं और वहां पर जो कर्मचारी रखे गये हैं पांच सौ रुपये में वह कर नहीं पाते मजदूरी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उन मजदूरों को भी मजदूरी देने के लिए आप योजना बनाएं। जनता जल योजना में जितनी भी योजनाएं हैं उनको विभाग के अन्डर में लेकर के आप उनको पुन: संचालित करने की कृपा करें।

एक मेरा निवेदन आपसे यह है कि पानी की कमी के कारण जो ग्राउण्ड वाटर है वह कम होता जा रहा है, वाटर लेवल तो नीचे जा ही रहा है उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गांव हैं मेरे क्षेत्र में जिनमें ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध नहीं है। ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध नहीं होने के कारण चाहे वह जनसंख्या की कमी है उनमें या जनसंख्या ज्यादा है लेकिन ग्राउण्ड वाटर कम होने के कारण या क्वालिटी खराब होने के कारण उनको शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन गांवों के लिए विशेष योजना बना करके उन गांवों को आप पेयजल उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे तो मेरा कल्याणपुर कलां गांव है, चुरड़ी गांव है, कायमपुरा बास, कुहाड़ा गांव है, बुचारा गांव है, यह गांव इस प्रकार के हैं कि जिनमें पेयजल की बड़ी भारी समस्या है। इसके लिए आप योजना बना करके इन गांवों को प्राथमिकता के तौर पर लेंगे।

एक मेरा निवेदन यह है कि एक हजार से ऊपर की आबादी के जितने भी गांव हैं उनको पेयजल योजना से आप जोड़ने की कृपा करें क्योंकि हैण्डपम्पों की स्थिति ऐसी है कि आप हैण्डपम्प खूब दे रहे हैं, हर साल आपने काफी हैण्डपम्प दिये हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आपने बहुत सारे हैण्डपम्प लगाये हैं लेकिन कई बार क्या होता है ग्राउण्ड वाटर कम होने के कारण, वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण हर साल हैण्डपम्प खराब होते जा रहे हैं। एक गांव में अगर हम पांच सात दस हैण्डपम्प दे रहे हैं तो दस हैण्डपम्पों की लागत पांच लाख रुपये आती है, एक ट्यूबवैल और पाइप लाइन देकर के अगर आप डायरेक्ट सप्लाई से भी पानी दे पायेंगे तो मैं समझता हूं तीन साढ़े तीन लाख रुपये के अन्दर आपका ट्यूबवैल और पाइप लाइन की योजना बन सकती है। उस पांच लाख की योजना में पूरे गांव को हमेशा के लिए पानी मिल सकता है, आगे आने वाले दस साल तक के लिए पानी मिल सकता है। इसलिए आप इन योजनाओं में अगर इस चीज को सम्मिलित करें, हैण्डपम्पों के साथ-साथ अगर आप पेयजल के लिए ट्यूबवैल और पाइप लाइन की योजना बनाकर देंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा आप काम कर पायेंगे। एक मेरा यहां पर ......

श्री अध्यक्ष: अब आपके पांच मिनट पूरे हो गये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): बस हो गया। पन्द्रह सोलह गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर भू-जल की कमी है, पानी की कमी है, दूर से पानी लाना पड़ता है उन गांवों के लिए विशेष योजनाएं, मैं लिखकर के मंत्री महोदय आपको दे दूंगा, उन गांवों के लिए अलग से ट्यूबवैल और पाइप लाइन स्वीकृत करके अगर उन गांवों को पानी पिलाया जाएगा तो मैं समझता हूं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

पुन: मैं आपका और मुख्य मंत्रीजी का, सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने योजनाएं बनाकर के जिस प्रकार से पीने के पानी की योजना लोगों तक पहुंचाई और आम आदमी तक पानी पहुंचाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया अध्यक्ष महोदय, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, उनके इलाके में डा. सी.

(श्री जुबेर खान)

एस. बैद के, अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि है लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। उधर से तो पन्द्रह बोले और हमारे आदमी सिर्फ छह बोले, आगे आपकी मर्जी है ।

श्री अध्यक्ष: क्यों इसमें क्या बात है? प्रपोर्शनेट टाइम है, पन्द्रह बोले, आपके छह बोले, क्या बात हुई ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बात यह है कि इधर से दो बोलेंगे और इधर से एक बोलेगा ...(व्यवधान)

मांग संख्या 27 व 46 का पारण

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल के सम्बन्ध में पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार, सुझाव, समस्या रखी है। इसके साथ ही कुल मिलाकर 441 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय पर जो तय है उस समय के भीतर माननीय सदस्यों को उसके जवाब मैं भिजवा दूंगा। इसके अलावा जो भी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं आज की प्रोसीडिंग निकलवाकर उसके बाद उनके सम्बन्ध में जो भी किया जा सकता है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस समस्या के समाधान के लिए उनके सुझावों का, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, सुझावों का उपयोग करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी आज की तारीख में सबसे सेंसिटिव इश्यु है। जल ही जीवन है जल के बिना किसी सृष्टि की रचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसमें भी जीव है, पहली आवश्यकता है जल तो जल के बिना और सारी डिमाण्ड आप डिस्कस तब करेंगे जब पानी अपने को पीने के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा तब सारी बातें और दूसरी चीजों की चर्चा करने की स्थिति में हम होंगे। मैं यह कह सकता हूं सबसे पहले पानी के सम्बन्ध में जो चिन्ता की रहीमदासजी ने की है 'रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे मोती, मानस चून' पानी के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: चून तो बोलो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पानी की हालत क्या है, पानी की जो समस्या है राजस्थान में, हिन्दुस्तान में दस प्रतिशत एरिया है 1.16 परसेंट

सतही वाटर जिसको बरसात का पानी कहते हैं हम, 1.7 आपका ग्राउण्ट वाटर है और उसका दोहन 126 परसेंट गति के हिसाब से हो रहा है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय वसुन्धरा राजेजी ने सबसे पहली प्राथमिकता इस जल के सम्बन्ध में जल के प्रबन्धन को दी है। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के इस सदन में, राजस्थान की पूरी जनता आज इस बात की तारीफ करती है कि वसुन्धराजी के आने के बाद जल के सम्बन्ध में लोगों में जागरुकता पैदा करना और जगह-जगह बांध, तालाब, एनीकट बनाना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जल अभियान की शुरुआत की और यह बताने का प्रयास किया कि इस दुनिया के अन्दर दो चीजें हैं पानी और खून, जो किसी कारखाने में नहीं बनता है। पानी या तो बरसात का आएगा वही पानी धरती के नीचे जाएगा, धरती के ऊपर रहेगा उसको हम काम में ले सकते हैं। अगर आपका कोई भाई बंध, मिलने वाला बीमार हो गया, खुद बोतल खून की निकाल कर देओगे, किसी मेडिकल की दुकान पर यह ब्लड नहीं मिलेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में चिन्ता करना, आवश्यक प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है । पचास वर्ष पहले और आज में बहुत भंयकर स्थिति में अन्तर आ गया है। पुराने जमाने में पानी का जो दोहन होता था, आदमी या औरत घर में पीने के लिए पानी की व्यवस्था करती थी, खेती बाड़ी के लिए जानवरों से पानी निकाला जाता था तो बहुत ही लिमिटेड दोहन होता था, बरसात ठीक होती थी, बरसात के दिन बहुत ज्यादा हुआ करते थे और जानवर चराने जाते थे तो वहां पर बच्चे बच्ची खोदकर पानी लाया करते थे, ऐसी हालत थी। पर आज की तारीख में स्थिति बिलकुल उल्टी है। टोटल खेती-बाड़ी मानसून का जुआ है और मानसून का पता नहीं कहां पर बरसात हो जाए, कहां पर नहीं हो। जिस चेरापूंजी के अन्दर रिकार्डेड बरसात होती थी वहां पर इस साल अकाल पड़ा है। जिस कवास के अन्दर लोग कल्पना नहीं कर सकते थे और जब हमारे अधिकारी गये, प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को कहा कि भाई बरसात बहुत हो रही है आप डूब जाओगे, गांव खाली कर दो तो यह तगारामजी और सांगसिंहजी को मालूम है। लोगों ने कहा कि सात पीढ़ियों में सुनयो कौन काई बावला बना रिआ हो म्हाने सूता रहबा दो। प्रकृति की लीला थी। कई व्यक्ति वहां पर सोये के सोये रह गये तो यह हालात हो रहे हैं। मैं मंत्री बनकर उदयपुर में गया तो वहां के लोग उस सर्किट हाउस के नीचे झील

है तो कबड्डी और क्रिकेट खेल रहे थे। गयी बार गया तो वहां नावें चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मानसून के ऊपर सारी चीजें निर्भर करती हैं तो हमारा सब का यह हिसाब किताब होना जरूरी है कि हमारा मैनेजमेंट पानी का कैसा हो।

जल अभियान, जल चेतना यात्रा निकालकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 18,000 से अधिक गांवों के अन्दर गरमी के महीने के अन्दर लोगों के बीच में अधिकारियों, एम एल ए, जन-प्रतिनिधियों को पहुंचा कर यह संदेश देने का प्रयास किया। दो आसपेक्ट उस जल चेतना यात्रा के थे। नम्बर वन अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं, प्रकृति बरसात करती है उस बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था सरकार करे और इसके लिये मैं कह सकता हूं 300 करोड़ के लगभग हमने एनीकट बनाए। इसके अलावा 123 माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्टस पूरे किये। इसके अलावा 3 मीडियम पूरे किये जो अपने आप में एक रिकार्ड है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी रोकना वाटर कंजर्वेशन, हमने यह नहीं कहा कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ। हमने कहा एक-एक बूंद का इस्तेमाल होना चाहिये। वाटर कंजर्वेशन होना चाहिये। इसके अलावा जो पानी हमारे पास है उसका आप्टीमम यूटिलाइजेशन हो चाहे खेती-बाड़ी के लिये हो। स्प्रिंकलर ड्रिप का अगर उपयोग कर सकते हैं, कम पानी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले इस प्रकार की व्यवस्था आप करें। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में पानी काम में आता है। उसका साइक्लिंग सिस्टम वेस्ट वाटर अगर है उसके उपयोग के बारे में भी हम चिन्ता करें। अपना जो पश्चिमी राजस्थान है वह साइक्लिंग के बारे में ट्रेडिशनली बहुत साउंड है। वहां पर पानी की हमेशा कमी रही है। स्नान भी करते थे चारपाई के ऊपर बैठकर नहाना उसके नीचे तगारी रखना उस पानी का वापस जानवरों को पिलाना यह सारी चीजें होती रही हैं। मुख्य मंत्रीजी ने जो यह प्रयास किया, पचास लाख के लगभग लोगों से सम्पर्क उस पीरियड के अन्दर किया तो यह सारी बातें लोगों की समझ में आयी हैं। लोग आजकल बात करते हैं वास्तव में काम भी हुआ और बातें बहुत ढंग से समझायी। कभी गाने के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से। यह सारी बातें उसके बाद में सवा लाख फार्म पोंड इस राजस्थान में बनाये जिसका नतीजा है जहां पर भी बरसात हुई है मैं आपको कह सकता हूं चाहे यह पाली वाला एरिया हो, चाहे हमारे उदयपुर का एरिया हो। कोटा में

(श्री सांवर लाल)

वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का बांध जो भी हमने इन तीन साल के दौरान बनाये उनमें पानी हमारा इन्टेक भरा रहा, यह मैं सदन को अवगत कराते हुए कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसलिये सम्भव हुआ कि हमने जो काम शुरू किया वाटर हार्वेस्टिंग में एक शर्त लगा दी कोई भी ठेकेदार बनायेगा, दो साल तक अगर बरसात होती है उसमें क्षतिग्रस्त हो गया तो उन ठेकेदारों की जिम्मेदारी होगी इसलिये क्वालिटी भी मेन्टेन रही।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो पानी आया है वह तीन प्रकार से है। एक तो बरसात का जल, दूसरा भूमि जल और तीसरा इंटर स्टेट समझौतों के तहत जो हमको पानी मिलता है वह पानी आता है। पहले पानी नदियों में चलता था और बांध बहुत कम-कम थे। बड़े-बड़े बांध बहुत कम थे। नदियों के किनारे ही यह सभ्यताएं बसी हैं चाहे सिन्धु घाटी ले लो, चाहे गंगा ले लो। आज की तारीख में कई माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता प्रकट की कि नदियों पर बड़े-बड़े बांध बन जाने के कारण अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के लोगों को परेशानी होती है। यह एक विचार का विषय है। हमने प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी और उन्होंने एक जल नीति का मसविरा दिया। वेबसाइट पर हमने रखा। इसके अलावा सारी जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में भेजने की व्यवस्था करवायी। इसके अलावा विधान सभा सत्र के बाद हम एक वर्कशाप, सेमीनार रखेंगे। उसमें माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित करेंगे कुछ ऐसे इश्युज हैं, कई माननीय सदस्य कहते हैं कि बरसात का पहला पानी आता है बांध में आते ही नदी के अन्दर छोड़ दिया जाए जिससे नीचे डाउन स्ट्रीम वालों को रिचार्ज हो, पीने का पानी, खेती-बाड़ी की व्यवस्था मिले। इन सब पर गहन विचार और चिन्तन की आवश्यकता है। इसमें फैसला लेने से पहले सारी बातों के ऊपर कुछ कांसीक्वेंसेज के ऊपर विचार करने की आवश्यकता होगी इसलिये इनके ऊपर ता विचार किया जायेगा।

मैं यह कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन वर्षों के अन्दर हमारे विभाग के सभी अधिकारी चाहे प्रिंसीपल सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ इंजीनियर्स हों, चाहे छोटे स्तर के अधिकारी हों, सब के सहयोग की वजह से इर्रिगेशन में हमने टेल तक पानी पहुंचाया और मैं दावे से कह सकता हूं कई ऐसी खाजूवाला की और जो ब्रांचेज हैं जहां पानी बनने के बाद नहीं आया वहां पानी पहुंचा है। इसी प्रकार ड्रिंकिंग वाटर के लिये इतने

(श्री सांवर लाल)

संक्रमण काल होने के बावजूद भी हमारे इन अधिकारियों के सहयोग से हमने सामान्य स्थिति राजस्थान के अन्दर मेन्टेन रखी है। चाहे माननीय सदस्य ने आन्दोलन की बात की है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊंट होता है ऊंट को तो अब घी देंगे या फिटकरी देंगे अड़ाने का काम है जो करेगा। अब पक्ष और प्रतिपक्ष जहां पर होता है प्रजातन्त्र में कोई न कोई अपने सर्वाइवल के लिए सब अपनी-अपनी बात अपने-अपने तरीके से रखते हैं, बाकी मैं दावे से कह सकता हूं सोहेला की बात आपने की है। सोहेला में आज कोई पानी लाने की मांग नहीं थी। यह योजना की बात थी और आप कह रहे हो उनको पानी दे देते। टोंक जिले के अन्दर रिकार्डेड तीन साल से एक लाख हैक्टेयर में हम लगातार पिलाई करवा रहे हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ था इसलिये ऐसी बात नहीं है जहां पर भी पानी था उसका हमने आप्टीमम यूटिलाइजेशन किया। सब जगह पानी देने की व्यवस्था की गयी।

कुछ नहरी तंत्र है वह कमजोर हो सकता है। जहां पर भी कमजोर है उसको भी हमने दुरुस्त कराया। 42 करोड़ रुपये का मेंटिनेंस में बजटरी प्रावधान पहली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने रखा है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े अगर देखेंगे तो आप कल्पना करेंगे कि वास्तव में तीन साल में इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में कमाल हुआ है। पहले 400 और कुछ करोड़ का था वह लगभग 881 करोड़ के लगभग हमने खर्च किया है। इन तीन वर्षों में 123 लघु सिंचाई योजनाएं पूरी की हैं और पिछले पांच साल में केवल 65 योजनाएं पूरी हुई हैं जो 13 का औसत आता है और हमारा औसत 41 है।

वर्तमान सरकार ने माही और बीसलपुर योजनाएं जो लम्बे समय से लम्बित थी, बार-बार केवल प्रलोभन दिया जाता था। सागवाड़ा कैनाल भी हमने लगभग पूरी सैंक्शन कर दी है। माही का जो सरप्लस वाटर कड़ाणा और समुद्र में गुजरात की मार्फत चला जाता है, सर्वे के आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने दे दिये हैं और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पानी को रोकने के बारे में कार्य योजना हमने तैयार की है। इस पानी को भी हम रोकेंगे।

40 वर्षों में चम्बल जो नहर है उसमें कोई व्यवस्था नहीं हुई। जीर्ण-शीर्ण हालत के अन्दर वह है। उसकी व्यवस्था करने के लिये 104 करोड़ के लगभग राइट मेन कैनाल के लिये और 30 करोड़ के लगभग लैफ्ट कैनाल के

लिये हमने व्यवस्था की है आर एस डब्ल्यू आर पी में। राइट मेन कैनाल के लिये मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारी सहमति हो गयी है। इसलिये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह व्यवस्था भी हम कर देंगे और आने वाले समय में इस काम को भी प्रारम्भ करेंगे।

नर्बदा के बारे में बहुत बात होती है। नर्बदा माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल में 646 करोड़ रुपये जो अनडिस्प्यूटेड थे हमने दे दिये गुजरात सरकार को। उसके बाद में यह काम चालू हुआ, बीच में दो महीने बाढ़ की वजह से यह काम सफर रहा बाकी हमारे मार्च के महीने में पानी आ जाता। अब हमारे जल्दी यह पानी आ जायेगा। नर्बदा पूरी की पूरी मेन्डेटरी हमने स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था की है। यह भी अपने आप में दुनिया में एक मिसाल होगी कि एक अनोखी प्रकार की योजना है जिसमें सारा काम स्प्रिंकलर से होगा। इसके लिये बिजली का पैसा भी हमने दे दिया। टेण्डर करके पाइप लाइन की व्यवस्था भी कर दी और ड्रिंकिंग के लिये भी व्यवस्था हमने शुरू कर दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नहरी क्षेत्र में अभूतपूर्व निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में लिये गये जो पानी पाकिस्तान जा रहा था हरिके गेट से 15 वर्षों से, उस पानी को रोका। वह पानी आने की वजह से हमने किसानों को टेल तक पानी पहुंचाया। मोघे पहली बार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सारे हमने दुरुस्त कराये और नहरी क्षेत्र के अन्दर अप टू स्टेण्डर्ड डी-सिल्टिंग व्यवस्था हमने करायी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समझौते की पालना की बात बार-बार आती है। जब आन्दोलन होता है, आन्दोलन के पहले ही हमने उनको समझाने का प्रयास किया आप जो मांग कर रहे हो वह फैसला हम कर चुके हैं। सरकार का इरादा यही है। उसके बावजूद भी आन्दोलन हुआ और आन्दोलन के बाद जेल में जो समझौता हुआ, माननीय सदस्य, हम कई बार आपको कह चुके हैं कि इसका अक्षरश: पालना हमने कर दी है। कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। एक भी जगह हमने किसी भी उस शर्त का उल्लंघन किया हो, आपको एक बार और आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रत्येक बिन्दुवार हमने पालना रिपोर्ट जगह-जगह पर दी है और उसकी पूर्णत: पालना कर दी है इसलिये आप कृपया यह भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करें कि यह हो गया और वह पालना नहीं हुई।

मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, हम सब किसान हैं, पालिटिकल पार्टी अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन जो हकीकत है वह हकीकत रहेगी। हमने सारी अक्षरश: पालना कर दी है। यह संदेश आप अपने पार्टी नेताओं को भी दे दें तो मेरे ख्याल से किसानों का भी भला काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पेयजल योजना में राज्य मद से पिछली सरकार ने पांच साल में 1343 करोड़ रुपये खर्च किये और हमने मात्र तीन साल में 1129 करोड़ रुपये खर्च किये। शहरी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं पर औसतन व्यय 126 करोड़ पिछले पांच साल का था हमारा प्रतिवर्ष औसत 161 करोड़ रुपये था। ग्रामीण योजनाओं पर 142 था आपका पांच साल में, हमारा 228 करोड़ रुपये। हैण्डपम्प और ले लें, नये स्थापित हैण्डपम्प, आपके 72863 थे, हमारे टाइम में केवल तीन साल में 61723 हैं।

श्री अमराराम (धोद): पढ़ लिये ये तो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पढ़ लिये जो ही तो सुना रहा हूं और क्या ऊपर से लाऊंगा क्या। या आप कोई नयी-नयी ला रहे हो। आप तो रोज ही उस सब्जेक्ट पर बोल रहे हो जिस पर मैं पचास बार कह चुका हूं, बांट चुके, अखबारों में छपा चुके फिर क्यों बोलते हो उसको।

श्री अमराराम (धोद): आपने किया कहां। आप तो दोनों चरणों में जितना आपने पानी तय किया है 8200 और 5900, उसका रेगुलेशन अलग करो आप। आपमें हिम्मत है तो आपके सेक्रेटरी ने दस्तखत किये हैं। उनका रेगुलेशन अलग करके दिखाओ। तब तो मैं मान जाऊंगा वरना जोर से बोलने से थोड़े ही लागू हो जायेगा ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब एक बात बताऊं आपको, आपका जितना था सामान वह निकल चुका है। आपके समझ में नहीं आवे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक दिन सवेरे-सवेरे किसी गांव में एक माली आया, वह कोला लेकर के रख दिया, कोई जा रहा था किसान फटाफट जल्दबाजी में, उसने कहा कि क्या है कि यह तो तरबूज है, पूरी पंचायत बैठ गयी कि भई, यह क्या बोल रहा है ...(व्यवधान) सुनो तो सही, बैठो तो सही।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माली कहां से आ गया।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एक बार सारे गांव वालों ने कहा फिर

पंच बैठ गये, उन्होंने कहा कि बावला हो रहा है क्या यह तो कोला है, तरबूज कैसे कह रहा है, उसने कहा कि मैंने एक बार कह दिया ना कि तरबूज है तो तरबूज ही है। फिर उन्होंने कहा कि उसको खा जाओ तो पूरा कोला खा गया। अब आप कोला खा रहे हो बार-बार, इलाज क्या है मेरे पास ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप जाट साहब गड़तूम्बा खा रहे हो।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, बातें करने में लगे हैं आप।

श्री अमराराम (धोद): मैं तो कोला ही खा रहा हूं आप तो गड़तूम्बा खा रहे हो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इस सदन में आप अकेले पड़ रहे हो। अभी माननीय सदस्य बोले तब आपको पता नहीं चला कि मैं क्या खा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कोला खा रहे हो और बातों में मशगूल हो रहे हो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): प्रजातंत्र है और बहुमत का सम्मान करना थोड़ा अपन सब का फर्ज है। अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट वाटर के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: कोला खा रहे हो आप और चुप बैठे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दोनों ही खाने की चीज हैं, तरबूज तो कच्चा खाया जाता है और कोला सब्जी बनाकर के खाया जाता है। इसमें गलत बात क्या है दोनों ही खाने की चीजें हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हां, लेकिन उसको भी कच्चा ही खा गये वह। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को इंटरस्टेट एग्रीमेंट के तहत एक तो नर्मदा को पानी मिलेगा 0.5 एम.एम.एफ. और जब से नर्मदा को पानी जो माही के पानी से गुजरात का एरिया फीड होता है, वह शुरू हो जायेगा। उसके बाद में 40 टी.एम.सी. पानी 1966 के एग्रीमेंट के हिसाब से हमको मिलेगा। उस पानी के लिए आदिवासी एरिया के लोगों को जो बचा हुआ एरिया है, उसका सर्वे चल रहा है उनको उपलब्ध करवाया जायेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इसमें आदिवासी बीच में कहां से आ गये। एग्रीमेंट जालौर का है। एग्रीमेंट में जालौर का नाम है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप बैठो तो सही।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): राजस्थान को मिलेगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उस एग्रीमेंट में यह लिखा है कि राजस्थान को मिलने लग जायेगा। अब राजस्थान में जहां जरूरत होगी वहां दिया जायेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जालौर का नाम है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बैठो, आप बैठो। इसके अलावा भी हमने कहा कि जो पानी जा रहा है ओवरफ्लो होकर के उसको भी रोकने की कार्यवाही, सर्वे वगैरह भी हमने चालू कर दी है, वो भी मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय के कब आ रहा है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वह आ रहा है आप दोनों के चिंता मत करो। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से हमको पानी मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: वहां आ नहीं सकता ना माही से।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोटा बैराज के माध्यम से इर्रिगेशन है। एक हमको पानी मिलेगा यमुना। उसके लिए मुख्य मंत्रीजी स्वयं गयी मीटिंग अटेंड करने, मैं भी उनके साथ गया। कई बार हमारे अधिकारियों के साथ गये। वह बैठक भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रीजी की अध्यक्षता में हुई। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज मि. थानवी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में इसमें भी जो हमारा शेयर है, चूरू, झुंझुनूं और भरतपुर के लिए मिले, इस बात के लिए हम बराबर प्रयास कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनको कहो ना कि हरियाणा में सरकार है इनकी एम.ओ.यू. पर कराओ ना दस्तखत।

श्री अमराराम (धोद): सीकर को भी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है आज मैच भी है इंडिया और श्रीलंका का तो थोड़ी जल्दी कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सब पर ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर जल नहीं रहेगा तो ना आपका मैच रहेगा और ना आप रहोगे। किस बात को कह रहे हो फालतू में। इतना महत्वपूर्ण सेंसेटिव इश्यु है। आज एक गांव से दूसरे गांव में पानी रोक देते हैं तो उसके ऊपर भी सारी चीजें

(श्री सांवर लाल)

झगड़ा, फसाद, विवाद शुरू होता है तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा, जो रावी-व्यास का पानी है जिसके बारे में बार-बार चर्चा होती है, कल माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि आप पंजाब से नहीं ले रहे हो। पंजाब में जब अमरेन्द्र सिंह था तो बोलते नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान का हित देखने आये हैं कि हमारी पोलिटिकल पार्टी का हित देखने के लिए आये हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि रावी-व्यास का मुद्दा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। राजस्थान के जो किसान नहरी क्षेत्र के हैं, अगर वह पानी नहीं आये तो वह आबाद ही नहीं हो सकते। इसलिए पहली चिंता हमारी यह होनी चाहिए, अब 1981 का, अब कल्लाजी ऊंचे-नीचे हो रहे हैं। अब यह स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी का देख लो, लिखा हुआ दस्तखत, इसमें यह दरबारा सिंह है, बीच में शिवचरण जी हैं, फिर भजनलालजी हैं, अब आप बताइये कि यह लिखा है कि 0.6 एम.एम.एफ. पानी पंजाब को दिया जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उससे पहले 8 एम.एम.एफ. मिलता था, बढ़ा हुआ पानी अपने उपयोग में नहीं ले सकते थे, इसके कारण से उसको कुछ समय के लिए दिया गया था। अब अपने को लेना है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कह तो रहा हूं कि यह तो रोज ही हो रही हैं बातें, छोड़ो ना ...(व्यवधान) कभी कुछ किया नहीं सरेंडर करने के अलावा जब राज किया तो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, पंजाब के नये मुख्यमंत्री बने हैं वह साफ कह रहे हैं कि राजस्थान को पानी नहीं दूंगा, क्योंकि राजस्थान राइपेरियन स्टेट नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जब भी राज आया तो कुछ किया क्या जनता के लिए ...(व्यवधान) सरेंडर करने के अलावा कुछ नहीं किया ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसका क्या उपाय कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पानी का मुद्दा अहम नहीं लगता था एम.एल.ए. कहते थे तो ...(व्यवधान) एम.एल.ए. कोटे की टंकियां ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी पार्टी वहां सरकार में है और आपका मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि राजस्थान को पानी नहीं देंगे। उसका क्या उपाय कर रहे हो आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि पंजाब से हमको बात करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री के स्तर पर यह समझौता हुआ है इसलिए जो भी कार्यवाही करनी है सर्वदलीय दल भी जावे तो प्रधानमंत्रीजी से कहे, तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी के स्तर पर .6 एम.एम.एफ. पानी जो पंजाब के उपयोग के लिये दिया गया था, बरसों से चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, हमारा रहा हो, बराबर हम मांग करते आये हैं, इसलिए यह दखल देकर के .6 एम.एम.एफ. पानी जो हमारा है उसको बहाल करवाया जाये। इस बारे में भारत सरकार के स्तर पर जाने में कोई तकलीफ थोड़े ही होती है अपने को। जहां पर समझौता हुआ वही होगा, फैडरल सिस्टम आफ गवर्नमेंट है, भारत के अंदर कई स्टेट हैं पर संघ है और भारत सरकार की अवहेलना कोई नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता हूं कहना कि किन परिस्थितियों में वह किया होगा, पर जो भी समझौता उस स्तर पर हुआ निश्चित रूप से राजस्थान के हक के हिसाब से ठीक नहीं हुआ। इसलिए इसके बारे में भी सब को चिंता करनी चाहिए। जाना तो चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और जायेंगे निचली अदालत में। क्या मतलब है इसका, बता दीजिये मुझे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश बराबर है, कामरेड साहब आपका तो सहयोग मिलेगा क्योंकि आप तो वहां भी कभी-कभी फुल्लर चला देते हो ना दिल्ली में।

श्री अमराराम (धोद): पूरे तैयार हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, टोटल अवेलेबल जो सरफेस वाटर है, 50 साल में भी हम उसको पूरा टैप नहीं कर पाये।

यह निश्चित रूप से सत्य है पर यह सरकार आने के बाद में काफी प्रयास किया, पैसा भी खर्च किया और आज की तारीख में हम 71 प्रतिशत सरफेस वाटर को रोकने की स्थिति में हैं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इन दो सालों में 80 प्रतिशत के ऊपर जो पानी है उसको रोकने की स्थिति तक हम पहुंचेंगे।

चम्बल के अंदर 500 करोड़ की मध्यम परियोजनाएं, वृहद परियोजनाएं, प्रारम्भ करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की

(श्री सांवर लाल)

है। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परियोजनाएं चालू हो रही हैं इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि कोटा में जो एडीशनल चीफ इन्जीनियर है उसके स्थान पर चीफ इन्जीनियर, वाटर रिसोर्सेज का पद कायम किया जाएगा जिससे उनके निर्देशन, नेतृत्व में बेहतर कार्य हो सके। इसी प्रकार से माही बेसिन में सरप्लस वाटर के उपयोग की शीघ्र क्रियान्विति पर राज्य सरकार ध्यान दे रही है और माही के चीफ इन्जीनियर का कार्यकाल भी 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा था इसको भी आगे बढ़ाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी प्रकार बीसलपुर में मुख्य अभियंता का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा था पर चूंकि ईसरदा बांध लगभग तीन सौ, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का बनेगा उसमें एक उच्च अधिकारी की आवश्यकता है इसलिए बीसलपुर मुख्य अभियंता का पद है वह भी आगामी आदेश तक रहेगा, यह मैं आप सब को अवगत कराना चाहता हूं।

यमुना के पानी के बारे में मैंने आपसे अर्ज किया था कि यमुना का पानी आएगा ओखला बैराज से आएगा और 1281 क्यूसेक्स पानी मौसम के हिसाब से मिलेगा। भरतपुर जिले में एक और सर्वे करवा रहे हैं कि 40 हजार हैक्टेयर भूमि में 46 लाख रुपये देकर इस वर्ष सर्वे को कण्डक्ट करवाएंगे। इसी प्रकार यमुना जल के उपयोग के लिए तीन नए माइनर लाखनका, काखावाली, आवारा सोगरका का सर्वेक्षण भी 2007-2008 में कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्टर स्टेट वाटर के लिए हम पहले से तैयारी करके चलेंगे, क्योंकि प्यास लगे और कुआं खोदे तो फिर मामला बैठेगा नहीं, हम चाहते हैं कि जो थोड़ा-बहुत काम है वह एडवांस में हो, जैसे ही पानी मिल जाए उसका उपयोग करने की स्थिति में हो।

कुम्हेर बांध में जो होम कैनाल्स है उनकी हालत कुछ जीर्ण-शीर्ण है, उनको भी हम ठीक करके कुम्हेर के तालाब को भरेंगे क्योंकि भरतपुर में पोखरों का ज्यादातर पानी लोग-बाग़ और जानवरों के पीने के काम में आता है और लोग भी पोखर किनारे ही कुआं बनवाते हैं तो यह भी व्यवस्था की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बहुत बड़ा है, लोग कहीं खड़ीन बनाते हैं तो कहीं एनीकट बनाते हैं, कहीं पोखर बनाते हैं तो कहीं तालाब बनाते हैं। भरतपुर में पोखरों की यह स्थिति है कि अगर वह गहरे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से गांवों में लोगों को फायदा मिलेगा तो यहां हम लगभग 8 तहसील के जो पोखर हैं उनको खुदवाने की व्यवस्था जनसहभागिता से एन जी ओ के माध्यम से करवाने की कोशिश करेंगे।

(श्री सांवर लाल)

घना, जिस पर दुनिया की निगाह होती है, पक्षियों को पानी नहीं मिले तो वह वापस अपने देश चले जाते हैं तो उन पक्षियों को पानी पिलाने के लिए गोवर्द्धन नाले के किलोमीटर 29.3 से पाइपों द्वारा जल उत्थान करने की घना जल प्रदाय योजना वन विभाग द्वारा प्रस्तावित है। इस योजना का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 2007-2008 में करवाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार स्वर्गीय माननीय सदस्य, देवपुरा साहब, उन्होंने जोकता नाका, जिला राजसमन्द में 15 करोड़ की योजना का 2003 में पत्थर लगाया, जैसा दूदू में लगाया है, उसको भी मैं फोरेस्ट से क्लीयर करवाकर शुरू करवाने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार बेड़च का नाका, यह भी दो करोड़ से ज्यादा की है।

अभी एक इश्यू और आया कि घग्घर नाला, उस पर भी दो पुलियाओं का निर्माण करवाएंगे। गांधी सागर की 80 किलोमीटर की पैराफेरी सड़क माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गांधी सागर, यह राणा प्रताप सागर के पास में जब बनी होगी उस जमाने की सड़क है, आज यह बिलकुल क्षतिग्रस्त हो गई है और उसको ठीक करवाना जनहित में बहुत जरूरी है तो मैं इस वित्तीय वर्ष में इसको भी शुरू करवाने की कोशिश करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण पार्वती-काली सिन्ध लिंक, मध्यप्रदेश से इसके सम्बन्ध में बातचीत चल रही है और इस लिंक को बनास तक हम अगर डालेंगे तो हमारे पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान होगा, इसके लिए मध्यप्रदेश से हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इस बारे में एम ओ यू हो जाए और हम इसमें आगे बढ़े हैं।

इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान वाले माननीय सदस्य बहुत चिंतित हैं, पुराने जमाने में पूर्वी राजस्थान में बरसात होती थी और पश्चिमी राजस्थान में नहीं होती थी। हमारे यहां पर लोग सवेरे उठते और उधर मारवाड़ की तरफ मुंह हो जाता तो कहते कि इसको आज दिन भर खाने को नहीं मिलेगा, तो यह पुराने जमाने की बातें हैं, आज वहां रिफायनरी लग रही है, कवास के अंदर लोग डूब रहे हैं, हजारों एकड़ भूमि में इर्रिगेटेड खेती हो रही है, जगह-जगह पर व्यवस्था चेंज हो रही है, उस जमाने में जब बरसात ही इतनी होती थी तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी मगर अब बरसात कम हो रही है तो चम्बल की

अपने को याद आ रही है, चम्बल में बारहों महीने पानी चलता है तो हमने सर्वे के आदेश दिए, पांचना में चम्बल का पानी डाला जाए, घग्घर में पानी डाला जाए, इसकी रिपोर्ट आने के बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जहां-जहां हमें इसकी पूर्ति करने की आवश्यकता होगी, ...(व्यवधान) यहां से पानी आएगा तो गोपालपुरा थोड़े जाएगा, वह तो आपके यहां ही जाएगा।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): वहां सर्वे तो करवाओ साहब। सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर और अलवर।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बिलकुल, जहां-जहां जा सकता है, वहां के लिए पूरी कोशिश करेंगे।

वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छोटे-छोटे एनीकट हैं, कई माननीय सदस्यों के क्षेत्र में हो सकता है नहीं दिए हों पर हमारी कोशिश यही है कि जहां पर पानी रूक सकता है या कहीं पर फिजीबिलिटी है तो जितना हमारे पास बजट है उसके हिसाब से सभी विधान सभा क्षेत्रों में वह बनाए जाएं। अगर पहले कहीं रह गए होंगे तो दुबारा हम करेंगे और लगभग 50-60 करोड़ रुपये के एनीकट भी इस साल में बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे।

जल चेतना यात्रा लोगों के लिए लाभकारी रही। भीषण गर्मी में भी उसको समर्थन मिला। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि चूरमा, दाल, बाटी, वह तो शौक से खिलाया था और गांव में 'आटा मं कांई घाटा' कोई आवे जणा दाल, रोटी तो खिलावां ही हां, ऐसी बातें यहां सदन में कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कहीं पर भी किसी ने मांग नहीं की कि आप दाल, बाटी, चूरमा खिलाएंगे तभी लोग आएंगे, वह तो हम शौक से कहीं गए तो गाजे-बाजे से गए तो इसको समर्थन मिला और निश्चित रूप से इस साल में हम और जल चेतना यात्रा निकालेंगे और उसमें प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अगर आपका सहयोग मिल जाएगा तो मैं कहता हूं कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में एक तूफान आ जाएगा और लोग पानी के उपयोग और उसके संरक्षण के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएंगे और पानी तो बी जे पी और कांग्रेस का नहीं, राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के सरवाइवल के लिए जरूरी है तो यह चेतना हम पैदा कर रहे हैं। वहां जाकर हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि आप वोट बी जे पी को देना, बी जे पी के गीत गाना, हम तो यह कह रहे हैं

(श्री सांवर लाल)

कि वाटर है इसके मेनेजमेंट, इसके कंजर्वेशन, इसके उपयोग के बारे में और आप अगर कभी पधारो तो गाने भी आपको वही मिलेंगे जो पानी के सम्बन्ध में पुराने जमाने में जिस प्रकार पानी का उपयोग होता था, मेनेजमेंट होता था, वही बातें सारी हो रही हैं, सुनाने के लिए तो मैं इतना...

श्री अध्यक्ष: और किसी जगह के लिए तो सहयोग दो चाहे न दो, झुन्झुनूं के लिए तो दे देना कम से कम।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): झुन्झुनूं के लिए भी कर रहे हैं।

लघु सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 415 प्रोजेक्ट्स को हम आइडेण्टीफाई कर रहे हैं, जे बी आई सी से उसकी व्यवस्था हो गई है और इसको भी हम जल्दी से शुरू करवा देंगे।

इस वर्ष की जल नीति के सम्बन्ध में मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप निश्चित रूप से कोई भी व्यस्त कार्यक्रम हो, जब भी इसके सम्बन्ध में कांफ्रेंस या सेमिनार रखी जाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारें तो निश्चित रूप से राजस्थान के व्यापक हित में हम कोई पालिसी बनाएंगे तो फायदेमंद रहेगा।

मसीता वाली हैड, इन्दिरा गांधी नहर और फिरोजपुर हैड, कुछ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तो यह भी हम ले रहे हैं। इसके अंदर इसको दुरुस्त करवाने की व्यवस्था हमने कर दी है, यह भी हम ठीक करवाएंगे।

बेरोजगार इन्जीनियरिंग स्नातकों को 10 लाख रुपये तक के काम की घोषणा बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है तो हमारे दोनों विभाग पी एच ई डी और सी ए डी में भी उनको एलिजिबिलिटी दी जाएगी।

पिछले तीन वर्षों में पदोन्नति समितियों की बैठकें कराकर सहायक अभियंता से मुख्य अभियंता स्तर के 201 पदों पर पदोन्नतियां दी गई हैं, कनिष्ठ अभियंता की लम्बे समय से डी पी सी पेंडिंग है।

उन्हें भी समुचित अवसर इस वर्ष प्रदान करने की हम कोशिश करें। भीखाभाई सागवाड़ा कैनाल, मैंने आपसे अर्ज कर दिया, यह बन रही है। माही का जो सरप्लस वाटर है उसके बारे में भी मैंने आपसे अर्ज कर दिया। एक प्रमुख मांग जो माननीय सदस्यों की आयी है ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आपका जोश भी कम हो गया, अब पास कराओ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मेरा जोश तो नहीं हुआ, आपको देखकर आधे सभी हो जाते हैं, आपका तो मुकाबला ही क्या है। मैं जो बातें बता रहा हूं उसमें जोश कहां से आएगा। कोई नीतिगत बात हो तो जोश आता है। अभी पंचायतों को तालाब हस्तांतरण के सम्बन्ध में बात आयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं तत्कालीन सरकार ने मंत्रिमण्डल से फैसला करके पंचायतों को दिया था, अब इसके लिए मंत्रिमण्डलीय उपसमिति बनी हुई है जो भी विचार करेगी उसके बाद में ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पास ही रखो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप उधर बैठते हैं तभी आप में समझदारी और अक्ल आती है और इधर आते ही सारा मामला खराब हो जाता है। यहां जब-जब बैठते हो तो उलटा काम किया है, वहां जाकर कह रहे हो दे दो। कल मैं दे दूंगा तो कहेंगे पंचायतों के अधिकार खतम कर दिये, फलाना कर दिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उनको संभालना पंचायतों के बस का नहीं है, सिंचाई विभाग ही संभाले। पंचायतों को देने के बाद तो अतिक्रमण और होने लग गये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पीएचईडी की योजनाओं के बारे में बहुत बातें आईं। अभी दूदू से आने वाले माननीय सदस्य को तो पता नहीं क्या हो रहा है पूरा बैकग्राउंड ऐसा लगा, ऐसा बताया कि जैसे इनके प्रयास से ही कुछ हो रहा हो। इनकी सरकार में 1999 में पत्थर लगाया जयपुर का। तीन की तेरह कर ली क्या? दूदू में क्या कर लिया? यह टेक्नीकल हो गई, यह फलानी हो गई, बिना दामों के कुछ व्यवस्था होती है क्या? कौनसी व्यवस्था कर दी, कौनसा फण्ड कर दिया?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, 2002 में योजना मंजूर हुई, आप मुझे बता दें योजना मंजूर होने के बाद में सम्बन्धित आवश्यकता के लिए कांग्रेस सरकार के दौरान 2002-03 में 90.28 लाख रुपये बजट में आबंटन किया या नहीं? दूसरा पूछ रहा हूं 2003 में 4.71 लाख रुपये किया या नहीं? आपने 2004 में सिर्फ तीन करोड़ रुपये किये जब कि 2005-06 तक इसी योजना द्वारा 694 गांवों को पानी पिलाना था।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आप विराज जाओ, दूदू की जनता आपको जानती है, आपसे कुछ भी नहीं हुआ। 50 हजार आदमी मुख्य मंत्रीजी की मीटिंग में आये हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): यह आपने जवाब दिया है। यह जवाब आपका है मंत्री महोदय। यह मेरा जवाब नहीं है, यह आपका जवाब है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उसके बाद में आप ज्यादा सफाई दोगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि आप बिलकुल बेसलेस बात कर रहे हो। आपको मैं कह रहा हूं ..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): पूरी जनता जानती है मंत्री महोदय।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोई नहीं जानता।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं कोई आग्युमेंट नहीं करना चाहता।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी सरकार के पांच साल में एक भी योजना मंजूर नहीं हुई।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): कांग्रेस सरकार के समय योजना मंजूर हुई और जान-बूझकर, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने तीन जिलों में यह योजना मंजूर की, जान-बूझकर बदनीयति से इस योजना ..(व्यवधान) यह मैं आरोप लगाता हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। (व्यवधान) पांच साल में कुछ भी नहीं किया। अजमेर जिले के भिनाय की योजना हमने की, उसको ठण्ड पिला दी। हमारी सरकार आने के बाद में आज गांव-गांव के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं। आपकी दूदू-बीसलपुर के लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने व्यवस्था करायी है। 1100 करोड़ की जयपुर की व्यवस्था करायी है।

माननीय सदस्य ने भरतपुर की चिन्ता प्रकट की, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं हमने इस योजना को चालू किया, ठेकेदार ने गड़बड़ की, रिस्क एण्ड कोस्ट के ऊपर दूसरा टेण्डर कर दिया। उसके बाद में मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के पास लम्बित है, इसलिए समय लग रहा है। बाकी पीने के पानी के लिए और जहां भी सोर्स होंगे जो भी व्यवस्था हो सकती है वह आपके क्षेत्र के लिए और जिले के लिए करेंगे। बाकी जैसे ही यह फैसला हो जाता है, अब माननीय उच्चतम न्यायालय के मामले में तो मैं कह नहीं सकता हूं जब भी फैसला होगा उसके बाद में मैं आपको कह सकता हूं डबल गति पकड़ाकर उसको फटाफट कराने का प्रयास करेंगे।

(श्री सांवर लाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब गर्मी का टाइम आ रहा है, पीने के पानी की, जैसे हैण्डपम्पों की बात आई, मैं खुद कह रहा हूं कि बराबर लेवल नीचे जा रहा है। आज राजस्थान में चार जिले हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जहां पर वाटर लेवल नीचे नहीं जा रहा। बाकी राजस्थान के हर क्षेत्र के अंदर लेवल नीचे जा रहा है और धरती के नीचे का जो पानी है वह इस स्तर पर पहुंच गया है, फ्लोराइड है, नाइट्रोजन है, खारा है, इसलिए यह समस्या आ रही है। हैण्ड पम्प हो सकता है एक साल खोदें, दूसरे साल में पानी की कमी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए हमने यह कहा कि हैण्डपम्प सबसे आवश्यक चीज है और लोगों को आसपास में पानी मिले, मुख्य मंत्रीजी का यह सपना है, इसलिए हम पानी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा हैण्ड पम्प सूख जाते हैं तो ट्यूबवैल की भी हालत यह हो रही है। आज जयपुर में रामगढ़ में पानी नहीं आने के कारण हम पानी का एक्सप्लोयटेशन कर रहे हैं। गत बार जो ट्यूबवैल डिस्चार्ज दे रहे थे उतना डिस्चार्ज इस बार नहीं हो रहा है। एक समस्या है इस समस्या का समाधान वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाकर और हमने यह निर्णय भी लिया है जहां हमारे सोर्स हैं पीएचईडी का उसके आसपास बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था हो जिससे उसका लेवल बढ़े। तो इसमें सभी माननीय सदस्य कहेंगे तो उनके क्षेत्र में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 30-30 हैण्ड पम्प इस गर्मी के मौसम में माननीय एमएलए साहब लगाएंगे।

इसी प्रकार परियोजनाएं हमारी काफी चल रही हैं। अब परियोजनाओं की बात करें तो बाड़मेर लिफ्ट, पोकरण फलसूंड, जवाई पाली, नर्बदा की योजना, अजमेर बीसलपुर, नादौती वाली, अभी माननीय सदस्य तारीफ कर रहे थे, जब पक्ष वाले तारीफ करते हैं तब भी परेशानी होती है। 500 करोड़ की योजना चल रही है, जगह-जगह पर योजना चल रही है। आपणी योजना फेज सेकण्ड के बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में विचार करें। आज लूणी की क्या हालत थी और ये एमएलए बनने के बाद में क्या हालत है, आप पूछिए। इसलिए कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहली प्रायोरिटी जल संसाधन को देकर कि पानी नहीं होगा तो राजस्थान में कुछ नहीं होगा यह करके यह शुरू की है और उसको नियत समय में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, यह भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। इसके लिए डेडिकेटेड विंग

(श्री सांवर लाल)

प्रोजेक्ट्स के लिए बनाएंगे जिससे उनमें एक्सपर्टाइजेशन भी आये और वह काम भी फटाफट करें।

इसके अलावा मुख्य अभियन्ता को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति अधिक देने की बात आई है तो पहली बार 8 लाख रुपये तक की स्वीकृति का अधिकार देते हैं। रेगिस्तानी जिलों के लिए 5 लाख रुपये अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता 2 लाख, संशोधन इस प्रकार करता हूं, यह पहले अधिकार थे, अब 15 लाख रुपये मुख्य अभियन्ता को, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को 8 लाख रुपये, 5 लाख के अधिकार दिये जाएंगे। इसी प्रकार जलदाय विभाग के विभिन्न संवर्गों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें करके जो भी बैकलाग है, पीएचइडी में बैकलाग है, इर्रिगेशन में तो माननीय सदस्यों की जानकारी में है, हमने काफी एससी, एसटी के बंधुओं का जो उनका अधिकार बनता था पदोन्नति दी है, अब पीएचइडी में भी यह शुरुआत करेंगे।

इसी प्रकार की समस्या और आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के अंदर जो महिलाएं हैं सारा काम करती हैं, खेतीबाड़ी भी करती हैं, जानवरों का काम भी करती हैं, बच्चों की देखभाल, खाना-पकाना, सारा। अब जो रीजनल स्कीम बनती हैं वहां पर केवल पाइप लाइन दी जाती है, अब औरतों को पता नहीं रहता कई बार विभाग भी पानी समय पर नहीं दे पाता तो कई बार पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कोई भी रीजनल योजना बनेगी हर गांव के अंदर, ढाणी के अंदर चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जीएलआर या स्टोरेज पानी की व्यवस्था होगी जिससे जब भी फुरसत में वह आये तब पानी के लिए स्वतंत्र रहे। एक बार कामकाज छोड़कर वहां बैठी रहे और पुराने जमाने की जो टूंटियां लग रही हैं, एक टूंटी को खोलकर बैठ जाए दो घण्टे में मटकी नहीं भरे ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। हमने हमारे अधिकारियों को कहा अगर प्रेशर से पानी नहीं गया, अगर शहर के अंदर जिस मंजिल का नक्शा ये स्वायत्त शासन मंत्री पास करते हैं उस मंजिल पर पानी नहीं पहुंचा तो आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। सामान वगैरह की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। जीएलआर बनाई जाएगी।

इसी प्रकार जो भी जीएलआर या एसआर टूटी-फूटी है इसके बारे में सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं जो भी गिरने वाली स्थिति है, तीन महीने के अंदर उस स्थान पर हम नई स्वीकृत

(श्री सांवर लाल)

कर देंगे और इस साल के अंदर उनको नई बना देंगे। इसके साथ ही जो पुरानी गिरने वाली है उनको गिराने की व्यवस्था कर देंगे।

एक बात आई है टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है टिबड़ा माइनर्स में। टिबड़ा माइनर्स के लिए हमने व्यवस्था कर दी है और इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 08 तक अगर टिबड़ा के टेल तक पानी नहीं पहुंचे तो माननीय सदस्य, फिर अगली बार हमको बताना, यह हम आपकी व्यवस्था कर देंगे और यह पानी पहुंच जाएगा।

कई बार सामान की बात आती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएचईडी में बहुत काम हुआ है। हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए बात आई, मरम्मत के लिए जब गर्मी का सीजन आता है निश्चित रूप से पानी का विशेष उपयोग बढ़ जाता है, कंजम्पशन भी बढ़ता है, जानवरों के लिए भी बढ़ता है, नहाने-धोने के लिए भी बढ़ता है, हैण्ड पम्प भी कुछ कम पानी देना शुरू हो जाता है। इसलिए एक अभियान चलाकर हम इसको ठीक करवाते हैं और यह हमारे पीएचईडी डिपार्टमेंट के अण्डर में आता है, बाकी सामान्य परिस्थितियों में पंचायत राज के पास रहता है, मैटेरियल की सप्लाई हम करते हैं। हम भी कई बार संकट का सामना करते हैं, समस्या आती है तो इसके बारे में भी कोई न कोई नीतिगत निर्णय मैं आपको भरोसा दिलाता हूं शीघ्र ही लिया जाएगा जिससे हैण्ड पम्प रूटीन में ठीक होते रहें। इसके लिए एक अभियान की आवश्यकता नहीं पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मेटेरियल का जो कंजम्पशन हो सकता है, कहीं पाइप की ज्वाइंट में कुछ कमी हो, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइप की जो खपत के अन्दर कंजम्पशन हो रहा है, जिस प्रकार की योजनाएं हमने सैंक्शन की है, केवल हैण्डपम्प नहीं किये हैं, गांव-गांव में पी एण्ड टी योजना में एक पाइप लाइन से पानी देने वाली योजना की है। एक जो माननीय कासनियांजी ने सवाल रखा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई पानी का कनेक्शन घरेलू लेना चाहते हैं तो आप आइए क्योंकि गांव में पानी देना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको डोमेस्टिक कनेक्शन दिये जाने की हम व्यवस्था करवा देंगे, उसमें कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है इसलिए इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी लेना चाहेगा, वहां दिलवाई जाएगी। अब एसी प्रेशन पाइप का जहां तक सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2000 से 2004 तक प्रतिवर्ष औसत 2945 लाख रुपये का लिया पीवीसी

पाइप, 527 का इन्होंने लिया, हमने 554 का औसत लिया, डीआई पाइप इन्होंने 750 लाख का लिया और हमने लिया 8968 का औसत, आप बताइए कहां साढ़े 7 सौ और 8900 मतलब 9 हजार। इसी प्रकार जीआई पाइप 986 था, हम ले रहे हैं 1610, पहले 1510 था एमएस पाइप और अब हो रहा है औसत 2478, हैण्डपम्प 512 का था, हमारा हो रहा है 921, सीआई पाइप इनके पास कुछ भी काम नहीं लिया, हमने लिया 218.11 इसलिए हो सकता है कुछ समस्या इसमें हो, बाकी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह और कह सकता हूं कि जिस द्रुत गति से इन तीन सालों में जितने पीएचईडी के या वाटर रिसोर्सेज में माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में वाटर मैनेजमेंट, वाटर के उपयोग के सम्बन्ध में या वाटर रिसोर्सेज के संबंध में जितना काम हुआ है, भारत सरकार के ये जो मंत्री आते हैं वह भी उसकी तारीफ करके जाते हैं और जल चेतना यात्रा जिस प्रकार की एक विशेष यात्रा इस राजस्थान में निकाली गई, यह हिन्दुस्तान में एक अपने आप में एक पहली यात्रा है और इसकी भी तारीफ भारत सरकार के स्तर पर हो रही है और इसलिए पानी के ऊपर राजनीति के बजाय हम सभी माननीय सदस्य मिल बैठ कर अगर इसके बारे में अभियान चलाएंगे तो निश्चित रूप से हर खेत को पानी मिलेगा। चौधरी चरण सिंहजी कहा करते थे, इस देश में खुशहाली तब आएगी, जब खेत और खलिहान में हरियाली होगी, आबाद होंगे, अब यह आबाद तभी होंगे, यह पानी रोकेंगे, पानी को रोकने की व्यवस्था हो, उसका सही उपयोग करने की व्यवस्था हो, वाटर यूजर्स एसोसिएशन का हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इन तीन सालों के अन्दर ही सब क्षेत्रों में, पानी के क्षेत्र में खालों के बारे में भी चिंता प्रकट की गई, खालें, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इन वर्षों में मैं कह सकता हूं काफी ठीक ढंग से हम निगरानी भी रख रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मंत्री महोदय, रामचन्द्रजी आपको धन्यवाद देने के लिए बैठे हैं, नागौर जिले की बात तो कह दो आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नागौर जिले की आप बताइए 50-52 से ये बातें चल रही हैं और लोगों को यह कल्पना नहीं थी कि वसुंधराजी यह कह रही हैं क्या ? यह तो कहते ही आए हैं हमारे लोग-बाग़, पर अब जब

काम शुरू हो रहा है और लोगों को लगा कि यह पानी नहर का आ रहा है और नहर का पानी आते ही तो नागौर में पानी की जो हालात है, तालाबों का पानी आ नहीं रहा, धरती के नीचे खारा फ्लोराइड का, आपके जायल के पास जो खान है उसके पानी को भी हम सही करके जायल और कुचामन के लोग-बागों को शुद्ध करके उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। यह नहर का पानी आपके जिले में आएगा तो मैं कह रहा हूं, रंग बदल जाएगा लोगों का, हिमालय का पानी, पीओगे शुद्ध हिमालय का, इतना बढ़िया पानी आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, मेरी समझ में आपने सब पहलुओं को छू लिया और बिलकुल सब जवाब दे दिये, आप बस एक बात का जवाब और दे दो। (व्यवधान) छोड़िए आप झुंझुनूं की बात। अभी आपके सामने कटौती का प्रस्ताव आया था कि अभी आप 500 रुपये दे रहे हैं पम्प चालक को, जो गांव में पम्प चलाता है और हजार रुपये की मांग की थी, उसके बारे में कह दो, बस फिर बाकी समाप्त करो।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): जे. ईएन. के बारे में भी कह दो, पीएचईडी में भी कम हैं जे. ईएन. और इर्रिगेशन में भी कम हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जे. ईएन. के बारे में रिक्वीजिशन दे रखी है, अब लोक सेवा आयोग से भर्ती का फैसला हो रखा है, अध्यक्ष महोदय, और अब आप तो जानती हैं, मेरी इस बारे में चर्चा नहीं हो पाई और वित्तीय मामले के अन्दर, आप जानते हैं वित्त मंत्री मुख्य मंत्री ही हैं तो एप्रोप्रिएशन का जब आएगा। (व्यवधान) आपके पास तो कुछ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: 31 अरब का बजट है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मेरी पावर में तो पूरा है न, आपको बताया नहीं, क्या-क्या है जो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह राजेन्द्रजी की बात थोड़े ही मना करेंगे, अब आप दोनों तय कर लोगे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना से सहमत हूं, हम भी इसका चिंतन मनन कर रहे थे, पर जो परम्परा है, और व्यवस्था है आप तो कुछ भी करते थे, उनसे भी डरते थे।

श्री अध्यक्ष: 29 तक फैसला कर लें आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके मुख्य मंत्री जी तो केवल मुस्कराते थे। फिर भी आप घबराते थे पीछे बैठे-बैठे, आज तीन साल में हर क्षेत्र में इतना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्षजी के निर्देश के बाद भी आपने कौन सी घोषणा कर दी ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कि अगर घर में मुखिया की बात करके कोई फैसला कर लें तो इसमें आपको तकलीफ हो रही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमारे यहां तो पीछे वाले घबराते थे, आपके यहां तो बराबर बैठने वाले ही घबराते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हमारे यहां घबराते नहीं, मिल बैठ कर फैसला करते हैं, घबराने का काम तो आप में ही है सारा और अभी भी यही है।

श्री अध्यक्ष: आप मांग करने की बात करें, मांग पारित करवा लें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपका जो निर्देश है, हुक्म है, उसके हिसाब से हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह जो मांग है 46 सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर सहित और 46 और 27 पेयजल के संबंध में इसको पारित कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: 'प्रश्न यह है कि मांग संख्या – 27 – पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,10,75,55,000/- (इकत्तीस अरब दस करोड़ पचहत्तर लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या – 46 – सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,09,95,74,000/- (उन्नीस अरब नौ करोड़ पचानवे लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2007 के प्रात: 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22·18 बजे सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2007 के प्रात: 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ब्यावर के खेल मैदानों पर अतिक्रमण

237. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में स्थित विभिन्न खेल मैदानों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है ? यदि हां, तो अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में खेल विभाग का कोई खेल मैदान नहीं है। अत: खेल मैदान पर अतिक्रमण का प्रश्न नहीं है।

(2) चूंकि कोई अतिक्रमण नहीं है। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बीकानेर जिले में जिप्सम का अवैध खनन

238. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में जिप्सम के खनन हेतु खनन पट्टे जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो किन-किन को कब से किस-किस क्षेत्र में ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 01 जनवरी, 2004 के बाद जिप्सम के खनन पट्टे जारी करने हेतु कोई संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि कब व क्या ?

(3) क्या यह सही है कि मर्केन्टाईल सेल के लिए राजकीय उपक्रमों एवं केप्टीव यूज हेतु निजी क्षेत्र में खनन पट्टे जारी करने के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी कोई खनन पट्टा प्रभावशील है ? यदि हां, तो कब से व किन-किन को ?

(4) क्या सरकार निकट भविष्य में निजी क्षेत्र में खनन पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं तो क्यों ?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(5) क्या यह सही है कि समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से जिप्सम के अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि इन शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए सरकार द्वारा अवैध खनन को रोके जाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बीकानेर जिले में खनिज जिप्सम के कुल 10 खनन पट्टे प्रभावशील है, जिनमें से 8 खनन पट्टे खनिज जिप्सम के तथा 1 खनन पट्टा खनिज सेनेलाईट का मैसर्स आर.एस.एम.एम.लि. मय पूर्व आर.एस.एम.डी.सी. के पक्ष में स्वीकृत है तथा 1 खनन पट्टा निजी क्षेत्र में स्वीकृत है। विस्तृत सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। दिनांक 1.1.2004 के पश्चात खनिज जिप्सम के खनन पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। मर्केन्टाईल सेल के लिए राजकीय उपक्रमों को बीकानेर में खनिज जिप्सम के 8 खनन पट्टे तथा खनिज सेलेनाईट का 1 खनन पट्टा स्वीकृत है। नागौर में 2 खनन पट्टे, श्रीगंगानगर में 11 खनन पट्टे तथा जैसलमेर में 3 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। केप्टीव यूज हेतु निजी क्षेत्र में बीकानेर में 1 खनन पट्टा स्वीकृत है। संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार।

(4) खनिज जिप्सम का खनन पट्टा निजी क्षेत्र में स्वीकृत करने का वर्तमान में भी जिप्सम पॉलिसी में प्रावधान है बशर्ते कि आवेदक खनन पट्टे से उत्पादित समस्त खनिज का उपयोग अपने निजी उद्योग में करें तथा इस प्रकार से स्थापित उद्योग की लागत 10 लाख या उससे अधिक हो।

(5) जी हां। भूमि सतह के पास पाये जाने वाले खनिज जिप्सम के काश्तकारों एवं अन्य अवैध खननकर्ताओं द्वारा अवैध खनन की शिकायतें सतर्कता अनुभाग, निदेशालय में प्राप्त हुई है, जिसका विवरण एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। निदेशालय स्तर से श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों में खनिज जिप्सम के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाये गये हैं। जिसमें 2005-06 में दिनांक 26.12.2005 से 10.1.2006 तक विशेष अभियान चलाये जाकर 65 वाहनों से 2,60,750/- रुपये की शास्ति वसूली की गई है एवं 11

(खनिज मंत्री)

व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। इसी तरह वर्ष 2006-07 में दिनांक 01.06.2006 से 30.6.2006 तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 162 वाहनों को अवैध निर्गमन करते हुए पाया गया। जिनसे रुपये 7,28,850/- की वसूली की गई एवं अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, जिसके विरुद्ध पुलिस थाना तारानगर में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। अवैध खनन की रोकथाम एवं प्रभावी अंकुश बाबत मैसर्स आर.एस.एम.एम. के वित्तीय सहयोग से शासन आदेश दिनांक 19.4.2006 से खनिज जिप्सम के अवैध खनन की रोकथाम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई जिसके सार्थक परिणाम आये हैं। उक्त क्षेत्र में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही में वर्ष 2005-06 से 320 वाहनों से रु. 17.34 लाख की वसूली की गई, इसकी तुलना में वर्ष 2006-07 में माह अगस्त, 2006 तक ही 333 वाहनों से 15.63 लाख की वसूली कर ली गई है।

परिशिष्ट-अ

जिला बीकानेर में जारी खनिज जिप्सम के खनन पट्टों की क्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	एम.एल. सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	निकट ग्राम	तहसील	अवधि
(1)	3/91	सर्वश्री आर.एस.एम.डी.सी. लि.	400.00	अलादीन का बेरा	खाजूवाला	24.12.1991 से 20 वर्ष
(2)	5/93	सर्वश्री आर.एस.एम.डी.सी. लि.	163.22	कावनी	बीकानेर	29.09.1997 से 20 वर्ष
(3)	3/93	सर्वश्री आर.एस.एम.डी.सी. लि.	350.00	कुण्डल	खाजूवाला	08.05.1996 से 20 वर्ष
(4)	2/81 401/(R)	सर्वश्री आर.एस.एम.डी.सी. लि.	135.09	बज्जे	कोलायत	05.10.1981 से 20 वर्ष (नवीनीकरण आवेदित)
(5)	8/93	सर्वश्री आर.एस.एम.डी.सी. लि.	135.00	अक्कासर	गूगल	01.06.2000 से 20 वर्ष
(6)	2/92	सर्वश्री आर.एस.एम.एम. लि.	1000.00	बल्लर-I	खाजूवाला	28.08.1993 से 20 वर्ष
(7)	1/94	सर्वश्री आर.एस.एम.एम. लि.	196.87	बल्लर-II	खाजूवाला	05.08.1998 से 20 वर्ष
(8)	8/2000	सर्वश्री आर.एस.एम.एम. लि.	624.74	बबरासर	बीकानेर	03.03.2006 से 20 वर्ष
(9)	24/86 2/97 (R)	सर्वश्री आर.एस.एम.एम. लि. (सेलेनाइट)	531.00	लूणकरणसर	लूणकरणसर	01.11.1987 से 10 वर्ष (नवीनीकरण आवेदित)
(10)	5/2000	श्री विनोद विश्नोई (निजी क्षेत्र) (केप्टीव यूज)	5.00	भागू	खाजूवाला	28.08.2001 से 20 वर्ष

परिशिष्ट-ब

खनिज जिप्सम के अवैध खनन एवं निर्गमन के सम्बन्ध में सतर्कता अनुभाग में प्राप्त शिकायतों का विवरण :-

क्र. सं.	नाम शिकायत कर्ता	अवैध खनन का स्थान	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1-	श्री रामप्रसाद	जामसर	उक्त क्षेत्र में खातेदारी क्षेत्र में अवैध खनन पाया गया। जिसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु कार्यवाही कर वर्ष 2005-06 में 1.30 लाख की पेनल्टी राशि वसूली गई एवं दो मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। वर्ष 2006-07 में 14 वाहनों अवैध निर्गमन करते हुए पाये गये जिनसे 0.86 लाख की वसूली की गई है। भविष्य में खातेदारी क्षेत्र में अवैध खनन पाया जाने पर खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2-	श्री सोहनलाल	श्रीगंगानगर के विभागीय स्टाफ के बारे में।	शिकायत बेनामी एवं असत्य पाई गई। श्रीगंगानगर क्षेत्र में विभाग द्वारा समय-समय पर खनिज जिप्सम के अवैध खनन एवं निर्गमन की कार्यवाही कर 320 वाहनों से 17.34 लाख की वसूली की गई है।
3-	श्री जीवराज सिंह एवं श्री मानीक चन्द सुराना	धीरेरा स्टेशन एवं उत्तमदेसर की रोही	उक्त क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत रहे मैसर्स आर.एस.एम.एम. के पुराने खनन पट्टों जिनमें अभी भी खनिज जिप्सम मौजूद है, उनमें अवैध खनन पाया गया। उक्त अवैध खनन चोरी छिपे स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जिसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यवाही कर वर्ष 2005-06 में ही रुपये 62,000/- की पेनल्टी राशि खनिज की कीमत के रुप में वसूली गई है।

1	2	3	4
4-	श्री मांगुसिंह एवं श्री दुर्गादत जाट	पुंगल क्षेत्र एवं ग्राम धानसिया जिला श्रीगंगानगर	ग्राम धानसिया में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की जांच करने पर अवैध खनन होना पाया गया जिसका मौका पंचनामा बनाया जाकर अवैध खननकर्ता श्री रतीराम, श्री शंकरलाल महाजन, श्री धन्नेसिंह राजपूत एवं सुरजाराम ब्राहम्ण के विरुद्ध न्यायालय में ईस्तगासे दायर किये गये हैं।
5-	श्री प्रेमराज, सदस्य भारत विकास परिषद	सूरतगढ़ क्षेत्र	शिकायत की जांच करने पर बेनामी एवं द्वेशतावश मैसर्स एस.सी.आई.जी. जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के विरुद्ध करना पाई गई। उक्त क्षेत्र शिकायत में वर्णित स्थलों पर किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं पkया गया। पूर्व में वर्ष 2004 में एक स्थान किशनपुरा में अवैध खनन पाया गया था जिसका मौका पंचनामा बनाकर जाकर पेनाल्टी की राशि वसूल कर ली गई है।
6-	श्री श्रवणकुमार, अध्यक्ष आल इण्डिया	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिले में जिप्सम सतह से 3-4 फीट नीचे ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण निजी काश्तकारों एवं स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आर्थिक लाभ के लालच में अधिकांशत: अवैध खनन किया जाता है। जिसको रोकने हेतु विभाग द्वारा समस-समय पर आकस्मिक चैकिंग एवं विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन एवं निर्माण की रोकथाम के पूर्ण प्रयास किये जाते हैं। विभाग द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही से स्वयं शिकायतकर्ता भी संतुष्ट है।

1	2	3	4
7-	श्री बनवारीदास स्वामी	ग्राम निमला तह. नोहर, जिला हनुमानगढ़	शिकायत की जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। अवैध खनन कर्ता के विरुद्ध नियमानुसार मौका पंचनामा बनाया जाकर अवैध खननकर्ता को नोटिस जारी कर अवैध खनिज की कीमत वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।
8-	श्री शोपतसिंह मक्कासर पूर्व सांसद	जिला हनुमानगढ़ में जिप्सम के अवैध खनन बाबत।	हनुमानगढ़ जिले में जिप्सम प्रचुर मात्रा में सतह पर ही उपलब्ध होने से स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन कर स्थानीय फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। इसकी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर आकस्मिक चैकिंग एवं विशेष अभियान आदि चलाकर कार्यवाही की जाती है। उक्त क्षेत्र में विभाग के सहायक खनि अभियन्ता, कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 2005-06 में अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही कर 320 वाहनों से 17.34 लाख की वसूली की गई एवं छः मामलों में मौका पंचनामा बनाया जाकर न्यायालय में ईस्तगासे भी दायर किये गये हैं।

अधीक्षण खान अभियन्ता (सतर्कता)

विदेश भेजने के नाम पर दर्ज ठगी प्रकरण

239. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2005 से अब तक विदेश भेजने के नाम पर (कबूतरबाजी) ठग रहे व्यक्तियों/एजेन्टों के विरुद्ध कितने अभियोग दर्ज किये गये ? उक्त में से कितने अभियोगों में चालान व एफ.आई.आर. पेश किये गये तथा कितने प्रकरण लम्बित हैं ?

(2) उक्त अभियोगों में एफ.आर. लगाने तथा मामले को लम्बित रखने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामलों में चालान प्रस्तुती के बाद माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णयान्तर्गत कितने आरोपियों को न्यायालय द्वारा किस आधार पर बरी किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बरी आरोपियों के कितने मामलों में सरकार द्वारा उच्चस्तरीय न्यायालय में अपील की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में वर्ष 2005 से अब तक कुल 331 मुकदमें दर्ज हुए हैं जिनमें से 146 मुकदमों में चालान तथा 145 ही मुकदमों में एफ.आर. पेश की गई है तथा 40 मुकदमें और तफ्तीश पैण्डिंग है।

(2) उक्त अभियोगों में एफ.आर. अदम वकूआ झूठा तथा सिविल नेचर व फौतगी मुल्जिम की वजह से दी गई है तथा लम्बित रखने का कारण अन्वेषण कार्य जारी रहना है। एफ.आर. लगाने तथा मामले को लम्बित रखने का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) सभी प्रकरण जिनमें चालान प्रस्तुत हो गया वे अभी न्यायालय में विचाराधीन है। किसी भी मामले में अभी तक न्यायालय का फैसला नहीं हुआ है।

(4) चूंकि किसी भी प्रकरण में अभी तक ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है अत: अपील का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बारां जिले के बीड़ी श्रमिकों हेतु आवास सुविधा

240. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में बीड़ी श्रमिकों को आवास सुविधा हेतु पिछले तीन वर्ष में कितने आवेदन प्राप्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा कितने आवेदकों से कितनी-कितनी राशि किस-किस तारीख को जमा करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को आवास सुविधा किन कारणों से उपलब्ध नहीं कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में बीड़ी श्रमिकों को आवास सुविधा हेतु पिछले तीन 3 वर्षों में कुल 481 आवेदन पत्र प्राप्त हुये। परिशिष्ट- ''अ'' संलग्न है।

(2) आवेदकों में से कुल 148 आवेदकों द्वारा विभिन्न तिथियों पर रुपये 5000/- प्रत्येक द्वारा जमा करवाये गये। विवरण परिशिष्ट-''ब'' संलग्न है।

(3) आवेदकों द्वारा आवेदनों में औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं किए जाने के कारण आवास सुविधाऐं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितताएं

241. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में गत तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के स्वीकृत किये गए ? स्वीकृत कार्यों में कौन से कार्य पूर्ण तथा कौन-कौन से अपूर्ण रहे ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा ? वर्षवार व ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायत रलावता में विकास कार्यों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की शिकायतें किस व्यक्ति के विरुद्ध ? शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत रलावता में अनियमितताओं की जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की गई ? क्या जांच पूर्ण कर ली गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जांच रिपोर्ट में किस-किस व्यक्ति को दोषी पाया गया ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में गत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। स्वीकृत कार्यों में से 100 कार्य अपूर्ण हैं, जिनको शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा।

(2) उक्त वर्षों में विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितता की प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। शिकायत की प्रतियां परिशिष्ट-स पर उपलब्ध हैं।

(4) जी हां। अनियमितताओं की जांच उप खण्ड अधिकारी द्वारा सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं तहसीलदार से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा सहायक परियोजना अधिकारी (अभि.) से तथा आयुक्त, पंचायतीराज विभाग द्वारा विभागीय जांच दल से जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(5) जांच रिपोर्ट में श्रीमती बिमला देवी चौधरी, सरपंच, श्री रणधीर सिंह भाटी, सचिव, श्री नारायण सिंह, कनिष्ठ अभियंता तथा श्री निहाल सिंह, कनिष्ठ अभियंता से राशि 24,688/- रु. वसूल करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। सरपंच को आरोप पत्र दिया गया है, जिसका जवाब भी प्राप्त हो गया है। प्रकरण वर्तमान में विस्तृत जांच हेतु प्रक्रियाधीन है।

परबतसर में बस स्टैण्ड का निर्माण

242. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजस्थान में कितने नये बस स्टैण्डों का निर्माण करवाया गया ? उनमें से प्रत्येक हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जिला नागौर में कितने नये बस स्टैण्डों का निर्माण करवाया गया और उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में किसी नये बस स्टैण्ड निर्माण का शिलान्यास किया गया है ? यदि हां, तो क्या उसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजस्थान में कराये गये नये बस स्टैण्डों का निर्माण/स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम बस स्टैण्ड	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	बस स्टैण्ड धौलपुर	12.00
2.	बस स्टैण्ड झालावाड़	82.00
3.	बस स्टैण्ड आबूरोड	32.25
4.	बस स्टैण्ड नीमकाथाना	16.50
5.	बस स्टैण्ड नागौर (निर्माण कार्य प्रगति पर है)	90.00

(2) जिला नागौर में जिला मुख्यालय पर बस टर्मिनल का ही निर्माण कार्य राजस्थान परिवहन निगम द्वारा कराया जा रहा है, निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा अब तक इस कार्य हेतु 90.00 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध 83.39 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम के पास परबतसर में बस स्टैण्ड हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

औद्योगिक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियमान्तर्गत रसायनों का भण्डारण

243. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कुछ शहरों को प्रदूषण की दृष्टि से दूषित शहरों के रुप में चिन्हित किया गया है। यदि हां, तो किस-किस शहर को तथा किस कारण ? इसके निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) औद्योगिक कारणों से राज्य में किस-किस जगह वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण हो गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खतरनाक रसायनों का उपयोग करने वाले उद्योगों द्वारा पर्याप्त जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न अपनाने अथवा खतरनाक रसायनों के सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की पालना नहीं किया जाना भी प्रदूषण समस्या के मुख्य कारणों में से एक है ? यदि हां, तो क्यों तथा ऐसे उद्योगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? जनवरी, 2004 से अब तक की अवधि में की गई कार्यवाही के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में औद्योगिक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम के अन्तर्गत रसायनों की निर्धारित मात्रा से अधिक भण्डारण करने वाले कितने कारखाने हैं ? क्या उनके विरुद्ध उक्त अवधि में व्यापक कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसे उद्योगों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पाली तथा जोधपुर को प्रदूषण की दृष्टि से समयाग्रस्त क्षेत्रों के रुप में चिन्हित किया है।

पाली में लघु वस्त्र उद्योगों से जनित प्रदूषित उच्छिष्ठ को अनुपचारित/आंशिक उपचारित निस्त्रावित करने के कारण जल प्रदूषण की दृष्टि से चिन्हित किया है। जोधपुर में लघु वस्त्र/स्टील री-रोलिंग उद्योगों से जनित प्रदूषित उच्छिष्ट को अनुपचारित/आंशिक उपचारित निस्त्रावित करने के कारण जल प्रदूषण की दृष्टि से चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक धूल (नेचुरल डस्ट) के कारण जोधपुर शहर की परिवेशीय वायु में निलम्बित विविक्त कण (सस्पेंडेड पार्टिकूलेट मैटर) एवं श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण (रेसिपरेबल संस्पेंडेड पार्टिकूलेट मैटर) की मात्रा मानकों से अधिक होने के कारण गैर लाभप्रद शहर (नान अटेनेबल सिटी) की दृष्टि से चिन्हित किया गया है।

(पर्यावरण मंत्री)

पाली में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु तीन संयुक्त उचपार संयंत्र स्थापित किये है। इन संयंत्रों के तकनीकी उन्न्यन का कार्य, लगभग 8.283 करोड़ की लागत से दिनांक 12.12.2005 से आरम्भ किया जा चुका है तथा इसके 31.3.2007 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। गैर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत जल प्रदूषक उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने हेतु नये औद्योगिक क्षेत्र का विकास रीको लि. द्वारा पुनायता ग्राम के निकट किया जा रहा है। औद्योगिक उच्छिष्ट को संयुक्त उपचार संयंत्र तक पहुंचाने के लिए प्रमुख नालों का निर्माण किया जा चुका है, शेष नालों को पक्के करने का कार्य प्रगति पर है।

जोधपुर में औद्योगिक जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक संयुक्त उपचार संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र के तकनीकी उन्नयन हेतु लभगभ 3.51 करोड़ की प्रस्तावित कार्ययोजना पर कार्यवाही की जा रही है। स्टील री-रोलिंग उद्योगों से जनित तेजाबी उच्छिष्ट को संयुक्त उपचार संयंत्र तक लाने के लिए पृथक से बन्द एच.डी.पी.ई. पाइप लाइन की व्यवस्था की गई है।

जोधपुर शहर की परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्न कार्यवाही की गई हैं :-

1. औद्योगिक वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु राज्य मण्डल द्वारा सभी वायु प्रदूषक उद्योगों को पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के लिए बाध्य किया गया है ताकि उज्सर्जित वायु में प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप रह सके।

2. जोधपुर स्थित उद्योगों में कोयले के स्थान पर द्रव ईंधन, यथा-लो डेनसिटी आयल, फर्नेस ऑयल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना।

3. जोधपुर शहर की परिवेशीय वायु की गुणवत्ता के सुधार हेतु एक अन्तर्विभागीय समिति का गठन सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में किया है। इस समिति का कार्य एनवायरमेंट पोल्यूशन (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल) आथरिटी (ई.पी.सी.ए.) द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार वाहन जनित प्रदूषण एवं शहरीकरण से सम्भावित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना के तैयार कर क्रियान्वित कराना है।

4. शहर के चिन्हित केन्द्रों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जोधपुर शहर की परिवेशीय वायु (एम्बियन्ट एयर) की गुणवत्ता का अनुश्रवण (मोनिटरिंग) छः चिन्हित केन्दों पर किया जा रहा है।

(पर्यावरण मंत्री)

5. जैव चिकित्सा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के अव्यवस्थित निस्तारण के कारण सम्भावित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वर्मी कम्पोस्ट प्लान्ट/मैकेनिकल कम्पोस्ट प्लान्ट का विकास।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राज्य में जोधपुर एवं पाली को ही प्रदूषण की दृष्टि से समस्याग्रस्त क्षेत्रों के रुप में चिन्हित किया है।

(3) जी हां। यह सही है कि खतरनाक रसायनों का उपयोग करने वाले उद्योगों द्वारा पर्याप्त जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न अपनाने अथवा खतरनाक रसायनों के सुरक्षा सम्बन्धित नियमों की पालना नहीं किये जाने से प्रदूषण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य में खतरनाक रसायनों का उपयोग करने वाले कारखानों का समय-समय पर कारखानों एवं बायलरस् विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाकर कारखाना अधिनियम 1948 की अनुपालना करवाई जाती है।

कारखाना एवं बायलरस् विभाग ने उपरोक्त शहर जोधपुर एवं पाली में वर्ष 2004 से अब तक कानूनी कार्यवाही के तहत न्यायालय में निम्न उद्योगों के विरुद्ध अभियोग दायर किये हैं :-

1. मै. पाल इण्डस्ट्रीज, जोधपुर
2. मै. पाल आइस फैक्ट्री, जोधपुर
3. मै. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि., जोधपुर
4. मै. जुपिटर इण्डस्ट्रीज, जोधपुर
5. मै. जयको इण्डस्ट्रीज, जोधपुर
6. मै. मनीधारी टेक्सटाईल, पाली

(4) प्रदेश में औद्योगिक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण निमय के अन्तर्गत रसायनों की निर्धारित मात्रा से अधिक भण्डारण करने वाले 118 कारखाने हैं। उक्त कारखानों के समय-समय पर नियमानुसार निरीक्षण किये जाते हैं। संतोषजनक अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाती है। उद्योगों की सूची परिशिष्ट 'I' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर सम्भाग में मादक पदार्थों के दर्ज प्रकरण

244. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सम्भाग में नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्टेन्सीज एक्ट (एन.डी.पी.एस.) के तहत मुकदमें दर्ज किये गये है ? यदि हां, तो गत तीन वर्ष में जोधपुर सम्भाग में कुल कितने मुकदमें किस-किस पुलिस स्टेशन पर कब-कब दर्ज किये गये ? इनमें से अनुसंधान के पश्चात कितने मामले झूठे पाये गये, कितने मामलों में एफ.आर. लगाई गई ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में गिरफ्तारी के पश्चात सी.आर. पी.सी. की धारा 169 के तहत रिहाई की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) झूठे प्रकरण बनाने वाले व गलत गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में जोधपुर सम्भाग में कुल 329 अभियोग पंजीबद्ध हुए है। इनमें से कोई भी प्रकरण झूठा नहीं पाया गया। थानेवार/ वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

इनमें से 16 प्रकरणों में एफआर दी गई है। जिनमें से 11 में एफआर अदम पता, 2 में तथ्यों की भूल व 3 प्रकरणों में साक्ष्य के अभाव में एफ.आर. दी गई है।

(2) पिछले तीन वर्षों में दर्ज प्रकरणों में से 4 प्रकरणों में 169 सीआरपीसी के अन्तर्गत रिहाई दी गई।

जिला जालौर के थाना बागरा में अभियोग संख्या 106/05 व 28/06 तथा थाना रानीवाड़ा के अभियोग संख्या 99/06 में विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा मोरफीन की निर्धारित मात्रा नहीं पाये जाने के साक्ष्य के अभाव में रिहाई दी गई।

जिला बाड़मेर के थाना धोरीमन्ना के अभियोग संख्या 51/05 में प्रार्थी द्वारा होश में आने पर दिये गये बयानों व साक्ष्य के आधार पर भूलवश मुल्जिम का नाम लिखवाया जाना पाये जाने के फलस्वरूप 169 सीआरपीसी की रिहाई दी गई।

(गृह मंत्री)

(3) आलोच्य अवधि में झूठे प्रकरण बनाने व गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों बाबत जोधपुर सम्भाग में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

परिशिष्ट ''अ''

जोधपुर सम्भाग में (एनडीपीएस एक्ट) के अन्तर्गत दर्ज अभियोग

नाम जिला	थाना	वर्ष		
		2004	2005	2005
1	2	3	4	5
जोधपुर शहर	महामन्दिर	1	-	-
	सदर कोतवाली	1	-	6
	सरदार शहर	1	-	-
	शास्त्री नगर	1	-	2
	बासनी	3	-	3
	उदयमन्दिर	-	1	-
	सदर बाजार	-	1	-
	योग	**7**	**2**	**11**
जोधपुर ग्रामीण	ओसियां	3	5	6
	जाम्बा	2	-	-
	बलेसर	1	-	1
	खेडप्पा	1	2	3
	भोपालगढ़	1	-	-
	डांगियावास	1	1	1
	मथानिया	1	2	2
	फलौदी	1	-	1
	बिलाड़ा	1	-	1

1	2	3	4	5
जोधपुर ग्रामीण	झवर	-	2	-
	लोहावट	-	-	1
	भोजासर	-	1	3
	लूणी	-	2	-
	डेचू	-	-	1
	बाप	-	1	-
	पीपाडशहर	-	1	-
	योग	**12**	**17**	**20**
पाली	कोतवाली	2	6	3
	सदर	2	4	4
	रोहट	1	5	2
	गुडाऐंदला	1	3	-
	साडेराव	1	1	2
	फालना	1	-	-
	रानी	1	-	-
	सादड़ी	2	-	-
	देसूरी	5	2	1
	खिवाड़ा	1	1	1
	मा. जक्शन	1	1	-
	जैतारण	2	2	2
	रायपुर	5	1	2
	कालू	1	-	-
	सदेड़ा	2	-	-

1	2	3	4	5
पाली	औद्योगिक क्षेत्र	-	1	1
	नाना	-	1	-
	बाली	-	1	-
	सोजत सिटी	-	1	1
	सोजत रोड़	-	1	-
	बागड़ी	-	1	-
	शिवपुरा	-	1	-
	तखतगढ़	-	-	1
	योग	**28**	**33**	**20**
जालौर	आहौर	3	2	4
	नौसरा	1	1	3
	झाब	1	2	-
	रानीवाड़ा	1	1	1
	चितलवाना	1	4	-
	सरवाना	1	4	2
	जालौर	1	2	3
	सायला	-	4	2
	भीनलवाल	-	2	3
	जसवन्तपुरा	-	1	-
	सांचौर	-	2	7
	करडा	-	4	5
	बागुटा	-	3	3
	बगोडा	-	1	-

1	2	3	4	5
जालौर	मोदरा	-	-	2
	योग	**9**	**33**	**35**
बाड़मेर	चौहटन	3	-	1
	गिड़ा	1	-	-
	गुडामालानी	3	1	-
	सिवाना	3	1	1
	बायतू	3	6	2
	बालोतरा	4	1	2
	शिव	1	1	1
	धोरमना	1	4	2
	सदर	1	1	-
	समदड़ी	1	1	1
	मंडली	-	3	-
	कल्याणपुर	-	4	3
	सदर	-	2	4
	सिणधरी	-	1	2
	रामसर	-	1	2
	गडरारोड	-	1	-
	योग	**21**	**28**	**21**
सिरोही	आबूपर्वत	1	-	-
	पिडवाड़ा	1	6	1
	मन्डार	1	1	1
	पालडीएम	-	3	1

1	2	3	4	5
सिरोही	सरूपगंज	-	1	-
	आबूरोड़	-	1	-
	रोहिड़ा	-	1	-
	सिरोही	-	2	1
	अनादरा	-	1	2
	बरलूट	-	-	1
	योग	**3**	**16**	**7**
जैसलमेर	मोहनगढ़	1	-	-
	पोकरण	1	-	-
	फलसूड	-	1	1
	सम	-	1	-
	नाचना	-	-	1
	योग	**2**	**2**	**2**
	महायोग	**82**	**131**	**116**

बंजर भूमि विकास निगम द्वारा निजी संस्थानों को आबंटित भूमि

245. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वेस्ट लैण्ड डवलपमेन्ट कारपोरेशन/बोर्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो कब व किस प्रयोजन से ?

(2) कारपोरेशन/बोर्ड द्वारा राज्य में कहां-कहां कितना क्षेत्र चिन्हित किया गया है ? जिलेवार, पंचायतवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिन्हित क्षेत्र या बंजर भूमि (वेस्ट लैण्ड) से किस-किस संस्थान/निजी/कम्पनी व अन्य किसी को कहां-कहां कितना क्षेत्र किन शर्तों पर आबंटित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(4) वर्तमान में उक्त आबंटित क्षेत्र की स्थिति या उपयोग का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

फागी में निगम बस सेवाएं

246. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कौन-कौनसी बसें कहां-कहां व किस-किस डिपो की संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त क्षेत्र में निगम की कौन-कौनसी बस सेवाओं को बन्द किया गया व इन्हें बन्द करने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस सेवाओं को बंद किये जाने से आम जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द बस सेवाओं को पुन: संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) में निगम द्वारा जिन-जिन मार्गों पर निगम बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है उनकी आगारवार सूची परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन-जिन मार्गों की बस सेवाओं का संचालन बन्द किया गया है उनक आगार सूची परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है। बन्द करने का कारण मार्ग के सामने अंकितानुसार है।

(3) जी नहीं। इस क्षेत्र में निगम की पर्याप्त संख्या में बस सेवायें उपलब्ध हो रही हैं, अत: यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। कम

(यातायात मंत्री)

आय के कारण बन्द की गई बस सेवाओं के पुन: संचालन किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) वर्तमान में निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का आगारवार विवरण

क्र.सं.	संचालित आगार	मार्ग का नाम	संचालित एकल परिचक्र
1	2	3	4
1.	वैशाली नगर	1. जयपुर-बांसवाड़ा	2
		2. जयपुर-उदयपुर	4
		3. जयपुर-लसाडिया	2
		4. जयपुर-बड़ी सादड़ी	2
		5. जयपुर-सांवरिया जी	2
		6. जयपुर-भीलवाड़ा	6
		7. जयपुर-पाली	2
		8. जयपुर-माण्डलगढ़	2
		9. जयपुर-काछोला	2
		10. जयपुर-ब्यावर	4
		11. जयपुर-केकड़ी	18
		12. जयपुर-मालपुरा	15
		13. जयपुर-टोडारायसिंह	4
		14. जयपुर-कोटड़ा	2
		15. जयपुर-बीसलपुर	2
		16. जयपुर-कठमाणा	2
		17. महरूकला-जयपुर	1
		18. जयपुर-विजयनगर	3
		19. जयपुर-कुराड़	2

1	2	3	4
	वैशाली नगर	20. देवगांव-जयपुर	1
		21. जयपुर-शाहपुरा	10
		22. जयपुर-बारोल	2
		23. जयपुर-हिसामपुर	2
		24. जयपुर-वीजवाड़	2
		25. जयपुर-बधेरा	2
		26. जयपुर-बारोडा	2
		27. जयपुर-बीची	2
		28. जयपुर-चौरू	2
		29. जयपुर-डिग्गी	2
		30. जयपुर-देवमण्ड	1
		31. सांगानेर-देवमण्ड	5
		32. जयपुर-पीपला	1
		33. सांगानेर-पीपला	5
		34. सांगानेर-लदाना	2
		35. सांगानेर-मालपुरा	1
		36. लालनिवास-तामडिया	8
		37. लालनिवास-पदमपुरा	2
		38. लालनिवास-मित्रपुरा	4
		39. लालनिवास-डिडावता	4
		40. कोथून-लालसोट	4
		41. जयपुर-लालसोट	8
		42. जयपुर-सवाईमाधोपुर	8
		43. जयपुर-बोली	8
		44. जयपुर-वनस्थली	12
		45. जयपुर-गंगापुर	2

1	2	3	4
2.	सांगानेर	46. अजमेरीगेट-तितरिया	28
		47. अजमेरीगेट-मानसर	2
		48. अजमेरीगेट-कुम्हारियावास	4
		49. अजमेरीगेट-देवकिशनपुरा	4
		50. अजमेरीगेट-भोज्याड़ा	6
		51. अजमेरीगेट-थली करेडा	14
3.	झालाना डूंगरी	52. लालनिवास-कोटखावदा	18
4.	दौसा	53. दौसा-डिग्गी मालपुरा वाया चाकसू-फागी	2
5.	टौंक	54. केकड़ी-देहली	1
		55. देहली-केकड़ी	1
		56. टोडारायसिंह-जयपुर	1
		57. जयपुर-टोडारायसिंह	1
		58. टौंक-देहली	2
		59. देहली-कोटा	1
		60. देहली-उदयपुर	1
		61. टौंक-फरीदाबाद	3
		62. फरीदाबाद-उदयपुर	1
		63. नैनवां-फर्रूखाबाद	1
		64. फर्रूखाबाद-टौंक	1
		65. टौंक-अलीगढ़	1
		66. अलीगढ़-कोटा	1
		67. कोटा-फिरोजाबाद	1
		68. फिरोजाबाद-टौंक	1
		69. जयपुर-भोपाल	4

1	2	3	4
5.	टौंक	70. जयपुर-कोटा	2
		71. जयपुर-निम्बाहेड़ा	2
		72. नैनवां-जयपुर	3
		73. टौंक-जयपुर	41
		74. बनेठा-जयपुर	1
		75. बून्दी-जयपुर	1
		76. जयपुर-झाडोदा	1
		77. जयपुर-सारसोप	1
		78. जयपुर-वनस्थली	2
6.	बारां	79. बारां-दिल्ली	4
		80. बारां-जयपुर	4
		81. बारां-अलवर	2
7.	बून्दी	82. इन्दौर-जयपुर	1
		83. कोटा-दिल्ली	6
		84. कोटा-गोवर्धन	2
		85. कोटा-जयपुर	5
		86. बून्दी-जयपुर	5
8.	कोटा	87. कोटा-दिल्ली	8
		88. कोटा-चण्डीगढ़	2
		89. कोटा-देहरादून	2
		90. कोटा-जयपुर	12
		91. कोटा-पिलानी	2
9.	झालावाड़	92. पाटन-दिल्ली	2
		93. दिल्ली-झालावाड़	5
		94. इकलेरा-दिल्ली	1
		95. मनोहरथाना-जयपुर	1

1	2	3	4
9.	झालावाड़	96. झालावाड़-जयपुर	6
		97. पाटन-अलवर	2
		98. जयपुर-इकलेरा	4
		99. पाटन-जयपुर	3
10.	जयपुर	100. जयपुर-इन्दौर	6
		101. जयपुर-भोपाल	2
		102. जयपुर-सवाईमाधोपुर	2
		103. जयपुर-छबड़ा	4
11.	अलवर	104. अलवर-टौंक	2
12.	मत्स्य नगर	105. अलवर-चांदखेड़ी	2
		106. अलवर-टोंक	2
13.	हनुमानगढ़	107. हनुमानगढ़-टौंक	2
14.	चूरू	108. चूरू-ओंकारेश्वर	2
		109. चूरू-कोटा	2
15.	गंगानगर	110. गंगानगर-कोटा	4
16.	सीकर	111. चूरू-कोटा	2
17.	हिण्डौन	112. चांदखेड़ी-हिण्डौन	2
18.	चित्तौड़गढ़	113. चित्तौड़-जयपुर वाया बेगूं-देवली	2
19.	खेतड़ी	114. खेतड़ी-सिंघाना-रावतभाटा	4
20.	डीलक्स	115. जयपुर-कोटा	10
		116. जयपुर-छबड़ा	2
		117. जयपुर-पाटन	2
21.	अनूपगढ़	118. गंगानगर-कोटा	1
		119. कोटा-अनुपगढ़	1
22.	झुन्झुनूं	120. झुन्झुनू-कोटा	2
23.	ब्यावर	121. जयपुर-ब्यावर वाया फागी	2
24.	उदयपुर	122. जयपुर-उदयपुर वाया केकडी-फागी	2

परिशिष्ट-2

गत तीन वर्षों में आगारवार बन्द की गई बस सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	संचालित आगार	मार्ग का नाम	परिचक्रों की संख्या
1.	वैशाली नगर	1. सांगानेर-खिजूरिया	1 कम आय के कारण
		2. खिजूरिया-जयपुर	1 कम आय के कारण
		3. सांगानेर-जयपालपुरा	1 कम आय के कारण
		4. जयपालपुरा-जयपुर	1 कम आय के कारण
		5. जयपुर-राहोली	1 कम आय के कारण

बयोतक होदी एनीकट का ऊंचाई प्रकरण

247. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रतापगढ़ में स्थित बयोतक होदी एनीकट का निर्माण करवाया गया था, जो वर्तमान में मरम्मत के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने व मरम्मत का कार्य करवाने हेतु सिंचाई विभाग ने वन विभाग से अनुमति मांगी है? क्या वन विभाग द्वारा लगातार टालमटोल की नीति अपनाते हुये आदेश प्रदान नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने व मरम्मत करवाने हेतु अनुमति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है। जल संसाधन विभाग को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है जो उक्त विभाग से प्राप्त होना अपेक्षित है।

(वन मंत्री)

(3) जल संसाधन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा

248. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से कितने क्षेत्रफल में फसलों को नुकसान हुआ है ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ?

(3) क्या ओलावृष्टि से नष्ट फसलों के लिये सभी प्रकार के किसानों को मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के लिये अलग से विशेष राहत देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर 12 व 28 फरवरी, 2007 एवं हनुमानगढ़ में 10 व 12 एवं 13 फरवरी, 2007 को हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुये नुकसान का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :-

नाम जिला/तहसील	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
श्रीगंगानगर :-	
तह. श्रीगंगानगर	3275.712
तह. सादुलपुर	3870.000
तह. पदमपुर	965.455
तह. रायसिंहनगर	198.179
हनुमानगढ़ :-	
तह. पीलीबंगा	5479.000
तह. संगरिया	1653.000
तह. भादरा	844.529
तह. हनुमानगढ़	627.000

(सहायता मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। क्योंकि सी.आर.एफ. से ओलावृष्टि से नष्ट फसलों के लिए मुआवजा देय नहीं है। सी.आर.एफ. नार्मस के अनुसार सभी प्रकार के प्रभावित किसानों को 2 हैक्टेयर की सीमा तक कृषि आदान अनुदान दिया जा रहा है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सी.आर.एफ. नार्मस के अनुसार दिये जाने वाले कृषि आदान अनुदान के अलावा राहत पैकेज दे दिया गया है।

टोंक जिले की स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

249. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला टोंक में गत 3 वर्षों में ग्रामीण विकास विभाग एवं डी.पी.आई.पी. के माध्यम से किस-किस स्वयंसेवी संस्था को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं में गत तीन वर्षों में किस-किस संस्था के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों की जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई और जांच के उपरांत किन संस्थाओं को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन संस्थाओं को स्वीकृत की गई राशि व उनके द्वारा किये गये कार्य का आडिट कराया जाता है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस संस्था द्वारा किये गये कार्यों का आडिट कराया गया और उनमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला टोंक में गत तीन वर्षों में जिला परिषद (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) एवं डीपीआईपी के माध्यम से विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त संस्थाओं में गत तीन वर्षों में दो संस्थाओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितता की चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

प्राप्त शिकायतों की जांच उप खण्ड अधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक एवं महाप्रबन्धक (वित्त) द्वारा की गई हैं।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

जांच के उपरांत गैर सरकारी संस्था-जी.वी.एस.टी.के. पचेवर (मालपुरा) दोषी पाई गई है। संस्था के विरुद्ध थाना मालपुरा में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है।

मरुधरा संस्था के विरुद्ध अनियमितता की जांच का प्रकरण निर्णयार्थ प्रक्रिया में है।

प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में की गई जांच का विवरण मय जांच अधिकारी परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'अ'

टोंक जिले में ग्रामीण विकास विभाग तथा डीपीआईपी द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को स्वीकृत राशि का विवरण

1. डीपीआईपी -

क्र.सं.	एन.जी.ओ. का नाम	टास्क का भुगतान
1	2	3
1.	एडवान्टेज इंडिया	1539986
2.	एडवान्टेज इंडिया, टोडा	21875
3.	एम.आर. मोरारका फाउण्डेशन	166440
4.	एस.आर. सोसायटी	420056
5.	आर.सी.डी.एफ.	829384
6.	जनसेवा खादी ग्रामोद्योग समिति	387181
7.	आई.आई.आर.एम.	427530
8.	ग्राम चेतना केन्द्र	449414
9.	जी.वी.एस.टी.के. पचेवर	361951
10.	जी.वी.एस.बी.एन.	374583
11.	जी.वी.एन.एम.एल.	941291
12.	श्री देवनारायण ग्राम विकास संस्था	253457
13.	श्री लक्ष्मीनाथजी विकास एवं प्रशिक्षण	451435

1	2	3
14.	सृजन	535587
15.	सिकोईडिकोन	1539014
16.	मरूधरा अकादमी, निवाई एवं उनियारा	776628
17.	आर.सी.सी.आई.	621077
18.	अग्रास	93558
19.	शिव शिक्षा समिति	481375
20.	बायफ	1230958
	योग	**11902780**

2. जिला परिषद (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ)- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2006 तक स्वीकृत राशि का विवरण :-

1. शिवा प्रशिक्षण संस्था, टोंक- 22,000/- रुपये
2. शिव शंकर सेवा संस्थान, नया टीला- 6,900/- रुपये
3. फ्रेंड आर्गनाइजेशन फार रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट सोसायटी, टोंक- 2760/- रुपये
4. ज्योजि जनसेवा खादी ग्रामोद्योग विकास प्रशिक्षण संस्थान, टोक- 3900/- रु.
5. न्यू टेलर्स औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टोडारायसिंह- 3540/- रुपये
6. बायफ रिसर्च डवलपमेन्ट फाउन्डेशन- 17,80,246/- रुपये

परिशिष्ट–'ब'

प्राप्त शिकायतों का जांच विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत का विवरण	जांच अधिकारी का नाम	जांच का परिणाम	जांच में दोषी पाये जाने पर की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	जी.वी.एस.टी.के. पचेवर, मालपुरा	ग्रामीण विकास शोध एवं तकनीकी केन्द्र पचेवर मालपुरा के सचिव द्वारा राजकीय राशि का धोखाधड़ी से गबन करने बाबत	जिला परियोजना प्रबन्धक डीपीआईपी टोंक	जांच में दोषी पाए गए	थाना मालपुरा के पत्र क्रमांक 648-2 दिनांक 27.4.05 को प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन
2.	मरूधरा अकादमी, निवाई	1. संस्था मरुधरा अकादमी निवाई द्वारा डीपीआईपी योजनान्तर्गत संसाधन नहीं दिला कर फर्जी उपयोगिता प्रमाण-पत्र डीपीएमयू टोंक में पेश कर भुगतान उठाया है।	एस.डी.एम. निवाई	शिकायत झूठी पाई गई	एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार संस्था दोषी नहीं पाई गई एवं समूहों के पास उपपरियोजना मद की सम्पति मौजूद पायी गई

1	2	3	4	5	5
		2. मरूधरा अकादमी निवाई द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाई गई गरीब परिवारों के व्यक्तियों के लिए डीपीआईपी योजना में धोखाधड़ी करने बाबत	एस.डी.एम. निवाई	शिकायत झूठी पाई गई	एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार संस्था दोषी नहीं पाई गई
		3. गैर सरकारी संस्था के विरुद्ध अनियमितता की जांच	महाप्रबंधक (वित्त)	किसानों को फसल में हुई नुकसान की गणना हेतु तहसीलदार से खसरा गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।	खसरा गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा प्रकरण निर्णयार्थ प्रक्रिया में है।

बाड़मेर जिले के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास

250. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह ब ताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले के मलवा व कवास में वर्ष 2006 में आई बाढ़ में कितनी जन व पशु हानि हुई ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को किस-किस प्रकार की कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा बाढ़ के पानी की निकासी के लिए क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त स्थानों पर सहायता व पुनर्वास के कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये गये और उस राशि से किस प्रकार की सहायता पहुंचाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्थानों पर वर्तमान में कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं तथा भविष्य में उक्त बाढ़ पीड़ितों की सहायता व पुनर्वास के लिए सरकार और क्या कार्य या सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह अगस्त, 2006 में आई बाढ़ से बाड़मेर जिले के मलवा में 36 जन हानि व 1514 पशु हानि हुई। कवास में 48 जन हानि व 3199 पशु हानि हुई।

(2) सरकार द्वारा बाढ़ से प्रत्येक मृतक के वारिश को 50,000 रुपये एवं बाढ़ प्रभावित प्रति परिवार हेतु भोजन हेतु 500 रुपये व वस्त्र हेतु 500 रुपये दिये गये। सी.आर.एफ. नार्मस के अनुसार बाढ़ से पक्के मकान के पूर्णरूप से ध्वस्त होने पर 10,000 रुपये प्रति मकान व कच्चे मकान के पूर्णरूप से ध्वस्त होने पर 6,000 रुपये प्रति मकान, पक्के मकान के गम्भीर रुप से क्षतिगस्त होने पर 2,000 रुपये प्रति मकान व कच्चे मकान के गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 1,200 रुपये एवं कच्चे व पक्के आंशिक क्षतिगस्त मकानों के लिए 800 रुपये दिया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लघु सीमान्त एवं खेतीहर मजदूरों के दुधारु पशुओं हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम

(सहायता मंत्री)

स्वरोजगार के अन्तर्गत अनुदान के मापदण्ड के अनुसार सहायता दी गई है। बाढ़ प्रभावित कृषि भूमि नष्ट होने पर 1,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रति परिवार, अधिकतम 2,000 रुपये की सीमा तक राशि वितरित की गई है। इसके साथ ही लोक कलाकारों एवं कातिन बुनकरों के परिवारों को 2,000 रुपये प्रति परिवार सहायता दी गई है।

क्र.सं.	मद जिनमें राशि दी गई	राशि लाखों में
1.	मृतकों के आश्रितों को	53.00
2.	भोजन व वस्त्रों हेतु	132.00
3.	क्षतिग्रस्त मकानों के लिए	1504.05
4.	पशु क्षति	30.06
5.	कृषि आदान अनुदान	1430.80
6.	कातिन बुनकरों को	38.96
7.	लोक कलाकारों को	32.82

(3) कवास क्षेत्र के पानी निकासी के लिए नया भूरटिया एवं ठरडियों की ढ़ाणी दो स्थानों पर 22 पम्प लगाये गये थे, उक्त पम्पों के द्वारा नहर के माध्यम से जल निकासी की गई। अस्थाई हाईडैन्ट लगाकर 30.10.06 से रेलवे के 72 वैगनों के माध्यम से 19 फैरे कर जल निकासी की गई।

मलवा का पानी निकालने के लिए गिरल लिग्नाईट के 5.5 हार्स पावर क्षमता के दो पम्प एवं 30 हॉर्स पावर क्षमता के 2 पम्प जल संसाधन विभाग के तथा 10 हॉर्स पावर के 3 पम्प जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के राउन्ड दी ब्लाक चल रहे हैं। इनसे अनुमानित 2 एम.सी. फीट जल निकासी हो रही है।

(4) राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों के अस्थाई पुनर्वास के लिए 14 स्थानों के लिए अस्थाई शिविर स्थापित किये गये। उक्त कैम्पों पर 2150 आर्मी के टैन्ट स्थापित किये गये इन अस्थाई शिविरों में स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

स्थाई पुनर्वास हेतु 1500 मकानों का चयन किया गया। 100 मकान आवास विकास संस्थान एवं 353 मकान आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे हैं। स्वयंसेवी संस्था डेरा सच्चा सौदा द्वारा 28 परिवारों को मकान व भारत

(सहायता मंत्री)

विकास परिषद द्वारा 34 मकान एवं महावीर इन्टरनेशनल द्वारा 500 मकान बनाये जा रहे हैं। लाईन्स क्लब द्वारा 100 मकान मलवा में बनाये जा रहे हैं।

(5) उक्त स्थानों पर वर्तमान में अकाल राहत के अन्तर्गत कच्चे कार्य कराये जा रहें है। बाढ़ पीड़ितों को सी.आर.एफ. नॉमर्स के अनुसार सहायता उपलब्ध करा दी गई है।

बूंदी जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आबंटित गेहूं

251. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी जिले को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से माह दिसम्बर, 2006 तक कब-कब कितना-कितना गेहूं का आबंटन किया गया ? वर्ष वार आबंटन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा किये गये उक्त आबंटन के विरुद्ध जिला परिषद बून्दी द्वारा किस-किस पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को योजना के विभिन्न मद हेतु कितने-कितने गेहूं का आबंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बूंदी हेतु आबंटित गेहूं के विरुद्ध रसद विभाग द्वारा किस-किस को कितना-कितना गेहूं किस-किस उचित मूल्य की दुकान पर भिजवाया गया ? भिजवाये गये गेहूं की ग्राम पंचायतवार एवं दुकानदार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आबंटित गेहूं का पूर्ण उपयोग कर लिया गया ? यदि हां, तो उपयोग किये गये गेहूं की कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) रसद विभाग द्वारा भेजे गये गेहूं की मात्रा के विरुद्ध कितने गेहूं का भुगतान श्रमिकों को कर दिया गया तथा अब कितना गेहूं किस-किस डीलर के पास अवशेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें। शेष बचे हुए गेहूं का उपयोग करने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से माह दिसम्बर, 2006 तक आबंटित गेहूं का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1-(अ) एवं परिशिष्ट-1 (ब) पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) भारत सरकार द्वारा उक्त आबंटन के विरुद्ध जिला परिषद, बूंदी द्वारा पंचायत समितियों को जारी आबंटन की सूचना का विवरण परिशिष्ट-2 पर तथा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को जारी गेहूं का विवरण परिशिष्ट-2 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(3) जिला बूंदी हेतु आबंटित गेहूं के विरुद्ध रसद विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को भेजे गये गेहूं की ग्राम पंचायतवार एवं दुकानवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) रसद विभाग द्वारा डीलरों को उपलब्ध कराये गये गेहूं की मात्रा के विरुद्ध श्रमिकों को गेहूं के जारी किए गए कूपनों के अनुसार गेहूं का वितरण तथा अवशेष गेहूं का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। बचे हुए गेहूं का उपयोग योजना में स्वीकृत कार्यों पर किया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 436 व 437

(स्थगित)

मान्यता प्राप्त खेल संघों की कार्यकारिणी में खेल परिषद के कार्मिक

438. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खेल परिषद् का खेल अधिकारी एवं प्रशिक्षक जो खेल परिषद् का कर्मचारी होता है, खेल परिषद् से मान्यता प्राप्त संघों का पदाधिकारी या सदस्य बन सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों व प्रावधान के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान खेल परिषद् का खेल अधिकारी व प्रशिक्षक खेल संघों का पदाधिकारी नहीं बन सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जो नियमो की अवहेलना करते हुए खेल संघों में पदाधिकारी बन गये हैं ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्रीड़ा परिषद के आदेश क्रमांक 3794/78 दिनांक 21.9.1978 के अनुसार क्रीडा परिषद को कोई भी खेल अधिकारी एवं प्रशिक्षक किसी खेल संघ का पदाधिकारी या सदस्य नहीं बन सकता। नियम की प्रति परिशिष्ट–''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

परिशिष्ट''क''

RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL
S.M.S. STADIUM
JAIPUR

No. RSSC/3794/78 Dated: 21.9.1978

OFFICE ORDER

It is hereby ordered that hence forth any Coach and Member of the Staff will not be associated with any District/State Sports Bodies, Asssociations, Institutions etc. in any capacity. If anyone at present is associated, he will have to withdraw himself and compliance be submitted to the undersigned within one month.

Sd/
(Raj Singh Dungarpur)
President

कोटा सम्भाग के थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरणों का निस्तारण

439. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004, 2005, 2006 तथा 31 जनवरी, 2007 तक कोटा सम्भाग के विभिन्न जिलों में हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, लूट तथा भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कितने-कितने मुकदमें, किस-किस थाने में दर्ज किये गये ? उनमें कितने-कितने मुकदमों में चालान पेश किये गये ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा सम्भाग के विभिन्न थानों में समाझाइश हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने प्रार्थना-पत्रों का सी.एल.जी. की मीटींग में निस्तारण किया गया और कितने प्रार्थना-पत्रों पर मुकदमें दर्ज किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग के विभिन्न जिलों मे हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, लूट तथा भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों के तहत वर्ष 2004, 2005, 2006 तथा 31 जनवरी, 2007 तक दर्ज मुकदमों का विवरण एवं मुकदमों में पेश किये गये चालान की सूची जिलेवार परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) कोटा सम्भाग के विभिन्न थानों में समझाइश हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र एवं उनका सी.एल.जी. की मीटिंग में किया गया निस्तारण एवं प्रार्थना-पत्रों पर दर्ज मुकदमों की सूची जिलेवार परिशिष्ट-''ब'' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना सरदार शहर में दर्ज प्रकरण संख्या 169/2006

440. श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदार शहर में अधीक्षण अभियन्ता वृत्त, चूरू में पदस्थापित श्री जीतसिंह आदीवाल (अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा पुलिस थाना सरदार शहर में मुकदमा नं. 169/2006 दर्ज करवाया जिसका अनुसंधान किया जाकर कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया व कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना शेष है व उन्हें कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा ? उक्त मुकदमें की वस्तुस्थिति क्या है ?

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

(2) क्या यह मुकदमा घोटाले से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो कितनी राशि का घोटाला हुआ एवं कितनी राशि गबन की प्राप्त की जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि मुकदमें का निस्तारण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक (अन्वेषण) सी.आई.डी.-सी.बी. राजस्थान, जयपुर द्वारा शासन सचिव महोदय को तकनीकी कमेटी द्वारा जांच करवाने का अनुरोध किया गया था? जबकि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर ने पत्रांक 1176-81 दिनांक 25 अप्रैल, 2005 के माध्यम से कमेटी का गठन किया था व इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तावित किये थे ?

उत्तर

(1) श्री जीतसिंह आदीवाल अधीक्षण अभियन्ता वृत्त चूरू दिनांक 16.6.2006 को पुलिस थाना सरदार शहर जिला चूरू पर प्रकरण सं. 169/06 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. में पंजीबद्ध करवाया था। दौराने तफ्तीश अभियुक्त श्री रविशंकर माथुर, सहायक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. खण्ड सरदार शहर जिला चूरू को दिनांक 15.11.2006 को गिरफ्तार किया गया था। भविष्य में गिरफ्तार किये जाने वाले अभियुक्तों की संख्या अग्रिम अनुसंधान से निर्धारित होगी। वर्तमान में प्रकरण का अनुसंधान धारा 173(8) जा.फौ. तहत सी.आई.डी. (सी.बी.) राज. जयपुर द्वारा किया जा रहा है। तफ्तीश से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

(2) प्रकरण आडिट के आधार पर अवधि अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2003 तक डीजल स्कीमों में नार्म्स/मानक से अधिक व्यय होना बताकर फर्जी भुगतान उठाने से सम्बन्धित है। आडिट रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट में 65 लाख 80 हजार रु. का घोटाला करना अंकित किया है। अब तक कोई बरामदगी/प्राप्ति नहीं हो पाई है।

(3) प्रकरण में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त श्री रविशंकर माथुर के विरुद्ध न्यायालय में चालान दिनांक 12.2.2007 को पेश किया जाकर प्रकरण का आंशिक रुप से निस्तारण किया गया है। अनुसंधान धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत जारी है।

(4) यह सही है कि पुलिस अधीक्षक (अन्वेषण) सी.आई.डी. (सी.बी.) राज. जयपुर के कार्यालय द्वारा तकनीकी कमेटी का गठन करने हेतु सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विभाग राज. जयपुर को तफ्तीश में तकनीकी

(गृह मंत्री)

सहायता हेतु पत्र लिखा गया था जिससे तफ्तीश में आये समस्त बिन्दुओं का परीक्षण हो सके। इस सम्बन्ध में शासन सचिव, प्रथम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(41)पीएचईडी/04/जयपुर दिनांक 13.2.2007 द्वारा तकनीकी कमेटी का गठन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर के पत्रांक 1176-81 दिनांक 25.4.2005 के माध्यम से कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्ति को कोई आरोप पत्र दिया गया हो तो इसकी जानकारी सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जावे। कमेटी द्वारा की गई आडिट के आधार पर यह प्रकरण दर्ज हुआ है। प्रकरण में अनुसंधान में कई तकनीकी बिन्दु हैं जिनके समाधान हेतु तकनीकी समिति का गठन कराया है। यह समिति अनुसंधान में पुलिस को सहायता करेगी।

बाड़मेर जिले के तहसील मुख्यालयों पर महिला पुलिस थानों की स्थापना

441. श्री जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले में कितने महिला थाने हैं ? क्या सरकार हर तहसील मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) बाड़मेर-जैसलमेर सीमा पर घुसपैठ के कितने प्रकरण दर्ज किये गये एवं बाड़मेर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में कितने प्रकरण दर्ज हुए ? कितने प्रकरणों के चालान पेश किये गये ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में महिला थाना सृजित नहीं है। प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर महिला पुलिस थाने खोले जाने का कोई विचार नहीं है।

(2) बाड़मेर-जैसलमेर सीमा पर एवं बाड़मेर जिले के विभिन्न थानों में घुसपैठ का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ में दर्ज अपहरण प्रकरण

442. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में माह जुलाई, 2006 में बच्चों के अपहरण के सम्बन्ध में कितने प्रकरण दर्ज हुए ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त थाने में एक बच्चे के अपहरण की नामजद रिपोर्ट दर्ज

(श्री बनवारी लाल)

करवाई गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा व किसके विरुद्ध ? उक्त प्रकरण की जांच कब किस अधिकारी को सुपुर्द की गई एवं अब तक जांच के क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के थाना पुसंद क्षेत्र में भी गये थे एवं अपराधियों की पहचान भी कर ली गई थी उसके बाद भी अब तक उक्त बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी थाना पुसंद (यवतमाल-महाराष्ट्र) की भी सहायता ली गई ? यदि हां, तो उसके द्वारा क्या सहायता की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण उक्त प्रकरण में नामजद अपराधियों की पहचान होने के बाद भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को प्रकरण की प्रगति के सम्बन्ध में कब-कब अवगत कराया गया एवं उच्चाधिकारियों द्वारा क्या–क्या दिशा-निर्देश दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) अब सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की जा रही है जिसके कारण अपहृत बच्चे की बरामदगी की जा सके ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ में माह जुलाई, 2006 में बच्चों के अपहरण से सम्बन्धित एक प्रकरण दर्ज हुआ। हां, यह सही है कि उक्त अवधि में थाने पर एक बच्चे के अपहरण की नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट श्री राकेशनाथ पिता शंकरनाथ उम्र 23 साल, नि. कीरखेड़ा थाना चित्तौड़गढ़ ने रमेश परमार व लीला पत्नी रमेश परमार नि. कीरखेड़ा के विरुद्ध दर्ज कराई। प्रकरण का अनुसंधान श्री कैलाश नाथ, उप निरीक्षक के जिम्मे किया गया। प्रकरण में अब तक अभियुक्त हरीश पुत्र पोखर परमार नि. कसवा थाना बाली जिला पाली को गिरफ्तार किया जाकर चालान न्यायालय में दिनांक 11.09.2006 को पेश किया गया एवं रमेश पुत्र हरजीराम परमार नि. प्रतापगढ़ थाना गुढा ऐन्दल जिला पाली व लीला पत्नी रमेश परमार के विरुद्ध धारा 173 (8) जा.फौ. के तहत अनुसंधान जारी है। बच्चा बरामद नही हुआ है जिसका वर्तमान में अनुसंधान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सी.बी.आई. द्वारा किया जा रहा है।

(गृह मंत्री)

(2) उक्त प्रकरण के अनुसंधान में श्री राजेश विद्यार्थी, उप निरीक्षक जांच अधिकारी महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के थाना पुसन्द क्षेत्र में भी गये थे परन्तु पुलिस के पहुंचने से पहले ही अभियुक्त रमेश परमार एवं उसकी पत्नि लीला परमार वहां से फरार हो गये।

(3) उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा थाना पुसन्द से भी पुलिस मदद ली गई थी। थाना पुसन्द द्वारा बीट कानि. को मदद के लिये भेजा गया था।

(4) यह सही नहीं है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में बच्चे की बरामदगी एवं मुल्जिमों की गिरफ्तारी में लापरवाही की हो। पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही अभियुक्त बच्चे को लेकर वहां से फरार हो गये थे।

(5) उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को प्रकरण की प्रगति के सम्बन्ध में प्रकरण दर्ज होते ही दिनांक 06.07.2006 को ही अवगत कराया एवं अभियुक्तों की तलाश उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार शुरु की। पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 18288-89 दिनांक 07.07.2006 द्वारा अपहृत बच्चे की बरामदगी के ठोस प्रयास के जांच अधिकारी, समस्त वृत्ताधिकारीगण, समस्त थानाधिकारीगण जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये गये।

(6) वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच के निर्देशानुसार प्रकरण का अनुसंधान एवं अपहृत बच्चे की तलाश सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है।

कर्तव्य निर्वहन के फलस्वरुप पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की पैरवी

443. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान किये गये कार्य के विरुद्ध अपराधियों/असामाजिक तत्वों द्वारा माननीय अदालतों में इस्तगासा पेश कर दिये जाते हैं जिस पर न्यायालयों द्वारा प्रसंज्ञान ले लिया जाता है ? यदि हां, तो उस पर पुलिसकर्मियों की पैरवी हेतु क्या प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों को माननीय न्यायालयों में ऐसे इस्तगासों में पैरवी हेतु उपस्थित होने को राज्यकार्यों में शुमार किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विजय बंसल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों को ऐसे इस्तगासों में पैरवी हेतु सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसे प्रकरणों में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की पैरवी हेतु राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैन्युवल 1999 के नियम 93 व 94 के अधीन व्यवस्था प्रतिपादित है। मूलत: यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार लोक अभियोजक की सेवाएं प्रदान कर सकती है या निजी वकील के लिए निर्धारित फीस का पुनर्भरण कर सकती है। बशर्ते इस्तगासा राज्य कार्य के निष्पादन के कारण दायर हुआ हो।

(2) यदि इस्तगासा ऐसे मामले को लेकर है जो राज्य की कर्तव्यों के दौरान हुआ है तो पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित होना राज्य कार्य माना जाता है।

(3) जी हां। यदि राजकीय अधिवक्ता की सेवा नहीं दी जा सकती है तो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पैरवी हेतु निजी अधिवक्ता की सेवाएं ले सकता है जिसके लिए निर्धारित फीस का राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।

रामगढ़ (अलवर) में वृत्त अधिकारी कार्यालय की स्थापना

444. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य के विभिन्न पुलिस थानों एवं सर्किल कार्यालयों का भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुये पुनर्गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं इस हेतु क्या मानदण्ड बनाये गये हैं ?

(2) सरकार उपरोक्त पुनगर्ठन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला अलवर में कौन-कौन से नये थानों एवं सर्किल कार्यालयों का गठन करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रामगढ़ (अलवर) को नया सर्किल कार्यालय बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं इसके अन्तर्गत कौन-कौन से थाने सम्मिलित किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) नये पुलिस थाने एवं सर्किल कार्यालयों के गठन का वर्तमान में कोई विचार नहीं है। अत: प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी नहीं।

राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली

445. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजकीय दरबार स्कूल, जयपुर के परिसर में जयपुर शहर पुलिस मुख्यालय बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व इस सम्बन्ध में अब तक की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितनी जनसंख्या पर कितने पुलिस बल का अनुपात है ?

(3) क्या सरकार राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य में जनसंख्या पर पुलिस बल का वर्ष 2001 से 2005 का अनुपात निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में	प्रतिलाख जनसंख्या
2001	18.5	112
2002	18.2	107
2003	18.7	108
2004	17.7	100
2005	18.3	102

(3) राज्य में पुलिस सुधार हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने बाबत बिन्दु पर भी समिति से सुझाव मांगे गये हैं। इस बाबत निर्णय समिति से सुझाव प्राप्त होने पर लिया जा सकेगा।

महुवा में संचालित पुलिस चौकियां

446. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र महुवा जिला दौसा में कितनी पुलिस चौकियां संचालित हैं ? क्या सरकार इन पुलिस चौकियों को स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र महुवा जिला दौसा में वर्तमान में निम्न तीन पुलिस चौकियां अस्थाई रुप से संचालित हैं :-

1. बालाहेडी मोड़ (अन्तर्गत पुलिस थाना महुवा)

2. तालचिडी (अन्तर्गत पुलिस थाना सलेमपुर)

3. रसीदपुर (अन्तर्गत पुलिस थाना मण्डावर)

पदों के सृजन एवं बजट की उपलब्धता पर ही पुलिस चौकियां स्थायी की जा सकेंगी।

राजगढ़ (चूरू) के कारागृह में रिक्त पद

447. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजगढ़ (चूरू) कारागृह में कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं ?

(2) स्वीकृत पदों पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उपकारागृह, राजगढ़ में निम्नांकित पद स्वीकृत हैं :-

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद
1.	सहायक कारापाल	1
2.	मुख्य प्रहरी	1
3.	प्रहरी	8

(2) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध निम्नांकित संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं।

क्र.सं.	नाम पद	कार्यरत कर्मचारी संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सहायक कारापाल	1	—
2.	मुख्य प्रहरी	1	—
3.	प्रहरी	7	1

(कारागार मंत्री)

(3) एक मात्र रिक्त पद पर अवकाश आरक्षित प्रहरी नियुक्त है। अत: यह प्रश्न नहीं उठता है।

कोटा जिले के वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

448. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के वन क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों के निर्माण की स्वीकृति के प्रस्ताव गत तीन वर्षों से लम्बित हैं ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन सड़कों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि से गुजरने वाली सड़कों के निर्माण की स्वीकृति के 6 प्रस्ताव लम्बित हैं जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वन भूमि से गुजरने वाली सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत दी जाती है। एक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार के स्तर पर लम्बित है। अवशेष 5 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

परिशिष्ट 'क'

कोटा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लम्बित प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	कोटा बाइपास का निर्माण	प्रस्तावित सड़क निर्माण के अन्तर्गत वन्यजीव क्षेत्र सम्मिलित होने के कारण राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार मण्डल की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव माह-सित., 2004 में ही भिजवाये जा चुके थे। वन्यजीव सलाहकार मण्डल की सहमति के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8.12.2006 से कुछ शर्तों के साथ उक्त सड़क निर्माण की सहमति प्रदान की है।

1	2	3
		प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में विचाराधीन है।
2.	खटकड से कापरेन (मण्डावरा)	उक्त सड़क निर्माण के अन्तर्गत भी वन्यजीव क्षेत्र सम्मिलित है। प्रकरण में निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति एवं समतुल्य गैर वनभूमि जिला कलक्टर, कोटा से आबंटन होने की प्रक्रियाधीन रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नये प्रपत्र निर्धारित किये गये हैं जिसके अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हैं।
3.	माण्डलिया से मन्दिरगढ़	दिनांक 18.01.2007 को मण्डल वन अधिकारी, कोटा को प्रपत्र II एवं III की पूर्ति हेतु भेजे गये हैं।
4.	माण्डलिया से पंचपहाड़	प्रस्ताव प्रपत्र I एवं III की पूर्ति हेतु मण्डल वन अधिकारी, कोटा को पत्र दिनांक 21.2.2007 को सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रस्ताव विभाग में परीक्षणाधीन है।
5.	मिसिंग लिंग गेता जिला कोटा से माखिदा जिला बूंदी	प्रस्ताव 21.02.2007 को सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रस्ताव मुख्यालय में परीक्षणाधीन है।
6.	मिसिंग लिंक मण्डावरा से रोटेदा	प्रस्ताव दिनांक 23.01.2007 को प्राप्त हुए हैं, जो कि विभाग में परीक्षणाधीन है।

देसूरी में वृक्षारोपण पर व्यय

449. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में वर्ष 2005-06 व 2006-07 में कितने वृक्ष लगाये गये ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(2) इनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन वृक्षों पर कितनी राशि व्यय की गई तथा प्रति वृक्ष कितना व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 में वन विभाग द्वारा 8,06,200 वृक्ष लगाये गये।

(2) लगाये गये पौधों में से वर्तमान में 6,47,696 पौधे जीवित हैं।

(3) वृक्षारोपण क्षेत्रों में राशि प्रति पौधे के अनुसार स्वीकृत नहीं की जाती अपितु क्षेत्र की बाडबन्दी, पौध तैयारी, वृक्षारोपण, संधारण, भू एवं जल संरक्षण, कार्यों इत्यादि के निष्पादन हेतु प्रति हैक्टेयर की दर से उपलब्ध कराई जाती है। रोपित किये गये 8,06,200 पौधे 1820 हैक्टेयर क्षेत्र में लगाये गये। 1820 हैक्टेयर क्षेत्र में समस्त कार्यों को सम्मिलित करते हुए 462.99 लाख रुपये का व्यय हुआ जो प्रति हैक्टेयर 25439/- रुपये होता है।

पौधरोपण हेतु समर्पित वन भूमि का प्राप्त मुआवजा

450. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन क्षेत्र से सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि अधिग्रहण के बदले अधिग्रहणकर्ता विभाग द्वारा पौधारोपण हेतु वन विभाग को मुआवजा राशि दी जाती है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में किस-किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि वन विभाग को बतौर मुआवजा जमा कराई गई ?

(2) उक्त राशि से सरकार द्वारा किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने पौधे लगाये गये एवं उस पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि वृक्षारोपण नहीं किया गया तो उक्त राशि किस मद में व्यय की गई ?

उत्तर

(1) वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों की अनुमति हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रयोगकर्ता विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के

(वन मंत्री)

लिये राशि जमा करायी जाती है। उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को जमा कराई गई राशि का विभागवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विकास कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के अनारक्षण के एवज में विभिन्न यूजर एजेन्सी से क्षूतिपूर्ति वृक्षारोपण मद में प्राप्त राशि वृक्षारोपण स्थान की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए आबंटित की जाती है। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मद के अन्तर्गत धनराशि व्यय कर लगाये गये पौधों का रेन्जवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनसुार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) क्षूतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आबंटित राशि वृक्षारोपण पर ही व्यय की जाती है।

परिशिष्ट 'क'

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का विभागवार विवरण

क्रम संख्या	विभाग का नाम	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जमा कराई गई राशि (रुपयों में)
1.	पश्चिम रेलवे	18/701/-
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	21,39,723/-
3.	जल संसाधन विभाग	3,89,886/-
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2,22,750/-
5.	विद्युत विभाग	1,85,350/-
6.	राजस्थान प्रहरी ढांचागत विकास परियोजना	58,720/-
	योग	**30,15,130/-**

परिशिष्ट 'ख'

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आबंटित राशि से कराये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम रेन्ज	वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	रोपित पौधों की संख्या	व्यय राशि (रुपयों में)
1.	सलूम्बर	50	35,000	11,61,769/-
2.	कुरावड़	545	3,45,000	1,30,42,572/-
3.	भीण्डर	50	35,000	9,49,267/-
4.	मावली	50	30,000	10,62,370/-
5.	सायरा	200	75,000	35,41,887/-
	योग	**895**	**5,20,000**	**1,97,57,865/-**

सहायक/उप वन संरक्षक द्वारा कार्यों का भौतिक सत्यापन

451. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन एवं वन्य जीव विभाग राजस्थान में उप वन संरक्षक एवं इसके समकक्ष किन-किन कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक के कितने-कितने पद हैं एवं किन-किन कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक के पद नहीं हैं ?

(2) राज्य में सहायक वन संरक्षक को क्या-क्या कार्य आबंटित हैं ?

(3) उप वन संरक्षक अथवा इसके समकक्ष सभी कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक के मानदण्ड अनुसार-25 प्रतिशत कार्यों का सत्यापन किस-किस कार्यालय में किस-किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है एवं किन-किन कार्यालयों में विकास कार्यों का 25 प्रतिशत कार्य का सत्यापन सहायक वन संरक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा ?

उत्तर

(1) वन विभाग में उप वन संरक्षक एवं इसके समकक्ष कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक के पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार है। जिन कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक का पद नहीं है उनका विवरण परिशिष्ट 'ख' में दर्शाया गया है।

(वन मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा सहायक वन संरक्षक पद को आबंटित कार्यों के नोर्म्स का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(3) जिन उप वन संरक्षक कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक पदस्थापित हैं, वहां इनके द्वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार विकास कार्यों का सत्यापन किया जा रहा है। उप वन संरक्षक के समकक्ष जिन कार्यालयों में सहायक अभियंता/सहायक भू-संरक्षण अधिकारी पदस्थापित हैं उनके द्वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार विकास कार्यों का सत्यापन किया जा रहा है। जिन उप वन संरक्षक एवं समकक्ष कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक का पद नहीं हैं उन कार्यालयों में विकास कार्यों का सत्यापन निर्धारित नोर्म्स के अनुसार उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

दोषी राशन डीलरों की बहाली

452. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राशन डीलर नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है और नियमानुसार एक ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका क्षेत्र में अधिकतम कितने राशन डीलर नियुक्त किये जा सकते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2003 के बाद कितने नये राशन डीलर नियुक्त किये गये, कितने पुराने राशन डीलरों को किस आरोप में हटाया गया ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त अवधि में कितने राशन डीलरों के लाइसेन्स निलम्बित किये गये तथा कितनों की जांच पूरी किये बिना बहाल कर दिया गया तथा ऐसे कितने राशन डीलर हैं जिन्हें बिना जांच के ही निलम्बित कर दिया गया ?

(4) ऐसे कितने राशन डीलर हैं जिनके विरुद्ध पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई तथा उन्हें पुन: राशन डीलर नियुक्त कर दिया गया ?

(5) जनवरी, 2003 से पूर्व प्रदेश में कुल कितने राशन डीलर थे तथा वर्तमान में इनकी संख्या क्या है ?

(6) वर्तमान में कितने राशन डीलरों के विरुद्ध प्रकरण अथवा जांच कब से लम्बित है, इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?

(श्री सुरेश मीणा)

(7) क्या यह सही है कि राशन डीलर जनसंख्या को आधार मानकर नियुक्त किये जाते हैं ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त करने की प्रक्रिया विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 74(7) खा.वि/सा.वि.प्र. 87-III दिनांक 07.10.2005 द्वारा निर्धारित की गई है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

एक ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले राशन डीलरों की अधिकतक संख्या निर्धारित नहीं है।

(2) राज्य में जनवरी 2003 के पश्चात नियुक्त 3,978 उचित मूल्य दुकानदारों और हटाये गये 789 पुराने उचित मूल्य दुकानदारों की जिलेवार संख्या संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार है। उचित मूल्य दुकानदारों को अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अनियमितताओं के कारण हटाया गया है।

(3) उपरोक्त अवधि में 2,353 उचित मूल्य दुकानों को निलम्बित किया गया है। इनमें से 465 उचित मूल्य दुकानदारों को जांच लम्बित रखते हुए बहाल किया गया है। 19 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र बिना जांच निलम्बित किए गए हैं।

(4) ऐसे 15 उचित मूल्य दुकानदार हैं जिनके विरुद्ध ई.सी. एक्ट या अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी तथा उन्हें पुन: नियुक्त किया गया है।

(5) जनवरी 2003 से पूर्व प्रदेश में 16,906 उचित मूल्य दुकानदार कार्यरत थे और वर्तमान में 21,731 उचित मूल्य दुकानदार कार्यरत हैं।

(6) वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध 4,599 प्रकरण भिन्न-भिन्न अवधि के लम्बित हैं। ये प्रकरण सम्बन्धितों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के कारण लम्बित हैं।

(7) प्रति 2000 व्यक्तियों पर एक उचित मूल्य दुकान खोलने का निर्देश भारत सरकार द्वारा दिया गया है। किन्तु क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर भी विचार किया जाता है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक: एफ 74(7)खा.वि./सा.वि.प्र./87III जयपुर, दिनांक: 07-10-2005

समस्त, जिला कलक्टर्स

राजस्थान।

उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु दिशा-निर्देश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए निम्नांकित दिशा-निर्देश दिए जाते हैं:-

आबंटन प्रक्रिया

(1) आवेदन पत्र आमंत्रित करना :-

(क) रिक्तियों का निर्धारण कर जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा जिस पर आवेदनकर्ता का छाया चित्र लगा होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र आवेदक द्वारा संलग्न किये जावेंगे:-

(i) उसी क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण (वार्ड या ग्राम का निवासी)

(ii) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण (आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये, लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बारां के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के लिये अनु. जन जाति/सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होगी।)

(iii) पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नहीं होने, दुकान का संचालन स्वयं करने, परिवार के किसी सदस्य यथा-माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से ही दुकान नहीं होने का शपथ पत्र व कोई विधिक अयोग्यता नहीं होने का शपथ पत्र।

(iv) प्रस्तावित दुकान का नक्शा जो प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संविक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(v) सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 25,000 रुपये का हैसियत का प्रमाण-पत्र।

(vi) आवेदक बालिग स्वस्थ चित्त एवं चाल चलन ठीक हो तथा दिवालिया घोषित न हुआ हो।

(vii) दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सकें तथा दुकान से आटे की चक्की, परचूनी की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थान सुरक्षित दूरी पर हो।

(viii) आवेदक पूर्व के दस वर्षों की अवधि में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डित नहीं हुआ हो, ना ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, बाबत घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

(ix) उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरुद्ध गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो तो भविष्य में ऐसे आवेदकों को कभी भी उचित मूल्य दुकान आबंटित नहीं की जावे।

(ग) नियत तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक से आवेदक की पात्रता एवं दुकान के प्रस्तावित स्थान की उपयुक्तता बाबत स्पष्ट टिप्पणी उपरोक्त बिन्दुओं पर ली जावे। समस्त आवेदन पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय करने का अधिकार सलाहकार समिति को ही होगा।

(घ) आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आबंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

(2) आबंटन सलाहकार समिति :

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगी :-

(i) नगरीय क्षेत्रों हेतु :-		
(क)	जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम/परिषद/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधी/अधिकारी	सदस्य
(ग)	तहसीलदार	सदस्य
(घ)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के	
(i)	सामाजिक कार्यकर्ता एक	सदस्य
(ii)	उपभोक्ता एक	सदस्य
(iii)	महिला उपभोक्ता एक	सदस्य
(ii) ग्रामीण क्षेत्रों हेतु :-		
(क)	जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच	सदस्य
(ग)	तहसीलदार	सदस्य
(घ)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के	
(i)	सामाजिक कार्यकर्ता एक	सदस्य
(ii)	उपभोक्ता एक	सदस्य
(iii)	महिला उपभोक्ता एक	सदस्य

आबंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।

उक्त समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंसा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय निम्न प्राथमिकता कम को ध्यान में रखा जावेगा :-

(i) शिक्षित बेरोजगार

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति

(iii) महिलायें-विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iv) भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा

(v) बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील क्षेत्रों में 50 प्रतिशत दुकान सहरिया जाति को आबंटित की जायेंगी। तथा जन जाति उपयोजना क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकान आबंटित की जावेगी।

आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति पर सहमति/संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर बहुमत द्वारा की गई अभिशंसा को जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिसे जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था के चयन के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से की गयी अभिशंसा को मानना जिला कलक्टर के लिये अनिवार्य होगा। सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से अभिशंसा प्राप्त की जावे। जिसमें यह स्पष्ट वर्णित होना चाहिये कि गत 3 आडिट रिपोर्टो से गम्भीर अनियमितता किया जाना पाया गया है अथवा नहीं।

आबंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिये एक नाम रिजर्व सूची के रुप में प्रस्तावित किया जावेगा। यदि कभी भी उचित मूल्य दुकान के डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से अथवा अन्य किसी कारण से कोई रिक्त स्थान रिक्त होता है तो रिजर्व सूची से तत्काल नियुक्ति की जावेगी।

(3) प्राधिकार पत्र जारी करना :-

चयनित अभ्यार्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त अधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस हेतु चयन की सूचना आवेदक को अवगत कराया जाकर निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने के निर्देश दिये जावेंगे। यथासम्भव दुकान आबंटन की समस्त प्रक्रिया एक माह में पूर्ण कर ली जावेगी। चयनित व्यक्ति का छायाचित्र अध्यक्ष, आबंटन समिति द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

(4) मृत डीलरों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आबंटन :-

उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के निम्न सदस्यों मे से एक को निम्न वरीयता कम से दुकान आबंटित कर प्राधिकार पत्र को संशोधित किया जावेगा :-

1. मृतक की विधवा
2. बालिग पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो
3. बालिग अविवाहित पुत्री जो मृतक पर आश्रित हो
4. विधवा पुत्री

उक्त अनुसार आबंटन करते समय बिन्दु सं. 2 से 4 के आवेदकों से परिवार के अन्य सदस्यों यथा माता बालिग भाई व अविवाहित बालिग बहिनों से अनापत्ति का प्रमाण-पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रयोजनार्थ परिवार में एक ही साथ रहने वाले एवं मृतक डीलर पर आश्रित उपरोक्त श्रेणी के परिजनों को ही सम्मिलित किया जावे।

(5) सामान्य

1. प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर शिकायत एवं निरीक्षण पुस्तिकाऐं रखी जावें तथा प्रवर्तन स्टाफ द्वारा शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जावे।

प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)

परिशिष्ट-2

क्र.सं.	जिले का नाम	जनवरी 2003 के बाद नियुक्त उचित मूल्य दुकानदार	हटाये गये पुराने उचित मूल्य दुकानदार
1	**2**	**3**	**4**
1.	अजमेर	65	17
2.	अलवर	259	8
3.	बांसवाड़ा	101	45
4.	बारां	151	22
5.	बाड़मेर	176	24
6.	भरतपुर	160	30
7.	भीलवाड़ा	167	45
8.	बीकानेर	151	35

1	2	3	4
9.	बून्दी	89	27
10.	चित्तौड़गढ़	180	29
11.	चूरू	268	25
12.	दौसा	105	25
13.	धौलपुर	83	38
14.	डूंगरपुर	43	30
15.	गंगानगर	89	8
16.	हनुमानगढ़	163	9
17.	जयपुर	401	53
18.	जैसलमेर	23	7
19.	जालौर	149	12
20.	झालावाड़	77	37
21.	झुन्झुनूं	144	91
22.	जोधपुर	61	0
23.	करौली	127	6
24.	कोटा	29	5
25.	नागौर	99	16
26.	पाली	109	5
27.	राजसमन्द	83	19
28.	सीकर	120	12
29.	सिरोही	11	12
30.	सवाई माधोपुर	58	16
31.	टोंक	93	26
32.	उदयपुर	144	55
	योग	**3978**	**789**

फागी में राशन डीलरों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

453. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) के ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों को आवश्यक वस्तुएं राशन डीलरों के माध्यम से सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या वस्तुयें कितनी-कितनी मात्रा में व किस दर पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) के अध्ययनरत छात्रों को केरोसीन उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों मे कितने छात्रों को कितना केरोसीन वितरित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु अग्रिम कोटा देने का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

(4) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) में राशन डीलरों द्वारा अनियमितता के मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) के ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों को राशन डीलरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम आवश्यक वस्तु	वर्तमान में देय मात्रा प्रतिमाह प्रति कार्ड	निर्धारित वितरण दर रुपये प्रति किग्रा/प्रति ली.
1.	बी.पी.एल. गेहूं	20 किग्रा	4.70
2.	बी.पी.एल. चावल	15 किग्रा	6.30
3.	अन्त्योदय गेहूं	35 किग्रा	2.00
4.	ए.पी.एल. गेहूं	35 किग्रा	6.80

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

5.	लेवी चीनी	01 किग्रा	13.50
6.	केरोसीन	2 से 4 लीटर, डी.बी.सी. को देय नहीं है तथा एस.बी.सी. को 2 लीटर देय है।	10.00

(2) विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील सहित की पंचायतों सहित) के अध्ययनरत छात्रों को गत दो वर्षों में, शिक्षण संस्था प्रधानों द्वारा छात्रों के राशन कार्ड जारी नहीं किये जाने से, पृथक से केरोसीन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(3) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे-जैसे केन्द्र से आबंटन प्राप्त होता है तदनुसार ही उपभोक्ताओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फागी (चाकसू तहसील की पंचायतों सहित) में राशन डीलरों द्वारा अनियमितताओं के पांच मामले विचाराधीन हैं।

राज्य में गत तीन वर्षों में नियुक्त बेरोजगार

454. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने लोगों को रोजगार दिया गया ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार न दिया जाकर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं। जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	
2003-04	98994
2004-05	144990
2005-06	155404

लूणी के लाभान्वित पेन्शनर्स

455. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार वृद्धावस्था व विधवा पेंशन की वर्तमान मासिक पेंशन दर में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व कितनी ? तथा नहीं, तो क्यों ?

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजना में वर्तमान में कितने-कितने लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र लूणी में विधवा व वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से रुपये 200/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 400/- प्रतिमाह कर दिया गया है तथा विधवा पेंशन को रुपये 250/- प्रतिमाह से बढ़ाकर 400/- प्रतिमाह किया जाना बजट घोषणा में प्रस्तावित किया जा चुका है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजना में वर्तमान में (दिनांक 1.2.2007 को) लाभान्वित हो रहे लाभार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वृद्धावस्था पेंशनर 705

विधवा पेंशनर 805

(3) जी हां। पिछले तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र लूणी में विधवा व वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	विधवा पेंशन	वृद्धावस्था पेंशन
2004-05	+ 144	+ 1
2005-06	+ 38	+ 7
2006-07 (दि. 1.2.2007 तक)	+ 32	+ 15

राज्य में विधवा पुत्रियों के विवाह सम्बन्धी प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु समय-सीमा

456. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक विधवा पुत्रियों के विवाह सम्बन्धी सहायता हेतु कितने आवेदनों के विरुद्ध कितनों को कितनी सहायता प्रदान की गई? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक पात्रों को आवेदन उपरान्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त सहायता से लाभान्वित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार अब बजट के अभाव में अस्वीकृत पात्रों को लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार द्वारा आवेदन उपरान्त पात्रों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या यह भी सही है कि अनेक पात्र आवेदकों को नियम विरुद्ध विलम्ब से सहायता उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन दोषी है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006 से अब तक उक्त सहायता हेतु कितने बजटीय प्रावधान के विरुद्ध कितनी राशि व्यय की गई ? उक्त राशि में केन्द्र व राज्य सरकार का हिस्सा कितना है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजनान्तर्गत प्रदान की गई सहायता का वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 2003-04 से योजना में सहायता राशि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किये जाने के कारण पात्र आवेदकों को समय पर लाभान्वित नहीं किया जा सका ऐसे पात्र आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर आगे के वर्ष में उपलब्ध बजट से लाभान्वित किया जाता है। योजना के बकाया आवेदन पत्रों के मध्यनजर वर्ष 2006-07 में 150 लाख के बजट प्रावधान को संशोधित

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

किया जाकर 300.00 लाख रुपये का कर दिया गया है। इस राशि से विचाराधीन पात्र आवेदकों को शीघ्र लाभान्वित कर दिया जायेगा।

(3) योजना में सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्राप्त आवेदन की जांच सात दिवस में पूर्ण कर 15 दिन में भुगतान किये जाने की अवधि निर्धारित है। विभाग की मांग अनुसार मूल बजट अनुमान/संशोधित बजट अनुमान में प्राप्त होने वाली बजट राशि की प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण सहायता उपलब्ध कराने में विलम्ब होता है जिसके लिये अधिकारी स्तर पर कोई दोषी नहीं है। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में अब तक उपलब्ध कराए गए बजटीय प्रावधान के विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाखों में)

वर्ष	वित्तीय प्रावधान	व्यय राशि
2004-05	105.00	90.00
2005-06	205.00	134.45
2006-07	300.00	208.70

योजना पूर्णतया राज्य सरकार की है। इसमें केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

विधवाओं की पुत्री के विवाह पर प्रदान की गई सहायता का वर्षवार व जिलेवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम जिला	वर्ष								
		2004-05			2005-06			2006-07		
		प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन पत्र	प्रदान की गई राशि	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन पत्र	प्रदान की गई राशि	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन पत्र	प्रदान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जयपुर	78	78	7.90	125	40	4.00	82	39	3.90
2.	जोधपुर	40	40	4.00	90	30	2.95	129	66	6.60
3.	कोटा	42	34	3.40	63	50	5.00	92	38	3.80
4.	उदयपुर	55	33	3.30	75	30	3.00	80	54	5.40
5.	बीकानेर	24	17	1.70	54	24	2.40	33	40	4.00
6.	अजमेर	32	29	2.90	39	25	2.50	58	51	5.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	भरतपुर	95	31	4.00	168	42	5.50	126	59	20.00
8.	भीलवाड़ा	36	24	2.35	38	15	1.50	46	45	4.50
9.	बारां	53	50	5.00	79	68	6.80	81	5	0.50
10.	चित्तौड़गढ़	42	27	2.70	59	50	2.00	29	29	2.90
11.	बांसवाड़ा	21	20	2.00	70	65	6.50	70	25	2.50
12.	डूंगरपुर	26	16	1.60	55	20	2.00	62	62	6.20
13.	सीकर	100	15	1.50	42	32	4.00	148	121	13.00
14.	अलवर	117	71	7.10	227	101	10.10	312	200	20.00
15.	श्रीगंगानगर	93	42	4.20	138	35	3.50	115	80	8.00
16.	जालौर	54	22	2.20	75	30	3.00	93	40	4.00
17.	पाली	20	16	1.45	35	31	3.50	84	30	3.00
18.	बाड़मेर	65	33	1.50	45	30	3.00	35	31	3.10
19.	जैसलमेर	26	15	1.50	38	15	1.50	32	30	3.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	टोंक	33	20	1.95	60	27	2.70	61	32	3.20
21.	स.माधोपुर	45	16	2.00	70	54	6.40	64	38	5.60
22.	सिरोही	69	5	0.50	82	79	7.90	59	35	3.50
23.	झुन्झुनूं	56	30	3.00	86	35	3.50	142	100	10.00
24.	चूरू	31	20	2.00	66	65	6.50	39	23	2.30
25.	हनुमानगढ़	62	21	2.10	87	16	1.60	64	40	4.00
26.	झालावाड़	20	15	1.45	52	45	4.50	80	25	2.50
27.	बूंदी	23	14	1.40	71	53	5.30	45	27	2.70
28.	नागौर	31	19	2.45	51	31	4.00	123	81	10.40
29.	दौसा	134	60	6.00	129	100	10.00	117	87	8.70
30.	करौली	122	60	5.95	121	50	5.00	107	143	14.30
31.	राजसमन्द	8	6	0.60	25	18	1.80	27	20	2.00
32.	धौलपुर	24	3	0.30	56	25	2.50	89	20	20.00
	कुल योग	**1677**	**902**	**90.00**	**2471**	**1331**	**134.45**	**2724**	**1716**	**208.70**

जालौर जिले में विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन

457. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 5 वर्षों में जिला जालौर में विधवा महिला की पुत्री के विवाह हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? इनमें से कितने आवेदनों में राशि स्वीकृत की गई तथा कितने शेष हैं ? नामवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष आवेदकों को राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त वर्षों में विधवा महिला की पुत्री को आर्थिक सहायता प्रदान करने में लापरवाही/गबन के प्रकरण सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जालौर में गत पांच वर्षों में विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, अस्वीकृत आवेदन तथा शेष आवेदन तथा स्वीकृत राशि का वर्षवार व नामवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जालौर जिले की मांग के आधार पर वर्ष 2006-07 में राशि रुपये पांच लाख आबंटित किये जा चुके हैं। इस राशि से सभी विचाराधीन पात्र आवेदकों को शीघ्र सहायता दे दी जावेगी।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द में आरक्षित वर्ग हेतु नवीन छात्रावास

458. श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजसमन्द में मोही केलवा व लावासरदारगढ़ में अनुसूचित जाति के छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नवीन छात्रावास खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

करिश्मा परियोजनान्तर्गत लाभान्वित ग्राम पंचायतें

459. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ''करश्मिा प्रोजेक्ट'' के प्रारम्भ (9-12-2005) से अब तक किन-किन ग्राम पंचायतों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रोजेक्ट पर प्रारम्भ से अब तक कितनी राशि किस मद में व्यय की गई ? उक्त राशि में केन्द्र व राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति/जिला परिषद/पंचायती राज मुख्यालय से जोड़ा जा चुका है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संलग्न सूची परिशिष्ट अ में जिलेवार वर्णित 1001 ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा करिश्मा प्रोजेक्ट के प्रारम्भ से अब तक निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं :-

1. एक कम्प्यूटर विद 1 के.वी.एस. यू.पी.एस.
2. लेजर प्रिन्टर
3. कम्प्यूटर फर्नीचर (एक टेबिल + एक कुर्सी)
4. द्विभाषी डाक्यूमेन्टशन साफ्टवेयर (शक्ति आफिस)
5. नेटवर्किंग उपकरण/उपस्कर

(2) उक्त प्रोजेक्ट पर प्रारम्भ से अब तक राशि रुपये 11,14,13,820/- का व्यय निम्न मद में बुक किया गया है :-

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198-गाम पंचायतों को सहायता

(04)-ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये अनुदान

(02)-कार्यकलाप/गतिविधियां

12-सहायतार्थ/अंशदान/सहायता अनुदान (आयोजना मद)

यह राशि पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा ही प्रदत्त है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) करिश्मा योजनान्तर्गत संलग्न परिशिष्ट ब पर अंकित 220 ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति/जिला परिषद/पंचायती राज मुख्यालय से जोड़ा जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पूर्व चयनित परिवारों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

460. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. सूची वर्ष 1997 के तहत चयनित आशार्थी परिवारों के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रावधान के तहत नवीन बी.पी.एल. सूची जारी होने तक ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों में अवशेष रहे आवेदकों में से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

(2) क्या सरकार पंचायत समितियों में उक्त समय से लेकर अब तक लम्बित आवेदन पत्रों के भुगतान का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में ऐसे कितने-कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं जिनके भुगतान की कार्यवाही होना शेष है तथा उनका अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पंचायत समितिवार लम्बित आवेदन पत्रों की सूची संलग्न है। लम्बित आवेदन पत्रों का भुगतान करने हेतु राशि का आबंटन किया जा रहा है।

क्र.सं.	नाम जिला	नाम पंचायत समिति	पेण्डिंग आवेदन पत्रों का विवरण
1	2	3	4
1.	अलवर	लक्ष्मणगढ़	4
		कोटकासिम	2
		थानागाजी	12

1	2	3	4
		उमरेण	16
		कटुमर	7
		रामगढ़	5
		बानसूर	3
2.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	25
		गढ़ी	5
		घाटोल	156
		पीपलखूंट	6
		सज्जनगढ़	10
		बागीदौरा	23
		आनन्दपुरी	11
3.	बारां	किशनगंज	9
4.	बाड़मेर	बालौतरा	24
		धौरीमना	8
5.	भीलवाड़ा	आसिन्द	19
		बनेडा	1
		हुरडा	4
		जहाजपुर	50
		कोटड़ी	35
6.	बीकानेर	बीकानेर	37
7.	बूंदी	कैपाटन	8
		हिण्डौली	7
		तालेड़ा	20
		नैनवां	2

1	2	3	4
8.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	3
		छोटी सादड़ी	8
		कपासन	29
		अरनोद	4
		राशमी	4
		निम्बाहेड़ा	18
		भदेसर	4
		बडी सादड़ी	8
9.	चूरू	राजगढ़	9
		सरदार शहर	10
		सुजानगढ़	26
10.	गंगानगर	अनुपगढ़	2
		सादुलपुर	4
		सूरतगढ़	5
		रायसिंहनगर	4
		करणपुर	14
11.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	24
		भादरा	10
12.	जयपुर	गोविन्दगढ़	1
		जमवारामगढ़	13
13.	झालावाड़	मनोहरथाना	3
14.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	3
15.	करौली	करौली	42

1	2	3	4
16.	कोटा	लाडपुरा	3
		सांगोद	1
17.	राजसमंद	कुम्भलगढ़	25
		राजसमंद	4
18.	टोंक	मालपुरा	2
		टोंक	1
19.	उदयपुर	दरियाबाग	15
		गिरवा	4
		गोगुन्दा	16
		झाडोल	2
		खेरवाड़ा	11
20.	पाली	जैतारण	6
		देसूरी	10
		रायपुर	8
		सोजत	5
		रोहट	10
		मा. जक्शन	7
		सुमेरपुर	4
		योग	**901**

नागौर जिले मे आबंटित नि:शुल्क आवासीय भूमि का बेचान

461. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(1) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत दो वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को जिला नागौर में नि:शुल्क आवासीय पट्टे दिये गये ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने ऐसे भूमिहीनों ने आबंटन के बाद निर्धारित अवधि अर्थात् दो वर्षों के अन्दर निर्माण कार्य नहीं किया जिससे उनका आबंटन रद्द कर दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने आबंटियों ने उक्त आबंटित भूमि का नियम विरुद्ध बेचान कर दिया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में दो वर्षों में कुल 17 नि:शुल्क आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-'ए' पर संलग्न है।

(2) उक्त जिले के सभी 17 नि:शुल्क आबंटियों ने आबंटन के बाद निर्धारित अवधि अर्थात् दो वर्षों के भीतर निर्माण कार्य कर लिया है एवं निवास कर रहे हैं। इनका आबंटन रद्द नहीं किया गया है।

(3) आबंटियों ने उक्त आबंटित भूमि का नियम विरुद्ध बेचान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 'ए'

पंचायत समिति रियाबडी जिला परिषद्, नागौर में जारी किये गये नि:शुल्क आवासीय पट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम लाभार्थी	जाति	ग्राम	ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5
1.	जीवणराम/हडमानराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
2.	बाबूराम/हडमानराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
3.	रामपाल/हडमानराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
4.	गोरधनराम/मदनाराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
5.	कानाराम/हडमानराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
6.	अम्बाराम/गोगाराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
7.	गोगाराम/बीजाराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी

1	2	3	4	5
8.	पेमाराम/मक्काराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
9.	मांगीलाल/हडमानराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
10.	ढंगलाराम/मांगीलाल	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
11.	चूकली/पूनाराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
12.	संतोष/पूनाराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
13.	पूनाराम/हल्दाराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
14.	रामकरण/हिम्मताराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
15.	मल्लाराम/हिम्मताराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
16.	दयालराम/जिम्माराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी
17.	खेमाराम/हिम्मताराम	गाडोतिया लुहार	आकेली ए	कात्यासनी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, नागौर

अभावग्रस्त क्षेत्रों के व्यक्तियों को रोजगार

462. श्री अमराराम धोद (धोद) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अभावग्रस्त ग्रामों में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा कितने चारा डिपो खोले गए तथा इन्हें कब से चालू किए गए तथा फरवरी, 2007 तक कितना ऋण वितरित किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य में 10529 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तहसीलवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) अभावग्रस्त ग्रामों में रोजगार उपलब्ध कराने, माह फरवरी, 07 से चारा डिपो खोलने व चारा वितरण सम्बन्धी सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ नियुक्त कार्मिकों पर व्यय

463. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सुनामी पीड़ितों की मदद के लिये राशि एकत्रित की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सुनामी पीड़ित क्षेत्रों में सरकार ने प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया है ? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा सुनामी पीड़ितों की मदद के लिए संचालित कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सुनामी पीड़ितों की मदद के लिए सरकारी अधिकारी/कर्मचारी लगाये गये थे ? यदि हां, तो उनका पदस्थापन कब किया गया व उनके वेतन भत्तों में कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ कुल 2004.26 लाख रुपये की राशि एकत्रित हुई।

(2) जी नहीं। उपयोग में ली गई राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) सुनामी पीड़ितों की ममद स्वरुप कराये जा रहे कार्य तथा पूर्ण कार्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(4) जी नहीं। सुनामी पीड़ितों की मदद के लिये सरकारी अधिकारी/कर्मचारी नहीं लगाये गये।

परिशिष्ट-1

उपयोग में ली गई राशि का विवरण

विवरण	राशि
जिला कलक्टर, उदयपुर	2.70
जिला कलक्टर, जोधपुर	1.00

विवरण	राशि
जिला कलक्टर, जयपुर	3.00
जिला कलक्टर, राजसमन्द	2.00
जिला कलक्टर, जैसलमेर	3.00
योग :-	**11.70**
सुनामी पीड़ित छात्रा को शिक्षा हेतु सहायता	0.70
कोर्ट केस की फीस	0.40
आवास विकास लिमिटेड को सुनामी के पेटे सामाजिक आधारभूत सुविधाओं हेतु	1500.00
कुल योग :-	**1512.20**
शेष राशि :-	**492.06**

परिशिष्ट-2

AVAS VIKAS LIMITED, JAIPUR
TSUNAMI REHABILITATION PROJECT
Place-wise position of Building
CUDDALORE DISTRICT

S No.	Location of Village	Nature of Building	Physical Progress
1	Cuddalore (Devananipattinam)	Construction of Dormitory on First Floor for Backward Class welfare Hostel	Completed & handed over
2	Cuddalore (Devananipattinam)	Compound wall to Backward Class Welfare Hostel	Completed & handed over
3	Cuddalore Town	Additional class room at First Floor to Municipal Hr. Sec. School	Completed & handed over
4	Cuddalore (Manjakuppam)	Additional class room & Lab Building for Municipal Hr. Sec. School	Completed & handed over
5	Cuddalore Town	Blind School	Completed & handed over
6	Cuddalore (Devananipattinam)	Construction of Dormitory on Ground Floor for Adidravid Welfare Hostel (SC Hostel)	Completed & handed over

1	2	3	4
7	Cuddalore (Devananipattinam)	Compound wall to Adidravid Welfare Hostel (SC Hostel)	Completed & handed over
8	Cuddalore Town	Construction of Special Home for Girls of above age 14 years	Finishing work in progress
9	Cuddalore Town	Construction of Special Home for Girls of age below 14 years	Completed & handed over
10	Cuddalore Town	New building of Govt. Perriyar Arts College	Completed & handed over
11	Cuddalore Town	Construction of Compound wall Perriyar Arts College	Completed & handed over
12	Cuddalore (Devanamipattinam)	Fish Drying Yard	Completed & handed over
13	Cuddalore Town	SP Compound wall	Completed & handed over
14	Cuddalore Town	Fish Auction Hall with Cold Storage	Completed & handed over
15	Cuddalore Town	Police Outpost at Silver Beach	Completed & handed over
16	Samiyarpettai	Construction of Compound wall for school building	Completed & handed over
17	Samiyarpettai	Fish Drying Yard	Completed & handed over
18	Parangapettai	New School Building	Finishing in progress (land made may 2006)
19	Killai	Classroom in Government High School	Completed & handed over
20	Parangapettai	Govt. Hospital	Lintel level (land handed over in Oct.)
21	Pudukuppam	Fish Drying Yard	Completed & handed over
22	Killai	Fish Drying Yard	Completed & handed over

AVAS VIKAS LIMITED, JAIPUR

TSUNAMI REHABILITATION PROJECT

Place-wise position of Building

KANCHEEPURAM DISTRICT

S.N.	Location of village	Nature of Building	Physical Progress
1	Mamallapuram	Government Hospital	Nearing Completion
2	Mamallapuram	Government Higher Seconadary School	Completed
3	Okkiamthuraipakkam	School	Completed & Handover
4	Sadras	GHS 6 Room	Finishing work in progress
5	Sadras	PHC	Completed
6	Sadras	Veterinary Hospital	Nearing Completion
7	Sadras	Panchayat School	Completed
8	Sadras	Community Center	Lintel Level
9	Pudupattinam	GHS	Finishing work in progress
10	Pudupattinam	Community Center	Finishing work in progress
11	Vayalur	Govt. School	Finishing work in progress
12	Kokilamedu	Community Center	Nearing completion
13	Alikuppam	Community Center	Finishing work in progress
14	Anaikatu	GHS 3 Rooms	Finishing work in progress
15	Periyakuppam	Community Center	Upto lintel level

AVAS VIKAS LIMITED, JAIPUR
TSUNAMI REHABILITATION PROJECT
Place-wise position of Building

VILLUPURAM DISTRICT

S.N.	Location of village	Nature of Building	Physical Progress
1	Kaippenikuppam	Middle School	Finishing work
2	Anumandai	Hr. Secondary School	Finishing work
3	Koonimedu	Community Center	Nearing Completion
4	Koonimedu	Vocational Training Center	Completed
5	Koonimedu	High School	Nearing Completion
6	Mudaliyarkuppam	Primary School	Finishing work
7	Mudaliyarkuppam	High School	Finishing work
8	Kottakuppam	High School	Finishing work
9	Mudaliyarkuppam	Sub Health Center	Nearing completion
10	Mudaliyarkuppam	Community Center	Roof level
11	Panicamedu	Primary School	GF roof laid a
12	Anumandai	Primary School	GF roof laid
13	Bommaypalayam	Community Center	Finishing work
14	Bommaypalayam	Cyclone Shelter	GF & FF roof

सवाई माधोपुर जिले के क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों की मरम्मत हेतु आबंटित राशि

464. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत अतिवृष्टि से पंचायत समिति बामनवास के तालाब, एनीकट व सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं ? यदि हां, तो आपदा प्रबन्धन

(श्री हीरालाल)

से बामनवास तहसील को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर कार्य करवाये गये ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आपदा प्रबन्धन से जिला सवाईमाधोपुर की तहसील गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, बामनवास, बौंली व मलारनाडूंगर को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आबंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। ग्रामवार, कार्यवार स्वीकृत राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–अ)

(2) जिला सवाईमाधोपुर की तहसील गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, बामनवास, बौंली व मलारनाडूंगर को कार्यवार आबंटित राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली के अग्निकाण्ड पीड़ितों को सहायता

465. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्रामीण क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर सरकार द्वारा सहायता राशि देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गत 03 वर्षों में कितनी अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई तथा उक्त दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति/पशु पीड़ित हुए, उनमें से कितने व्यक्ति/पशुओं की मृत्यु हुई, कितनी राशि का सामान जलकर नष्ट हुआ ? गांव का नाम व पीड़ित व्यक्तियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अग्नि दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता राशि कब-कब प्रदान की गई ?

(4) क्या सरकार अग्निकाण्ड में पशुधन जल कर मर जाने की स्थिति में पशु मालिकों को सहायता राशि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गत 03 वर्षो में कुल 266 अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्रभावित परिवार	अनुमानित क्षति लाखों में	स्वीकृत सहायता राशि
2004-05	85	20.82	138000
2005-06	108	28.45	159200
2006-07	73	19.36	133000
योग	**266**	**68.63**	**430200**

उक्त घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। पशुहानि में 7 भैंस, 2 गाय, 6 बकरे व 6 बकरियों की मृत्यु हुई। अनुमानत: राशि रुपये 68.63 लाख की क्षति हुई। तीनों वर्षों की अग्नि दुर्घटनाओं का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) उक्त अग्नि दुर्घटनाओं में कुल राशि रुपये 4.30 लाख की सहायता अग्निकाण्ड प्रभावित परिवारों को स्वीकृत की गई। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(4) जी हां। अग्निकाण्ड में पशुधन जल जाने की स्थिति में पशुपालकों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार राशि स्वीकृत कर दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

फतेहपुर में अकाल राहत कार्य

466. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में वर्षा की कमी के कारण किन-किन गांवों में 50 प्रतिशत तक खराबा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे गांवों में राहत कार्य चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में वर्षा की कमी के कारण 121 ग्रामों में 4 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। सूची संलग्न है।

(सहायता मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत व इससे अधिक खराबा वाले गांवों को ही अभावग्रस्त घोषित किया जाकर राहत कार्य चलाये जाते है।

सूची 50 प्रतिशत से कम खराबा वाले ग्रामों की तहसील फतेहपुर
वर्ष 2006-07 सम्वत 2063
(फसल खरीफ)

क्र.सं.	नाम ग्राम	खराबे का प्रतिशत	क्र.सं.	नाम ग्राम	खराबे का प्रतिशत
1	2	3	1	2	3
1.	खुड़ी	26%	19.	जेठवा का बास	23%
2.	ढिढावता पिरान	35%	20.	ढाणी कल्याणपुरा	25%
3.	मांडेलाबास	27%	21.	रोसेवा	15%
4.	ठिठावताबेडिन	29%	22.	दिसारपुरा	15%
5.	सरदारपुरा	28%	23.	थेथलिया	18%
6.	रघुनाथपुरा	28%	24.	रामपुरा	22%
7.	छुडेरा	28%	25.	रोहल	46%
8.	नावी	29%	26.	गोविन्दपुरी हरदयालपुरा	44%
9.	बारी	29%	27.	कल्याणपुरा	45%
10.	शेखीसर	27%	28.	ढ़ाणी बैजनाथ	45%
11.	बीजीपुर छोटा	21%	29.	साबसर	45%
12.	बीबीपुर बड़ा	8%	30.	भोजदेसर	45%
13.	मरजरू बरी	17%	31.	नयाबास	17%
14.	दांतख	31%	32.	कारेगा छोटा	5%
15.	चाचीवास छोटा	19%	33.	मांडेला छोटा	20%
16.	चाचीवास बड़ा	18%	34.	चिकमसरा	21%
17.	स्वामी की ढ़ाणी	24%	35.	बांठोद	14%
18.	ढाणी रिडमास	23%	36.	चुबास	19%

1	2	3	1	2	3
37.	नारसरा	17%	60.	भाखरवाली	21%
38.	रिजाऊ	17%	61.	सिगडोली ढ़ाणी	25%
39.	बिरानिया	17%	62.	कापमसर	25%
40.	किशनपुरा	18%	63.	रसुलपुर	20%
41.	मरडादू छोटी	15%	64.	ठेडी	27%
42.	कारंगा बास	13%	65.	लावण्डा	29%
43.	फतेहपुर	20%	66.	ढाणी लावण्डा	27%
44.	रामगढ़	43%	67.	ढाढण	26%
45.	गुदड़वास	45%	68.	रामसीसर	26%
46.	माधोपुरा	46%	69.	पालास	28%
47.	ढेढीढाणी	48%	70.	नेठवा	31%
48.	ढाणीखरेथ	48%	71.	जुगलपुरा	21%
49.	ढाणी नीमा	44%	72.	नगरदास	34%
50.	ताखलसर	34%	73.	बागा	30%
51.	नारसरा हरदयालपुरा	40%	74.	ढाणी हरदासचारण	27%
52.	रूकनसर	43%	75.	ढाणी पूनिया	27%
53.	सुन्डाकी ढ़ाणी	33%	76.	खोदिया	34%
54.	सहणुसर	39%	77.	दाडून्दा	36%
55.	गरनुवा	44%	78.	होदसर	36%
56.	ढाकास	45%	79.	बाबला	33%
57.	बैरास	47%	80.	सवाईसश्यामपुरा	34%
58.	ढिमोली	30%	81.	गंगापुरा	28%
59.	नांगली	25%	82.	देवास	29%

1	2	3	1	2	3
83.	हेतमसर	34%	103.	हरसावा छोटा	27%
84.	जासेऊ	46%	104.	बीड़ फतेहपुर	13%
85.	आसास	46%	105.	अठवास	28%
86.	फबनपुरा	31%	106.	स्वरुपसर	16%
87.	गोरास	33%	107.	रुपनगर	26%
88.	बेसवा	24%	108.	जलालसर	31%
89.	भीचरी	31%	109.	नबीपुरा	22%
90.	भगासरा	4%	110.	ढाकाली	14%
91.	आलमास	31%	111.	दीनवा लाडखानी	13%
92.	हिरणा	28%	112.	डाबड़ी	13%
93.	अलफसर	27%	113.	बागडोदा	18%
94.	कांगनसर	28%	114.	तिहावली	24%
95.	उदनसरी	40%	115.	तिहाय	23%
96.	गांगियासर	43%	116.	सदीनसर	20%
97.	उदनसर	43%	117.	गोडिया बड़ा	22%
98.	बलोद बड़ी	31%	118.	गोडिया छोटा	32%
99.	बलोद छोटी	36%	119.	तालसर	21%
100.	बलोद भाखरा	34%	120.	दौलताबाद	23%
101.	गारीन्दा	29%	121.	सांभासर	22%
102.	हरसावा बड़ा	28%			

फुलेरा में संचालित निगम बस सेवाएं

467. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवरतन राजोरिया)

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में कौन-कौन से मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें कहां-कहां से संचालित हो रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 1 जनवरी, 2004 से अब तक कौन-कौन से स्थानों के लिए नई बस सेवाएं प्रारम्भ की गई ? किन-किन बसों के फेरे बढ़ाये गये तथा किन-किन बस सेवाओं को बंद किया गया ? बंद करने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार चालू व आगामी वर्ष में उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से मार्गों पर निगम की नई बस सेवाएं संचालित करने व फेरे बढ़ाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही बस सेवाओं का मार्गवार विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में निगम बसों की तथ्यात्मक स्थिति दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। निगम द्वारा समय-समय पर बस सेवाओं की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में इस क्षेत्र में संचालित निगम बसों की संख्या यात्रीभार की उपलब्धता को देखते हुये पर्याप्त है, अत: फिलहार नई सेवाओं के संचालन का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

फुलेरा में निगम के विभिन्न आगारों द्वारा संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र	
1.	जयपुर-मकराना	2	वाया कालवाड़-जोबनेर
2.	जयपुर-सीकर	2	वाया कालवाड़-जोबनेर
3.	जयपुर-कुचामन	4	वाया कालवाड़-जोबनेर
4.	जयपुर-मेई-करड	2	वाया कालवाड़-जोबनेर

1	2	3	
5.	जयपुर-लूणवा	4	वाया कालवाड़-जोबनेर
6.	जयपुर-देवली	4	वाया कालवाड़-जोबनेर
7.	जयपुर-जोबनेर	4	वाया कालवाड़-जोबनेर
8.	बिचून-कुचामन	1	वाया बिचून-फुलेरा सांभर
9.	कुचामन-जयपुर	1	वाया बिचून-फुलेरा सांभर
10.	जयपुर-सुजानगढ़	2	वाया बिचून-फुलेरा सांभर
11.	जयपुर-सालासर	2	वाया बिचून-फुलेरा सांभर
12.	जयपुर-फुलेरा-डीडवाना	11	
13.	अजमेर-सांभर	8	
14.	अजमेर-रेनवाल	2	
15.	अजमेर-कोरसीना	2	
16.	मकराना-दिल्ली	2	
17.	फलौदी-नागौर-जयपुर वाया डीडवाना-कुचामन-नावां-सांभर-बिचून	2	
18.	नागौर-जयपुर वाया बिचून-सांभर	16	
19.	जयपुर-डीडवाना	2	
20.	जयपुर-कुचामन	4	
21.	जयपुर-आसलपुर	4	
22.	जयपुर-सांभर वाया बालाजी	12	
23.	जयपुर-सांभर वाया बिचून	2	
24.	जयपुर-खाण्डेल	2	
25.	जयपुर-आईदान का बास	2	

1	2	3	
26.	जयपुर-गुढासाल्ट	2	
27.	जयपुर-गुडा बैरसल	2	
28.	जयपुर-स्वामी की ढ़ाणी	2	
29.	जयपुर-जोबनेर	1	
30.	जोबनेर-खातवाड़ी	1	
31.	खातवाड़ी-जयपुर	1	
32.	जयपुर-खातवाड़ी	4	
33.	जयपुर-जोबनेर	4	
34.	चांदपोल-कालखा	4	
35.	जयपुर जैतपुरा	2	
36.	चांदपोल-बोबास	10	
37.	चांदपोल-बोराज	2	
38.	चांदपोल-पुनाना	6	
39.	चांदपोल-राधाकिशनपुरा	4	
40.	चांदपोल-आईदान का बास	2	
41.	चांदपोल-रेनवाल	10	वाया जोबनेर
42.	चांदपोल-पचार	2	
43.	चांदपोल-गुढामान	2	
44.	चांदपोल-भैसावा	4	
45.	चांदपोल-रेनवाल	4	वाया हिंगोनिया
46.	जोबनेर-केकड़ी	2	
47.	नायला-जयपुर-जोबनेर	45	

1	2	3	
48.	सीकर-जयपुर वाया रेनवाल-दातारामगढ़	14	
49.	जयपुर-तोषीना वाया रेनवाल-डीडवाना	2	
50.	सीकर-सांभर वाया रामगढ़	2	
51.	सीकर-तुंगा वाया रेनवाल-जयपुर	2	
52.	दांता-जयपुर वाया रेनवाल	1	

परिशिष्ट-2

1 जनवरी 2004 से अब तक फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित नई बस सेवायें, किन-किन बसों के फेरे बढ़ाये एवं किन-किन बसों को बन्द किया गया का विवरण

1 <u>नई प्रारम्भ की गई बस सेवायें :</u>

1. अजमेर-कोरसीना
2. जयपुर-डीडवाना

2. <u>जिन-जिन बस सेवाओं के फेरे बढाये गये :</u>

1. जयपुर-जोबनेर 1530 बजे को सिनोदिया तक बढ़ाया गया परन्तु आय कम आने के कारण पुन: जोबनेर तक ही संचालित किया जा रहा है।
2. जयपुर-जोबनेर पर एक परिचक्र और बढ़ाया गया (2100 बजे)
3. नागौर-जयपुर वाया बिचून - 8 परिचक्र

3. <u>बन्द की गई बस सेवाओं का विवरण :</u>

1. श्री माधोपुर-अजमेर	कम आय आने के कारण दिनांक 1.3.2007 से पुन: संचालित
2. जयपुर-देवली वाया कालवाड-जोबनेर 1715 बजे वाली बस	कम आय आने के कारण
3. अजमेर-भदाल	कम आय आने के कारण

4. फलौदी-नागौर-जयपुर वाया डीडवाना (1730 बजे वाली)	कम आय आने के कारण
5. जयपुर-नागौर-फलौदी वाया डीडवाना (2230 बजे वाली)	कम आय आने के कारण
6. जयपुर-बोबास	कम आय आने के कारण
7. जयपुर-खेडीराम	कम आय आने के कारण
8. जयपुर-सांभर	कम आय आने के कारण
9. चांदपोल-पुनाना	कम आय आने के कारण
10. जयपुर-मारोठ	कम आय आने के कारण
11. जयपुर-बालाजी	कम आय आने के कारण

अजमेर शहर की नगरीय बस सेवा हेतु नवीन मार्ग

468. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अजमेर शहर में नगरीय सेवा के लिये कितने मार्ग निर्धारत हैं ? सूची मार्ग के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मार्ग पर कितने वाहनों को नगरीय सेवा हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किये गये ? मार्गवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अजमेर शहर में बढ़ रहे यातयात के दबाव को कम करने के लिये पुन: मार्गों का नये सिरे से सर्वे कराकर नये मार्ग जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से नये मार्गों का तथा कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वस्तुत: अजमेर में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय संचालित है। अजमेर शहर में नगरीय सेवा के लिए 19 मार्ग निर्धारित हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) इन मार्गों पर कुल 146 मिनी बसें एवं 649 टैम्पोज को नगरीय सेवा हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं। मार्ग वार संख्या सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

अजमेर शहर में संचालित मिनी बसों/टैम्पोज का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	मिनी बस	टैम्पो
1.	चन्द्रवरदाई नगर-वैशाली नगर-जनाना अस्पताल	40	—
2.	चन्द्रवरदाई नगर से माकडवाली	—	54
3.	हजारी बाग-शास्त्री नगर से जनाना अस्पताल	9	—
4.	नाका मदार-शास्त्री नगर से जनाना अस्पताल	2	61
5.	डबल फाटक-लोहाखान से जनाना अस्पताल	1	124
6.	नाकामदार से मीरशाहअली	1	—
7.	हटुण्डी से जनाना अस्पताल	16	253
8.	धोलाभाटा से कुन्दन नगर	—	16
9.	फॉयसागर से दौराई हा.बो.	31	—
10.	हजारी बाग से नौसर घाटी	—	13
11.	नारीशाला से नौसर घाटी	16	—
12.	तबीजी-शास्त्री नगर से जनाना अस्पताल	5	—
13.	कल्याणीपुरा से कुन्दन नगर	15	—
14.	रामदेवज जी मन्दिर (धोलाभाटा) से पलटन बाजार (मिल्ट्री स्कूल)	—	—
15.	नारीशाला से जनाना अस्पताल	3	—
16.	मार्टिण्ड ब्रिज से गुवारडी	6	—
17.	नाका मदार से पहाड़गंज	—	2
18.	रामेश्वर विद्यापीठ से जनाना अस्पताल	—	—
19.	धोलाभाटा से जनाना अस्पताल	1	—
20.	दाहर सेन स्मारक से विश्वविद्यालय	—	126
	योग	**146**	**649**

मेड़ता हेतु नवीन बस सेवाएं

469. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता से वाया जसनगर से जैतारण होते हुये राजस्थान रोड़वेज की बसें संचालित थी ? यदि हां, तो क्या ये बसें वर्तमान में बन्द हैं ?

(2) क्या सरकार बन्द बसों को पुन: चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार गोटन से रामनगर, बासनीसेजा, ढाढासनी, गण्टिया, मोकाला, कलरू, होते हुये मेड़ता सिटी तक निगम बसें व निजी बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मार्ग पर निगम की बस सेवा का संचालन लागत से भी कम आय प्रति कि.मी. प्राप्त होने के कारण माह दिसम्बर, 2006 से बन्द कर दिया गया है।

(2) प्रश्न के भाग '1' में दर्शाये गये कारणों को देखते हुए फिलहाल पुन: संचालन का विचार नहीं है।

(3) गोटन से रामनगर, बासनी, सेजा, ढाढासनी, गन्ठिया, मोकाला, कलरू होते हुए मेड़ता सिटी तक नवीन मार्ग खोले जाने सम्बन्धी प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल निगम की बस सेवा संचालन का कोई विचार नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 470

(स्थगित)

दिशा निर्देशों के विरुद्ध विधायक कोष की राशि से निर्माण कार्य

471. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय विधायक कोष से धार्मिक व एक जाति विशेष समुदाय व निजी संस्थाओं को लाभान्वित करने पर नियमानुसार राशि आबंटित नहीं की जा सकती है ? यदि हां, तो इस हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में कुल कितने काम हेतु किस-किस विधायक द्वारा कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि गाइड लाइन के विरुद्ध करवाये गये कामों की विशेष स्वीकृति प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें!

(3) नियम विरुद्ध करवाये गये कार्यों के लिए क्या किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस हेतु 2004-05, 2005-06, 2006-07 में किसी विधायक द्वारा इस योजना में कोई राशि आबंटित नहीं की गई।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्रीडूंगरगढ़ के अपूर्ण कार्यों का अकाल राहत कार्यान्तर्गत निर्माण

472. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत ब्लॉक श्रीडूंगरगढ़ में स्वीकृत कार्य पूरे करवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार यह परियोजना खतम होने से पूर्व शेष बजट राशि के कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार चूरू जिले के अन्य ब्लाकों की भांति ब्लॉक श्रीडूंगरगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में भी जन समुदाय के उपयोग हेतु ढांचागत निर्माण कार्य अकाल राहत के तहत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 93 स्वीकृत किये गये कार्य क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

(2) विश्व बैंक द्वारा 7 जिलों में संचालित डीपीआईपी परियोजना के लिये स्वीकृत ऋण राशि 75 मिलियन XDR के विरुद्ध 54.125 XDR का पुर्नभरण राशि प्राप्त की जा चुकी है तथा शेष बची राशि को सरकार खर्च करने का विचार रखती है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) सरकार जिला चूरू के अन्य ब्लॉकों की भांति ब्लॉक श्रीडूंगरगढ़ की ग्राम पंचायतों में भी राशि रुपये 1.50 लाख प्रति ग्राम पंचायत तक के मांग आधारित जन समुदाय के उपयोग हेतु ढ़ाचांगत निर्माण कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत विश्व बैंक की अनुमति से करवाने का विचार रखती है।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जनजाति क्षेत्र के लम्बित प्रकरण

473. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में किस-किस जिले में कितने लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है ? जिले व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना में जनजातिय क्षेत्र में किस-किस जिले के कितने लोगों को लाभान्वित किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? जिले व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से माह फरवरी, 2007 तक जनजाति क्षेत्र में लाभान्वित किये गये लोगों का जिलेवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत जनजाति क्षेत्र में लाभान्वित करने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाभान्वित किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 1985-86 से माह फरवरी, 2007 तक जनजातीय क्षेत्र में लाभान्वितों की जिलेवार व तहसीलवार संख्या

जिले का नाम– बांसवाड़ा			
तहसील का नाम	**लाभान्वितों की संख्या**		
	नवीन आवास	**क्रमोन्नत**	**ऋण अनुदान**
बागीदोरा	4848	757	51
गढ़ी	4402	460	5
घाटोल	5792	737	2
कुशलगढ़	5654	565	10
बांसवाड़ा	5771	579	0
योग -	**26467**	**3098**	**68**

जिले का नाम–चित्तौड़गढ़			
तहसील का नाम	**लाभान्वितों की संख्या**		
	नवीन आवास	**क्रमोन्नत**	**ऋण अनुदान**
प्रतापगढ़	1679	89	2
अरनोद	1123	145	0
योग -	**2802**	**234**	**2**

जिले का नाम–सिरोही			
तहसील का नाम	**लाभान्वितों की संख्या**		
	नवीन आवास	**क्रमोन्नत**	**ऋण अनुदान**
आबूरोड	1882	240	11
योग -	**1882**	**240**	**11**

जिले का नाम–डूंगरपुर			
तहसील का नाम	लाभान्वितों की संख्या		
	नवीन आवास	क्रमोन्नत	ऋण अनुदान
आसपुर	3695	351	30
डूंगरपुर	6048	579	38
सागवाड़ा	4791	474	26
सीमलवाड़ा	4727	435	18
योग -	**19261**	**1839**	**112**

जिले का नाम–उदयपुर			
तहसील का नाम	लाभान्वितों की संख्या		
	नवीन आवास	क्रमोन्नत	ऋण अनुदान
गिर्वा	3672	363	9
धरियावाद	3574	310	2
खैरवाड़ा	4647	387	7
सराड़ा	4162	323	9
सलूम्बर	4065	325	14
झाडोल	3637	325	0
कोटडा	3016	231	0
योग -	**26773**	**2264**	**43**

बस्सी के अपूर्ण जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य

474. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में जनवरी, 2004 से अब तक कुल कितनी राशि जल संग्रहण योजना के तहत स्वीकृत की गई ? उनमें से कितनी राशि व्यय हुई ? अब कितनी राशि शेष रही व शेष रहने के क्या कारण रहे ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि बजट स्वीकृति के उपरान्त भी कई कार्य अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य व इनके अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ? उक्त कार्य कब तक पूरे कर दिये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में इस योजना के तहत उक्त तिथि से अब तक कितने कार्य पूर्ण किये गये तथा कितने अपूर्ण हैं ? अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जनवरी, 2004 से अब तक कुल 1218.54 लाख रुपये की राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित जलग्रहण योजना के तहत स्वीकृत की गई। माह फरवरी, 2007 तक प्राप्त कुल राशि रुपये 232.72 लाख के पेटे 138.13 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। अवशेष के रुप में 94.66 लाख रुपये शेष है। राशि शेष रहने के कारण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जलग्रहण योजना पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत है। स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं जिन्हें पूर्ण किये जाने की अवधि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राष्ट्रीय जलग्रहण योजना के तहत दो एवं आईडब्ल्यूडीपी योजना के तहत एक, कुल 3 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। राष्ट्रीय जलग्रहण योजना अन्तर्गत चार एवं आईडब्ल्यूडीपी योजनान्तर्गत एक, कुल पांच कार्य अपूर्ण है, जो क्रमश: 2007 एवं मार्च, 2011 तक पूर्ण किये जाने हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

जयपुर जिले में 01.01.2004 से स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं की सूचना

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	तहसील का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत जलग्रहण परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	01.01.2004 से 28.02.2007 तक		दिनांक 28.02.2007 को अवशेष राशि	अवशेष रहने का कारण
					प्राप्त	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आमेर	आईडब्ल्यूडीपी (छापराडी) 2005-06	1	299.46	44.92	29.00	15.92	परियोजना वर्ष 2005-06 में स्वीकृत हुई है। जिसे वर्ष 2009-10 में पूर्ण किया जावेगा। कार्य प्रगति पर है
2.	चाकसू (वि.स.क्षेत्र बस्सी)	आईडब्ल्यूडीपी (कोटखावदा) 2006-07	1	319.08	43.87	24.31	19.56	परियोजना वर्ष 2006-07 में स्वीकृत हुई है। जिसे वर्ष 2010-11 में पूर्ण किया जावेगा। कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	मौजमाबाद (पं.स. दूदू)	मरू विकास योजना हरियाली-2 (2004-05)	6	180.00	81.00	64.46	16.54	परियोजना वर्ष 2008-09 में पूर्ण कर ली जावेगी। कार्य प्रगति पर है
		मरू विकास योजना हरियाली-3 (2005-06)	7	210.00	31.50	20.36	11.14	परियोजना वर्ष 2009-10 में पूर्ण कर ली जावेगी। कार्य प्रगति पर है
		मरू विकास योजना हरियाली-4 (2006-07)	7	210.00	31.50	-	31.50	परियोजना वर्ष 2006-07 के दौरान दिनांक 28.9.2006 को स्वीकृत हुई है। पी.आई.ए. को परियोजनाओं का आबंटन किया जा चुका है। डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर परियोजना निश्चित समयावधि वर्ष 2010-11 में पूर्ण कर ली जावेगी।
				1218.54	**232.79**	**138.13**	**94.66**	

परिशिष्ट-2

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01.01.04 से फरवरी, 07 तक पूर्ण किये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/कार्यों का नाम	योजना	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1.	गिरधारीपुरा	एन.डब्ल्यू.डी.पी.	सितम्बर, 2006
2.	दयारामपुरा	एन.डब्ल्यू.डी.पी.	सितम्बर, 2006
3.	सिन्दौली	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	जनवरी, 2007

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की सूची

क्र.सं.	परियोजना/कार्यों का नाम	योजना	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1.	लालगढ़	एन.डब्ल्यू.डी.पी.	सितम्बर, 2007
2.	झर	एन.डब्ल्यू.डी.पी.	सितम्बर, 2007
3.	सुजानपुरा	एन.डब्ल्यू.डी.पी.	सितम्बर, 2007
4.	दुधली	एन.डब्ल्यू.डी.पी.	सितम्बर, 2007
5.	कोटखावदा	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	मार्च, 2011

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 232 का विवरण

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पाली के जल प्रदूषण के निवारण हेतु गत 5 वर्षो मे की गई मुख्य कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

1. जल प्रदूषण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पाली में किसी भी नये जल प्रदूषक/रंगाई-छपाई उद्योग की स्थापना अथवा कार्यरत रंगाई-छपाई वस्त्र उद्योगों की क्षमता विस्तार हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी नहीं की जा रही है।
2. कार्यरत उद्योगों के पास प्रदूषित उच्छिष्ट के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण एवं स्थापित तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों द्वारा उच्छिष्ट को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित न कर पाने के कारण किसी भी उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी नहीं की जा रही है।
3. पाली के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित वस्त्र उद्योगों एवं सी.ई.टी.पी. के सर्वे एवं निरीक्षण का कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित वस्त्र उद्योगों का सर्वे उद्योग विभाग द्वारा अप्रैल 2004 मे किया गया।
4. पाली स्थित तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों का निरीक्षण एवं क्षमता उपयोग का मूल्यांकन भी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किया गया, जिसमें यह पाया गया कि संयुक्त उच्छिष्ठ की मात्रा एवं गुणवत्ता में परिवर्तन होने के कारण सम्पूर्ण उच्छिष्ठ का निर्धारित मानकों तक उपचार इन संयंत्रों में तकनीकी रुप से सम्भव नहीं है, जिसके लिए इन संयंत्रों के तकनीकी सुधार एवं क्षमता के विस्तार की मूलभूत आवश्यकता है।
5. पाली में स्थापित तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों की तकनीकी/संचालन सम्बन्धी खामियों की वजह से उपचारित उच्छिष्ट निर्धारित मानकों के अनुरुप नहीं पाये जाने के कारण राज्य मण्डल द्वारा पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन को संयंत्रों की

खामियों को दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु बाध्य किया गया एवं तीनों संयंत्रों की जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत संचालन समिति दिनांक 2.1.2006 को निरस्त की गई।

6. राज्य मण्डल के लगातार दबाव के फलस्वरूप फाउण्डेशन द्वारा तीनों संयंत्रों का उन्नयन (अपग्रेडेशन) करने हतु कार्य योजना तैयार की गई जिसमें इन तीनों संयंत्रों के उन्नयन का कार्य जनवरी, 2007 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव भी शामिल था। इस कार्ययोजना के तहत फाउण्डेशन द्वारा तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों के उन्नयन हेतु मैसर्स एडवेन्ट एनवायरो केयर टैक्नोलोजी प्रा. लि., अहमदाबाद के साथ 8.283 करोड़ रुपये का एग्रीमेंट किया गया है तथा इस फर्म द्वारा दिनांक 12.12.05 से संयंत्रों के अपग्रेडेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। वर्तमान में संयुक्त उपचार संयंत्र (द्वितीय) के अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि उपचार संयंत्र प्रथम एवं तृतीय का उन्नयन कार्य प्रगति पर है तथा इसके 31.3.2007 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

7. संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों से जुडे लघु वस्त्र उद्योगों में प्राथमिक उपचार व्यवस्था स्थापित करने की बाध्यता सम्बन्धित कार्यवाही।

8. औद्योगिक क्षेत्रों से जनित उच्छिष्ट को संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों तक ले जाने हेतु पक्के नालों की व्यवस्था/निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही हेतु फाउण्डेशन को बाध्य किया।

9. संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के प्रभावी संचालन एवं दक्षता सुधार हेतु पाली स्थित रंगाई-छपाई उद्योगों में कार्बोनाइजेशन प्रोसेस पर प्रतिबंध।

10. औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत 3 उद्योग, जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस करते हुए पाये गये, को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत बन्द कराने के निर्देश, जिसके फलस्वरुप 2 उद्योगों ने कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बन्द कर दिया एवं 1 उद्योग को कार्बोनाइजेशन प्रोसस बन्द रखने की शर्त पर माननीय न्यायालय द्वारा राज्य मण्डल के निर्देशों के विरुद्ध स्थगन।

11. गैर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत 246 जल प्रदूषक उद्योगों को जल

(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 33 ए के अन्तर्गत बन्द कराने के निर्देश। इनमें से 27 लघु वस्त्र उद्योगों को प्रदूषण फैलाने की शिकायतें मिलने एवं इनसे पेयजल के दूषित होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत जल एवं विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के आदेश भी दिये गये हैं। माननीय न्यायालय द्वारा इन सभी उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों की क्रियान्विती को स्थगित किया गया है।

12. औद्योगिक क्षेत्रों (प्रथम एवं द्वितीय चरण) में कार्यरत 63 जल प्रदूषक उद्योग, जो पूर्व में कच्चे नाले के माध्यम से संयुक्त उपचार संयंत्रों से जुड़े थे, को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत बन्द कराने के निर्देश। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन निर्देशों की क्रियान्विती पर रोक।
13. राज्य मण्डल द्वारा उक्त प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 5.7.2006 एवं 8.1.2007 को प्रस्तुत कर दिया गया है।
14. गैर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने हेतु रीको लिमिटेड द्वारा नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कार्यवाही।
15. सुयंक्त उपचार संयंत्रों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट (स्लज) के उचित निस्तारण की व्यवस्था हेतु इसे वृहद् सीमेंट क्लिन में ईंधन के रुप में प्रयुक्त करने की कार्यवाही।

संलग्नक ''ब''

पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन पाली द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण :-

1. तीनों सुयंक्त उपचार संयंत्रों के उन्नयन हेतु मैसर्स एडवेन्ट एनवायरो केयर टैक्नोलोजी प्रा.लि., अहमदाबाद के साथ 8.283 करोड़ रुपये का एग्रीमेन्ट किया गया है तथा इस फर्म द्वारा दिनांक 12.12.05 से संयंत्रों के अपग्रेडेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। वर्तमान में संयुक्त उपचार संयंत्र (द्वितीय) के अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि उपचार संयंत्र प्रथम एवं तृतीय का उन्नयन कार्य प्रगति पर है तथा इसके 31.3.2007 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

2. औद्योगिक क्षेत्र प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज के इण्डस्ट्रीयल वेस्ट एवं सिटी वेस्ट को पक्के नाले द्वारा सीईटीपी तक पानी प्राप्त करके उपचारित करने हेतु सुभाष नगर 'बी' साईफन से पुनायता रोड़ सीईटीपी तक पक्का नाला निर्माण करवाया गया, जिसकी कुल लम्बाई 4.8 कि.मी. है।

3. बजरंगबाड़ी एवं सुमेरपुर रोड़ क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों के प्रदूषित पानी को उपचार हेतु पक्के नाले के द्वारा सीईटीपी तक पहुंचाने के लिए पक्के नाले का निर्माण भी करवाया गया है।

4. पुनायता रोड यूनिट नं. 3 में अस्थायी स्लज संग्रह/निस्तारण हेतु 200 वर्ग फुट का पक्का प्लेट फार्म बनवाया गया है। इस प्लेट फार्म पर 100 वर्ग फुट का पक्का टीन शेड निर्मित करवाया गया है। सुरक्षा हेतु चार दीवारी भी बनवायी गयी है।

5. औद्योगिक क्षेत्र में 10 से 12 एम.एल.डी. क्षमता का नया संयुक्त जल परिशोधन संयंत्र यूनिट नम्बर 4 का निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रारंभिक तैयारियां प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

6. संयंत्रों का संचालन 24 घंटे चालू रखने हेतु तीन जनरेटर सेट, क्रमशः 600 केवीए के दो एवं 320 केवीए का क्रय करके स्थापित कर दिये गये हैं।

7. औद्योगिक क्षेत्र पाली में करीब दो हजार नीम के वृक्ष मय ट्रीट गार्ड के पिछली वर्षा ऋतु में लगवाये गये हैं।

8. फाउण्डेशन द्वारा पर्यावरण के प्रति जन जागरण हेतु समय-समय पर सभायें, बैठकें, कार्यशालाएं इत्यादि आयोजित करने का भी प्रावधान है।

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 233 का विवरण

वर्ष	थाना	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार मुलजिमों की सं.	बरामद माल		नतीजा पुलिस	
				मुदकमों की सं. जिनसे माल बरामद हुआ	बरामद माल का विवरण	चालान	एफ आर
2003	बागरा	2	2	2	17210 रु.	2	-
2003	सायला	1	-	-	-	-	1
2003	बागोड़ा	1	1	1	पीतल की 7 टंकोरिया	1	-
2003	जसवन्तपुरा	1	3	1	चांदी का छत्र	1	-
2003	सांचौर	5	1	1	2880 रु.	1	4
2003	रानीवाड़ा	2	3	1	मन्दिर का दानपात्र	1	1

वर्ष	थाना	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार मुलजिमों की सं.	बरामद माल		नतीजा पुलिस	
				मुदकमों की सं. जिनसे माल बरामद हुआ	बरामद माल का विवरण	चालान	एफ आर
2004	जालौर	4	3	3	14000 रु.	3	1
2004	आहोर	1	1	1	चांदी के गहने	1	-
2004	बागरा	1	-	-	-	-	1
2004	सायला	3	12	3	25000 रु.	3	-
2004	नोसरा	2	-	-	-	-	2

2004	भीनमाल	6	17	6	52500 रु. पंचधातु की मूर्ति व चांदी झुमर	6	-
2004	मोदरा	3	3	2	469 रु. चांदी का घोड़ा	2	1
2004	बागोड़ा	2	4	2	चांदी का छत्र	2	-
2004	जसवन्तपुरा	1	2	1	मूर्तिया व मुकुट	1	-
2004	करड़ा	1	-	-	-	-	1
2004	सांचौर	1	-	-	-	-	1
2004	झाब	1	-	-	-	-	1
2004	सरवाना	1	3	1	1100 रु.	1	-

वर्ष	थाना	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार मुलजिमों की सं.	बरामद माल		नतीजा पुलिस	
				मुदकमों की सं. जिनसे माल बरामद हुआ	बरामद माल का विवरण	चालान	एफ आर
2005	जालौर	3	2	2	550 रु.	2	1
2005	आहोर	3	2	-	-	1	2
2005	बागरा	2	1	1	6000 रु.	1	1
2005	सायला	2	-	-	-	-	2
2005	नोसरा	2	-	-	-	-	2
2005	भीनमाल	2	2	2	25800 रु.	2	-
2005	जसवन्तपुरा	1	3	1	सोन-चांदी के आभूषण	1	-
2005	करड़ा	2	-	-	-	-	2
2005	सांचौर	1	-	-	-	-	1

वर्ष	थाना	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार मुलजिमों की सं.	बरामद माल		नतीजा पुलिस	
				मुदकमों की सं. जिनसे माल बरामद हुआ	बरामद माल का विवरण	चालान	एफ आर
2006	जालौर	5	-	-	-	-	5
2006	आहोर	4	6	3	18000 रु. चांदी की कटोरियां	3	1
2006	बागरा	2	3	2	23000 रु.	2	-
2006	सायला	2	4	2	25000 रु.	2	-
2006	भीनमाल	3	5	2	29100 रु.	2	1
2006	मोदरा	1	2	1	चांदी के 2 मुकुट	1	-
2006	जसवन्तपुरा	2	4	1	चांदी का छत्र	1	1
2006	करड़ा	2	2	1	सोने का मूठ 6 तौला	1	1
2006	सांचौर	1	-	-	-	-	1
2006	रानीवाड़ा	1	-	-	-	-	1

वर्ष फरवरी **2007**	थाना	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार मुलजिमों की सं.	बरामद माल		नतीजा पुलिस	
				मुदकमों की सं. जिनसे माल बरामद हुआ	बरामद माल का विवरण	चालान	एफ आर
	भीनमाल	3	3	1	2500 रु.	1, (जैर तफ्तीश 2)	-

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट-अ

तारांकित प्रश्न संख्या 234 का विवरण

पंचायत समिति वार क्षतिग्रस्त सड़कें, तालाब, एनिकट, तलाईयां, पुलियां

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	क्षतिग्रस्त सड़कों की संख्या	क्षतिग्रस्त पुलिया	क्षतिग्रस्त एनिकट	क्षतिग्रस्त नहरें	क्षतिग्रस्त तालाब
1.	भदेसर	18	7	2	1	1
2.	बड़ी सादड़ी	08	2	1	0	0
3.	चित्तौड़गढ़	13	7	3	3	0
4.	डूंगला	08	12	1	4	0
5.	निम्बाहेड़ा	25	11	2	5	0
6.	कपासन	18	0	1	7	0
7.	भोपालसागर	15	0	3	3	3
8.	गंगरार	10	0	1	3	4
9.	राशमी	16	0	5	5	0
10.	बेगूं	26	0	3	6	2
11.	भैसरोड़गढ़	12	0	0	0	6
12.	प्रतापगढ़	19	8	5	2	0
13.	अरनोद	15	17	2	1	0
14.	छोटी सादड़ी	08	12	3	2	0
	योग	**211**	**76**	**32**	**42**	**16**

परिशिष्ट-ब

पंचायत समिति वार क्षतिग्रस्त सड़क, तालाब, एनिकट, नहर व तालाबों की संख्या, अनुमानित नुकसान, मांग की राशि एवं स्वीकृत राशि (लाखों में) का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	कुल ग्रामों की संख्या	सडकें	पुलिया	क्षति की राशि लाखों में	एनिकट	नहरें	क्षति की राशि लाखों में	तालाबों की संख्या	मांग की राशि लाखों में	आबंटित राशि लाखों में
1.	भदेसर	168	18	7	156.00	2	1	73.50	1	5.15	4.93
2.	बड़ी सादड़ी	154	06	2	55.50	1	0	14.50	0	0	0
3.	चित्तौड़गढ़	235	13	7	235.00	3	3	159.00	0	0	0
4.	डूंगला	108	08	12	27.00	1	2	52.00	0	0	0
5.	निम्बाहेड़ा	114	25	11	214.50	2	5	161.00	0	0	0
6.	कपासन	117	18	0	29.00	1	7	87.50	0	0	0
7.	भोपालसागर	82	15	0	26.00	3	3	98.50	3	2.50	2.50
8.	गंगरार	129	10	0	21.50	1	3	13.50	4	1.65	1.65

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	कुल ग्रामों की संख्या	सडकें	पुलिया	क्षति की राशि लाखों में	एनिकट	नहरें	क्षति की राशि लाखों में	तालाबों की संख्या	मांग की राशि लाखों में	आबंटित राशि लाखों में
9.	राशमी	89	16	0	9.50	5	5	43.00	0	0	0
10.	बेगूं	241	26	0	29.00	3	6	72.50	2	2.00	2.00
11.	भैसरोड़गढ़ (रावतभाटा)	227	12	0	24.50	0	0	0	6	29.65	15.55
12.	प्रतापगढ़	365	19	8	207.50	5	5	110.50	0	0	0
13.	अरनोद	189	15	17	191.75	2	1	42.00	0	0	0
14.	छोटी सादड़ी	151	08	12	57.00	3	2	118.50	0	0	0
	योग	**2429**	**211**	**76**	**1317.75**	**20**	**42**	**1130.00**	**16**	**40.95**	**26.63**

परिशिष्ट-स

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

बिन्दु सं. 1 विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को आबंटित 20.65 लाख व 6.20 लाख का पंचायत समिति वार आबंटन

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	**पंचायत समिति**		**ग्राम पंचायत**	**आबंटित राशि**
	नाम	**कुल आबंटन**		
1.	भदेसर	4.93	रेवलिया	4.93
2.	भोपालसागर	2.50	निलोद	2.00
			पारी	0.25
			ऊसरोल	0.25
3.	गंगरार	1.65	खारखंदा	0.40
			साड़ास	**0.30**
			कुवालिया	0.25
			चौगावंशी	0.40
			लालास	0.30
4.	बेगूं	2.00	रायता	1.00
			सादी	1.00
5.	भैंसरोड़गढ़	15.55	तम्बोलिया	1.25
			गोपालपुरा	1.50
			श्रीपुरा	1.50
			भैसरोड़गढ़	1.50
			झरझनी	1.50
			मण्डेसरा	2.50
			धावदकला	0.60
			रैनखेड़ा	1.70
			एकलिंगपुरा	1.00
			जवाहरनगर	1.50
			लुहारिया	1.00
	योग	**26.63**		**26.63**

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न संख्या 236 की सूची

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे

क्रमांक: प.7(2)(5)रा.छा./सा.न्या.अ.वि./2002/ जयपुर, दिनांक: 21-3-07

<u>आदेश</u>

प्रशासनिक दृष्टि से निम्नांकित राजकीय छात्रावास को स्थानान्तरित कर प्रस्तावित स्थान पर वर्ष 2007-08 से संचालित किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	पूर्व में स्वीकृत छात्रावास का नाम एवं स्थान	छात्रावास का नाम एवं स्थानान्तरित स्थान जहां छात्रावास संचालित किया जाना है	स्वीकृत छात्र संख्या	योजना
1.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पपूरना झुन्झुनूं (वर्ष 2004-05)	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, मण्डावरा, कोटा	25	अनुसूचित जाति
2.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लबाना, द्वितीय, जयपुर	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, फतेहपुर, सीकर	35	अनुसूचित जाति

जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोटा/सीकर को निर्देश दिये जाते हैं कि स्थानान्तरित छात्रावास का नये स्वीकृत स्थान पर नियमानुसार संचालन करावें।

निदेशक

परिशिष्ट-5

मांग संख्या-46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

1. गांवों में प्राकृतिक जल स्त्रोत की आवक को बढ़ाने के लिये अवरोधों को दूर करने तथा छापरवाड़ा बांध के आवक में आ रहे अवरोधों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. छापरवाड़ा बांध के सभी पिडरों की मरम्मत कराने एवं दूदू में ग्राम बिचून में नागर एनीकट को और अधिक उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. कालख बांध को सिंचाई योग्य बनाने व ईटाखोई फीडर पर चैक डेम बनाकर छापरवाड़ा बांध में पानी की आवक बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

4. राज्य में सिंचाई परियोजनाओं में सुधार एवं विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

5. सिंचाई विभाग की प्राथमिकता में सिंचाई के साथ भू-जल को चार्ज करने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. कोटा सम्भाग में व्यर्थ बहते वर्षा जल को सिंचाई हेतु उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. सिंचाई विभाग का बकाया शुल्क वसूल करने व शुल्क में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. पेटाकाइन भूमि पर भी सिंचाई विभाग को शुल्क वसूल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

9. राजस्थान से वर्षा एवं नदियों के पानी सहित घग्घर, कालीसिन्ध आदि नदियों के पानी को प्रदेश से बाहर जाने से रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

10. शेखावाटी के झुंझुनूं, चूरू, सीकर आदि स्थानों पर नहर योजना शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

11. दरा का नयांगांव तहसील हिण्डौली एवं आसपास के गांव डाबेड़ा, दरारा नयागांव में लघु सिंचाई परियोजना का सर्वे व फिजीबीलीट रिपोर्ट तैयार करवाकर योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के लिये प्रस्तावित एनिकटों के निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. लघु सिंचाई परियोजना, सथूर-विशनपुरा की बाधाएं दूर कर निर्माण कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के कालानला हनुमान मन्दिर के पास एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

15. सिंचाई के लिये पानी का पूरा व सही उपयोग करने के लिये स्प्रिन्कलर तथा बून्द-बून्द पद्धति से सिंचाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

16. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मोहनपुरा बांध की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

17. ईसरदा कोपर डेम का कार्य आरम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

18. विधान सभा क्षेत्र खैरथल में रहीमन छिन-छिन का बांध, शेखपुर बांध, जाट का बांध, सिरमौली बांध, नंगली खलील बांध निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

19. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कालीबोर डेम से पिपला, शिवडिया, पिलखा वंचित क्षेत्र बेकरिया एवं रेटो का नाका से वंचित रही, टेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

20. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पंच पहाड़ी में नया बांध निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
21. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के बुचारा, दांतिल एवं पादोडाला बांधों की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. पंचायत समितियों को स्थानान्तरित किये गये बांधों को पुन: सिंचाई विभाग के तहत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

23. जवाई बांध जिला पाली का कमांड क्षेत्र ढोला व चाणोद तक बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
24. हेमावास बांध जिला पाली का कमांड क्षेत्रफल पाली पंचायत समिति के अन्य गांवों तक विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
25. नर्मदा का पानी सुमेरपुर क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल के लिये उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

26. रायपुर विधान सभा क्षेत्र में एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
27. रायपुर विधान सभा क्षेत्र की गुडीया नदी पर बेसफ्लो बनाने एवं रायपुर बांध के केचमेंट एरिया में बने हुये एनिकटों को तुड़वाने अथवा नीचा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
28. लुनी नदी पर रायपुर दीपावास बांध का ओटा चार फीट नीचा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

29. इंदिरा गांधी नहर की डिसिल्टींग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
30. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सभी को सिंचाई सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
31. फव्वारा व बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

32. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अतिवृष्टि व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कवास में एकत्रित पानी के उपयोग हेतु बांध निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

33. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में माही डेम की भुगड़ा केनाल के आर.डी. 0 से 19.80 पर से बाईं नहर सुरंग द्वारा निकाली जाने वाली 48 करोड़ की योजना तत्काल स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पीपलखूंट क्षेत्र में माही बांध की दाईं छोर से नहर के सर्वे कार्य की स्वीकृति तत्काल दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा घाटोल में गांव बडाना मजरा पाड़ा कनपुरा में 18 कि.मी. पर सकी कन्डाव माईनर का सर्वे व गांव मगेला पाड़ा व बस्ती आड़ा तक कन्डाव माइनर के सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र घाटोल से गुजर रही कन्डाव नहर से शाखा नहर कुडली गांव से निकाली गई उसका पुन: सर्वे कराकर भुखीया जगपुरा की ओर सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

37. ऊंचा डेम (निम्बाहेड़ा) के पुनर्निर्माण व कोचवा तथा बडावली तालाब की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. निम्बाहेड़ा में सिंचाई उपखण्ड खोलने अथवा चित्तौड़गढ़ से सिंचाई उपखण्ड (द्वितीय) को निम्बाहेड़ा स्थानान्तरित करने पर चर्चा के लिये।

39. तहसील क्षेत्र के गम्भीरी डेम की भराव क्षमता में वृद्धि हेतु बांध में भरी हुई मिट्टी उठाने हेतु किसानों को छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. प्रस्तावित पण्डेरिया एनीकट, ऊंट की गोड़ी एनीकट, अन्धेरी नदी पर एनीकट कम काजवे (सभी तहसील छोटी सादड़ी) व ऊंखलिया कदमाली, कोचवा व बड़ावली तथा अम्बा माता एनीकट कम काजवे (तह. निम्बाहेड़ा) की शीघ्र स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

41. प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजना बागदरी (तह. छोटी सादड़ी), रेणका नाका (तह. निम्बाहेड़ा) व भावलिया सिंचाई परियोजना से लिफ्ट सिंचाई स्कीम (तह. निम्बाहेड़ा) की शीघ्र स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) (निवाई) :

42. बीसलपुर बांध से विधान सभा क्षेत्र निवाई को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

43. पुष्कर सरोवर फीडर दुरुस्त करने व कडैल ग्राम में नाड़ी निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री ममता शर्मा (बूंदी) :

44. चम्बल परियोजना में आ रही बांई मुख्य नहर बूंदी को सुदृढ़ करने खास तौर पर अन्धेड़ एवं दौला वितरिका को योजना के अन्तर्गत लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

45. विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना से सिंचाई में आने वाली परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

46. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के कारोलिया, पीपली डोडियान (पंचायत समिति रेलमगरा), बान्डयावाला (पंचायत समिति राजसमन्द) में एनीकट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. खारी फीडर को नाथद्वारा सब डिवीजन से राजसमन्द सब डिवीजन में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

48. अपूर्ण सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. अन्तर्राज्यीय जल समझौतों का पूर्णतया पालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

50. रातई एवं गरड़ा सिंचाई परियोजना के कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. सेमली फाटक सिंचाई परियोजना की फिजिब्लिटी रिपोर्ट हेतु मुख्य अभियन्ता के पास विचाराधीन प्रस्ताव पर चर्चा के लिये।

(श्री हेमराज मीणा)

52. अहम्मदी सिंचाई परियोजना के स्वीकृत कार्य को चालू करने, नवेली व हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

53. सिद्धमुख नहर परियोजना में ताम्बाखेड़ी, रामसराताल, दूड़ाखेड़ी, किशनपुरिया, धानोठी, छोटी, रेजड़ी के असिंचित रकबे को सिंचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. सिद्धमुख नहर परियोजना के राजगढ़ तहसील के गांवों में खालों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. सिद्धमुख नहर परियोजना मे गांव ढाणी वड़ी, सरदारपुरा, सादपुरा, तहसील राजगढ़ को शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. सिद्धमुख नहर परियोजना के बेड लेवल को ऊंचा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

57. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के जवाजा पंचायत समिति में एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सिंचाई हेतु स्वीकृत अधूरे कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में टूटे-फूटे तालाब, एनीकट की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

60. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, चम्बल, माही, नर्मदा, गंगा-यमुना नदियों का पानी राजस्थान को अधिकाधिक व नियमित प्राप्त हो इसका तंत्र विकसित करने पर चर्चा के लिये।

61. अजमेर जिले के तालाबों का सुदृढ़ीकरण योजनाबद्ध तरीके से करने पर चर्चा के लिये।

62. चम्बल नदी का पानी अजमेर जिले को सिंचाई के लिये उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित योजना की स्वीकृति प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

63. राज्य सिंचाई परियोजना के निर्माण में लागत लाभ पद्धति (बी.सी. रेसो की शर्त) हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

64. विधान सभा क्षेत्र लूणी के गंवई तालाबों-धवा, चिंचडली, शिकारपुरा, धन्धाड़ा, उत्तेसर, पीपरली, सिनली, चाली, मेलबा, नंदवान, सर, सरेचां, फींच, रोहिचा कलां, रोहिचा खुर्द, सतलाना, भाचरना, गुडा, मोगड कलां, खेजडली, मोडी, भटिण्डा, काकेलाव, बीरामी, लोलावास, रामासनी, ओलवी, बाला, लाम्बा, कापरडा, चौढ़ा, सिलारी, बोयल, जसपाली, पीथावास, रुडकली आदि की खुदाई, घाट बंधाई व चैनल फीडरों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

65. बनास नदी पर बगतावरपुरा घाटा मरमी, पहुंना एनीकट कम काजवे का निर्माण, गेगपुरा, देवपुरा, उपरेडा, मोरपगा, एनीकट निर्माण, बेडच नदी व साण्डिया व सोकिया नदी पर एनीकट निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. चौगावडी, जवालिया बांध निर्माण, साडास बांध की एक नहर और बना कर शेष कमाण्ड क्षेत्र को सिंचित कराने, राज्यास व सूरजनियास तालाब निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. बस्सी बांध की नहरों की मरम्मत के लिये, सुदरी फीडर निर्माण के लिये राशि आबंटन, बगतसागर गंगरार बांध को सिंचाई विभाग में अधिग्रहण कराने व भालोरा की खंडी बांध को सिंचाई विभाग में अधिग्रहण करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

68. मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में लाखा सागर, रेण, खेड़ूली तालाब के निर्माण व मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये।

69. मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में जारोड़ा, दत्ताणी, सानलावास, डांगावास, देराणी, विष्णुसागर तालाबों का निर्माण व मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पंचायत समिति रियाबडी क्षेत्र में दासावास 15 लाख, खेलेरी की ढाणी के पास 6 लाख व हर रोहिसी 10 लाख के एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

71. विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्रस्तावित एनीकट कार्य स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्रस्तावित सिंहपुर सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र कपासन में कच्ची नहरों को पक्की कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

74. विभाग द्वारा नर्मदा नहर से जालोर जिले के गांवों की सिंचाई हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

75. भरतपुर जिले को सिंचाई हेतु यमुना एवं गुड़गांवा कैनाल का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. सीकरी सिस्टम, बेरू (दो मोरा) ककड़ा बांध (डीग) चिमरखालों नहर की सफाई व मरम्मत कर सही रखरखाव करने तथा इनके माध्यम से पानी रोक कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. हरियाणा व पंजाब से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. गुड़गांवा कैनाल का पानी पहाड़ी से बढ़ाकर सीकरी सिस्टम तक लाने हेतु लिफ्ट कैनाल का सर्वे कराकर प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. सिंचाई विभाग के उन ठेकेदारों द्वारा जिनके निर्मित बांध आदि समय से पूर्व ही नष्ट होने की स्थिति में उनको काली सूची में डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

80. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में रोशन बाडी, सेतखेड़ी लघु सिंचाई योजनाएं बनवाकर स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

81. इंदिरा गांधी नहर से सिल्ट निकलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री सांगसिंह भाटी)

82. लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से एनीकट आदि के निर्माण को प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

83. रेलमगरा तहसील मावली के तालाब धनेरियागढ़ एवं खड़बामनिया के गुलाबसागर बनाने, बनास नदी पर गिलुड में एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. देवास तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर के तृतीय एवं चतुर्थ स्टेज का कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र मावली के बागोलिया, सहेलरा, घड़ेला, उदयसागर की नहरों का सुदृढ़ीकरण कर पक्के बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारुपाल (देसूरी) :

86. देसूरी के छोटे बड़े दो दर्जन बांधों की कच्ची खालियों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

87. विभाग द्वारा सीकर शहर के दूषित पानी को साफ कर सिंचाई करने हेतु कारगर योजना बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

88. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के बड़े तालाबों की खुदाई सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में स्थित बांधों की ऊंचाई एवं भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में बरसात के पानी को स्टोरेज करने हेतु पानी के टांके बनवाने पर सब्सिडी दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :

92. नोहर सिंचाई नोहर फीडर सिद्घमुख कैनाल नोहर साहवा लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों में सर्वे करवाकर खाले नाले बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

93. रावतसर क्षेत्र एवं रावतसर शहर में सेम (वाटरलीकिंग) जल पलावन से निजात दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. इंदिरा गांधी नहर जर्जर अवस्था होने के कारण इसकी मरम्मत करवाने, लुणावाली ढाणी, डबली खुर्द, मसीतावाली तहसील टिब्बी एवं चक 6 बीपीएम, ग्राम गेन्धेली तहसील रावतसर के भू-भाग पर पानी जमीन से ऊपर (सेम) के कारण कृषि भूमि बेकार होने पर एवं दल-दल क्षेत्र से गुजरती मुख्य नहर की समस्या का समाधान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

95. सूरतगढ़ ब्रांच की शाखा की एल.पी.एम. हैड से बारुवाला हैड तक सिल्ट हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

96. रामगढ़ (अलवर) में गौहा-चौकी बारां में एक लघु सिंचाई योजना हेतु चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

97. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में देलोद लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सूखी नदी की ड्रेन की डिसिंटीग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

99. आर.डी. 84 हैड (12 ए) पर अनूपगढ़ शाखा पर क्षतिगस्त पुल बनाने, आर.डी. 162 अनूपगढ़ शाखा पर टूटे पुल का पुनर्निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

100. बांधों को ग्राम पंचायतों को सुपुर्द करने से उनका रख-रखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. सहायक अभियन्ता, सिंचाई कार्यालय जैतारण के भवन हेतु राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कावलीयाखुर्द, मेघवालों वाले, रेगरों

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

वाला, रास व चढावता की ढाणी वाले, प्रतापगढ़ एनीकट अतिवृष्टि के कारण जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

103. माण्डक योजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. नन्द संमद नहर को पक्की करने के लिये राशि का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

105. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में एनीकटों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

106. विधान सभा क्षेत्र जालौर में जनता की मांग के अनुरुप प्रस्तावित विध स्थानों पर बाढ़ बचाव हेतु सिंचाई हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र जालौर के गांव आकोली तथा पीजोपरा गांव के हल्देश्वर क्षेत्र में बांधों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' (खण्डार) :

108. ईसरदा कोफर डेम के निर्माण से तहसील चौथ का बरवाड़ा के ग्रामों में सिंचाई का पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में स्वीकृत एनीकट निर्माण के कार्य पूर्ण कराने एवं विचाराधीन एवं प्रस्तातिव एनीकटों के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में स्वीकृत मानसरोवर बांध के अपग्रेडेशन कार्य एवं कुशालीपुरा नाले के डायवर्सन के बकाया कार्य को शीघ्र ही पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में स्वीकृत देवपुरा बांध पर स्वीकृत बकाया झोझेश्वर नाले के डायवर्सन कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के अन्तर्गत ग्रामों के बड़े तालाबों को जीर्णोद्धार एवं गहरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

113. विधान सभा क्षेत्र खारची में कोलर, केसूली, रेणिया, फुलाद, डिंगोर, बालाजी सागर खिवाडा, मगरतलाब व घोड़ा दड़ा बांध की नहर निर्माण बांधों व नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु जे.बी.आई.सी. के तहत स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र खारची में सभी क्षतिग्रस्त एनीकटों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

115. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सुनारी घाट एवं खरखड़ा नाले पर बांध निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

116. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की बड़ोदिया बस्ती से रेलवे स्टेशन से सदर थाने तक जाने वाली सड़क पर से सिंचाई विभाग को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

117. खानपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवानपुरा तहसील खानपुर में उजाड़-नदी आलनपुर पर एनीकट स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

118. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अन्तर्गत कोलायत एवं गजनेर जलोत्थान सिंचाई योजना के कार्य को यथा समय पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति तथा कोलायत सरोवर को जलोत्थान सिंचाई योजना से अब तक न जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

119. विभाग द्वारा माही परियोजना के पानी सिंचाई हेतु कुशलगढ़ क्षेत्र को न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. विभाग द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में अधूरी सिंचाई परियोजना पीपलोन व टिडियादेव को स्वीकृत न कर चालू कराने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. विभाग द्वारा पुरानी सिंचाई परियोजनाओं झाखरिया, घोडहरा, नयागांव में पानी सिपेज न रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री फतेह सिंह)

122. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र उदेगढ़ वसुनि सिंचाई परियोजना को चालू करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

123. विधान सभा क्षेत्र आहोर के बावरड़ा बांध को जवाई कैनाल से भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भीम तालाब रायथल को मिनी बांध के रूप में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

125. विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) के पहाड़ी क्षेत्र भाखरड़ा में जल प्रबन्ध योजना में चैक डेम व एनिकटों के निर्माण की विशेष योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

126. तारानगर की सिंचित भूमि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. चौधरी कुम्भाराम आर्य शाखा का तारानगर व चूरू तहसील के बचे गांवों का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. तारानगर मे निर्माणाधीन नहर और पुलों की स्वीकृति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. सरदारशहर व सुई शाखा कार्य शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य तारानगर में पूर्ण कर सिंचाई, पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

131. विधान सभा क्षेत्र बाली के अधूरे-अपूर्ण बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र बाली के बोकी बांध की ऊंचाई ऊपर उठाकर लुन्दाड़ा ग्राम पंचायत को नहरों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. वर्ष 2001 की बाढ़-अतिवृष्टि के दौरान क्षतिग्रस्त लाटाड़ा बांध तहसील बाली की ऊंचाई पूर्ववत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बाली के भूतेलाव बांध के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

135. विधान सभा क्षेत्र बाली के रूघनाथपुरा बांध से नहरें निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम धोद (धोद) :

136. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों के साथ अजमेर जेल में हुये समझौते को लागू नहीं करने से हो रहे किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. सीकर जिले को नहरी व्यवस्था से नहीं जोड़ने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138. बीसलुपर बांध से टोंक जिले के किसानों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से हो रहे किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

139. ग्राम छादेल व बापू गांव के बीच ढूंढ नदी पर एनीकट बनाने एवं मण्डालिया मैदा के एनीकट की पक्की पाल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

140. धौलपुर जिले के असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दिलाने के लिये चम्बल लिफ्ट योजना की स्वीकृति तथा पार्वती नदी पर द्वितीय पार्वती लोअर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पार्वती नदी को उपयुक्त स्थानों पर रोककर एनीकट बनाने पर चर्चा के लिये।

142. धौलपुर के उर्मिला सागर बांध के सीपेज/लीकेज को नहीं रोकने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

143. पार्वती बांध एवं उर्मिला सागर बांध से निकलने वाली नहरों से टेल एण्ड तक पानी नहीं पहुंचाने से काश्तकारों की फसल नष्ट हो जाने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम कूकरा पर पार्वती नहर की पुलिया ऊंची होने से वाहनों के पलटने से दुर्घटना के बावजूद भी पुलिया को समतल नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

145. गंगनहर के किनारे वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. गंगनहर के आर.डी.-31 से 205 तक निर्माण करने एवं करणोजी वितरिका को 0 से 50 तक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

147. सूरतगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत पदमपुरा के गांव संगीता एवं 5 एस.डी. में आई सेम से गिरे मकान व सरकारी सम्पत्ति को हुए नुकसान के निराकरण हेतु चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

148. कानोता बांध में बुचड़खाने का गन्दा पानी आने से लाखों मछलियों के मर जाने तथा दूषित पानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 2006 में एक भी एनीकट व अपूर्ण कार्यों को स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सिंचाई विभाग द्वारा लगाये गये शीशम, पीपल, बम्बुल आदि पेड़ों को प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा काटे जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

151. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम नाहर खोहटा तहसील सिकराय में लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम बाणे का बरखेड़ा में लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) :

153. बारां शहर को बाढ़ से बचाने के लिये बारां शहर के वाटर डायवर्सन चैनल का निर्माण करवाने की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. बारां जिले की पार्वती नहर का जीर्णोद्धार कार्य एवं पार्वती पिकअप वियर की वाटर स्टोरेज क्षमता के विस्तार योजना की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. बारां जिले की दीपपुरा, टकसपुरिया, लिफ्ट स्कीम की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

156. बारां जिले से निकल रही चम्बल नहर (दांई मुख्य नहर) पर संचालित आटो लिफ्ट परियोजनाओं का जीर्णोद्वार कार्य हेतु बजट स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. बारां जिले की पावन तुलसा लिफ्ट परियोजना की वाटर स्टोरेज क्षमता में बढ़ोत्तरी एवं कैनाल का जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति जानी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) :

158. हरसोरा बांध के पुराने चैनल गेट के स्थान पर तुरन्त नया चैनल गेट लगाकर बांध से निकलने वाली नहरों को दुरुस्त करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

159. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के गांव हस्तेड़ा में एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम महार में एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम समरपुरा, हादनोदा, निबाणा, ढोढसर, गोविन्दगढ़ आदि में एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सामोद में रातालाई बांध के पुननिर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के गांव मोरीजा के टूटे बांध के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

164. रायसिंहनगर क्षेत्र में गंगनहर परियोजना में असिंचित क्षेत्र ग्राम जीवन देसर बारानी व 46 एल.एन.पी. बारानी क्षेत्र का एरिया 1017 बीघा, अमेजा नहर क्षेत्र की 26-27-28 एच.पी. बारानी क्षेत्र – 1025 बीघा, रिडमलसर बारानी 1200 बीघा एवं उड़सर बारानी एरिया 1175 बीघा को सिंचित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. गंगनहर प्रणाली में छोटी वितरिकाएं 10 क्यूसैक तक की आर. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के तहत पक्की करने हेतु स्थानीय किसानों को हिस्से के तौर पर 15 प्रतिशत राशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

166. विधान सभा क्षेत्र नोखा के पूंगल व बीकानेर के आसपास जो एरिया वंचित रह गया है, उनको खालों से जोड़ने व नोखा को इंदिरा गांधी नहर पानी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

167. बूंदी जिले में सादेड़ा (नैनवां) के समीप मेज नदी एवं बेजान नदी के संगम स्थल पर लघु सिंचाई बांध निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. चम्बल सिंचित क्षेत्र में बूंदी ब्रांच कैनाल की नहरों के अंतिम छोर में स्थित टेलकल स्तर तक समयबद्ध तरीके से सिंचाई के लिये पानी पहुंचाने में रही सरकार की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. बूंदी जिले में स्थित देई गंगासागर, बन्सोली (नैनवां) तथा बटावती सिंचाई बांधों का पुनर्निर्माण करने एवं ऊंचाई बढ़ाई जाकर भराव क्षमता में वृद्धि की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. बीसलपुर परियोजना का पानी वर्ष 1943 से 1945 की अवधि में हुये सर्वे के मुताबिक आवश्यकतानुसार स्थान विशेषकर गहरी नहर खुदवाई जाकर नैनवां तहसील के 110 ग्रामों सहित विभिन्न क्षेत्र के ग्रामों में फ्लो (बहाव) से सिंचाई हेतु पानी पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. चम्बल सिंचित क्षेत्र की बांई मुख्य नहर की बी.बी.सी. के भीतर बांई तरफ छूटी हुई 8 फीट चौड़ी पट्टी की मिट्टी खुदाई जाकर पानी बहाव की क्षमता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

172. नहरों के किनारे लगे वृक्षों का 50 प्रतिशत का मालिकाना हक उस भूमि के मालिक काश्तकार को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

173. जोधपुर के इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई के साथ-साथ जलापूर्ति की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

174. इंदिरा गांधी नहर से जोधपुर के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

175. इंदिरा गांधी नहर से जोधपुर को जलापूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

176. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के भैंसासिंह बांध का कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. राज्य में सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. रोजगार गारंटी योजना में सिंचाई विभाग द्वारा काम न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के बरलूट व नवारा बांध का कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गौडाणा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

181. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सिंचाई हेतु पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने, बी.डी. नहर, के.जे.डी. नहर, बी.जी.एम. नहर, चक 9 डीओएल (छतरगढ़) का बैड लेवल ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. कंवरसेन लिफ्ट नहर के अन्तर्गत सिंचित रकबे के सभी कच्चे खालों को पक्का करने, आवश्यक स्थानों पर खाला कार्य करवाने, सिंचाई हेतु पूरा पानी उपलब्ध करवाने, पम्पिंग स्टेशनों को निर्बाध विद्युत उपलब्ध करवाने, पवन/सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. अधिशासी अभियंता कार्यालय खाजूवाला में चल रहे रिक्त पदों तथा विभिन्न उपखण्डों में चल रहे रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के चक 4 एडी को पाइप लाइन द्वारा सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के स्थान पर नया खाला निर्माण कराने, क्षतिग्रस्त खालों/माइनरों की मरम्मत करने, खाला कवरिंग कार्य करने, नहरों के अंतिम छोर के कच्चे खालों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

185. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये तालाब व एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

187. विधान सभा क्षेत्र आहोर के विभिन्न ग्रामों के किसानों की चाही कमाण्ड भूमि को जवाई नहर कमाण्ड में जुड़वाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

188. बांसवाड़ा जिले के सब माइनरों के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. बांसवाड़ा जिले के आनन्दपुरी क्षेत्र में सब माइनरों के निर्माण को शीघ्र पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. बांसवाड़ा जिले के असिंचित क्षेत्र में माही का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

1. राज्य में पीने के पानी के लिये अविलम्ब टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. बीसलुपर-दूदू पेयजल परियोजना में तह. फागी के गांवों को प्रथम फेज में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र दूदू में लम्बे समय से स्वीकृत हैण्डपम्प नहीं लगाने एवं हैण्डपम्प मरम्मत के लिये पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र दूदू में बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना के रिजनल स्कीमों का कार्य अविलम्ब शुरू करने एवं सैक्टर रिफार्म व स्वजलधारा योजना में एस्टीमेट के अनुसार योजनाओं में पूरी राशि खर्च करने के बाद भी पेयजल से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

5. आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने तथा भूजल रहित व खराब क्वालिटी वाले क्षेत्रों में विशेष योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

6. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की पेयजल योजना में सुधार व पेयजल योजना की स्वीकृति सभी शमशान घाट व कब्रिस्तान में पेयजल की उपलब्धता तथा गांव जो हैण्डपम्प स्कीम में आते हैं, लेकिन उनमें भूजल गहराई के कारण ट्यूबवैल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

7. भू-जल री-चार्ज हेतु ग्रामीण तालाबों को भू-जल विभाग से गहरा करने तथा नवीन तालाब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

8. सांगोद तहसील में पेयजल की पूर्ति हेतु भू-जल री-चार्ज करने हेतु नदी परवन व कालीसिन्ध पर एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

9. बाड़मेर जिले की जोगासरिया-सनया सोमेसरा जोगासरिया रावतसर-चवा पेयजल योजना की एगमेन्टेशन स्कीम स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. बाड़मेर जिले की गुढामालानी तहसील के ग्रामों के लिये नर्मदा नहर से पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. बाड़मेर लिफ्ट कैनाल वाटर सप्लाई परियोजना पर पेयजल हेतु वर्ष 2007-08 में 400 करोड़ का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

12. जयपुर की बस्तियों में पेयजल में गन्दगी पाए जाने एवं अनेक स्थानों पर सीवर लाइन में लिकेज होने के कारण लोगों को गन्दा पानी पीने से बढ़ती बीमारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. उदयपुरवाटी में बढ़ती पीने के पानी की मांग के लिये निकट भविष्य में पानी के बचाव हेतु चर्चा के लिये।

14. झुंझुनूं जिले के बिसाउ, मण्डावा, नवलगढ़, उदयपुरवाटी आदि में फ्लोराइडयुक्त पानी से बढती समस्या को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. राज्य में पेयजल योजनाओं में हो रही भारी धांधली की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

16. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल स्कीम नोरंगपुरा, दूधी आमलोदा दो वर्ष से विभाग में पेडिंग होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विधायक कोष से चन्दवाजी, पीलवा, बीलपुर, चांदावास, खवारानीजी, रायसर की टंकियां, हैण्डपम्प एवं पानी की टंकी अब तक नहीं लगने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

18. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ क्षेत्र के नाकारा हैण्डपम्प की जगह दूसरे हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. जमवारामगढ़ बांध के सूखने से उसी क्षेत्र मे कई ट्यूबवैल लगाकर जयपुर के लिये, पानी लाने, सीवेज के पानी को भी खुला नहीं छोड़ने के कारण अधिक जलदोहन से होने वाले क्षेत्र में भयंकर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

20. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम चाबा, गुमानसिंहपुरा, साई साबरसर, हिम्मतपुरा व ग्राम पाबूसर, भुतरपुरा, भोमसागर, सुवालिया, देवरागढ़, सोंलनियातला, गुमानपुरा में बनी पेयजल योजनाओं की जी.एल.आर. (पानी की टंकियों) में पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम तुणावपुरा, अजीत नगर, बावरली, तुलेसरचारणा, तुलेसर पुरोहितान, भाटेलाई थारणान, भाटेलाई पुरोहितान मूंडसर, सुरानी, डूंगर, विष्णु नगर, डंडी नगर, भाटों की ढ़ाणी, देवगढ़, टीकमगढ़, शीलों की ढ़ाणी, हरियाणा कोनरी, उदयसर, आगोलाई, हनवेत नगर, भानगढ़ की जी.एल.आर. में पानी नहीं पहुंचने, दुदा बेरा से आगोलाई डुगर, सुरानी के लिये पेयजल सुधार के लिये बनी पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत करने एवं आर.डी. 134 देवानिया, नालड़ाई कनोडिया पुरोहितान, 54 मील, शेरगढ़, भाबा वृहद जल प्रदाय योजना का दूसरा व तीसरे चरण की शीघ्र स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

22. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में विभाग द्वारा खरीदे गये उपकरणों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

23. विधान सभा क्षेत्र भीम में पेयजल योजनाओं हेतु शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के लिये कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

24. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के गरडदा सिंचाई परियोजना से क्षेत्र की

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पंचायतों सहित बूंदी शहर को पेयजल योजना का सर्वे करवाकर उक्त परियोजना में पेयजल हेतु रिजर्व किये पानी का सदुपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. हिण्डौली मुख्यालय सहित अन्य 1500 की आबादी सहित ग्रामों को पेयजल स्कीम बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में तत्काल पानी उपलब्ध कराने हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी कर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

27. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के चाणोद, मणिहारी, कोसेलाव व नौवी ग्रामों की पुनर्गठित जलप्रदाय योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

28. जैसलमेर में हर गांव, मगरे तक पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

29. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम इस्माइलपुर, घासौली, खानपुर में पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. कस्बा चिकानी व बहादुरपुर तहसील किशनगढ़ बास (अलवर) की सैक्टर रिफोर्म योजनाओं को जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा अधिग्रहण करने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

31. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पेयजल योजना में गायफल, बखाड़ा, ढूण्ढी, गुन्दाली, चित्रावास, पदराडा, कमोल, पलासमा व अन्य लम्बित योजना को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

32. रायपुर बोराणा पेयजल योजना में लकड़ी बांध से पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

33. निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा के फ्लोराइड्सयुक्त गांवों की पेयजल योजना बनाकर स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा में बनी एस.आर. व जी.एल.आर. टंकियों को पेयजल सोर्स से सीधी जोड़कर स्टोरेज कर विद्युत कटौती एवं पानी सप्लाई सुचारू करने पर चर्चा के लिये।

35. रायथलीयात बांध से गंगापुर तक नई पाइप लाइन डालकर गंगापुर की पेयजल समस्या निदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा की अनुसूचित जाति बस्तियों की स्वीकृत पाइप लाइन डालने व शेष रही बस्तियों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

37. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नलों से बहने वाले पानी को नाली निर्माण के माध्यम से गांव से बाहर निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. राज्य के ट्यूबवैल एवं पाइप वाले गांवों में सार्वजनिक नलों में से व्यर्थ बहने वाले पानी के अपव्यय को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गांवों का भू-जल स्तर नीचे जाने एवं पानी की क्वालिटी खराब होने की स्थिति में पेयजल हेतु प्राथमिकता से योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 1000 से अधिक की आबादी के गांवों में ट्यूबवैल व पाइप्स के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

41. बीसलपुर बांध का पानी ब्यावर से आगे सेन्दड़ा झाला की चौकी, बर, बिराटिया कला व निमाज को पेयजल के लिये उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के गांव कालबकला के अन्य डोडेलाव बाड़िया ट्यूबवैल खुदवाकर खरनीखेड़ा एवं कालबकला के अन्य बाड़ियों को पेयजल उपलब्ध करवाने, ग्राम बिरटिया खुर्द के झिलमिल बांध से

(श्री सी. डी. देवल)

बिराटिया खुर्द, हाजीवास, धुलकोट, बिराटियाकलां एवं बर के लिये पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. पाली जिले के गजनाई बांध से देवली हुल्ला एवं अन्य गांवों की पेयजल योजना तथा रायपुर बांध से रायपुर तहसील के 18 गांव की पेयजल योजना की शीघ्र क्रियान्विति से सम्बंध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम पंचायत बगड़ी, कलालिया, कोटकिराणा के गांवों एवं ढ़ाणियों के लिये भोमादाह बांध से पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

45. विभाग द्वारा राज्य में पेयजल हेतु वर्षा जल को संग्रहण करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा राज्य के हर गांव में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

47. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु 5 (पांच) नये ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की समुचित व्यवस्था एवं अच्छे संचालन को देखते हुए 100 नये हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की पुरानी लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट पेयजल योजना हेतु एक वृत व दो खण्डीय कार्यालय बाड़मेर में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

52. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में घन्टाली, केसरपुरा, घाटोल, बासड़ी खेड़ा, डूंगरिया की स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर पेयजल की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत नीनामा)

53. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में गांव सवनीया, छोटी बड़ाल, भुवासा, बामनवाड़ा, चौकड़ी की विचाराधीन नल योजनायें स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव सेनावास में श्री कचरा पिता मंगलू कटारा के घर के पास हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

55. निम्बाहेड़ा तहसील के बिनोता एवं मण्डला चारण क्षेत्र की माइन्सों में प्रचुर जल भण्डारण का उपयोग पेयजल हेतु लेने के लिये कस्बा बिनोता व बम्बोरी की पेयजल स्कीम तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. निम्बाहेड़ा शहर की पेयजल स्कीम को सुचारू रखने हेतु गंभीरी डेम में कम से कम 100 एम.सी.एफ.टी. पानी आरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत 1500 से अधिक आबादी के गांवों को जनता जल योजना व 3000 से अधिक के गांवों को विभागीय पेयजल स्कीम से जोड़कर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. बाड़ी मानसरोवर सिंचाई परियोजना तहसील निम्बाहेड़ा के आरक्षित पेयजल से बाड़ी से गोमाना तक 14 गांवों की प्रस्तावित पेयजल स्कीम शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. छोटी सादड़ी शहर की पुर्नगठित पेयजल स्कीम शीघ्र स्वीकृत कर पेयजल समस्या के समाधान एवं करजू पेयजल योजना की शीघ्र क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

60. रामगढ़ (अलवर) के ग्रामों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

61. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम पंचायत मुख्यालय राहोली, गुन्सी, सोहेला एवं जामडोली में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हेतु नई पेयजल योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

62. अजमेर एवं पुष्कर के पेराफेरी गांवों में बीसलपुर का पानी शीघ्र पहुंचाने, पुष्कर पेयजल सप्लाई को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सहाड़ा) :

63. राज्य में पेयजल व्यवस्था ठीक से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

64. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम गुडला में पेयजल हेतु ट्यूबवैल लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित (मकराना) :

65. नागौर लिफ्ट जल योजना के अन्तर्गत मकराना क्षेत्र तक 2007 में ग्राम मामडोली मोरेड, बूडसू को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

66. विधान सभा क्षेत्र बूंदी को चम्बल पेयजल लिफ्ट परियोजना द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

67. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के कांकरोली, भाणा, एमडी तथा लापस्या-खण्डेल में जल योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

68. राज्य में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

69. राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में पेयजल की कमी व प्रबन्धन पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

70. रसगण मुण्डावर में पेयजल टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

71. किशनगंज-रानीबड़ौद में तीन वर्ष से लम्बित योजना को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विभाग द्वारा हैण्डपम्प मिस्त्रीयों की भर्ती व वेतन भत्तों में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में हैण्डपम्प रिपेयर्स अभियान हेतु पंचायत समिति में एक ही जीप होने, जिसका भुगतान सीमित होने से हैण्डपम्प रिपेयर में होने वाली समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में केलवाड़ा पेयजल योजना का विस्तार करने तथा दांता में पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में देवरी एवं कस्बा थाना में पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

76. राजगढ़ (चूरू) तहसील के गांवों में ''आपणी योजना'' के द्वितीय चरण को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

77. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पेयजल से वंचित क्षेत्र में अस्थाई व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. ब्यावर शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पेयजल की अनियमित व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पेयजल से वंचित कालोनियों में पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

82. अजमेर जिले के ''लीडी'' गांव को लामाना टौंक से बीसलपुर का पेयजल तत्काल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

(श्री गोविन्द सिंह)

83. चम्बल नदी का पानी अजमेर जिले को पेयजल हेतु उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

84. नसीराबाद-पुष्कर-आनासागर-फाईसागर व लोहरवाड़ा-बीर आदि तालाबों को चम्बल नदी से लिफ्ट योजना बनाकर पेयजल हेतु उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

85. अजमेर के पैराफेरी के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की स्वीकृत योजना को त्वरित गति से पूरा करने पर चर्चा के लिये।

86. पीसांगन तहसील के सभी गांवों का बीसलपुर से पेयजल सप्लाई की स्वीकृत योजना को एडवान्स कर वर्ष 2007-08 में पूरा करने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

87. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के अन्तर्गत स्वीकृत सभी पेयजल योजनाओं के काम में प्रगति लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

88. विधान सभा क्षेत्र लूणी के तीन हजार आबादी वाले कस्बों में आन्तरिक वितरण प्रणाली लागू किये जाने, उम्मेद सागर धवा जल प्रदाय योजना व कुड़ी-लूणी-सालावास-सतलाना जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्व निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने, कुड़ी-भटिण्डा जल प्रदाय योजना की टी.एस. शीघ्र करवाई जाने व पेयजल सुविधा से वंचित समस्त ढाणियों को पेयजल की सुविधा तुरन्त उपलब्ध करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) :

89. पेयजल योजना गढ़ के हनुमानजी गंगरार, बूढ, जवासिया, मण्डपिया, रघुनाथपुरा, ऊंचा, नेवरिया, हिण्डौली, भीमगढ़, बावलास हेतु टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में ग्राम जालमपुरा, मातृकूण्डिया, चरावटी, अडाना, पावली, सोमर वालों का खेड़ा आदि जनता जल योजना में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

91. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पं. स. रियावडी में हैण्डपम्प बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

92. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पेयजल के लिये सारग बासनी, बेदावड़ी को मेड़ता रोड से पानी हेतु जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के पीएचईडी आफिस से गणेश नाडा तक पाइप लाइन जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में दारा की ढ़ाणी, रेन पोटलियों की ढाणी, मेड़ता रोड मार्ग खेडूली मे जाजड़ो की ढ़ाणी जारोड़ा राड़ों की ढ़ाणी जारोड़ा, पोटलियों की ढ़ाणी जारोड़ा में जी.एल.आर. बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सूरीयात झिटिया, पूजियास, जारोड़ा व पांचडोलिया में ट्यूबवैल खुदवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

96. विधान सभा क्षेत्र कपासन में पेयजल कार्य व पेयजल योजनाओं की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्राम पंचायत स्तर से संचालित पेयजल योजनाओं का जनता जल योजना में रूपान्तरण व विभाग द्वारा संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र कपासन की पेयजल योजना विस्तार की तीन योजनाओं जो प्रस्तावित हैं उनकी स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

99. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में विद्यालय कोष से स्वीकृत टांकों को साल भर पश्चात् भी पानी उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

100. भीनमाल शहर को बाण्डी सेन्दड़ा बांक से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

101. जयपुर शहर की चौकड़ी तोपखाना हुजूरी, रामगंज, घाटगेट, चौकड़ी रामचन्द्रजी, रैगरों की कोठी सहित पुराने शहर में वर्षों पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन को बदल कर नई लाइन डालने व शहर के अन्दरूनी इलाके में पर्याप्त पेयजल सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

102. भरतपुर जिले की नगर तहसील के गांव नीमकी, बनैनी, फ्रांसका, गुलपाड़ा, लाइमका, नीमखेड़ा, धनमपुरा, बिड़गामा, फतेहपुर, नगांगल आदि में मीठे पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

103. नगर-कामां-पहाड़ी व डीग के लोगों को पर्याप्त एवं स्वच्छ जल सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. भरतपुर जिले की पेयजल योजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

105. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के ग्राम भगीसपुर छलाव, गुणदी, भिलवाड़ी, रूणजी, नेहरावद, अरोलिया, पुरागेलाना, लाल गांव तथा सुनेल की पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

106. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के फ्लोराइड वाले गांवों में जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. नलकूपों से डीजल पम्प हटवाये जाकर बिजली से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

108. विधान सभा क्षेत्र पाली की रोहट तहसील के गांवों को पर्याप्त पेयजल पहुंचाने हेतु योजना बनाने की आवश्यक्कता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

109. विधान सभा क्षेत्र मावली की सभी पंचायत मुख्यालयों को पेयजल नल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

110. देसूरी के गांवों को जवाई योजना से जोड़ने व उदरथल को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

111. अम्ब्रेला योजना के तहत लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर की पेयजल व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

(श्री केसर देव बाबर)

112. शहरी जल योजना लक्ष्मणगढ़ एवं ग्रामीण जल योजना बलाय-पालड़ी-गाड़ोदा-मंगलूणा वेछा-वेवदड़ा-डूंगरवास में लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में ढ़ाणियों में जी.एल.आर. बनाने तथा पूर्व निर्मित जी.एल.आर. जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पेयजल हेतु किये कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों के बकाया भुगतान एवं मोटर मरम्मत प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के खण्ड रतनगढ़ में ग्राम गोगासर की एस.आर. गिरने की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

116. जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ड्रिलिंग खण्ड अलवर को नई ड्रिलिंग व नलकूप की मशीनें उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

117. विधान सभा क्षेत्र सीकर के गांवों में जल प्रदाय की विशेष योजना बनाकर भेजने तथा भगोवा के लिये नलकूप की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

118. विधान सभा क्षेत्र डेगाना की पेयजल योजनाओं में रिक्त पड़े हैल्परों, पम्प ड्राइवरों, कनिष्ठ अभियन्ताओं व अन्य पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों को पेयजल योजनाओं में लीकेज के कारण पुरानी पाइप लाइनों के बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में नये नलकूप बनाये जाने के बावजूद भी लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के समस्याग्रस्त गांवों में शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

122. वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना में स्वीकृत नये हैण्डपम्पों को अभी तक नहीं खोदे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

123. निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत फ्लोराइडयुक्त पेयजल से निजात दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

124. ग्राम नयाबास तहसील रामगढ़ (अलवर) की पेयजल योजना पर चर्चा के लिये।

125. रामगढ़ (अलवर) के ग्राम ईन्दपुर एवं तीलवाड़ में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

126. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के खाकरी का खुणा एनीकट से पेयजल योजना का पानी पिपरना व चित्रावास को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

127. श्री विजय नगर में नवीन पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

128. विधान सभा क्षेत्र नैनवां तहसील के उगेन, बाछोला, भैसों का नयागांव, बोलाड़ा, देवपुरा, खासपुरिया, गम्भीरा आदि 50 गांवों के लिये बीसलुपर बांध से पेयजल योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

129. अलवर जिले की तहसील तिजारा सबतहसील टपूकड़ा कस्बे में पूर्व निर्मित ओवर टैंक से कस्बे में पाइप लाइन डालकर पानी (पेयजल) सप्लाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

130. जनता जल योजना में ग्राम पंचायतों के रख-रखाव हेतु 4000/- रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

131. ''स्वजल धारा'' योजना में स्कीम स्वीकृत कर जल्दी राशि उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पेयजल स्कीम स्वीकृत होने के बाद भी दो साल से पाइप उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम पंचायत मुख्यालय निम्बाज, बेड़ कलां, गानीया, बलुन्दा, आगेवा, चावडिया में आने वाले गर्मी में भयंकर पेयजल संकट होने के कारण जल्दी पेयजल स्कीम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. जवाई बांध से पेयजल हेतु जैतारण क्षेत्र की पेयजल स्कीम बजट सत्र 2004-2005 में स्वीकृत होने के बाद भी आज तक पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

135. नाथद्वारा विधान सभा की विभिन्न पेयजल योजनाओं के मुख्य लाइन से कनैक्शन देने से योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा की विभिन्न बस्तियों में हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के बागेरी के नाका योजना के विभिन्न गांवों को 2007-2008 में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

138. बल्लभनगर क्षेत्र के खेजड़ी नाका एवं राणी डूंगला पेयजल योजना पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

139. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में हैण्डपम्पों को लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

140. नर्मदा नहर से जालौर जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) :

141. जयपुर मुख्यालय में लम्बित मारोठ में उच्च जलाशय निर्माण योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' (खण्डार) :

142. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में स्वीकृत बकाया हैण्डपम्पों को शीघ्र लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कोलेप्स पड़े हुए हैण्डपम्पों के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम शिवाड़, ईसरदा, भगवतगढ़, छाण, कुश्तका एवं चौथ का बरवाड़ा में पेयजल योजनाओं का वृहत विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ग्राम कुश्तला 5000 की आबादी के गांव में जनता जल योजना को ग्राम पंचायत से जलदाय विभाग के अन्तर्गत योजना का वृहत विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम डूंगरी, रोड़ावद, दोलतपुरा, दूमोदा, पाचोलास, बलेरिया, आदलवाड़ा, टापुर में नवीन पेयजल योजनाएं शीघ्र स्वीकृत कर ग्रामीणों को पेयजल का लाभ दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) :

147. आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क जयपुर में पूर्ण कर दिये गये पेयजल/योजनाओं को जनस्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार शीघ्र स्थानान्तरित कर संचालन/संधारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की कच्ची बस्तियों में पी.वी.सी. 4000 लीटर की पेयजल टंकियां लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में जे.डी.ए. द्वारा नियमित कालोनीज में पेयजल किल्लत से झूज रही नलकूप तथा पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल सप्लाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

150. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के वार्ड नं. 19 महेशनगर, वार्ड नं. 6 सी-स्कीम वार्ड नं. 35 आनन्दपुरी, वार्ड नं. 1 नांगल जैसा बोहरा, वार्ड नं. 8 खातीपुरा में घनी आबादी व अपर्याप्त पेयजल सुविधा के चलते टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की पृथ्वीराम नगर योजना में टंकी नलकूप तथा पाइप लाइन बिछाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) :

152. नावां क्षेत्र में प्रस्तावित बीसलपुर पेयजल योजना में नावां शहर को भी सम्मिलित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. कुचामन शहर की बढ़ी हुई आबादी के अनुरुप पेयजल हेतु पुर्नगठित पाइप योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. नावां क्षेत्र में प्रस्तावित बीसलपुर पेयजल योजना के फेज का कार्य शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

155. विधान सभा क्षेत्र खारची में फ्लोराइड युक्त पानी वाले गांवों-गुडा अखेराज, आशापुरा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम जोजावर में ओवर हैड टैंक (एस.आर.) क्षमता के अनुरुप नहीं होने से नये टैंक निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

157. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में 1000 की आबादी के गावों में हैण्डपम्प से पेयजल स्कीम में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

158. शिव शक्ति कालोनी शास्त्री नगर जयपुर में पानी की टंकी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. बीसलपुर का पानी जयपुर शहर में शीघ्र लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

160. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल स्थित स्वामी बस्ती में पानी की लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

161. जयपुर शहर की चार दीवारी क्षेत्र मे जीर्ण-शीर्ण पाइप लाईन बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. जयपुर शहर में आगामी गर्मियों में होने वाले पेयजल संकट से निपटने के लिये 500 हैण्डपम्प व 200 ट्यूबवैल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. जयपुर में बीसलपुर परियोजना में पेयजल शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

164. खानपुर पंचायत समिति में सारोला कला तारण पुर्नगठित जल प्रदाय योजना को कंवरपुरा मंड, खण्डी, देदीया एवं बडग्वालिया नवगठित योजना को स्वीकृत कर जल्दी पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

165. बीकानेर शहर के मध्य स्थित सूरसागर की समस्या का समाधान करने हेतु कार्य के बंद होने से उत्पन्न स्थिति तथा गंगाशहर स्थित सूरसागर से सम्बन्धित समस्या का समाधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. राज्य की विभिन्न पेयजल योजनाओं हेतु पाइप क्रय में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

167. विभाग द्वारा कुशलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कसार बाड़ी बस्ती में पेयजल व्यवस्था की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

168. विधान सभा क्षेत्र आहोर के फ्लोराइड युक्त गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम मूलेवा व कवराड़ा में ओपन वैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

170. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के खेजड़ीयाली, तेजसिंह की ढ़ाणी, गरीदा का ढ़ाणा को अजीत जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना पर चर्चा के लिये।

171. भाटा, सिंणधारी, भलखारी (जिला बाड़मेर) पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

172. बीसलपुर योजना का पानी उपलब्ध न होने तक जयपुर शहर के लिये पानी की माकूल व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के ग्राम जयसिंहपुरा खोर को नई पेयजल योजना बनाकर लोगों को पेयजल से राहत दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. चन्दशेखर बैद (तारानगर) :

175. चूरू बिसाउ योजना को त्वरित गति से सम्पूर्ण कर, पेयजल समस्या से निजात दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. ''आपणी योजना'' फेज वन में ढ़ाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. ''आपणी योजना'' फेज-द्वितीय को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. राज्य की विभिन्न पेयजल योजनाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम धोद (धोद) :

180. राज्य के हजारों ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने से जल जनित बीमारियों के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. धोद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धोद, हर्ष, दुजोद, सीहोट बड़ी की पेयजल योजनाओं का ओगुमेन्टेशन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम धोद)

182. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के चक एक ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

183. बीसलपुर पीने के पानी की योजना में तहसील फागी व चाकसू को प्रथम चरण में पानी दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. कस्बा चाकसू की 2.55 करोड़ की लम्बित 45 पेयजल योजना को तुरन्त स्वीकृति दिलवाने तथा गर्मी के मौसम में हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

185. चम्बल धौलपुर-भरतपुर परियोजना में नगलादानी, कोलुआ ग्राम को सम्मिलित नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

186. धौलपुर नगर पालिका क्षेत्र की नई कालोनियों में पेयजल लाइन बिछाकर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के 1500 की आबादी वाले गांव भेसेना, सखवारा, कासिमपुर, कोलुआ, मालोनी खुर्द, करीमपुर छावनी में पम्प एवं टैंक योजना से पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

188. जिरोली टंकी से सुन्दर कालोनी, गिर्राज कालोनी, रीको बजरंग कालोनी राठोर कालोनी धौलपुर में पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

189. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के डांग क्षेत्र की ग्राम पंचायत मौरोली में 6 माह पूर्व जलदाय विभाग से स्वीकृत हैण्डपम्प नहीं लगाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

190. रायसिंहनगर में विस्तार जल योजना गुरूवार हरि कृष्ण पब्लिक स्कूल 11 पी.एस. 48.99 लाख विस्तार जल योजना 1 एन.जेड.पी. नहरी कालोनी 34.30 लाख क्षेत्रीय जल योजना 42 एन.पी. 54.16 लाख व संवर्धन जल योजना 9 एल.पी.एम. 26.13 लाख स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र संगराना, बाजूपाला, 6/8 एल.पी.एम. 21/23 एन.पी. माझवास, नृसिंहपुरा, भाडवांपाला व किकरवाली में उच्च जलाशय निर्माण टंकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री लालचन्द मेघवाल)

192. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम चक 2 एन 3 पी.जेड. चक 31 पी.एस. चक 39 एस.डब्ल्यू., 32 एम.एम. चौराहा, बुढा जोहड़ को जी.एल.आर. मय पाइप लाइन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

193. सूरतगढ़ शहर के लिये नवीन पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

194. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में फ्लोराइड युक्त गांवों में चल रही पेयजल स्कीमों के बन्द रहने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सूखे हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

196. पेयजल स्कीम दयालपुरा, मदनपुरा, हंसमहल आदि को चलाने वाले कर्मचारी को 500/- रुपये प्रतिमाह दिया जाने वाला वेतन लम्बे समय से नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पेयजल स्कीमें लम्बे समय से लम्बित रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बीसलपुर परियोजना में पूरे क्षेत्र के गांवों को सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

199. सिकराय में पेयजल का उपखण्ड कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

200. विधान सभा क्षेत्र सीकर के 12 गांवों को पेयजल समस्या एवं राजपुरा, श्यामगढ़, कोगावटो ढ़ाणी में जुराठहा एवं कुलागुढा कलां शोभ में एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) :

201. बारां जिले के ग्राम सीसवाली में स्वीकृत पेयजल योजना को शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

202. बारां जिले के ग्राम सोरसन, फतेहपुर में पेयजल स्कीम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. बारां जिले की अन्ता तहसील के ग्राम बमूलिया कलां, बरखेड़ा, बड़वा, लदवाड़ा तथा तहसील बारां के विजयपुर, बोटेड़ी, आखेड़ी, कालाखेड़ा में पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वास्ते पेयजल स्कीम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. बारां शहर की पेयजल सप्लाई स्कीम का विस्तार कराने की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

205. अन्ता (जिला बारां) की पेयजल स्कीम (विस्तार) को स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) :

206. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम मूंती, शेरपुर, बडौद, नांगलिया, जलालपुर, दहणी में पी.एन.टी. योजना के अन्तर्गत गर्मियों के दिनों में पेयजल समस्या उत्पन्न हो जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम रामपुर, बहराम का बास, टिबली का बास, कांकर छाजा, काली पहाड़ी, गुढा भासर वाला, बानसूर कस्बा, कराणा, बिलाली, बड़ागांव में स्वीकृत व प्रस्तावित योजनाओं के कार्य निष्पादन में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कई गांवों में विशेषकर बहरोड की 13 पंचायतों में डार्क जोन होने के कारण हैण्डपम्प योजना विफल होने से उन गांवों में पी.एन.टी. योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

209. चौमूं नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल योजना की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. ग्राम कालाडेरा में पानी की टंकी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम उदयपुरिया में पानी की टंकी निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

212. विधान सभा क्षेत्र परबतसर को बीसलपुर परियोजना जो वर्तमान में

(श्री राकेश मेघवाल)

अजमेर जिले के रूपनगढ़ कस्बे तक आ चुकी है, से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. परबतसर विधान सभा क्षेत्र में स्थित बांका पट्टी क्षेत्र के लिये सहायक अभियन्ता का नवीन पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

214. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परबतसर को क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के संधारण के लिये विभागीय वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. परबतसर विधान सभा क्षेत्र हेतु प्रस्तावित विभिन्न कार्यालयों में लम्बित पेयजल योजनाओं की स्वीकृतियां जारी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या से निपटने हेतु नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) :

217. सांचौर तहसील में ट्यूबवैल खोदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

218. विधान सभा क्षेत्र नोखा के अमरालानाड़ा-भादला तहसील नोखा, जैसलमेर तहसील नोखा में नलकूप लगाने एवं भादला, साधुना बांध पेयजल स्कीम तथा इन्दिरा गांधी से नोखा के गांव पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

219. नैनवां तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश हैण्डपम्पों में पानी सूख जाने से पूर्व से खुदी हुई ट्यूबवैलों के लिये विभाग द्वारा निःशुल्क विद्युत सम्बन्ध जारी करवाकर पेयजल उपलब्ध कराया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. बून्दी जिले में स्थित रायथल क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में रायथल राजस्व ग्राम में मजरा कल्याणपुरा (खानजी के झौपड़े) को सम्मिलित कर विद्यालय भवन तक पाइप लाइन डाली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

221. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के फ्लोराइडयुक्त खारे पानी की समस्या से ग्रस्त ग्राम बन का खेड़ा, हगोत्या, ब्यावदा, जखाना के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. नगर पालिका नैनवां के वार्ड संख्या 2 में आबाद मीणा बस्ती (जवानों के झौपड़ों) में पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

223. जोधपुर में भूमिगत जल में सीवर लाइनों द्वारा प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर की क्षतिग्रस्त एवं पुरानी पाइपों लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में फ्लोराइडयुक्त एवं प्रदूषित पेयजल की सपलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

226. विधान सभा क्षेत्र सिरोही की एस.सी.एस.टी. बस्तियों में पाइप लाइन की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र सिरोही की नई बस्तियों में हैण्डपम्प की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. जवाई बांध शिवगंज पेयजल योजना के नगरीय क्षेत्र की वितरण पाइप लाइन कार्य शुरू होने से पूर्व ही गलत उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. स्वीकृत पेयजल योजनाओं के कार्य की धीमी गति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

230. सिरोही शहर के लिये नई पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

231. अजमेर की पेयजल व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु पुरानी पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व में स्वीकृत जौन्तगंज, गढ़ी मालीयम,

(श्रीमती अनिता भ्देल)

कुन्दन नगर व आदर्श नगर में पानी की टंकी निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. अजमेर शहर को 24 घंटे के अन्तराल में पेयजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व में आगामी ग्रीष्म ऋृत को देखते हुए 100 नये हैण्डपम्प खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. अजमेर शहर की पेयजल समस्या को देखते हुए पुराने परम्परागत स्रोतों पर सबमरसीबल पम्प व पानी की टंकी रखवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

236. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में हुसंगसर से गैंरसर, बम्बूलू, नोरंगदेसर, नावासर तक पेयजल हेतु पाइप लाइन द्वारा नहरी पानी पहुंचाने तक जल भण्डारण हेतु जी.एल.आर. ऑवर हैड टैंक, जलहोद निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम मिठडिया, बालादेसर, रतनीसर में ओपन क्षेत्र में मोटर लगवाकर विद्युत कनेक्शन करवाने, ढ़ाणी भोपालाराम से लूणकरणसर, हरियासर से बडेरन, बामनवाली से उत्तमदेसर बड़ी लाइन लगवाने, विभिन्न क्षतिग्रस्त जी.एल.आर., आवर हैड टैंक की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण करवाने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम सादोलाई व लखाबर की पेयजल सुविधा सुचारू करने हेतु विद्युत कनेक्शन डायरेक्ट फीडर से करवाने विभिन्न लम्बित पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम मनाफरसर, ढ़ाणी छिल्ला, ढ़ाणी बोड़ा, किशनासर, रामबाग, राजपुरा हुडान, ढ़ाणी पांडूसर, बखूसर भीखनोरा, संसारदेसर, लाखनसर में नये ट्यूबवैल बनाकर विद्युत कनेक्शन करवाने तथा सम्बन्धित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

विद्यालय चक 5 सी.एच.डी., राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिभागों की ढ़ाणी (शेरपुरा) राजकीय गांधी पाठशाला, चक 1538 (जैतपुर) को तथा अन्य वंचित सभी विद्यालयों को पेयजल हेतु पाइप लाइन डालकर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

241. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में व्याप्त पेयजल समस्या व ग्रीष्मकालीन योजना के मद्देनजर विभाग को पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर व फुलेरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बीवास गांव से स्वीकृत पेयजल योजना की शीघ्र क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फ्लोराइड व खारे पानी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में हैण्डपम्प व ट्यूबवैल कार्यों में ठेकेदारों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

246. अरथूना कस्बे में आदिवासी मोहल्लों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में गागड़तलाई कस्बे में पाइप लाइन नहीं बिछाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) :

248. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में ग्राम पुनरासर, राजेडू में हरिजन मोहल्लों में नये ट्यूबवैल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

249. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम कोटड़ी के आस-पास के करीबन 10-15 गांवों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु कोटड़ी बांध निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

250. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम मण्डा-मिण्डा में पेयजल व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

251. विभाग द्वारा चौमूं शहरवासियों के लिये पानी की स्कीम बांडी नदी से तैयार करवायी जाकर दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-6

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

क्षतिग्रस्त सड़कों के पुन:निर्माण विषयक

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सड़कों की स्थिति खराब होकर टूटी पडी है जिन सड़कों पर मरम्मत की आवश्यकता है जो निम्न है :-

1. राशमों से रूद सड़क
2. रूद्र से चन्देरिया सड़क
3. रूद्र से गंगरार सड़क
4. बस्सी से आमा सडक
5. तुम्बडिया से कुवालिया सडक
6. राशमी से गंगापुर सड़क
7. राशमी से गंगापुर सड़क
8. राशमी से नारेला सडक
9. रूद्र से बावलास सडक
10. राशमी से कपासन सड़क

सभी सड़कों की मरम्मत कराना अतिआवश्यक है।

चित्तौड़गढ़ से गंगापुर वाया राशमी सड़क दो जिलों को जोड़ने वाली 70 कि.मी. लम्बी सड़क है। तथा इस सड़क पर ट्राफिक भी अधिक है। अत: इस सडक को ओडीआर से एमडी आर में परिवर्तित कराने की कार्यवाही कर बजट आवंटन करावें।

उक्त सभी सड़कें गांवों के मध्य से गुजरने वाली है तथा गांवों में पानी की पर्याप्त निकासी की व्यवस्था नहीं होने से डामर सड़कें टूट गई हैं। अत: गांवों के मध्य टूटी सड़कों को पुन: सीमेंट सड़क से बनाने के लिये बजट आवंटन कराने की व्यवस्था करावे।

अर्जुन लाल जीनगर

(गंगरार)

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र की दयनीय सड़कों बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के विभिन्न स्थानों पर निर्मित कृषि विपणन बोर्ड की सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गई है। जिससे आम नागरिक को आना-जाना एवं कृषि जिन्सों की मंडी तक पहुंचने हेतु परिवहन करने के लिये ट्रक्टरों और अन्य वाहनों का आना जाना बुरी तरह से बाधित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर बासनी सेजां से लाम्बा जाटान सड़क 5 कि.मी. कात्यासनी से आकेली ए सड़क 4 कि.मी. आकेली ए से गोमलीबास 5 कि.मी. गोमलियावास से जसवन्ता वाद 4 कि.मी. मेडता रोड से जारोडा कलां 6 कि.मी. मेडता सिटी से खेडली 2 कि.मी., पादूकलां से केरीया माकडा 4 कि.मी., कात्यासली से भूरियासनी 3 कि.मी., चूंदिया से भैंसड़ा 7 कि.मी., करकवाल से बासनी सुमेर 2 कि.मी. आदि। इन सड़कों को निर्माण होने के पश्चात आज तक इनकी मरम्मत नहीं की गई जिससे इनकी हालत अत्यन्त दयनीय हो गई।

अत: मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से पुर जोर शब्दों से मांग करता हूं कि इन सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने की कृपा करवायें।

धन्यवाद।

रामचन्द्र जारोड़ा

(मेड़ता)

राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत 32 अध्यापकों को बकाया वेतन का भुगतान

महोदय,

केन्द्र सरकार से सी एस एस के अंतर्गत राज्य सरकार को फण्ड प्राप्त होता है जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को वतन का भुगतान किया जाता है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत 32 अध्यापकों को आठ माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अत: उन अध्यापकों को केन्द्र सरकार से सी एस एस में प्राइज़ होने वाली राशि में से राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों

में कार्यरत 32 अध्यापकों को उनके बकाया आठ माह के वेतन का भुगतान शीघ्र दिलवाया जावे।

दाताराम गुर्जर

(खेतड़ी)

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में गैस एजेन्सी खुलवाने बाबत्

महोदय,

निवेदन है कि डेगाना एवं इसके 30 कि.मी. आसपास परिधि के क्षेत्र में कही भी गैस एजेंसी नहीं है जिससे डेगाना एवं इसके आसपास के 30 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र के लोगों को न केवल गैस से वंचित होना पड़ता है अपितु गैस लेने हेतु भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है पूरे क्षेत्र के उपभोक्ता को मजबूरन अधिक मोल कम तोल के सिलेन्डर लेने पड़ते हैं। वहीं गैस के अभाव में आस-पास के क्षेत्रों की ही लकडिया ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो रही है। जिससे पर्यावरण पर तो बुरा असर पड़ता है। जिससे लगातार हरे वृक्षों की कटाई हो रही है। वर्तमान में डेगाना एवं इसके आस-पास के 30 कि.मी. परिधि क्षेत्र में लगभग 5000 हजार कनेक्शन चल रहे हैं एवं डेगाना में गैस एजेंसी होने से इस क्षेत्र में 7-8 हजार कनेक्शन और लोग भी प्राप्त कर सकेंगे इस तरह लगभग 12-23 हजार परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। साथ ही हरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई भी बंद हो सकेगी एवं गैस की वर्तमान में चल रहे अवैध व्यापार पर भी अंकुश लगेगा। इस प्रकार इस क्षेत्र में गैस एजेंसी से आम जन को फायदा होगा।

अत: इस क्षेत्र में तुरंत ही गैस एजेंसी दी जावे। विशेषत: इन्डियन आयल की एजेन्सी ही दी जावें क्योंकि वर्तमान में जो चालू कनेक्शन उनमें अधिकतर इन्डियन आयल कम्पनी के ही है जिससे उपभोक्ता को सुगमता होगी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित

(मकराना)

अजमेर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण बाबत्

महोदय,

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की ओर दिलाना चाहूंगी। मान्यवर अजमेर शहर में

राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के तहत सिवरेज लाईनें बिछाई गई थी। लाईनें बिछाने के पश्चात क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्म्त का कार्य भी इसी विभाग द्वारा करवाया जाना था। परन्तु विभाग द्वारा केवल 25 प्रतिशत सड़कों को मरम्मत करवाया गया। शेष सड़कों के मरम्मत का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। जिन सड़कों की मरम्मत करवाई जा चुकी है वे सड़कें भी वर्तमान हालात में ऐसी नहीं रही कि उन पर अच्छा यातायात चल सके। सम्पूर्ण अजमेर शहर की सभी सड़कें चाहे वे सार्वजनिक निर्माण विभाग की या अन्य किसी विभाग की बहुत बुरी स्थिति में है।

आपने ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की नवीनीकरण और सुदृढीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं में सम्पूर्ण राजस्थान में बहुत काम करवाया है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आपने सड़कों का कार्य करवाया है उसी प्रकार अजमेर शहर में भी किसी भी योजना के तहत लगभग 2 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आवंटित करे। जिससे अजमेर शहर के लोग भी क्षतिग्रस्त सड़कों से होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। पूर्व भी मैंने इस हेतु निवेदन किया था परन्तु आपने उत्तर में किसी भी योजना में सड़कों के नवीनीकरण हेतु बजट आवंटित करने में असमर्थता जाहिर की थी। मेरा पुनः आपसे पुरजोर शब्दों में आग्रह है कि अब आज इस कार्य हेतु इनकार नहीं करेंगे और अजमेर की सड़के दुरस्त करायेंगे।

धन्यवाद।

अनीता भदेल

(अजमेर पूर्व)

मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र एवं अलवर जिले में हो रही वनों की कटाई विषयक

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले में वनों की कटाई हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बतरोज-सुटेटा-खरेरा खानपुर मेवात तथा करनोकोट क्षेत्र में हरे पेड़ों कि अवैध कटाई हो रही है। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी इस बारे में मंत्री जी को आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करवाया था। लेकिन आज तक मेड़ों की कटाई में कोई कमी नहीं हो रही है। लगातार हरे

पेड कट रहे हैं। इसका एक कारण वहां पर एक यह भी है कि वहां पर वन चौकी नहीं है। वन कर्मियों की कमी है।

अत: आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि मुण्डावर एवं अलवर जिले में वनों में हरे पेड़ों की कटाई की तुरन्त रुकवाने कि व्यवस्था करें तथा इसके लिये जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे वनों की हो रही अवैध पेड़ों की कटाई को रोका जा सके और वनों को बचाया जा सकें।

धर्मपाल चौधरी

(मुण्डावर)

देवस्थान विभाग के करौली स्थित मन्दिर श्री राधा दामोदर की सम्पत्ति को बचाने बाबत

मान्यवर,

करौली शहर में बड़ा बाजार स्थित मंदिर श्री राधा दामोदर जी महाराज का जिसकी करीब 25 दुकानें एवं दुकानों के ऊपर रिहायशी मकान व मुख्य मंदिर स्थित है उक्त मंदिर राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी का है जिसकी सेवा पूजा पुजारी द्वारा की जाती है। मंदिर के स्वामित्व का अधिकारी, देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के रिकार्ड में है।

मान्यवर, उक्त मंदिर की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है तथा जिसमें पुजारी का परिवार निवास कर रहा है जिससे दर्शनार्थियों का प्रवेश बन्द कर दिया गया है तथा मंदिर का पुजारी पेशे से अध्यापक है जो कि नियमित रूप से सेवा पूजा भी नहीं कर रहा है।

मान्यवर, उक्त पुजारी द्वारा मंदिर की सम्पत्ति को विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचान भी किया गया है अब उक्त पुजारी देवस्थान विभाग के मंदिर व मंदिर की सम्पत्ति को विभाग में मिली भगत कर निजी सम्पत्ति करवाने का प्रयास कर रहा है।

मान्यवर इतना ही नहीं मंदिर के पुजारी द्वारा देवस्थान विभाग के उक्त मंदिर को निजी सम्पत्ति घोषित कराने हेतु न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) करौली में दावा संख्या 188/84(179/90) किया है जिसकी अपील जिला न्यायालय में विचाराधीन है उक्त अपील में विभाग द्वारा

किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही है इसके अतिरिक्त एक और अन्य मुकदमा संख्या 1-ए/2006 सी.जे.एम. कोर्ट, करौली जिला-करौली में पुजारी द्वारा पेश किया है उसमें भी पुजारी द्वारा मंदिर व मंदिर की सम्पत्ति को अपनी निजी सम्पत्ति बताकर दावा पेश किया गया है। जिसमें भी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही मुकदमें में पक्षकार बनने हेतु नहीं की गई है।

अत: उक्त के सम्बन्ध में मेरा आपसे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की तुरन्त उच्च स्तरीय जांच करवाई जावे तथा मंदिर के पुजारी को बेदखल कर कानूनी कार्यवाही करते हुये देवस्थान विभाग की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को बचाया जावें तथा विचाराधीन मुकदमों में ठोस पैरवी देवस्थान विभाग द्वारा करवाई जावें।

सुरेश मीणा
(करौली)